द्वादश माला, खंड 9, अंक 20

शुक्रवार, 16 अप्रैल, 1999

26 चैत्र, 1921 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद(हिन्दी संस्करण)

शुक्रवार, 16 अप्रैल, 1999/26 चैत्र, 1921 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
44	13	वित्त मंत्री	वस्त्र मंत्री
106	नीचे से 3	स्थाई	स्थायी
197	2	स्थित	स्थिति
223	11	श्री अमर अब्दुल्ला	श्री उमर अब्दुल्ला
232	नीचे से 3	श्री दादा बाबूराव पराजंपे	श्री दादा बांबूराव पराजंपे
243	नीचे से 9	(ख)	(ग)
288	7	श्री शान्तिलाल चलसोत	श्री शान्तिलाल चपलोत
299	7	(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)	(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
438	नीचे से 13	सरदार सुरजीत सिंह बनराला	सरदार सुरजीत सिंह बरनाला

सम्पादक मण्डल

श्री एस॰ गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे॰ एस॰ वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय सूची

द्वादश माला, खंड 9, चौथा सत्र/1999/1920 (शक)

अंक 20, शुक्रवार, 16 अप्रैल, 1999/26 चैत्र, 1921 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 361 से 380	1-26
अतारांकित प्रश्न संख्या 3673 से 3902	26-260
मंत्री-परिषद में विश्वास का प्रस्ताव	261-538
श्री प्रभुनाथ सिंह	261-272
श्री सोमनाथ चटर्जी	272-294
श्री मुरासोली मारन	294-298
श्री मुलायम सिंह यादव	299-316
कुमारी ममता बनर्जी	316-330
श्री पी. शिव शंकर	330-351
श्री इन्द्रजीत गुप्त	351-370
श्री जार्ज फर्नान्डीज	370-404
कुमारी मायावती	404-410
श्री चन्द्रशेखर	410-418
श्री के. येरननायडू	419-421
श्री एच. डी. देवगौड़ा	421-438
सरदार सुरजीत सिंह बरनाला	438-444
श्री पी. चिदम्बरम	444-446
श्री मधुकर सरपोतदार	448-465
श्री के. नटवर सिंह	465-473
डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी	474-503
श्री आनन्द मोहन	505-510
श्री अमर राय प्रधान	510-512
श्री रामदास आठवले	512-514
श्री किशन सिंह सांगवान	514-517
श्री एस. एस. ओवेसी	517-520
श्री एस. एस. बनातवाला	521-528
श्री नवीन पटनायक	529-532
श्री पी. सी. थामस	532-535
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह	535-537

लोक सभा

शुक्रवार, 16 अप्रैल, 1999/26 चैत्र, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

वस्त्रों/सिले-सिलाए कपड़ों का निर्यात

*361. **श्री प्रभाचन्द्र तिवारी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997–98 और 1998–99 के दौरान वस्त्रों/सिले सिलाए कपड़ों के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) सरकार द्वारा वर्ष 1998–99 के दौरान वस्त्रों/सिले सिलाए कपड़ों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) वर्ष 1997–98 और 1998–99 के दौरान हस्तशिल्प, पटसन और कयर सहित वस्त्र/परिधानों के निर्यात के लक्ष्य क्रमशः 13.36 बिलियन डालर और 14.28 बिलियन डालर थे। वर्ष 1997–98 में लगभग 12.39 बिलियन डालर मूल्य के निर्यात हुए। अप्रैल, 1998 से फरवरी, 1999 तक की अवधि के दौरान उपलब्ध प्राक्कलनों के अनुसार 11.41 बिलियन डालर के निर्यात होने का अनुमान है।

(ख) वस्त्रों और परिधानों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है, जिनमें क्रेता–विक्रेता बैठकों, मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती अथवा शून्य पर पूँजीगत माल के आयात का अधिकार देना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात के विशेष प्रबंध करना, मानव संसाधन विकास तथा शुल्क वापसी जैसी निर्यात संवर्धन योजनाएँ और डी. ई. पी. बी. शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दक्षिण पूर्व एशियाई आर्थिक संकट के कारण वर्ष 1998–99 के प्रारंभ में सूती यार्न के निर्यात में तेजी से गिरावट आने के संबंध में अनेक विशेष कदम उठाए गए थे। उपर्युक्त के अतिरिक्त, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन को प्रोत्साहन देने के लिए परिधान और पटसन उद्योग सहित वस्त्र क्षेत्र के लिए एक प्रौद्योगिक उन्नयन निधि योजना शुरू की गई है ताकि विश्व बाजार में उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके। नई वस्त्र नीति के लिए सिफारिशें देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की गई है।

इस्पात का उत्पादन

*362. **श्री दत्ता मेघे** :

श्री विठ्ठल तुपे :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस्पात का वार्षिक अनुमानित उत्पादन कितना है;

(ख) क्या इस्पात उद्योग इस समय मन्दी के दौर से गुजर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से निवारक कदम उठाए गए हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : (क) विगत तीन वर्षों में देश में परिसज्जित (कार्बन) इस्पात का वार्षिक उत्पादन निम्न प्रकार था:

1996–97	22.72 मिलियन टन
1997–98	23.37 मिलियन टन
1998–99 (अनुमानित)	23.21 मिलियन टन

(ख) और (ग) भारत में इस्पात उद्योग गत 2 वर्षों से इस्पात के खपत क्षेत्रों में मंदी के कारण मंद वृद्धि का सामना कर रहा है। यह मंदी निम्नलिखित घटकों के कारण है:

(i) देश में समग्र आर्थिक मंदी।

(ii) इस्पात उद्योग की आदान सामग्रियों के मूल्य में वृद्धि।

(iii) सस्ते दामों पर आयात।

(iv) सी. आई. सी. और अन्य देशों से परिसज्जित इस्पात का पाटन।

(v) इस्पात के लिए निर्यात बाजार में प्रतिकूल परिस्थिति।

(vi) इस्पात के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट।

(घ) इस्पात उत्पादकों और सरकार ने इस्पात क्षेत्र की

समस्याओं पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- इस्पात की मांग और खपत में वृद्धि करने के लिए विकास आयुक्त लोहा और इस्पात ने इस्पात की मांग बढ़ाने के लिए विशेष रूप से गैर–परम्परागत क्षेत्रों जैसे ग्रामीण और कृषि पर आधारित क्षेत्रों में, एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है।

- इस्पात उत्पादन के लिए आदान लागतों में कमी करने हेतु कई आदानों जैसे कोककर कोयला (12% से कम राखांश), गैर–कोककर कोयला (12% से कम राखांश) धातुकर्मीय कोक, फैरो निकेल, चार्ज निकेल और निकेल ऑक्साइड सिंटर, न्यून सिलिकायुक्त चूना–पत्थर और ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड (22") पर विशेष आयात शुल्क को 1998–99 में समाप्त कर दिया गया था।

  सीमा शुल्क संरचना की युक्तिसंगतता और 1999–2000 के बजट में प्रस्तावित मूलभूत सीमा शुल्क पर 10% अधिभार से कतिपय परिसज्जित इस्पात मदों पर आयात शुल्क में मामूली तौर पर वृद्धि होगी। आशा है कि इससे इस्पात के सस्ते आयात से कुछ राहत मिलेगी।

- यूक्रेन और रूस से आयातित तप्त बेल्लित क्वायलों पर डम्पिंग–रोधी शुल्क अधिसूचित कर दिया गया है।

- सरकार ने दोयम और दोषपूर्ण कतिपय परिसज्जित–इस्पात मदों पर न्यूनतम मूल्य घोषित कर दिया है ताकि बहुत कम मूल्यों पर अपने आयातों को प्रतिबद्ध किया जा सके जो कि घरेलू बाजार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे हैं।

- निर्यात में वृद्धि करने के लिए इस्पात के निर्यात के लिए ड्यूटी इन्टाइटलमेंट पास बुक (डी. ई. पी. बी.) दरों को मुक्तिसंगत बनाया गया है।

- निर्यात की अलत्तमों का समाधान करने के लिए इस्पात के निर्यातकों की सहायता करने हेतु एक इस्पात निर्यातक मंच बनाया गया है।

- मुख्य उत्पादक उत्पाद मिक्स का उत्पादन बाजार आवश्यकताओं के अनूकूल और बाजार मांग में परिवर्तन के अनुसार कर रहे हैं।

- उत्पादक उपभोक्ताओं के साथ समझौता ज्ञापन/आपूर्ति व्यवस्था करके उपभोक्ताओं के साथ दीर्घकालिक संबंध विकसित और घोषित कर रहे हैं।

- इस्पात उत्पादकों ने लागत घटाने और प्रौद्योगिक–आर्थिक प्राचलों में सुधार करने के लिए कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

किसान क्रेडिट कार्ड

***363. श्री एच.जी. रामुलू :**

श्री ए. सिद्दराजू :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने किसानों को राज्यवार और बैंकवार किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं;

(ख) वर्ष 1999–2000 के लिए इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस योजना के समुचित क्रियान्वयन पर निगरानी रखने और उसे किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचनानुसार, 26 मार्च, 1999 को स्थिति के अनुसार, किसानों को सरकारी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा 6,26,553 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। बैंक–वार तथा राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1999–2000 के लिए यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि बैंक किसान क्रेडिट कार्ड के कवरेज का विस्तार करें ताकि इस योजना से 20 लाख किसान लाभ उठा सकें।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा भारतीय बैंक संघ को कहा गया है कि वे किसानों में बेहतर जागरूकता लाने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड के क्रियान्वयन और इसके लाभों के बारे में समाचार पत्रों और इलैक्ट्रानिक माध्यमों की सहायता से व्यापक प्रचार करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे मासिक आधार पर जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या का ब्यौरा दें। सरकार समय–समय पर निरंतर आधार पर इस योजना के क्रियान्वयन की निगरानी भी करती है।

विवरण-I

26 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने की बैंक–वार स्थिति को दर्शानेवाला विवरण

क्रम सं.	बैंक का नाम	किसान क्रेडिट कार्ड की सं.
1.	भारतीय स्टेट बैंक	19510
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	*
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	649
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	650
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	*
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	*
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1125
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	22
9.	इलाहाबाद बैंक	7794
10.	आन्ध्रा बैंक	5032
11.	बैंक आफ बड़ौदा	1637
12.	बैंक आफ इंडिया	5304
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	*
14.	केनरा बैंक	377725
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	500
16.	कार्पोरेशन बैंक	20236
17.	देना बैंक	4076
18.	इंडियन बैंक	6475
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	33
20.	ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स	*
21.	पंजाब नेशनल बैंक	2637
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	296
23.	सिंडिकेट बैंक	164649
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	*
25.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	329
26.	यूको बैंक	418
27.	विजया बैंक	*
28.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	753
29.	सहकारी बैंक	3409
	कुल	626553

*इन बैंकों ने यह योजना शुरु की है तथा कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में है।

विवरण-II

बैंकों द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्ड की राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	जारी किए गये कार्ड की सं.
1.	आन्ध्र प्रदेश	54050
2.	असम	71
3.	बिहार	6500
4.	गोवा	103
5.	गुजरात	1881
6.	हरियाणा	9302
7.	हिमाचल प्रदेश	614
8.	कर्नाटक	105031
9.	केरल	51921
10.	मध्य प्रदेश	2445
11.	महाराष्ट्र	2067
12.	उड़ीसा	6315
13.	पांडिचेरी	47
14.	पंजाब	20836
15.	राजस्थान	693
16.	तमिलनाडु	120472
17.	त्रिपुरा	10
18.	उत्तर प्रदेश	48517
19.	पश्चिम बंगाल	4267

टिप्पणी : कुछ बैंकों ने राज्य-वार स्थिति उपलब्ध नहीं करायी है।

राज्य वित्तीय निगम

***364. श्री उपेन्द्र नाथ नायक :**

श्री अमन कुमार नागरा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरसिंहम समिति ने राज्य वित्तीय निगमों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानकों का अनुपालन करने के संबंध में सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से वित्तीय तौर पर कमजोर राज्य वितीय निगमों के पुनः पूंजीकरण और पुनर्गठन के संबंध में समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन्टरनेट के माध्यम से देश तथा विदेश में सूचना तथा विचारों के आदान-प्रदान करने तथा स्रोत संबंधी प्रौद्योगिकी सुलभ कराने के लिए सभी राज्य वित्तीय निगमों को देशभर के इलैक्ट्रानिक मीडिया से जोड़ने का है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक किये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार को अखिल भारतीय राज्य वित्तीय निगम कर्मचारी फेडरेशन से सभी राज्य वित्तीय निगमों में उत्पन्न हो रहे संकट के संबंध में भी कोई निवेदन प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) केन्द्र सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति ने वर्ष 1991 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की थी कि राज्य स्तरीय संस्थाओं को राज्य सरकार से दूरी बनाई रखनी चाहिए और एक कार्य योजना बनानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे व्यावसायिक सिद्धान्तों, विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार कार्य करें और स्थायी प्रबंधन ढांचा तीन वर्षों में कार्यान्वित किया जाए।

(ख) राज्य वित्तीय निगमों के लिए आस्ति वर्गीकरण, आय की पहचान तथा प्रावधान करने सहित विवेकपूर्ण मानदंड अप्रैल, 1993 से लागू किए गये हैं।

(ग) और (घ) सूचना-प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग सहित राज्य वित्तीय निगमों द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और प्रत्येक राज्य वित्तीय निगम के लिए इस उद्देश्य से कार्य योजना तैयार करना आवश्यक होगा।

(ङ) और (च) अखिल भारतीय राज्य वित्तीय निगम कर्मचारी संघ ने राज्य वित्तीय निगमों के संबंध में सुझाव दिए, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य वित्त निगम अधिनियम में संशोधन, राज्य वित्त निगमों का पुनः पूंजीकरण, राज्य वित्तीय निगमों को संचालनात्मक स्वायत्तता देना, राज्य वित्तीय निगम के कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाना तथा प्रत्येक राज्य में ऋण वसूली अधिकरण स्थापित करना शामिल है।

(छ) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 में व्यापक संशोधन करना सरकार के विचाराधीन है।

जीवन बीमा निगम/साधारण बीमा निगम की प्रीमियम की दरें

*365. **श्रीमती रमा देवी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम/साधारण बीमा निगम की प्रीमियम की दरें विश्व में सबसे अधिक दरों में से एक हैं;

(ख) क्या इस संबंध में देशवार कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में प्रीमियम की उच्च दरों के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। प्रीमियम की दरें जोखिम तत्वों, निवेश से होने वाली प्राप्तियों, प्रबंधन व्ययों आदि जैसे अनेक पैरामीटरों पर निर्भर करती हैं और ये अलग-अलग देशों में अलग-अलग हैं। अतः किसी प्रकार की सार्थक तुलना संभव नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कार्यदल द्वारा पुनरुद्धार पैकेज

*366. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात क्षेत्र के कार्यदल द्वारा इस्पात की मांग को बढ़ाने हेतु पेश किए गए पुनरुद्धार पैकेज के वांछित परिणाम मिले हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस्पात उद्योग में व्याप्त मंदी पर काबू पाने की दृष्टि से प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : (क) जी, हां। इस्पात क्षेत्र में मौजूदा मंदी से निजात पाने के लिए कार्यदल द्वारा की गई कुछ सिफारिशों के कार्यान्वयन से कुछ परिणाम प्राप्त हुए हैं।

(ख) कार्यदल ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की थीं :

(1) डी. ई. पी. बी. (ड्यूटी पास बुक) दरों को युक्तिसंगत बनाना।

(2) कतिपय परिसज्जित इस्पात मदों पर आयात शुल्क की यथा-मूल्य दर को निश्चित शुल्क में परिवर्तित करने की व्यवहार्यता पर विचार करना।

(3) घटिया और दोषपूर्ण सामग्री के आयात पर विशेष आयात शुल्क लगाने और इस्पात की कतिपय श्रेणियों के लिए शुल्क को विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित दरों तक बढ़ाने जैसे उपायों पर विचार करना।

(4) विशिष्ट न्यूनतम मूल्य से कम की घटिया और दोषपूर्ण सामग्री के आयात को खुला सामान्य लाइसेंस के तहत् से हटाने पर विचार करना।

(5) एक त्वरित कार्य-तंत्र स्थापित करके पाटन के मामलों को निपटाना।

(6) इस्पात क्षेत्र के लिए ऐसी आदान मदों, जो देश में उपलब्ध नहीं हैं, पर 2% + 3% के विशेष उत्पाद शुल्क और 4% के विशेष अतिरिक्त शुल्क को वापस लेना/माफ करना।

उपर्युक्त सिफारिशों के संबंध में अभी तक प्राप्त परिणामों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(1) एच. आर. क्वायलों, सी. आर. क्वायलों, जी. पी./जी. सी. शीटों, रंग चढ़ी शीटों के निर्यात हेतु डी. ई. पी. बी. दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है।

(2) सरकार ने दोयम दर्जे के और दोषपूर्ण उत्पादों सहित परिसज्जित इस्पात के कतिपय चपटे उत्पादों के सस्ते दामों पर आयात को प्रतिबंधित करने के लिए इनके न्यूनतम मूल्य निर्धारित किए हैं। परिणामस्वरूप इन मदों के घरेलू उत्पादक अपनी हानि को कुछ हद तक कम कर पाने में सफल हुए हैं।

(3) कार्यदल द्वारा इस्पात क्षेत्र हेतु आदान लागत में कमी करने की सिफारिश की गई थी। कोककर कोयला (12% से कम राखांश), अकोककर कोयला, धातुकर्मीय कोक, फैरो निकल, चार्ज निकल और निकल ऑक्साइड सिंटरों, न्यून सिलिकायुक्त चूना–पत्थर और ग्रेफाइट इलैक्ट्रॉडस (28" से अधिक) जैसे अनेक आदानों पर आयात शुल्क में कमी कर दी गई है। इससे घरेलू इस्पात उद्योग को लोहे और इस्पात के विनिर्माण हेतु आदानों की लागत में कमी करने में सहायता मिली है।

(4) पाटनरोधी तंत्र को सुदृढ़ बनाने की सिफारिश की गई थी। रूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान से एच. आर. क्वालयों/चादरों/प्लेटों के कथित पाटन के लिए घरेलू इस्पात उत्पादकों की ओर से मैसर्स सेल और मैसर्स एस्सार स्टील लि. द्वारा दायर की गई पाटनरोधी याचिका के संबंध में निर्णय ले लिया गया है। नामज़द प्राधिकारी ने अपनी दिनांक 18 नवम्बर, 1998 की अधिसूचना के माध्यम से रूस और यूक्रेन से किए जाने वाले आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी। अतः 27.11.98 से पाटनरोधी शुल्क लगा दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से विनिवेश

***367. श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त सचिव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विनिवेश आयोग ने कहा है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश में बहुत सारी एजेंसियां लगी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो विनिवेश आयोग के अध्यक्ष की कथित टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) विनिवेश प्रक्रिया हेतु प्रशासनिक और निगरानी/नियामक तन्त्र के सम्बन्ध में लिए गए अन्तिम निर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान विनिवेश योजनाओं के अन्तर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश हेतु सिफारिशें करने के लिए मात्र एक अभिकरण अर्थात् विनिवेश आयोग है। आयोग की परामर्शी स्वरूप की इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार, निर्णय और कार्यान्वयन किया जाता है। विनिवेश संबंधी सचिवों का केन्द्रीय दल विनिवेश की मंत्रिमंडलीय समिति के मार्गदर्शन में विनिवेश की प्रक्रिया का समन्वयन और उसकी मॉनीटरिंग करता है।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष अभी शुरू ही हुआ है। चालू वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रु. का लक्ष्य नियत किया गया है।

[हिन्दी]

बुनाई मिलों को शेयर पूंजी

***368. श्री कल्लाप्पा आवाडे** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र की बुनाई मिलों को शेयर पूंजी उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार को मिले प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और ऐसी मिलों को कितनी शेयर पूंजी उपलब्ध करायी गयी है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इस्पात क्षेत्र का कार्यनिष्पादन

***369. श्री गुरुदास कामत** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1998–99 के दौरान इस्पात क्षेत्र के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए अलग–अलग मानक मानदण्डों के रूप में उभरती प्रवृत्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल के वर्षों के दौरान इस्पात का आयात बढ़ा है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में इस्पात का आयात किया गया;

(ङ) क्या सरकार को घरेलू इस्पात क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए चीन और कोरिया या अन्य देशों से इस्पात के आयात को निरुत्साहित करने के लिए आवश्यक उपाय करने हेतु इस्पात क्षेत्र से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : (क) और (ख) सरकार इस्पात क्षेत्र के निष्पादन की सतत् आधार पर समीक्षा करती है।

पिछले चार वर्षों के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र में परिसज्जित (कार्बन) इस्पात के उत्पादन का रुख निम्नानुसार रहा :

(मात्रा : दस लाख टन)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग
1995–96	8.75 (40.8%)	12.65 (59.2%)	21.40
1996–97	8.53 (37.5%)	14.19 (62.5%)	22.72
1997–98	8.54 (36.5%)	14.83 (63.5%)	23.37
1998–99 (अनुमानित)	7.71 (33.2%)	15.50 (66.8%)	23.21

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल उत्पादन की प्रतिशतता दर्शाते हैं)

इस्पात क्षेत्र के उदारीकरण के परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र में इस्पात उत्पादन क्षमताएं चालू करने के कारण 1996–97 से परिसज्जित (कार्बन) इस्पात के उत्पादन में निजी क्षेत्र की प्रतिशतता तेजी से बढ़ी है। 1998–99 में भी यही रुख बना रहा।

(ग) और (घ) पिछले कुछ वर्षों के दौरान परिसज्जित इस्पात का आयात 15 लाख टन के औसत स्तर पर रहा। पिछले चार वर्षों में किए गए आयात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	(मात्रा : दस लाख टन)
1994–95	1.70
1995–96	1.53
1996–97	1.56
1997–98	1.58

(ङ) और (च) सी. आई. एस. और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सस्ती दरों पर किए जा रहे आयात को रोकने के लिए कदम उठाने हेतु इस्पात उद्योग द्वारा पिछले दो वर्षों से सरकार से अनुरोध किया जाता रहा था। यह आयात घरेलू मूल्यों पर अलाभकारी स्तर तक दबाव डाल रहा था और इस प्रकार यह घरेलू उद्योग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा था। सस्ते आयात/आयात से हुए पाटन को रोकने के लिए सरकार पाटन–रोधी शुल्क लगाने के लिए कार्रवाई कर सकती है। नामजद प्राधिकारी की सिफारिश पर नवम्बर, 1998 में रूस और यूक्रेन से आयात किए जाने वाले तप्त बेल्लित उत्पादों पर पाटन–रोधी शुल्क लगाया गया है। सरकार ने परिसज्जित इस्पात की कुछ मदों जिनमें सस्ते आयात को रोकने के लिए दोयम एवं दोषपूर्ण इस्पात भी शामिल हैं, के लिए न्यूनतम मूल्य भी निर्धारित किए हैं।

अखबारी कागज़ के आयात पर पाटनरोधी शुल्क

***370. श्री माधवराव सिंधिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज़ के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए अखबारी कागज़ उद्योग द्वारा लगातार मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) वाणिज्य मंत्रालय में अभिहित प्राधिकारी ने रूस, अमेरिका तथा कनाडा से आयातित अखबारी कागज (ग्लेज्ड अखबारी कागज को छोड़कर) पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया था। यह देखा गया कि जांच अवधि के बाद से अखबारी कागज की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में बढ़ोतरी हुई तथा विनिमय दर में भी कमी आई थी। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अखबारी कागज़ पर पाटनरोधी शुल्क लगाने संबंधी उक्त अभिहित प्राधिकारी की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया।

[हिन्दी]

स्वर्ण बांड योजना

***371. श्री आनन्द रत्न मौर्य :**

श्री सी. कुप्पुस्वामी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में स्वर्ण बांड योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सोने के जेवरों को भी इस योजना के अन्तर्गत शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) इस योजना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रतिक्रिया मिली है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) वित्तीय वर्ष 1999–2000 के बजट में घोषित स्वर्ण जमा योजना का उद्देश्य निष्क्रिय पड़े हुए स्वर्ण को जुटाना है। योजना के तहत, चुनिंदा बैंकों को सोने के आभूषणों सहित सोना जमा करने और ब्याज युक्त प्रमाणपत्र अथवा बाण्ड जारी करने की अनुमति दी जाएगी। इन बाण्डों की परिपक्वता पर, निवेशकों को स्वर्ण अथवा नकदी प्राप्त करने का विकल्प होगा। जमाकर्ताओं को आय का नियमिति स्रोत प्रदान करते हुए इससे उन्हें अपने पास सोने को रखे जाने के सम्बन्ध में उसके भंडारण, इधर–उधर ले जाने और सुरक्षा की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। स्वर्ण जमा पर होने वाला ब्याज आयकर से मुक्त होगा और योजना के अन्तर्गत

जमा की गई परिसम्पत्तियों का मूल्य सम्पत्ति–कर से मुक्त होगा। इसके अतिरिक्त इन बाण्डों से प्राप्त किया गया पूंजीगत लाभ पूंजी–लाभ कर से मुक्त होगा। इस योजना का उद्देश्य सभी प्रकार के सोने को छूट देना नहीं है।

(घ) और (ङ) इस योजना को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किए जाने की सम्भावना है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा योजना की शुरूआत किए जाने के बाद ही योजना की प्रतिक्रिया का पता लगेगा।

[अनुवाद]

सिंथेटिक कपड़ों की खपत

***372. श्री बालासाहिब विखे पाटील :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष जनता में सिंथेटिक कपड़ों की खपत बढ़ाने और इसके निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कार्य पर खर्च की गई राशि का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सिंथेटिक फाइबर उद्योग का आधुनिकीकरण करने और उत्पादन लागत को कम करने के लिए कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) वस्त्र नीति में जनता को सिंथेटिक कपड़े सहित कपड़े को सामर्थ्य कीमतों पर उपलब्ध कराने तथा साथ ही घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में भारतीय वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की परिकल्पना है। इस संबंध में उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ–साथ सिंथेटिक और ब्लेंडिड फैब्रिको के कच्चे माल सहित वस्त्र क्षेत्र में वित्तीय प्रभारों का सुव्यवस्थिकरण करना, रियायती आयात शुल्क पर कुछ विशिष्ट वस्त्र मशीनों का आयात करना, समूचे देश में सुगम्य दूरी पर परीक्षण सुविधाएँ प्रदान करना शामिल है।

सरकार सिंथेटिक वस्त्रों सहित वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिए भी अनेक कदम उठा रही है, जैसे कि क्रेता–विक्रेता बैठकों, मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूँजीगत माल के आयात का अधिकार देना, निर्यात ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि।

चूँकि सिंथेटिक फैब्रिकों सहित सामान्यतया इन उपायों में वस्त्र क्षेत्र शामिल है, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एकमात्र सिंथेटिक फैब्रिक क्षेत्र पर खर्च की गई राशि की मात्रा का अनुमान लगाना व्यवहार्य नहीं है।

(ग) और (घ) अर्थक्षम सिद्धान्तों पर सिंथेटिक फाईबर उद्योग के आधुनिकीकरण को सुकर बनाने के लिए सरकार अनेक सुविधाएँ प्रदान कर रही है, जिनमें शामिल हैं :

- कच्चे माल और पूँजीगत माल पर वित्तीय शुल्क में उत्तरोतर कटौती।
- निर्यात संवर्धन पूँजीगत माल योजना (ई. पी. सी. जी.) के अंतर्गत निर्यात उत्पादन के लिए पूँजीगत माल के शून्य शुल्क तथा रियायती शुल्क पर आयात।
- सामान्य बैंक के माध्यमों आदि द्वारा सांविधिक ऋण प्रदान करना।
- विदेशी प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय सहयोग के प्रस्तावों को सुगमता तथा तीव्रता से अनुमोदित करना आदि।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बट्टे-खाते डाली गई अशोध्य ऋण राशि

***373. श्री महेश कनौडिया :**

श्री दरोगा प्रसाद सरोज :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों ने बैंक–वार कितनी धनराशि बट्टे–खाते डाली; और

(ख) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनकी बट्टे खाते डाली गई राशि दस लाख रुपये से अधिक थी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) वर्ष 1996–97 और 1997–98 के दौरान राष्टीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे–खाते डाले गए अशोध्य ऋणों की राशि दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

(ख) उधारकर्ताओं के नाम बताना बैंक के लिए उचित नहीं है क्योंकि सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों की स्थिति के बारे में गोपनीयता बनाए रखने के लिए बाध्य है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक को आंकड़ा निगरानी प्रणाली से 10 लाख रुपए तथा इससे अधिक राशि के बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों के बा में उधारकर्तावार सूचना नहीं प्राप्त होती है।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाली गई राशि

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1996–97	1997–98
1.	इलाहाबाद बैंक	21.39	46.61
2.	आन्ध्रा बैंक	37.42	72.58
3.	बैंक आफ बड़ौदा	70.17	157.30
4.	बैंक आफ इंडिया	217.15	309.29
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	47.30	121.26
6.	केनरा बैंक	18.20	47.18
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	156.83	154.62
8.	कार्पोरेशन बैंक	0.94	13.69
9.	देना बैंक	58.76	67.87
10.	इंडियन बैंक	10.28	1.37
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	375.73	201.76
12.	ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स	46.22	0.13
13.	पंजाब नेशनल बैंक	150.34	372.70
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	9.93	16.98
15.	सिंडिकेट बैंक	58.79	109.16
16.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	30.57	16.55
17.	यूको बैंक	220.57	176.34
18.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	65.48	29.90
19.	विजया बैंक	12.72	6.72
	कुल	1608.79	1922.01

[अनुवाद]

दोषी गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियां

***374. श्री फ्रांसिस्को सारदीना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार माध्यमों अथवा समाचार पत्रों के जरिए दोषी गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों की सूची जारी करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) जब कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी (एच. बी. एफ. सी.) के रूप में दर्ज किए जाने हेतु किसी आवेदन को रद्द करता है या किसी गैर–बैंककारी वित्तीय कम्पनी के विरुद्ध निषेधात्मक आदेश जारी करने जैसी प्रतिकूल कार्रवाई करता है तो इस संबंध में अनिवार्य रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है। इसके अलावा, वह एक प्रेस अधिसूचना भी जारी करता है जिसके माध्यम से बैंक के पास उपलब्ध सूचना के

आधार पर जनता को किसी विशेष कंपनी या वित्तीय कंपनी के किसी समूह के साथ करोबार करने के लिए सावधान किया जाता है। ऐसे प्रचार का उद्देश्य, निवेशकों तथा जनता के हितों की रक्षा करना होता है।

ऐसी एन. बी. एफ. सी. की सूची जिनके पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन को रद्द कर दिया गया था, आम सूचना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के "वेबसाइट" पर दिया गया है। इसके अलावा, आम जनता के बीच ऐसी सूचना के प्रचार हेतु राज्य सरकारों को भी ऐसी सूची प्रदान की गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूरे देश में प्रकाशन हेतु अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में एक प्रेस विज्ञापन भी जारी किया है जिसमें एन. बी. एफ. सी. तथा जमाकर्ताओं को, एन. बी. एफ. सी. द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के नाम का अनाधिकृत प्रयोग किए जाने के प्रति सावधान किया गया है। इसकी एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के तहत् भारतीय रिवर्ज बैंक में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने एन. बी. एफ. सी. की जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा उनके कार्यकलापों के अन्य पहलुओं को कवर करने से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि स्वस्थ आधार पर एन. बी. एफ. सी. की वृद्धि सुनिश्चित हो। एन. बी. एफ. सी. द्वारा परिपक्व जमाराशियों/जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान की वापसी अदायगी में निरंतर चूक के मामले में या कंपनी के दिवालिया होने की स्थिति में, जिससे कि जमाकर्ताओं के हितों का नुकसान हो, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निषेधात्मक आदेश जारी किया जाता है। निषेधात्मक आदेश के अनुसरण में, संबंधित एन. बी. एफ. सी. को जमाराशियां स्वीकार करने तथा अपनी आस्तियों के स्वात्वाधिकार अंतरण पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यदि आवश्यक हो तो एन. बी. एफ. सी. के अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक शिकायतें भी दर्ज की जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ ऐसी दोषी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। जनवरी 1997 से 02 नवम्बर, 1998 तक 41 एन. बी. एफ. सी. के संबंध में निषेधात्मक आदेश जारी किए जा चुके हैं, पांच एन. बी. एफ. सी. के विरुद्ध समापन याचिकाएं फाइल कर दी गई हैं तथा 8 दोषी कंपनियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 (झ क) के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु एन. बी. एफ. सी. से प्राप्त कई आवेदन कई आधारों पर रद्द कर दिए गए हैं जैसे जमाराशि की वापसी अदायगी में चूक, असंतोषजनक वित्तीय स्थिति, अप्रभावशाली प्रबंधन आदि जिससे कई कंपनियां एन. बी. एफ. सी. का कारोबार चलाने के अयोग्य हो गई हैं।

विवरण

गैर–बैंकिंक वित्तीय कंपनियों द्वारा रिजर्व बैंक का नाम अनधिकृत रूप से प्रयोग किया जाना

भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी में यह आया है कि कुछ गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और अन्य व्यक्ति जनता से जमाराशियां प्राप्त करने के लिए अपने विज्ञापनों/निओन साइन–बोर्डों और/अथवा इसी प्रकार की अन्य प्रचार–सामग्री में भारतीय रिजर्व बैंक के नाम का अनधिकृत रूप से प्रयोग कर रहे हैं। पंजीकृत गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, चाहे वे पंजीकृत हों अथवा गैर–पंजीकृत, और अनिगमित निकायों द्वारा किसी भी रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के नाम का इस प्रकार प्रदर्शन न केवल अनधिकृत और अनुचित है बल्कि इसके फलस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम और/अथवा भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत उनके खिलाफ दांडिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

अतः जनता को एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि :

1. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को किसी भी प्रकार से भारतीय रिजर्व बैंक का नाम प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं है। किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए जानें से उस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को केवल यह अनुमति मिलती है कि वह वित्तीय कारोबार चालू रख सके।

2. दिनांक 9 जनवरी, 1997 के पश्चात कोई भी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बगैर उक्त वित्तीय कारोबार आरम्भ नहीं कर सकती तथा बिना आर. बी. आई. के विशिष्ट अनुमोदन के सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती है।

3. जिन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को शुद्ध स्वाधिकृत निधि 25 लाख रुपये से कम है उन्हें आम जनता से जमाराशियां स्वीकार करने, जिसमें जनता की परिपक्व हो रही जमाराशियों का नवीकरण भी शामिल है, की अनुमति नहीं है।

4. वित्तीय कारोबार में लगे अनिगमित निकायों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में उल्लिखित रिश्तेदारों से इतर व्यक्तियों से अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित निगमित निकायों से जमाराशियां आमंत्रित करने और जमाराशियां स्वीकार करने के प्रयोजनार्थ किसी प्रकार का विज्ञापन जारी करने की मनाही है।

5. मूलधन की चुकौती और ब्याज के भुगतान की जिम्मेवारी संबंधित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की ही होगी। सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा कोई अन्य सार्वजनिक एजेंसी इस प्रकार की जमाराशियों के लिए न तो किसी प्रकार की गारंटी देती है और न बीमे की व्यवस्था करती है।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की सम्पूर्ण सूची हेतु :

(i) वे आर. बी. आई. के पास पंजीकृत हैं तथा जनता से जमाराशियां स्वीकारने हेतु उन्हें आर. बी. आई. का अनुमोदन प्राप्त है; और

(ii) पंजीकरण हेतु जिनके आवेदन पत्र रद्द किए जा चुके हैं और इसलिए जनता से जमाराशियां स्वीकारने समेत एन. बी. एफ. सी. के रूप में कार्य करने हेतु उन्हें अनुमति नहीं है, कृपया आर. बी. आई. के वेबसाइट से संपर्क स्थापित करें।

नॉन प्राइम टिन प्लेटों की मदों का आयात

*375. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, स्वीडन आदि सहित विश्व के अधिकांश देशों में स्वास्थ्य संबंधी खतरों की वजह से घटिया/गलत मुद्रित और खराब टिन प्लेटों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नॉन प्राइम टिन प्लेट पर सही ढंग से लेप नहीं चढ़ती है और जब मूल धातु पैक किए गए खाद्य पदार्थों के सम्पर्क में आती है तो वह जहरीली/फार्सीनोजैसिक हो जाती है;

(घ) यदि हां, तो क्या देश में आयात की जाने वाली टिन प्लेटों में से लगभग 80 प्रतिशत घटिया और खराब नॉन प्राइम टिन प्लेटें होती हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(च) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) अधिकांश विकासशील देशों में नॉन–प्राइम टिनप्लेट (घटिया, खराब और गलत मुद्रित) का या तो कानूनी रूप से उपयोग की अनुमति नहीं है अथवा जनहित में खाद्यों की पैकेजिंग के प्रयाग के लिए नैतिक रूप से अच्छा नहीं समझा जाता। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों और कई देशों के राष्ट्रीय मानकों अर्थात् खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफ. डी. ए.), संघीय विनियमन संहिता (सी. एफ. आर.), डब्ल्यू. एच. ओ./एफ. ए. ओ., कोडेक्स एलिमेन्टेरियस एवं ई. ई. सी. विनियमनों के तहत घटिया, गलत मुद्रित और खराब टिन प्लेटों जैसी सामग्रियों को खाद्य पैकेजिंग सामग्री के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया जाता।

(ग) जब मूल धातु इसमें पैक की गई खाद्य वस्तु के सम्पर्क में आती है तो वह जहरीली/कैन्सरजन हो सकती है। तथापि, जहरीलापन, टिनप्लेट की दशा, खाद्य पदार्थ के स्वरूप और तापमान एवं भण्डार की गई खाद्य वस्तु की अवधि पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1995–96, 1996–97 और 1997–98 के दौरान टिनप्लेट के कुल आयात में घटिया टिनप्लेट का प्रतिशत क्रमशः 79.43%, 81.55% और 84.17% था।

(च) राष्ट्र के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पहुँचाने वाली टिन प्लेटों के सस्ते आयातों के बारे में प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर वाणिज्य मंत्रालय में विदेश व्यापार महानिदेशक के कार्यालय ने 545 अमरीकी डालर प्रति मी. टन पर घटिया/खराब टिनप्लेटों के आयात के लिए न्यूनतम कीमत निर्धारित करने हेतु सार्वजनिक सूचना जारी की थी। खाद्य अपमिश्रण निरोधक अधिनियम (पी. एफ. ए.) के उपबंधों में खाद्य उत्पादों के लिए टिनप्लेट समेत पैकिंग सामग्री के उपयोग पर विनिर्देशन की व्यवस्था है। भारतीय मानक ब्यूरो ने भी वनस्पति, घी और खाद्य तेलों की टिनप्लेट की पैकिंग हेतु मानक तैयार किए हैं। इन मानकों में, अन्य बातों के साथ–साथ, पैकिंग सामग्रियों के रूप में उत्तम ग्रेड अथवा प्रथम ग्रेड की टिनप्लेट के प्रयोग का प्रावधान किया गया है। एफ. पी. ओ. (फल उत्पाद आदेश) के तहत घटिया, रद्दी और खराब टिनप्लेटों से निर्मित पैकेजिंग सामग्रियों की अनुमति नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए सरकारी क्षेत्र आयोग

*376. **श्री अजय चक्रवर्ती :**

श्री नरेश पुगलीया :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्यमों सम्बन्धी स्थायी सम्मेलन में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यकरण का विश्लेषण करने और उनकी आंतरिक क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए एक सरकारी आयोग का गठन करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सुदृढ़ करने के लिए कोई दीर्घकालीन नीति रणनीति तैयार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकारी उद्यमों सम्बन्धी स्थायी सम्मेलन (स्कोप) द्वारा व्यक्त विचारों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा देश के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सुदृढ़ करने और उन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए अन्य क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में सरकारी उद्यमों के सुदृढ़ीकरण से सम्बन्धित दीर्घावधिक नीति एवं रणनीति का प्रतिष्ठापन जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में किया गया है, जिसे पुनः शासन के लिए सरकार के राष्ट्रीय एजेंडा द्वारा समर्थित किया गया है। स्कोप द्वारा व्यक्त विचारों को नोट कर लिया गया है।

(घ) घोषित नीतियों के अनुसरण में सरकार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत रुग्ण उद्यमों के लिए बोर्ड द्वारा संस्वीकृत नवीकरण पैकेज को क्रियान्वित करने के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए पुनर्गठन एवं नवीकरण सम्बन्धी अन्य उपाय कर रही है।

[हिन्दी]

भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय व्यापार समझौता

*377. **श्री ए. गणेश मूर्ति :**

श्री आर.एस. गवई :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत–श्रीलंका के बीच दिसम्बर, 1998 में हस्ताक्षर किए गए द्विपक्षीय व्यापार समझौते में किन–किन मदों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या इस समझौते के अन्तर्गत शुल्क–मुक्त चाय के आयात की अनुमति है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या श्रीलंका से आयात की गई चाय रुपया–ऋण–व्यापार तंत्र के अन्तर्गत निर्यात की जाएगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भारतीय चाय और रबड़ उद्योग द्वारा व्यक्त चिन्ताओं को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (छ) भारत और श्रीलंका के बीच हुए मुक्त व्यापार करार के उपबंधों के तहत दोनों देशों द्वारा उन मदों की सूची का आदान–प्रदान किया जाना अपेक्षित है जिन पर टैरिफ अधिमानता उपलब्ध होगी और वे मदें जिन पर कोई टैरिफ अधिमानता उपलब्ध नहीं होगी। भारत निषेधात्मक सूची की मदों को छोड़कर उन सभी मदों पर 3 वर्ष की अवधि में टैरिफ समाप्त करने पर सहमत हो गया है जबकि श्रीलंका ऐसा 8 वर्ष की अवधि में करेगा। दोनों पक्षों ने उन सूचियों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है जिनका करार के अनुसार आदान–प्रदान किया जाना है। हमारे पक्ष की ओर से सूचियां तैयार करते समय प्रशासनिक मंत्रालयों, राज्य सरकारों और व्यापार तथा उद्योग जगत का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संगठनों की सिफारिशों को उचित महत्व दिया है। जहां तक चाय का संबंध है, वर्तमान में एफ. टी. ए. के तहत शुल्क मुक्त आयात की संकल्पना नहीं की गई है। इस बात की बहुत कम संभावना है कि श्रीलंका से आयातित चाय का रुपया ऋण व्यापार तंत्र के अंतर्गत निर्यात किया जाएगा, क्योंकि भारतीय रुपए में भुगतान के बदले आयातित सामान के निर्यात के लिए वर्तमान एग्जिम नीति में न्यूनतम मूल्य वर्धन मानदण्ड निर्धारित हैं। इसी प्रकार, सूचियों को अंतिम रूप देते समय रबड़ उद्योग की चिंताओं को पूर्णरूप से ध्यान में रखा गया है। मुक्त व्यापार करार में शुल्क रियायतें केवल मूल सीमा शुल्कों पर उपलब्ध होंगी न कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं विशेष अतिरिक्त शुल्क के बदले अतिरिक्त सीमा शुल्क पर जो कि घरेलू उद्योग को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करता है।

[अनुवाद]

द्विपक्षीय व्यापार में कमी

*378. **श्री विजय हाण्डिक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु परीक्षणों के कारण भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों के साथ–साथ सहायता एवं द्विपक्षीय व्यापार में शनै–शनै आने वाली कमी के कारण विकास एजेंसियों को भारत में अपने कार्यक्रम चलाने में कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह मामला उन देशों के साथ उठाया है, और उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) संयुक्त राज्य अमरीका ने अपने नाभिकीय प्रसार निवारण अधिनियम, 1994 के तहत कुछेक आर्थिक प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किए हैं। कनाडा, जापान, जर्मनी, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नीदर लैंडस, स्वीडन और स्वीटजरलैंड द्वारा घोषित किए गए उपाय अधिकांशतः विकासात्मक सहायता अथवा रियायती ऋणों से संबंधित हैं। तथापि, अधिकांश देशों ने ऐसे ऋणों एवं वित्तीय सहायता में छूट दे दी है जो मूल मानवीय जरूरतों को पूरा करने के निमित्त हैं। सरकार दबाव डालने वाले आर्थिक उपायों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के प्रति पूर्ण रूप से सजग है और वह देश के आर्थिक और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

सरकार, भारत के विरुद्ध घोषित आर्थिक उपायों की बारीकी से जांच कर रही है तथा उसके संभावित प्रभाव का लगातार जायजा ले रही है। यद्यपि इन आर्थिक उपायों के प्रभाव का सही–सही अनुमान लगाना संभव नहीं है, तथापि अभी तक प्रभाव बहुत ही कम रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताएं इतनी मजबूत हैं कि वे इन प्रतिबंधों से पड़ने वाले किसी भी दबाव को सहन कर सकती हैं।

भारत हमेशा दृढ़ता से कहता रहा है कि एक पक्षीय दबाव डालने वाले उपाय अन्यायपूर्ण, अनुत्पादक तथा व्यापार, तकनोलोजी तथा पूंजी के मुक्त प्रवाह में बाधक है और परस्पर रूप से लाभप्रद आर्थिक विचार विनिमय पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। प्रमुख देश भी द्विपक्षीय प्रतिबंधों को लगाने से कतरा रहे हैं और अमरीका में ही एक पक्षीय उपायों की प्रभावोत्पादकता पर काफी पुनर्विचार हो रहा है। ऐसा अमरीका कांग्रेस द्वारा अमरीका के राष्ट्रपति को भारत के विरुद्ध लगाए गए कुछेक प्रतिबंधों को हटाने के लिए प्राधिकृत करने के दौरान परिलक्षित हुआ है तथा उस प्राधिकार का प्रयोग करके अमरीका प्रशासन ने कुछेक आर्थिक प्रतिबंधों को आंशिक रूप से हटाने का हाल में ही निर्णय लिया है।

रेशम रीलिंग इकाइयां स्थापित किया जाना

*379. **श्री सुरेश वरपुडकर** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड का विचार नौवीं योजना के दौरान देश में 300 बहुउद्देश्यीय रीलिंग इकाइयां स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वर्तमान पारंपरिक रीलिंग इकाइयों के आधुनिकीकरण तथा इनके आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) जी, हां। अपरिष्कृत रेशम की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से 200 की संख्या में 6 बेसिन और 100 की संख्या में 10 बेसिन मल्टी एंड एककों की स्थापना करने में सहायता देने का प्रस्ताव है। यह सहायता 30% की सब्सिडी द्वारा दी जाएगी, जिसमें राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की बराबर भागीदारी होगी। केन्द्रीय सरकार द्वारा 60% ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा तथा उद्यमी का अंशदान 10% होगा।

यह योजना सभी राज्य सरकारों को पेश की गई है। राज्य सरकारों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 31.3.1999 तक की स्थिति के अनुसार राज्य–वार शामिल किए गए एककों की संख्या नीचे दी गई है :

क्रम सं.	राज्य	6–बेसिन	10–बेसिन	कुल
1.	कर्नाटक	7	15	22
2.	तमिलनाडु	5	9	14
3.	जम्मू और कश्मीर	2	4	6
4.	आन्ध्र प्रदेश	4	4	8
5.	उत्तर प्रदेश	5	2	7
6.	मध्य प्रदेश	–	1	1
	कुल	23	35	58

(ग) उपर्युक्त योजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा रीलरों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके चरखों अथवा कुटीर बेसिन एककों को अत्याधुनिक रीलिंग उपकरण मल्टी एंड मशीनों में परिवर्तित करके आधुनिक/उन्नत बनाने के लिए प्रोत्साहन देना है। योजना के कुल कवरेज का लगभग 80% भाग मौजूदा रीलरों के लिए होगा। इस प्रकार उपर्युक्त योजना का क्रियान्वयन मौजूदा परम्परागत रीलिंग एककों को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त मौजूदा रीलिंग एकक 1.4.1999 से शुरू की गई प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध रियायती वित्त का भी लाभ उठा सकते हैं।

कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी

***380. डा. उल्हास वासुदेव पाटील :**

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला तथा लिग्नाइट की खोज और इनके खनन हेतु निजी कंपनियों की भागीदारी की अनुमति देने का सिद्धान्ततः निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में पूर्ववर्ती कानून को संशोधित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो कोयला क्षेत्र में निजी भागीदारी हेतु कुल कितना क्षेत्र निर्धारित किया गया है;

(घ) इन निजी कंपनियों द्वारा प्रतिवर्ष कुल कितनी मात्रा में कोयला निकाले जाने की संभावना है; और

(ङ) कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु अन्य कौन सी शर्तें निर्धारित की गई हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां।

(ख) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन करने के लिए संसद में वर्तमान सत्र के दौरान एक विधेयक प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) इस संबंध में कोयले के खनन के लिए कोई विशिष्ट क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) संसद द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने तथा पारित किए जाने के बाद ही कंपनियों द्वारा कोयले के खनन हेतु पट्टा प्राप्त करने के लिए आवेदन करना संभव हो सकेगा तथा निकाले जाने वाले कोयले की संभावित मात्रा के बारे में अनुमान लगाना संभव होगा।

(ङ) विधेयक में स्वयं इस बात का प्रस्ताव किया गया है कि केवल वहीं कंपनियां कोयले के खनन के पात्र हैं जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हैं। विधेयक में उन शर्तों को निर्दिष्ट करने के लिए सरकार को शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है जिनके अंतर्गत निजी खनन की कार्रवाई की जा सकती है तथापि ऐसी शर्तें संसद में विधेयक के पारित किए जाने के बाद ही निर्दिष्ट की जाएंगी।

[हिन्दी]

एकीकृत हथकरघा विकास योजना

3673. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :

श्री महेश कनोडिया :

श्री हरिभाई चौधरी :

श्री प्रदीप कुमार यादव :

श्री दरोगा प्रसाद सरोज :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान एकीकृत हथकरघा ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत राज्यवार विशेषकर बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश में शामिल किए गए ग्रामों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराये गए रोजगार अवसरों की संख्या कितनी है;

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सरकार ने कितनी योजनाओं को मंजूरी दी है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी राशि वितरित की गयी ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) एकीकृत हथकरघा ग्रामीण विकास स्कीम को प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम 1997–98 में मिला दिया गया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान स्कीम के अंतर्गत शामिल राज्यवार गांवों की संख्या का संलग्न विवरण–I में दिया गया है। यद्यपि 1994–95 से 1996–97 तक बिहार, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश में शामिल गांवों की संख्या नीचे दर्शाई गई है :

बिहार	1
गुजरात	4
उत्तर प्रदेश	7

(ख) पिछले 3 वर्षों (1994–95 से 1996–97) के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर परियोजना के पूरे होने पर 14927 रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे जो कार्योन्वयनाधीन हैं।

(ग) पिछले 3 वर्षों (1994–95 से 1996–97) के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर 148 परियोजनायें हुई।

(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान स्कीम के अंतर्गत राज्यवार एवं वर्षवार जारी की गई राशि संलग्न विवरण–II में दी गई है।

विवरण-I

पिछले 3 वर्षों के दौरान एकीकृत हथकरघा ग्रामीण विकास स्कीम के अंतर्गत राज्यवार गांवों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	1994–95 शामिल गांव	1995–96 शामिल गांव	1996–97 शामिल गांव	कुल शामिल गांव
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	12	25	37
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–
3.	आसाम	10	6	25	41
4.	बिहार	–	1	–	1
5.	दिल्ली	–	–	–	–
6.	गुजरात	3	–	1	4
7.	हरियाणा	–	–	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–
9.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–	–
10.	कर्नाटक	–	–	1	1
11.	केरल	6	–	3	9
12.	मध्य प्रदेश	1	7	1	9
13.	महाराष्ट्र	1	–	–	1

1	2	3	4	5	6
14.	मणिपुर	2	–	7	9
15.	मेघालय	2	–	–	2
16.	मिजोरम	–	–	–	-
17.	नागालैंड	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	3	2	5	10
19.	पांडिचेरी	–	–	–	–
20.	पंजाब	–	–	–	–
21.	राजस्थान	–	–	–	–
22.	सिक्किम	–	–	–	–
23.	तमिलनाडू	3	4	–	7
24.	त्रिपुरा	3	2	3	8
25.	उत्तर प्रदेश	5	2	–	7
26.	पश्चिमी बंगाल	1	1	–	2
	कुल	40	37	71	148

विवरण-II

पिछले 3 वर्षों के दौरान एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास स्कीम के अंतर्गत राज्यवार तथा वर्षवार दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	1994–95 जारी की गई राशि	1995–96 जारी की गई राशि	1996–97 जारी की गई राशि	कुल जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	148.5000	303.5000	452.0000
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–
3.	आसाम	125.0000	75.0000	312.5000	512.5000
4.	बिहार	–	12.5000	–	12.5000
5.	दिल्ली	–	–	–	–
6.	गुजरात	32.0000	–	6.8000	38.8000
7.	हरियाणा	–	–	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	12.0000	–	–	12.0000
9.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
10.	कर्नाटक	10.0000	–	11.0000	21.0000
11.	केरल	66.4100	8.7500	23.0000	98.1600
12.	मध्य प्रदेश	11.4000	85.0000	12.5000	108.9000
13.	महाराष्ट्र	7.5000	–	–	7.5000
14.	मणिपुर	20.5000	8.2500	65.1500	93.9000
15.	मेघालय	6.3700	–	–	6.3700
16.	मिजोरम	–	–	–	–
17.	नागालैंड	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	35.5000	29.5500	60.0000	125.0500
19.	पांडिचेरी	–	–	–	–
20.	पंजाब	--	–	–	–
21.	राजस्थान	–	24.7500	–	24.7500
22.	सिक्किम	–	–	–	–
23.	तमिलनाडु	31.0000	44.4000	–	75.4000
24.	त्रिपुरा	41.4500	49.6000	33.9500	125.0000
25.	उत्तर प्रदेश	60.0000	24.3500	–	84.3500
26.	पश्चिम बंगाल	11.5000	11.2500	–	22.7500
	कुल	470.6300	521.9000	828.4000	1820.9300

[अनुवाद]

एम. ए. एम. सी. में स्वैच्छिक वियोजन योजना

3674. श्री सुनील खां : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन लिमिटेड", दुर्गापुर में उसके कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी. एस. एस.) का लाभ देकर स्वैच्छिक वियोजन (सेपेरेशन) योजना लागू की जा रही है;

(ख) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तथा स्वैच्छिक वियोजन (सेपेरेशन) योजना के बीच अन्तर क्या है; और

(ग) "माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन लिमिटेड" के युवा कर्मचारियों पर स्वैच्छिक वियोजन (सेपेरेशन) योजना (वी. एस. एस.) थोपने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) जी, हां।

(ख) वी. एस. एस. के तहत सम्बन्धित उपक्रमों, जिन्हें बी. आई. एफ. आर./विनिवेश आयोग ने एक स्तर या अन्य स्तर पर अजैव्य पाया है, के सभी कर्मचारियों को उनकी आयु का ध्यान किए बिना वी. आर. एस. के लाभ बढ़ाए गए हैं। यद्यपि वी. आर. एस. के लाभ बन्द होने की संभावना का सामना कर रही कम्पनी और 40 वर्ष से कम आयु के कर्मचारियों या फिर 10 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होते।

(ग) यह एक स्वैच्छिक योजना है। इसके लिए कोई दबाव नहीं है।

केन्द्र सरकार का टी. ए. बिलों पर खर्च

3675. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान हवाई यात्राओं और रेल यात्राओं के किराये पर वर्षवार अलग-अलग केन्द्र सरकार का यात्रा भत्ता खर्च कितना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : पिछले तीन वर्षों के दौरान

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों (रक्षा–कर्मियों को छोड़कर) के यात्रा भत्ते पर आया व्यय निम्न प्रकार था :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	यात्रा भत्ते पर व्यय
1995–96	694.82
1996–97	796–61
1997–98	757.96

हवाई किराए और रेल किराए पर हुए व्यय के संबंधित आंकड़े अलग से नहीं रखते जाते हैं। तथापि 1.10.97 से पहले 5100/– रुपए वेतन पाने वाले अधिकारियों को दौरे/स्थानांतरण पर वायुयान से यात्रा करने की अनुमति दी गई थी, अन्य लोग नियमानुसार रेल द्वारा यात्रा करते थे। वेतनमानों के संशोधित होने तथा 1.10.1997 से 16,400/– रुपए और उससे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों को दौरे/स्थानांतरण पर वायुयान से यात्रा करने की अनुमति है।

साधारण बीमा निगम के कर्मचारी

3676. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या वित्त मंत्री साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों के बारे में 4.12.1998, के अतारांकित प्रश्न संख्या 951 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरे संगठनों में कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति को संचालित करने वाले प्रावधानों का ब्यौरा क्या है और प्रतिनियुक्ति की अवधि कितनी होती है;

(ख) बीमा नियामक प्राधिकरण (आई. आर. ए.) में प्रतिनियुक्ति/लोन बेसिस पर गए साधारण बीमा निगम (जी. आई. सी.) के प्रत्येक कर्मचारी के कार्यकाल की समाप्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या साधारण बीमा निगम के लिपिक संवर्ग के कुछ कर्मचारी मई, 1996 से बीमा विनियामक प्राधिकरण में जनसंपर्क अधिकारी/विशेष कार्य अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बीमा विनियामक प्राधिकरण में लोने बेसिस पर कार्यरत साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों को शीघ्र ही जी. आई. सी. में वापस बुलाया जाएगा या वे असीम अवधि तक बीमा विनियामक प्राधिकरण में कार्य करते रहेंगे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि साधारण बीमा उद्योग के अधिकारियों की अन्य संगठनों में प्रारम्भिक प्रतिनियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। प्रतिनियुक्ति की अवधि को और दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(ख) इस समय साधारण बीमा निगम का कोई भी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति आधार पर अन्तरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण में कार्यरत नहीं हैं। अन्तरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण द्वारा साधारण बीमा उद्योग से उधार पर लिए गए अधिकारी अन्तरिम बीमा प्राधिकरण के सांविधिक निकाय बनने तक अथवा इस प्रयोजनार्थ अन्तरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण द्वारा भर्ती नियम बनाए जाने तक वहां कार्य करते रहेंगे।

(ग) और (घ) जी, हां। न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. से उधार लिए गए एक कर्मचारी को उन सम्पर्क स्थापित करने के कार्य सौंपे गए हैं और उसे अंतरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण में जन सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामोदृदिष्ट किया गया है।

(ङ) और (च) वर्तमान में अन्तरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण में कर्मचारियों को वापस भेजने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि इसे एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित करने के लिए बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक लोक सभा में दि. 15.12. 1998 को पहले से ही प्रस्तुत किया जा चुका है। जब भी यह सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित हो जाएगा तभी अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों और निबंधनों के संबंध में विनियमों को बनाएगा।

[हिन्दी]

कम्पनियों की लेखापरीक्षा

3677. श्री मोतीलाल वोरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि अनेक कम्पनियां निवेशकों से पैसा लेने के बाद गायब हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों की पहचान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान "इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज" के अध्यक्ष के उस सुझाव की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया है कि कम्पनियों के कार्यकरण की लेखा परीक्षा विधिपूर्वक की जानी चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) सेबी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1993–94, 1994–95 और 1997–98 के दौरान 1893 कम्पनियों ने आरम्भिक सार्वजनिक पेशकशें की थीं। इनमें से 41 कम्पनियों का पता नहीं लगाया जा सका है। इन कम्पनियों के ब्यौरे सेबी द्वारा कम्पनी कार्य विभाग को उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेजे जा चुके हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पीड़ितों को मुआवजा

3678. श्री सुधीर गिरी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उमक्रमों में जानलेवा दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को कितनी मुआवजा राशि दी जा रही है; और

(ख) मृतकों के मुआवजे के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को काम के दौरान चोट लगने मृत्यु हो जाने पर मुआवजा या तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 अथवा कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 के अंतर्गत दिया जाता है। मृत्यु और विकलांग हो जाने के मामले में कर्मचारी राज्य बीमा के अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यम के कर्मचारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से मजूरी के 70 प्रतिशत की दर से मासिक पेंशन की अदायगी के हकदार हैं। कामगार मुआवजा अधिनियम के अंतर्गत मृत्यु होने के मामले में मुआवजे की न्यूनतम राशि 50,000 रुपए और स्थायी रूप से पूर्ण अपंग होने पर वह राशि 60,000 रुपए है। अपंग/मृत्यु होने के समय पर कामगार के वेतन और आयु पर निर्भर करते हुए मृत्यु होने के मामले में यह राशि अधिकतम 2.28 लाख रुपए और पूर्ण रूप से अपंग होने पर यह राशि 2.74 लाख रुपए तक हो सकती है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के नये उत्पाद

3679. श्री डी.एस. अहिरे :

श्री अभयसिंह एस. भोंसले :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने हाल ही में नये उत्पादों का निर्माण आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी ने कुछ अन्य उत्पाद भी विकसित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन उत्पादों को कब तक बाजार में लाए जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) सेल द्वारा हाल में बिक्री के लिए प्रस्तुत किए गए नए उत्पादों की सूची नीचे दी गई है

- एस. ए. ई. 1020 ग्रेड की एच. आर. क्वायलें (बोकारो इस्पात संयंत्र)
- केंकास्ट के माध्यम से ई. डी. डी. (बोकारो इस्पात संयंत्र)
- उच्च ग्रेड का सी. आर. एन. ओ. इस्पात (एम. 36 तथा एम. 27) (राउरकेला इस्पात संयंत्र)
- एस. ए. पी. एच. 45 (राउरकेला इस्पात संयंत्र)
- संक्षारणरोधी टी. एम. टी. शलाकें (दुर्गापुर इस्पात संयंत्र)
- एस. ए. ई. 1070 बिलेट (दुर्गापुर इस्पात संयंत्र)
- माइक्रो–एलायड व्हील

(ग) और (घ) सेल ने बी. ओ. एफ.–वी. ए. डी. प्रक्रिया के माध्यम से माइक्रोएलायड कोच और वैगन व्हील बनाने के लिए प्रक्रिया प्रौद्योगिकी विकसित की है तथा भारतीय रेल ने इस पहियों को परीक्षण के तौर पर चलाने का अनुमोदन पहले ही कर दिया है। इस उत्पाद का उत्पादन शुरू करना भारतीय रेल की अनुमति की शर्त पर है।

डाटा प्रोसेसिंग और पर्यटन सेवाओं का निर्यात

3680. श्री माधवराव पाटील : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ ने सरकार से "डाटा प्रोसेसिंग" और पर्यटन जैसी सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ ने भारत से लेखाकरण परामर्शी डाक और अन्य व्यावसायिक सेवाओं जैसे अदृश्य और सेवा निर्यातों के जरिए विदेशी मुद्रा आय बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निमित्त सरकार से अनुरोध किया था।

(ग) सरकार ने प्रस्ताव पर अनुकूल दृष्टिकोण से विचार किया है और सभी सेवाओं को सेवा व्यापार संबंधी सामान्य करार में शामिल मान लिया है। सेवाओं के निर्यात के बारे में विभिन्न सुविधाओं को सूचीबद्ध करते हुए सेवाओं के निर्यात के बारे में एक अलग अध्याय समाविष्ट किया गया है। इन सुविधाओं में शामिल है : सेवा निर्यात घराने अन्तर्राष्ट्रीय स्टार सेवा निर्यात घराने, अन्तर्राष्ट्रीय सुपर स्टार निर्यात घराना प्रयोजन के लिए सेवाओं के निर्यात को मान्यता प्रदान करना और निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल योजना, निर्यातोन्मुख एकक योजना/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र योजना/सॉफ्टवेयर टैक्नॉलोजी पार्क योजना इत्यादि जैसी योजनाओं को लागू करना।

[हिन्दी]

गरीबों को ऋण

3681. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आम लोगों, लघु कारीगरों और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने हेतु नियम बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष योजनावार प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा कितनी धनराशि का ऋण उपलब्ध कराया गया; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार इस ऋण से कितने लोग लाभान्वित हुए ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

''सेल'' द्वारा देश में इस्पात उत्पादों की बिक्री

3682. श्री मदन पाटील : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेल ने देश में इस्पात मदों की बिक्री करने के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मदों की बिक्री करने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) सेल ने हाल ही में कतिपय इस्पात उत्पादों के लिए प्राधिकृत डीलरों की नियुक्ति हेतु एक योजना शुरू की है ताकि यह अपने उत्पादों की सुलभता को व्यापक बना सकें। इस योजना के तहत् शामिल इस्पात मदें हैं : टी. एम. टी. छड़ें/टार इस्पात, जी. पी./जी. सी. शीट और जी. पी. कॉयल तथा हल्की संरचनाएं।

(ग) इस सूचना को उजागर करना सेल के वाणिज्यिक हित में नहीं है।

[हिन्दी]

बुनकरों को ऋण अनुदान

3683. श्री राजो सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विभिन्न राज्यों, खासकर बिहार में सहकारी संगठन के गठन पर जोर के बजाय चालू वित्त वर्ष के दौरान बुनकरों को व्यक्तिगत तौर पर ऋण/अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता मुहैया कराने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) सहकारिता परिधि से बाहर के हथकरघा बुनकरों के लिए साख की आवश्यकता का ध्यान राज्य हथकरघा विकास निगम रखता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सहकारिता परिधि से बाहर के बुनकरों के लिए साख सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने हेतु अभी हाल में राज्य हथकरघा विकास निगमों को भी शामिल किया है। यह सहायता बिहार सहित सभी राज्यों को भी दी जायेगी। अलग से राज्यवार कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

बैंकों का विलय

3684. इंजीनियर शंकर पन्नू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली बैंक कारपोरेशन आफ इंडिया का बैंक आफ बड़ौदा में विलय किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विलय कब तक किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) बैंककारी विनियमन (बी. आर.) अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने के पश्चात केन्द्र सरकार ने बरेली कारपोरेशन बैंक लिमिटेड (बी. सी. बी. एल.) के संबंध में कारोबार की समाप्ति से 8 मार्च, 1999 तक और 5 जून, 1999 सहित की अवधि के लिए अधिस्थगन आदेश जारी किया है।

अधिस्थगन की इस अवधि के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक आफ बड़ौदा के साथ बी. सी. बी. एल. के समामेलन की प्रारूप योजना तैयार करेगा और इस योजना को संबंधित बैंकों के पास भेजेगा और साथ ही जमाकर्ताओं, ऋणदाताओं, शेयरधारकों आदि से उनकी आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करेगा, प्राप्त आपत्तियों को ध्यान में रखने के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक विचारार्थ एवं अधिसूचना हेतु केन्द्र सरकार के पास समामेलन की एक योजना भेजेगा। अतः कोई निश्चित तारीख दर्शा पाना संभव नहीं है।

हीरों की खोज के लिए आधुनिक अन्तर-राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी

3685. श्री एस.एस. ओवेसी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में, विशेषरूप से आंध्र प्रदेश में, बड़े पैमाने पर छिपे हीरे के भण्डारों के दोहन के लिए आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खनन ठेके देने के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ठेके देने से पहले बोलियों की जांच करने के लिए विभिन्न राज्यों के खनिज विकास निगमों के साथ समन्वय करती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 में हीरा समेत अति मूल्यवान और दुर्लभ खनिजों के लिए गवेषण एवं खनन में विदेशी प्रौद्योगिकी तथा विदेशी भागीदारी के प्रवेश की व्यवस्था है। खनन संबंधी रियायतों खान एवं खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है, लेकिन खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी खनिज के बारे में पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन पट्टा केन्द्र सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बिना स्वीकृत नहीं किया जाएगा। "हीरा" इस अधिनियम की यथोक्त प्रथम अनुसूची में आता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नार्थ एण्ड साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक

3686. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों से नार्थ एण्ड साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक मुनाफे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वहां इस बैंकों की नई शाखायें खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इन दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर. आर. बी.) द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अर्जित लाभ और उठाई गई हानि निम्नानुसार है :

(लाख रुपए में)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	अर्जित लाभ		
	1995–96	1996–97	1997–98
नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक	218.92	793.20	1059.85
साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक	51.82	219.57*	888.16

* हानि

(ग) और (घ) नाबार्ड ने सूचित किया है कि (1) पपिनिसेरी, (2) उलिक्कल, (3) न्यू माहे (जिला कन्नूर), (4) पनामारम (जिला वायनाड), (5) विद्या नगर, (6) उप्पला, (7) होसंगडी और (8) त्रिक्करीपूर (जिला कासरगोड) में शाखाएं खोलने के नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक के प्रस्ताव को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमोदित किया है। इसके अलावा, (1) कोनडोट्टी, (2) कोटाक्कल, (3) तिरूर और (4) वालनचेरी (जिला मालापुरम शाखाएं) ओर माबूर रोड, कालीकट शहर (जिला कोजीकोड) ये विशेषज्ञ बचत बैंक शाखा खोलने के साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक के प्रस्ताव को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमोदित किया है। आज की स्थिति के अनुसार, नाबार्ड के पास कोई शाखा खोलने का प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण

3687. श्री एच.पी. सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण हेतु बैंक की प्रत्येक शाखा में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ग) क्या इंडियन ओवरसीज बैंक आवेदकों के ऋण को मंजूरी आवेदकों की आवश्यकता को ध्यान में न रखकर बल्कि अपनी निजी प्राथमिकता के आधार पर देता है जिसके परिणामस्वरूप आवेदक ऋण लेने का विचार ही त्याग देता है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान शाखावार उन आवेदकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें बैंक ने ऋण की स्वीकृति तो प्रदान की, लेकिन उन्हें भुगतान नहीं किया गया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन सभी मामलों की समीक्षा करने और आवेदकों की आवश्यकता के अनुसार सभी आवेदकों को ऋण प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस काम को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) जैसा कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है, उनके बैंक की 27 शाखाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्य कर रही हैं जिनमें से 12 शाखाएं प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी. एम. आर. वाई.) से संबंधित आवेदनों के साथ डील करने हेतु पदनामित हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, पदनामित शाखाओं द्वारा प्राप्त किए गए आवेदनों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

क्रम सं.	शाखा का नाम	के दौरान प्राप्त हुए आवेदन		
		1.4.96 से 31.3.97	1.4.97 से 31.3.98	1.4.98 से 31.3.99
1.	दरियागंज	1	1	4
2.	दिल्ली कैंटोमेंट	–	–	–
3.	जनकपुरी	3	–	–
4.	करोल बाग	2	3	4
5.	मॉडल टाउन	2	2	1
6.	न्यू राजिन्दर नगर	1	1	2
7.	नारायणा	1	7	–
8.	प्रीत विहार	3	1	2
9.	पंजाबी बाग	4	5	1
10.	राजौरी गार्डन	1	2	1
11.	रुपनगर	1	3	–
12.	सफदरजंग इन्क्लेव	4	5	–
		23	30	15

(ग) जी, नहीं। इंडियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि बैंक, योजना में दिए गए मानदण्डों के अनुसार, आवेदनों को मंजूरी प्रदान करता है। बैंक स्तर पर ऐसा कोई आवेदन लंबित नहीं है जिस पर अभी कार्रवाई की जानी हो।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) और (च) व्यक्तिगत मामलों का निपटान बैंक के स्तर पर ही किया जाता है। सरकार व्यक्तिगत मामलों की समीक्षा नहीं करती है।

[अनुवाद]

तम्बाकू उत्पादकों के लिए बीमा योजना

3688. श्री यू.वी. कृष्णमराजु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल्दी ही तम्बाकू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए तम्बाकू की फसल हेतु बीमा योजना शुरु की जाने वाली है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक शुरु किये जाने की संभावना है और इसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में बीमा उपलब्ध कराने हेतु आगे आने वाली बीमा एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और वे कितने प्रीमियम पर यह सुविधा दे रही हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) देश में एक व्यापक फसल बीमा योजना 1 अप्रैल, 1985 से चल रही है जिसमें गेहूं, धान, मिल्लेट्स, तिलहन तथा दालें आदि शामिल हैं। तम्बाकू को इस योजना में शामिल इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि यह एक वाणिज्यिक फसल है तथा बहु-राज्य स्वरूप की फसल है।

कृषकों, फसलों तथा जोखिम के रुप में सी. सी. आई. एस. की कवरेज बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने हाल में खरीफ 1999 के मौसम से एक संशोधित व्यापक फसल बीमा योजना शुरु करने का निर्णय लिया है। इस नई योजना के तहत सभी कृषकों (ऋणी तथा गैर-ऋणी दोनों) तथा कुछ अतिरिक्त फसलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जहां पिछले उपज के आंकड़े उपलब्ध हैं। संबंधित विभागों/अभिकरणों तथा राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के परामर्श से इस योजना के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

वस्त्र धागा व्यापारियों द्वारा उत्पाद शुल्क अपवंचन

3689. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में मुम्बई के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए उत्पाद शुल्क अपवंचन संबंधी घपले का, जिसमें सैकड़ों वस्त्र धागा व्यापारी और प्रोसेसिंग यूनिट शामिल थे, का पर्दाफाश किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या उत्पाद शुल्क विभाग ने अपवंचन संबंधी घपले में वर्षों से 200 व्यापारियों, 100 प्रोसेसर्स और पांच प्रिंटिंग प्रेसों के संदिग्ध रूप से लिप्त होने के मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो क्या जांच पूरी हो गई; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा भूमि से बेदखल किए गए व्यक्तियों को नौकरियां देना

3690. श्री विकास चौधरी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है ईस्टर्न कोलफील्ड क्षेत्र ने भूमि से बेदखल किए गए व्यक्तियों को नौकरियां देना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में भूमि से बेदखल किए गए व्यक्तियों को नौकरियां देने के कितने मामले लंबित हैं;

(ग) क्या सरकार का समझौते के अनुसार ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को भूमि से बेदखल किए गए व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई अनुदेश जारी करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ई. को. लि. ने भूमि से बेदखल किए गए व्यक्तियों को नौकरी देना बंद नहीं किया है। तथापि चूँकि ई. को. लि. अत्याधिक वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही है और यह औद्यागिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण ब्यूरो को संदर्भगत किए जाने की स्थिति में हैं अतः ई. को. लि. प्रबंधन श्रमशक्ति के अधिष्ठापन को युक्तिसंगत करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। अतः भूमि से बेदखल किए गए व्यक्तियों के एवज में रोजगार दिए जाने संबंधी योजना को भी कुछ सीमा तक प्रतिबंधित कर दिया है।

(ख) भूमि से बेदखल किए गए व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने की योजना के अंतर्गत ई. को. लि. द्वारा 103 मामलों की सूची तैयार की गई है। वर्ष 1998–99 में ई. को. लि. द्वारा भूमि से बेदखल किए गए व्यक्तियों को 135 रोजगार दिए गए।

(ग) और (घ) भूमि से बेदखल किए गए व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने के मामले में ई. को. लि. सहित कोयला कंपनियां कोल इंडिया लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति (आर एण्ड आर) का अनुपालन कर रही हैं तथापि ई. को. लि. द्वारा सामना की जा रही अधिशेष श्रमशक्ति की समस्या एवं गंभीर परिसमापन के मामले को ध्यान में रखते हुए तथा एक प्रभावी पुनरुद्धार कार्यनीति की अत्यावश्यकता पर विचार करते हुए कोयला मंत्रालय ऐसी नियुक्ति को अधिमानता देता है जो कंपनी की आवश्यकता के अनुकूल हो।

हथकरघा क्षेत्र का विकास

3691. श्री टी. गोविन्दन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय हथकरघा क्षेत्र के प्रोत्साहन एवं विकास के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। केरल सहित सभी राज्यों से प्राप्त हुए व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर विकास स्कीमों के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान केवल सरकार को विभिन्न विकास स्कीमों के अंतर्गत जारी की गई राशि का विवरण नीचे दर्शाया गया है :

क्रम सं.	स्कीम का नाम	1996–97	1997–98	1998–99
1.	कार्यशाला–सह–आवास	50.00	–	90.00
2.	प्रोजेक्ट पैकेज	126.30	518.95	70.35
3.	हथकरघा विकास केन्द्र (एच. डी. सी.) उत्कर्ष रंगाई इकाई (क्यू. डी. यू.)	86.95	4.06	–

[हिन्दी]

सिले सिलाए वस्त्रों का अवैध निर्यात

3692. श्री एन.जे. राठवा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों विशेषकर गुजरात से सिले सिलाए वस्त्रों का अवैध रूप से निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक पता लगाए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और इनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस अवैध निर्यात में उत्पाद शुल्क अधिकारी/अन्य अधिकारी शामिल पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी पाए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) सरकार को गुजरात सहित किसी भी राज्य से परिधानों के किसी भी प्रकार के गैर–कानूनी निर्यात की जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) उत्पाद शुल्क अधिकारियों के परिधानों के किसी भी प्रकार के गैर–कानूनी निर्यात में शामिल होने की संभावना नहीं है क्योंकि परिधानों पर उत्पाद शुल्क नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंकिंग व्यवस्था

3693. श्री समर चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र संबंधी उच्च स्तरीय आयोग द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री को बैंकिंग कार्यों के संबंध में 7 मार्च, 1997 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत और क्रियान्वित सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये सभी सिफारिशें कब तक लागू कर दी जाएंगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश को विश्व बैंक ऋण

3694. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

श्री के.एस. राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश की आर्थिक पुनर्गठन परियोजनाओं में सहायता हेतु विश्व बैंक से 543.2 मिलियन डालर ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते के नियम व शर्तें क्या हैं; और

(ग) आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित पुनर्गठन योग्य विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां, आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना को सहयोग देने के लिए विश्व बैंक के साथ 543.2 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण हेतु दि. 4.2.1999 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अन्तर्गत आई. बी. आर. डी. से 301.2 मिलियन डालर तथा आई. डी. ए. से 242 मिलियन डालर की राशि शामिल है।

(ख) ऋण हेतु निबंधन व शर्तें निम्नलिखित हैं :

I. आई. बी. आर. डी.

पुनर्अदायगी के शर्तें	:	20 वर्ष (5 वर्ष की छूट अवधि सहित)
ब्याज की दर	:	बैंक की लागत का 0.75 प्रतिशत अधिक
प्रण्ट एन्ड शुल्क	:	ऋण राशि का 1 प्रतिशत
वचनबद्धता प्रभार	:	0.75 प्रतिशत

II. आई. डी. ए.

पुनर्अदायगी अवधि	:	35 वर्ष (10 वर्ष की छूट अवधि सहित)
सेवा प्रभार	:	0.50 प्रतिशत
वचनबद्धता प्रभार	:	अधिकतम 0.5 प्रतिशत तक प्रति वर्ष निर्धारित

(ग) आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना मानव विकास अर्थात् प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और गरीबों को प्रभावित करने वाले आर्थिक परिसम्पत्तियों (सिंचाई, ग्रामीण सड़कें और प्रमुख पहुँच सड़कों) के रख–रखाव हेतु संसाधन उपलब्ध कराती है। इस परियोजना के छः घटक हैं : प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषण, सड़कें, सिंचाई और सार्वजनिक उद्यम सुधार। विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना कार्यक्रम के प्रथम चरण को सहायता प्रदान करने के लिए दि. 5.3.1999 को 210 मिलियन डालर का अनुकूलनीय कार्यक्रम ऋण (ए. पी. एल.) स्वीकृत किया है।

निजी कम्पनियों को एस. डी. एफ. ऋण

3695. श्री तथागत सत्पथी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ निजी क्षेत्र की कुछ कम्पनियों ने इस्पात परियोजनाएं स्थापित करने के लिए इस्पात विकास निधि (एस. डी. एफ.) से ऋण सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र की विभिन्न कम्पनियों से इस संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) प्रत्येक निजी कम्पनी द्वारा कितनी ऋण राशि की मांग की गयी है; और

(घ) इन कम्पनियों को कम्पनी–वार एस. डी. एफ. से स्वीकृत की गई ऋण राशि का ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) हाल में निजी क्षेत्र की तीन नई कम्पनियों ने इस्पात विकास निधि से ऋण सहायता के लिए अनुरोध किया है। ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र.सं.	पार्टी का नाम	राशि
1.	इस्पात इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	1200 करोड़ रुपए
2.	इस्पात मेटेलिक्स लिमिटेड	375 करोड़ रुपए
3.	लॉयड स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	400 करोड़ रुपए

(घ) इन कम्पनियों को इस्पात विकास निधि से कोई ऋण मंजूर नहीं किया गया है।

डीज़ल/पैट्रोल से प्राप्त राजस्व

3696. श्री मोइनुल हसन अहमद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998 से सरकार ने पैट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क के द्वारा कितनी धनराशि एकत्रित की;

(ख) इस धनराशि में से सड़कों के विकास हेतु कितनी धनराशि केन्द्रीय सड़क निधि को स्थानान्तरित की गई; और

(ग) यदि कोई धनराशि स्थानान्तरित नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में वित्त संकट

3697. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का ज्यादा निजीकरण किये जाने का उसके संकटों के कारणों में से है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के इन संकटों से उबारने हेतु भारत सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) सेल 1984–85 से निरन्तर लाभ कमा रहा है। तथापि, अप्रैल–दिसम्बर, 1998 की अवधि के दौरान सेल ने 890 करोड़ रुपए की हानि होने की सूचना दी है।

लाभ में गिरावट के मुख्य कारणों में इस्पात की मांग में कमी, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के कम होने के कारण आयात से अत्याधिक प्रतिस्पर्धा और घरेलू बाजार में आपूर्तियों के बढ़ने के फलस्वरूप बिक्री से निवल प्राप्ति में गिरावट शामिल हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात मूल्य भी कम हो गए हैं।

हालाँकि आधुनिकीकरण के लाभ चरणों में प्राप्त हो सकेंगे, फिर भी सेल को आधुनिकीकरण/पूंजी घोषणाओं के पूंजीकरण के कारण तथा उच्च माल सूची–स्तर को बनाए रखने के लिए भी उच्च पूंजी से संबंधित लागत (ब्याज और मूल्य–ह्रास) को समाहित करना होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सेल सहित इस्पात उद्योग की लाभप्रदता में सुधार करने और वर्तमान समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) इस्पात की मांग और खपत में वृद्धि करने के लिए विकास आयुक्त लोहा और इस्पात ने एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है।

(ii) इस्पात उत्पादन के लिए आदान लागतों में कमी करने हेतु कई आदानों जैसे कोककर कोयला (12% से कम राखांश) धातुकर्मीय कोक, फैरो निकेल, चार्ज निकेल और निकेल ऑक्साइड सिंटर, न्यून सिलिकायुक्त चूना–पत्थर और ग्रेफाइट इलैक्ट्राड (28" से अधिक) पर विशेष आयात शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(iii) यूक्रेन और रूस से आयातित तप्त बेल्लित क्वायलों पर पाटन–रोधी शुल्क लगाया गया है।

(iv) निर्यात में वृद्धि करने के लिए इस्पात के निर्यात के लिए ड्यूटी इन्टाइटलमेंट पास बुक (डी. ई. पी. बी.) दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है।

(v) निर्यात की अड़चनों को दूर करने के लिए इस्पात के निर्यातकों की सहायता करने हेतु एक इस्पात निर्यातक मंच बनाया गया है।

(vi) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस्पात क्षेत्र को वर्धित परियोजना निधियन और बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ई. सी. बी.) मानदण्डों में छूट देने की सिफारिश की गई है।

(vii) इस्पात निर्माण के लिए प्रौद्यागिकी में सुधार करने और भारतीय इस्पात की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विशिष्ट अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की जांच करने और सहायता करने के लिए सरकार ने एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की है।

[हिन्दी]

करदाताओं के लिए योजना

3698. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करदाताओं की संख्या तथा कर वसूली की धनराशि में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो करदाताओं की संख्या और कर वसूली की धनराशि में कितनी–कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार करदाताओं की संख्या तथा कर वसूली में और अधिक वृद्धि करने हेतु कोई योजना तैयार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) कर दाताओं की संख्या, कर वसूली की राशि और इसमें दर्ज की गई वृद्धि का ब्यौरा निम्न प्रकार है।

कर दाताओं की संख्या

वर्ष	करदाताओं की वास्तविक संख्या	करदाताओं की वास्तविक संख्या में वृद्धि
1994–95	1,02,84,606	–
1995–96	1,06,64,514	3,79,908
1996–97	1,16,43,543	9,79,029
1997–98	1,31,67,736	15,24,193
1998–99	1,42,48,072	

30 सितम्बर, 1998 तक अद्यतन रूप से उपलब्ध

के दौरान वसूली

(करोड़ रुपए में)

कर	1998–99	1997–98	वृद्धि
निगम कर	23608 x	20016	3592
आय कर	19420 x	17101	2319
ब्याज कर	1208 x	1205	3

x आकड़े अस्थाई हैं। 1998–99 के दौरान वसूली के अन्तिम आंकड़ें अब तक उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) आयकर विभाग ने राष्ट्रीय कर आधार में विस्तार करने के लिए एक ठोस अभियान प्रारंभ किया है। संभावित कर दाताओं का पता लगाने की एक प्रणाली के रूप में 1998–99 में 35 शहरों में "छः में से एक" स्कीम का विस्तार किया गया था। 1999–2000 में इस स्कीम का विस्तार 19 और शहरों में किया जाएगा। इस स्कीम के परिणामस्वरूप, कर दाताओं की संख्या और कर वसूली की राशि में नियमित वृद्धि हुई है।

एन. टी. सी. श्रमिकों की मजदूरी में बढ़ोत्तरी

3699. श्री मोहन रावले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनियन के प्रतिनिधियों में एन. टी. सी. एवं निजी मिल के श्रमिकों के मासिक वेतन में 175 रुपए की बढ़ोत्तरी करने संबंधी समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका लाभ केवल निजी मिल के श्रमिकों को दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो एन. टी. सी. मिल श्रमिकों को उक्त लाभ कब तक दिए जाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, वृहत मुंबई के क्षेत्रीय क्षेत्र में वस्त्र उद्योग का एक अभ्यावेदी संघ तथा वस्त्र मिल मालिक संघ के बीच दिनांक 26.4.96 को मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम 1946 द्वारा संचालित वस्त्र मिलों के सभी कर्मचारियों को मासिक वेतन तथा भत्तों में बढ़ोत्तरी के तौर पर 175/– रुपए प्रदान करने का समझौता हुआ। बृहत मुंबई में स्थित सभी निजी क्षेत्र की वस्त्र मिलों ने इस समझौते को लागू किया परंतु क्षेत्रीय एन. टी. सी. मिलों द्वारा महाराष्ट्र में एन. टी. सी. के सहायक निगमों के मामले बी. आई. एफ. आर. को सौपे जाने के कारण इन्हें लागू नहीं किया गया है। समझौते की शर्त संख्या 9 (बी) में कहा गया है कि ऐसी मिलों के मामले में, जो कि रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (विशेष प्रावधान) 1985 के अंतर्गत रुग्ण एकक घोषित की गई हैं, बढ़ाए गए परिलाभों का भुगतान बी. आई. एफ. आर. की मंजूरी की शर्त पर ही किया जाएगा।

(ग) और (घ) एन. टी. सी. मिल कामगारों को लाभ प्रदान करने पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब बी. आई. एफ. आर. ने इसका अनुमोदन कर दिया हो।

[अनुवाद]

आयातित फटे-पुराने ऊनी कपड़ों की निकासी

3700. श्री जॉर्ज ईडन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न सीमा शुल्क गृहों में आयातित फटे–पुराने ऊनी कपड़ों के खेप की निकासी के लिए विभिन्न कानून अपनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत वर्ष के पत्तन अभिलेखों के अनुसार कोचीन सीमा शुल्क गृहों से माल बाहर भेजने से पहले सिंथेटिक/फटे–पुराने ऊनी कपड़ों के संबंध में न्याय निर्णय दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस कानून के तहत यह अनुमत्य है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, जो कि पूरे भारत में लागू है, के अंतर्गत आयात के सभी पत्तनों पर आयातित माल का निर्धारण और उसकी निकासी एक समान रूप से की जाती है।

(ग) और (घ) गत वर्ष के दौरान कंटेनरों में से माल खाली करने से पहले कोचीन सीमा शुल्क गृह में ऊनी/सिंथेटिक फटे–पुराने कपड़ों के संबंध में न्याय–निर्णयन नहीं किया गया था।

गुजरात में औद्योगिक पार्क

3701. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में औद्योगिक पार्क स्थापित करने हेतु पिछले पांच वर्षों से प्रत्येक वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस तरह के स्थापित तथा निर्मित पार्कों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे औद्योगिक पार्कों को स्थापित किए जाने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) वर्ष 1999–2000 एवं 2001 के दौरान गुजरात में ऐसे कितने पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस प्रयोजन हेतु कितनी धन राशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) निर्यातोन्मुख उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन में राज्य सरकारों को शामिल करने के प्रयोजन से एक केन्द्रीय प्रायोजित निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क (ई. पी. आई. पी.) योजना अगस्त, 1994 में शुरू की गई थी। केवल उन एककों को पार्क में स्थापित करने की अनुमति दी गई है जिन्होंने अपने उत्पादन का कम से कम 33% निर्यात करने की राज्य सरकार को कानूनी वचनबद्धता दी है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों में ई. पी. आई. पी. के मामले में अपने उत्पादन का 25% निर्यात करने वाले एककों को भी यह अनुमति दी गई है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 19 ई. पी. आई. पी. की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई है। गुजरात में ई. पी. आई. पी. सहित पार्कों और प्रदत्त केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(घ) योजना के अनुसार, राज्य में दूसरे ई. पी. आई. पी. की स्थापना पर तभी विचार किया जाएगा जब पहले की स्थापना हो गई हो और वह सफलतापूर्वक कार्य करता हुआ पाया जाता है। गुजरात में पहला ई. पी. आई. पी. सभी कार्यान्वयन के अधीन है।

(ङ) निधियों का आबटन राज्य–वार नहीं किया जाता है और ई. पी. आई. पी. के लिए केन्द्रीय अनुदान का आबंटन कार्यान्वयन में प्रगति से जुड़े राज्यों के योगदान के अनुपात में किया जाता है।

विवरण

गत पाँच वर्षों के दौरान अनुमोदित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों के ब्यौरे

राज्य	परियोजना का स्थान	अनुमोदन की तारीख	जमीन की कीमत को छोड़कर अनुमानित लागत	क्षेत्र (एकड़)	अब तक दी गई केन्द्रीय अनुदान	कार्यान्वयन की स्थित
1	2	3	4	5	6	7
1. केरल	कक्कानाड, जिला एर्नाकुलम	28.9.94	40.15	200	8.49	कार्यान्वयन के अधीन
2. महाराष्ट्र	अम्बरनाथ जिला थाणे	28.9.94	14.82	250	10.00	पूरा कार्यान्वयन के अधीन
3. हिमाचल प्रदेश	वाड्डी जिला सोलन	28.9.94	9.99	236	3.00	
4. राजस्थान	सीतापुरा जिला जयपुर	28.9.94	16.62	365	10.00	पूरा
5. हरियाणा	कुन्डली जिला सोनीपत	28.9.94	18.66	109.5	7.50	कार्यान्वयन के अधीन

1	2	3	4	5	6	7
6. कर्नाटक	हुडी, जिला बंगलौर	28.9.94	15.01	190	10.00	पूरा
7. उत्तर प्रदेश	सूरजपुर जिला गौतमबुद्ध नगर	20.12.94 पूरा होने वाला है	18.50	193	10.00	कार्य खत्म होने की अंतिम स्थिति में
8. तमिलनाडु	गुम्मीडीपुन्डी जिला चेंगलपट्टू एमजीआर	20.12.94	14.62	211	8.12	कार्यान्वयन के अधीन
9. आन्ध्र प्रदेश	पाश्मगलारम जिला मेढक	20.12.94	14.56	227	9.00	कार्यान्वयन के अधीन
10. गुजरात	सावली जिला बड़ौदा	14.3.95	16.00	200	7.20	कार्यान्वयन के अधीन
11. बिहार	हाजीपुर जिला वैशाली	28.4.95	11.11	200	3.00	कार्यान्वयन के अधीन
12. मेघालय	विर्नीहाट जिला रिबोई	28.4.95	13.00	209	7.50	कार्यान्वयन के अधीन
13. प. बंगाल	दुर्गापुर जिला बर्धवान	20.9.95	13.12	137.37	7.25	कार्यान्वयन के अधीन
14. उड़ीसा	भुवनेश्वर जिला खुर्दा	20.9.95	15.25	205	7.55	कार्यान्वयन के अधीन
15. पंजाब	धांदरीकलां जिला लुधियाना	28.9.94	14.30	112.74	5.90	कार्यान्वयन के अधीन
16. असम	अमीनगांव गुवाहाटी के समीप जिला कामरूप	8.2.96	14.62	68.10	10.00	कार्यान्वयन के अधीन
17. जम्मू एवं कश्मीर	साम्बा जिला जम्मू	12.2.96	10.88	125	4.25	कार्यान्वयन के अधीन
18. मध्य प्रदेश	सिमा (जिला देवास), जगह पितमपुर में चला गया है। जिला धार	24.7.95	18.83	192	4.50	कार्यान्वयन के अधीन
19. मणिपुर	खूनूता चिंगजिन थोबल जिले में	22.9.98	14.99	100	–	कार्यान्वयन के अधीन

हथकरघा उद्योग का विकास

3702. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा उद्योग के विकास हेतु नई हथकरघा नीति बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नीति निर्माण हेतु हथकरघा बोर्ड में संसद सदस्यों को मनोनीत करने का कोई प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) विद्यमान वस्त्र नीति की समीक्षा करने के उद्देश्य के लिए तथा नई नीति के उपायों के सुझाव के लिए गठित विशेषज्ञ समिति, हथकरघा क्षेत्र को भी देख रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एच. एस. सी. एल. में वेतन भुगतान न होना

3703. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भिलाई स्थित एच. एस. सी. एल. के कर्मचारियों और मजदूरों को पिछले तीन महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कर्मचारियों का वेतन शीघ्र जारी करने हेतु हस्तक्षेप करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को यह जानकारी है कि एच. एस. सी. एल. की भिलाई स्थित इकाई अपने श्रमिकों और कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान नहीं कर पा रही है। कंपनी की मौजूदा वित्तीय स्थिति पर्याप्त कार्य–आर्डरों की कमी सहित विभिन्न घटकों के कारण है।

(ग) और (घ) सरकार इस समय एच. एस. सी. एल. के लिए एक वित्तीय पुनर्गठन एवं वित्तीय सहायता पैकेज पर विचार कर रही है।

[अनुवाद]

खनिज संबंधी रियायतें

3704. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 में संलग्न प्रथम अनुसूची के "क" और "ग" भाग में निर्दिष्ट खनिजों संबंधी प्रस्तावों पर राज्य सरकारों द्वारा खनिज संबंधी रियायतें देने में अक्सर विलम्ब होता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार ऐसे कितने मामलों में स्वीकृति प्रदान की गई और आज तक कितने मामले लम्बित हैं; और

(ग) इन लम्बित मामलों में स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) जी, नहीं। खनिज रियायतें, खान और खनिज (विनियमन एवं विकास), अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती हैं। यथोक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट खनिजों के लिए खनिज रियायतों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए जाते हैं और केन्द्र सरकार द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुरूप इन पर कार्रवाई करके इनका निपटान किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे खनिज रियायतों की संख्या जिनमें एम. एम. आर. डी., अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची के भाग "क" और "ग" में निहित खनिज सूची के बारे में केन्द्र सरकार ने अपनी स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया है और 1.4.99 की स्थिति के अनुसार लम्बित मामलों की संख्या का ब्यौरा निम्नवत है :

	निम्न वर्षों के दौरान खनिज रियायत संबंधी निपटाए गए मामलों की संख्या			1.4.99 की स्थिति के अनुसार लम्बित मामलों की संख्या
	1996–97	1997–98	1998–99	
(i) भाग "क" खनिज	5	1	–	1
(ii) भाग "ग" खनिज	335	362	354	155

कुछ मामलों में राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव पूरे नहीं होते हैं इसलिए ऐसे मामलों में राज्य सरकारों से पूरी सूचना/अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया जाता है ताकि केन्द्र सरकार द्वारा खनिज रियायत संबंधी मामलों का शीघ्र निपटान किया जा सके। तथापि शेष प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।

लाहुरीपाड़ा में बी. एस. एम. टी. सी. का उन्नयन

3705. श्री जुआल उराम : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टसर कोकून के उत्पादन के संबंध में बेसिक बाईवोलटाइन क्षेत्र कितना है;

(ख) क्या उड़ीसा में लाहुरीपाड़ा में बेसिक सीड मल्टीप्लीकेशन ट्रेनिंग सेंटर में प्रारंभ से वहां पर उपयुक्त तकनीकी व्यक्तियों और कर्मचारियों की तैनाती नहीं की गयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान एकक द्वारा लक्षित उत्पादन तथा हासिल की गई उपलब्धियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इसका उन्नयन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) बिहार का सिंहभूम जिला, मध्य प्रदेश के सरगुजा और बस्तर जिले, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ कि द्विफसलीय तसर रेशमकीट मूल बीज का उत्पादन होता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। बी. एस. एम. टी. सी. लहुनिपारा मूल बीज बहुगुणन व प्रशिक्षण केन्द्र (बी. एस. एम. टी. सी.), पल्लाहारा का एक उप–एकक है। पल्लाहारा के मुख्य एकक में 14 कर्मचारी हैं और इसका अध्यक्ष एक योग्यता प्राप्त सहायक निदेशक है, जो कि लहुनिपारा स्थित उप–एकक के क्रियाकलापों का नियंत्रण भी करता है। मुख्य एकक से उप–एकक के लिए अपेक्षित केवल न्यूनतम कर्मचारियों को ही तैनात किया गया है, जो कि उनके कार्यभार पर निर्भर करता है।

(घ) बी. एस. एम. टी. सी. लहुनिपारा के उप–एकक द्वारा मूल तसर बीज उत्पादन लक्ष्य और उपलब्धि के ब्यौरे नीचे तालिका में निर्दिष्ट हैं :

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1996–97	40000	15310
1997–98	40000	13333
1998–99	40000	7323

(ङ) और (च) लहुनिपारा स्थित बी. एस. एम. टी. सी. के उप–एकक को उन्नत बनाने के लिए भारत सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं है।

कर्नाटक में खदान गतिविधियां

3706. श्री अनंत कुमार हेगड़े : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के पश्चिमी घाट वन क्षेत्रों में खदान गतिविधियां शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संवेदनशील जैव बहुल क्षेत्रों में खदान से पारिस्थितिकीय तंत्र को अपूर्णनीय नुकसान होगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) भारतीय खान ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कर्नाटक के पश्चिमी घाट वन क्षेत्रों में 6 कार्यशील और 4 अकार्यशील खानें हैं। इस क्षेत्र में किसी नए खनन प्रस्ताव की कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार को खनन कार्य–कलापों से होने वाले नुकसान की जानकारी है। खनन कार्य से होने वाले सामान्य पर्यावरणात्मक नुकसान भू–क्षति, वन कटाई, वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण और भू–कंपन आदि हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के अलावा भारतीय खान ब्यूरो स्वच्छ पर्यावरण हेतु सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन का सुनिश्चिय कर रहा है।

5 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रमुख खनिजों के सभी खनन पट्टों के लिए पर्यावरणात्मक मंजूरी पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 27.1.1994 को जारी पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के तहत लेनी पड़ती है। इसके अलावा, यदि खनन क्षेत्र में वन भूमि शामिल हो तो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत मंजूरी अनिवार्य है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार खनन सहित कोई वनेत्तर कार्य वन क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता जिनमें पश्चिमी घाट वन क्षेत्र शामिल है।

इसके अलावा, पर्यावरण पर खनन के प्रतिकूल प्रभावों का निवारण करने के लिए भारतीय खान ब्यूरो पश्चिमी घाट क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में पर्यावरण प्रबंध योजनाओं, जिनमें कार्यान्वयन हेतु सभी संभव संरक्षण उपाय किए जाते हैं ताकि पर्यावरण और पारिस्थितिकीय तंत्र को कम से कम क्षति पहुँचे, के साथ–साथ खनन योजनाओं को अनुमोदित कर रहा है। इसमें वन–रोपण द्वारा अपशिष्ट ढेर के स्थिरीकरण, वृक्षारोपण द्वारा अधिक से अधिक हरित क्षेत्रों का सृजन, खनित क्षेत्रों का उद्धार, ढेरों, चैक बांधों, गाद (सिल्ट) रोकने वाले तालाबों के चारों ओर संरक्षणात्मक पत्थर की दीवारों का निर्माण करके

बरसात के मौसम में अपशिष्ट ढेरों से होने वाले वाश–ऑफ को रोकना शामिल है। भारतीय खान ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा इन खानों का भी नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है ताकि खनन योजनाओं और पर्यावरण प्रबंध–योजनाओं में किए गए उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

तम्बाकू के बीज

3707. श्री सतनाम सिंह कैंथ :

श्री एस. सुधाकर रेड्डी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका की फिलिप मोरिस ने देश में तम्बाकू पौधशालाओं हेतु बीज विकसित करने के लिए सी. टी. आर. आई. राजामुन्द्री के साथ एक समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की फिलिप मोरिस तथा सी. टी. आर. आई. राजामुन्द्री के बीच हुये समझौते ज्ञापन का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा दिया जाना

3708. डा. सरोजा वी. :

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अध्ययन हेतु विदेश जाने वाले छात्रों को विदेशी मुद्रा प्रदान करने से संबंधित विनियमों का उदारीकरण कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यह छात्रों के लिए किस सीमा तक लाभदायक होगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :

(i) प्राधिकृत डीलरों को 30,000/– अमरीकी डालर से अधिक की विदेशी मुद्रा जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है बशर्ते विदेशी संस्था से प्राप्त पत्र में ऐसी आवश्यकता का संकेत किया गया हो।

(ii) उस मामले में जहाँ विद्यार्थी को नजदीकी रिश्तेदार से पूर्ण स्पानसरशिप प्राप्त हो, यदि सम्बद्ध विद्यार्थी रिश्तेदार का आतिथेय नहीं लेना चाहता है तो वह पूर्ण विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का पात्र होगा।

(iii) जहाँ विद्यार्थी को विदेश में छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, वहाँ उस राशि को विद्यार्थी को स्वीकार्य विदेशी मुद्रा की राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और यह केवल आवेदक द्वारा वांछित सीमा तक होगा।

(iv) यदि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त प्रवेश सम्बन्धी संपुष्टि पत्र में विदेशी मुद्रा की राशि की मांग का उल्लेख नहीं किया गया हो तो प्राधिकृत डीलरों को प्रथम छह महीनों के लिए 15,000/– अमरीकी डालर तक विदेशी मुद्रा जारी करने की अनुमति प्रदान की गयी है और बाद की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा जारी करते समय आवश्यक समायोजन इस संबंध में विद्यार्थी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर किया जाएगा।

(v) प्राधिकृत डीलरों को संबंधित विद्यार्थी के पक्ष में शिक्षा शुल्क सहित विदेशी मुद्रा की सम्पूर्ण राशि को जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है।

(vi) आवेदन–पत्र को संशोधित तथा सरल बनाया गया है।

(ग) इन परिवर्तनों से विद्यार्थी न्यूनतम कागजी कार्यवाही करते हुए अपनी वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के योग्य होंगे।

आवास बैंक अधिनियम

3709. श्री नादेन्ला भास्कर राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा आवास गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां।

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में प्रस्तावित संशोधनों के कारण निम्नानुसार हैं :

(i) गैर–बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 द्वारा यथा प्रदत्त भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध शक्तियों के समान जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए आवास वित्त संस्थाओं के जमाराशियां स्वीकार करने के कार्य के मामले में राष्ट्रीय आवास बैंक के विनियामक कार्य को और मजबूती प्रदान करना।

(ii) आस्ति के प्रतिभूतिकरण अपना कर और गौण बंधक बाजार का विकास करके अधिक वित्त प्रदान करने के लिए आवास वित्त संस्थाओं की क्षमताओं का संवर्द्धन करना।

(iii) आवास वित्त संस्थाओं द्वारा चूककर्ता उधारकर्ताओं की वसूली के सरल, त्वरित और मितव्ययी तरीके उपलब्ध कराना, तथा

(iv) बैंक के परिचालन में प्रारंभ से प्राप्त अनुभवों के आलोक में राष्ट्रीय आवास बैंक को सुचारु कार्यकरण प्रदान करना।

(ग) आवास वित्त संस्थाओं द्वारा चूककर्ता उधारकर्ताओं से देय राशियों की वसूली के सरल, त्वरित और मितव्ययी तरीके, आस्ति प्रतिभूतिकरण और गौण बाजार के विकास के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम में संशोधन के प्रस्तावों के अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी वाणिज्यिक बैंकों को इस आशय के निर्देश जारी किए गए हैं कि वे मार्च 1998 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के अनुरूपी आंकड़ों की तुलना में मार्च 1999 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अपनी वृद्धिशील जमाराशियों के वर्तमान 1.5 प्रतिशत की तुलना में 3 प्रतिशत आवास क्षेत्र उधार के लिए निर्धारित करे। साथ ही, स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना (जी. जे. आर. एच. एफ. एस.) के अन्तर्गत आवास इकाईयों के निर्माण का वित्त पोषण करने के लक्ष्य को वर्ष 1999–2000 के लिए 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, अर्थात आवास इकाईयों को 1.25 लाख कर दिया गया है।

समुद्री तथा कृषि आधारित उत्पादों का निर्यात

3710. श्री रवि सीताराम नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक का विचार कृषि तथा कृषि आधारित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उत्पादों के निर्यात हेतु क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि वह उन योजनाओं के वित्तपोषण को प्रोत्साहन देता है जिससे मुर्गीपालन, समुद्री और झींगा उत्पादन के मत्स्य उत्पादों, सुरमी उत्पादन आदि जैसे कृषि और कृषि आधारित उत्पादों का निर्यात होता है। नाबार्ड ने आगे बताया है कि अब तक 756.32 करोड़ रुपए को वित्तीय लागत, 323.88 करोड़ रुपए के बैंक ऋण तथा 262.28 करोड़ रुपए की नाबार्ड को पुनर्वित्त सहायता वाली झींगा उत्पादन की 639 योजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं। फरवरी 1999 की स्थिति के अनुसार, इसके लिए संवितरित बैंक ऋण 207.29 करोड़ रुपए तथा पुनर्वित्त सहायता 169.15 करोड़ रुपए है। झींगा उत्पादन के अतिरिक्त सुरमी उत्पादन के लिए आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में 15 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता, 4.30 करोड़ रुपए के बैंक ऋण तथा 2.37 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सहायता वाली दो योजनाएं मंजूर की गई हैं। पुनर्वित्त के लिए विचार करते समय नाबार्ड निर्यातोन्मुखी योजनाओं को प्राथमिकता देता है। जहाँ तक मुर्गा पालन का सम्बन्ध है, विशेष पैथोजन मुक्त अंडों, समन्वित ब्रायलर उत्पादन सह–प्रोसेसिंग तथा साथ ही मुर्गे के मांस को संसाधित कर मूल्य वृद्धि उत्पाद बनाने वाली अधिकांश योजनाओं को मंजूर करने पर नाबार्ड विचार कर रहा है। तथापि, नाबार्ड द्वारा कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है।

चाय की खेती हेतु भूमि

3711. श्रीमती रानी नरह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'असम टी एसोसिएशन' ने केन्द्र सरकार से देश में चाय की आवश्यकता को पूरा करने हेतु इसकी पर्याप्त मात्रा के उत्पादन के लिए और अधिक भूमि की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पादों का निर्यात

3712. श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए कृषि उत्पादों के नाम, उनकी मात्रा तथा उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि क्या है;

(ख) कुल निर्यात की तुलना में कृषि उत्पादों के निर्यात का प्रतिशत कितना है; और

(ग) सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान कुल निर्यात में कृषि उत्पादों के निर्यात का प्रतिशत हिस्सा और देश का कुल निर्यात और कृषिजन्य निर्यात (मूल्य करोड़ रु. के रूप में) निम्नानुसार है :

कृषि उत्पादों का निर्यात

वर्ष	देश का कुल निर्यात	कृषि निर्यात	देश के कुल निर्यात में कृषि निर्यात का हिस्सा
	करोड़ रु. में	करोड़ रु. में	
1995–96	106353.35	17496.40	16.45
1996–97	118817.31	24362.57	20.50
1997–98	126285.76	23798.37	18.80

(स्रोत : डी. जी. सी. आई. एंड एस., कलकत्ता)

निर्यातित कृषि उत्पादों में कुछ हैं : चावल (बासमती और गैर बासमती), कॉफी, चाय, काजू गिरी, तंबाकू, खली, फल एवं सब्जियां, एच. पी. एस. मूंगफली, तिल, बागवानी मदें, मांस और मांस उत्पाद।

गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए प्रत्येक कृषि उत्पाद की मात्रा और मूल्य तथा उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा राशि के ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी. जी. सी. आई. एंड एस.) कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारतीय विदेश व्यापार सांख्यिकी की मासिक/वार्षिक अंकों में उपलब्ध हैं जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(ग) कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कुछ कदमों में शामिल हैं :

(1) अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए छोटी और बड़ी पौध–शालाएं लगाने के लिए सहायता प्राप्त करने, प्रदर्शनों, प्रशिक्षणों और प्रचार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी का उन्नयन, पुराने फलोद्यानों का नवीकरण, क्षेत्र विस्तार, सब्जियों के लिए छोटे टोकरों (मिनीकिट्स) की आपूर्ति और उत्पादकता में सुधार लाना तथा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

(2) श्रेणीकरण/प्रसंस्करण केन्द्रों, नीलामी प्लेटफार्म पक्कवन/क्योंरिंग चेम्बर और गुणात्मकता परीक्षण उपकरणों की स्थापना के लिए सुलभ ऋणों का प्रावधान।

(3) विशिष्टीकृत परिवहन इकाइयों की खरीद, पूर्व प्रशीतन/शीतागार सुविधाओं की स्थापना, एकीकृत फसलोत्तर हैंडलिंग प्रणालियों (चैक हाउसेज) जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निर्यातकों/उत्पादकों/सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

(4) उन्नत पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण और प्रसंस्करण एककों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(5) विदेशी बाजारों में उत्पादों, विशेषकर आमों की ग्राह्यता में सुधार लाने के लिए वाष्प ताप उपचार सुविधाओं की संस्थापना।

(6) चुनिन्दा ताजे फलों और सब्जियों और फलों तथा पुष्पोत्पाद मदों के निर्यात के लिए हवाई भाड़ा इमदाद की मंजूरी।

(7) क्रेता–विक्रेता बैठकों, और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना।

(8) ताजे फलों और सब्जियों जैसे नष्ट होने वाली मदों के निर्यात के संचालन के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर एकीकृत कार्यों संचालन और भण्डारों की स्थापना करना।

(9) बाजार सूचना के प्रसार और डाटा बेस के संवर्द्धन के लिए सहायता देना।

(10) गुणवत्ता, तकनॉलाजी हस्तांतरण, प्रक्रिया उन्नयन और उत्पाद संवर्द्धन सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों की जांच के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए सहायता देना।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षक का वेतनमान

3713. श्री गोरधन भाई जादवभाई जावीया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चंडीगढ़ और गुवाहाटी स्थित केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की खण्डपीठों द्वारा दिए गए निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वरिष्ठ लेखा परीक्षकों को उच्च वेतनमान देने हेतु सिद्धान्त रूप से सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो आज तक सरकार द्वारा इस निर्णय को लागू न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक इस निर्णयों को लागू किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) चंडीगढ़ और गुवाहाटी स्थित केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की खण्डपीठों ने वरिष्ठ लेखा–परीक्षकों को उच्चतर वेतनमान देने का कोई निर्णय नहीं किया था, बल्कि उन्होंने केवल सरकार द्वारा इन मुद्दों पर पुनः विचार करने की संस्तुति की थी।

सरकार ने इस मुद्दे को पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग को भेजने का निर्णय किया। पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग ने वरिष्ठ लेखा–परीक्षकों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों के समकक्ष उच्चतर वेतनमान दिए जाने की संस्तुति नहीं की है। पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा वरिष्ठ लेखा–परीक्षकों के लिए संस्तुत वेतनमान, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों के वेतनमान से कम थे।

तत्पश्चात्, इस मुद्दे को पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा गठित की गई शीघ्र समाधान समिति (फास्ट ट्रेक कमेटी) को भेजा गया था। शीघ्र समाधान समिति ने संस्तुति की थी कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों के साथ वरिष्ठ लेखा–परीक्षकों को साम्यता दिए जाने का कोई मामला नहीं बनता। शीघ्र समाधान समिति की सिफारिश सरकार द्वारा मान ली गई थी।

तद्नुसार, वरिष्ठ लेखा–परीक्षकों के लिए पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत संशोधित वेतनमान को अन्ततः लागू कर दिया गया है।

[हिन्दी]

बैंक ऋण के लिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र

3714. डा. सुशील इन्दौरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिकता क्षेत्र की ऋण योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को ऋण वितरण करने के लिए कोई प्रतिशत निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, लघु और बृहत उद्योगों को ऋण वितरण के लिए निर्धारित अनुपात क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुक्रम में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए अपने निवल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देना बाध्यकारी है। प्राथमिकता क्षेत्र के भीतर निवल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत कृषि को तथा 10 प्रतिशत कमजोर वर्गो को दिया जाना अपेक्षित है। खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योगों, लघु उद्योगों तथा बड़े उद्योगों को उधार देने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, खाद्य तथा कृषि आधारित प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में शामिल किया जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय आवास बैंक

3715. श्री ए.सी. जोस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से स्वैच्छिक आय घोषणा योजना के अन्तर्गत केरल राज्य आवास बोर्ड को कम से कम 100 करोड़ रुपये मंजूर करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) केरल सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, स्वैच्छिक आय प्रकटीकरण योजना के अन्तर्गत हुए संग्रहणों की हिस्सेदारी केवल राज्यों के साथ की गई थी। स्वैच्छिक आय प्रकटीकरण योजना '97 के अन्तर्गत हुई प्राप्ति में 279.76 करोड़ रुपए की राशि हिस्से के रूप में केरल को भुगतान की गई।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु स्वतः खरीद किए जाने की सुविधा

3716. श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री वी.पी. राघवन :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु स्वतः खरीद किए जाने की सुविधा को समाप्त करने का निर्णय है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) सरकारी उद्यमों के लिए खरीद वरीयता की मौजूदा नीति उसमें निहित शर्तों के अध्याधीन, 31–03–2000 तक वैध है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

एस. एस. आई. सर्विस इंस्टीट्यूट में रिक्त पद

3717. श्री महेश्वर सिंह :

श्री सुरेश चन्देल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरस्थ और विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्र में विशेषकर हिमाचल प्रदेश में उनके मंत्रालय द्वारा संचालित "स्माल स्केल इंडस्टरी. सर्विस इंस्टीट्यूट्स" में अधिकारियों के 70 प्रतिशत पद रिक्त हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में लघु उद्योगों की स्थापना एवं विकास रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्माल स्केल इंस्टीट्यूट में अधिकारियों के कितने पद रिक्त पड़े हैं, तथा ये कब से रिक्त पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योग के विकास करने की दृष्टि से उक्त स्थान के स्माल स्केल इंडस्टरी सर्विस इंस्टीट्यूट में अधिकारियों की आवश्यकता संबंधी कोई हाल ही में सर्वेक्षण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) इस समय लघु उद्योग सेवा संस्थानों में राजपत्रित अधिकारियों के 29 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं। लघु उद्योग सेवा संस्थान, सोलन में 10 राजपत्रित पद हैं। इस समय दस में से चार पद भरे हुए हैं। लघु उद्योग सेवा संस्थान–सोलन में रिक्त पदों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

राज्यों के औद्योगिक विकास में लघु उद्योग सेवा संस्थान अनुपूरक भूमिका निभाते हैं। विगत वर्षों में राज्यों द्वारा औद्योगिक संवर्धन हेतु विशाल अव–संरचनाओं का निर्माण किया है।

(ग) और (घ) जी, हां। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के आंतरिक कार्य अध्ययन एकक ने लघु उद्योग सेवा संस्थान, सोलन का कार्य–अध्ययन किया है। राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में, कार्य–अध्ययन में सहायक निदेशक (ग्रेड–I यांत्रिक) के एक पद के फालतू होने की सिफारिश की गयी थी, जिसे समाप्त कर दिया गया है। कार्य अध्ययन एकक ने सहायक निदेशक (ग्रेड–I) (ई–I) के पद का उन्नयन करके उसे उप–निदेशक (ई–I) में बदल देने का प्रस्ताव किया था। किंतु उन्नयन की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है। सहायक निदेशक (ग्रेड–I) (ई–I) के पद को बनाये रखा गया है।

विवरण

लघु उद्योग सेवा संस्थान, सोलन में राजपत्रित अधिकारियों के रिक्त पद

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	किस तारीख से
1.	उप–निदेशक (रसा.)	1	2.8.97
2.	सहायक निदेशक (ग्रेड–I) (जी/सी)	1	8.9.96
3.	सहायक निदेशक (ग्रेड–I) (ई–I)	1	3.9.98
4.	सहायक निदेशक (ग्रेड–I) (आई. एम. टी.)	1	1.7.93
5.	सहायक निदेशक (ग्रेड–I) (रसा.)	1	31.10.98
6.	सहायक निदेशक (ग्रेड–II) (ई–I)	1	20.5.97

[अनुवाद]

शीतल पेय उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3718. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998 से 15 फरवरी, 1999 तक शीतल पेय उद्योग में कुल कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया; और

(ख) शीतल पेय उद्योग में अनुमानतः कितने व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से नियोजित हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां। जनवरी, 1998 से फरवरी, 1999 की अवधि के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र (साफ्ट ड्रिंक उद्योग सहित) में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का कुल अन्तः प्रवाह 239.68 करोड़ रु. है।

(ख) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के साथ विशिष्ट संयोजन सहित रोजगार सृजन संबंधी आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। रोजगार संयोजन औद्योगिक अनुमोदनों अर्थात आशय–पत्र (लाइसेंस–शुदा क्षेत्रों के लिये) तथा आई. सी. एम. एस. (लाइसेंस मुक्त क्षेत्रों के लिये) के संदर्भ में होता है। ऐसे अनुमोदनों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की परियोजनायें शामिल होती हैं। इसलिये, आशय पत्रों अथवा आई. ई. एम. में किये गये रोजगार प्रक्षेपण जिनके विदेशी निवेश संबंधी नीति सहित सरकार की नई औद्योगिक नीति, 1991 के परिणाम स्वरूप पैदा होने वाले संभावित रोजगार के अवसरों के द्योतक हैं। नीति के बाद की सम्पूर्ण अवधि के दौरान (अर्थात अगस्त, 1991 से दिसम्बर, 1998 तक) 41220 आई. ई. एम./आशय पत्र/ई. ओ. यू. दायर किए गए थे जिनमें 815057 करोड़ रु. के निवेश, 72.89 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिये रोजगार अवसरों की परिकल्पना की गई थी।

चाय बागान

3719. श्री आनन्द पाठक : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के कुछ चाय बागान रुग्ण हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे चाय बागान कौन–कौन से हैं, तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन चाय बागानों का सुचारु

कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु इनका पुनर्गठन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (घ) भारतीय चाय व्यापार निगम लि. (टी. टी. सी. आई.), जो कि राज्य व्यापार निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है, एक घाटे में चल रही कम्पनी है। कम्पनी के स्वामित्व में पश्चिम बंगाल में स्थित चाय के चार बागान और असम में एक चाय बागान है। टी. टी. सी. आई. गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है जिसके पास दिनांक 31-1-97 की स्थिति के अनुसार लगभग 36 करोड़ रुपए की अनुमानित देनदारी है। इस समय निगम तीन विकल्पों पर विचार कर रहा है :

(i) निगम के शेयरों की पूरी बिक्री

(ii) यदि (i) पर दिया गया विकल्प संभव नहीं पाया जाता है तो मौजूदा कंपनी का विभाजन, और;

(iii) यदि उपलेखन (i) तथा (ii) पर दिए गए विकल्प व्यावहारिक नहीं पाए जाते हैं तो एस. टी. सी. द्वारा परिसमापन कार्यवाही शुरू करना।

[हिन्दी]

लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऋण

3720. श्री बंशी महावर वर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऋण उपलब्ध कराने की शर्तों आसान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लघु और कुटीर उद्योगों हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं को कितनी राज्य सहायता दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) सरकार का प्रयास लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने की शर्तों को सरल बनाने का रहा है। लघु क्षेत्र के लिए ऋण के प्रवाह में सुधार करने के लिए 1995-96 में आरंभ की गयी सात सूत्रीय कार्य योजना के अनुसरण में, बैंकों द्वारा प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं को सरल बनाने के उपाय किए गए हैं। 2 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ऋण आवेदन-पत्र को सरल बनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त लघु उद्योगों को ऋण संबंधी उच्च स्तरीय समिति (कपूर समिति) ने जून, 1998 में प्रस्तुत की गयी अपनी रिपोर्ट में ऋण वितरण प्रणाली सुधारने लघु क्षेत्र को बैंक से वित्त उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई उपायों की भी सिफारिश की है। स्वीकृत तथा बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जा रही कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(1) तदर्थ ऋण सीमाएं मंजूर करने के लिए शाखा प्रबंधकों को और अधिकार देना।

(2) ऋण की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए बैंकों को अपने स्वयं के मानदण्ड निर्धारित करने की स्वतंत्रता देना।

(3) मिश्रित ऋण की सीमा २ लाख रु. से बढ़ाकर ५ लाख रुपये करना।

(ग) और (घ) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी. एम. आर. वाई.) के अधीन अनु. जा./अनु. ज. जा. हेतु 22.5% और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु 27% आरक्षण है और स्व-रोजगार उद्यम आरंभ करने के लिए ऋण मंजूर करने में महिलाओं को वरीयता भी दी जाती है। परियोजना लागत पर 15% अथवा 7500 रुपये; इनमें जो भी कम हो, राज सहायता भी दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक अनु. जा./अनु. ज. जा. से संबंधित महिलाओं को दी गयी राज सहायता की राशि के आंकड़े नहीं रखता है।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ग्रामोद्योगों की स्थापना के लिए, अनु. जा./अनु. ज. जा. सहित, महिला उद्यमियों को सीमांत राशि योजना के अधीन 30% सीमांत राशि उपलब्ध कराता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगमों के शोरूमों में घाटा

3721. श्री राघवेन्द्र सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा संचालित कई शोरूम घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने घाटे में चल रहे शोरूमों को बंद करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) एन. टी. सी. के पास 332 शोरूम हैं जिनमें से 31.3.1999 को 220 घाटे में थे। पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य–वार ब्यौरे का विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) एन. टी. सी. (धारक कंपनी) द्वारा सहायक निगमों को समय–समय पर प्रत्येक शोरूम के निष्पादन की समीक्षा करने और उनको बंद करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

विवरण

घाटे में चल रहे शोरूमों की सूची

क्रम सं.	राज्य	दिनांक को		
		313.97	313.98	313.99
1.	आंध्र प्रदेश	6	2	2
2.	असम	3	2	1
3.	बिहार	12	13	13
4.	गुजरात	0	3	3
5.	हरियाणा	2	2	2
6.	कर्नाटक	0	22	22
7.	केरल	0	16	25
8.	मध्य प्रदेश	4	4	4
9.	महाराष्ट्र	0	2	3
10.	उड़ीसा	4	4	5
11.	पंजाब	1	1	1
12.	तमिलनाडु	22	53	56
13.	उत्तर प्रदेश	49	46	36
14.	पश्चिम बंगाल	47	49	52
15.	केन्द्र शासित प्रदेश पांडिचेरी	0	0	1
	कुल	148	223	220

[हिन्दी]

कनिष्ठ ओवरमैन के पदों पर नियुक्ति

3722. श्री कृष्ण कुमार चौधरी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 9 नवम्बर, 1998 को अपने फैसले में कहा था कि ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लि. में ओवरमैन के पदों के लिए नवम्बर, 1997 में हुए साक्षात्कार का परीक्षाफल एक महीने के भीतर घोषित कर सफल होने वाले अभ्यार्थियों की नियुक्ति शीघ्र की जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो उनकी नियुक्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कंपनी ने उक्त पदों के लिए साक्षात्कार तब लिए थे जबकि 1995 में कंपनी में 194 ओवरमैन फालतू थे;

(ङ) यदि हां, तो साक्षात्कार आयोजित करने का क्या औचित्य था;

(च) क्या कंपनी ने इस निर्णय के विरुद्ध दोहरी पीठ में अपील दायर की है;

(छ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ज) कोल कंपनी द्वारा सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (ग) कलकत्ता उच्च न्यायालय में दि. 9.11.98 को श्री राजेन्द्र प्रसाद रवानी बनाम को. इं. लि. तथा अन्य (ई. को. लि. सहित) द्वारा दायर की गई याचिका संख्या 1998 का 1416 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है :

"तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संबंधित प्रतिवादी को यह निदेश देते हुए मैं इस आवेदन का निबटारा कर रहा हूँ कि साक्षात्कार के परिणाम की तारीख से एक माह के भीतर याचिकाकर्त्ता को सूचित करें और यदि याचिकाकर्त्ता इस संबंध में सफल पाया जाता है तो इस आधार पर उसे रोजगार देने की पेशकश करते हुए उपयुक्त कदम उठाए जाएं।"

चूंकि उपर्युक्त आदेश के संबंध में एकपक्षीय निर्णय दिए गए अतः ई. को. लि. प्रबंधन द्वारा उक्त मामले को डिवीजीनल बैंच में अपील करने का विचार किया गया तथा दि. 11/2/99 को अंतिम सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश का निबटारा किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ ई. को. लि. को यह निर्देश दिया गया था कि वे न्यायालय की इजाजत के बिना अथवा अपील का निबटारा किए जाने के बगैर किसी कनिष्ठ ओवर मैन की भर्ती न करें।

(घ) और (ङ) ई. को. लि. द्वारा वर्ष 1994–95 में कनिष्ठ ओवरमैन के पद हेतु रिक्तियों को अधिसूचित किया गया था जो विद्यमान खानों एवं संभावित नई परियोजनाओं के लिए अपेक्षित सांविधिक कार्मिक के संबंध में उस समय की जा रही कार्रवाई पर आधारित था। लेकिन 1998–99 में किए गए पुनर्मूल्यांकन से यह निर्दिष्ट होता है कि ई. को. लि. वित्तीय कमी तथा अधिशेष श्रमशक्ति की समस्याओं का सामना कर रही है। विद्यमान खानों के कम होने तथा सांविधिक श्रमशक्ति की आवश्यकता में कमी के कारण ओवरमैन की श्रमशक्ति अधिशेष हो गई।

(घ) जी, हां।

(छ) वर्तमान में ई. को. लि. अत्याधिक वित्तीय कमी एवं ओवरमैन सहित अधिशेष श्रमशक्ति की समस्याओं का सामना कर रही है अतः कई श्रमशक्ति के नियोजन की संभावना नहीं है।

(ज) माननीय न्यायालय में जब तक मामला न्यायाधीन है, ई. को. लि. द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

सुपर-301 के प्रावधान

3723. श्री जी. गंगा रेड्डी :

डा. असीम बाला :

श्री के. येरननायडू :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार सुपर–301 के प्रावधानों के संबंध में यूरोपीय संघ और अमरीका के बीच विवाद निपटान सुनवाई में भाग लेने तथा "बनाना" मुद्दे के संदर्भ में कार्य करने का है;

(ख) यदि हां, तो सुपर–301 लगाने के संबंध में विश्व व्यापार संघ के क्या नियम हैं; और

(ग) बहुपक्षीय व्यापार के क्या सिद्धान्त हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) अमरीकी व्यापार अधिनियम 1984 की धारा 301 के उपबन्धों के खिलाफ डब्ल्यू. टी. ओ. के अधीन विवाद निपटान क्रियाविधि के तहत ई. सी. द्वारा दायर की गई एक शिकायत में भारत अन्य पक्ष के रूप में शामिल हुआ है। जहाँ तक केला विवाद का संबंध है, विवाद निपटान समझौते के अनुच्छेद 21.5 के तहत ई. सी. के खिलाफ पैनल द्वारा दिए गए निर्णय को लागू करने से संबंधित विवाद में भारत तीसरे पक्ष के रूप में शामिल हुआ।

(ख) और (ग) सुपर–301 से संबंधित कोई विशिष्ट डब्ल्यू. टी. ओ. नियम नहीं है। तथापि, गेट के अनुच्छेद XXIII के अंतर्गत कोई भी सदस्य देश उस स्थिति में विवाद के निपटान हेतु डब्ल्यू. टी. ओ. में जा सकता है यदि वह यह समझता है कि डब्ल्यू. टी. ओ. करार के अंतर्गत उसे मिलने वाले किसी भी लाभ को रद्द किया जा रहा है अथवा उसे विकृत किया जा रहा है अथवा किसी अन्य सदस्य देश द्वारा अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहने के कारण किसी दूसरे सदस्य देश द्वारा किसी उपाय को लागू करना चाहे वह करारों के उपबंधों के प्रतिकूल हो अथवा नहीं अथवा कोई अन्य परिस्थिति मौजूद हो, करार के किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति में व्यवधान डाला जा रहा है।

[हिन्दी]

मूल्य-आधारित अग्रिम लाइसेंस का दुरुपयोग

3724. श्री रामशकल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मूल्य–आधारित अग्रिम लाइसेंस और परिमाण आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना के बड़े पैमाने पर हो रहे दुरुपयोग से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक इन योजनाओं से दुरुपयोग के कारण सरकार द्वारा उठाये गये कुल घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खामियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारात्मक उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों

की अवधि के दौरान मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस (मू. आ. अ. ला.) तथा मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस (मा. आ. अ. ला.) स्कीमों के दुरुपयोग सम्बन्धी मामले प्रकाश में आए हैं।

1998–99 को समाप्त हुए विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, इन स्कीमों के दुरुपयोग सम्बन्धी 504 मामलों का पता लगाया गया है। इनमें से छानबीन तथा कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात 52 मामलों पर पहले ही न्याय–निर्णयन लिया जा चुका है जिसके परिणामस्वरूप 41.25 करोड़ रुपये के सीमा शुल्क तथा 8.72 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड की पुष्टि हुई है। अन्य 450 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जिसमें 570 करोड़ रुपये का सीमा शुल्क अंतर्ग्रस्त है और ये न्याय–निर्णयन स्तर पर लम्बित हैं। शेष 2 मामलों में छानबीन को अभी पूरा किया जाना है।

(ग) इन दोनों स्कीमों के कार्यकरण की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है तथा इसकी कमियों को रोकने तथा इन स्कीमों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं। वास्तव में मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस 1.4.97 को पहले ही वापिस लिया जा चुका है।

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन मूल्य निर्धारण निदेशालय विभिन्न वस्तुओं पर अब वास्तविक समय आंकड़े एकत्र करता है तथा विभिन्न सीमा शुल्क गृहों तथा लाइसेंस प्राधिकारियों से इसका मिलान तथा प्रचार करता है और यह स्कीम आयात के संबंध में गलत घोषणा की जांच में भी मदद करती है। जांच प्रक्रिया को भी सख्त किया गया है तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को आसूचना का स्तर ऊँचा करने एवं इन स्कीमों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी स्तरों पर कड़ी सतर्कता रखने के लिए सतर्क कर दिया गया है।

[अनुवाद]

हस्तशिल्प के निर्यात में दक्षिण का हिस्सा

3725. श्री के.पी. मोहनन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हस्तशिल्प के कुल निर्यात में "दक्षिण" का हिस्सा मात्र आठ प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो हस्तशिल्प के निर्यात में "एस. एन. ओ. टी. एच." का हिस्सा बढ़ाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार "रीजनल डिविजनल एण्ड टेकनिकल डेवलपमेन्ट सेन्टर" के उन्नयन पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री रामाकृष्णा राणा) : (क) हस्तशिल्प के निर्यात के सम्बन्ध में क्षेत्रवार विवरण नहीं रखे जाते। तथापि, अनुमान है कि हस्तशिल्प के कुल निर्यात में दक्षिण भारत के हस्तशिल्प का 8 प्रतिशत हिस्सा है।

(ख) दक्षिण भारत से हस्तशिल्प निर्यात का अंश बढ़ाने के लिए, सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में–प्रशिक्षण, पेकेजिंग, डिजाइनिंग कार्यशालाएं आयोजित करना, निर्यात–विपणन एवं प्रसंस्करण, तिरूवनंतपुरम में वुड सीजनिंग एवं सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना और दक्षिण भारत के हस्तशिल्प निर्यातकों का प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली में होने वाले भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेले (शरद्कालीन एवं वसंतकालीन) में भाग लेना, शामिल है।

(ग) से (ङ) क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्र बंगलौर के उन्नयन का प्रस्ताव है जिसके लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एन. आई. डी.) अहमदाबाद को अध्ययन का कार्य सौंपा गया है।

[हिन्दी]

विभिन्न राज्यों के वित्तीय घाटे

3726. श्री मोहन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न राज्यों के वित्तीय घाटे में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998–1999 के दौरान सभी राज्यों का कुल वित्तीय घाटा कितना रहा;

(ग) देश के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में उक्त घाटे की प्रतिशतता क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर नियंत्रण रखने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) घाटे का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ङ) पिछले कुछ वर्षों

के दौरान राज्यों के कुल राजकोषीय घाटे ने अपनी वृद्धि दर्ज कराई है। वर्ष 1998–99 के दौरान (बजट अनुमानों के अनुसार) राज्यों का कुल राजकोषीय घाटा 59522.80 करोड़ रुपए था। राज्यों के राजकोषीय घाटों और सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी. पी.) में कोई प्राकृतिक सह–संबंध नहीं है। राजकोषीय घाटे का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, जैसा कि बढ़ते घाटे से साबित होता है, हाल के वर्षों में राज्यों की राजकोषीय हालत लगातार खस्ता रही है। रिजर्वबैंक ने सलाह दी है कि राज्यों को इससे उबरने के लिए अपनी कार्रवाई के मुख्य मोर्चे के रूप में अपनी व्यय पुनर्संरचना, निरर्थक अर्थ–सहायता (सब्सिडी) में कटौती और उत्पादनशील प्रयासों में वृद्धि करते हुए पहले की अपेक्षा कहीं अधिक तेजी से अपना राजकोषीय सुदृढ़ीकरण करना चाहिए। कई राज्य सरकारों, जिन पर वेतनमानों के संशोधन का भारी वित्तीय भार आन पड़ा है, ने केन्द्रीय सरकार से सहायता का अनुरोध किया है। जबकि केन्द्र सरकार ने जरूरत के समय सदा ही राज्य सरकारों की मदद की है, राज्य सरकारों की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए केन्द्र सरकार उन्हें प्रोत्साहित भी करती रही है।

विवरण

1998–99 (बा. अनु.) के लिए राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा

राज्य	राशि (करोड़ रुपए में)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	9084.00
अरुणाचल प्रदेश	93.40
असम	959.20
बिहार	3897.80
गोवा	218.90
गुजरात	2370.90
हरियाणा	2604.30
हिमाचल प्रदेश	1452.30
जम्मू और कश्मीर	768.70
कर्नाटक	1991.30
केरल	1607.50
मध्य प्रदेश	3886.60
महाराष्ट्र	7148.40
मणिपुर	174.50
मेघालय	179.90
मिजोरम	87.70
नागालैंड	222.40
उड़ीसा	2442.90
पंजाब	2607.40
राजस्थान	3762.90
सिक्किम	189.50
तमिलनाडु	4471.30
त्रिपुरा	329.10
उत्तर प्रदेश	10706.50
पश्चिम बंगाल	4355.30
योग	59522.80

भारत यंत्र निगम को वित्तीय सहायता

3724. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के नैनी औद्योगिक नगर की पूर्णतया उपेक्षा की जा रही है;

(ख) क्या भारत यंत्र निगम, जिसके अन्तर्गत छह उद्योग नामत : भारत पम्प और कम्प्रेसर लि., त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लि. आदि आते हैं का गठन नैनी क्षेत्र के अन्तर्गत उद्योगों को निर्विघ्न रूप से चलाने के लिए किया गया है;

(ग) क्या निगम के माध्यम से उपर्युक्त ग्यारह उद्योगों में से पांच उद्योगों को केन्द्र सरकार द्वारा नियमित रूप से वित्तीय सहायता दी जा रही है जबकि त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड के कर्मचारियों को पिछले पांच–छह माह से उनका वेतन नहीं मिल रहा है चूंकि इस उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लि. के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कारगर कदम उठाने का है; और

(ङ) कब तक उनको भुगतान कर दिये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) जी, नहीं। भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के तीन उपक्रम हैं जिनकी नैनी में औद्योगिक इकाईयां अर्थात् मैसर्स भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेशर्स लि., मैसर्स त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि. तथा मैसर्स हिन्दुस्तान केबल्स लि. हैं। भारत सरकार द्वारा इन औद्योगिक इकाईयों की कार्यप्रणाली पर अपेक्षित ध्यान दिया जा रहा है।

(ख) मैसर्स भारत यंत्र निगम लि. (बी. वाई. एन. एल.), इलाहाबाद की स्थापना एक धारक कम्पनी के रूप में निम्नलिखित सरकारी क्षेत्र के छह उद्यमों की कार्यप्रणाली/समन्वय में सुधार लाने की दृष्टि से वर्ष 1986 में की गई थी।

1. मैसर्स भारत पम्प्स एंड कम्प्रेशर्स लि., इलाहाबाद,
2. मैसर्स भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लि., विशाखापत्नम,
3. मैसर्स ब्रिज एंड रूफ कम्पनी (आई) लि., कलकत्ता,
4. मैसर्स रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि., मुम्बई,
5. मैसर्स त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि., नैनी, इलाहाबाद,
6. मैसर्स तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि., हौसपेट।

(ग) से (ङ) भारत सरकार बी. वाई. एन. एल. समूह के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निम्नलिखित रूप से बजटीय सहायता मुहैया कराती रही है : (क) पूंजीगत उपस्करों की खरीददारी के लिये योजना सहायता एवं क्रूशियल बैलेंसिंग सुविधाओं की प्राप्ति करने के लिए; (ख) नगद घाटे की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए गैर–योजना सहायता देना; तथा (ग) स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के कार्यान्वयन के लिए योजना अनुदान देना।

चूंकि, टी. एस. एल. हानियां उठा रही थी तथा इसकी नेटवर्थ नकारात्मक हो गई थी, इसलिए इसे वर्ष 1992 के दौरान बी. आई. एफ. आर. को सन्दर्भित कर दिया गया था। बी. आई. एफ. आर. ने 22–9–1995 को कम्पनी के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी थी जिसमें 29.22 करोड़ रुपये की राशि की निधियों का निवेश करने, 2.25 करोड़ रुपये का वी. आर. एस. अनुदान देने तथा 31–3–1994 के अनुसार भारत सरकार की 40.26 करोड़ रुपये की बकाया राशि को माफ करने/इक्विटी में बदलने के माध्यम से पूंजी की पुनर्संरचना करना परिकल्पित किया गया है। कम्पनी का निष्पादन बी. आई. एफ. आर. द्वारा संस्वीकृत योजना में की गई संभावनाओं के अनुरूप नहीं रहा है। कम्पनी संसाधन सृजित कर रही है, परन्तु ये मजदूरी और वेतन के भुगतान के लिए इसकी जरूरतों को पूरी तरह पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कम्पनी की सहायता करने की दृष्टि से, सरकार ने फरवरी 1999 में 1.76 करोड़ रुपये जारी किये हैं।

[अनुवाद]

आयात-निर्यात नीति

3728. **डा. बी.एन. रेड्डी :**

श्री के. येरननायडू :

श्री ए.सी. जोस :

डा. उल्हास वासुदेव पाटील :

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आयात–निर्यात नीति (1997–2002) को घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो नई नीति की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इसमें एडवांस लाइसेंस स्कीम, एक्सपोर्ट प्रोमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम और ड्यूटी एंटाइटल पासबुक स्कीम को शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या अनेक मदों को आयात–निर्यात नीति की प्रतिबंधित सूची से हटाकर विशेष आयात लाइसेंस स्कीम में डाल दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इससे निर्यात को कितना बढ़ावा मिलने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां। सरकार ने 31 मार्च, 1999 को संशोधित एग्जिम नीति घोषित की है।

(ख) एग्जिम नीति की मुख्य-मुख्य विशेषताएं हैं : अग्रिम लाइसेंस के लिए आवेदन का कम्प्यूटरीकरण और इलैक्ट्रानिक फाइलिंग, शुल्क छूट योजना को लचीला बनाना, शून्य शुल्क ई. पी. सी. जी. योजना का लाभ रसायन, प्लास्टिक और वस्तु क्षेत्रों को प्रदान करना, रत्न एवं आभूषण निर्यातकों के लिए अतिरिक्त सुविधायें, ई. ओ. यू./ई. पी. जेड. योजना को आगे और युक्तिसंगत बनाना, सेवाओं का निर्यात लघु क्षेत्र के निर्यात को प्रोत्साहित करना, आम्बडसमेन का सृजन इत्यादि।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां। 414 मदों को आयातों की प्रतिबंधित सूची से हटाकर एस. आई. एल. सूची के अन्तर्गत लाया गया है।

(ङ) उपरोक्त कदम विवेकाधीन नियंत्रण के स्थान पर पर्याप्त टैरिफ सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से उठाये गए हैं। निविष्टियों के मुक्त प्रवेश से उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलने की संभावना है और इससे निर्यातों के लिए बेशी स्टाक सृजित होगा।

[हिन्दी]

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को ऋण और अनुदान

3729. **श्री रामानन्द सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान मध्य प्रदेश के सतना और कटनी जिलों में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किन-किन उद्योगों को ऋण स्वीकृत किया गया;

(ख) आयोग द्वारा उक्त अवधि के लिए कितना बजटीय प्रावधान किया उस बजटीय प्रावधान की तुलना में कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) मध्य प्रदेश के सतना जिले में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम हेतु आयोग द्वारा स्वीकृत किए गए ऋण और अनुदान राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का विचार सतना बुनकरों की पर्याप्त संख्या को देखते हुए हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने का है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सतना और कटनी जिलों में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के. वी. आई. सी.) द्वारा जिन एककों को अनुदान और ऋण प्रदान किये थे उनकी संख्या का विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के लिए बजटीय प्रावधान और व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :

(रुपये लाख में)

वर्ष	बजट व्यय वित्तीय	व्यय वित्तीय
1997-98	73.00	0.78
1998-99	30.00	15.72
योग	103.00	16.50

(ग) ब्यौरा उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के भाग के रूप में दिया गया है।

(घ) और (ङ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम के अंतर्गत हथकरघों पर हाथ से कताई किए हुए धागे से धुनाई का कार्य खादी के अंतर्गत आता है। मिल द्वारा निर्मित धागे की बुनाई का कार्य खादी और ग्रामोद्योग के कार्यक्षेत्र से बाहर है। सतना जिले में 225 व्यक्ति खादी क्षेत्र में कार्यरत हैं।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	वर्ष	उद्योग का नाम	स्थापित इकाइयों की संख्या	वित्तीय रूप	अनुदान सहायता
1	2	3	4	5	6
1.	1997-98	ईंट निर्माण	01	022	009
		विद्युत सामग्री	01	028	011
		मरम्मत का सामान	01	026	009
		जोड़	03	076	029
2.	1998-99	साउण्ड सिस्टम किराये पर लेना	01	030	014
		बिजली के सामान की मरम्मत	01	045	017
		भारतीय विज्ञान	01	047	018
		दालमिल	01	585	242
		अवाला ग्रीडि	01	255	175
		साईकिल मरम्मत	01	063	024
		जोड़	06	1031	490

[अनुवाद]

राउरकेला इस्पात संयंत्र

3730. डा. चुन्नुरु सुब्बारी रेड्डी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) कम्पनी कब से लाभ कमाना शुरू कर देगी?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) राउरकेला इस्पात संयंत्र की आधुनिकीकरण परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न सुविधाएं, पुनर्सर्पण भट्टी संख्या-5 को छोड़कर, प्रगामी रूप से चालू की गई हैं तथा ये विद्युतीकरणाधीन हैं।

(ख) फरवरी, 99 तक खर्च की गई कुलराशि 4255 करोड़ रुपए (अनन्तिम) है।

(ग) कम्पनी का वित्तीय निष्पादन आन्तरिक तथा बाह्य घटकों पर निर्भर करता है। हालांकि आधुनिकीकृत सुविधाओं से लाभ परतों में प्राप्त होंगे परन्तु आधुनिकीकृत/पूंजीगत योजनाओं के पूंजीकरण और उच्च मालसूची को भी बनाए रखने के कारण संयंत्र को पूंजी संबद्ध उच्च लागतों को समाहित करना पड़ेगा जिससे इसका वित्तीय निष्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। इसी प्रकार भौजूदा बाह्य घटक जैसे इस्पात की मांग में मन्दी, अन्य घरेलू उत्पादकों और आयात से कड़ी प्रतिस्पर्धा और वर्धित आदान लागतों से वित्तीय निष्पादन प्रभावित हुआ है। इस प्रकार के परिवर्ती गत्यात्मक घटकों पर लाभप्रदता के निर्भर होने के कारण लाभ अर्जित करने के लिए संयंत्र के लिए कोई समय-सीमा की भविष्यवाणी करना व्यवहार्य नहीं है।

आर्थिक असमानता

3731. डा. अखिलेश दास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने विश्व बैंक सहायता प्राप्त देशों में आर्थिक असमानता के बारे में कोई रिपोर्ट जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रिपोर्ट में आर्थिक असमानता बढ़ाने के क्या कारण बताए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट पढ़ ली है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शहरी बैंक

3732. श्री अभयसिंह एस. भोंसले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के कुछ जिलों के शहरी बैंकों का प्रचालन कार्य मुम्बई से नागपुर स्थानान्तरित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र अर्बन कापरेटिव बैंक एसोसिएशन ने रिजर्व बैंक से अनुरोध किया है कि मराठवाड़ा क्षेत्र के शहरी बैंकों को अभी मुम्बई से ही समबद्ध रखा जाये; और

(घ) यदि हां, तो रिजर्व बैंक की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने मराठवाड़ा क्षेत्र के सभी 7 जिलों में स्थित 95 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों से संबंधित विनियामक कार्य मुम्बई से नागपुर कार्यालय में अन्तरित कर दिया है। यह अन्तरण मुम्बई में कुछ विभागों में भी भीड़भाड़ कम करने और साथ ही बेहतर ग्राहक सेवाएं प्रदान करने की भारतीय रिजर्व बैंक की नीति के अनुपालन में किया गया था। इसके अतिरिक्त, बैंकरों और क्षेत्र की जनता के लिए मुम्बई के स्थान पर नागपुर जाना परिचालनात्मक रूप से सुविधाजनक होगा।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मराठवाड़ा क्षेत्रीय शहरी सहकारी बैंक संघ से पहले वाली व्यवस्था जारी रखने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

कम्पनियों द्वारा धन का दुरुपयोग

3733. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सूचीबद्ध कम्पनियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध 01 अप्रैल, 1994 से 31 मार्च, 1999 तक सार्वजनिक और अधिकार निर्गम के समय प्रस्ताव दस्तावेज में दिए गए प्रयोजन में धन न लगाकर उनका दुरुपयोग करने के लिए कार्रवाई की गई है;

(ख) इसमें कुल कितनी राशि अन्तरग्रस्त है; और

(ग) उन कम्पनियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध धन के दुरुपयोग और धन को अन्यत्र इस्तेमाल करने के लिए अभियोजन चलाया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) कंपनी कार्य विभाग के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों में यह अपेक्षित नहीं है कि कंपनी कार्य विभाग सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा पब्लिक इश्युओं की आय के प्रयोग से संबंधित सूचना रखे। तथापि, सेबी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार वर्ष 1993–94, 1994–95 और 1997–98 के दौरान 1893 कंपनियां प्रारंभिक "पब्लिक आफरिंग" के साथ सामने आई थीं। इनमें से 41 कंपनियों का पता नहीं लगा है। उपयुक्त कार्रवाई के लिए इन कंपनियों के ब्यौरे सेबी द्वारा कंपनी कार्य विभाग को भेज दिए गए हैं।

प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में गिरावट

3734. श्री के. करुणाकरन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि केरल के प्राकृतिक रबड़ उत्पादक प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में भारी गिरावट के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो केरल में रबड़ उत्पादकों की सहायता हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में केरल सरकार ने केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/क्या कदम उठाये जाने प्रस्तावित हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हां। केरल में रबड़ उत्पादकों को अपने उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य दिलवाने के उद्देश्य से भारत सरकार अन्य बातों के साथ–साथ सरकारी खाते पर रबड़ प्राप्त करने के लिए एस. टी. सी. के जरिए एक बाजार हस्तक्षेप प्रक्रिया में लगी हुई है और प्राप्त रबड़ को अग्रिम लाइसेंस धारकों को बेच रही है। भारत सरकार ने दिनांक 20 फरवरी, 99 से अग्रिम लाइसेंस के तहत रबड़ के आयात को भी स्थगित कर दिया है।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता के लिए केरल की राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

जापान के साथ समझौता

3735. श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1997 और 1998 के दौरान 10 विशेष परियोजनाओं

के लिए 4157 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराने हेतु भारत में जापान के राजदूत ने वित्त सचिव के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऋण की अदायगी की शर्तें क्या हैं;

(ग) उन 10 विशेष परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वे कौन से राज्य हैं जहाँ ये परियोजनाएं स्थापित की गई हैं/इन परियोजनाओं को स्थापित किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के 1997–98 ऋण पैकेज के अन्तर्गत 10 परियोजनाओं के लिए 31.10.1997 को वित्त सचिव तथा भारत में जापान के राजदूत के बीच परस्पर टिप्पणियों पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) ऋण की अदायगी 10 वर्ष की छूट–अवधि के बाद 20 वर्ष में की जाएगी। साधारण परियोजनाओं के लिए ब्याज–दर 2.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी और पर्यावरण से संबंधित परियोजनाओं के लिए 2.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी।

(ग) और (घ)

परियोजना का नाम	राशि (मिलियन येन)	राज्य
1	2	3
1. सिहांद्रि और विज़ाग पारेषण प्रणाली परियोजना	10,629	आन्ध्र प्रदेश
2. श्रीसायलम लैफ्ट बैंक विद्युत केन्द्र परियोजना (III)	14,499	आन्ध्र प्रदेश
3. धौली गंगा हाइड्रो–इलैक्ट्रिक विद्युत संयंत्र निर्माण परियोजना (II)	16,316	उत्तर प्रदेश
4. बकरेश्वर ताप विद्युत केन्द्र परियोजना (II)	34,151	पश्चिम बंगाल
5. टूटिकोरिन पत्तन निकर्षण परियोजना	7,003	तमिलनाडु
6. पंजाब वनरोपण परियोजना	6,193	पंजाब
7. मध्य प्रदेश रेशम कीट पालन परियोजना	2,212	मध्य प्रदेश
8. मणिपुर रेशम कीट पालन परियोजना	3,962	मणिपुर
9. रेगंली सिंचाई परियोजना	7,760	उड़ीसा
10. सिडबी (VI)	30,000	समग्र भारत

[हिन्दी]

अल्कालाइड फैक्ट्री नीमच कारखाने से हेरोइन की चोरी

3736. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्कालाइड फैक्ट्री नीमच के कर्मचारियों के कब्जे से करोड़ों रुपए की हेरोइन उस समय जब्त की गई जब वे फरवरी, 1990 में उसे चुराने की कोशिश कर रहे थे;

(ख) क्या बड़ी संख्या में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सुरक्षा कार्मिकों द्वारा इस कारखाने की सुरक्षा की जाती है;

(ग) क्या यह घटना वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों और देश में सक्रिय तस्करों के बीच सांठगांठ को इंगित करती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य में इसे रोकने हेतु क्या–क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, नहीं। फरवरी, 1998 में अल्कालाइड फैक्ट्री, नीमच के कर्मचारियों के पास से हेरोइन पकड़े जाने का कोई मामला नहीं है। तथापि, राज्य पुलिस द्वारा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत 3.2.99 को सरकारी अफीम एवं अल्कालाइड वर्क्स, नीमच के अल्कालाइड प्लांट के दो अकुशल मजदूरों को उनसे 2.640 कि.ग्रा. मार्फीन की बरामदगी होने के बाद कारखाने से लगभग 2 कि.मी. की दूरी पर गिरफ्तार किया गया था। मार्फीन सल्फेट का बिक्री मूल्य 21673/– रु. प्रति कि.ग्रा. है और इस प्रकार पकड़ी गई मार्फीन का मूल्य लगभग 56000/– रु. है।

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी. आई. एस. एफ.) के कार्मिकों द्वारा कारखाने की सुरक्षा की देखभाल की जाती है और इस कार्य के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 96 सुरक्षा कार्मिकों को तैनात किया गया है जिनमें प्रशासनिक कर्मचारी और अग्निशमन कर्मचारी शामिल हैं।

(ग) यह घटना सरकारी अफीम एवं अल्कालाइड वर्क्स, नीमच से मार्फीन की चोरी होने का पहला ही मामला है।

(घ) बहुत से निवारक उपाय किये गये हैं, जिनमें आंतरिक सुरक्षा उपायों में कढ़ाई लाना, आसूचना नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना और सी. आई. एस. एफ. कार्मिकों द्वारा प्रवेश और बहिर्गमन के समय मजदूरों की अच्छी तरह से तलाशी लेना शामिल है।

[अनुवाद]

अशोध्य ऋणों के बारे में दिशा-निर्देश

3737. श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चदा" :

श्री राम नारायण मीणा :

श्री के.एस. राव :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के अपयोज्य अस्तियों को बट्टे खाते में डालने/इस पर कोई सहमति तैयार करने के लिए दिशा–निर्देश तैयार करने के लिए गठित कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त कार्यदल कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋणों के बट्टे खाते में डालने का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) बट्टे–खाते डालने/समझौता निपटान के बारे में एक समान मार्ग–निर्देश तैयार करने के लिए वित्तीय पर्यवेक्षण–बोर्ड (बी. एफ. एस.) के निदेशाधीन एक और अनौपचारिक कार्यकारी समूह का गठन किया गया था। इस कार्यकारी समूह ने वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कार्यकारी समूह की सिफारिशों पर वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के निर्णय की जानकारी आशा है उचित समय पर सरकार को दे दी जाएगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों की राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे–खाते डाली गई राशि

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	1995–96	1996–97	1997–98
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद बैंक	6.71	21.39	46.61
2.	आन्ध्रा बैंक	1.95	37.42	72.58
3.	बैंक आफ बड़ौदा	46.42	70.17	157.30
4.	बैंक आफ इंडिया	307.08	217.15	309.29
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	56.52	47.30	121.26
6.	केनरा बैंक	169.49	18.20	47.18
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	138.44	156.83	154.62
8.	कार्पोरेशन बैंक	19.13	0.94	13.69
9.	देना बैंक	51.92	58.76	67.87
10.	इंडियन बैंक	115.94	10.28	1.37
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	75.01	375.73	201.76
12.	ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स	0.82	46.22	0.13
13.	पंजाब नेशनल बैंक	53.14	150.34	372.70
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	2.86	9.93	16.98
15.	सिंडिकेट बैंक	8.03	58.79	109.16

1	2	3	4	5
16.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	38.81	30.57	16.55
17.	यूको बैंक	110.98	220.57	176.34
18.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	36.51	65.48	29.90
19.	विजया बैंक	13.26	12.72	6.72
	कुल	1253.02	1608.79	1922.01

रेशम कीट पालन को बढ़ावा देना

3738. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

श्री आर. साम्बसिवा राव :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारत में रेशम उत्पादन को **बढ़ावा** देने के लिए इस वर्ष अप्रैल से कुछ राज्यों विशेष रूप से कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रेशम कीट पालन को **बढ़ावा** देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है 1999–2000 के दौरान आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जापान की सहायता से कौन–कौन सी मुख्य परियोजनाएं शुरू की जाने वाली हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) इस समय जापानी सहायता से रेशम उत्पादन क्षेत्र में तीन परियोजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड जापानी इंटरनेशनल को–ऑपरेशन एजेंसी की सहायता से एक द्विफसलीय रेशम उत्पादन विकास परियोजना क्रियान्वित कर रहा है। परियोजना के पहले चरण (1991–97) में कुछ प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया था। अप्रैल, 1997 से शुरू हुए दूसरे चरण (1997–2000) में उपयुक्त क्षेत्र में इन प्रौद्योगिकियों के सत्यापन का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस समय यह परियोजना कर्नाटक में क्रियान्वित की जा रही है। सरकार ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में भी इस परियोजना को बढ़ाने का प्रयास किया।

2. मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 1997–98 से विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ. ई. सी. एफ.), जापान की सहायता से एक रेशम उत्पादन परियोजना क्रियान्वित कर रही है और इसके प्रथम चरण में तसर रेशम उत्पादन का विकास किया जाएगा। दूसरे चरण में शहतूती रेशम उत्पादन का विकास किया जाएगा। प्रथम चरण का उद्देश्य तसर अपरिष्कृत रेशम और तसर स्पन यार्न के उत्पादन में वृद्धि करके अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना है।

3. मणिपुर सरकार ओ. ई. सी. एफ. की वित्तीय सहायता से एक रेशम उत्पादन परियोजना क्रियान्वित कर रही है। इसके प्रथम चरण में शहतूती रेशम उत्पादन का विकास किया जाएगा ताकि शहतूती अपरिष्कृत रेशम के उत्पादन में वृद्धि करके अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जा सके। दूसरे चरण में एरी की कृषि को बढ़ाया जाएगा।

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में जापानी सहायता से इस समय कोई परियोजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है।

जम्मू और कश्मीर को सहायता

3739. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर सरकार को कितनी सामान्य केन्द्रीय सहायता और मूलभूत न्यूनतम सेवा अनुदान जारी किया गया; और

(ख) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा इस राशि से परियोजना–वार और स्थान–वार कितनी परियोजनाएं/कार्य कार्यान्वित किए गए ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	सामान्य केन्द्रीय सहायता	न्यूनतम मूलभूत सेवाएं (बी. एम. एस.) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता
1996–97	960.00	156.52
1997–98	1028.61	156.52
1998–99	1073.22	164.80

उपरोक्त के अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू एवं कश्मीर को विशेष केन्द्रीय सहायता/विशेष योजना सहायता के रूप में 2913.00 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई थी।

(ख) राज्य सरकारों को योजनागत सहायता एकल अनुदानों/ऋणों के रूप में जारी की जा रही है। जम्मू एवं कश्मीर के मामले में अनुदान के रूप में 90% और शेष ऋण के रूप में 10% दी गई है। यह सहायता किसी परियोजना विशेष अथवा स्थानों से संबद्ध नहीं है। ऐसा मानना है कि इसे राज्य परियोजना सहित सभी परियोजनाओं/कार्यों के कार्यान्वयन के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।

अल्कोहल उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3740. श्री उत्तम सिंह पवार :

डा. संजय सिंह :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी निवेश आकृष्ट करने के लिए स्विटजरलैंड में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की शाखा स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन कम्पनियों ने अल्कोहल उद्योग में निवेश हेतु अपने प्रस्ताव भेजे हैं और प्रस्तावों का अन्य ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस बीच सरकार ने उन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) से (ङ) अल्कोहल क्षेत्र में छः प्रस्ताव विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ. आई. पी. बी.) के विचारार्थ लम्बित हैं जिनमें विदेशी इक्विटी भागीदारी अन्तर्ग्रस्त है।

[हिन्दी]

नाबार्ड की शेयर पूंजी

3741. श्रीमती आभा महतो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की शेयर पूंजी को 500 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त राशि उन्हें जारी कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 1996-97 के बजट भाषण में की गई इस आशय की घोषणा के अनुसरण में कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शेयर पूंजी को 5 वर्ष की अवधि में 500 करोड़ रु. से बढ़ाकर 2000 करोड़ रु. कर दिया जाएगा, वर्ष 1998-99 के दौरान क्रमशः भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 100 करोड़ रु. और 400 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

[अनुवाद]

खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा निर्यात

3742. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम (एम. एम. टी. सी.) ने निर्यात के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय एम. एम. टी. सी. द्वारा किन-किन मदों का निर्यात किया जा रहा है;

(ग) क्या एम. एम. टी. सी. कोयला और हाइड्रोकार्बनो का निर्यात भी कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो एम. एम. टी. सी. द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई और वर्ष 1999-2000 हेतु अनुमानित मदों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां। एम. एम. टी. सी. निर्यात के क्षेत्र में उत्पादों के क्षेत्र और मात्रा को बढ़ाने तथा बाजार विस्तार के जरिए अपनी गतिविधियों के विविधीकरण का निरन्तर प्रयास कर रहा है।

(ख) श्रीमान्, वर्तमान में एम. एम. टी. सी. द्वारा निर्यात की जा रही मदें हैं : खनिज एवं अयस्य, स्वर्ण, आभूषण, कृषि उत्पाद, भवन सामग्री और औद्योगिक उत्पाद। इन मदों के गत 3 वर्षों के ब्यौरे संलग्न विवरण में देखे जा सकते हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। एम. एम. टी. सी. कोयला और हाइड्रोकार्बन का निर्यात नहीं कर रही है।

विवरण

एम. एम. टी. सी. का निर्यात

(करोड़ रुपये में)

	1996-97	1997-98	1998-99 (अनंतिम)
खनिज एवं अयस्क	885.02	980.48	1018.82
स्वर्ण एवं आभूषण	31.54	41.52	20.03
कृषि उत्पाद	133.03	75.37	34.85
भवन सामग्री	0.83	6.24	8.87
औद्योगिक उत्पाद	51.12	46.51	3.83
अन्य	35.11	36.85	23.60
कुल	1136.65	1186.97	1110.00

जाली नोट

3743. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

श्री एम. वागा रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जाली नोटों का व्यापक प्रचलन है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत–श्रीलंका अधिकारियों की सातवीं बैठक का उद्घाटन करते हुए राजस्व एवं आसूचना के महानिदेशक ने बताया कि भारत में सौ रुपये के जाली नोटों की तस्करी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा तीस लाख रुपये के जाली नोट जब्त किए गए;

(घ) यदि हां, तो क्या एजेंसियों के आकलन के अनुसार इस कार्य में विदेशों में बसे भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति तथा कुछ अन्य देश भी शामिल हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या हाल ही में हैदराबाद में पाँच सौ रुपये के जाली नोट छापने के घोटाले का पता चला था; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस घोटाले को एवं देश में जाली नोटों की तस्करी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

इन्फ्रास्ट्रक्चर के संबंध में राकेश मोहन समिति

3744. डा. बी.एन. रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्फ्रास्ट्रक्चर के संबंध में राकेश मोहन समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) सरकार का सिफारिशों विशेष रूप से निधि की माँग और वास्तविक आपूर्ति के संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में विदेशी भागीदारी आवश्यक है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) राकेश मोहन समिति ने ऐसे नीतिगत सुधारों, जिनसे सरकारी–निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ–साथ बुनियादी ढांचे के और अधिक वाणिज्यिकरण में सहायता मिल सकती है, के लिए दिशा–निर्देश उपलब्ध कराए हैं। इसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

विशेषज्ञ दल ने अनुमान लगाया है कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कुल निवेश आवश्यकताएं 1996–97 से 2000–01 के बीच लगभग 4300 बिलियन रुपए होंगी और 2001–02 से 2005–06 के दौरान लगभग 7,400 बिलियन रुपए की होंगी।

आधारभूत परियोजनाओं के सार्थक वाणिज्यिकरण के लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना जोखिमों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए और उन्हें विभिन्न पणधारियों को आबंटित कर लिया जाए।

यदि बुनियादी ढांचे को पूंजी बाजारों के जरिए वित्तपोषित किया जाना है, तो संविदात्मक बचत संस्थानों के क्षेत्र में प्रमुख सुधारों को आरम्भ किया जाना आवश्यक है।

भारत को विशेष रूप से परियोजनाओं के लिए ऋण वृद्धि उपलब्ध कराने और ऋण बाजार को सक्रिय करने के लिए एक संस्था की आवश्यकता है।

विद्यमान क्षेत्र–विशिष्ट अधिनियमों को एक करके एकल कानून में परिवर्तित किया जाना चाहिए और प्रत्येक आधारभूत क्षेत्र के लिए एक स्वायत्त विनियामक निकाय गठित किया जाना चाहिए।

शहरी बुनियादी ढांचे, पत्तनों, सड़कों, विद्युत, दूर–संचार और औद्योगिक पार्कों के लिए भी क्षेत्र–विशिष्ट सुधारों का सुझाव दिया गया है।

(ख) से (घ) 1997–98 के केन्द्रीय बजट में शेयर–धारकों को मिलने वाले लाभांशों पर कर को समाप्त कर दिया गया है।

निवल अन्तर–बैंक देयताओं पर नकदी प्रारक्षित अनुपात (सी. आर. आर.) और सांविधिक नकदी अनुपात को 26 अप्रैल, 1997 से समाप्त कर दिया गया है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों को असूचीबद्ध कंपनियों में उसी तरीके से निवेश करने की अनुमति दी गई है जैसे उन्हें सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश करने की अनुमति प्राप्त है। सेबी ने इस आशय की मार्गदर्शिकाएं भी जारी की है। इससे एफ. आई. आई. को बुनियादी ढांचे में निवेश करना संभव हो पाएगा।

एफ. आई. आई. को शत–प्रतिशत ऋण निधि मार्ग के जरिए सूचीबद्ध/सूचीबद्ध की जाने वाली ऋण प्रतिभूतियों और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी गई है।

मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंडों (एम. एम. एम. एफ.) द्वारा अलग–अलग लिखतों में निवेश की सीमाओं के निर्धारण को वापिस ले लिया गया है और वे प्रत्येक लिखत में उनके निवेश की सीमा को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

30 जनवरी, 1997 को 5000 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी

सहित बुनियादी ढांचा विकास वित्त निगम (आई. डी. एफ. सी.) की स्थापना की गई।

बजट 1998–99 में, भविष्य निधियों में नई वृद्धि संचित राशियों का 10 प्रतिशत उन निजी क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेशित किए जाने की अनुमति दी गई है जिनका कम से कम दो लाख दर निर्धारण एजेंसियों द्वारा निवेश ग्रेड दर–निर्धारण किया गया हो।

भारतीय दूर–संचार विनियामक प्राधिकरण (टी. आर. ए. आई.) तथा प्रमुख पत्तनों के लिए टैरिफ प्राधिकरण (टी. ए. एम. पी.) जैसे स्वतंत्र प्राधिकरणों की स्थापना की गई है। जहाँ तक विद्युत क्षेत्र का संदर्भ है, राज्य सरकारों द्वारा राज्य विनियामक आयोगों के गठन को सुसाध्य बनाने हेतु केन्द्रीय बिजली विनियामक आयोग की स्थापना के लिए सक्षमकारी प्रावधानों से युक्त कानून का अधिनियमन किया गया है।

मांस पर राजसहायता

3745. श्री सत्यपाल जैन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों में बूचड़खानों, मांस उत्पादक या मांस निर्यातक फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए किसी रूप में कोई राजसहायता उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इकाई–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे समय में जबकि अन्य वस्तुओं से सरकार राजसहायता वापस ले रही है मांस संबंधित क्षेत्रों में राजसहायता अभी भी दी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार बहुसंख्यक देश में शाकाहारी समाज की मांग के मद्देनजर ऐसी राजसहायता को वापस लेने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (च) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

भारतीय सामान के निर्यात में कमी

3746. श्री हरिभाई चौधरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपियन बाजार में भारतीय सामान के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विदेशी बाजारों में भारतीय सामान का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) वर्ष 1998–99 के पहले आठ महीनों के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यूरोपीय देशों को भारतीय सामानों का निर्यात निम्नानुसार रहा है :

वर्ष	यूरोपीय देशों को निर्यात (करोड़ रुपये में)	यूरोपीय देशों को निर्यात (मि. अमरीकी डालर में)
1998–99 (अप्रैल–दिसम्बर)	28,705.62	6,845.05
1997–98 (अप्रैल–दिसम्बर)	25,562.84	7,009.80

आंकड़ों का स्रोत : डी. जी. सी. आई. एंड एस., कलकत्ता

हालांकि अप्रैल–दिसम्बर, 1998 की अवधि के दौरान वर्ष 1997 की इसी अवधि में हुए निर्यातों की तुलना में यूरोपीय देशों को भारतीय सामानों के निर्यात में डालर के रूप में 2.35% तक गिरावट आई है, तथापि रुपये के रूप में इसमें 12.29% तक वृद्धि हुई है।

(ख) यूरोपीय देशों में व्याप्त मन्दी के रुख से यूरोपीय बाजार में होने वाले समग्र आयातों पर मंदीकारी प्रभाव डाला है। इसके अतिरिक्त पूर्व एशियाई मुद्राओं के मूल्य में आई गिरावट ने भी भारतीय निर्यातों, खासकर वस्त्र एवं चर्म विनिर्माण के क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था।

यूरोपीय देशों को डालर के रूप में निर्यातों में गिरावट आर. एम. जी. काटन/सहायक सामग्री (9.12% तक गिरावट), काटन यार्न/फैब्रिक्स/मेडअप (13.94% तक गिरावट), भेषज/औषधीय/परिष्कृत रसायन (5.34% तक गिरावट), चर्म प्रधान (7.80% तक गिरावट), मानव अर्जित यार्न/फैब्रिक/मैडअप (14.23% तक गिरावट), परिवहन उपस्कर (19.57% तक गिरावट), चर्म फुटवियर संघटक (2.12% तक गिरावट), डाईज/मध्यवर्ती उत्पाद और कोर तार रसायन (33.06% तक गिरावट), हाथ से बनी दरियां (24.60% तक गिरावट), अकार्बनिक/कार्बनिक/कृषि रसायन (5.20% तक गिरावट), और तैयार चर्म (13.56% तक गिरावट), के क्षेत्रों में भारतीय निर्यातों में आयी गिरावट के कारण भी रही है।

(ग) विदेशी बाजारों को भारतीय सामानों का निर्यात बढ़ाने का सरकार का प्रयास है। इस दिशा में सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं। इसमें शामिल हैं : सरकारी और व्यापारी दोनों स्तरों पर व्यापारिक भागीदारी के साथ द्विपक्षीय संपर्क, निर्यात क्षेत्र का विविधीकरण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों ब्राण्ड संवर्धन गतिविधियों में संवर्धित भागीदारी सहित विभिन्न बाजार संवर्धन उपाय भारतीय उद्योग

को स्वयं पुनर्गठन के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वह बड़े आयातक देशों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के लिए निर्धारित मानकों को पूरा कर सके। गुणवत्ता संबंधी पहलुओं के बारे में सूचना का प्रसार, निर्यात हित के विशिष्ट विनिर्मित उत्पादों पर गुणवत्ता संबंधी नियंत्रण बान्डेड भाण्डागारों की स्थापना करने के लिए उद्योग एवं व्यापार जगत को प्रोत्साहित करना और गुणवत्ता संयुक्त उद्यमों की स्थापना को सुकर बनाना। इसके अतिरिक्त द्विपक्षीय परियोजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं का भी भारतीय सामानों के निर्यात को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उदारीकरण को लागू करने के लिए एग्जिम नीति सहित नीति के रूप में विशेष ध्यान दिया जाता है।

[अनुवाद]

निर्यातोन्मुखी इकाइयां

3747. श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यातोन्मुखी इकाइयां निर्यात के रूप में अन्य निर्यातोन्मुखी इकाइयों को तैयार माल की आपूर्ति के अंतर्गत माल घरेलू शुल्क क्षेत्र (डी. टी. ए.) को अपवर्तित कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उनको हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने दोषी निर्यातोन्मुखी इकाइयों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हथकरघा क्षेत्र का विकास

3748. श्री आदित्यनाथ : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हथकरघा क्षेत्र के विकास पर व्यय की गई राशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार हथकरघा क्षेत्र के विकास हेतु डिजाइन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न विकासात्मक स्कीमों के अंतर्गत व्यय की गई राशि का राज्यवार विवरण संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के डिजाइनों की गुणवत्ता के सुधार हेतु निम्नलिखित 2 स्कीमें तैयार की गई हैं :

I. हथकरघा में स्वतंत्र डिजाइनरों को शामिल करने के लिए स्कीम 1996–97 में लागू की गई है। स्कीम में हथकरघा उत्पादों के विपणनयोग्यता सुधार हेतु डिजाइनों के विकास के लिए स्कीम के अंतर्गत चुने गये स्वतंत्र डिजाइनरों को सहायता प्रदान की जाती है।

II. निर्यातयोग्य उत्पादों के विकास तथा उनकी विपणन-स्कीम 1996–97 से आरंभ की गई, जिसमें कार्यान्वित अभिकरणों द्वारा लागत किस्से के आधार पर विदेशी डिजाइनरों को लगाने के लिए सहायता प्रदान की जाती हैं। स्कीम में निर्यात के लिए विपणन तथा उत्पाद विकास, डिजाइनों के लिए निवेश प्रदान किया जाता है।

विवरण

गत 3 वर्षों में व्यय की गई राशि का राज्यवार विवरण।

क्रम सं.	राज्य	जारी की गई राशि		
		1996–97	1997–98	1998–99
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	–	100.66	28.90
2.	आन्ध्र प्रदेश	296.57	125.85	115.57
3.	आसाम	129.04	142.75	140.56
4.	बिहार	9.72	93.80	30.67

1	2	3	4	5
5.	गुजरात	247.10	104.71	127.18
6.	हरियाणा	103.38	41.73	44.35
7.	हिमाचल प्रदेश	147.61	118.14	104.37
8.	जम्मू व कश्मीर	135.69	371.38	74.25
9.	कर्नाटक	1279.77	996.65	316.45
10.	केरल	452.61	855.26	967.55
11.	मध्य प्रदेश	299.92	626.10	172.61
12.	महाराष्ट्र	20.08	93.24	260.92
13.	मणिपुर	195.83	–	190.28
14.	मिजोरम	0.50	20.00	23.60
15.	नागालैंड	848.63	1242.44	134.49
16.	उड़ीसा	776.83	453.45	411.71
17.	पांडिचेरी	21.68	1.76	28.53
18.	पंजाब	29.35	35.22	147.89
19.	राजस्थान	161.94	202.62	46.02
20.	तमिलनाडु	3504.10	2766.32	2299.10
21.	त्रिपुरा	110.09	63.41	57.66
22.	उत्तर प्रदेश	801.02	760.60	713.50
23.	पश्चिम बंगाल	551.44	688.85	494.63
24.	दिल्ली	103.82	123.24	71.47
25.	मेघालय	1.66	–	8.56
26.	सिक्किम	–	18.80	100.00
	कुल	14146.88	12456.98	9411.82

[अनुवाद]

आयकर अधिनियम में संशोधन

3749. श्री बासवराज पाटील सेडाम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयकर अधिनियम की लेखा परीक्षा यू./एस. 44 ए. बी. और 44 ए. एफ. के अनुपालन के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288 में संशोधन करने के लिए संसद सदस्यों और टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन तथा गैर निगमित क्षेत्र की निर्धारितियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन अभ्यावेदनों पर कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) खातों की लेखा–परीक्षा के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण और योग्यता की आवश्यकता होती है। अतः कानून में कोई परिवर्तन वांछनीय नहीं समझा गया है।

[हिन्दी]

वेतनवृद्धि में कटौती

3750. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लि. में जो कर्मकार अपने गृह नगर में छुट्टी बिताने के बाद देर से वापस ड्यूटी पर आते हैं उन्हें तुरन्त काम शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कर्मकारों को पुनः काम करने की अनुमति उनके वार्षिक वेतनवृद्धि में कटौती करने के बाद ही दी जा रही है;

(ग) क्या ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि. में 3 महीने अथवा उससे अधिक विलम्ब से आने वाले कर्मकारों को नौकरी से निकाला भी जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कितने कर्मकारों की वार्षिक वेतनवृद्धि में कटौती की गई है तथा कितने कर्मकारों की सेवाएं समाप्त की गई हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में कामगारों को सामान्यतः छुट्टी से वापस लौटने पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाती है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) कंपनी के स्थायी आदेश के प्रावधानों के अनुसार छुट्टी से अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति रहने के मामले में कामगारों पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

स्थानीय क्षेत्र विकास हेतु लीज होल्डरों से कोष एकत्रित करना

3751. श्री अजीत जोगी :

श्री रामानन्द सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में खानों से महत्वपूर्ण खनिजों के खनन से हुई पर्यावरणीय क्षति और अन्य नुकसानों के मद्दे–नजर क्षेत्र विकास के लिये मुआवजे के रूप में रायल्टी के भुगतान के अलावा स्थानीय क्षेत्र विकास कोष हेतु लीज होल्डरों से कोष को एकत्र करने हेतु मंजूरी देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रावधान को कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय बैंकों द्वारा खातों को लाभ में दिखाना

3752. श्री पी. शंकरन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय बैंकों द्वारा खातों को लाभ में दिखाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो खातों को लाभ में दिखाने में कौन से बैंक और संस्थायें शामिल हैं;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इस प्रथा के कारण राष्ट्रीय राजकोष को कितना नुकसान हुआ; और

(घ) इस प्रथा को रोकने हेतु कौन से उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क), (ख) और (घ) उधार खातों के वर्गीकरण तथा प्रावधान संबंधी अपेक्षाओं के लिए बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से विस्तृत अनुदेश जारी किए जाते हैं। उधारखातों को अद्यतन बनाने (एवर ग्रीनिंग) पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट मार्गनिर्देश एवं अनुदेश भी जारी किए गए हैं। इन मार्ग निर्देशों के अनुसार, उन खातों, जिन्हें अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करके नियमित किया जाता है, को आस्ति वर्गीकरण के लिए उन्नयित नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार बैंकों से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि अनुपयोज्य आस्तियों का मानक अस्तियों में उन्नयन उचित वापसी अदायगी के आधार पर किया जाना चाहिए और तुलन पत्र की तारीख को या उससे पूर्व खाते में एकांगी ऋण प्रवृष्टि जो खाते को नियमित करता है, को मानक आस्ति के रूप में खाते के उन्नयन का एकमात्र मानदंड नहीं माना जाना चाहिए। इस संबंध में दी गई एकमात्र रियायत उन मामलों में है जहाँ वाणिज्यिक उत्पादन उधारकर्ता के नियंत्रण से परे कारणों के कारण शुरू नहीं हुआ है और जहाँ शर्तों को पुनर्निर्धारित किया गया था।

बैंकों की लेखा परीक्षा के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों को यह प्रमाणित करना पड़ता है कि क्या अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक से जारी मार्ग–निर्देशों के अनुसार उचित ढंग से किया गया है जिनमें वे मामले भी शामिल होंगे जहाँ खातों को अद्यतन बनाने (एवरग्रीनिंग)

का संदेह हो। आवधिक स्थल पर निरीक्षणों के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों द्वारा अग्रिमों के वर्गीकरण की सूक्ष्मता से जांच करता है और खातों को अद्यतन बनाने (एवरग्रीनिंग) के मामलों सहित अग्रिमों के गलत वर्गीकरण, यदि कोई हो, की ओर बैंक प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों के मूल्यांकन के बीच अग्रिमों के वर्गीकरण में विपथन तथा अनुपयोज्य आस्तियों के लिए प्रावधान करने के मामलों में बैंकों से कहा गया है कि वे उत्तरवर्ती वर्ष के लिए तुलन पत्र को अंतिम रूप देते समय सांविधिक लेखा परीक्षकों को भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण अधिकारी का मूल्यांकन उपलब्ध कराएं। सांविधिक लेखा परीक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन आस्तियों का वर्गीकरण और प्रावधान करने संबंधी अपेक्षाओं का मूल्यांकन करते समय भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणियों और साथ ही खातों की संचालन गतिविधियों को ध्यान में रखें। उत्तरवर्ती निरीक्षणों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा इन पहलुओं का सत्यापन भी किया जाता है।

(ग) बैंकों द्वारा आस्तियों के वर्गीकरण का कोई प्रभाव राष्ट्रीय खजाने पर नहीं पड़ता है।

धूलयुक्त धुले हुए कोयले की आपूर्ति

3753. श्रीमती राणी चित्रलेखा भोंसले : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ताप विद्युत संयंत्रों को धूलयुक्त धुले हुए कोयले की आपूर्ति करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विद्युत संयंत्र हेतु धुले हुए कोयले की आर्थिक–तकनीकी व्यवहार्यता का पता लगाने हेतु एक समिति गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विद्युत संयंत्रों की बढ़ती हुई कोयला मांग को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है जिसमें यह निर्धारित है कि कुछ तापीय विद्युत गृह वार्षिक औसत आधार पर 34% और उससे कम राख की मात्रा वाले परिष्कृत अथवा मिश्रित अथवा धुले कोयले का प्रयोग करें। कोयला कंपनियों ने दिल्ली में धूल जनित प्रदूषण को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित विद्युत गृहों को 34% से कम राख की मात्रा वाले गारंटी युक्त कोयले की आपूर्ति प्रारंभ कर दी है।

तथापि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा तथा निर्धारित तापीय विद्युत गृहों को धुले कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए को. इं. लि. के पास विद्यमान वाशरियों से अधिक वाशरियों की स्थापना के लिए निवेश योग्य धनराशि नहीं है। को. इं. लि. ने विश्वव्यापी बोली के माध्यम से "स्व निर्मित स्वयं चालित" के अंतर्गत 20 मि. टन की वार्षिक क्षमता वाली 4 वाशरियों की स्थापना करने के प्रयास किए थे। लेकिन धुलाई शुल्क के भुगतान करने में उपभोक्ताओं की उदासीनता के कारण इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। को. इं. लि. ने पहले ही विद्युत उपयोगिताओं को सलाह दी थी कि वे स्वयं वाशरी का निर्माण कर सकते हैं, अथवा तीसरे पक्ष से वाशरी का निर्माण करवा सकते हैं, जिसके लिए कोल इंडिया भूमि, जल, विद्युत, कोयला आदि के रूप में आवश्यक सहायता का प्रबंध करेगी।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी. पी. सी. बी.) ने यह सूचित किया है कि उन्होंने जून, 2001 से प्रभावी चयनित विद्युत उपयोगिताओं द्वारा परिष्कृत कोयला के उपयोग पर विश्व बैंक की सहायता से एक अध्ययन करवाने तथा उनके पर्यवेक्षण हेतु तथा चयनित विद्यमान संयंत्र में साफ कोयला प्रौद्योगिकी लाने के लिए अध्यक्ष, सी. पी. सी. बी. की अध्यक्षता में एक विषय–निर्वाचन समिति का गठन किया है।

(ङ) पर्यावरण हितैषी के रूप में विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोल इंडिया लि. द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) पिपरवार, से. को. लि. में अकोककर कोयले हेतु एक वाशरी का निर्माण (6.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता)।

(ii) गिड्डी, से. को. लि. में कोककर कोयला वाशरी को अकोककर कोयला वाशरी में बदल दिया गया है (2 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता)।

(iii) बीना, ना. को. लि. में अकोककर कोयला हेतु वाशरी का निर्माण (4.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता)।

धुले कोयले के उत्पादन एवं आपूर्ति के विकल्प के रूप में कोल इंडिया लि. ने मिश्रित कोयले के उपयोग के संबंध में एक विस्तृत अध्ययन किया था, जिससे अधिक लागत प्रभावी हल प्राप्त किया जा सकता है। इस दिशा में सी. एम. पी. डी. आई. एल. द्वारा उत्तरी जोन में चयनित तापीय विद्युत गृह (रोपड़ टी. पी. एस.) के मामले में धोने की तुलना में मिश्रण की लागत की तुलना करते हुए एक तुलनात्मक प्रौद्योगिकी–आर्थिकी अध्ययन प्रारंभ किया गया है।

बंगलौर के निकट स्थार्ड प्रदर्शनी केन्द्र

3754. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार द्वारा व्हाइटफील्ड, बंगलौर में दिल्ली के प्रगति मैदान की तरह एक स्थाई प्रदर्शनी केन्द्र स्थापित करने के लिए किए गए प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव हेतु लागत कितनी है;

(ग) क्या उक्त केन्द्र की स्थापना किसी संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजना हेतु कर्नाटक सरकार का क्या योगदान है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार किसी भी राज्य में स्थायी प्रदर्शनी केन्द्र स्थापित नहीं कर रही है। तथापि, सरकार कर्नाटक सहित राज्य सरकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही है कि वे क्षेत्रीय औद्योगिक इकाइयों को उनके उत्पादों का संवर्द्धन करने में सहायता करने हेतु ऐसी परियोजनाएं शुरू करें। कर्नाटक सरकार तथा इटपो के बीच बंगलोर में एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से प्रदर्शनी परिसर की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समय परियोजना की लागत का अनुमान 20 करोड़ रु. लगाया गया है जिसमें से कर्नाटक का हिस्सा अवस्थापना सहित 50 एकड़ विकसित भूमि के रूप में 10 करोड़ रु. होगा। इटपो का इक्विटी अंशदान 10 करोड़ रु. होगा।

रेशम का आयात

3755. श्री जयराम आई. एम. शेट्टी :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से रेशम के आयात की अनुमति देने संबंधी अधिसूचना को वापस लेने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) रेशम के आयात की अनुमति देने से रेशम–कीट पालन उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में स्वदेशी रेशम कीट पालन उद्योग को प्रोत्साहित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) जी हां। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने हाल ही में वस्त्र मंत्री को लिखा था कि वे शुल्क छूट योजना के अंतर्गत अनुमति देने को छोड़कर रेशम के आयात की अनुमति न दें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री को यह सूचित कर दिया गया है कि देश में उत्कृष्ट स्तर की रेशम की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध न होने के कारण सरकार ने केवल ग्रेड–2ए और उससे अधिक ग्रेड की शहतूती अपरिष्कृत रेशम के आयात की अनुमति एस. आई. एल. के अंतर्गत इस शर्त पर दी है कि अभ्यर्पित एस. आई. एल. का सी. आई. एफ. मूल्य आयातित मदों के मूल्य से तिगुना हो। बुनकर संघ ने सरकार को यह लिखकर बताया है कि वे सरकार के उपर्युक्त निर्णय का स्वागत करते हैं। अभी तक घरेलू रेशम उत्पादन क्षेत्र पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।

(घ) और (ङ) राज्य रेशम उत्पादन विभागों के प्रयासों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड रेशम के विकास को बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएँ/परियोजनाएँ/कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। इनमें केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एककों के नेटवर्क द्वारा क्षेत्र को अनुसंधान व विकास को बढ़ाने, प्रशिक्षण देने, इन्फ्रास्ट्रकचर तथा विस्तार सहायता प्रदान करने की योजनाएं तथा उत्कृष्ट रेशम का उत्पादन करने के लिए आधुनिक रेशम उत्पादन की पद्धतियों को अपनाने के प्रति प्रोत्साहन देने के लिए कुछ विकासात्मक/ प्रोत्साहनजनक/वित्तीय सहायता देने संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है।

मिश्रित धागा कताई उद्योग का बंद होना

3756. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्रित धागा कताई उद्योग की अनेक इकाइयों को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन्हें पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) दिनांक 31.3.1999 तक 4 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत स्थायी रूप से बंद हुई थीं। 48 मिलें परिसमापन के अंतर्गत बंद हुई थीं, और 246 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों की मुख्यतः वित्तीय समस्याओं, हड़ताल/श्रमिक समस्याओं, तालाबंदी आदि के कारण अस्थाई रूप से बंद होने की रिपोर्ट मिली थी। ब्लैंडिड यार्न उत्पादक एककों के बंद होने के आंकड़े पृथक रूप से नहीं रखे जाते हैं। राज्य–वार ब्यौरों को दर्शाता एक विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार ने रुग्णता की समस्याओं से निपटने के लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनरुद्धार बोर्ड की स्थापना की है।

विवरण

दिनांक 31.1.1999 को औद्योगिक विवाद अधिनियम/परिसमापन के अंतर्गत बंद हुई सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों की राज्यवार संख्या

राज्य		औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम	परिसमापन के अंतर्गत	अन्य कारणों से बंद	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	2	0	27	29
2.	असम	0	0	4	4
3.	बिहार	0	0	3	3
4.	गुजरात	0	35	36	71
5.	हरियाणा	0	0	9	9
6.	कर्नाटक	0	2	12	14
7.	केरल	0	0	3	3
8.	मध्य प्रदेश	1	0	9	10
9.	महाराष्ट्र	0	6	22	28
10.	उड़ीसा	0	0	2	2
11.	पंजाब	0	1	3	4
12.	राजस्थान	1	1	7	9
13.	तमिलनाडु	0	3	69	72
14.	उत्तर प्रदेश	0	0	21	21
15.	पश्चिम बंगाल	0	0	15	15
16.	दिल्ली	0	0	3	3
17.	मणिपुर	0	0	1	1
	कुल	4	48	246	298

बैंक ऑफ राजस्थान द्वारा धन का दुरुपयोग

3757. डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ राजस्थान को धन का दुरुपयोग करने के लिए फटकार लगाई है तथा उस बैंक के कागजातों को जांच की है;

(ख) यदि हां, तो धन के दुरुपयोग से संबंधित विशिष्ट मामले कौन–कौन से हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कागजात की जांच से क्या कमियां सामने आयी हैं; और

(ग) अन्य निजी क्षेत्र बैंकों के साथ इस स्थिति को किस प्रकार से तुलना की जाती है और कितने बैंकों में धनराशि के दुरुपयोग के ऐसे मामलें प्रकाश में आए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 31.3.97 तथा 31.3.98 की स्थिति के अनुसार बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड की वित्तीय स्थिति के संदर्भ

में उसके वित्तीय निरीक्षणों के जांच परिणामों पर बैंक के प्रबंध निदेशक और बोर्ड के कुछ सदस्यों से विचार–विमर्श किया गया था। बैंक से जोर देते हुए कहा गया था कि वह अपने कार्य संचालन में पाई गई गंभीर अनियमितताओं को दूर करें। बैंक को यह भी सलाह दी गई थी कि वह अनुपयोज्य अग्रिमों (एन. पी. ए.) की वसूली के लिए निगरानी योग्य समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें। बैंक के इसके कार्य–संचालन के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए निर्देशों के अंतर्गत रखा गया है और कार्यनिष्पादन पर नियमित वार्षिक निरीक्षण के अतिरिक्त तिमाही निगरानी प्रणाली एवं स्थलेतर विवरणियों के जरिए नजर रखी जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उसका प्रत्युत्तर प्राप्त करने के बाद, बिल भुनाने की योजना, बैंकों को खरीद शेयरों एवं बैंकिंग ऋण अग्रिमों पर अग्रिम राशियों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 20 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया था।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गैर–सरकार क्षेत्र के दो अन्य बैंकों के मामले में ऐसे व्यक्तियों को जो ग्राहक नहीं हैं, के लिए बिलों के भुनाने जैसी इसी तरह की अनियमितताओं के लिए अर्थदंड लगाए जाने के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त गैर–सरकारी क्षेत्र के 10 अन्य बैंकों के विरुद्ध सांविधिक अनुपात बनाए रखने में चूक, तथा स्टॉक निवेश से संबंधित मार्गनिर्देशों के उल्लंघन तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अन्य निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य निर्देश जारी किए गये हैं।

चाय का उत्पादन और आयात

3758. श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी और दक्षिणी भारत में पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान चाय का कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) देश में प्रति व्यक्ति चाय की खपत कितनी है;

(ग) निर्यात के लिए उपलब्ध चाय की अतिरिक्त मात्रा क्या है;

(घ) भारतीय चाय का आयात करने वाले प्रमुख देशों का ब्यौरा क्या है और उपरोक्त अवधि के दौरान निर्यात द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है;

(ङ) क्या श्रीलंका से चाय के आयात का कोई विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर और दक्षिण भारत में उत्पादित चाय की मात्रा निम्नानुसार है :

(मात्रा मिलियन किलोग्राम में)

वर्ष	उत्तर भारत	दक्षिण भारत
1995–96	577.55	183.99
1996–97	588.60	186.70
1997–98	625.52	212.50

(ख) वर्ष 1998 के दौरान चाय की अनुमानित प्रति व्यक्ति खपत 665 ग्राम थी।

(ग) वर्ष 1998 के दौरान निर्यात के लिए उपलब्ध चाय की बेशी मात्रा 225.41 मिलियन किलोग्राम थी।

(घ) भारतीय चाय का निर्यात विश्व के 80 से अधिक देशों को किया जाता है।

भारतीय चाय के मुख्य आयातक हैं : रूस और सी. आई. एस. देश, यू. के., जर्मनी, पोलैण्ड, यू. ए. ई. ईरान, मिश्र, अरब गणराज्य, जापान, सऊदी अरब इत्यादि। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातों के जरिए अर्जित की गयी विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :

वर्ष	मात्रा (मिलियन कि.ग्रा.)	मूल्य (यू. एस. मिलियन डालर)
1995–96	167.47	372.08
1996–97	169.04	366.62
1997–98	211.76	525.74

(ङ) और (च) सरकार ने अंतर–क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए 2307 मदों में से एक मद के रूप में सार्क देशों से चाय का मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति प्रदान की है।

सूती धागे के उत्पादन में गिरावट

3759. श्री के. येरननायडू : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1998–99 में सूती धागे के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कपड़ा मिलों के प्रतियोगिता में बने रहने हेतु इनके आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) दिसम्बर, 1998 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सूती यार्न के उत्पादन में गिरावट आई है। सूती यार्न के उत्पादन के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

वर्ष	मात्रा (मिलियन कि.ग्रा.)
1998–99 (अप्रैल–दिस.)	1494
1997–98 (अप्रैल–दिस.)	1693

(ख) सूती यार्न के उत्पादन में गिरावट के मुख्य कारण हैं– विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, दक्षिण पूर्व एशियाई संकट, रोग और बेमौसमी बरसात के कारण वर्ष 1997–98 के दौरान कपास की फसल के उत्पादन में गिरावट, अपरिष्कृत कपास की कीमतों में वृद्धि आदि।

(ग) सरकार ने वस्त्र और पटसन उद्योगों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी. यू. एफ. एस.) शुरू करने का अनुमोदन किया है। इस योजना के अंतर्गत वस्त्र और पटसन क्षेत्रों के अभिज्ञात क्षेत्रों के पात्र एकक मनोनीत नोडिए एजेंसियों से ब्याज की लागू दर पर ऋण के लिए आवेदन कर पायेंगे, जो अर्थक्षमता आदि के संबंध में स्वतः संतुष्ट होने के बाद ऋण के पुनर्भुगतान आदि के लिए शर्त निर्धारित करते हुए आवेदक एकक को ऋण प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत 5 प्रतिशत बिन्दु तक की ब्याज की राशि के अंतर की प्रतिपूर्ति वस्त्र मंत्रालय द्वारा ऋणदात्री नोडिए एजेंसियों को की जाएगी, जो कि पात्र ऋणी एककों को मिलेगी।

सरकार कपास के उत्पादन उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने का भी प्रस्ताव कर रही है।

[हिन्दी]

सेवा निवृत्त व्यक्तियों को राज सहायता

3760. डॉ. प्रभा ठाकुर :

कर्नल सोना राम चौधरी :

श्री रामनारायण मीणा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान के राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कुछ मिलों के कामगारों जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है और अपना व्यापार शुरू कर दिया है, को उत्पादन प्रोत्साहन/राजसहायता जारी करने के लिए समय पर समिति न गठित करने के लिए सरकार की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय वस्त्र निगम के ऐसे सेवानिवृत कामगारों को ब्याज सहित शीघ्र ही उत्पादन प्रोत्साहन/राजसहायता जारी करने के लिए निर्देश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी और इससे लाभान्वित कामगारों की मिलवार संख्या सहित दी गई राजसहायता कितनी है;

(ङ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम के ऐसे कामगारों को शीघ्र उत्पादन प्रोत्साहन/राजसहायता दिया जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) एन. टी. सी. (डी. पी. आर.) के अंतर्गत मिलों के ऐसे कुछ भूतपूर्व कामगारों ने जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ उठाया था और जिन्हें पुनर्वासन योजना के अंतर्गत करघे प्रदान किए गए थे, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके उत्पादन प्रोत्साहन/सब्सिडी देने का अनुरोध किया था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस रिट याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि केन्द्रीय सरकार को इसका पक्षकार नहीं बनाया गया था। तथापि, न्यायालय ने मिल प्राधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे समग्र पुनर्वासन योजना पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार को निर्णय की एक प्रतिलिपि प्रेषित कर दें।

(ग) से (च) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ उठाने वाले कामगारों के लिए पुनर्वासन योजना एन. टी. सी. की मिलों के लिए वर्ष 1992 की सर्वांगीण सुधार नीति के एक भाग के रूप में बनाई गई थी। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एन. टी. सी. के 9 सहायक निगमों में से 8 के मामले बी. आई. एफ. आर. को भेजे गए थे और वित्तीय संस्थान नीति के क्रियान्वयन के लिए निधियां जारी करने के प्रति अनिच्छुक थे, इसलिए वर्ष 1992 की सर्वांगीण सुधार नीति को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। तदनन्तर, सरकार ने मई, 1995 में एन. टी. सी. के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना का अनुमोदन किया था, जिसको भी बी. आई. एफ. आर. द्वारा अनुमोदित न किए जाने और योजना के वित्तपोषण के लिए अपेक्षित बेशी भूमि और परिसंपत्तियों की बिक्री से निधियां उपलब्ध न होने के कारण क्रियान्वित नहीं किया जा सका। चूंकि एन. टी. सी. की मिलों के पुनरुद्धार/पुनर्स्थापना के समग्र मुद्दे की पुनः जांच की जा रही थी, इसलिए मॉनीटरिंग समिति द्वारा कामगारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के मूल्यांकन के बाद राष्ट्रीय नवीकरण निधि से निधियों का आबंटन करके उत्पादन प्रोत्साहन जारी करने के मामले को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इस समय पुनर्वासन योजना निष्क्रिय है तथा लंबित दावों की अलग से जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

तम्बाकू की पौध की नई किस्में

3761. डॉ. संजय सिंह :

श्री सतनाम सिंह कैंथ :

श्री सोडे रमैया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड ने भारत में तम्बाकू उत्पाद बनाने हेतु प्रविष्टि के लिए अमरीका टोबैको मल्टी नेशनल फिलिप मोरिस/एफ. टी. आर. के आवेदनों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तम्बाकू बोर्ड ने फिलिप मोरिस को तम्बाकू पौध की नई किस्में लगाने की अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन नई किस्मों की पौध की हमारे विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे पहलुओं पर फिलिप मोरिस के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कम्पनी ने तम्बाकू बोर्ड की आवश्यक सदस्यता भी मांगी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) भारत में तम्बाकू उत्पाद बनाने हेतु प्रवेश के लिए तम्बाकू बोर्ड को अमरीकी टोबोको मल्टी नेशनल फिलिप मोरिस/एफ. टी. आर. से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कटे हुए तम्बाकू के विनिर्माण में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, भारत में तम्बाकू के अनुसंधान और विकास के लिए मैसर्स फिलिप मोरिस, यू. एस. ए. की एक धारक कम्पनी मैसर्स एफ. टी. आर. होल्डिंग, एम. ए. स्विटजरलैंड से एक आवेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता

ऋण वसूली न्यायाधिकरण

3762. श्री बलराम जाखड़ :

श्री अभयसिंह एस. भोंसले :

श्री मोतीलाल वोरा :

श्री संदीपान थोरात :

श्री वी. वी. राघवन :

श्री पी. एस. गढ़वी :

श्री अजय चक्रवर्ती :

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक स्थापित किए गए ऋण वसूली न्यायाधिकरणों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक न्यायाधिकरण के समक्ष कुल कितने मामले लंबित हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस प्रकार के और न्यायाधिकरणों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन न्यायाधिकरणों द्वारा मामलों को शीघ्र और कुशलतापूर्वक निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) अब तक स्थापित किए गए ऋण वसूली अधिकरणों के ब्यौरे, उनके द्वारा कवर किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक अधिकरण में लंबित मामलों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) सरकार ने निम्नानुसार पांच और ऋण वसूली अधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है :

क्रम सं.	अधिकरण का स्थान	क्षेत्राधिकार
1.	चंडीगढ़	हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र।
2.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
3.	इरनाकुलम	केरल और लक्ष्यद्वीप
4.	कटक	उड़ीसा
5.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश

सरकार ने अधिकरणों को उनके सुचारु कार्यकलाप तथा मामले के शीघ्र तथा दक्षतापूर्ण निपटान के लिए वर्ष 1997–98 के दौरान प्रत्येक ऋण वसूली अधिकरण के लिए 10 अतिरिक्त पदों की मंजूरी दी है।

विवरण

अब तक स्थापित किए गए ऋण वसूली अधिकरण, उनके द्वारा कवर किए जाने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा दिनांक 31.3.1999 की स्थिति, प्रत्येक अधिकरण में लंबित मामले की संख्या के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं.	अधिकरण का स्थान तथा उसकी स्थापना की तारीख	क्षेत्राधिकार	31.3.1999 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या
1	2	3	4
1.	कलकत्ता (27.4.1994)	पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3132

1	2	3	4
2.	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	2515
	(5.7.1994)	दिल्ली	
3.	जयपुर	हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान	1534
	(30.8.1994)	तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़	
4.	बंगलूर	कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश	3384
	(30.11.1994)		
5.	अहमदाबाद	गुजरात और संघ राज्य क्षेत्र	2022
	(21.12.1994)	दादरा तथा नागर हवेली, दमन तथा दीव	
6.	चेन्नई	तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और	4809
	(4.11.1996)	लक्षद्वीप	
7.	गुवाहाटी	आसाम, सिक्किम तथा अन्य पूर्वोत्तर	328
	(7.1.1997)	राज्य।	
8.	पटना	बिहार व उड़ीसा	1003
	(22.1.1997)		
9.	जबलपुर	उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश	2666
	(7.4.1998)		
10.	मुम्बई	महाराष्ट्र तथा गोवा	लागू नहीं
	(अभी स्थापित किया जाना है)		

राजस्व संग्रहण

3763. श्री खारवेल स्वाइन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998–99 के अंत तक राजस्व के रूप में प्राप्त की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्व संग्रहण में कुल कितनी निवल कमी आई;

(ग) राजस्व में कमी आने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अगले वर्ष राजस्व संग्रहण के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) वर्ष 1998–99 के दौरान मुख्य केन्द्रीय करों के माध्यम से वसूल किए गए राजस्व के और संशोधित अनुमान के विरुद्ध वसूली की कमी के अनन्तिम आंकड़े निम्न प्रकार से हैं :

(रुपए करोड़ों में)

कर	संशोधित अनुमान	वसूली	कमी (अनन्तिम)*
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	52925	52187	738
सीमा शुल्क	42648	40917	1731
निगमित कर	27050	23608	3442
आयकर	21430	19420	2010
कुल	144053	136132	7921

*वर्ष विशेष के लिए राजस्व वसूली की सूचनाएं वित्तीय वर्ष की समाप्ति के परवर्ती मास में भी प्राप्त होती रहती है अतः वर्ष 1998-99 के लिए वास्तविक वसूली के आंकड़े यहां पर दिए गए अनन्तिम आंकड़ों से अधिक होंगे।

(ग) विभिन्न आयातित वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट और घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में धीमी वृद्धि करों की वसूली में कमी के मुख्य कारण हैं।

(घ) राजस्व वसूली की सतत् निगरानी की जाती है और वर्ष 1999–2000 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त बनाने, क्षेत्रीय कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण इत्यादि जैसे संभव उपाय किए जा रहे हैं।

निर्यात में वृद्धि

3764. श्री बीर सिंह महतो : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चालू वित्त वर्ष के प्रथम आठ माह के व्यापार आंकड़ों की ओर गया है जिसमें भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्र यानि परम्परागत क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर्शायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन क्षेत्रों को पुर्नगठित करने तथा पुनरुद्धार के लक्षण दर्शाने वाले क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) अप्रैल–दिसम्बर, 1998 की अवधि के लिए निर्यात के लिए डी. जी. सी. आई. एंड एस. से अलग–अलग अनंतिम आंकड़ों से दिखाई देता है कि जिन प्रमुख क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि दिखाई दी है वे हैं–बागान, चमड़ा तथा विनिर्माण, रत्न तथा आभूषण और हस्तशिल्प, जबकि जिन क्षेत्रों में गिरावट दिखाई दी है वे हैं–कृषि संबद्ध उत्पाद समुद्री उत्पाद, रसायनिक और संबद्ध उत्पाद इंजीनियरी वस्तुएं तथा वस्त्र निर्यातों में गिरावट मुख्य रूप से विश्व व्यापी मंदी दक्षिण–पूर्व एशियाई संकट तथा निर्यातों के युनिट मूल्य में गिरावट के कारण हुई है।

(ख) और (ग) निर्यातों का संवर्धन करने के लिए किए गए अनेक उपायों में ये शामिल है : निर्यात ऋण पर ब्याज की दरों को कम करना, विकेन्द्रीकरण तथा क्रियाविधियों के सरलीकरण के माध्यम से कारोबार लागत में कमी करना तथा एक्जिम नीति में बताए गए विभिन्न अन्य उपाय। संशोधित एक्जिम नीति में रत्न तथा आभूषण, रसायन, वस्त्र, समुद्री उत्पादों तथा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की घोषणा की गई है। जो नए उपाय किए गए हैं उसमें ये शामिल हैं–वार्षिक अग्रिम लाइसेंसों के लिए व्यवस्था करना, शुल्क छूट योजना को लोचशीलता प्रदान करना, अनेक उपक्षेत्रों को अपेक्षाकृत कम थ्रैसहोल्ड सीमा पर ई. पी. सी. जी. योजना शून्य शुल्क के लाभ प्रदान करना तथा सेवाओं के निर्यात के बारे में एक नया अध्याय जोड़ना। निर्यात संवर्द्धन एक सतत प्रक्रिया है और व्यापार तथा उद्योग संघों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा भूमि को समतल बनाया जाना

3765. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि." द्वारा मध्य प्रदेश में बिलासपुर में कोयला खनन करने के बाद भूमि को समतल बनाने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण हजारों एकड़ भूमि नष्ट हो रही है, खेत और जंगल नष्ट हो रहे हैं और कोयला खानों से निकलने वाले पानी से नदियों में भी प्रदूषण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कार्रवाई करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, नहीं। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. पूरी तरह से वचनबद्ध है और वह ओपन कास्ट पद्धति से कोयले के खनन के बाद सतह को समतल करने की कार्रवाई कर रही है। खान के पानी के अभिक्रिया के बाद ही उसे जल मार्ग में छोड़ा जाता है तथा पानी की गुणवत्ता निर्दिष्ट मानकों को पुष्ट करती है। बहाये जा रहे पानी की गुणवत्ता का नियमित विश्लेषण के द्वारा प्रबोधन किया जाता है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

अफीम उत्पादन हेतु लाइसेंस जारी करना

3766. श्री मित्रसेन यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफीम उगाने वाले किसानों को न्यूनतम फसल उत्पादन संबंधी पात्रता शर्त में छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश के किन–किन जिलों में और कितने किसानों को लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(घ) इस प्रकार के लाइसेंस प्राप्त करने हेतु क्या पात्रता है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) 8 अक्टूबर, 97 को अधिसूचित भारत सरकार की अफीम नीति के अनुसार, फसल वर्ष 1998–99 में अफीम लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र बनने हेतु फसल वर्ष 1997–98 के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में 52 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 42 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की न्यूनतम अर्हकारी उपज प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी। तथापि, फसल वर्ष 1997–98 में अफीम की फसल को बड़े पैमाने में हुई क्षति को ध्यान में रखते हुए, फसल वर्ष 1998–99 में लाइसेंस के लिए न्यूनतम अर्हकारी उपज की पुनः समीक्षा की गई और उसे 16 सितम्बर, 1998 को अधिसूचित अफीम नीति के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान और साथ ही उत्तर प्रदेश के लिए 30 कि. ग्रा. प्रति हैक्टेयर

निर्धारित किया गया है। इसके अलावा उन पुराने पोस्त के किसानों के मामलों पर फसल वर्ष 1998–99 में लाइसेंस देने पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने फसल वर्ष 1990–91 से 1996–97 के दौरान 30 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर अथवा उससे अधिक की औसत उपज प्रस्तुत की थी।

(ग) उत्तर प्रदेश के वाराबंकी, फैजाबाद, गाजीपुर, मऊ, लखनऊ, राय बरेली, बरेली, शाहजहांपुर और बदायूं जिलों में 23622 किसानों को लाइसेंस जारी किए गए हैं।

(घ) निम्नलिखित मुख्य श्रेणियों के किसान, अन्यों के साथ–साथ फसल वर्ष 1998–99 के लिए उत्तर प्रदेश में अफीम उत्पादन के लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र थे।

(क) जिन किसानों ने फसल वर्ष 1997–98 के दौरान औसतन कम से कम 30 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की उपज प्रस्तुत की थी।

(ख) जिन किसानों ने सरकारी देख–रेख में फसल वर्ष 1997–98 के दौरान पूरी पोस्त खेती की जुताई की।

(ग) पुराने पोस्त के किसान, जिन्होंने कुछेक शर्तों के अध्यधीन फसल वर्ष 1990–91 से 1996–97 के दौरान 30 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर अथवा उससे अधिक की औसत उपज प्रस्तुत की थी।

अधिसूचना की प्रति जिसमें इस प्रकार के लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्रता संबंधी शर्तों के ब्यौरे दिए गए हैं, विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग –II—खण्ड 3—उप–खण्ड (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

[सं. 368] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 1998/भाद्र 25, 1920

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1998

1/1998—स्वापक नियंत्रण

सा. क. नि. 582 (अ)—स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी द्रव्य नियमावली, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, पहली अक्टूबर, 1998 से आरम्भ होने वाले और 30 सितम्बर, 1999 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार की ओर से अफीम पोस्त की खेती के लिए नीचे विनिर्दिष्ट लाइसेंसों की मंजूरी हेतु सामान्य शर्तें अधिसूचित करती है :

प्रस्तावना

भारत सरकार–

अफीम के अनिवार्य औषधीय उपयोग पर विचार करते हुए, अफीम पोस्त के मामले में विश्व की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस कच्ची सामग्री के एक मात्र वैद्य सप्लायर के रूप में अपनी भूमिका को समझते हुए, औषध अवैध व्यापार, औषधि दुरुपयोग और स्वापक औषधि जनित उग्रवाद की रोकथाम करने की आवश्यकता के प्रति सजगता दर्शाते हुए, एतद्द्वारा फसल वर्ष 1998–99 के लिए अफीम की खेती के लिए लाइसेंस मंजूर करने हेतु निम्नलिखित सामान्य शर्तें निर्धारित करती हैं :

1. खेती करने के स्थान :– किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जाए।

2. लाइसेंस के लिए पात्रता :– जिन किसानों ने फसल वर्ष 1997–98 के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में औसतन कम से कम 30 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर उपज प्रस्तुत की हो, वे ही लाइसेंस के पात्र होंगे।

परन्तु यह कि 30 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर को अर्हकारी उपज की सीमा निम्नलिखित श्रेणियों के किसानों पर लागू नहीं होगी :

(i) उसने सरकारी देख–रेख में फसल वर्ष 1997–98 के दौरान पूरी पोस्त खेती की जुताई की हो, अथवा

(ii) उसकी लाइसेंस मंजूर न करने के खिलाफ अपील को फसल वर्ष 1997–98 में निपटान की अंतिम तारीख के बाद अनुमति दे दी गई हो, अथवा

(iii) उसने वर्ष 1996–97 में पोस्त की खेती की हो और 1997–98 में लाइसेंस के लिए पात्र हो, किन्तु उसने किसी कारणवश स्वेच्छा से लाइसेंस प्राप्त न किया हो अथवा उसने फसल वर्ष 1997–98 में लाइसेंस प्राप्त करने के बाद पोस्त की खेती न की हो।

परन्तु यह भी कि यह खण्ड उन किसानों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने फसल वर्ष 1997–98 में अफीम पोस्त की खेती न की हो और अपने लाइसेंस विभाग को लौटा दिए हों।

3. लाइसेंस की शर्तें :– किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो–

(क) उसने गत फसल वर्ष के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसशुदा और नापे गए क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो;

(ख) उसने कभी भी, अवैध खेती न की हो अथवा स्वापक औषधि तथा मनः प्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत कोई अपराध न किया हो; और

(ग) फसल वर्ष 1997–98 के दौरान उसने किन्हीं विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन न किया हो अथवा अपनी अफीम में कोई मिलावट न की हो।

4. नए लाइसेंस :– (क) उन पुराने पोस्त के किसानों के मामलों पर, जिन्होंने फसल वर्ष 1990–91 से 1996–97 के दौरान 30 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर अथवा उससे अधिक की औसत उपज प्रस्तुत की हो, फसल वर्ष 1998–99 के लिए लाइसेंस मंजूर करने पर विचार किया जाएगा।

परन्तु यह कि उक्त पैरा 2 के अंतर्गत जिन किसानों को लाइसेंस नहीं दिया गया था, उन्हें इस खंड के अंतर्गत लाइसेंस के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

(ख) नार्कोटिक्स आयुक्त द्वारा निर्धारित शर्तों के अध्यधीन, उन गांवों से भी नए लाइसेंसों के लिए सीमित आवेदन–पत्रों पर विचार किया जा सकता है, जिन्होंने फसल वर्ष 1996–97 कि दौरान अफीम की अधिक उपज प्रस्तुत की हो।

5. अधिकतम क्षेत्र :– प्रत्येक पात्र आवेदक को आबंटित किया जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र 20 आरी होगा, तथापि किसानों को 30,40 एवं 50 आरी के और बड़े भूखंडों के लिए आवेदन करने का विकल्प दिया जाएगा, बशर्ते कि, उन्होंने पहले आबंटित क्षेत्र का पूर्ण रूप से उपयोग किया हो। चुने गए पूरे क्षेत्र में फसल बोई जानी चाहिए, और ऐसा न होने की स्थित में, अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

किसान एक से अधिक प्लाट में अफीम पोस्त बो सकता है परन्तु प्रत्येक प्लाट 10 आरी से कम नहीं होना चाहिए।

6. माफी योग्य सीमा :– अतिरिक्त खेती के संबंध में माफी योग्य सीमा लाइसेंसशुदा और नापे गए क्षेत्र के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

7. फसल वर्ष 1998-99 में न्यूनतम अर्हक उपज :– अनुवर्ती वर्ष में अफीम लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र बनने हेतु फसल वर्ष 1998–99 के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रति हैक्टेयर 52 कि.ग्रा. और उत्तर प्रदेश प्रति हैक्टेयर 42 कि. ग्रा. की न्यूनतम अर्हकारी उपज अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए।

8. विविध–(i) इन अनुदेशों से नारकोटिक्स आयुक्त और/अथवा नारकोटिक्स उपायुक्त के किसी लाइसेंस को जारी करने अथवा इसे रोकने के अधिकार को कोई क्षति नहीं पहुंचती जब भी वह स्वापक औषधि तथा मनः प्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों उपबंधों के अनुसार ऐसा करना ठीक समझता हो।

(ii) ऊपर वर्णित अफीम की मात्रा का कारखाना विश्लेषणों के आधार पर 70 डिग्री शुद्धता के आधार पर हिसाब लगाया जाएगा।

[सं. 1/98 फा.सं. 616/1/98–स्वापक नियंत्रण]

रमेश कुमार, अवर सचिव

[अनुवाद]

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के नाम का प्रयोग

3767. श्री के. एस. राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आम जनता से धन उगाने के लिए अपने विज्ञापनों में भारतीय रिजर्व बैंक के नाम का प्रयोग कर रही है :

(ख) यदि हां, तो ऐसी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कौन–कौन सी हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इन गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को इसके लिए अनुमति प्रदान की है; और

(घ) यदि नहीं, तो पिछले एक वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क), (ख) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कुछ गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से जनता से धन उगाने के लिए अपने विज्ञापनों और पैम्पलेट्स में भारतीय रिजर्व बैंक के नाम का प्रयोग किया है। ऐसी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नाम तथा उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत जारी किए गए दिशानिदेशों के अनुसारण में, भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया है कि यदि उनमें से कोई अपने किसी विज्ञापन आदि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह दर्शाने की इच्छुक है कि उस कंपनी के पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया पंजीकरण का प्रमाण पत्र है तो ऐसे विज्ञापन में इस आशय का कथन अवश्य होना चाहिए कि उस कंपनी के पास भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ 'क' के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए पंजीकरण का वैध प्रमाणपत्र है तथा यह कि भारतीय रिर्जव बैंक, कंपनी को वित्तीय सुदृढ़ता की वर्तमान स्थिति या एक किसी कथन को सत्यता या प्रस्तुत किए गए विवरण या कंपनी द्वारा व्यक्त किए गए विचार और जमाराशियों की वापसी अदायगी या कंपनो के उत्तरदायित्व को निभाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। कंपनियों को सूचित कर दिया गया है कि इस अपेक्षा का अनुपालन न किये जाने से दोषी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आम जनता में जागृति पैदा करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है जिसमें गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उनके द्वारा अप्राधिकृत तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक के नाम का प्रयोग किए जाने के विरुद्ध चेतावनी दी गई है और आम जनता को भी यह स्पष्ट

कर दिया गया है कि गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जारी किया गया पंजीकरण का प्रमाणपत्र ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जाराशियां स्वीकारने समेत वित्तीय, कारोबार शुरू करने या उसे जारी रखने के योग्य बनाएगा और यह कि मूलधन तथा ब्याज के भुगतान की जिम्मेदारी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की होगी। प्रेस नोट में अन्य बातों के साथ–साथ यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसी जमाराशियों के बारे में सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य सार्वजनिक एजेंसी की गारंटी नहीं है।

विवरण

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	की गई कार्रवाई
1.	मैसर्स इन्नोवल इण्डिया सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि., बैल्लारी (कर्नाटक)	कम्पनी की हुवली शाखा ने कन्नड़ में एक पुस्तिका जारी की है जिसमें कम्पनी की जमाराशियों की प्रतिभूति/गारंटी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देने की बात कही गई है। मामलों को कम्पनी के साथ उठाया गया था जिसने बताना है कि उसने अपनी शाखाओं से ऐसी पुस्तिकाओं को वापस ले लिया है और उन्हें उपयुक्त रूप से परामर्श दिया है।
2.	फ्रंजान कैपिटल लि. हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय समाचार–पत्र में विज्ञापन दिया है जिसमें जनता को सचेत किया गया है। कम्पनी से विस्तृत निरीक्षण की आशा की गई है जिससे कि जमाराशियों के स्वीकार करने की वास्तविक स्थिति सुनिश्चित हो सके और निरीक्षण के तथ्यों के आलोक में आगे कार्रवाई की जाएगी।
3.	मिन्नार लिजिंग फाईनेस लि. हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	तथैव–
4.	ग्राइट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लि. ककीनाड़ा (आंध्र प्रदेश)	कम्पनी ने पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन नहीं किया है। उसकी पुस्तिकाओं की तेजी से समीक्षा की गई थी। अब कंपनी ने एक पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें आगे उसके कारोबार को रोकने का निर्णय लिया गया है।
5.	ट्रांसवर्ल्ड हायर परचेंज इण्डिया लि. कोल्लम (केरल)	कम्पनी के प्रत्येक निदेशक को भारतीय रिजर्व बैंक ने बुलाया था और भ्रामक प्रचार के लिए चेतावनी दी गई और उनके विरुद्ध जो दाण्डिक कार्रवाई की जा सकती थी। उससे भी उन्हें अवगत कराया गया। उसने भविष्य में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों की अनुपालना करने का आश्वासन देते हुए क्षमा याचना की है।
6.	आसरा इण्डिया सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लि. हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) आसरा इण्डिया, भुवनेश्वर–उड़ीसा	आसरा इण्डिया, भुवनेश्वर द्वारा जारी की गई पुस्तिका/पम्पलैट्स में जिसमें जमाराशियां मांगी गई थीं। प्रधान कार्यालय का पता आसरा इण्डिया सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लि., हैदराबाद दिया गया था। पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए कम्पनी का आवेदन–पत्र उसके कार्यकरण में जानकारी में आई विभिन्न अनियमितताओं को देखते हुए अस्वीकृत किया जा रहा है।
7.	इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लि. चण्डीगढ़ (चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र)	भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त करने से पहले ही कम्पनी ने कारोबार प्रारम्भ कर दिया था। अपनी जमाराशियां एकत्रित करने की पुस्तिका में, यह सूचित किया गया कि जमाराशियों की वापसी अदायगी की गारंटी भारतीय रिजर्व बैंक ने दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कम्पनी के विरुद्ध अपराधिक मामला दर्ज किया है।

भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियों का निजीकरण

3768. श्री राजनारायण पासी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियों के कार्यों के निजीकरण हेतु विनिवेश बोर्ड की सिफारिश पर कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, नहीं।

पांचवां वेतन आयोग

3769. श्री भीम दाहल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन के बाद अपने कर्मचारियों के लिए वेतनमानों में स्वयं किए संशोधन के कारण केन्द्रीय सहायता के लिए केन्द्र सरकार से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा मांगी गई केन्द्र सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस आधार पर सिक्किम और विशेष श्रेणी के राज्यों पर कोई विशेष ध्यान दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक राज्य सरकार को अब तक कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) राज्यों को तत्काल सहायता प्रदान करने के पैकेज से संबद्ध, राज्यीय विशिष्ट मध्यम आवधिक राजस्व सुधार नीति प्रतिपादित करने के लिए योजना आयोग में एक सरकारी समिति गठित की जा रही है। समिति पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के कारण उत्पन्न अतिरिक्त भार समेत उनके राजस्व स्थिति के सभी संबंधित पहलुओं पर विचार करेगी। समिति विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के लिए अलग पैकेज पर भी कार्य करेगी। इस बीच, वित्त मंत्रालय में तत्काल सहायता का अनुरोध करने वाले राज्यों से विचार–विमर्श चल रहा है।

विवरण

अपने कर्मचारियों के वेतनों में संशोधन के संबंध में केन्द्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगने हेतु राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोध

क्रम सं.	राज्य	अनुरोध
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	सहायता अनुदान के रूप में 1500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष।
2.	अरुणाचल प्रदेश	वर्ष 1998–99 के लिए 50% पूर्णतः अनुदान तथा 50% ब्याज रहित ऋण के रूप में 100 करोड़ रुपए।
3.	असम	वर्ष 2000 तक के लिए अनुदान के रूप में 700 करोड़ रुपए।
4.	बिहार	वेतन पर नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परियोजित 8000 करोड़ रुपए के अनुदान का 50% भारत सरकार द्वारा वहन किया जाए।
5.	गोवा	वर्ष 1997–98 के लिए अर्थोपाय अग्रिम के रूप में 50 करोड़ रुपए।
6.	गुजरात	वर्ष 1997–98 के लिए 2000 से 2200 करोड़ रुपए तक की सीमा में बकायों सहित अतिरिक्त भार को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान तथा इसके बाद से प्रतिवर्ष 800 से 1000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष।
7.	हरियाणा	वार्षिक आवश्यकता के रूप में 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता तथा बकायों आदि के भुगतान के लिए 1200 करोड़ प्रतिवर्ष मुख्यमंत्रियों की एक बैठक में निश्चित किए जाएं।
8.	हिमाचल प्रदेश	पूर्णतः अनुदान या 90% अनुदान तथा 10% ऋण या दीर्घ आवधिक ऋण के रूप में 800 करोड़ रुपए।
9.	जम्मू और कश्मीर	वर्ष 1996–97 के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 50 करोड़ रुपए और वर्ष 1997–98 के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 800 करोड़ रुपए।
10.	कर्नाटक	प्रतिवर्ष 1400 करोड़ रुपए। इस राशि का 50% अनुदान के तौर पर उपलब्ध कराया जाए।
11.	केरल	(i) वेतन/पेंशन संशोधन के खाते में बढ़ने वाले व्यय के 50% के समान राशि का अनुदान। (ii) वेतन/पेंशन संशोधन के कारण होने वाली कुल वार्षिक देनदारी के समान ब्याज मुक्त आग्रिम।

1	2	3
12.	महाराष्ट्र	5000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तथा बकाए के रूप में 8000 करोड़ रुपए।
13.	मणिपुर	74 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तथा अनुरूपी वित्तीय सहायता के रूप में बकायों के भुगतान के लिए 112 करोड़ रुपए।
14.	मेघालय	95 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तथा वर्ष 1997–98 के लिए सहायता– अनुदान के रूप में 155 करोड रुपए।
15.	मिजोरम	5 से 8 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय भार का 50% केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाए।
16.	नागालैंड	240 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष।
17.	उड़ीसा	राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित करने का वार्षिक दायित्व लगभग 700 करोड़ रुपए का होगा। इसके लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाए।
18.	पंजाब	660 करोड़ रुपए के आर्थिक व्यय भार के 50% केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाए।
19.	राजस्थान	सहायता अनुदान/ब्याज मुक्त मध्यम अवधिक ऋण/शून्य ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम के रूप में 1200 करोड़ रुपए सालाना।
20.	सिक्किम	केन्द्रीय सहायता के रूप में 100 करोड़ रुपए।
21.	त्रिपुरा	वर्ष 1997–98 के लिए विशेष सहायता अनुदान के रूप में 350 करोड़ रुपए।
22.	तमिलनाडु	2000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन सालाना।
23.	उत्तर प्रदेश	अतिरिक्त व्यय भार के बराबर ही विशेष केन्द्रीय सहायता।
24.	पश्चिम बंगाल	2500 करोड़ रुपए सालाना के अतिरिक्त व्यय भार का 50% केन्द्र सरकार से अनुदान के रूप में।

[हिन्दी]

भारतीय सीमेंट निगम का पुनरुत्थान

3770. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त पुनर्गठन बोर्ड की सिफारिश के बाद भारतीय सीमेंट निगम की पुरुत्थान योजना आठ महीनों से सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) क्या भारतीय सीमेंट निगम को पुनर्जीवित करने का सरकार का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) पुनरुत्थान योजना के प्रति सरकार के शिथिल रवैये के कारण बेरोजगारी और भुखमरी के कगार पर पहुंचे हजारों श्रमिकों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) क्या अर्थ–अक्षम इकाइयों के बदले अर्थ–श्रम इकाइयों को बेचे जाने के संबंध में कोई कार्यवाही की जा रही है, जो कि औद्योगिक वित्त पुनर्गठन बोर्ड की सिफारिश के प्रतिकूल है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) से (घ) बी. आई. एफ. आर. ने 12 जून, 1998 को सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सी.सी.आई.) के लिए मसौदा पुनरुद्धार स्कीम (डी.आर.एस.) परिचालित की थी। विभिन्न वित्तीय संस्थानों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात बी.आई.एफ.आर. ने 1 मार्च, 1999 को अवलोकित किया कि पूर्व में परिचालित की गई डीआएस अधिक समय तक यूक्तियुक्त नहीं रही और कि वह एक नई मसौदा पुनरुद्धार स्कीम परिचालित करेगा। बी. आई. एफ. आर. द्वारा नई डी. आर. एस. स्कीम परिचालित होने पर ही सरकार अपने पक्ष पर निर्णय लेगी।

(ङ) और (च) जी, नहीं। किसी भी इकाई की बिक्री केवल बी. आई. एफ. आर. के अनुमोदन से ही की जायेगी।

[अनुवाद]

रेशम का आयात

3771. श्री जयसिंह जी चौहान :

श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) किन कारकों के चलते हाल ही में सरकार को रेशम/कच्चे रेशम के आयात पर लगे प्रतिबंध को उठाने हेतु बाध्य होना पड़ा;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस निर्णय से घरेलू रेशम बुनकरों/कुटीर उद्योगों को नुकसान पहुंचेगा; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे निर्णय का औचित्य क्या है और घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) रेशम का आयात प्रतिबंधित सूची में होना जारी रखा जाना है। आयातकों के लिए शुल्क छूट योजना के अंतर्गत रेशम आयात की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, उत्कृष्ट श्रेणी के शहतूती अपरिष्कृत रेशम के लिए मांग को पूरा करने के लिए, सरकार ने इस शर्त के साथ कि त्याज्य सिल का सी. आई. एफ. मूल्य (लागत, बीमा व लदान शुल्क) आयतित सामान के मूल्य का तीन गुणा होगा। विशेष आयात लाईसेंस (सिल) के अन्तर्गत केवल ग्रेड 2 ए तथा उससे अधिक शहतूती अपरिष्कृत रेशम के आयात की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है।

(ख) आज तक कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चिट फंड अधिनियम, 1982 में संशोधन

3772. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रिट्याचिका सं. 17110/84 के जवाब में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार चिट फंड अधिनियम, 1982 की धारा 20 में संशोधन करने संबंधी कर्नाटक राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किस तिथि से यह प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ है;

(घ) इस पर निर्णय लिये जाने में विलम्ब के कारण क्या हैं; और

(ङ) इस प्रस्ताव पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रिट याचिका सं. 17110/84 में निदेश दिया है कि चिट फंड अधिनियम, 1982 की धारा 20 के उपबंधों में इस प्रकार, संशोधन किए जाएं जिससे कि फारमेन द्वारा दी गई प्रतिभूतियों पर ब्याज जारी किया जा सके। मामले की जांच करने के पश्चात् यह महसूस किया गया कि चिट फंड अधिनियम, 1982 की धारा 20 में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि माननीय न्यायालय के निदेशों की अनुपालना करने हेतु केवल उसके तहत बनाए गए नियमों में संशोधन किया जाए। इसलिए, वर्ष 1990 में कर्नाटक राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया कि वह नियम 16, जो प्रतिभूति को जारी करने की प्रक्रिया से संबंधित है, में उपयुक्त उप-खंड सम्मिलित करके संशोधित करने की व्यवस्था करे ताकि रजिस्ट्रार प्रतिभूति की राशि और उस पर प्रोद्भूत ब्याज, यदि कोई हो और जिसका भुगतान न किया गया हो, को जारी करने में समर्थ हो सके।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों के माध्यम से अधिनियम का प्रयोग किया जाता है। इसलिए, नियमों के संशोधन के लिए राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक उपाए किया जाना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, कर्नाटक राज्य सरकार, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की शर्तों के तहत फारमेन को जमाराशियों पर ब्याज सहित प्रतिभूति जमा जारी कर रहा है।

[हिन्दी]

राजभाषा की स्वर्ण जयंती मनाया जाना

3773. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए कार्यान्वयन समिति गठित कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह समिति कब तक गठित किये जाने की संभावना है और इस संबंध में समारोहों का आयोजन करने हेतु बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन समस्त कार्यालयों/उपक्रमों/बोर्ड आदि को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गए हैं कि वे राजभाषा का स्वर्णिम वर्ष मनाने के लिए विभिन्न हिन्दी विषयक कार्यक्रमों का आयोजन करें। इन कार्यक्रमों में शामिल हैं--(1) हिन्दी का ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने में हो रही झिझक को दूर करने के लिए हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन; (2) हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण देने पर बल देना; (3) समस्त प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का बेहतर उपयोग करना; (4) राजभाषा अधिवेशनों का आयोजन; तथा (5) कम्प्यूटर फर हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाना आदि।

[अनुवाद]

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की पुनरुद्धार नीति

3774. श्री एम. राजैया : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. ने कोई पुनरुद्धार नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सेकोलि) द्वारा अब तक कोई पुनरुद्धार संबंधी कोई रणनीति तैयार नहीं की गई है। तथापि सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. के निदेशकों के बोर्ड की दिनांक 17.2.99 को हुई बैठक में कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं कोयले के उत्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपायों पर विचार किया गया :

(i) प्रतिवर्ष सात मि. टन कच्चे कोककर कोयले को धोने के लिए से.को.लि. की कोककर कोयला वाशरियों की क्षमता का समेकन।

(ii) धुले अकोककर कोयले में राख की मात्रा को कम करने के लिए कारगली, गिडी और पीपरवार में वाशरियों के माध्यम से अकोककर कोयले को धोना।

(iii) उत्पादन स्तर में काफी वृद्धि करना।

महाराष्ट्र के लिए ऋण योजना

3775. श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में अपनायी गई बैंक ऋण योजनाओं की समीक्षा का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य के कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश की गिरती प्रवृति की ओर ध्यान दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) बैंक ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र सहित प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए हर वर्ष प्रत्येक जिले के लिए वार्षिक ऋण योजनाएं तैयार करते हैं और उसके कार्यान्वयन की निगरानी अग्रणी, बैंक योजना के अंतर्गत विभिन्न मंचों अर्थात् खण्ड स्तर पर खण्ड स्तरीय बैंकर्स समिति, जिला स्तर पर जिला परामर्शदात्री समिति तथा राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा की जाती है। किसी जिले की वार्षिक ऋण योजना, अन्य बातों के साथ-साथ, क्षेत्र में बैंकों द्वारा स्वीकार्य योजनाओं की उपलब्धता तथा उधार देने की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। महाराष्ट्र के राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र की वार्षिक ऋण योजना की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा जिसमें राज्य सरकार के अधिकारी और बैंकर शामिल हैं, नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के लिए कृषि क्षेत्र को उधार देने के लिए महाराष्ट्र में वार्षिक एवं योजना के अंतर्गत बैंकों की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	उपलब्धियां
1996-97	232528
1997-98	265409
1998-99	247045
	(दिसम्बर 1998 तक)

उपर्युक्त से यह दिखाई देना कि महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र को उधार में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी है। कृषि क्षेत्र को पर्याप्त और समय पर ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कई उपाय किए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ ये शामिल हैं : निबल बैंक ऋण का न्यूनतम 18% कृषि क्षेत्र में होना चाहिए, ग्रामीण आधारभूत सुविधा से संबंधित योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए वाणिज्यिक बैंकों से अंशदान प्राप्त करके ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर. आई. डी. एफ) की स्थापना करना तथा भारतीय रिजर्व बैंक की रियायती ऋण सहायता के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की समग्र सीमाओं को 1991-92 में 3350 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1997-98 में 5700 करोड़ रुपए करना।

[हिन्दी]

काला धन

3776. श्री पंकज चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार काला धन निकालने हेतु कोई नई योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हॉट कॉइल स्टील के विनिर्माताओं को लाभ

3777. श्री सी. डी. गामीत : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी. जी. एफ. टी. ने हॉट कॉइल स्टील के विनिर्माताओं को उचित लाभ देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है जिसके अंतर्गत इसका सरकारी मूल्य 302 अमरीका डालर (17,855 रुपए) प्रति मीटरी टन निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सामग्री अंतराष्ट्रीय बाजार में 13,200 रुपये प्रति मीटरी टन पर उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो क्या अधिसूचना को जारी करने के परिणामस्वरूप हॉट कॉइल विनिर्माताओं को रुपये 4750 प्रति मीटरी टन की दर से अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस परिहार्य घोटाले को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) डी. जी. एफ. टी. ने दिनांक 10/11 दिसम्बर, 1998 की अधिसूचना

के द्वारा परिसज्जित इस्पात की सात मदों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिये थे। एच. आर. क्वायलों का न्यूनतम मूल्य 302 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन निर्धारित किया गया था। न्यूनतम मूल्य गैर–डम्पिंग स्रोतों से प्रचालित औसत अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित थे। न्यूनतम मूल्यों के फलस्वरूप एच. आर. क्वायलों के घरेलू उत्पादकों को कोई अनुचित लाभ नहीं हुआ है।

(ख) परिसज्जित इस्पात मदों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य मांग और आपूर्ति की बाजार ताकतों एवं विनिमय दरों, जो समय–समय पर अलग–अलग होती हैं, द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य परिसज्जित इस्पात की विशिष्टियों, मोटाई , ग्रेड और श्रेणी के अनुसार भी अलग–अलग होते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (क) से (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

लौह अयस्क की खानें

3778. श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क खानों के अपशिष्ट पदार्थों के इकट्ठा करने में समस्याएं आ रही हैं क्योंकि उनके भण्डारण के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके भण्डारण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इन फालतू पदार्थों में कोई खनिज भी होते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इन अपशिष्ट पदार्थों से खनिज प्राप्त करने के लिए कोई शोध कार्य किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

टिन प्लेटों की खरीद/उत्पादन

3779. प्रो. रीता वर्मा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण के विभिन्न संयंत्रों में टिन प्लेटों का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली की "इण्डियन डेल्को लिमिटेड" और मध्य प्रदेश की "के. एस. आइल लिमिटेड" द्वारा कंपनीवार कुल कितनी टिन प्लेटें खरीदी गईं;

(ग) क्या टिन प्लेटों की बिक्री हेतु आरम्भ की गई छूट संबंधी योजनाओं का लाभ टिन कन्टेनरों के छोटे निर्माताओं को नहीं मिल सका; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) सेल में इलैक्ट्रोलिटिक टिन प्लेटों का उत्पादन केवल राउरकेला इस्पात संयंत्र में ही किया जाता है और पिछले तीन वर्षों के दौरान हुआ टिन प्लेटों का कुल उत्पादन नीचे दिया गया है :

(इकाई: हजार टन)

वर्ष	टिन प्लेटों का उत्पादन
1996–97	13.4
1997–98	28.6
1998–99	30.0

(ख) दिल्ली की मैसर्स इंडियन डेल्को लिमिटेड और मध्य प्रदेश की मैसर्स के. एस. ऑयल लिमिटेड ने 1997–98 और 1998–99 में सेल से टिन प्लेटें खरीदी हैं। और अधिक ब्यौरा देना सेल के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा।

(ग) यह सच नहीं है कि टिन कन्टेनर के छोटे विनिर्माता टिन प्लेटों की बिक्री के लिए शुरू की गई छूट संबंधी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर सके।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेशी वाणिज्यिक आदाता नियमों का उल्लंघन

3780. श्री सुरेश कुरूप : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय कंपनियां विदेशों में अपने विदेशीय वाणिज्यिक आदाताओं को बनाये रखने में वर्तमान मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है/की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक अनुमोदित अंत प्रयोग के लिए उपयोग लंबित रखते हुए उधारकर्ता संगठनों द्वारा विदेश में विदेशी वाणिज्यिक उधारों की प्राप्ति की धारिता का अनुवीक्षण करता है और आवधिक समीक्षाओं के बाद इस संबंध में समय–समय पर उपयुक्त अनुदेश जारी करता रहा है।

ऐसे उदाहरण हैं, जहां कंपनियों ने अनुमोदित अंत प्रयोग के लिए उपयोग लंबित रखते हुए एक वर्ष के बाद वि. वा. उ. की प्राप्ति रखने की अनुमति मांगी है। भारतीय रिजर्व बैंक वृद्धि प्रदान करने के पूर्व गुणावगुण पर अनुरोधों पर विचार करते हुए अत्यावश्यकता के आधार पर अवधि में बढ़ोत्तरी के कारणों की जांच करता है। ऐसे वर्तमान अनुरोधों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेश निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	कंपनी का नाम	अमरीकी मिलियन डालर में राशि	अभ्युक्ति
1.	मैसर्स स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	81.00	अगस्त, 1999 तक प्रतिधारित रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत समयवृद्धि
2.	मैसर्स टेल्को लिमिटेड	64.00	दिसम्बर, 1999 तक प्रतिधारित रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत समयवृद्धि
3.	मैसर्स टिस्को लिमिटेड	1.33	अक्तूबर, 1999 तक प्रतिधारित रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत समयवृद्धि
4.	टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनीज	292.88	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचाराधीन
5.	मैसर्स रिलाएंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1262.75	अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है और उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 3.4.99 को इन प्राप्तियों को तत्काल प्रत्यावर्तित करने की सलाह दी गई है। इस आदेश के विरुद्ध कंपनी का अभ्यावेदन विचाराधीन है।

अपरिष्कृत रेशम का आयात

3781. श्री अजय कुमार एस. सरनायक : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों में अपरिष्कृत रेशम और रेशम के कोये की कीमतों में 15 से 20 प्रतिशत तक गिरावट आई;

(ख) क्या कर्नाटक के किसानों ने शहतूत के पेड़ों को उखाड़ना शुरू किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसानों की समस्याओं के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) अपरिष्कृत रेशम की कीमतें समय-समय पर घटती-बढ़ती रहती है। पिछले कुछ महीनों में अपरिष्कृत रेशम और कोसों की कीमतों में मामूली गिरावट आई है।

(ख) और (ग) शहतूत के पेड़ों को समय-समय पर उखाड़ा जाता है, जो कि विभिन्न कृषि संबंधी वस्तुओं की बाजार परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कर्नाटक में हाल ही में शहतूत के पेड़ उखाड़ने के बारे में कोई प्रमाणित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) जी हां। मंत्रालय को कर्नाटक के विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें विशेष आयात लाइसेंस (एस. आई. एल.) के अंतर्गत अपरिष्कृत रेशम के आयात की अनुमति देने के सरकार के निर्णय को वापस लेने का आग्रह किया गया है। सरकार को बुनकर संघ से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें एस. आई. एल. के अंतर्गत ऐसे आयात की अनुमति देने के लिए सरकार की सराहना की गई है।

अभ्रक की खानों की संख्या में कमी

3782. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में अभ्रक की खानों की संख्या 800 से घटकर 30 हो गई और इसके परिणामस्वरूप बहुत से कामगार बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार ने अभ्रक खनन उद्योग के पुनरुद्धार के लिए क्या उपाय किए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) भारतीय खान ब्यूरो में उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में पिछले दस सालों के दौरान अभ्रक खानों की कुल संख्या, जो कि 1988-89 में 148 थी, घटकर 1997-98 में 54 हो गई है। इसी प्रकार इन अभ्रक खानों में दैनिक श्रमिक नियोजन भी संबंधित वर्षों में 3105 से घटकर 1002 रह गया है।

(ख) अभ्रक उद्योग में इस प्रकार की गिरती हुई प्रवृत्ति के मुख्य कारणों में ये शामिल हैं; (i) अभ्रक के अनुकल्प का विकास किए जाने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय शीट अभ्रक की कम मांग होना; (ii) अभ्रक खाने आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है; (iii) अपर्याप्त गवेषण कार्य; (iv) खानों में वृहत आकार की शीट अभ्रक की दुलर्भ उपलब्धता।

(ग) भारत सरकार ने अभ्रक उद्योग की समस्याओं की जांच करने के लिए समय–समय पर अभ्रक संबंधी कार्यदल/समितियां गठित की हैं। भारत में अभ्रक की मौजूदा एवं भावी मांगों के सर्वेक्षण संबंधी कार्यदल तथा अभ्रक संबंधी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इन्होंने क्रमशः 1989 और 1990 के दौरान रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं। इन रिपोर्टों के अनुसार जब तक स्वदेशी एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अभ्रक की मांग में सुधार नहीं हो जाता तब तक देश में अभ्रक उद्योग के पुनरुद्धार की सीमित गुंजाइश रहेगी। स्वदेशी खपत एवं निर्यात की व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लि. ने मूल्यवर्द्धित अभ्रक उत्पाद यूनिट यथा (i) सिल्वर्ड माइका एण्ड केपेसिटर्स; (ii) माइक्रोनाइज्ड माइका पाउडर; (iii) यांत्रिकी नियोजन प्रक्रिया पर आधारित अभ्रक कागज और (iv) माइका पेपर बेसड इन्सुलेटिंग मेटीरियल प्लांट स्थापित किए हैं।

इसके अतिरिक्त भारतीय खान ब्यूरो (आई. बी. एम.) के अधिकारी मार्गदर्शन और खानों के समुचित विकास के लिए अभ्रक खानों का दौरा भी करते हैं। भारतीय खान ब्यूरो ने अनुसंधान एवं विकास कार्य किए हैं यथा (i) माइका शूटस के स्थल निर्धारण हेतु गाइड का पता लगाना; (ii) अभ्रक खानों के लिए माडल खनन योजना तैयार की गई है जो खान मालिकों के निर्देशन के लिए भारतीय खान ब्यूरो के अजमेर, नेल्लौर और रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध है। भारतीय खान ब्यूरो ने भी अभ्रक खानों के लिए खनन योजनाएं बनाने हेतु अलग से दिशा–निर्देश परिपत्रित किए हैं।

सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात में ड्यूटीड्रॉबैक घपले

3783. श्री उमर अब्दुल्ला :

डॉ. उल्हास वासुदेव पाटील :

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिले–सिलाए वस्त्रों के निर्यात में ड्यूटीड्रॉबैक घपलों का भंडाफोड किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी जाली फर्मों का ब्यौरा क्या है और इनमें विभिन्न विभागों के कितने कर्मचारी संलिप्त हैं;

(ग) 1998–99 में भंडाफोड किए गए घपलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई शुरू की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (घ) जी, हां। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने वर्ष 1998–99 में सिले–सिलाए वस्त्रों के निर्यात में शुल्क प्रतिअदायगी के बहुत से धोखा–धड़ी वाले दावों का पता लगाया है। कुछ निर्यातक फर्में काल्पनिक तथा प्रथम दृष्ट्या जाली हैं और कतिपय बेईमान पक्षों को प्रतिअदायगी सुविधा के, विशेष रूप से राजस्व आसूचना महानिदेशालय द्वारा पता लगाए गए मामलों में, सुनियोजित दुरुपयोग करते पाया गया है। इन फर्मों के नाम, और अंतर्ग्रस्त अनुमानित प्रतिअदायगी राशियां, उपलब्ध सूचना के आधार पर संलग्न विवरण में दी गई है। इन मामलों में धोखा–धड़ी अथवा अनुचित प्रतिअदायगी के दावे/दावे किए जाने का अधिकांशतः या तो निर्यातित वस्तुओं के स्वरूप की गलत घोषणा अथवा उनके मूल्य/मात्रा की गलत घोषणा द्वारा किया गया है।

जिन मामलों में वस्तुओं की धोखाधड़ी के दावों का पता लगने से पूर्व निर्यात नहीं किया है, ऐसी स्थिति में वस्तुओं को जांच–पड़ताल और सीमाशुल्क कानून के अनुसार कार्रवाई लंबित होने तक राजस्व आसूचना महानिदेशालय/सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा रोक/जब्त कर लिया गया। सीमाशुल्क गृहों द्वारा दर्ज 5 मामलों में न्याय–निर्णयन कार्यवाही पूरी हो चुकी है और संलिप्त फर्मों को 73.5 लाख रुपये तक का अर्थ–दण्ड दिया गया है उनको उनकी वस्तुओं के विमोचन की भी अनुमति दी गई है जिसके लिए उन्हें 45 लाख रुपये का विमोचन जुर्माना देना होगा। शेष मामलों के संबंध में कार्रवाई जारी है। अब तक इन मामलों में 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। दो सीमाशुल्क अधीक्षकों और तीन सीमाशुल्क निरीक्षकों को इन मामलों में से कुछ में उनकी संदिग्ध संलिप्तता के लिए निलम्बित भी किया गया है।

विवरण

प्रति अदायगी शुल्क के धोखाधड़ी वाले दावों में शामिल फर्म के नाम

क्रम. सं.	फर्म का नाम	शामिल अनुमानित प्रति अदायगी राशि (लाख रु. में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	मैं. हिमगिरी ओवरसीज		प्रथमदृष्टया जाली
2.	मैं. सहारनपुर हैन्डीक्राफ्ट		वही

1	2	3	4
3.	मैं. स्टिच एंड स्टाइल	741	वही
4.	मैं. दीपशिखा ओवरसीज		वही
5.	मैं. आर. एंड एस. कम्पनी		वही
6.	मैं. रोहिल इन्टरनेशनल		वही
7.	मैं. मनिटोबा इन्का.	131	वही
8.	मैं. ब्रूक इन्ट.		वही
9.	मैं. ओवरसीज बिजनेस		वही
10.	मैं. ग्लाबस आफिस (प्रा.) लि. दिल्ली	139	वही
11.	मैं. सी. एम. सी. एक्जीम (प्रा.) लि. दिल्ली		वही
12.	मैं. विक्टर इन्टरनेशनल, दिल्ली		वही
13.	मैं. पी. एस. इन्टरनेशनल, तुगलकबाद	19	वही
14.	मैं. क्लासिक कोपियर	42	
15.	मैं. प्रनव साई, तिरूपुर	5	
16.	मैं. वन्डरलैंड ट्रेडिग कं.	17	
17.	मैं. सत एक्सपोर्ट इंडिया	9	
18.	मैं. गलिन्टस ग्लोबल	29	
19.	मैं. बालाजी यूनिवर्सल (प्रा.) लि.	8	
20.	मैं. सामिया एन्टरप्राइजिज	6	
21.	मैं. हैन्डलूम ओनली	41	
22.	मैं. रेडनिक इन्टरनेशनल	36	
23.	मैं. रिको इन्ड.	3	
24.	मैं. शक्ति इन्टर.	17	
25.	मैं. सागर ओवरसीज	22	
26.	मैं. सुनील ट्रेडिंग कं.	20	
27.	मैं. ओम प्रकाश भाटिया	22	
28.	मैं. चेतन इम्पेक्स इंडिया	18	
29.	मैं. कनक	28	
30.	मैं. वीसेज ओवरसीज	2	
31.	मैं. मेग्ना फैशन	2	
32.	मैं. हरि मनारक	6	
33.	मैं. आकांशा ओवरसीज	14	
34.	मैं. हिमांशी एक्सपोर्ट	24	प्रथमदृष्टया जाली

35.	मैं. चेतन इम्पेक्स	19	प्रथमदृष्टया जाली
36.	मैं. शान्ती एक्सपोर्ट	5	
37.	मैं. प्रीति एक्सपोर्ट	5	
38.	मैं. रायमन्त गार्मेंट	14	
39.	मैं. वेसचर्स इंडिया लि.	8	
40.	मैं. एल–हुडा इन्टर.	11	
41.	मैं. फेयरडील वर्ल्ड इम्पेक्स, नई दिल्ली	15	
42.	मैं. दीपा इम्पेक्स, मुम्बई	8	
43.	मैं. एकता एक्सपोर्ट		
44.	मैं. अवतन एक्जीम कं.	21	
45.	मैं. सिलेक्ट गार्मेंट		
46.	मैं. सन इम्पैक्स इन्टर.		
47.	मैं. इन्टेग्रेटिड फैशन लि.	252	
48.	मैं. एन. वाई. ब्ल्य	50	
49.	मैं. मारनिंग स्टार		
50.	मैं. ट्रयू लाईन ट्रेड लिंक	50	
51.	मैं. ट्रेड आर्ट इंडिया		
52.	मैं. वाहिबा केमिकल्स का.		
53.	मैं. शिवराज एक्सपोर्ट		
54.	मैं. इंडिया एक्सपोर्ट कं.		
55.	मैं. फिटवेल गारमेंटस		
56.	मैं. इन्ड फैशन एक्सपोर्ट (प्रा.) लि.		
57.	मैं. मेडिडेन्ट इंडिया (प्रा.) लि.	43	
58.	मैं. साली एक्सपोर्ट	47	
59.	मैं. तिरपती गारमेंटस		
60.	मैं. ज्योति ट्रडिंग कं.		
61.	मैं. क्राउन सेल्स का.		
62.	मैं. नीतू फैशन		
63.	मैं. विकेरियो इन्टर		
64.	मैं. सेम ओवरसीज	23	
65.	मैं. सेवा सीज एक्सपोर्ट		
66.	मैं. गोल्डन एक्सपोर्ट	127	
67.	मैं. सागर ट्रेड लाईन्स		
	दावा की गई कुल प्रति अदायगी	2143 लाख	

भू–वैज्ञानिकों की नियुक्ति

3784. श्री विजय कुमार "विजय" : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. के निदेशक ने दिसम्बर, 1975 में सभी सी. एम. डी. को प्रत्येक क्षेत्र में लगातार निरीक्षण, संग्रहण, प्रस्तुतिकरण और भू–वैज्ञानिक सूचना और आंकड़ों की निगरानी हेतु भू–वैज्ञानिकों को संबद्ध करने के लिए लिखा था;

(ख) यदि हां, तो क्या 29 दिसम्बर, 1987 को सी. एम. डी. की सोलहवीं बैठक के दौरान सिद्धान्त रूप से यह स्वीकार कर लिया गया था कि प्रत्येक क्षेत्र में भू–वैज्ञानिकों की नियुक्ति लाभदायक होगी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार कोयला संरक्षण, अच्छे गुणवत्ता नियंत्रण, पर्यावरण के रखरखाव और दिन–प्रतिदिन की खान योजना के लिए इन निर्णयों को लागू करना चाहती है;

(घ) यदि हां, तो इन निर्णयों को कब तक लागू कर दिया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) निदेशक (समन्वय)/कोल इंडिया लि. दिनांक 30.12.75 को प्रबंध निदेशक, भारत कोकिंग कोल लि. को संबोधित करते हुए यह सुझाव दिया था कि झरिया कोल फिल्ड में खनन समस्याओं की जटिलता पर विचार करते हुए खनन उन्मुख भू–गर्भीय योजनाओं को तैयार करने के उद्देश्य से तथा क्षेत्र एवं कोलियरी अधिकारियों के लाभ के लिए भू–गर्भीय सूचना एवं डाटा के अनवरत निरीक्षण, संकलन, प्रस्तुतिकरण एवं प्रबोधन हेतु प्रत्येक क्षेत्र को एक भू–वैज्ञानिक के संबद्ध कर देना चाहिए। ऐसे भू–वैज्ञानिक, किसी भू–गर्भीय विक्षोभ के उत्पन्न होने पर अथवा कोयला आग, जल प्लावित खदान, बैरियर, डाइक, सिल्स, झामा आदि की संभावना के कारण उत्पन्न किसी विशेष समस्या के संबंध में कोलियरी अधिकारियों को भी सहायता प्रदान कर सकते हैं। उक्त पत्र की एक गति प्रबंध निदेशक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि./ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि./सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. को पृष्ठांकित किए गए थे।

(ख) दिनांक 29.12.87 को कलकत्ता में अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशकों की हुई 16वीं बैठक में प्रत्येक खान में एक भू–वैज्ञानिक की नियुक्ति किए जाने के संबंध में विचार किया गया था। प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से उन क्षेत्रों के लिए स्वीकृति दी गई जिनमें पूर्ण कालिक भू–वैज्ञानिकों की आवश्यकता है। विशिष्ट क्षेत्रों के संबंध में, जिनमें पूर्णकालिक भू–वैज्ञानिकों की आवश्यकता है, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशकों द्वारा निर्णय लिया जाना था।

(ग) से (ङ) इस निर्णय को अब कार्यान्वित कर दिया गया है तथा भू–वैज्ञानिकों की अनुषंगी–वार नियुक्ति के ब्यौरे नीचे दर्शाये गये हैं :

1.1.98 की स्थिति के अनुसार

कंपनी	स्वीकृत संख्या	कार्यरत
ई. सी. एल.	6	10
बी. सी. सी. एल.	4	9
सी. सी. एल. 16	22	
एन. सी. एल.	1	1
डब्ल्यू. सी. एल.	8	6
एस. ई. सी. एल.	12	6
एम. सी. एल.	5	3
सी. एम. पी. डी. आई. एल.	178	162
एन. ई. सी./सी. आई. एल.	5	4
कुल	235	223

[हिन्दी]

सहयोग संबंधी नियम

3785. श्री प्रदीप कुमार यादव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी कंपनी के सहयोग से भारत में निवेश हेतु निर्धारित नियमों के संबंध में किसी उल्लंघन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पिछले दो वर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) सरकार, अनुमोदन–धारकों द्वारा अनुमोदन की शर्तों का पालन करने के संबंध में सतत् रूप से पुनरीक्षण करती रहती है, और यदि समुचित कार्यविधि अपनाने के मामले में अनुमोदन–धारक द्वारा कोई उल्लंघन किया जाता है, तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाती है।

[अनुवाद]

निर्यात चूककर्ता

3786. श्री के. कृष्णमूर्ति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी निर्यात बाध्यताओं को पूरा करने में चूक करने वाले कतिपय निर्यातकों को अग्रिम लाइसेंसों और ई. पी. सी. सी.

लाइसेंसों के लिए बैंक गारण्टियों के बदले में विधिक परिवचन दायर करने की अनुमति दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे चूककर्त्ता निर्यातकों को यह एक अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन चूककर्त्ताओं से बैंक गारंटी देने हेतु आग्रह करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (घ) जो निर्यातक अग्रिम लाइसेंसों तथा ई. पी. सी. जी. लाइसेंसों के तहत निर्धारित समयावधि के भीतर निर्यात दायित्व को पूरा करने में समर्थ नहीं रहे हैं, उन्हें निर्यात दायित्व में क्रमश 1½ वर्ष तथा 2 वर्ष की समय–वृद्धि प्रदान की गई है। तथापि, इस प्रकार की समय–वृद्धि केवल बैंक गारंटी, जिसमें सीमा शुल्क के साथ–साथ पूरा नहीं किए गए निर्यात दायित्व के अनुपात में 24% साधारण ब्याज शामिल हो, के प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी।

कर ढांचा

3787. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

श्री तारिक अनवर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न कर ढांचे को युक्तियुक्त बनाने हेतु विभिन्न संगठनों से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) जी हां। बजट से पहले विभिन्न संगठनों से शुल्क/कर संरचना को तर्कसंगत बनाने के लिए बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनमें छूट सीमा को बढ़ाना, दरों को कम करना और दरों की विविधता को कम करना आदि शामिल था।

(ग) सरकार ने मूल शुल्क दरों को मूल्यानुसार 8%, 16% और 24% की तीन श्रेणियों की संरचना अपना कर उत्पादन शुल्क की दरों को तर्क संगत बना दिया है। इस वर्ष के बजट में मूल्यानुसार 40% की अधिकतम दर के साथ सीमा शुल्क की मूल्यानुसार प्रमुख दरों की संख्या कम करके 7 से 5 कर दी गई है। जहां तक आयकर का संबंध है वर्ष 1997 में दरों को तर्कसंगत बना दिया गया था और इन्हें कम करके 10%, 20% और 30% के तीन स्तरों का कर दिया गया था। कंपनीयों और फर्मों पर 35% की सकल दर से कर लगाया जाता है।

आई. सी. आई. सी. आई. की अनुपयोज्य आस्तियां

3788. श्री वी. वी. राघवन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 दिसम्बर, 1998 की स्थित के अनुसार भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने 3343 करोड़ रु. की विशाल अनुपयोज्य आस्तियों के कारण रु. 302 करोड़ की राशि बट्टे खाते डालने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो अनुपयोज्य आस्तियों का ब्यौरा और इतनी विशाल अनुपयोज्य आस्तियों के मांगकर्त्ता कौन है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वाहन उद्योग से निर्यात में कमी

3789. श्री तारिक अनवर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाहन उद्योग के निर्यात में हाल ही में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) अप्रैल–दिसम्बर, 1998 के दौरान भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग से हुए निर्यातों, जिनमें तैयार वाहन और दुपहिया/तिपहिया शामिल है, का मूल्य अप्रैल–दिसम्बर, 1997 के दौरान हुए 1380 करोड़ रुपए के निर्यात मूल्य की तुलना में घटकर 1000 करोड़ रुपए (अनन्तिम) हो गया है, जिसमें 27.5% की ऋणात्मक रुझान वृद्धि दर्ज हुई है। निर्यातों में ऋणात्मक रुझान का मुख्य कारण पूर्व एवं दक्षिण एशिया और अफ्रीका जैसे प्रमुख बाजारों की आर्थिक स्थिति और दक्षिण कोरिया जैसे प्रतियोगियों द्वारा मुद्रा अवमूल्यन रहा है। इसके अतिरिक्त, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में विश्वव्यापी मंदी भी निर्यातों के ऋणात्मक रुझान का कारण रही है।

(ग) तैयार वाहनों और दुपहिया/तिपहियों के निर्यातों के संवर्धन के लिए बोर्ड अनन्य योजना नहीं है। तथापि, इंजीनियरिंग क्षेत्र की अन्य मदों के समान इन मदों के निर्यात का संवर्धन करना सरकार का सतत् प्रयास रहा है। तैयार वाहनों और दुपहिया/तिपहिया के निर्यात समेत इंजीनियरिंग सामान के निर्यात को बढ़ाने के उपाय मुहैया किए जा रहे हैं, जिनमें शुल्क छूट योजना निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना, विशेष आयात लाइसेंस, शुल्क वापसी योजना, आयकर अधिनियम की धारा 80 एच. एच. सी. के अंतर्गत छूट, बाजार विकास निधि से सहायता इत्यादि समेत निर्यात आयात नीति के तहत विभिन्न उपबंध शामिल हैं। इंजीनियरिंग सामान के निर्यातक इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् के विभिन्न क्रिया–कलापों के जरिए संवर्धनात्मक सहायता भी प्राप्त करते हैं।

[हिन्दी]

विदेशों में संस्थान खोलने हेतु राजसहायता

3790. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में संस्थान खोलने और विदेशों में आर्ड निर्यात की संभावनाओं की निगरानी करने के लिए अनुदान और राज सहायता प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उपयुक्त शीर्षों के अंतर्गत अनुमानित कितनी धनराशि खर्च की गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयला खानों का विकास

3791. श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने कोयला खानों के विकास के लिए 800 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विकसित किए जाने वाले खानों के नाम क्या हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (ग) एन. टी. पी. सी. अपने तलचर एस. टी. पी. एस.–II (2000 मेगा वाट) और सीपत थर्मल पावर स्टेशन (2000 मेगा वाट) को दीर्घावधि स्वरूप को संयोजन प्रदान करने के संदर्भ में म. को. लि. की भुवनेश्वर परियोजना को खोलने के लिए ब्याज सहित प्रत्येक 400 करोड़ रु. की अग्रिम राशि प्रदान करने तथा सा. ई. को. लि. के कोरबा कोलफील्ड के समर्पित खनन ब्लॉक पर सहमत हुआ। परियोजनाओं को म. को. लि./सा. ई. को. लि. द्वारा विकसित किया जाएगा। उपर्युक्त के वित्त–पोषण हेतु कोल इंडिया लि. ने एन. टी. पी. सी. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की योजनाएँ

3792. श्री विजय गोयल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनमें भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू. टी. आई.) ने अपनी निधियों का निवेश किया है;

(ख) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा निवेश की जा रही निधियों पर निगरानी रखने के लिए कोई तंत्र बनाने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अनुसार, 70 से अधिक ऐसी घरेलू योजनाएं हैं जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही हैं। ये योजनाएं निवेशकों की विविध जरूरतों को पूरा करती हैं और इनकी प्रबन्ध व्यवस्था उस भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम के अनुसार न्यासी–बोर्ड के सामान्य पर्यवेक्षण और निदेशन के तहत की जाती है जो व्यापारिक सिद्धान्तों पर कार्य करता है जिससे यूनिट धारकों के हितों की रक्षा की जा सके। प्रत्येक योजना की निवेश नीति संबंधित योजना के प्रस्तावक दस्तावेज में यथा–उल्लिखित योजना के उद्देश्य के अनुसार अलग–अलग होती है।

हथकरघा क्षेत्र

3793. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "शोलापुर जिला यंत्राभाग धारक संघ" से टैरी तोलियों और चादरों को नितान्त रूप से हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों की सूची में प्रस्तावित रूप से शामिल किए जाने के विरूद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, हां।

(ख) शोलापुर जिला यंत्राभाग धारु संघ ने जनवरी, 1999 में यह कहते हुए एक अभ्यावेदन दिया कि दिनांक 26.7.96 के हथकरघा आरक्षण आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित टैरी तोलियों को शामिल करने से शोलापुर तथा इसके आस–पास टैरी तोलियों के उत्पादन में लगे लघु पावरलूम प्रभावित होगें तथा पिछले 3 दशकों से अधिक पावरलूम द्वारा स्थापित निर्यात बाजार भी प्रभावित होगा।

(ग) मामला विचाराधीन है। हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 की धारा 4 के अंतर्गत विधिवत् रूप से गठित सलाहकार समिति मामले की जांच करेगी तथा अपनी सिफारिशें देंगी। समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद सरकार मामले पर उचित निर्णय लेगी।

[हिन्दी]

हस्तचालित उपकरणों का निर्यात

3794. डॉ. चिन्ता मोहन :

प्रो. प्रेमसिंह चन्दूमाजरा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब से हस्तचालित उपकरणों का बड़ी मात्रा में निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने मूल्य के हस्तचालित उपकरणों का निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार ने इस उद्योग द्वारा और अधिक निर्यात की संभावनाओं का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस व्यापार के संवर्धन हेतु चालू वर्ष के दौरान क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) पंजाब सहित, भारत से हस्तचालित उपकरणों (हैंड टूल्स) के निर्यातों का मूल्य नीचे दिया गया है :

वर्ष	मूल्य करोड़ रुपए में *
1995–96	256.95
1996–97	256.73
1997–98	250.12

* स्रोत : इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली

(ग) और (घ) हस्तचालित उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, इंजीनियरी क्षेत्र में अन्य मदों की तरह इस मद के निर्यात का संवर्धन करना सरकार का सतत प्रयास रहा है। हस्तचालित–उपकरणों सहित इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यातों को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में निर्यात–आयात नीति के तहत अनेक प्रावधान शामिल हैं जैसे शुल्क छूट योजना, निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना, विशेष आयात लाइसेंस, शुल्क वापसी योजना, आयकर अधिनियम की धारा 80 एच. एच. सी. के तहत छूट, बाजार विकास निधि से सहायता आदि। इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यातक इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद के अनेक क्रियाकलापों के माध्यम से भी संवर्धनात्मक सहायता प्राप्त करते हैं।

[अनुवाद]

राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार

3795. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी राजस्थान के विभिन्न भागों में लिग्नाइट के बड़े भंडार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बाड़मेर ग्रेबन में लिग्नाइट की मोटी परतें पाई गई हैं, जिसे कि अब "नार्दर्न कन्टिन्यूटि ऑफ द काम्बिया" से जाना जाता है।

(ग) क्या काम्बिया के उप–स्तरीय लिग्नाइट भंडारों में कोयला आधारित मिथेन भी वाणिज्यिक मात्रा में पाई गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने थार मरुस्थल के आर्थिक विकास और ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु इस क्षेत्र से अधिकाधिक मात्रा में दोहन करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) राजस्थान के बाड़मेर, जबसलमेर, बीकानेर एवं नागौर जिले में 1467 मिलियन टन अनुमानित लिग्नाइट भंडारों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ख) बाड़मेर ग्रेबन के संचोरे बेसिन में सिंदरी क्षेत्र में 2 से 8 मीटर तथा 4 से 14 मीटर की रेंज में दो मोटी लिग्नाइट सीमों का पता लगा है।

(ग) कोयला बेड मीथेन कांबे बेसिन के गुजरात भाग में उप सतह लिग्नाइट भंडारों में पाए गए हैं।

(घ) और (ङ) राजस्थान सरकार ने बाड़मेर क्षेत्र में कोयला बेड मीथेन के मूल्यांकन हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया है और इसे हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय, भारत सरकार को उसके विचारार्थ संदर्भगत कर दिया है। इसके विस्तृत मूल्यांकन के बाद ही वाणिज्यिक पैमाने पर दोहन पर विचार किया जा सकता है। बाड़मेर संचोरे बेसिन क्षेत्र में 3532 वर्ग कि.मी. में फैले इन सभी 7 ब्लाकों को मूल्यांकन के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु

3796. श्री संदीपन थोरात : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रमों ने अभी तक अपने कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु सीमा बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया है;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र के किन उपक्रमों ने सेवा निवृत्ति आयु–सीमा बढ़ाने के निर्णय को अब तक लागू नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उक्त निर्णयों को लागू करने हेतु इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देशप जारी किए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने हेतु कि उक्त निर्णय को लागू करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दिशा–निर्देशों का समान रूप से पालन हो, उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के 142 उपक्रमों के सम्बन्ध में जानकारी तत्काल उपलब्ध है, जिसके अनुसार उन में से 4 उद्यमों ने अभी निर्णय लागू नहीं किया है। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के नामों के साथ लागू न करने के कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को दिनांक 21–8–1998 को अनुदेश जारी किए

जा चुके हैं, जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करने से सम्बन्धित निर्णय बाध्यकारी है तथा यदि कोई प्रशासनिक मंत्रालय अथवा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि नहीं करना चाहता है तो इस निर्णय को लागू करने से विशेष छूट प्राप्त करना आवश्यक होगा।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों ने सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष नहीं की है, उनके नाम

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	कारण
1.	फर्टिलाइजर्स कारपो. ऑफ इंडिया लि.	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने इन दोनों उद्यमों को रुग्ण घोषित कर दिया है तथा उनके पास कर्मधारियों की अतिरिक्त संख्या है।
2.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो. लि.	
3.	पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि.	घटिया वित्तीय स्थिति। विनिवेश आयोग ने कुछ कार्यकलापों को बंद करने तथा एक एकक की रणनीतिक बिक्री करने की अनुशंसा की है।
4.	मसाला व्यापार निगम लि.	निगम वाणिज्य मंत्रालय से प्रशासनिक अनुमोदन का अनुरोध कर रहा है।

[हिन्दी]

भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के शेयरों की बिक्री

3797. डा. महन्त चरण दास :

श्रीमती रीना चौधरी :

श्री अभय सिंह एस. भोंसले :

श्री विकास चौधरी :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी :

श्री माधवराव पाटील :

श्री मदन पाटील :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के शेयरों के प्रमुख हिस्से की बिक्री करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में निर्णय लेने से पूर्व कर्मचारी संघ के साथ कोई बात–चीत की थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उन कर्मचारियों जिनके बेरोजगार होने की संभावना है, को पुनः रोजगार दिलाने के लिए क्या योजना तैयार की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) की 488.85 करोड़ रु. की समग्र इक्विटी सरकार के पास है। सरकार ने सरकार की इक्विटी का 51% एक सक्षम भागीदार जिसका चयन विश्व व्यापी निविदा की मार्फत किया जाना है, को देने का निर्णय लिया है। आशा है कि सक्षम भागीदार आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी और नए निवेश लाएगा।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) को यह सलाह दी गई थी कि वह कंपनी में कार्यरत यूनियनों को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दे कि सरकारी इक्विटी की महत्वपूर्ण बिक्री से कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं है।

(ङ) सरकार ने कोई पुनर्वास योजना तैयार नहीं की क्योंकि सक्षम भागीदार द्वारा नए संसाधनों की उपलब्धता से सतत रोजगार की आशा है।

निर्यात निरीक्षण परिषद

3798. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997–98 के दौरान निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा कितनी निर्यात अभिमुखी इकाइयों का निरीक्षण किया गया;

(ख) उक्त परिषद को कितनी निर्यात अभिमुखी इकाइयों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन्हें काली सूची में डाला गया है;

(ग) क्या सरकार उक्त सूची में डाली गई कम्पनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) शून्य, महोदय। 100% निर्यातोन्मुख इकाईयों को निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के उपबंधों के तहत दिनांक 4.12.90 को जारी की गई अधिसूचना सं. का. आ. 929 (ई) द्वारा अनिवार्य पोत लदान–पूर्व निरीक्षण से छूट दे दी गई है।

(ख) शून्य।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

खेल सामग्री का निर्यात

3799. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998–99 के दौरान देशवार कितनी खेल सामग्री का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : अप्रैल–फरवरी, 1999 के दौरान खेल सामानों के निर्यात द्वारा 246.91 करोड़ रुपए (58.80 अमरीकी मिलियन डालर) की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई। खेल सामानों के निर्यात के मात्रात्मक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। खेल सामानों का निर्यात सौ से भी अधिक देशों को किया जाता है, जिसका विस्तृत ब्यौरा "डी. जी. सी. आई. एण्ड एस., कलकत्ता द्वारा मुद्रित भारत के विदेश व्यापार सांख्यिकी" के निर्यात सांख्यिकी में उपलब्ध है। तथापि, अप्रैल, 98 से जनवरी, 99 के दौरान दस शीर्षस्थ देशों को होने वाले निर्यातों का देश–वार ब्यौरा इस प्रकार है।

देश	मूल्य करोड़ रुपए में	मिलियन अमरीकी डालर
1	2	3
यू.के.	53.30	11.98
आस्ट्रेलिया	27.89	6.64
यू.एस.ए.	47.91	11.41
जर्मनी	19.26	4.59
दक्षिण अफ्रीका	15.55	3.70
इटली	11.23	2.67
फ्रांस	8.88	2.11
यू.ए.ई.	8.39	2.00
नीदरलैण्ड	4.26	1.01
न्यूजीलैंड	4.47	1.06

[अनुवाद]

भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों की विदेशों में नियुक्ति

3800. श्री रामदास आठवले : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन देशों में भारतीय स्टेट बैंक के समूह "क" के अधिकारी नियुक्त हैं;

(ख) उनमें से कितने पद अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं; और

(ग) विदशों में नियुक्ति के नियत कोटा को भरने के लिए क्या कार्य योजना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि इस समय विदेश स्थित बैंक कर्मचारियों में 253 अधिकारी (विभिन्न ग्रेडों से सम्बन्धित) नियुक्त किए गये हैं, जिनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 23 अधिकारी हैं।

(ग) विदेश में नियुक्ति, जो एक अनुमोदित चयन प्रक्रिया पर आधारित है, के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए कोई कोटा आबंटित नहीं है। तथापि, बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को चयन–पूर्व प्रशिक्षण देता है, ताकि वे चयन प्रक्रिया में प्रभावी प्रदर्शन कर सकें।

सूती वस्त्र निर्यात में कमी

3801. श्री सी.पी. राधाकृष्णन : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 1998 के दौरान सूती वस्त्रों, सूती धागों तथा तैयार वस्त्रों के निर्यात में कमी आगी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996–97 और 1998 के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ कुल वस्त्र निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जहाँ तक सूती वस्त्रों के समग्र कुल निर्यात का संबंध है, वर्ष 1997 में हुए निर्यात की तुलना में वर्ष 1998 के दौरान निर्यात में 9.12% तक की वृद्धि हुई है। तथापि, सूती यार्न के निर्यात के मामले में निर्यात में वर्ष 1997 में हुए निर्यात की तुलना में रुपयों में 3.12% तक की गिरावट आई है। निटिड फैब्रिकों

के मामले में वर्ष 1997 में हुए निर्यात की तुलना में वर्ष 1998 के दौरान निर्यात में रुपयों में 7.31% की गिरावट आई।

(ख) वर्ष 1996–97 और 1997–98 के दौरान सूती वस्त्रों के निर्यात के तुलनात्मक आँकड़े नीचे दिए गए हैं :

(आँकड़े मिलियन रुपयों में)

वर्ष	मिल–निर्मित फैब्रिक्स	विद्युतकरघा फैब्रिक्स	निटिड फैब्रिक्स	सूती यार्न	सिलाई धागा	सूती मेड–अप्स	कुल
1997–98	1653021	2190825	300427	58584.16	72.33	3107229	13117151
1996–97	1573807	2002097	3462.18	5366822	62.94	2557443	11852681
% वृद्धि/गिरावट	5.03%	9.43%	–13.23%	9.16%	14.92%	21.50%	10.67%

(ग) निर्यात में गिरावट आने का मुख्य कारण यह है कि दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों में मंदी आई है, जहाँ कि सूती यार्न का 49% निर्यात और कुल सूती वस्त्र निर्यातों का 22% होता है।

(घ) सरकार वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठा रही है जैसे कि क्रेता–विक्रेता बैठकों, मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल के आयात का अधिकार देना, कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात के विशेष प्रबंध करना, निर्यात ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि। हाल ही में सरकार ने सूती यार्न के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट उपयों की घोषणा की है, जिनमें हैंक यार्न दायित्व से सूती यार्न के निर्यात को अलग करना, हालाँकि स्तर में किसी प्रकार की कटौती किए बिना दायित्व जारी रहेगा, दिसम्बर, 1999 तक काउंट/घरेलू कपास प्रयोग के प्रतिबंध में ढील दे कर के सूती यार्न के निर्माता शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों को प्रचालन संबंधी अत्याधिक उदारता प्रदान करना, वर्ष 1999 के दौरान 40 काउंटों और उससे कम के काउंटों के सूती यार्न के निर्यात के लिए उच्चतम सीमा की घोषणा करना।

हस्तशिल्प क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू. एन. डी. पी.) सहायता

3802. श्री पी.आर. किन्डिया : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की परियोजना स्थापित करने तथा स्थानीय शिल्प कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु जापान और कोरिया से भी सहायता प्राप्त करने सम्बंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तकनीकी विशेषज्ञता और मशीनरी ताईवान से प्राप्त की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (घ) सरकार ने देश सहयोग ढांचा (कन्ट्री कोअपरेशन फ्रेम वर्क) के तहत यू. एन. डी. पी. के साथ रेशा एवं हस्तशिल्प की परियोजना सहायता दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। उप–कार्यक्रमों के विस्तृत ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे दो कार्यक्रमों में बेंत एवं बाँस और गैर–मल्बरी रेशम शामिल होंगे जिनसे मेघालय सहित अन्य पूर्वोत्तर राज्य लाभान्वित होंगे।

राज्य वित्त निगम के संसाधनों की गारंटी

3803. श्री विक्रम केशरी देव :

श्री भर्तृहरि मेहताब :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 के अनुसार राज्यों के वित्त निगमों ने एस. एल. आर. और एस. एस. आई. बांडों द्वारा संसाधन जुटाए और क्या राज्य सरकारों को मूल पूंजी और ब्याज की अदायगी के लिए गारंटी देना आवश्यक है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारें ऐसी गारंटी के लिए कमीशन नहीं लेती है जबकि कुछ अन्य राज्य सरकारें गारंटी कमीशन लेती हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह एक सांविधिक आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में एकरूपता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ङ) राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 7 में बताया गया है कि वित्त निगम विकास बैंक एवं भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से अपनी कार्यशील पूंजी बढ़ाने के उद्देश्य से ब्याज पर बान्ड और डिबेन्चर जारी कर सकते हैं और बेच सकते हैं तथा यदि वित्तीय निगमों द्वारा अपेक्षा की जाए तो ऐसे बान्डों एवं डिबेन्चरों की राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी जाएगी कि रिजर्व बैंक की सलाह पर आधारित बोर्ड की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा, निर्धारित दर पर मूल एवं ब्याज की पुनः अदायगी की जाएगी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह राज्य वित्तीय निगमों के लिए गारंटी दें। जब कभी राज्य वित्त निगम

द्वारा राज्य सरकार से गारंटी मांगी जाती है तो राज्य सरकार अपने स्वयं के मानदंडों के आधार पर संबंधित राज्य वित्त निगम से कमीशन लेती है।

सेंचुरी टेक्सटाइल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

3804. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

श्री माधवराव पाटील :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंचुरी टेक्सटाइल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड गत तीन वर्षों के दौरान लगातार घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस घाटे के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस इकाई के मामले को बी. आई. एफ. आर. को सौंप दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या उक्त इकाई को रुग्ण घोषित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्री मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) सरकार द्वारा निजी कम्पनियों का तुलनपत्र नहीं बनाया जाता है।

(घ) और (ङ) एकक का मामला बी. आई. एफ. आर. को नहीं भेजा जाना है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

असम में रेशम उत्पादन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं

3805. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असम के राहा और सुआलकुची स्थानों पर रेशम उत्पादन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार रेशम के विकास को बढ़ाने के लिए असम में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से अनेक योजनाएं/परियोजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। इनमें केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एककों के नेटवर्क द्वारा क्षेत्र को अनुसंधान व विकास का विस्तार करने, प्रशिक्षण देने, इन्फास्ट्रक्चरल तथा विस्तार सहायता प्रदान करने और उत्कृष्ट रेशम का उत्पादन करने के लिए आधुनिक रेशम उत्पादन प्रक्रियाओं को अपनाने के प्रति प्रोत्साहन देने के लिए अन्य विकास योजनाएं शामिल हैं। इस समय पूर्वोत्तर कार्य योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसमें अन्यों के साथ-साथ असम शामिल है। असम के लिए 14 उत्प्रेरक विकास योजनाओं का भी अनुमोदन किया गया है। ये योजनाएं कामरूप और नागाओं के जिलों में जिनमें क्रमशः सुआलकुची और राहा स्थित हैं, क्रियान्वित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय के परामर्श पर असम में एक एकीकृत एरी और मूगा परियोजना क्रियान्वित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस परियोजना में भी सुआलकुची और राहा शामिल होंगे।

रेशम उत्पादन क्षेत्र की अनुसंधान व विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने असम में एककों का एक नेटवर्क स्थापित किया है। ऐसे एककों में से प्रदर्शन और तकनीकी सेवा केन्द्र नामक एक एकक सुआलकुची में भी स्थित है।

आवास क्षेत्र में तेजी लाने के लिए वित्तीय उपाय

3806. श्री कमलनाथ :

श्री वैको :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और व्यापार परिसंघ ने आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय उपायों का सुझाव दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार सुझाये गए वित्तीय उपायों का क्या ब्यौरा है; और

(ग) इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) फिक्की द्वारा दिए गए सुझावों के विवरण निम्नानुसार हैं :

(i) अचल सम्पदा के विकास में विदेशी निवेश को अनुमति दी जानी चाहिए।

(ii) शहरी विकास में आवश्यक अनुभव रखने वाली वास्तुकारों की अधिकृत फर्मों को भवन निर्माण की अनुमति देने तथा उसके पूरा होने के प्रमाणपत्रों को जारी करने का प्राधिकार दिया जाना चाहिए।

(iii) बड़े महानगरों में सम्पदा कानूनों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। इन कानूनों की कोई प्रासंगिकता नहीं है, अतः इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए।

(iv) अचल सम्पदा की बिक्री से प्राप्त आय से विदेशी मुद्रा अर्जित करने वालों को समझे गए निर्यात का दर्जा दिया जाना चाहिए और उन्हें कर लाभ प्राप्त करने की अनुमति होनी चाहिए जैसा कि वस्तु निर्यातकों को उपलब्ध है।

(v) धारा (80) आई. बी. (10) के तहत अनुमोदित आवास परियोजनाओं के लिए कर प्रोत्साहन को संशोधित किया

जाना चाहिए ताकि भवन निर्माताओं को और अधिक राहत उपलब्ध कराई जा सके।

(vi) 40 प्रतिशत की दर से अपकर्षन के प्रयोजन हेतु कर्मचारियों के लिए क्रय किए गए घरों की क्षेत्र सीमा को 80 वर्गमीटर से बढ़ाकर 120 वर्गमीटर किया जाना चाहिए।

(ग) 1999–2000 के केन्द्रीय सरकार के बजट में आवास क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की गई है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

* 1999–2000 में 1-25 लाख आवासीय इकाईयों के लक्ष्य सहित राष्ट्रीय आवास बैंक (एन. एच. बी.) की स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना।
* स्वयं के रहने हेतु निर्मित आवासों के लिए आवास ऋणों पर ब्याज पर कर में कटौती को 30,000 रुपए से बढ़ा कर 75,000 रुपए करना।
* गैर–निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों पर आय के उदार कर लगाने के ज़रिए आवास वित्त कम्पनियों को मज़बूत करना।
* कर्मचारियों के लिए व्यावसायिक भवन गृहों के लिए बढ़े हुए अपकर्षन को स्वीकृति।
* आवास रेहन रखने को बढ़ावा देने के लिए मोचन–निषेध कानूनों में परिवर्तन।
* वाणिज्यिक बैंकों को वृद्धि–कारक जमाराशियों के 3 प्रतिशत तक आवास के लिए उधार देना।
* छोटे ऋण कर्ताओं के लिए ब्याज दर रियायतों हेतु नई एन. एच. बी. योजना।
* प्रतिवर्ष नगर निगम बाण्ड की सीमित राशि को कर मुक्त दर्जा।
* मुम्बई और दिल्ली के अतिरिक्त आय कर अधिनियम की धारा 80 आई. ए. के तहत करावकाश प्राप्त करने वाली स्वीकृत परियोजनाओं में निवास इकाईयों के लिए निर्मित क्षेत्रों पर सीमा को 1000 वर्ग फुट से बढ़ा कर 1500 वर्गफुट करना।

खनिजों के लिए आरक्षित क्षेत्र

3807. श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन :

श्री पुन्नू लाल मोहले :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1.1.1999 को विभिन्न खनिजों के लिए मध्य प्रदेश में केन्द्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों हेतु आरक्षित क्षेत्र कौन–कौन से हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने खनिजों के लिए आरक्षित क्षेत्रों को खोलने की घोषणा करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो खनिजों के लिए आरक्षित क्षेत्रों को खोलने की योजना क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की आशा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1957 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार खनिज रियायत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। तथापि केन्द्र सरकार किसी खनिज के आरक्षण की दृष्टि से और राज्य सरकार के परामर्श के पश्चात् अथवा इसके विलोमतः कोई भी ऐसा क्षेत्र, जो कि पहले से किसी भी पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा पूर्वेक्षण कार्य करने के लिए खनन पट्टे अथवा सरकारी कम्पनी के जरिए खनन कार्य करने अथवा निगम के स्वामित्व अथवा राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से इसके द्वारा नियंत्रित क्षेत्र का आरक्षण कर सकती है लेकिन केन्द्र सरकार ऐसे क्षेत्रों के ब्यौरे संकलित नहीं करती है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य में चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज अयस्क युक्त क्षेत्रों के अनारक्षण हेतु केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार किया है तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रों में से अधिकांश क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है। तथापि कुछ क्षेत्रों पर अनारक्षण के लिए विचार नहीं किया जा सका क्योंकि इनके बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए थे। अब प्राप्त हुए स्पष्टीकरणों के आधार पर, राज्य सरकार के प्रस्ताव में सम्मिलित शेष क्षेत्र अनारक्षित किए जाने की प्रक्रिया में है।

डब्ल्यू. बी. ए. बी. एण्ड ओ. की आनुषंगिक इकाइयों का परिवर्तन

3808. श्री भर्तृहरि मेहताब : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन. टी. सी. द्वारा "डब्ल्यू. बी. ए. बी. एण्ड ओ." की सहायक कम्पनी के रूप में कुल कितनी इकाइयों को लिया गया है;

(ख) इनमें से कितनी इकाइयां परिवर्तन आधार पर चल रही हैं;

(ग) परिवर्तन हेतु क्षतिपूर्ति मूल्य निर्धारण के क्या मानदण्ड हैं;

(घ) "उड़ीसा कॉटन मिल्स", चांदवार में इस समय क्या परिवर्तन दर निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या परिवर्तन दरों में मशीनों के अनुरक्षण की धनराशि भी सम्मिलित करने का कोई प्रावधान है; और

(च) यदि हां, तो "उड़ीसा कॉटन मिल्स" में परिवर्तन अवधि के दौरान फालतू पुर्जों के रखरखाव, मरम्मत और बदले जाने हेतु कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) इस समय एन. टी. सी. (डब्ल्यू. बी. ए. एण्ड ओ.) के अपने नियंत्रणाधीन 16 राष्ट्रीयकृत वस्त्र मिलें हैं।

(ख) एन. टी. सी. (डब्ल्यू. बी. ए. बी. एण्ड ओ.) के अंतर्गत 10 मिलें आंशिक रूप से जॉब वर्क (परिवर्तन) आधार पर चल रही हैं।

(ग) सहायक निगम समाचार–पत्रों में दिए गए विज्ञापनों के माध्यम से आमंत्रित की गई खुली निविदाओं के प्रत्युत्तर में यार्न परिवर्तन करने के लिए उच्चतम दरें पेश करने वाली पार्टियों के साथ जॉब वर्क की संविदाएँ करता है।

(घ) इस समय उड़ीसा कॉटन मिल्स में 14.2.1999 से कोई जॉब वर्क (परिवर्तन) क्रियाकलाप नहीं चल रहा है। दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 1999 तक उड़ीसा कॉटन मिल्स के लिए जॉब वर्क की दर निम्नानुसार थी :

काउंट	हैंक यार्न (रु. प्रति कि.ग्रा.)	कोन यार्न (रु. प्रति कि.ग्रा.)
26	17.42	16.64
32	21.44	20.48
40	26.80	25.60
42	28.14	26.88
60	40.20	38.40

(ङ) और (च) परिवर्तन दरों से ऐसी आशा होती है कि इनसे मशीनों को चलाए रखने के लिए उनके सामान्य रखरखाव तथा अनुरक्षण सहित परिवर्तन पर खर्च हुए परिवर्तनीय व्यय को पूरा किया जा सकेगा। 1.4.1998 से 31.12.1998 तक की अवधि के दौरान उड़ीसा कॉटन मिल्स में मशीनों के रखरखाव और मरम्मत पर 3.74 लाख रु. का व्यय हुआ।

[हिन्दी]

औद्योगिक घरानों पर बकाया कर

3809. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "एस्सार" ग्रुप जैसे कितने औद्योगिक घराने हैं जिन पर विगत अनेक वर्षों से एक करोड़ रुपए से अधिक आयकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और अन्य कर बकाया है;

(ख) उक्त कर राशियों की वसूली न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन राशियों की वसूली करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए है और यदि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) आयकर के संबंध में 21 प्रमुख औद्योगिक घरानों से संबंधित विभिन्न मामलों में 1.00 करोड़ रुपए से अधिक की मांगें बकाया पड़ी हैं। जहाँ तक आयात शुल्क का संबंध है 1.1.98 की स्थिति के अनुसार 74 कम्पनियों के संबंध में 1.00 करोड़ रुपए से अधिक की मांगे बकाया पड़ी थीं। 21.11.97 की स्थिति के अनुसार लगभग 25 कम्पनियों के संबंध में 1.00 करोड़ रुपए से अधिक की उत्पादन शुल्क की मांगे लम्बित पड़ी थीं।

(ख) बकाया करों के मुख्य कारण इस प्रकार हैं : एक ही मामले पर मुकद्दमों की बहुतायत होना, विवादों के अन्तिम निपटान में विलम्ब और अदालतों, न्यायाधिकरणों आदि द्वारा प्रदान किए गए स्थगन आदेश आदि।

(ग) बकाया की वसूली एक सतत् प्रक्रिया है और ब्याज लगाना अर्थदण्ड लगाना, बैंक खातों को जब्त करना और चल और अचल सम्पत्तियों की जब्ती और बिक्री इसमें शामिल है। उच्च मांगों वाले मामलों की आवधिक समीक्षाएं और निगरानी भी की जाती है। सरकार ने मुकद्दमें बाजी को कम करने और बकाया की वसूली करने के लिए कर विवाद समाधान स्कीम की भी घोषणा की थी। इन प्रयासों से बकाया में वृद्धि को रोकने में सहायता मिली है।

[अनुवाद]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में आरक्षित पद

3810. प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा उनमें से अनु. जाति तथा अनु. जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या अनु. जातियों/अनु. जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों में से कुछ बकाया अभी भरे जाने हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी पद–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का विचार इन पदों को विशेष भर्ती अभियान के जरिये भरे जाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई. डी. बी. आई.) ने सूचित किया है कि 31 दिसम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार आई. डी. बी. आई. के कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या निम्नानुसार है :

कर्मचारियों की कुल संख्या	:	2,975
अनु. जाति के कर्मचारियों की सं.		616
अनु. जनजाति के कर्मचारियों की सं.	:	181

(ख) और (ग) जी, हां। 31 दिसम्बर 1998 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के पिछले बकाए क्रमशः 18 और 30 थे।

(घ) और (ङ) आई. डी. बी. आई. का कोई विशेष भर्ती अभियान शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि उसने नियमित भर्तियों के समय यथाशीघ्र पिछले बकाए को पूरा करने के लिए सशक्त प्रयास करने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

शीतल पेय का निर्यात

3811. श्री राजवीर सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश से किन-किन शीतल पेय का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान देशवार किन-किन शीतल पेयों का निर्यात किया गया; और

(ग) शीतल पेयों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) देश से निर्यात होने वाले सॉफ्ट/कोल्ड ड्रिंक मुख्यतः आम, संतरा, नींबू, अनन्नास और लीची पर आधारित होते हैं। निर्यात मुख्यतः संयुक्त राज्य अमरीका, यूके, जापान, नीदरलैंड, डेनमार्क, कनाडा, जर्मनी, रूस, जार्डन, यूएई, दक्षिण अफ्रीका, बंगलादेश और भूटान को किए गए हैं। निर्यातों के देश-वार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित फारेन ट्रेड स्टाटिक्स ऑफ इंडिया-मासिक/वार्षिक बुलेटिनों में उपलब्ध हैं, जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी गई हैं।

(ग) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान आम, संतरा, नींबू, अनन्नास और लीची इत्यादि पर आधारित सॉफ्ट ड्रिंक के निर्यातों के माध्यम से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :

वर्ष	मूल्य (लाख रुपए में)
1996-97	335.11
1997-98	898.06

(स्रोत : एपीडा/डी. जी. सी. आई. एंड एस., कलकत्ता)

[अनुवाद]

पाकिस्तान को चाय का निर्यात

3812. श्री कृष्णलाल शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में चाय का तीसरा बड़ा उपभोक्ता पाकिस्तान अफ्रीकी देशों से चाय का आयात कर रहा है, जिससे इस पर 100 मिलियन डालर का वार्षिक भार पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत से पाकिस्तान को चाय के निर्यात की अच्छी संभावनायें हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) पाकिस्तान वर्ष में अफ्रीकी देशों से 120 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की 65 मिलियन किलो ग्राम के लगभग चाय का औसत आयात करता है।

(ख) और (ग) जी, हां। पाकिस्तान प्रतिवर्ष लगभग 110 मिलियन किलोग्राम चाय आयात करता है। पाकिस्तान द्वारा कुल आयात की गई चाय में भारत का हिस्सा नाममात्र है। पाकिस्तान को भारत द्वारा किया गया चाय का निर्यात 1991 में 0.32 मिलियन किलोग्राम था जो 1997 में बढ़कर 1.90 मिलियन किलोग्राम हो गया है। पाकिस्तान के समस्त चाय बाजार के आकार को देखते हुए उस देश को हमारे निर्यात के बढ़ने के अच्छे आसार प्रतीत होते हैं।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस का पुनरुद्धार

3813. श्री वी.के. चिन्नासामी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में ऊटी स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के अधीन है और इसका पुनरुद्धार होना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस इकाई के पुनरुद्धार के लिये कितने धन की आवश्यकता है;

(ग) क्या इस इकाई के पुनरुद्धार से फोटोफिल्म्स का आयात घटेगा और विदेशी मुद्रा की बचत होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) बी. आई. एफ. आर. को अभी एक मसौदा पुररुद्धार योजना को अंतिम रूप देकर परिचालित करना है।

झींगा मछलियों का निर्यात

3814. श्री अनूप लाल यादव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रुपए और डालर मूल्य में झींगा मछलियों का कितना निर्यात किया गया;

(ख) आगामी दो वर्षों में कितना निर्यात किये जाने का अनुमान है;

(ग) झींगा मछलियों के तीन सर्वाधिक भारतीय निर्यातकर्ता कौन-कौन से हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय झींगा मछलियों के लिए तीन सर्वाधिक आयातकर्ता देश कौन–कौन से हैं;

(ङ) झींगा मछलियों के निर्यातकर्ताओं द्वारा इस समय किन–किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है; और

(च) आई. एस. ओ.–9000 सार्टिफिकेशन युक्त झींगा मछली के भारतीय निर्यातक कौन–कौन से हैं;

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान झींगा का निर्यात मात्रा के रूप में, रुपया और डालर मूल्य के रूप में निम्नानुसार रहा है :

वर्ष	मात्रा (मीटन)	मूल्य (करोड़ रुपए में)	मूल्य (मि. अमरीकी डालर)
1996–97	105426	2701.78	755.74
1997–98	101318	3140.56	866.37
1998–99 (1 अप्रैल, 98 से 28 फरवरी, 99)	94263	312164	747.52

(ख) भारत से झींगा का निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन और मांग के साथ–साथ झींगा पकड़ने एवं उसके पालन के स्रोतों से होने वाले घरेलू उत्पादन पर निर्भर करेगा गत तीन वर्षों के पिछले रुझान के अनुसार, झींगा के निर्यात में मामूली सा अन्तर आने की संभावना है।

(ग) वर्ष 1997–98 के दौरान निर्यात निष्पादन के आधार पर भारत के तीन शीर्षस्थ झींगा निर्यातक हैं : (1) मै. फैल्कान मेरीन एक्सपोर्टस लि., ए/22, कटक रोड, फैल्कान हाउस, पहली मंजिल, भुवनेश्वर-751006; (2) मै. क्रॉउन फ्रोजेन फूड्स, 203 दालामल चैम्बर्स, न्यूमरीन लाइन्स, मुम्बई–400020 और (3) मै. नेकन्ति सीफूइस लि., फ्लैट सं.–1, जयाप्रदा अपार्टमेंट्स, महारानीपेट, विशाखापत्तनम।

(घ) वर्ष 1996–97, 1997–98 और अप्रैल से फरवरी, 1998–99 के निर्यात आंकड़ों के अनुसार जापान, यू. एस. ए. और यू. के. भारत से झींगा के तीन शीर्ष आयातक देश रहे हैं।

(ङ) भारत में झींगा निर्यातकों के सामने आ रही कुछेक कठिनाईयां निम्नलिखित हैं :

(1) उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका के कारण और विषाणु जन्य रोग के कारण वित्तीय संस्थान झींगा किसानों को ऋण देने के प्रति उत्साहित नहीं रहे हैं। बीमा कम्पनियां भी एक्वाकल्चर फार्मों का बीमा करने में संकोच करती रही हैं। इससे एक्वाकल्चर के जरिए झींगा के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप निर्यात के लिए झींगा की उपलब्धता में कमी आयी है।

(2) यांत्रिक साधनों से की गई भारतीय झींगे की पैदावार के आयात पर यू. एस. ए. द्वारा पर्यावरणीय आधार पर लगायी गयी रोक से भारत से यू. एस. ए. को होने वाले झींगा के निर्यात में कठिनाईयां उत्पन्न हुयी हैं। इसके कारण, निर्यातकों को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से इस आशय के प्रमाण–पत्र के साथ झींगा का उत्पादन एक्वाकल्चर या इस्तकारी साधनों से किया गया है। उपर्युक्त कारण से निर्यातकों को विविध स्रोतों से प्राप्त झींगा के वास्तविक स्टॉक अलग–अलग रखने होते हैं। तथापि डब्ल्यू. टी. ओ. के विवाद निपटान निकाय (डी. एस. बी.) ने यू. एस. प्रतिबंध को गैट–प्रावधानों के असंगत पाया है। यू. एस. ए. दिनांक 6.12.99 तक अपने कानून को डब्ल्यू. टी. ओ. के उक्त निर्णय के पूर्णतया अनुरूप बनाने पर सहमत हो गया है।

(3) दिनां 18–12–97 के बाद केवल एच. ए. सी. सी. पी. (जोखिम विश्लेषण और नियंत्रण संगलण बिन्दु) पर आधारित गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली रखने वाले निर्यातक ही यू. एस. ए. को अपने मत्स्य और मत्स्य उत्पादों का निर्यात कर सकते हैं।

(च) जिन भारतीय झींगा निर्यातकों ने आई. एस. ओ. 9000 प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया है, वे है : (1) मै. एक्सीलरेटेड फ्रीज ड्राईंग कंपनी लिमिटेड, तलोजा, महाराष्ट्र मै. च्वाइस केनिंग कं. इडाकोचीन, कोचीन केरल, मैं. एक्सीलरेटेड फ्रीज एं ड्राईंग कंपनी, इसूपन्ना, केरल मैं. इंटरनेशनल क्रिएटिव फूडस, अरूर, केरल और मैं. इनोवेटिव मेरीन फूड्स, अरूर, केरल।

[हिन्दी]

पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भत्ता

3815. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को किस अनुपात में पर्वतीय क्षेत्र भत्ते का भुगतान किया जाता है;

(ख) क्या पांच हजार फुट से अधिक ऊंचाई पर काम करने वाले कर्मचारियों को समान भत्ता दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उच्च न्यायालय ने इन कर्मचारियों के लिए कोई निर्णय दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त निर्णय को किन क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) समुद्री तल से 1000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई के सभी स्थानों, (जिनमें हिमाचल प्रदेश के स्थान भी शामिल हैं) पर कार्यरत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय विशेष प्रतिपूरक भत्ते (पर्वतीय क्षेत्र) की दरें निम्न प्रकार हैं :

वेतन श्रेणी	प्रतिमाह दर (रुपए)
3000 रुपए प्रतिमाह से नीचे	100
3000 रुपए से 4499 रुपए प्रतिमाह तक	140
4500 रुपए से 5999 रुपए प्रतिमाह तक	240
6000 रुपए प्रतिमाह और उससे अधिक	300

(घ) और (ङ) उच्च न्यायालय के निर्णय, यदि कोई है, के विवरण का (सुनिश्चित तौर पर) पता लगाया जा रहा है।

[अनुवाद]

स्वर्ण आयात

3816. श्री समीक लाहिड़ी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में कितना सोना आयात किया गया; और

(ख) आयातित सोने में से आभूषण निर्यातकों को कितना सोना बेचा गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) सूचना निम्नानुसार है।

(मात्रा टनों में)

सोने की मात्रा	1996–97	1997–98
आयातित	338.190	626.394
आभूषण निर्यातकों को की गयी बिक्री	28.635	39.619

[हिन्दी]

बकाया राशि पर आयकर की कटौती

3817. श्रीमती निशा अ. चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्मचारी पांचवें वेतन आयोग के परिणामस्वरूप प्राप्त बकाया राशि को संबंधित वेतन और लेखा अधिकारियों के पास दाखिल की गई आयकर विवरणियों में संबंधित वर्षों में अलग–अलग दिखा सकते हैं;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को चालू आयकर विवरणी में संभावित बकाया राशि को दिखाने के लिए बाध्य किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है;

(घ) क्या चालू वर्ष के आयकर और बकाया के संबंध में काटे गए आयकर पर अधिभार सहित ब्याज वसूल करने का कोई नियम है;

(ङ) क्या इस संबंध में वेतन और लेखा अधिकारियों को स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो आयकर का निर्धारण करते समय ऐसी अनियमिततायें करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) वेतन की बकाया राशि सहित वेतन आय भुगतान के समय स्रोत पर कर की कटौती के अधीन होती है यद्यपि ऐसी बकाया राशि चालू वर्ष से भिन्न वर्षों से संबंधित होती है। तथापि, आयकर अधिनियम की धारा 89 के अनुसार, सरकारी कर्मचारी 12 महीने से अधिक के किसी एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त किये गये वेतन की बकाया राशि के संबंध में राहत के पात्र होते हैं जिसकी वजह से आय का निर्धारण उस दर से अधिक दर पर किया जाता है जिस पर अन्यथा इसका निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 192 (2क) के अनुसार, धारा 89 के अधीन राहत का दावा करने वाले ऐसे कर्मचारियों को स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के समक्ष फार्म 10–ङ में ऐसी बकाया राशि के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। तत्पश्चात्, ऐसा उत्तरदायी अधिकारी ऐसे प्रस्तुत किये गये ब्यौरों को हिसाब में लेगा और राहत की संगणना करेगा और आयकर अधिनियम की धारा 192 की उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती करते समय इसे हिसाब में लेगा।

(ग) इस संबंध में सांविधिक उपबन्धों के अलावा, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी वित्त वर्ष 1997–98 के लिए दिनांक 21.10.1997 के वार्षिक स्रोत पर कर की कटौती नामक परिपत्र सं. 757 और वित्त वर्ष 1998–99 के लिए परिपत्र सं. 771 स्थिति को स्पष्ट करते हैं।

(घ) स्रोत पर कर की कटौती करते समय कोई ब्याज प्रभावित करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) में दिए गए उत्तर के अनुसार।

(च) दिये गये उपर्युक्त उत्तर को ध्यान में रखते हुए, इस किस्म की किसी त्रुटि का कोई प्रश्न नहीं है।

[अनुवाद]

सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात

3818. श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितने सिले-सिलाए वस्त्रों/कपड़ों हथकरघा वस्त्रों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या 1997-98 और 1998-99 के दौरान इन मदों के निर्यात में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान इन मदों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिले-सिलाए परिधानों (हथकरघा परिधानों सहित) और वस्त्रों (हथकरघा वस्त्र सहित) के निर्यात निम्नानुसार थे :

	अमरीकी मिलियन डालर में मूल्य	
	परिधान	वस्त्रों
1996-97	4762.10	5288.23
1997-98	4910.70	5629.32
1998-99 (फरवरी, 99 तक)	4767.60	4888.40

(ख) और (ग) सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात में कोई गिरावट नहीं आई है। तथापि, वर्ष 1998-99 (फरवरी, 1999 तक) के दौरान वस्त्रों के संबंध में डालरों में 4.1% की गिरावट आई है। निर्यात में गिरावट आने के मुख्य कारण दक्षिण पूर्व एशियाई मुद्रा संकट, कुछ वस्त्र आयातक देशों में मंदी होना आदि हैं।

(घ) भारत से वस्त्रों और परिधानों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता करने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूँजीगत माल का आयात करने का अधिकार देना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात के लिए विशेष प्रबंध करना आदि शामिल हैं।

नीलांचल इस्पात संयंत्र की उत्पादन क्षमता

3819. श्री अर्जुन सेठी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड सुकिन्दा की लक्षित उत्पादन क्षमता (मिलियन टन में) कितनी है और यह कब तक पूर्ण रूप से कार्य करना आरंभ कर देगा; और

(ख) निर्धारित कार्यक्रमानुसार राज्य सरकार द्वारा इस स्थान पर कौन-कौन से ढांचागत विकास किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एन. आई. एन. एल.) डबरी, जिला जाजपुर, उड़ीसा की वार्षिक लक्षित उत्पादन क्षमता 11.6 लाख टन कच्चा लोहा और इस्पात है। इस संयंत्र के 2001 के मध्य तक पूरी तरह से चालू हो जाने की आशा है। इस्पात संयंत्र की आवश्यकता के अनुरूप असवंरचना जैसे सड़क, विद्युत आदि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

लक्ष्मी नगर, दिल्ली में मिनार परियोजना

3820. श्री ए. गणेशमूर्ति :

श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लक्ष्मी नगर में मिनार परियोजना कब स्थापित की गई थी;

(ख) क्या इस परियोजना में विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालयों को खोले जाने का इरादा है;

(ग) स्कोप मिनार बिल्डिंग को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कितनी धनराशि का भुगतान किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता इस मिनार परियोजना को दिक्परिवर्तित की गई थी;

(ङ) क्या वास्तुकार का चयन करने के लिए कोई स्क्रीनिंग समिति बनाई गई थी; और

(च) यदि हां, तो वास्तुकार के नाम और विदेशी सलाहकार को भुगतान की गई धनराशि सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) से (घ) लक्ष्मी नगर, दिल्ली में मिनार परियोजना का प्रारम्भ वर्ष 1983 में किया गया था। वर्तमानतः सरकारी क्षेत्र के 41 उपक्रमों ने उक्त भवन में अपनी आवश्यकता के अनुसार स्थान की बुकिंग की है और अब तक इस परियोजना के लिए 173.70 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। स्कोप ने किसी विदेशी परामर्शदाता को कोई भुगतान नहीं किया है।

भारतीय अभियांत्रिकी व्यापार मेला

3821. श्री विट्ठल तुपे :

श्री माधवराव पाटील :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में फरवरी, 1999 में आयोजित तेरहवें भारतीय अभियांत्रिकी व्यापार मेला में कितने देशों ने भाग लिया;

(ख) कौन–कौन से भारतीय उद्योगों ने उपर्युक्त व्यापार मेले में भाग लिया;

(ग) क्या उक्त व्यापार मेले में महाराष्ट्र ने भागीदार राज्य और कोरिया ने भागीदार देश की भूमिका निभाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) भारत इंजीनियरी व्यापार मेला, 1999 में 47 देशों ने भाग लिया था।

(ख) भारत इंजीनियरी व्यापार मेला, 1999 एक अखिल उद्योग मेला था और भारतीय उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से कंपनियों ने इसमें भाग लिया था।

(ग) जी, हां।

(घ) दि कोरिया ट्रेड इन्वेस्टमैंट प्रमोशन एजेंसी (कोट्रा) ने 5000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में कोरिया पैविलियन का संचालन किया। 150 कोरियाई कंपनियों ने अनेक उत्पादों जैसे कंफैक्शनरी, हैल्थकेयर उत्पाद, किचन वेयर उपकरण, पशुधन तथा कुक्कट पालन उपकरण, चिकित्सीय उत्पाद, ओप्टिकल फ्रेम तथा लेंस आदि का प्रदर्शन किया कोरिया ने अनेक संगोष्ठियों, सम्मेलन, खाद्य उत्सव, सांस्कृतिक प्रदर्शन तथा फिल्म शो भी आयोजित किए।

महाराष्ट्र जो सहभागी राज्य था, ने अपने औद्योगिक विविध क्षेत्रों का प्रदर्शन किया जिसमें ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी अवस्थापना तथा उपभोक्ता वस्तुएं, इलैक्ट्रानिक्स रिफ्रैक्टरीज, परिवहन प्रणालियां, कृषि उत्पाद पर्यटन तथा सड़क विकास आदि सम्मिलित थे।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

3822. श्री सुनील खां : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण की लागत 6000 करोड़ रुपये से भी अधिक तक पहुँच गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पादन आयोजना और नियंत्रण प्रभाग में कम्प्यूटर के लिए 8 करोड़ 75 लाख रुपये का ठेका बढ़कर 26 करोड़ रुपये तक हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की आधुनिकीकरण परियोजना की संशोधित लागत 4817 करोड़ रुपए (आधार तिथि : 1998 की तीसरी तिमाही) होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) और (घ) उत्पादन आयोजना एवं नियंत्रण (पी. पी. सी.) कंप्यूटरीकरण पैकेज की कुल लागत 26.10 करोड़ रुपए है जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए 8.75 करोड़ रुपए के ठेकागत मूल्य के अतिरिक्त भवन और सॉफ्टवेयर के विकास आदि हेतु ठेके भी शामिल हैं।

कपड़ा मिलों का पुनरुद्धार/उत्पादन

3823. डॉ. उल्हास वासुदेव पाटील :

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1996 और जनवरी, 1998 के बीच और जनवरी, 1999 तक महाराष्ट्र में स्थित राष्ट्रीय वस्त्र निगम, राज्य वस्त्र निगम और निजी क्षेत्र की कपड़ा मिलों में वर्षवार कुल कितना उत्पादन हुआ और उसमें कार्यरत कामगारों की संख्या कितनी है;

(ख) राज्य में बंद पड़ी कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है और सरकार ने बंद कपड़ा मिलों को पुनः चालू करने के लिए मिलवार क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) उक्त मिलों के बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों को रोजगार और पुनर्वास प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) वर्ष 1996, 1997 और 1998 के दौरान महाराष्ट्र में एन. टी. सी., राज्य वस्त्र निगमों, निजी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र की मिलों द्वारा स्पन यार्न और कपडे का कुल उत्पादन निम्नानुसार है :

वर्ष	स्पन यार्न उत्पादन (000 कि.ग्रा.)	कपड़ा उत्पादन (000 कि.ग्रा.)
1996	3,92,401	7,60,005
1997	4,10,393	7,15,325
1998	3,87,421	7,03,797

जनवरी, 1999 के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

महाराष्ट्र की वस्त्र मिलों में कामगारों की कुल संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष (1 जनवरी के अनुसार)	कामगारों की संख्या
1996	2,09,342
1997	1,96,473
1998	1,89,589
1999	1,84,505

(ख) और (ग) राज्य में एन. टी. सी. के अधीन कोई भी मिल बंद नहीं पड़ी है। हालाँकि, कार्यशील पूँजी की जटिल कमी के कारण कुछ मिलों में क्रियाकलाप पूर्णतः/आंशिक रूप से बंद है। चूँकि एन. टी. सी. के 9 सहायक निगमों में से 8 के मामले बी. आई. एफ. आर. को भेजे गए हैं तथा उसने उन्हें रुग्ण घोषित कर दिया है। एन. टी. सी. द्वारा किए गए एकक-वार अर्थक्षमता अध्ययन के आधार पर एन. टी. सी. (एम. एन.) और एन. टी. सी. (एस. एम.) सहित एन. टी. सी. के अर्थक्षम सहायक निगमों के साथ-साथ उनके अधीन अर्थक्षम मिलों के लिए निर्धारित अवधि के भीतर इन मिलों की निबल पूँजी के सकारात्मक बन जाने के बी. आई. एफ. आर. के मानदण्ड पर आधारित एक संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना विचाराधीन है। इस पुनरुद्धार योजना में कामगारों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

31.12.1998 तक की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में 24 वस्त्र मिलें बंद पड़ी बतलाई गई थीं। सरकार ने औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) की स्थापना की है जिसे रुग्ण कम्पनियों की पुनर्स्थापना करने का दायित्व सौंपा गया है। मिलों के बंद होने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों के पुनर्वासन के संबंध में सरकार ने वस्त्र कमगार पुनर्वासन निधि योजना नामक एक योजना बनाई है जिसे वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत केवल निजी क्षेत्र की मिलों के आंशिक/पूर्णतया बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों को अंतरिम राहत प्रदान की जाती है।

इराक पर बकाया धनराशि

3824. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय निर्यातकों के भुगतान न किए गए बिलों की कितनी धनराशि और भारत के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कितनी धनराशि इराक सरकार पर बकाया है;

(ख) यह धनराशि कब से भूगतान हेतु लंबित पड़ी है; और

(ग) इराक से शीघ्रातिशीघ्र उक्त धनराशि प्राप्त करने के लिए क्या नए कदम उठाये गए/उठाये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) दिनांक 12 अप्रैल, 1999 की स्थिति के अनुसार सैन्ट्रल बैंक ऑफ इराक (सी. बी. आई.)/रेफीडेन बैंक (आर. बी.) द्वारा प्रमाणित मिलने योग्य राशियों के आधार पर तथा एक्जिम बैंक द्वारा आर. बी. को दिए गए ऋण लाइन (एल. ओ. सी.) के अंतर्गत भारतीय कम्पनियों द्वारा इराक में निष्पादित परियोजनाओं के संबंध में कुल बकाया धनराशि 867.69 अमरीकी मिलियन डालर है। इस राशि में भारतीय कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल जो कि अभी तक प्रमाणित नहीं है, युद्ध दावे तथा अन्य क्षतिपूर्ति राशियां शामिल नहीं है। इन प्राप्त राशियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(मि. अमरीकी डालर)

(i) सी. बी. आई. क्यू. द्वारा प्रमाणित तथा विवेचित भारत-इराक सरकार से सरकार अस्थगित भुगतान व्यवस्था (डी. पी. ए.) के अंतर्गत शामिल परियोजनाओं के मामले में बकाया राशि।	635.12
(ii) डी. पी. ए. के बाहर परियोजनाओं के संबंध में बकाया राशि (जिनमें से 141.73 मिलियन अमरीकी डालर की राशि की सी. बी. आई. क्यू./आर. बी. द्वारा पुष्टि कर दी गई है तथा बकाया राशि की पुष्टि होनी बाकी है।)	183.44
(iii) ऊपर उल्लिखित राशि में से सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को प्राप्य राशि।	311.74
(iv) एक्जिम बैंक द्वारा आर. बी. को दी गई एल. ओ. सी. के अंतर्गत एक्जिम बैंक को आर. बी. से प्राप्त होने वाली बकाया राशि।	49.13
कुल	867.69

(ख) अब तक, भारत सरकार तथा इराक के बीच 7 डी. पी. ए. पर हस्ताक्षर किए गए है जिनमें प्रत्येक डी. पी. ए. के अन्तर्गत देय भुगतानों की अनुसूचियाँ दी गई हैं। डी. पी. ए. के अन्तर्गत भुगतान तेल के रूप में प्राप्त किए जा रहे थे। अंतिम डी. पी. ए. पर 1990 में हस्ताक्षर किए गए थे जिसके अंतर्गत पूरा भुगतान 1 अप्रैल, 1996 तक किया जाना था। तथापि अगस्त, 1990 के खाड़ी संकट के परिणामस्वरूप इराक से कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था। डी. पी. ए. से बाहर की परियोजनाओं के संबंध में 1988 से 1992 की अवधि के बीच पूरी की गई थी तथा परियोजनाओं के पूरा होने के बाद कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) इराक से बकाया राशि की वसूली डी. पी. ए. के अंतर्गत अगस्त, 1990 तक कच्चे तेल के रूप में होती थी। अगस्त, 90 के बाद, चूँकि भारत सरकार तथा इराक के बीच किसी डी. पी. ए. पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं इसलिए वापस अदायगी के किसी भी स्वरूप के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ है। नई दिल्ली में 31 अगस्त-2 सितम्बर 1998 के दौरान आयोजित भारत-इराक आर्थिक एवम् तकनीकी सहयोग संयुक्त आयोग के 12वें सत्र के दौरान भारतीय पक्ष ने डी. पी. ए. के अंतर्गत, डी. पी. ए. के बाहर तथा एक्जिम बैंक एल. ओ. सी. के अंतर्गत परियोजनाओं के संबंध में अपनी चिंताओं से अवगत करवाया। इराकी पक्ष ने इस बात को नोट किया तथा इराक पर प्रतिबंधों के हटने के बाद इस मामले को सकारात्मक रूप से लेने के लिए अपनी वचनबद्धता दोहराई।

परिवहन राजसहायता को वापस लौटाये जाने हेतु विशेष अभियान

3825. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकलन वर्ष 1997–98 के लिए केन्द्र सरकार/सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को परिवहन राजसहायता प्रत्यर्पण संबंधी आदेश को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो उसकी स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अब उपरोक्त सभी प्रत्यर्पण मामलों को निपटाने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को स्रोत पर कर की कटौती करने के पश्चात वाहन भत्ते का भुगतान किया गया था। तत्पश्चात् संगत नियमों के भूतलक्षी संशोधन के जरिए ऐसे वाहन भत्ते को छूट के रूप में माना गया था। तदनुसार, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में कर–निर्धारण वर्ष 1998–99 के लिए बड़ी संख्या में वापसियां उत्पन्न हुई। जहाँ एक तरफ बेहतर सेवा प्रदान करने के प्रयास के भाग के रूप में विवरणी प्राप्ति के लिए विशेष काऊन्टर खोले गए थे वहीं दूसरी ओर धारा 113(1)(क) के अर्न्तगत काऊन्टर पर ही विवरणियों पर कार्रवाई की गई और उसी समय ही वापसियां भी जारी की गई थीं।

आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुरूप विवरणियों पर कार्रवाई पूरी करने पर ही शेष सभी वापसियों को जारी किया जाएगा।

वाहन सब्सिडी पर भुगतान किये गये अतिरेक कर से उत्पन्न हुई वापसियों के अलग–अलग आंकड़े विभाग द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

बिहार में निर्यात क्षेत्र

3826. श्री राजो सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996–97, 1997–98 और 1998–99 के दौरान बिहार में निर्यात के लिए मुख्य क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार से कृषि उत्पादों के अधिकाधिक निर्यात पर ज्यादा ध्यान देने हेतु प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) वाणिज्य मंत्रालय के पास विभिन्न राज्यों से निर्यात के क्षेत्रों को अभिज्ञात करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, निर्यात की संभावना वाली विभिन्न वस्तुओं/उत्पादों पर उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता के आधार पर विचार करती है।

(ग) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण ने बिहार से निर्यात के लिए लीची को अभिज्ञात किया है और इसके निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं, जिनमें गुणवत्ता युक्त लीची के उत्पादन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, विदेशी वैज्ञानिकों की सेवाएं लेना और रीफर कंटेनरों के जरिए लीची का पोतलदान आदि शामिल हैं।

राज्य सरकार और निर्यात संवर्धन परिषद् निर्यात योग्य उत्पादों के संदर्भ में क्षेत्रों को अभिज्ञात करती है और इन क्षेत्रों से होने वाले निर्यातों में आने वाली अवस्थापना संबंधी बाधाओं को हटाने के लिए परियोजनाएं तैयार करती हैं। भारत सरकार इन क्षेत्रों से निर्यातों की संवर्धन करने के लिए ऐसी परियोजनाओं को वाणिज्य मंत्रालय की आकस्मिक बुनियादी सुविधा संतुलनकारी योजना के तहत सहायता प्रदान करती है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने रेशम निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए भागलपुर में एक प्रमाणन केन्द्र की स्थापना की है।

हाजीपुर, जिला वैशाली में एक निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ई. पी. आई. पी.) की मंजूरी प्रदान की गई है।

आंध्र प्रदेश में सामुदायिक तथा कल्याण कार्य

3827. श्री एस.एस. ओवेसी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश के कोयला क्षेत्रों में शुरु किए गए सामुदायिक विकास तथा कल्याण कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा राज्य तथा कोयले का उत्पादन करने वाले अन्य राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इस पर राज्यवार कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) चूंकि कोल इंडिया लि. की आंध्र प्रदेश में कोई खान नहीं है। अतः कोल इंडिया लि. द्वारा वहाँ पर सामुदायिक विकास एवं कल्याण कार्य प्रारंभ नहीं किए गए हैं।

(ख) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई मात्रा के अनुसार वित्तीय वर्ष 1998–99 हेतु लेखों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। को. इं. लि. तथा उसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा 1995–96, 1996–97 और 1997–98 के दौरान अन्य कोयला उत्पादक राज्यों में सामुदायिक विकास एवं कल्याण संबंधी कार्य पर किए गए खर्च का राज्यवार ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

(लाख रु. में)

कंपनी	राज्य	1995–96	1996–97	1997–98 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
ई. सी. एल.	प. बंगाल और बिहार	52.81	39.92	35.66
बी. सी. सी. एल.	बिहार	51.00	56.68	45.19
सी. सी. एल.	बिहार	76.60	70.91	71.16
डब्ल्यू. सी. एल.	म.प्र. और महाराष्ट्र	29.69	11.62	65.14
एस. ई. सी. एल.	म.प्र.	156.26	155.10	250.52
एम. सी. एल.	उड़ीसा	256.33	458.60	590.14
एन. सी. एल.	म.प्र. और उ.प्र.	30.97	61.39	35.54
एन. ई. सी.	असम	9.55	11.81	18.20
सी. एम. पी. डी. आई. एल.	बिहार, प. बंगाल, म.प्र., महाराष्ट्र और उड़ीसा	40.56	0.40	50.00
कुल		703.77	866.43	1161.55

विदेशी कम्पनियों द्वारा कर अपवंचन

3828. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ टोक्यो–मित्सुविशी, हयात होटल, सैमसंग इलैक्ट्रोनिक्स आदि विदेशी कम्पनियां देश में आयकर अपवंचन करती पायी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कार्य प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी कम्पनियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की;

(घ) क्या देश में मौजूद सभी विदेशी कम्पनियों की अपवंचन संबंधी जांच करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ङ) आयकर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किए गए कुछेक सर्वेक्षणों के दौरान, यह पाया गया था कि प्रश्न के खंड (क) में उल्लिखित कंपनियों सहित बहुत सी कम्पनियां अपने प्रवासी कर्मचारियों को उनके वेतन और भत्तों के एक बड़े भाग का उनके अपने देश में भुगतान कर रही हैं, लेकिन वे ऐसी राशियों पर देय आयकर की कटौती नहीं कर रही हैं। आरम्भिक सर्वेक्षणों के पश्चात्, अनेकों विदेशी कंपनियां स्वेच्छा से आगे आयीं और उन्होंने अपने प्रवासी कर्मचारियों को उनके अपने देश में किए जाने वाले भुगतानों पर देय राशियों के संबंध में घोषणा की। उन सभी कम्पनियों को देय ब्याज सहित कर की अदायगी करने को कहा गया है जहाँ ऐसी कार्य प्रणाली का पता चला है और इस कर के पर्याप्त हिस्से का भुगतान कर दिया गया है।

भारत से बाहर प्रवासी कर्मचारियों को दिए गए वेतन के भाग पर स्रोत पर कर की कटौती न करने पर रोक लगाने के लिए सभी अपेक्षित मामलों के संबंध में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

रुग्ण वस्त्र मिलों का पुनरुद्धार

3829. श्री सी. कुप्पू सामी :

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

श्री यू. वी. कृष्णमराजु :

श्री एम. बागा रेड्डी :

श्री आर. साम्बासिवा राव :

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री जगत वीर सिंह द्रोण :

श्री कल्लाप्पा आवाडे :

श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटील :

श्री मोहन रावले :

श्री के. पी. मोहन :

श्री अरविंद कांबले :

श्री रंजीब बिस्वाल :

श्री ए. सी. जोस :

श्री ए. गणेश मूर्ति :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री आर. एस. गवई :

श्री पंकज चौधरी :

श्री पी. एस. गढ़वी :

श्रीमती भावना कर्दम दवे :

श्रीमती जयन्ती पटनायक :

डॉ. उल्हास वासुदेव पाटील :

श्री के. एच. मुनियप्पा :

श्री दिलीप संघाणी :

श्री तथागत सत्पथी :

श्री वैको :

श्री संदीपान थोरात :

श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

श्री मदन पाटील :

क्या वस्त्र मंत्री 11 दिसम्बर, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2204 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एस. वाई. सत्यम समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसका गठन नई वस्त्र नीति जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में रुग्ण कपड़ा मिलों का पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण भी शामिल है-तैयार करने के लिए किया गया था;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं तथा सरकार को यह रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है;

(घ) महाराष्ट्र में रुग्ण किन्तु क्षमतापूर्ण और संभावनायुक्त कपड़ा मिलों का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें पुनः अर्थक्षम बनाने के लिए तैयार की गई समगबद्ध कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महाराष्ट्र में योजना के क्रियान्वयन के लिए अनुमानित कितने धन की आवश्यकता है तथा चालू वर्ष के दौरान कितने धन का प्रावधान किया गया है और अगले वर्ष के लिए कितना प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विशेषज्ञ समिति द्वारा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में इसलिए समय लिया गया है क्योंकि विशेषज्ञ समिति ने देश के विभिन्न भागों में राज्य सरकारों, व्यापार और उद्योग क्षेत्रों, शीर्ष संगठनों, संघों, परिसंघों, निर्यात संवर्धन परिषदों, अनुसंधान संगठनों, बैंकों/वित्तीय संस्थानों, मजदूर संघों, उपभोक्ता संघों तथा के प्रतिनिधियों और विशिष्ट विशेषज्ञों के साथ गहन "पारस्परिक-सक्रिय अधिवेशन" का आयोजन किया जो कि मौजूदा परिस्थिति, प्रमुख समस्याओं, संभावित उपायों, नई नीतियों और परिवर्तित परिस्थिति में उपयुक्त नई पहल करने के बारे में समग्र संभावनाओं का पता लगाने के लिए आवश्यक है। सरकार ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख 23 अप्रैल, 1999 तक बढ़ा दी है।

(घ) और (ङ) औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) वस्त्र मिलों सहित रुग्ण मिलों की अर्थक्षमता की जांच कर रहा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार (31.12.1998 तक की स्थिति के अनुसार) महाराष्ट्र राज्य की वस्त्र मिलों के 72 मामले बी. आई. एफ. आर. को भेजे गए हैं। बी. आई. एफ. आर. को ऐसी मिलों के भेजे गए मामलों की अर्थक्षमता तथा वित्तीय पैकेज पर निर्णय राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा राहत/रियायत देने, बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा कार्यशील पूंजी और सांविधिक ऋण प्रदान करने आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद लिया जाता है।

[हिन्दी]

राजस्व विभाग द्वारा मामलों का निपटान

3830. श्री मोहन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व विभाग द्वारा मामलों का निपटान करने के बाद ग्राहक द्वारा तत्काल धनराशि जमा करने की कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) ग्राहक द्वारा व्यक्तिगत रूप से पेश न होकर अथवा कोई अपील दायर न कर अदा नहीं की गई बकाया राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली समाहर्ताओं द्वारा कितने मामलों का निपटान किया गया;

(ङ) ऐसे मामलों तथा बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(च) बकाया धनराशि को वसूल करने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और उसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। वित्त (संख्या 2) अधिनियम 1998 की धारा 90 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर विवाद समाधान योजना के अधीन घोषणाकर्त्ता को पदनामित प्राधिकारी द्वारा कर बकाया के अन्तिम और पूर्ण निपटान के लिए निश्चित राशि को पदनामित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के 30 दिन के अन्दर-अन्दर अदा करना होता है।

(ग) वर्तमान सूचना के अनुसार अप्रत्यक्ष करों से संबंधित कर विवाद समाधान योजना के अन्तर्गत यथादेय निर्धारित 751 करोड़ रुपए की राशि में से सीमा शुल्क और केन्द्रीय उतपाद शुल्क के मामलों के संबंध में घोषणाकर्त्ताओं द्वारा दिनांक 31.03.99 तक 468 करोड़ रुपए की राशि अदा कर दी गई बताई है। इसलिए योजना के अन्तर्गत 283 करोड़ रुपए की राशि का विभाग को भुगतान बाकी रहा। प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत 930 करोड़ रुपए देय हैं। बकाया राशि के बारे में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) 4 मंडलों में अप्रत्यक्ष करों से संबंधित निपटाए गए मामलों की संख्या और बकाया राशि निम्नानुसार है :

मण्डल	निपटाए गए मामलों की संख्या	बकाया राशि
चेन्नई	1141	42.53 करोड़ रुपए
मुम्बई	2608	19.84 करोड़ रुपए
कलकत्ता	1025	16.90 करोड़ रुपए
दिल्ली	2151	7.50 करोड़ रुपए

प्रत्यक्ष करों से संबंधित अपेक्षित सूचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं।

(च) बकाया राशि, यदि कोई है, कर विवाद समाधान योजना के अन्तर्गत वसूल नहीं की जा सकती, चूंकि योजना बंद हो गई है और यद्यपि योजना को अन्तर्गत यथादेय निर्धारित राशि अदा नहीं किए जाने पर भी विभाग द्वारा वसूली के लिए कार्रवाई करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है जैसे सभी मामले साधारण प्रावधानों के अधीन निपटाए जाएगें जिनमें ब्याज लगाना, शास्ति लगाना, बैंक खातों की जब्ती, चल और अचल सम्पत्तियों की जब्ती और बिक्री शामिल है।

[अनुवाद]

पेटेंट अधिनियम में परिवर्तन

3831. डॉ. वी. एन. रेड्डी :

श्री के. येरननायडू :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने पेटेंट अधिनियम में परिवर्तन करने के बारे में भारत से विचार विमर्श हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) पेटेंट अधिनियम में जन-स्वास्थ्य और पोषण की सुरक्षा हेतु प्रदान किए गए पूर्वोपाय का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भारत के साथ परामर्श करने का अनुरोध किया था ताकि पेटेंटों पर भारत-अमेरिका विवाद में विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय के निष्कर्षों के अनुपालन के लिए अपेक्षित उपायों पर सामान्य समझौता किया जा सके। 11 फरवरी, 1999 को जनेवा में विचार-विमर्श हुआ था। विचार-विमर्श में पेटेंट अधिनियम, 1970 में किये गये संशोधनों के उपबंध तथा मेलबॉक्स और अनन्य विपणन अधिकरों के लिए लागू उपबंध और अनिवार्य लाइसेंसीकरण के उपबंध शामिल थे। उस बैठक में अमेरिका के समक्ष भारत की स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी।

(घ) पेटेंट अधिनियम की धारा 47(2), धारा 89 और 90 तथा अध्याय XVII के उपबंधों में लोक स्वास्थ्य और आहार संरक्षण के व्यापक और पर्याप्त रक्षोपाद है।

इस्पात क्षेत्र में मंदी

3832. श्री रवि नायक :

श्री संदीपन थोरात :

श्री डी. एस. अहिरे :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात क्षेत्र भयंकर मंदी का शिकार है;

(ख) यदि हां, तो 1997-98 के दौरान फिनिश्ड स्टील के उत्पादन में कितनी वृद्धि/कमी आई और इस अवधि के दौरान इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ग) लक्ष्य प्राप्त करने/इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन से ठोस प्रयास किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने इस्पात क्षेत्र के पुनरुद्धार/विस्तार उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए कोई प्रोत्साहन और निवेश पैकेज तैयार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान बड़ी मात्रा में सस्ते इस्पात का आयात भी मंदी का एक कारण है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/ उठाए जा रहे हैं;

(ज) क्या इस बारे में कोई विशेषज्ञ दल गठित किया गया है;

(झ) यदि हां, तो क्या उक्त दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ञ) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (च) यह सही है कि इस्पात क्षेत्र विभिन्न कारणों से गत 2 वर्षों से उत्थान में कमी का सामना कर रहा है। इनमें से कुछ कारण इस प्रकार है :

(1) इस्पात खपत क्षेत्रों में मांग की कमी।

(2) देश में समग्र आर्थिक मंदी।

(3) इस्पात उद्योग की आदान सामग्रियों के मूल्य में वृद्धि।

(4) इस्पात पर उत्पाद शुल्क में निरन्तर वृद्धि।

(5) सी. आई. एस. और अन्य देशों द्वारा परिसज्जित इस्पात का पाटन।

(6) इस्पात के निर्यात बाजार में प्रतिकूल परिस्थितियां।

(7) घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट।

(ख) उदारीकरण के पश्चात् सरकार द्वारा इस्पात हेतु उत्पादन लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। मांग, उत्पादन और खपत बाजार ताकतों पर निर्भर होती है। 1997–98 के दौरान परिसज्जित (कार्बन) इस्पात का उत्पादन 23.37 मिलियन टन था जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 2.8 प्रतिशत अधिक है।

(ग) से (ङ) और (छ) से (ञ) सरकार ने इस्पात की मांग को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार, निजी क्षेत्र में इस्पात उत्पादन की अतिरिक्त क्षमताओं का सृजन करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपायों को अपनाना। भारतीय इस्पात उत्पादक इस्पात की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए निरन्तर कदम उठा रहे हैं, जिनमें प्रौद्योगिकी का उन्नयन, उत्पादकता एवं उत्पादन में सुधार, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद मिश्र को अपनाना।

1999–2000 के केन्द्रीय बजट में सरकार ने विभिन्न साधनों, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ बुनियादी क्षेत्र, सिंचाई परियोजनाओं, आवास परियोजनाओं और ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के विकास की गति को बढ़ाना शामिल है, के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार पर विशेष बल दिया गया है। आशा है कि इन उपायों से इस्पात की मांग में वृद्धि होगी।

इस्पात क्षेत्र में मौजूदा मंदी का अध्ययन करने के लिए सरकार के एक कार्यदल का गठन किया था। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ घरेलू इस्पात उद्योग की सहायता हेतु निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की है;

(1) डी. ई. पी. बी. (ड्यूटी एन्टाइटेलमेंट पास बुक) दरों को युक्तिसंगत बनाना।

(2) कतिपय परिसज्जित इस्पात मदों पर आयात शुल्क की यथा–मूल्य दर को निश्चित शुल्क में परिवर्तित करने की व्यवहार्यता पर विचार करना।

(3) घटिया और दोषपूर्ण सामग्री के आयात पर विशेष आयात शुल्क लगाने और इस्पात की कतिपय श्रेणियों के लिए शुल्क को विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित दरों तक बढ़ाने जैसे उपायों पर विचार करना।

(4) विशिष्ट न्यूनतम मूल्य से कम की घटिया और दोषपूर्ण सामग्री के आयात को खुला सामान्य लाइसेंस के तहत से हटाने पर विचार करना।

(5) एक त्वरित कार्य–तंत्र स्थापित करके पाटन के मामलों को निपटाना;

(6) इस्पात क्षेत्र के लिए ऐसी आदान मदों, जो देश में उपलब्ध नहीं है, पर 2% + 3% के विशेष उत्पाद शुल्क और 4% के विशेष अतिरिक्त शुल्क को वापस लेना/माफ करना।

कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में अभी तक प्राप्त परिणामों, जिनसे इस्पात उद्योग मौजूदा स्थिति से निजात पा सकेगा, का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(i) एच. आर. क्वायलों, सी. आर. क्वायलों, जी. पी./जी. सी. शीटों रंग चढ़ी शीटों के निर्यात हेतु डी. ई. पी. बी. दरों को युक्ति संगत बताया गया है।

(ii) सरकार ने दोयम दर्जे के और दोषपूर्ण उत्पादों सहित परिसज्जित इस्पात के कतिपय चपटे उत्पादों के सस्ते दामों पर आयात को प्रतिबंधित करने के लिए इसके न्यूनतम मूल्य निर्धारित किए हैं। परिणामस्वरूप इन मदों के घरेलू उत्पादक अपनी हानि को कुछ हद तक कम कर पाने में सफल हुए हैं।

(iii) कार्यदल द्वारा इस्पात क्षेत्र हेतु आदान लागत में कमी करने की सिफारिश की गई थी। कोककर कोयला (12% से कम

राखांश) अकोककर कोयला धातुकर्मीय कोक, फैरो निकल, चार्ज निकल और निकल ऑक्साइड सिंटरों; न्यून सिलिकायुक्त चूना पत्थर और ग्रेफाइट इलेक्ट्राड्स (28" से अधिक) जैसे अनेक आदानों पर विशेष आयात शुल्क को 1998–99 में माफ कर दिया गया है। इससे घरेलू इस्पात उद्योग को लोहे और इस्पात के विनिर्माण हेतु आदानों की लागत में कमी करने में सहायता मिली है।

(iv) पाटनरोधी तंत्र को सुदृढ़ बनाने की सिफारिश की गई थी। रूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान से एच. आर. कवायलों/चादरों/प्लेटों के कथित पाटन के लिए घरेलू इस्पात उत्पादकों की ओर से मैसर्स सेल और मैसर्स एस्सार स्टील लि. द्वारा दायर की गई पाटनरोधी याचिका के संबंध में निर्णय ले लिया गया है। नामजद प्राधिकारी ने अपनी दिनांक 18 नवम्बर, 1998 की अधिसूचना के माध्यम से रूस और यूक्रेन से किए जाने वाले आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाएं जाने की सिफारिश की थी। अतः 27.11.98 से पाटनरोधी शुल्क लगा दिया गया है।

डी. आर. टी. बेंगलर में कर्मचारियों की कमी

3833. श्री ए. सिदराजू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी. आर. टी.) बेंगलूर के समक्ष कितने मामले दर्ज कराए गए;

(ख) उपर्युक्त न्यायाधिकरण में अधिकारियों समेत कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ग) क्या अपर्याप्त कर्मचारियों के कारण इन मामलों को निपटाने में विलम्ब हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो अतिरिक्ति कर्मचारियों को तत्काल मंजूरी देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) ऋण वसूली अधिकरण, बेंगलूर ने सूचित किया है कि वर्ष 1997, 1998 और 1999 (31.3.1999) तक अधिकरण के पास 2875 मामले दायर किए गए थे।

(ख) से (घ) वर्तमान में बेंगलूर में ऋण वसूली अधिकरण में 21 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। शुरूआत में सरकार द्वारा 19 पद (अधिकारियों सहित) मंजूरी किए गए थे। तथापि, सरकार द्वारा कार्य की मात्रा की पुनरीक्षा के पश्चात् वर्ष 1997–98 के दौरान ऋण वसूली अधिकरण बेंगलूर सहित प्रत्येक अधिकरण के लिए 10 अतिरिक्त पद मंजूर किये गये थे।

पुरानी मशीनरी का आयात

3834. श्री अभय सिंह एस. भोंसले :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी और अप्रचलित प्रयुक्त मशीनों के आयात में हाल ही में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो प्रयुक्त मशीनों का आयात करने हेतु इस समय किन शर्तों/नियमों का पालन किया जा रहा है;

(ग) क्या वर्तमान नियमों में आयातित प्रयुक्त मशीनों की आयु के बारे में कोई प्रावधान नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने प्रयुक्त मशीनों के आयात पर प्रतिबंध हेतु कोई सुझाव दिया है; और

(च) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (च) यद्यपि पुरानी पूंजीगत वस्तुओं के आयात के बारे में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, तथापि अनेक क्षेत्रों में ऐसी वस्तुओं का आयात किए जाने की सूचना मिली है। सी. आई. आई. ने भी यह सुझाव दिया है कि ऐसे आयातों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इन सुझावों और घरेलू उद्योग के आधुनिकीकरण और उन्नयन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 31.03.99 से पुरानी पूंजीगत वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है।

निवेशकों की एसोसिएशन को वित्तीय सहायता

3835. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994–95 से 1997–98 के दौरान निवेशक एसोसिएशनों को राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज और उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज से वर्ष–वार कितनी वित्तीय सहायताप्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एल. आई. सी. से ऋण

3836. डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम केन्द्र की योजना के अनुसार विभिन्न शहरों में जल आपूर्ति और जल–मल व्ययन की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को ऋण प्रदान कर रहा है;

(ख) क्या प्राप्त की जाने वाली राशि ऋण आवेदन और प्रणाली के अनुसार 50 प्रतिशत से भी कम रह जाती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ऋणों की पूरी राशि उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया गया है कि वह जलापूर्ति तथा मल व्ययन योजनाओं के वित्तपोषण के लिए उनकी लागत के आधार पर ऋण स्वीकृत करता है। योजना आयोग द्वारा किए गए आबंटन के आधार पर, राज्य सरकारें/राज्य स्तर के जल प्राधिकारियों द्वारा अपने प्रस्ताव भारतीय जीवन बीमा निगम को ऋण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं। श्रेणीकृत पैटर्न के अनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम योजनाओं की लागत के आधार 67 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की सीमा तक ऋण स्वीकृत करता है। ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के मामले में, भारतीय जीवन बीमा निगम लागत के अधिकतम 50 प्रतिशत तक की राशि का ऋण स्वीकृत करता है और शेष लागत की पूर्ति सामान्यतः राज्य सरकार के अनुदानों से की जाती है। ऐसी योजनाओं से संबंधित भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्तपोषण पैटर्न इस प्रकार से अपनाया जाता है। कि बड़ी संख्या में योजनाओं को निधि सहायता उपलब्ध कराई जा सके। भारतीय जीवन बीमा निगम योजनाओं के मूल अनुमानित लागत में बढ़ी राशि को कवर करने के लिए ऋण भी उपलब्ध कराता है। यह ऋण मूल तथा संशोधित अनुमानित लागत के मध्य के अन्तर का 25 प्रतिशत की सीमा तक हो सकता है।

आधारभूत सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं में निवेश

3837. श्री दरोगा प्रसाद सरोज :

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यकरण संबंधी विशेषज्ञ ग्रुप ने आधारभूत ढांचागत क्षेत्र में भारी निवेश की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो जून, 1996 से और आज की तारीख तक देश में कितना देशी और विदेशी निवेश किया गया है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए निवेश का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) आधारढांचा परियोजना के वाणिज्यीकरण संबंधी विशेषज्ञ समूह ने अनुमान लगाया है कि आधारढांचा निवेश की आवश्यकता वर्ष 1996-97 से 2000-01 के बीच लगभग 4300 विलियन रुपए और वर्ष 2001-2002 से 2005-06 के बीच लगभग 7,400 विलियन रुपए होगी।

(ख) और (ग) विदेशी सहयोग, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के वास्तविक अन्तर्प्रवाह और निवेश के राज्य-वार अनुमानों के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण I, II और III में प्रस्तुत है।

विवरण-I

एस.आई.ए. न्यूजलेटर जनवरी, 1999

I विदेशी सहयोग अनुमोदन – तुलनात्मक आंकड़े

		1991	92	93	94	95	96	97	98*	जोड़ (91-98)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	निम्नलिखित द्वारा विदेशी सहयोग के अनुमोदनों की कुल सं.									
(i)	ओ. स. स.	760	585	307	382	593	410	167	193	3397
(ii)	भा. रि. बैं.	188	736	676	702	799	719	801	432	5053
(iii)	वि. नि. सं. बो.	2	199	493	770	945	1174	1357	1161	6101
	जोड़	950	1520	1476	1854	2337	2303	2325	1786	14551#
2.	निम्नलिखित द्वारा विदेशी सहयोग (तकनीकी) के अनुमोदनों की कुल सं.									
(i)	ओ. स. स.	514	342	248	290	428	311	119	129	2381
(ii)	भा. रि. बैं.	147	485	441	501	552	424	416	401	3367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(iii)	वि. नि. सं. बो.	—	1	2	1	2	9	125	65	205
	जोड़	661	828	691	792	982	744	660	595	5953
3.	एफ. सी. अनुमोदनों जिनमें विदेशी निवेश सन्निहित है, की संख्या									
(i)	औ. स. स.	246	243	59	92	165	99	48	64	1016
(ii)	भा. रि. बैं.	41	251	235	201	247	295	385	31	1686
(iii)	वि. नि. सं. बो.	2	198	491	769	943	1165	1232	1096	5896
	जोड़	289	692	785	1062	1355	1559	1665	1191	8598
4.	सन्निहित विदेशी निवेश की कुल राशि (बिलियन रुपए)									
(i)	औ. स. स.	3.6	4.2	1.6	3.2	3.0	11.8	3.2	7.2	37.8
(ii)	भा. रि. बैं.	1.4	7.8	6.6	5.3	5.4	12.5	92.7	1.9	133.6
(iii)	वि. नि. सं. बो.	0.3	26.9	80.4	133.4	312.3	337.2	453.0	299.0	1642.5
	जोड़	5.3	38.9	88.6	141.9	320.7	361.5	548.9	308.1	1813.9#
	(भारतीय रुपए)									

टिप्पणी (i) 1 बिलियन = 100 करोड़

(ii) #इसमें सार्वभौमिक निक्षेप निधि प्राप्तियों/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा अनुमोदित 193.90 बिलियन रुपए के निवेश वाले 58 प्रस्ताव शामिल हैं।

(iii) *31.12.98 तक अद्यतन किए गए वर्ष 1998 के आंकड़े।

(iv) +अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि –52.95 बिलियन (लगभग) अमरीकी डालर

औ. स. स. — औद्योगिक सहायता सचिवालय

भा. रि. बैं. — भारतीय रिजर्व बैंक

वि. नि. सं. बो. — विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड।

विवरण-II

5. जनवरी, 1991 से दिसम्बर, 1998 तक की अवधि के दौरान प्राप्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (वि. प्र. नि./अनि. भा. निवेश) के वास्तविक अन्तर्प्रवाह को दर्शाने वाली विवरणी

राशि मिलियन रुपए में

निम्नलिखित में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वास्तविक अर्न्तगत प्रवाह	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998*	जोड़ (1991 दिस. 1998)
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. सरकार का अनुमोदन (वि.नि.सं.बो., औ.स.स.)	1911.8	4779.5	9851.6	15007.6	38694.4	57589.1	101284.0	82397.3	311,515.3
II. भा. रि. बैं. का स्वतः अनुमोदन प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन	शून्य	475.4	2411.0	3625.8	5301.6	6196.2	8672.2	6106.5	32,788.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.	अनिवासी भारतीय +									
	क. 40 प्रतिशत स्कीम ख. 100 प्रतिशत स्कीम	1602.5	1496.9	5604.5	11185.1	19705.6	20620.4	10396.2	3594.8	74,205.9
IV.	सार्वभौमिक निक्षेप निधि प्राप्तियां/ विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड %	—	—	—	3074.3	4498.7	16448.3	34360.6	511.5	58,893.4
V.	शेयरों को निवासी से अनिवासी को* अन्तरण पर अन्तर्प्रवाह की राशि	—	—	—	—	—	3038.0	9540.3	40593.5	53,171.8
	कुल जोड़	3,514.3	6,751.8	17,867.1	32,892.8	68,200.2	103,892.0	164,253.3	133,203.6	530,575.1

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक, (ई. सी. डी.), सैंट्रल ऑफिस, मुंबई। जोड़ : 530,575.1 मिलियन (1991 से दिस. 98)

टिप्पणी: I. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर जून, 1994 से दिसम्बर, 98 तक की अवधि के दौरान विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा दिए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदनों के एवज में जी. डी. आर./एफ. सी. सी. बी. के माध्यम से जुटाई गई अन्तर्प्रवाहों की राशि।

II.+ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1.1.91 से 31.12.98 तक संचालित विशेष अनिवासी भारतीय निवेश स्कीमें (स्कीम अर्थात् 40 प्रतिशत, 100 प्रतिशत, 24 प्रतिशत, एयर टैक्सी, आवास और अचल सम्पदा विकास एवं रुग्ण इकाई)।

III.# अनन्तिम जिनका भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई के साथ पुनः समाकलन किया जा सकता है।

IV.% 31.12.98 तक अद्यतन बनाए गए वर्ष 1998 के लिए आंकड़े।

V.* भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई द्वारा सूचित—जनवरी, 1996 से दिसम्बर, 1998 के दौरान फेरा की धारा 29 के अधीन शेयरों का निवासी से अनिवासी को अन्तरण।

विवरण-III

औद्योगिक निवेश प्रस्ताव (राज्य–वार)

अगस्त, 1991--जनवरी 1999

कुल प्रस्ताव			औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई. ई. एम.)						आशय पत्र (एल. ओ. आई.)					
राज्य	(आई. ई. एम. + एल. ओ. आई.)	%	दायर सं.	%	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए)	%	प्रस्तावित रोजगार संख्या	%	जारी संख्या	%	प्रस्तावित निवेश करोड़ रुपए	%	प्रस्तावित रोजगार संख्या	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
महाराष्ट्र	7292	18.91	6806	19.26	126196	19.13	1194255	19.53	486	15.02	12156	11.70	119999	15.82
गुजरात	5365	13.91	4967	14.06	122736	18.61	821436	13.43	398	12.30	20073	19.33	59868	7.89
उत्तर प्रदेश	3829	9.93	3486	9.87	61355	9.30	583294	9.54	343	10.60	9828	9.46	100802	13.29
तमिलनाडु	3742	9.70	3181	9.00	44504	6.75	516718	8.45	561	17.34	10386	10.00	111539	14.71
आंध्र प्रदेश	2634	6.83	2289	6.48	53516	8.11	391814	6.41	345	10.66	9852	9.49	70.493	9.30
हरियाणा	2412	6.25	2233	6.32	23068	3.50	345593	5.65	179	5.53	4053	3.90	51645	6.81
मध्य प्रदेश	2123	5.50	1985	5.62	52428	7.95	427796	7.00	138	4.27	3601	3.47	32083	4.23
राजस्थान	1901	4.93	1814	5.13	28277	4.29	345461	5.65	87	2.69	1592	1.53	14766	1.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
पंजाब	1848	4.79	1711	4.84	21249	3.22	422597	6.91	137	4.23	4448	4.28	45284	5.97
प. बंगाल	1545	4.01	1470	4.16	21075	3.19	241405	3.95	75	2.32	3929	3.78	18042	2.38
कर्नाटक	1454	3.77	1261	3.57	33278	5.04	206633	3.38	193	5.97	9248	8.90	64798	8.54
दादरा और नगर हवेली	1076	2.79	1058	2.99	14636	2.22	120111	1.96	18	0.56	132	0.13	2450	0.32
दमन और दीव	510	1.32	493	1.40	3227	0.49	36996	0.60	17	0.53	66	0.06	3307	0.44
दिल्ली	467	1.21	450	1.27	6379	0.97	46331	0.76	17	0.53	30	0.03	1337	0.18
केरल	427	1.11	373	1.06	6855	1.04	62145	1.02	54	1.67	2513	2.42	13447	1.77
हिमाचल प्रदेश	380	0.99	348	0.98	7649	1.16	81196	1.33	32	0.99	476	0.46	6140	0.81
पांडिचेरी	367	0.95	351	0.99	4117	0.62	35541	0.58	16	0.49	1253	1.21	2868	0.38
बिहार	344	0.89	303	0.86	7063	1.07	49760	0.81	41	1.27	1806	1.74	15695	2.07
गोवा	329	0.85	297	0.84	4478	0.68	31825	0.52	32	0.99	151	0.15	3271	0.43
उड़ीसा	276	0.72	244	0.69	12081	1.83	94689	1.55	32	0.99	5438	5.24	11602	1.53
असम	91	0.24	80	0.23	2913	0.44	12658	0.21	11	0.34	2430	2.34	4278	0.56
जम्मू और कश्मीर	71	0.18	67	0.19	492	0.07	34523	0.56	4	0.12	66	0.06	1705	0.22
चंडीगढ़	25	0.06	24	0.07	234	0.04	4766	0.08	1	0.03	0	0.00	9	0.00
मेघालय	14	0.04	14	0.04	254	0.04	1503	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
सिक्किम	10	0.03	9	0.03	25	0.00	780	0.01	1	0.03	5	0.00	204	0.03
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	9	0.02	9	0.03	332	0.05	2610	0.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00
अरुणाचल प्रदेश	6	0.02	2	0.01	38	0.01	172	0.00	4	0.12	1	0.00	522	0.07
नागालैंड	6	0.02	5	0.01	158	0.02	972	0.02	1	0.03	0	0.00	0	0.00
त्रिपुरा	4	0.01	4	0.01	1040	0.16	1347	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
लक्षद्वीप	1	0.00	1	0.00	4	0.00	278	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
मिजोरम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
मणिपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1 राज्य से अधिक	12	0.03	0	0.00	0	0.00		0.00	12	0.37	0.37	332	2198	0.29
जोड़	38570	11.00	35335	100.00	659657	100.00	6115205	100.00	3235	100.00	103865	100.00	758352	100.00

औ. उ. ज्ञा. (आई. ई. एम.) लाइसेंस रहित क्षेत्र के तहत पदों के लिए दायर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन आवेदन पत्र।

आशय–पत्र (एल. ओ. आई.) : लाइसेंस शुदा क्षेत्र के तहत मदों के संबंध में जारी आशय–पत्र।

1 करोड़ : 10 मिलियन।

[अनुवाद]

"वाई-2 के" की समस्या पर संक्षिप्त स्थित रिपोर्ट

3838. श्री बची सिंह रावत "बचदा" :

श्री के. एस. राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सेबी" ने सभी सूचीबद्ध निगमों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे अपने तिमाही प्रकाशित परिणामों में "वाई-2 के" की तैयारी से संबंधित संक्षिप्त स्थिति संबंधी अद्यतन रिपोर्ट दें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निगमों द्वारा रिपोर्ट में अन्य किन-किन बातों का उल्लेख किया जाएगा;

(ग) क्या सभी निगम सेबी के आदेशों का अनुपालन करते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने दिनांक 9 मार्च, 1999 के अपने परिपत्र के जरिए सभी स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक और तिमाही परिणामों से संबधित सूचीकरण करार में संशोधन करने की सलाह दी है जिसमें सूचीबद्ध कार्पोरेटों से वाई-2 के. की तैयारी की स्थिति की संक्षिप्त प्रास्थिति बताने की अपेक्षा की गई है।

(ख) कम्पनीयों द्वारा किए जाने वाले प्रकटनों में वर्ष 2000 के मुद्दों के कारण कम्पनी को होने वाले खतरे, उन्हें सुलझाने की लागत और कम्पनी की "आकस्मिकता-योजनाएं" शामिल होंगी।

(ग) और (घ) प्रकटन संबंधी इन अपेक्षाओं को वार्षिक परिणामों के संबंध में 31 दिसम्बर, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष अथवा इसके बाद तथा तिमाही परिणामों के लिए 31 मार्च, 1999 को अथवा उसके बाद समाप्त होने वाली तिमाही से प्रभावी बना दिया गया है। संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों से अपेक्षित है कि वे कार्पोरेटों द्वारा, सूचीकरण करार के अनुपालन की मॉनीटरिंग करें।

बी. सी. सी. एल. द्वारा आवासीय कालोनी का निर्माण

3839. श्री वसुदेव आचार्य : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी. सी. सी. एल. द्वारा धनबाद के कन्नातूर, धोकरा पंचायत में एक आवासीय कालोनी का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र, क्वाटरों की संख्या निर्माण लागत और पूरा होने की तारीख का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कालोनी के निर्माण के पश्चात् से यह बिना किसी उपयोग के खाली पड़ी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) भारत कोकिंग कोल लि. द्वारा कन्नातूर, धोकरा पंचायत, धनबाद में आवासीय निर्माण न करके इसे कर्माटांड, धोकरा पंचायत, धनबाद में 11.05 करोड़ रु. की लागत से 97.52 एकड़ के क्षेत्र में 852 आवासों का निर्माण किया गया है। इन आवासों के निर्माण को नवम्बर, 1996 में पूरा कर लिया गया।

(ग) और (घ) यद्यपि इन आवासों के लिए भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार के माध्यम से किया गया था तथापि तत्कालीन भू-स्वामी तथा स्थानीय ग्रामवासी भा. को. को. लि. के कर्मचारियों को इन क्वार्टरों का कब्जा लेने नहीं दे रहे हैं। वह असामान्य संख्या में रोजगार की मांग कर रहे हैं। इन आवासों के संबंध में मामले को शीघ्र हल करने तथा कब्जा दिलवाने के लिए कोल इंडिया लि./भा. को. को. लि. स्थानीय ग्रामीणों तथा तत्कालीन भू-स्वामियों के साथ समझौते कर रही है।

मेवे एवं मसालों की तस्करी

3840. श्री टी. गोविन्दन : क्या वाणिजय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेपाल/कलकत्ता के रास्ते श्रीलंका से भारत में मसालों और मेवे की तस्करी की जाती है जिसके कारण घरेलू उत्पादन की कीमतें गिर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तस्करी को प्रभावकारी रूप से रोकने हेतु इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) दिनांक 1.8.98 से निम्नलिखित मसालों का भारत में मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है यदि आयात किसी सार्क देश से किया जाता है;

(1) पीपरा-मूल (2) मिर्च (3) वनीला पाउडर (4) तेजपात (5) दालचीनी छाल (6) लौंग डंठल (7) बड़ी इलायची (8) सौंफ पाउडर (9) अदरक पाउडर (10) केसर जटा (11) तेजपात (12) बनजवायन (13) करी पाउडर (17) सोआ पाउडर (18) सरसों पाउडर (19) धनिया पाउडर (20) जीरा पाउडर इत्यादि।

जहां तक सूखे मेवों का संबंध है, ये मदें अर्थात् ब्राजील नट, काजूगिरी, बादाम, पहाड़ी बादाम, अखरोट चैस्टनर, पिस्ता, खजूर और किशमिश भी मुक्त रूप से आयात की जा सकती है।

चूंकि उपर्युक्त मदों का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है, इसलिए इन मदों की तस्करी के लिए कोई कारण नहीं होगा। तथापि, सरकार स्थिति पर बराबर नजर रख रही है और संबद्ध सीमाशुल्क प्राधिकारियों और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों को सतर्क निगरानी रखने के लिए सावधान कर दिया गया है ताकि अवैध क्रियाकलापों के लिए कठोर कार्रवाई की जा सके।

मूलभूत ढांचे पर कम निवेश

3841. श्री एन. जे. राठवा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 मार्च, 1999 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "इंडिया रेटिड लो आन इन्फ्रास्ट्रकचर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एन. सी. ए. ई. आर.) द्वारा किया गया अध्ययन ऐसे कारकों का विश्लेषण करता है जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अन्तःप्रवाह का निर्धारण करते हैं। यद्यपि जनशक्ति की गुणवत्ता और बाजार के आकार की दृष्टि से भारत का दर्जा बहुत ऊँचा है, लेकिन अवसंरचना के स्तर के मामले में इसका दर्जा कम है।

(ग) अवसंरचना विकास में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ विद्युत, सड़कों व राजमार्गों और पत्तनों एवं बंदरगाहों जैसे क्षेत्रों में 100% तक स्वतः अनुमोदन, केन्द्रीय विद्युत विनियमनकारी प्राधिकरण जैसे स्वतंत्र विनियमनकारी प्राधिकरणों की स्थापना) एक एल. एन. जी. प्राधिकरण और पेट्रोलियम से संबद्ध क्षेत्र के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना विचाराधीन है), अवसंरचना परियोजनाओं के लिए उदार बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ई. सी. बी.) संबंधी मानदण्ड, आकर्षक कर प्रोत्साहन आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

परवाना स्थित पत्थर-खानों का आधुनिकीकरण

3842. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुम्बई के निकट परवाना में स्थित पत्थर–खानों के आधुनिकीकरण के लिए नियम तैयार कर लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परवाना स्थित इन पत्थर खानों के आधुनिकीकरण के लिए "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" अनिवार्य कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस अनिवार्य प्रावधान के फलस्वरूप बेरोजगार होने वाले लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम बनाया जा रहा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (घ) जी, नहीं। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए नियमों के अनुसार खनिज रियायतें केवल राज्य सरकारों द्वारा दी जाती हैं। तथापि, अनुसूची I में निर्दिष्ट खनिजों के लिए खनिज रियायतें देने से पहले केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। गौण खनिजों के संबंध में खनिज रियायतों की मंजूरी संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाए गए गौण खनिज रियायत नियमों के द्वारा दी जाती है। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 3(ङ) के अनुसार, निर्माण पत्थर, गौण खनिजों के वर्ग में आता है और इसलिए पत्थर खानों के आधुनिकीकरण सहित निर्माण पत्थर हेतु खनिज रियायतों की मंजूरी के लिए नियम बनाना महाराष्ट्र राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है।

उड़ीसा में कताई मिलों का बंद होना

3843. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बड़ी संख्या में कताई मिलें बंद हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मिलों के बंद होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन मिलों के पुनरुद्धार हेतु कदम उठाये गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य में दिनांक 31.1.99 को निम्नलिखित 2 कताई मिलों को बंद किया गया है :

1. लिंगराजा टैक्सटाईल (प्रा.) लिमिटेड, ए/68, साहिद नगर, भुवनेश्वर (वित्तीय कठिनाइयों के कारण बंद किया गया है)।
2. भास्कर टैक्सटाईल मिल्स, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, संबलपुर, जरसुगुड़ा, उड़ीसा (बंद किए जाने के ब्यौरे मंगाऐ जा रहे हैं)।

(घ) और (ङ) सरकार ने रुग्णता की समस्याओं को सुलझाने के लिए रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अधीन औद्योगिक व वित्तीय पुनर्रुद्धार बोर्ड की स्थापना की है। लिंगराजा टैक्सआईलस् का मामला बी. आई. एफ. आर. के पास भेजा है तथा बी. आई. एफ. आर. द्वारा मिल को नहीं चलने योग्य घोषित किया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय कन्टेनर निगम

3844. श्री अमन कुमार नागरा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय कन्टेनर निगम को वाणिज्य मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में लाने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) क्या सरकार को भ्रष्टाचार और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के उत्पीड़न के बारे में उक्त निगम की यूनियन से कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए ?

वाणिजय मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

1982 में एन. टी. सी. वर्कर्रों द्वारा हड़ताल

3845. श्री मोहन रावले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई की एन. टी. सी. मिलों में 1981 की हड़ताल के पश्चात् कितने वर्करों को बहाल नहीं किया गया है;

(ख) तक से अब तक कितने वर्करों की मृत्यु हो चुकी है और कितने वर्करों को अभी तक उपदान की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार हड़ताल पर गए वर्करों को बहाल करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसे वर्करों के परिवार के सदस्यों को उनके उपदान की बकाया राशि का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार एन. टी. सी. (एम. एन.) के अंतर्गत मिल के 5118 कर्मचारियों ने अदालत में अपनी बहाली के लिए अभ्यावेदन किया है और इन मिलों के 5664 कर्मचारियों ने न ही प्रबंधन और न ही अदालत में अपनी बहाली के लिए अभ्यावेदन किया है। एन. टी. सी. (एस. एम.) लि. में 1981 की हड़ताल के पश्चात् 2087 कर्मचारियों को बहाल नहीं किया गया है।

(ख) ऐसे कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध नहीं है जिनकी मृत्यु हो चुकी है।

(ग) से (ङ) कर्मचारी जिन्हें बहाल करने का न्यायालय ने आदेश दिया है उन्हें आवश्यक पहचान करने के पश्चात् बहाल किया जा रहा है और न्यायालय के निर्णय के अनुरूप ग्रैचयुटी सहित सभी देयताऐं दी जायेंगी।

[अनुवाद]

एम. ए. एम. सी. द्वारा भविष्यनिधि बोर्ड को भुगतान करने में असफलता

3846. श्री विकास चौधरी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि. कर्मचारियों के वेतन में से भविष्य निधि की धनराशि काटने और उसमें प्रबंधकों का हिस्सा जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को 1990 से लगातार छूट प्राप्त न्यासी बोर्ड के पास जमा करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की कितनी संचित धनराशि बकाया है;

(ग) क्या इस धनराशि का भुगतान न होने से संबंधित कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) क्या इसके लिए प्रबंधन और प्रवर्तकों को सांविधिक प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही हेतु बुलाया गया है;

(ङ) क्या इस अपराध के लिए दंडात्मक कार्यवाही करने में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन यह आशा की जाती है कि ऐसे मामलों में सरकारी क्षेत्र कोई उदाहरण प्रस्तुत करेगा;

(च) क्या सरकार ने 28 मई, 1998 को माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन को भविष्य में उपयुक्त अधिकारी के पास भविष्य निधि की राशि का समय से पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया है, ताकि और जटिलताओं से बचा जा सके;

(छ) क्या सरकार ने केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को आश्वस्त किया है कि कर्मचारियों से संबंधित सांविधिक भविष्य निधि की बकाया राशि के पूर्ण भुगतान हेतु कार्यवाही आरम्भ की गई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) अत्याधिक वित्तीय संकट होने के कारण, कम्पनी भविष्य निधि आयुक्त के पास भविष्य निधि की राशि जमा करने में सक्षम नहीं हो पायी।

(ख) 31.3.99 की स्थिति के अनुसार 23.65 करोड़ रुपये हैं।

(ग) से (ङ) कंपनी द्वारा पर्याप्त संसाधन सृजित करने में हुई अक्षमता के कारण देय राशि बढ़ी है। लेकिन, सरकार ने हाल ही में एम. ए. एम. सी. के लिए भविष्य निधि सहित सांविधिक देय राशि हेतु 50.66 करोड़ रुपये जारी किये हैं। इससे स्थिति में अनुकूल रूप से सुधार हुआ है।

(च) जी, हां।

(छ) और (ज) दिनांक 28.5.98 को केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को सूचित किया गया था कि कर्मचारियों की सांविधिक देयताओं से संबंधित राशि का भुगतान करने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद

3847. श्री मोतीलाल वोरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इन कदमों द्वारा विकास दर में वृद्धि करने में कहां तक सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा विकास दर की किस प्रकार निगरानी की जा रही है और यह कब से की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप उपादान लागत पर (1993–94 के मूल्यों पर) सकल घरेलू उत्पाद के रूप में मापी गइ समग्र वृद्धि 1997–98 में 5 प्रतिशत (त्वरित अनुमान) से बढ़कर 1998–99 में 5.8 प्रति. (अग्रिम अनुमान) हो गई। सांख्यिकी विभाग में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी. एस. ओ.) प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करके प्रकाशित करता है। सकल घरेलू उत्पाद के ये अनुमान वर्ष 1950–51 के बाद से उपलब्ध हैं।

ए. सी. सी., कानपुर द्वारा कर अपवंचन

3848. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ए. सी. सी. समूह की कंपनियां कर अपवंचन में संलिप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) माननीय संसद सदस्यों से संदर्भ और कर अपवंचन याचिकाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें उत्तर प्रदेश में कानपुर में एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, उसके अधिकारियों और देवरिया में व्यापारियों द्वारा करों के अपवंचन का आरोप लगाया गया है। इन आरोपों की जांच कर–निर्धारण स्तर पर की जाएगी।

[अनुवाद]

वस्त्र क्षेत्र की मदों पर टैरिफ

3849. डॉ. टी. सुब्बरामी रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत 1998 के लिए निर्धारित वस्त्र कोटे की अतिलंघनता से उत्पन्न विवाद को लेकर यूरोपीय संघ द्वारा डाले गए दबाव के कारण वस्त्र क्षेत्र की अनेक मदों पर आयात शुल्क लगाने के लिए विश्व व्यापार संघ के साथ सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस कार्यवाही में विभिन्न श्रेणियों के 200 से अधिक "टैरिफ लाईनों" को शामिल किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौते के अंतर्गत एक बार अपरिवर्तनीय उत्पाद शुल्क दरों को लगाए जाने के पश्चात् भारत इन मदों पर और अधिक उच्च दरों पर "टैरिफ" लगाए जाने की स्थिति में नहीं रहेगा; और

(घ) यदि हां, तो इससे भारत के वस्त्र निर्यात पर किस हद तक प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) वस्त्रों और क्लोदिंग उत्पादों के लिए बाजार में प्रवेश पाने संबंधी दिनांक 31.12.1994 को हस्ताक्षरित भारत–यूरोपीय यूनियन समझौता ज्ञापन में, जिसमें पारस्परिक लाभ की व्यवस्था की गई है, सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ समझौता ज्ञापन में शामिल 220 एच. एस. लाइनों में सूचीबद्ध वस्त्र मदों के संबंध में डब्ल्यू. टी. ओ. को सूचित करते हुए प्रभारों को सहमत स्तर पर बाध्य करने के प्रति सहमति प्रकट की है।

(ग) हालांकि ऐसी बाध्यताएं सामान्यतया अपरिवर्तनीय रहती हैं, फिर भी विशिष्ट प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए कुछ मामलों में स्तर को बढ़ाने के लिए डब्ल्यू. टी. ओ. के प्रबंधों के अंतर्गत उपबंध उपलब्ध हैं।

(घ) समझौता ज्ञापन के अंतर्गत भारत ने भारत से निर्यात के लिए बाजार में अत्याधिक प्रवेश पाने के बदले अपने प्रभार को बाध्य करने के प्रति सहमति प्रकट की है।

[हिन्दी]

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

3850. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण हेतु कच्चे माल के रख–रखाव परिसर, आपूर्ति तथा उपकरणों को देने हेतु वर्ष 1989 में एक ठेका प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या कंपनी को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध छूट नहीं प्राप्त होने के कारण 58.41 लाख रुपए का घाटा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा कंपनी को घाटा

पहुंचाने में पाये गए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि. (एच. एस. सी. एल.) ने नियंत्रक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बोलपुर के निदेशों का पालन करते हुए 2613 टन फैब्रीकेटेड संरचनाओं के लिए 15.5.1993 तक 58.41 लाख रुपए का भुगतान किया था। यह भुगतान फैब्रीकेटड संरचनाओं पर उत्पाद शुल्क लगाने संबंधी प्रकरण पर उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय के लंबित रहने के विरोध स्वरूप किया गया है।

(ग) उपयुक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रिसर्जेन्ट इंडिया बांड

3851. श्री मदन पाटील :

श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रिसर्जेंट इंडिया बांड के अंतर्गत जुटाए गए धन के उपयोग से संबंधित स्थित की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पिछले वर्ष रिसर्जेन्ट इंडिया बांड से हुई प्राप्तियों को विदेशों में कम दरों पर लगाकर बर्बाद कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) संग्रहीत राशि अर्थात् 4.28 बिलियन अमरीकी डालर (18,051 करोड़ रुपए में से 15,801 करोड़ रुपए) 3.70 बिलियन अमरीकी डालर के बराबर) पहले ही भारत में लाए और रुपए में परिवर्तित किए जा चुके हैं। इनके प्रयोग के ब्यौरे निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए)

एस. एल. आर. के संबंध में अनुदेशों के अनुसार	
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशित राशि	5140
नकद प्रारक्षित अनुपात के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक में धारित निधियां	1986
अन्य बैंकों को अदा की गई राशि	6144

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आधारभूत ढांचे में प्रयोग हेतु किए गए निवेश :

(करोड़ रुपए)

आई. डी. बी. आई.	1000
हुडको	100
पी. एफ. सी.	100
आई. डी. एफ. सी.	500
एक्जिम बैंक	100
आई. सी. आई. सी. आई.	100
	1900

(ग) और (घ) रिसर्जेन्ट इंडिया बांडों के सिर्फ लगभग 15 प्रतिशत संग्रहणों को ही विदेश में रखा गया है, जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

अमरीकी डालर	522.20	मिलियन
पौंड	0.616	मिलियन
ड्यूश मार्क	1.997	मिलियन

इन निधियों को मुख्यतया आधारभूत ढांचा क्षेत्र या ऐसी अन्य आवश्यकताओं हेतु ऋण के विदेशी मुद्रा के भाग का ध्यान रखने के लिए रखा गया है।

कोयले के भंडारों का पता लगाना

3852. श्री गुरुदास कामत :

प्रो. रीता वर्मा :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा देश में कोई स्थानों पर कोयले के भारी भंडारों की उपलब्धता का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विशेष रूप से राजस्थान तथा बिहार के किन-किन स्थानों पर कोयले के भंडारों का पता चला है;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड इन सभी स्थानों पर खनन कार्य शुरू करने की स्थिति में है;

(घ) यदि नहीं, तो इन भंडारों का किस प्रकार खनन किया जायेगा;

(ङ) क्या मांग को पूरा करने हेतु इन भंडारों का तुरंत दोहन किए जाने की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा यह सूचित किया गया है कि देश में 1.1.1999 की स्थिति के अनुसार कुल 208.75 बिलियन टन कोयले के भंडार हैं। राजस्थान में किसी भी कोयले के भंडार की सूचना प्राप्त नहीं हुई है तथापि वहां कुल 1466.99 मिलियन टन लिग्नाइट के भंडार का अनुमान किया गया है। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में कोयले के भंडारों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

(भंडार मिलियन टन में)

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	कुल भंडार
1.	रानीगंज कोलफील्ड्स	2047.10
2.	झरिया कोलफील्ड्स	19430.06
3.	ईस्ट बोकारो कोलफील्ड्स	6005.01
4.	वेस्ट बोकारो कोलफील्ड्स	4753.93
5.	रामगढ़ कोलफील्ड्स	970.96
6.	नार्थ करनपुरा कोलफील्ड्स	14029.11
7.	साउथ करनपुरा कोलफील्ड्स	6013.97
8.	औरंगा कोलफील्ड्स	2997.11
9.	हुटर कोलफील्ड्स	249.82
10.	डालटनगंज कोलफील्ड्स	143.96
11.	देवगढ़ कोलफील्ड्स	399.84
12.	राजमहल कोलफील्ड्स	1171.3.73
	जोड़ :	6875.60

(ग) उक्त क्षेत्र में कोयले की मांग, भू–गर्भीय खनन परिस्थिति, आर्थिक व्यवहार्यता एवं निधियों की उपलब्धता के आधार पर कोल इंडिया कोयला भंडारों के दोहन के लिए परियोजनाओं को तैयार करती है।

(घ) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार विद्युत, इस्पात एवं सीमेंट उत्पादन, जो ग्रहीत उपयोग से संबंधित हैं, से जुड़ी भारतीय निजी कंपनियों द्वारा कोयले के भंडारों का उत्खनन किया जा सकता है।

(ङ) और (च) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोककर कोयले की आंशिक मांग को छोड़कर प्रक्षेपित मांग को पूरा करने के लिए कोयले के भंडारों का दोहन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

भारत-स्पेन सम्बन्ध

3853. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री चेतन चौहान :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और स्पेन के बीच व्यापार संबंधों को **बढ़ावा** देने हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(ग) यह समझौता कब से प्रभावी होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) जी, हां। "भारत की सरकार और स्पेन की सरकार के बीच व्यापार और आर्थिक करार" नामक करार का प्राथमिक उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा को बढ़ाना है। इस करार में परिकल्पित मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है :

(क) दोनों देशों के सरकारी और गैर–सरकारी उद्यमों के **बीच** संपर्क और निकट सहयोग को प्रेरित करना, बढ़ाना देना और उसे **सुकर** बनाना;

(ख) संयुक्त उद्यमों के क्षेत्र में दोनों देशों के **सरकारी और** गैर–सरकारी फर्मों के बीच निष्पादित किए जाने वाले संभावित करारों पर पूरे ध्यान और अनुकूल इच्छा के साथ विचार करना; और

(ग) वाणिज्यिक सहयोग के ऐसे किसी अन्य स्वरूप को प्रोत्साहित करना जो पारस्परिक रूप से स्वीकार्य एवं लाभदायक होगा।

2. उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति करने के प्रयोजनार्थ करार के एक भाग के रूप में एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था जिसमें दोनों सरकारों के प्रतिनिधि शमिल हैं और जिसकी वार्षिक बैठक होती है। इस संयुक्त समिति की छटी बैठक नई दिल्ली में फरवरी 99 में आयोजित की गई थी। जिस करार पर 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे वह पहले से ही लागू है।

पटसन का समर्थन मूल्य

3854. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान पटसन की खरीद का समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है;

(ख) भारतीय पटसन निगम द्वारा चालू वर्ष के दौरान पटसन की खरीद के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या उक्त लक्ष्य की प्राप्ति निर्धारित अवधि के भीतर कर ली जाएगी; और

(घ) निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) असम के अतिरिक्त टी. डी.–5 ग्रेड अपरिष्कृत पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 650 रुपये प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया गया है।

(ख) भारतीय पटसन निगम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालय के अंतर्गत 5 लाख क्विंटल अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया था। यदि चालू वर्ष 1998–99 के दौरान कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे जाती हैं।

(ग) और (घ) भारतीय पटसन निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों को प्रारम्भ करने के लिए पर्याप्त निधियों तथा अंतसंरचना के साथ तैयार था। इसने इन परिस्थितियों में जो कि विशेष दूरवर्ती पृथक आंतर निवासों में थोड़ी अवधि के लिए उत्पन्न होती है में न्यूनतम समर्थन मूल्य को संतुष्ट करने के लिए लगभग 18 हजार क्विंटल की खरीद की है। इसलिए अपरिष्कृत पटसन मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तरों से 50 प्रतिशत ऊपर तक चलते रहे। इसके आगे भारतीय पटसन निगम द्वारा मूल्य समर्थन प्रचालन मौसम के पश्चात् नहीं चलाया गया था।

श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग

3855. डॉ. सुशील इंदौरा :

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उदारीकरण और भूमंडलीकरण की नीति के अपनाये जाने के बाद उद्योग क्षेत्र में पूंजी प्रधान तकनीक के प्रयोग को प्राथमिकता मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूंजी प्रधान तकनीक के प्रयोग के साथ–साथ श्रम की उपयोगिता लगातार घट रही है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या देश में उद्योगों में श्रम प्रधान तकनीक के प्रयोग को प्राथमिकता देने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त पूंजी की प्रधानता का अंदाजा वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात (आई. सी. ओ. आर.) से लगाया जा सकता है। आठवीं योजनावधि की तुलना में नौवीं योजना में आई. सी. ओ. आर. में कृषि, खनन एवं उत्खनन, उत्पादन, निर्माण तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों में कमी आइ है जिनका रोजगार में बहुत बड़ा हिस्सा है। अतः यह कहना सही नहीं होगा कि उदार नीति के परिप्रेक्ष्य में पूंजी प्रधान तकनीक के इस्तेमाल को उद्योग में प्राथमिकता दी जा रही है।

(घ) और (ङ) रोजगार के अवसरों का विस्तार करना भारतीय विकास आयोजना का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि में 10 करोड़ रोजगार जुटाने का प्रस्ताव है। उदारीकरण पश्चात् की औद्योगिक वृद्धि में मुख्य जोर अब रत्नों और आभूषणों, वस्त्रों आदि जैसे क्षेत्रों में क्षमता और दक्षता निर्माण पर दिया गया है, जिनमें उत्पादन की दृष्टि से भारत अपेक्षाकृत अधिक लाभ की स्थिति में है और जो मूलतः श्रम प्रधान क्षेत्र हैं।

सरकार लघु क्षेत्र के लिए अधिकाधिक भूमिका देने की आवश्यकता के प्रति सजग है और इसके संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय किये जो रहे हैं। लघु उद्योगों के विकास से श्रम प्रधान तकनीकों की उपयोगिता में अभिवृद्धि सुनिश्चित होगी क्योंकि यह क्षेत्र रोजगार सृजन की दिशा में एक प्रमुख क्षेत्र है। 1992–93 से 1996–97 के वर्षों में 3.6% के वार्षिक औसत रोजगार विकास दर की लक्ष्य की तुलना में लघु क्षेत्र ने 4.3% की रोजगार विकास दर प्राप्त की है।

[अनुवाद]

साईकोट्रॉपिक पदार्थों और पॉलीड्रग्स का दुरुपयोग

3856. श्री आर. एस. गवई : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय स्वापक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में यह निर्दिष्ट किया है कि दक्षिण एशिया में साइकोट्रॉपिक पदार्थों और पोलीड्रग्स का दुरुपयोग बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थ नियंत्रण बोर्ड (आई. एन. सी. बी.) ने वर्ष 1998 के अपने प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि दर्दनाशक बुप्रेनोर्फिन का दक्षिण एशिया में बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है तथा इस क्षेत्र के कई भागों में यह नशाखोरी का एक मुख्य पदार्थ हो गया है। बुप्रेनार्फिन का कथित रूप से दुरुपयोग मुख्यतः बंग्लादेश, भारत एवं नेपाल के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नौजवानों द्वारा किया जाता है। इसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि दवाई के कुछ अन्य उत्पाद जैसे हिप्नोटिक्स एवं सिडेटिव्ज तथा एंग्जयोलिटिक्स (बार्बीटुरेट्स एवं बैंजो डाइजीपाइन्स) का दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों में दुरुपयोग किया जा रहा है। आई. एन. सी. बी. की रिपोर्ट में कोडेन आधारित खांसी की दवाइयों के दुरुपयोग के बारे में भी उल्लेख किया गया है।

(ग) सभी राजस्तरीय दवा नियंत्रक प्राधिकारियों को यह सुझाव दिया गया है कि वे इन दवाइयों की खुदरा बिक्री केन्द्रों पर आसानी से उपलब्धता पर रोक लगाने के लिए निरीक्षण कार्य में लगे कर्मचारियों को समुचित निर्देश जारी करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि विभिन्न ब्रांड नामों से बेची जा रही ये दवाईयां पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के नुक्से के आधार पर दी जाएं ताकि इन दवाईयों के संभावित दुरुपयोग को नियंत्रित किया जा सके। इन दवाइयों से युक्त उत्पादों के विपणन

करने वाले विनिर्याताओं को यह सलाह दी गई है कि वे बिक्री के लिए न्यूनतम स्टाकिस्ट रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि इन दवाइयों को कड़ी चिकित्सीय निगरानी में ही बेचा जाए तथा इनका उपयोग किया जाएं। आयातक देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल आयात प्रमाणपत्र के सत्यापन के उपरांत जारी किए गए निर्यात प्राधिकारी के आधार पर एवं यदि प्रस्तावित आयात, आई. एन. सी. वी. द्वारा विनिर्दिष्ट अनुमानों के अनुसार उस देश की अनुमानित जरूरतों के भीतर किया जाता है, तो भारत से बाहर मनःप्रभावी प्रदार्थों के निर्यात की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

खाद्य, प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन

3857. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्यात किए गए प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का मूल्य कितना था; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस उद्योग में कितना निवेश किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) सरकार विभिन्न समर्थनकारी/सहायता योजनाओं के जरिए प्रसंस्कृत खाद्य मदों के निर्यात को प्रोत्साहन दे रही है। इस प्रयोजन से दी गई सहायता में निम्नलिखित शामिल है :

(i) मांस प्रसंस्करण के संवर्धन और आधुनिकीकरण, खाद प्रसंस्करण के लिए फसल पश्चात् बुनियादी सुविधाओं और प्रशीतन सुविधाओं की स्थापना के लिए अनुदान/ऋण का प्रावधान अनुसंधान एवं विकास, मानव, संसाधन के विकास, परंपरागत मत्स्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों और विपणन को मजबूत करने के लिए सहायता।

(ii) श्रेणीकरण/प्रसंस्करण केन्द्रों, नीलामी प्लेटफार्म पक्कवन/क्योरिंग चेम्बर और गुणात्मकता परीक्षण उपकरणों की स्थापना के लिए सुलभ ऋणों का प्रावधान;

(iii) विशिष्टीकृत परिवहन इकाइयों की खरीद, पूर्व प्रशीतन/शीतागार सुविधाओं की स्थापना, एकीकृत फसलोत्तर हैंडलिंग प्रणालियों (चैक हाउसेज) जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निर्यातकों/उत्पादकों/सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना;

(iv) निर्यात एककों में नवीनतम आई. एस. ओ. 9000/एच. ए. सी. सी. पी. जैसी प्रणालियों को अपनाने सहित उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(v) क्रेता–विक्रेता बैठकों, और महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सह–भागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

(vi) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर एकीकृत कार्गोसंचालन और भंडारों की स्थापना करना;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों सहित प्रसंस्कृत खाद्य मदों और अन्य प्रसंस्कृत खाद्य मदों के निर्यात के मूल्य निम्नानुसार है :

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1996–97	230968
1997–98	225637
1998–99	155138
(अप्रैल–जनवरी 1999)	

स्रोत : एपीडा

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में जनवरी, 1996 से दिसम्बर, 1998 तक की अवधि के दौरान, प्रत्यक्ष्य विदेशी निवेश और स्वीकृत तकनीकी सहयोग निम्नानुसार है :

स्वीकृतियों की संख्या	236	
स्वीकृत एफ. डी आई. राशि	594424	करोड़ रु.

[अनुवाद]

राज्य वित्तीय निगमों का वित्तीय पुनर्गठन

3858. श्री उपेन्द्रनाथ नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अधिकांश राज्य वित्तीय निगम एस. आई. डी. बी. आई./आई. डी. बी. आई. से ऋण के रूप में ली गई धनराशि का मूलधन और उस पर लगने वाले ब्याज का नियमित रूप से भुगतान कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त राज्य वित्तीय निगम वर्षों से एस. आई. डी. बी. आई. और आई. डी. बी. आई. को शास्ति और अतिरिक्त ब्याज का भी भुगतान कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान एस. आई. डी. बी. आई./आई. डी. बी. आई. द्वारा विभिन्न राज्य वित्तीय निगमों से शास्ति और अतिरिक्त ब्याज की कितनी राशि प्राप्त की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि जब तक राज्य वित्तीय निगमों का वित्तीय पुनर्गठन करने से संबंधित अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता है तब तक एस.

आई. डी. बी. आई./आई. डी. बी. आई. द्वारा संसाधनों की कमी वाले राज्य वित्तीय निगमों से वर्षों से शास्ति ब्याज/अतिरिक्त ब्याज के रूप में एकत्र की गई राशि के बराबर राशि दी जाए ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चीन के साथ व्यापार

3859. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन के बीच व्यापार में सुधार करने के लिए भारत सरकार से विस्तृत चर्चा करने हेतु मार्च 1999 में चीन के साथ एक 15 सदस्यीय शिष्टमंडल ने भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच इस संबंध में कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) दोनों देशों के बीच व्यापार में सुधार के लिए सरकार के साथ वार्ता हेतु मार्च 1999 में चीन के किसी पन्द्रह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत की यात्रा नहीं की है तथापि, भारत और चीन के बीच विशेष व्यापारिक विषयों पर वार्ता हेतु व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का प्रायः आदान-प्रदान होता रहता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राज्य वित्तीय निगमों के कर्मचारी

3860. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य वित्तीय निगमों के कर्मचारियों को अन्य वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों के समान मानने का है क्योंकि दोनों संस्थानों के कर्मचारी एक जैसा कार्य करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अभी तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, नहीं। तथापि, राज्य वित्तीय निगमों (एस. एफ. सी.) को अपेक्षाकृत अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता और परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य वित्तीय निगम अधिनियम में व्यापक संशोधनों पर विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाकिस्तान के साथ व्यापार

3861. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की) ने पाकिस्तान के साथ व्यापार के लिए उचित क्षमता वाले आठ क्षेत्रों की पहचान की है जैसा कि 23 फरवरी, 1999 के "द बिजनेस स्टेंडर्ड" में "रिमूव ट्रेड कर्ब्स, "अर्जेज फिक्की" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के रिपोर्ट में है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हां। "भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग" शीर्षक के अध्ययन में फिक्की ने निम्नलिखित द्विपक्षीय व्यापार की संभावना वाले आठ विशिष्ठ क्षेत्रों इंजीनियरिंग उद्योग, टैक्सटाइल मशीनरी, वस्त्र, आटोमोबाइल्स, टायर, रासायनिक मदें, प्लास्टिक उत्पाद और चाय को अभिज्ञात किया है।

(ग) पाकिस्तान की भारत के प्रति प्रतिबंधात्मक व्यापार नीति द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बाधित हुआ है। हांलाकि, भारत ने पाकिस्तान को परम मित्र राष्ट्र (एम. एफ. एन.) का दर्जा दे दिया है, लेकिन पाकिस्तान द्वारा अभी तक यह सुविधा दी जानी बाकी है। इस समय पाकिस्तान भारत से 594 मदों का आयात करने की स्वीकृति देता है, जिसमें फिक्की के अध्ययन में अभिज्ञात की गई कुछ मदें भी शामिल हैं और ऐसी मदों का व्यापार पहले से ही हो रहा है। तथापि, द्विपक्षीय व्यापार में और आगे विस्तार होना पाकिस्तान की भारत के प्रति अपनी व्यापार नीतियों के उदारीकरण पर आधारित हैं सरकार ने समय-समय पर परम मित्र राष्ट्र का दर्जा देने के लिए पाकिस्तान सरकार के साथ इस मामले को उठाया है। किन्तु भारत के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबंधात्मक व्यापार नीति का लागू रहना अभी जारी है।

[हिन्दी]

स्वर्ण आभूषणों की जांच

3862. श्री महेश कनोडिया :

डॉ. अशोक पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्ण आभूषणों की जांच तथा प्रमाणिकता हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जांच तथा प्रमाणिकता के कार्य को कब से शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) जांच और प्रमाणिकता के कार्य को सर्वप्रथम किन-किन शहरों में शुरू किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) "हाल मार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वैलरी" स्कीम, जो स्वैच्छिक स्वरूप की होगी, के अन्तर्गत, जौहरियों द्वारा अपने आभूषणों पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त परख एवं प्रमाण चिन्ह अंकित करने वाले केन्द्रों से प्रमाण चिन्ह अंकित करवाने के लिए जौहरियों को प्रमाणीकरण भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किया जायेगा।

(ग) वर्ष 1999 की दूसरी छमाही में।

(घ) आरम्भ में इस स्कीम को कुछ महानगरों में आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

जर्मनी और ओमान के सहयोग से परियोजनाएं

3863. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जर्मनी और ओमान के सहयोग से स्थापित परियोजनाओं की क्षेत्र-वार, राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) इनमें कुल विदेशी निवेश कितना है;

(ग) क्या सरकार द्वारा जर्मनी और ओमान के सहयोग से वर्ष 1999-2000 के दौरान कुछ नयी परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) 1.8.91 से 28.2.99 तक की अवधि के दौरान सरकार ने जर्मनी के संबंध में 6840.40 करोड़ रु. के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाले 1690 परियोजना-प्रस्ताव (854 वित्तीय तथा 836 तकनीकी) और ओमान के संबंध में 575.58 करोड़ रु. के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाले 15 (14 वित्तीय और 1 तकनीकी) प्रस्तावों को स्वीकृत किया है। जर्मनी और ओमान सहित सभी देशों के स्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाले परियोजना-प्रस्तावों के क्षेत्र-वार, राज्य-वार ब्यौरे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक औद्योगिक सहायता सचिवालय की पत्रिका में प्रकाशित किये जाते हैं और इसका संसद पुस्तकालय सहित व्यापक परिचालन किया जाता है।

(ग) और (घ) जर्मनी और ओमान की विदेशी निवेश परियोजनाओं सहित, विदेशी निवेश परियोजनाओं के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि सरकार देश में अधिकाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। ये परियोजनाएं अनेक कारकों पर अवलम्बित जिनमें ये शामिल हैं : घरेलू आर्थिक स्थितियां, विदेश निवेश का नीतिगत क्षेत्र, विश्वव्यापी आर्थिक प्रवृतियों और सार्वभौमिक निवेशकों की नीतियां।

नशीले पदार्थों की तस्करी

3864. श्री विजय हान्दिक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नशीले पदार्थों संबंधी विश्व भूराजनीतिक रिपोर्ट ने यह पाया कि पिछले पन्द्रह वर्षों से भी अधिक समय से भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से बरास्ता नेपाल विश्व के अन्य भागों में नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही है;

(ख) क्या रिपोर्ट में इसका भी उल्लेख है कि पाकिस्तान स्वापक/नशीले पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धनराशि का उपयोग उग्रवादियों को धन देने में करता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार से इस मुद्दे को उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) "वर्ल्ड ज्योपौलिटिक्स ऑफ ड्रग्स 1997/1998, वार्षिक रिपोर्ट" में उल्लेख किया गया है कि नेपाल गत 15 वर्षों के दौरान सभी प्रकार की अवैध गतिविधियों का केन्द्रीबिन्दु बन गया है। इस देश के दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के बीचों-बीच स्थित होने, व्यापक भ्रष्टाचार और अपनी सीमाओं को कारगर ढंग से नियंत्रित करने में अधिकारियों की विफलता के कारण नशीले पदार्थों के व्यापारी पश्चिम के उपभोक्ता बाजारों में बड़ी मात्रा में हशीश भेजने के लिए वैध उत्पादों के निर्यात संजाल का प्रयोग कर रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) 12.11.90 को "आतंकवाद एवं नशीले पदार्थों के व्यापार" के विषय पर भारत और पाकिस्तान के बीच नई दिल्ली में हुई गृह-सचिव स्तरीय बातचीत में, अन्य बातों के साथ-साथ पाकिस्तानी पक्ष से पाकिस्तान से किए जाने वाले नशीले पदार्थों के व्यापार का मुद्दा उठाया गया था। भारतीय पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि नशीले पदार्थ जनित आतंकवाद और उनकी व्यापार करने वालों के बीच सांठगांठ होने से आतंकवाद ने गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। यह भी उल्लेख किया गया कि पाकिस्तान हेरोइन सहित अवैध नशीले पदार्थों की सप्लाई का एक प्रमुख स्रोत है और वहां के जरिये इन नशीले पदार्थों को अन्य देशों को भेजा जाता है। भारतीय नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो और पाकिस्तान के एंटी-नार्कोटिक्स फोर्स के बीच नशीले पदार्थों के व्यापार की रोकथाम के लिए मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए दोनों पक्ष सहमत थे।

[हिन्दी]

वाई-2 के की समस्या

3865. श्री नरेश पुगलीया :

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण :

श्री गुरुदास कामत :

श्री रवि सीताराम नायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों ने "वाई--2 के" समस्या पर चिंता जताई है, जिसके कारण इस वर्ष के अंत तक बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं द्वारा धन वापस निकालने की उम्मीद है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने "वाई–2 के" की समस्या के हल के लिये एक समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले को हल करने के लिये कौन से ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार बैंकों ने "वाई–2 के" से संबंधित गतिविधियों के कारण बड़ी मात्रा में धन की निकासी के संबंध में कोई डर व्यक्त नहीं किया है।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने एक उप–गवर्नर के अधीन "वाई–2 के" मामले से संबंधित कार्यकारी समूह का गठन किया है जिसमें भारतीय बैंक संघ, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान के प्रतिनिधि तथा कुछ बैंकर शामिल हैं। वित्त मंत्रालय, दूर संचार विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अधिकारियों को भी कार्यकारी समूह की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह समूह भारतीय रिजर्व बैंक सहित बैंकों द्वारा "वाई–2 के" समस्या का निदान प्राप्त करने में की गई प्रगति की द्विमासिक आधार पर पुनरीक्षा करता है। कम्प्यूटरों के असफल होने की स्थिति में कारोबार का जारी रहना सुनिश्चित करने के लिए एक आकस्मिक/आपात योजना भी तैयार की गई है। संबंधित बैंक का निदेशक मंडल भी निरंतर आधार पर "वाई–2 के" के अनुपालन से संबंधित प्रगति की निगरानी करेगा।

[अनुवाद]

कच्चे पश्मीना का अवैध आयात

3866. श्री चमन लाल गुप्ता : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के विभिन्न सहकारिता/बोर्डों में बिक्री न होने के कारण पश्मीना की बड़ी मात्रा पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पशुधन उत्पादों अर्थात्, पश्मीना पर पूरी तरह निर्भर रहने वाले लेह जिले के यांगथांग के खानाबदोश लोग भूखमरी के कगार पर हैं क्योंकि उनके पश्मीना की बिक्री नहीं हो रही है और चीन और नेपाल से बड़ी मात्रा में पश्मीना का अवैध आयात हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे अवैध आयात को रोकने और उनकी बिक्री न हुई पश्मीना की बिक्री सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) जम्मू एवं कश्मीर राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 6,300 कि॰ ग्रा॰ कच्चा पश्मीना जम्मू एवं कश्मीर शीप तथा शीप उत्पाद विकास बोर्ड और लेह की एक सहकारी समिति के पास पड़ा है। प्रचलित बाजार कीमत पर कच्चे पश्मीना के भंडार के उचित निपटान को नहीं रोकता।

(ग) और (घ) चांग थांग क्षेत्र के खानाबदोश लोगों को गैर–परिश्रमिक बाजार कीमत पर कच्चे पश्मीना का निपटान न होने से उनको कुछ वित्तीय कठिनाई उठानी पड़ती है। जम्मू एवं कश्मीर ने सचेत किया है कि चीन और नेपाल से लेह जिला में पश्मीना के अवैध आयात की प्रमाणित रिपोर्ट नहीं है।

निर्यात में प्रक्रियात्मक रुकावटें

3867. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की) से निर्यात में वृद्धि हेतु प्रक्रियात्मक रुकावटें दूर करने के लिए त्रिउद्देशीय रणनीति अपनाने के कोई सुझाव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ से निर्यात में वृद्धि के प्रयोजन से विभिन्न सुझावों वाला एक ज्ञापन दिनांक 12 अगस्त 1998 को प्राप्त हुआ था इस ज्ञापन में सुझाए गए कुछ सुझावों में थे–कारोबार लागत में कमी करना, निर्यात ऋण योजनाओं का पुनर्गठन, ई॰ पी॰ जैड॰ का पुर्ननवीकरण, सेवा निर्यातों का संवर्धन, माने गए निर्यात के लिए डी॰ ई॰ पी॰ बी॰ योजना का विस्तार, ई॰ पी॰ सी॰ जी॰ योजना पर प्रारंभिक सीमा को कम करना, विनिर्माता उद्यमों को प्रतिस्पर्द्धी दरों पर विद्युत की आपूर्ति सूनिश्चित करना, सीमा शुल्क संबंधी जटिलता पर काबू पाना, और पत्तन सुविधाओं का अधिकतम उपयोग।

(ग) इन सुझावों में से अधिकांश को स्वीकार कर लिया गया है और दिनांक 31 मार्च, 1999 को घोषित एग्जिम नीति में शामिल कर लिया गया है।

रत्नों और आभूषणों का निर्यात

3868. श्री रंजीब विस्वाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हीरे तराशने के कार्य और रत्नों तथा आभूषणों के निर्यात में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाए गए और अब तक क्या सफलताएं प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या 1998–99 के दौरान रत्नों और आभूषणों का कुल निर्यात निराशाजनक रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) 1999–2000 के दौरान हीरे तराशने के कार्य और रत्नों व आभूषणों के निर्यात में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां।

(ख) रत्न एवं आभूषणों का निर्यात बढ़ाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय हैं : (i) आभूषण उद्योग के उन्नयन को सुकर बनाने के उद्देश्य से निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना के अंतर्गत शून्य सीमा शुल्क आयातों के लिए प्रारंभिक सीमा पूर्ववर्ती 20 करोड़ रु. के स्तर से घटाकर 1 करोड़ रु. कर दी गई है, (ii) समान शुद्धता वाले स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के बदले घरेलू टैरिफ क्षेत्र के मशीन द्वारा निर्मित स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के आभूषण और चेने प्राप्त करने की अनुमति निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (ई. पी. जैड.)/निर्यातोन्मुखी इकाईयों (ई. ओ. यू.) को दी गई थी, (iii) ई. ओ. यू./ई. पी. जैड. की इकाईयों को रियायती शुल्क के भुगतान पर डी. टी. ए. में पूर्ववर्ती वर्ष के निर्यात मूल्य के 10% की बिक्री करने की अनुमति दी गई थी; (iv) स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के आभूषणों के लिए मूल्य वर्धन और अपशिष्ट संबंधी मानकों को युक्ति संगत बनाना, (v) चांदी और प्लेटिनम के आभूषणों पर मूल्य आधारित पुनःपूर्ति लाइसेंस योजना लागू की गई थी, (vi) ई. पी. जैड./डी. टी. ए. में निजी/सरकारी बांडेड भांडागारों को अपरिष्कृत हीरों और अपरिष्कृत बेश कीमती और कीमती पत्थरों के आयात, आपूर्ति और पुनर्निर्यात की अनुमति दी गई थी। उपरोक्त के अलावा, तराशे गए और पालिश किए गए हीरों और तराशे गए और पालिश किए गए रत्न पत्थरों के आयात और उनके पुनर्निर्यात की भी अनुमति 5% मूल्य वर्धन के साथ दी गई थी, (vii) सरकार द्वारा नामित अभिकरणों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंकों द्वारा सोना और चांदी के आयात एवं उनकी आपूर्ति से संबंधित क्रियाविधि का सरली करण, (viii) निर्यात संवर्धन दौरों के लिए 1,00000 अमरीकी डालर तक के आभूषणों के नमूनों को व्यक्तिगत तौर पर ले जाने की अनुमति दी गई है, (ix) ब्रांड युक्त आभूषणों को विदेशी बाजारों में इस शर्त पर प्रदर्शित/बिक्री करने की अनुमति देकर प्रोत्साहित किया गया है कि यदि 180 दिनों के भीतर उन्हें नहीं बेचा जाता है तो उसके 45 दिनों के भीतर उन्हें लौटा दिया जाए, (x) महाराष्ट्र सरकार ने निर्यात के लिए विनिर्दिष्ट अभिकरणों द्वारा आपूर्ति किए गए सोने पर बिक्री कर में छूट देते हुए आदेश जारी किए थे। कई अन्य राज्य सरकारों ने भी निर्यात हेतु स्वर्ण आपूर्ति पर बिक्री कर के भार में कमी की है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान रत्न एवं आभूषणों का निर्यात निम्नानुसार रहा :

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	मूल्य
1996–97	4752.84
1997–98	5116.01
1998–99	6152.70

स्रोत : वर्ष 1996–97 और 1997–98 के लिए : वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी. जी. सी. आई. एंड एस.), कलकत्ता।

वर्ष 1998–99 के लिए : रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी. जे. ई. पी. सी.), मुंबई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 31 मार्च 99 को यथाघोषित एग्जिम नीति में रत्न एवं आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित नीतिगत उपाय शामिल किए गए हैं : (i) दर्जा धारकों को 10% मूल्य वर्धन प्राप्त करने की शर्त पर उत्तरवर्ती निर्यातों के लिए तराशे गए ओर पालिश किए गए हीरों के आयात के लिए तराशे गए और पालिश किए गए हीरों के पूर्ववर्ती वर्ष के निर्यात निष्पादन के 5% तक हीरा इम्प्रेस्ट लाइसेंस जारी करने का उपबंध, (ii) ई. ओ. यू./ई. पी. जैड. की इकाईयों को न्यूनतम 7.5% की निवल विदेशी मुद्रा प्रतिशत आय की शर्त पर मरम्मत/पुनर्निर्माण और बाद में निर्यात हेतु सादे स्वर्ण/प्लेटिनम/चांदी के आभूषणों के आयात की अनुमति देना, (iii) सभी ई. ओ. यू. और ई. पी. जैड के एककों से तथा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई स्थिति घरेलू टैरिफ क्षेत्र की इकाईयों से विदेश क्रेताओं द्वारा रत्न एवं आभूषण के पार्सलों को व्यक्तिगत रूप से ले जाने की अनुमति देना, (iv) चुनिंदा पत्तनों से प्रति खेप 20 लाख रु. के मूल्य तक कोरियर द्वारा रत्न एवं आभूषणों के निर्यात की अनुमति देना, (v) पूर्ववर्ती वर्ष में रत्न एवं आभूषणों के निर्यात के 1% एफ. ओ. बी. मूल्य की सीमा तक आभूषण और हीरा प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा अपेक्षित खपत योग्य सामग्री के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है, (vi) पूर्ण रूप से मशीनी प्रक्रिया द्वारा बनाई गई चूड़ियों और मंगलसूत्र के लिए मूल्य वर्धन संबंधी मानदण्डों को युक्ति संगत बनाया गया है।

उपरोक्त नीतिगत उपायों के अलावा, रत्न एवं आभूषणों के निर्यात में वृद्धि को सुकर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने का भी प्रस्ताव है : (i) आभूषणों की स्वैच्छिक हालमार्किंग की शुरूआत करना ताकि भारतीय आभूषणों की गुणवत्ता संबंधी छवि में सुधार लाया जा सके, (ii) मुंबई में एक डायमंड ज्वैलरी डिजाइन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना करना।

वस्त्र उद्योग का विकास

3869. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वस्त्र उद्योगों के विकास के लिए कोई केन्द्र प्रायोजित योजना लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार विशेषकर गुजरात से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गयी और इन योजनाओं को लागू करने से क्या उपलब्धि हासिल हुई ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) वस्त्र उद्योग के विकास के लिए कोई केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम नहीं चलाई जा रही है। यद्यपि, हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमें चलाई जाती हैं :

1. प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम
2. निर्यातयोग्य उत्पादों के विकास तथा उनकी विपणन स्कीम।
3. थ्रिफ्ट फंड स्कीम।
4. बीमा स्कीम।

यह स्कीमें गुजरात सहित सभी राज्यों में लागू हैं।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत जारी की गई राशि तथा शामिल लाभभोगी

क्रम सं.	स्कीम का नाम	1996–97		1997–98		1998–99	
		जारी राशि	लाभभोगी	जारी राशि	लाभभोगी	जारी राशि	लाभभोगी
1.	प्रोजेक्त पैकेज स्कीम	1779.16	50847	3942.75	64989	3686.81	78820
2.	थ्रिफट् फण्ड स्कीम	259.14	175694	390.47	213191	352.55	160666
3.	समूह/नई मीमा स्कीम	70.01	211504	75.88	166885	98.86	214299
4.	निर्यात योग्य उत्पादों के विकास तथा उनकी विपणन स्कीम	250.00	*	468.91	*	335.00	*

* पिछले 3 वर्षों के दौरान, निर्यात योग्य उत्पादों के विकास, भवन निर्माण योग्यता तथा विपणन आदि हेतु 50 अभिकरणों/संगठनों के लिए सहायता दी गई है। हथकरघा सूती समग्र निर्यात में 1995–96 में 1491.32 करोड़ रुपये से 1997–98 में 1859.53 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

[हिन्दी]

कोल हैंडलिंग संयंत्रों की स्थापना में भ्रष्टाचार

3870. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :

डॉ. रामचन्द्र डोम :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के सचिव ने 12 फरवरी, 1999 को सभी ट्रेड यूनियनों के नेताओं के साथ एक बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो चर्चा में उठायी गयी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ट्रेड यूनियन के नेताओं ने कोल हैंडलिंग संयंत्रों की स्थापना से संबंधी—खोड्डाडीह, धेमोमन, सोनपुर, बाजारी, झांझरा और सतग्राम कोलरीज में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) ई. को. लि. के कुनुस्टोरिया क्षेत्र कार्यालय में दिनांक 12.2.1999 को ई. को. लि. की संयुक्त परामर्शदात्री समिति (जे. सी. सी.) की हुई बैठक में सचिव, कोयला मंत्रालय ने भाग लिया था जहाँ मजदूर संघ के नेता भी उपस्थित थे।

(ख) से (ङ) उक्त विचार–विमर्श से संबंधित मुख्यतः उठाए गए विशेष मुद्दे निम्नलिखित थे : अत्यधिक वित्तीय कमी सहित बिगड़ती स्थिति, जिसके कारण ई. को. लि. के निवल मूल्य का ह्रास हो रहा है, जिससे आर्थिक रूप से अनुपयुक्त 20 खानों को शीघ्र बंद करने जैसे उपायों से उनकी विद्यमानता खतरे में पड़ गई है, 55 वर्ष से अधिक के उम्र के कामगारों को पहले ही नौकरी से हटाने की एक समय की योजना, अन्य कामगारों में विद्यमान मजदूरी आदि के एवज में उत्पादकता में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ई. को. लि. के पुनरुद्धार हेतु मजदूर संघ के प्रतिनिधियों को इस संबंध में सुझाव दिए गए।

तथापि मजदूर संघ के प्रतिनिधि उपर्युक्त सुझाव से सहमत नहीं थे तथा उन्होंने निम्नलिखित के संबंध में सुझाव दिया—कोयले के आयात को अनुत्साहित करने के लिए आयात शुल्क में वृद्धि, रेलवे के भाड़े में कमी, कोयले की चोरी/अवैध खनन को बंद करना, को. इं. लि. को एक एकिक कंपनी बनाया जाए, सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के प्रावधान, देय बकाया राशि की वसूली, उपकर/रायल्टी की दर आदि में कमी तथा कुछ क्षेत्रों से संबंधित अन्य मामले।

[अनुवाद]

विनिवेश के ज़रिये धन जुटाना

3871. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री अमर अब्दुल्ला :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1999–2000 के दौरान विनिवेश के लिए चयन किए गए सरकारी उपक्रमों के नाम क्या है;

(ख) उक्त अवधि के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ग) सरकार द्वारा अन्तिम रूप से तैयार किए गए विनिवेश के चरणबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(घ) विनिवेश आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) वर्ष 1999–2000 के दौरान विनिवेश द्वारा 10,000 करोड़ रु. को जुटाने के लक्ष्य को आंशिक रूप से हासिल करने के लिए कॉनकॉर, गेल, ई. आई. एल., आई. ओ. सी., एम. एफ. आई. एल., आई. पी. सी. एल. तथा बाल्को में सरकार धारित इक्विटी के कतिपय हिस्से के विनिवेश का निर्णय लिया गया है। विनिवेश के किसी चरणबद्ध कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया क्योंकि विनिवेश बाजार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(घ) और (ङ) विनिवेश आयोग ने अब तक 45 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में विशिष्ट सिफारिशें की हैं। ऐसी सिफारिशों पर सरकार का निर्णय प्राप्त करने के लिए इन सिफारिशों के सम्बन्ध में प्रशासनिक मंत्रालय की सलाह पर कार्रवाई की जाती है। वास्तविक कार्यान्वयन बाजार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जिसकी वजह से कभी–कभी विलम्ब हो जाता है।

रबड़ उत्पादन

3872. श्री पी. शंकरन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर केरल में इस समय प्राकृतिक रबड़ का कितना उत्पादन होता है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि रबड़ के न्यूनतम मूल्य (बेंच, प्राइस) से भी रबड़ उत्पादकों के हितों की रक्षा नहीं हुई है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि विद्यमान स्थिति से रबड़ का उत्पादन कार्य पूरी तरह नष्ट हो सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र के बचाव हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) वर्ष 1997–98 के दौरान देश में रबड़ का उत्पादन 5.84 लाख टन था जिसमें से 5.42 लाख टन का उत्पादन केरल राज्य में हुआ था। वर्ष 1998–99 के दौरान देश में 6.10 लाख टन रबड़ का अनुमान है।

(ख) से (घ) प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में आई कमी औद्योगिक मंदी के कारण से है। रबड़ उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने बेंचमार्क मूल्य निर्धारित करने के अतिरिक्त कुछ उपचारी उपाय किए हैं। ये उपाय हैं :

(i) सरकारी खाते पर रबड़ प्राप्त करने के लिए एस. टी. सी. के जरिए बाजार हस्तक्षेप प्रक्रिया;

(ii) प्राप्त रबड़ को अग्रिम लाइसेंस धारकों को बेचना;

(iii) अग्रिम लाइसेंस पर रबड़ के आयात को स्थगित करना;

(iv) इस्तेमाल किए गए/पुनः परत चढ़े हुए टायरों के आयात पर एक न्यूनतम सी. आई. एफ. मूल्य का निर्धारण करना;

(v) प्राकृतिक रबड़ के बैंचमार्क मूल्य में संशोधन।

इसके अलावा, इस क्षेत्र की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

कोयले का आयात

3873. श्री तथागत सत्पथी :

श्री पी.एस. गढ़वी :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विभिन्न सेक्टरों द्वारा प्रति वर्ष आयात किए गए कोयले के आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो सेक्टर–वार प्रति वर्ष आयात किए गए कोयले की कुल मात्रा, अब तक आयात किए गए कोयले की ग्रेड तथा इस कोयले की प्रति टन कीमत क्या है;

(ग) क्या भारत में इस तरह के कोयले की उत्पादन लागत अत्याधिक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उत्पादन लागत कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या विभिन्न सेक्टरों द्वारा कम कीमत पर अत्याधिक मात्रा में कोयले के आयात से कोयला उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या भारतीय बाजार में आयातित कोयले की चुनौती का सामना करने एवं विद्युत और इस्पात क्षेत्रों से कोयले की मांग की मंदी से निपटने हेतु कोल इंडिया लि. ने एक योजना तैयार की है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) कम कीमत के कोयले के आयात को हतोत्साहित करने के लिए, कोयला उद्योग का अच्छा विकास सुनिश्चित करने तथा विद्युत, इस्पात, सीमेंट और उर्वरक क्षेत्रों में स्वदेशी कोयले की मांग में सुधार हेतु उठाए जा रहे/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) चूंकि कोयला खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आता है अतः यह मंत्रालय कोयले के आयात का प्रबोधन नहीं करता है। तथापि जैसा कि कोयला मंत्रालय को सूचना उपलब्ध है पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में आयातित कोयले की कुल मात्रा का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	आयात (मिलियन टन में)			कीमत
	कोककर	अकोककर	जोड़	
95–96	9.37	3.14	12.51	925.6 मिलियन अमरीकी डालर
96–97	9.78	4.53	14.13	रु. 3532.00 करोड़ (लगभग)
97–98	10.65	6.56	17.21	रु. 4422.30 करोड़ (लगभग)

मंत्रालय के पास आयातित कोयले की प्रतिटन लागत तथा ग्रेड के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) पिटहैड पर घरेलू कोयले की लागत विश्व में संभवतः सबसे कम है। तथापि उपभोक्ता को यह लागत अधिक पड़ती हे जोकि आयातित कोयले की तुलना में घरेलू कोयले पर लगने वाले रेल–भाड़ा तथा रायल्टी की उच्च दर तथा अन्य शुल्कों के कारण है।

(ङ) से (झ) जी, हां। घरेलू कोयला आयातित कोयले की तुलना में अधिक कीमत का होता है विशेषकर समुद्री तट पर क्योंकि समुद्री भाड़े की तुलना में रेल के भाड़े अधिक होते हैं तथा रायल्टी आदि की प्रतिशतता के रूप में उच्च लागत के होते हैं। अतः सरकार द्वारा इस असंतुलन में सुधार लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। हाल ही में घोषित बजट में अकोककर कोयले के प्रभावी शुल्क में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। मांग में वृद्धि करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) कोयला कंपनियों द्वारा अनिवार्य लागत में, कोयले की कीमत में पिछली बार संशोधन हुए हैं, वृद्धि पाई है।

(ii) सरकार द्वारा कोयले के रेल संचलन को प्रायोजित करने के लिए कोयला कंपनियों को अनुमति दी गई है, जिससे कि अधिकांश उपभोक्ताओं को कोयले की व्यवस्था की जा सके।

(iii) कोयला कंपनियों द्वारा उदारीकृत बिक्री योजनाओं तथा व्यापार चैनल बिक्री योजना के द्वारा कोयले की स्वतंत्र उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(iv) विद्युत क्षेत्रों को कोयले की आपूर्ति हेतु उठान तथा उतराई स्थलों पर नमूना लेने की एक प्रणाली की शुरूआत करके कोयले के प्रेषणों की गुणवत्ता में सुधार लाने की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

खनिजों पर रायल्टी में संशोधन

3874. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिजों पर रायल्टी समय–समय पर संशोधित की जाती है;

(ख) यदि हां, तो रायल्टी कितनी अवधि के बाद संशोधित की जाती है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार रायल्टी में संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकारों को प्रदान करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार, शासकीय गजट में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम की द्वितीय सूची में संशोधन कर सकती है ताकि किसी भी खनिज के बारे में देय रायल्टी की दर अधिसूचना में यथा निर्दिष्ट तारीख से बढ़ाई अथवा घटाई जा सके, लेकिन केन्द्र सरकार किसी भी खनिज के बारे में रायल्टी की दर किसी भी तीन वर्ष की अवधि के दौरान एक से अधिक बार नहीं बढ़ाएगी। प्रमुख खनिजों (कोयला एवं लिग्नाइट को छोड़कर) की रायल्टी की दरों में, सरकारी गजट अधिसूचना सां. का. नि. संख्या 214(ङ) दिनांक 11.4.1997 के द्वारा संशोधन किया गया था जिसकी प्रति सदन के सभा पटल पर 8.5.1997 को रख दी गई थी। प्रमुख खनिजों की रायल्टी की दरों में आगामी संशोधन 11.4.2000 के पश्चात् ही किया जाना है, इसके लिए प्रमुख

खनिजों (कोयला, लिग्नाइट और स्टोविंग हेतु बालू को छोड़कर) की रायल्टी की दर एवं डैड रेन्ट में संशोधन के लिए सुझाव देने हेतु अपर सचिव, खान मंत्रालय की अध्यक्षता में केन्द्र सरकार द्वारा 5.10.1998 को एक अध्ययन दल का गठन किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के सांविधिक प्रावधानों के अनुसार प्रमुख खनिजों की रायल्टी की दर में संशोधन केवल केन्द्र सरकार द्वारा ही किया जाना है।

फिल्मी हस्तियों के विरुद्ध बकाया आयकर

3875. डॉ. सरोजा वी. : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार किन-किन फिल्मी हस्तियों के विरुद्ध पांच लाख अथवा इससे अधिक रुपए का आयकर बकाया है;

(ख) क्या आयकर विभाग ने चूककर्ताओं की चल तथा अचल संपत्ति आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कुर्क की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	क्या कुर्की की कार्रवाई की गई	कुर्क की गई संपत्ति का प्रकार	यदि नहीं तो उसके कारण
1	2	3	4	5
1.	अनुपम खेर	जी, हां	अचल	लागू नहीं
2.	पंकज उधास	नहीं	लागू नहीं	अपील लंबित
3.	सावन कुमार टाक	नहीं	लागू नहीं	वसूली के लिए कदम उठाए गए
4.	अजय सिंह देओल	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	किशोर कुमार गांगुली	जी, हां	अचल	लागू नहीं
6.	जगजीत सिंह	नहीं	–	अपील लंबित
7.	विजयानन्द	जी, हां	चल	–
8.	प्रमोद चक्रवर्ती	नहीं	–	अपील लंबित
9.	धरमेन्द्र देयोल	नहीं	–	अपील लंबित
10.	एम.सी. बोहदिया	जी, हां	बैंक खाता कुर्क किया गया	–
11.	विजय अंडके	नहीं	–	वसूली के लिए कदम उठाए गए
12.	राजाराम एन. शंकर	नहीं	–	कर विवाद समाधान स्कीम दायर की
13.	राजन आर. सिप्पी	नहीं	–	कुर्की योग्य परिसंपत्ति नहीं
14.	श्रीमती नीरा मेहरा (निर्माता)	नहीं	–	सत्यापन लंबित

1	2	3	4	5
15.	राजबब्बर (एक्टर)	नहीं	–	सत्यापन लंबित
16.	राजाराम (निर्माता)	नहीं	–	कर वसूली अधिकारी द्वारा वसूली की कार्रवाई की गई
17.	एल.आर. मिरचन्दानी	नहीं	–	कर वसूली अधिकारीद्वारा वसूली की कार्रवाई की गई
18.	काना भाई चौहान	नहीं	–	कर वसूली अधिकारी द्वारा वसूली की कार्रवाई की गई
19.	ओ.पी. रल्हन	जी, हां	अचल फ्लैटस	–
20.	सय्याश (चंकी) पांडे (एक्टर)	जी, हां	बैंक खाता कुर्क किया गया	अपील लंबित
21.	बप्पी लहरी	नहीं	–	–
22.	अबरार अल्वी (लेखक)	नहीं	–	आयकर अपील अधिकरण द्वारा स्थगन दिया गया
23.	(कु.) विनिता नन्दा	नहीं	–	कर विवाद समाधान स्कीम दायर की
24.	राजेश खन्ना	जी, हां	अचल	लागू नहीं
25.	सतराम रोहड़ा	जी, हां	अचल	लागू नहीं
26.	त्रिखा सुदेश	नहीं	–	कर विवाद समाधान स्कीम दायर की
27.	फारूक अहमद फारूकी	नहीं	–	कोई परिसंपत्ति नहीं
28.	गुलाब एम. गुलवाणी	नहीं	–	कोई परिसंपत्ति नहीं
29.	(कु.) जी. माधवी	नहीं	–	कर विवाद समाधान स्कीम दायर की
30.	माधवी आर.	नहीं	–	कर विवाद समाधान स्कीम दायर की
31.	बिक्रम सिंह देहल	नहीं	–	कर विवाद समाधान स्कीम दायर की
32.	बरखा राय	नहीं	–	कोई परिसंपत्ति नहीं
33.	श्री भगवान एस. सी. (वितरक)	नहीं	–	कोई परिसंपत्ति नहीं
34.	श्रीमती एस. मल्लिका	नहीं	चूककर्ता ने कर विवाद समाधान स्कीम के अन्तर्गत घोषणा दायर की है इस कारण कुर्की नहीं की गई	
35.	श्रीमती सारसम्मा	नहीं	वही	लागू नहीं
36.	राधा एन्टर प्राईजेज	नहीं	वही	लागू नहीं
37.	के. गौंडामणी	नहीं	वही	वही
38.	आर. सेनथिल	नहीं	वही	वही

1	2	3	4	5
39.	प्रसाद प्रोडक्सनस (प्रा.) लि.	नहीं	वही	वही
40.	एम.जी. पिक्चरस (मद्रास) लि.	चल कुर्की की गई	भारतीय स्टेट बैंक में बैंक खाता कुर्क किया गया	लागू नहीं
41.	एन.एस. कृष्णा सेट्टी	लागू नहीं	लागू नहीं	कर विवाद समाधान स्कीम दायर की
42.	मन्दाकिनी चित्र (प्रा.) लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	कर विवाद समाधान स्कीम दायर की
43.	माला श्री	लागू नहीं	लागू नहीं	कर विवाद समाधान स्कीम दायर की
44.	के.सी. एन. चन्द्रशंकर	लागू नहीं	लागू नहीं	कर विवाद समाधान स्कीम दायर की
45.	गोपाल फिल्मस	लागू नहीं	लागू नहीं	कर विवाद समाधान स्कीम दायर की
46.	किशोर सरजा	लागू नहीं	लागू नहीं	अपील लंबित माफी अपील लंबित
47.	गीतांजली थिएटर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
48.	रामगोपाल वर्मा	चल कुर्की की गई	बैंक खाता कुर्क किया गया	लागू नहीं
49.	अंजान चौधरी	नहीं	कर विवाद समाधान स्कीम दायर किया	लागू नहीं
50.	मोनोतोश दास गुप्ता	नहीं	लागू नहीं	कोई चल/अचल परिसंपत्ति नहीं पाई गई
51.	श्रीमती जय श्री चौधरी	नहीं	लागू नहीं	कर विवाद समाधान स्कीम दायर की
52.	अशोक चक्रवर्ती	चल कुर्की की गई	बैंक खाता कुर्क किया गया	लागू नहीं
53.	गिरिधारी दास भिमजी मानसट्टा	नहीं	लागू नहीं	अपील लंबित
54.	बी.एन. पॉल	नहीं	–	लागू नहीं
55.	बाग्यराज के.	जी, हां	अचल	–
56.	बाला सुब्रमनियन के.	नहीं	–	कर विवाद समाधान स्कीम
57.	चक्रवर्ती टी. आर.	नहीं	–	किसी परिसंपत्ति का पता नहीं

1	2	3	4	5
58.	गणेशन वी. सी.	नहीं	–	कर विवाद समाधान स्कीम
59.	गोपाल राव	नहीं	–	25 लाख रुपये के लिए कर विवाद समाधान स्कीम और राशि के लिए वसूली कार्रवाई शुरू की गई
60.	हन्नुमन्ता राव जी	नहीं	–	कोई परिसंपत्ति नहीं
61.	जयाप्रदा आर.	नहीं	–	कर विवाद समाधान का मामला उच्च न्यायालय में
62.	करूणासेष यू.	नहीं	–	कर विवाद समाधान स्कीम
63.	कोरन्ड रमैया ए.	नहीं	–	कर वसूली अधिकारी द्वारा वसूली शुरू की गई
64.	नगेन्द्रराव के.	नहीं	–	अपील लंबित
65.	प्रभु जी	नहीं	–	किश्तों में भुगतान
66.	राजाबाबू आर.	नहीं	–	कर विवाद समाधान स्कीम
67.	राजेन्द्र टी.	नहीं	–	कर विवाद समाधान स्कीम
68.	रामनाथन एस.	नहीं	–	कर विवाद समाधान स्कीम
69.	सौन्दर्या पी.	नहीं	–	कर निर्धारण रक्षात्मक है
70.	सुब्रमनियन के.	नहीं	–	किसी परिसंपत्ति की जानकारी नहीं
71.	वेंकन्ना बाबु एस. पी.	नहीं	–	कर विवाद समाधान स्कीम
72.	वेंकटेश्वरन जी.	नहीं	–	उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन मंजूर किया गया
73.	आदि नारायण रेड्डी वी.	नहीं	चल	लागू नहीं
74.	अल्लू अरविंद बाबू	नहीं	–	कर विवाद समाधान स्कीम
75.	अल्लू नवभारती	नहीं	–	कर विवाद समाधान स्कीम
76.	अमुक्षाराज	नहीं	–	कर विवाद समाधान स्कीम
77.	अर्जुन	नहीं	–	समझौता आयोग द्वारा किस्तों की स्वीकृति
78.	भारतीराज पी.	नहीं	–	कर विवाद समाधान स्कीम

1	2	3	4	5
79.	भारती रेड्डी बी.	नहीं	–	कर विवाद समाधान स्कीम
80.	दासारी नारायण राव	नहीं	–	कर विवाद समाधान स्कीम
81.	जार्ज थामस	हां	अचल	कुर्की की गई संपत्ति के स्वामित्व पर विवाद
82.	गुरू विट्टल	नहीं	–	उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन
83.	कमला हासन एस.	नहीं	–	मांग प्रवर्तनीय नहीं
84.	(स्वर्गीय) कन्नैयाह	नहीं	–	कर विवाद समाधान स्कीम
85.	खुशबू	नहीं	–	समझौता आयोग के समक्ष लंबित
86.	लोग नायन विट्टल	नहीं	–	उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन
87.	मोहन विट्टल	नहीं	–	वही
88.	मुरली विट्टल	नहीं	–	वही
89.	मुरली कान्तन	जी, हां	अचल	लागू नहीं
90.	नीलवेणी अम्माल	नहीं	–	रक्षात्मक कुर्की
91.	स्वर्गीय प्रेम नजीर	नहीं	–	कानूनी उत्तराधिकार के विवरणों का पता लगाया जा रहा है।
92.	रामाराव के. एस.	नहीं	–	कर विवाद समाधान स्कीम
93.	स्वर्गीय रामचन्द्रन	नहीं	–	कोई परिसंपत्ति नहीं
94.	रंगा	नहीं	–	कर विवाद समाधान स्कीम
95.	स्वर्गीय स्मिता	नहीं	–	फाइनेंसर पर पूर्व प्रभार कोई वसूली संभव नहीं
96.	श्री देवी ए.	नहीं	–	कर विवाद समाधान स्कीम निरस्त, माफी विचाराधीन
97.	स्वर्गीय सुब्बेया	नहीं	–	किसी परिसंपत्ति की जानकारी नहीं
98.	सुजाता वैंकटेश्वरन	नहीं	–	अपील लंबित
99.	विजय चन्द्रन	नहीं	–	रक्षात्मक कर निर्धारण
100.	यशुदास के. जे.	नहीं	–	कर विवाद समाधान स्कीम और शेष स्थगित

1	2	3	4	5
101.	श्री विद्या	जी, हां	चल	लागू नहीं
102.	विद्यासागर	नहीं	–	कर विवाद समाधान स्कीम
103.	श्री निवासन वी.	नहीं	–	मांग स्थगित
104.	जयाबच्चन	नहीं	लागू नहीं	अपील लंबित/किस्तों की स्वीकृति
105.	माधुरी दीक्षित	–	–	–
106.	राकेश नाथ	–		विभाग ने मांग की वसूली के उचित कदम उठाए हैं
107.	श्री निवासन वी.	–	–	–
108.	जयाबच्चन	नहीं	लागू नहीं	अपील लंबित/किस्तों की स्वीकृति
109.	माधुरी दीक्षित	विभाग ने प्रत्येक और प्रति मामलों में मांग की वसूली के लिए उचित कदम उठाए हैं जिसके परिणामस्वरूप कु. माधुरी दीक्षित, राकेश नाथ, सानु भट्टाचार्जी, जति राजगुरू, अजय देवगन के मामले में मांग वसूल कर ली गई है, किस्तों की अनुमति दी गई है। शाहरूख खान की अपील लम्बित है; उन्होंने 50% से अधिक मांग चुका दी है। सुनील शेट्टी का बैंक खाता कुर्क कर दिया गया। ए.जी. नाडियावाला से 22.62 लाख रु. वसूले गये। मुकेश भट्ट की अपील लम्बित है, बैंक खाता कुर्क कर दिया गया। महेश भट्ट और पूजा भट्ट के मामले में वसूली के लिए कदम उठाए गए हैं।		
110.	राकेश नाथ			
111.	सानु भट्टाचार्जी			
112.	जतिन राजगुरू			
113.	अजय देवगन			
114.	शाहरूख खान			
115.	सुनील शेट्टी			
116.	ए.जी. नाडियावाला			
117.	मुकेश भट्ट			
118.	पूजा भट्ट			
119.	सुभाष घई	चल कुर्की	बैंक खाता वार्षिकी/ एल. आई. सी. पालिसियां/लाभांश/कर्ज	अचल की कुर्की नहीं की गई है क्योंकि अपील लम्बित है।
120.	मोहन ए. वी.	नहीं		अपील लम्बित थी।

बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड

3876. श्री के. येरननायडू :

श्री एम. राजैया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हैदराबाद में स्थिति बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो हैदराबाद के आकांक्षी उम्मीदवारों को इस सुविधा से वंचित किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) हैदराबाद में स्थित बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड को बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, हैदराबाद को बन्द करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आर्गनिक चाय का विकास और संवर्धन

3877. श्री वीर सिंह महतो : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड की आर्गनिक चाय के विकास और संवर्धन की महत्वाकांक्षी योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1998–99 के दौरान देशवार कितनी "आर्गनिक" चाय का निर्यात किया गया; और

(घ) आर्गनिक चाय का निर्यात् बढ़ाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (घ) जी हां। कार्बनिक चाय के निर्यात और उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से चाय बोर्ड/सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) यूरोपियन आर्थिक समुदाय के पास पंजीकरण के लिए आवेदन भरना।

(ii) चाय सहित कार्बनिक खाद्य मदों के प्रमाणपत्र और प्रत्यायन पर एक राष्ट्रीय प्रारूप बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन और विभिन्न क्षेत्रों में इसका संवर्धन करना।

(iii) सरकार द्वारा स्थापित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किए जाने के लिए कार्बनिक चाय पर मैनुअल प्रस्तुत करना।

(iv) "कार्बनिक चाय" के लिए एक अलग लोगो अभिज्ञात करना।

(v) उत्पादकों को सरल मार्गदर्शिका के साथ यूरोपियन आर्थिक समुदाय, कार्बनिक फार्मिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, कोडैक्स एलीमेन्टेरियस कमीशन इत्यादि जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का प्रसार करना।

(vi) कार्बनिक चाय के उत्पादन की तकनीकों के विकास के लिए चाय अनुसंधान एसोशिएशन को प्रौद्योगिकीय समर्थन।

(vii) व्यापार प्रदर्शिनियों इत्यादि में प्रदर्शन।

व्यापार सूचना के अनुसार वर्ष 1998–99 के दौरान भारत से कार्बनिक चाय की लगभग 500 टन मात्रा का निर्यात किया गया है। कार्बनिक चाय का निर्यात मुख्यतः जापान और यूरोपीय देशों को होता है।

[हिन्दी]

हीरे की खानों में किए गए सर्वेक्षण

3878. श्री दादा बाबूराव पराजंपे : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में हीरे की खानों के सर्वेक्षण खनन तथा बिक्री के संबंध में भेजे गए प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति प्रकट की है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने संयुक्त क्षेत्र की कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई सर्वेक्षण संबंधी लाइसेंस के आवेदन को राज्य सरकार को वापिस कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में हीरे के लिए खनन पट्टे की मंजूरी हेतु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

तथापि, रायपुर जिले के बेराडीह ब्लाक में 46(X) वर्ग कि.मी. क्षेत्र में हीरा निक्षेपों के सर्वेक्षण, गवेषण और मूल्यांकन के लिए मैसर्स बी. विजयकुमार छत्तीसगढ़ प्राईवेट लि. रायपुर (मध्य प्रदेश) के पक्ष में पूर्वेक्षण लाइसेंस की मंजूरी के लिए मध्य प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। चूंकि प्रस्ताव खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप नहीं था, इसलिए राज्य सरकार को कुछ मुद्दों के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण देने का अनुरोधप किया गया है। राज्य सरकार से सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर पूर्वेक्षण लाइसेंस की मंजूरी संबंधी प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

[अनुवाद]

राउरकेला इस्पात संयंत्र में दुर्घटनाएं

3879. श्री जुआल उराम : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राउरकेला इस्पात संयंत्र में उसके आधुनिकीकरण के दौरान और बाद में हुई दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है और दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं;

(ख) क्या ये दुर्घटनाएं आधुनिकीकरण में कार्य की घटिया गुणवत्ता के कारण बार–बार हो रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने आधुनिकीकरण में घटिया गुणवत्ता का कार्य करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/ठेकेदारों/यूनियन नेताओं/राजनीतिज्ञों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) राउरकेला इस्पात संयंत्र में आधुनिकीकरण के दौरान और आधुनिकीकरण के पश्चात हुई दुर्घटनाओं की संख्या नीचे दी गई हैं :

1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
								(आज तक)
09	09	14	19	28	11	05	01	01

1996 से पहले हुई दुर्घटनाओं की संख्या अधिक होने के कारण आधुनिकीकरण के दौरान निर्माण और प्रचालनों में प्रणाली की विफलता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

करमुक्त बाण्ड

3880. श्री के.एस. राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यूनिसिपल एजेंसियों द्वारा करमुक्त बाण्ड जारी किए जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इन म्यूनिसिपल एजेंसियों द्वारा इस धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया जाएगा; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किए जाने हेतु की बांड द्वारा एकत्र धनराशि का उपयोग उचित रूप से किया जाए, क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) यह अनिवार्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कम ब्याज वाली निधियाँ जुटाने के लिए म्यूनिसिपल एजेंसियों को समर्थ बनाएगा।

(ग) और (घ) करमुक्त "म्यूनिसिपल बांडों" के निर्गम के लिए दिशा–निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

कॉफी का मूल्य

3881. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कॉफी का मूल्य काफी कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप किसानों को अपने उत्पादों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या व्यापारी भारतीय कॉफी का अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में उपयुक्त विपणन करने में असफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) लंदन एक्सचेंज में रोबस्टा के लिए कीमतें औसत कीमतों के समतुल्य हैं। तथापि, न्यूयार्क एक्सचेंज में भारतीय अरेबिका किस्मों के लिए बताई गई कीमतें औसत कीमतों से लगभग 15 सैंट प्रति पाउंड कम हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इसके बजाय भारतीय निर्यातकों ने अच्छा विपणन किया है क्योंकि भारत से निर्यातित कॉफी की मात्रा पिछले कुछ वर्षों में बहुत बढ़ी है।

(ङ) फार्म तथा क्योरर दोनों स्तर पर गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत सरकार कॉफी बोर्ड के माध्यम से एक लघु क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वित कर रही है जो बागानों की बुनियादी सुविधाएं यानि पल्पर्स, वाशर्स, ड्राईंग यार्ड और स्टार हाउस आदि स्थापित करने के लिए इमदाद उपलब्ध कराती है। बोर्ड, कॉफी के विभिनन पहलुओं पर उत्पादकों, प्रसंस्कर्ताओं और निर्यातकों को नियमित आधार पर प्रशिक्षण भी दे रहा है। बोर्ड ने भारत में स्पेशल्टि कॉफी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की दो टीमों के दौरों की मेजबानी की और भारतीय कॉफी के अच्छे पहलुओं के बारे में नई जानकारी देने के लिए भारतीय कॉफी के उत्पादकों, व्यापारियों और निर्यातकों के बीच परस्पर बातचीत आयोजित की। इसके अलावा लक्षित देशों में महत्वपूर्ण व्यापार मेलों और अमरीका में स्पेशल्टि कॉफी कान्फ्रैंस में भाग लिया। बोर्ड ने एक कॉफी लोगो तैयार करने और क्योरिंग कारखाना तथा निर्यातकों का प्रमाणीकरण करने की भी पहल की। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने वर्ष 2000 ईस्वी में लक्षित कॉफी आयातक देशों के मुख्य रोस्टरों को शामिल करते हुए एक अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी सम्मेलन आयोजित करने का भी प्रस्ताय किया है।

[हिन्दी]

राजभाषा की स्वर्ण जयन्ती

3882. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में राजभाषा हिन्दी की स्वर्ण जयन्ती मनाने के लिए समिति गठित की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक इसे गठिन किये जाने की संभावना है और इसे मनाने के लिए क्या–क्या योजनाएं हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) चूंकि राजभाषा की स्वर्ण जयन्ती मनाने का मामला एक राष्ट्रीय नीति संबंधी मुद्दा है, अतः गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, जो एक नोडल विभाग है, द्वारा इस मामले पर निर्णय लिए जाने की आवश्यकता होगी। कोयला मंत्रालय भी इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का पूरी तरह से कार्यान्वयन करेगा।

[अनुवाद]

टेक्सन कंपनी द्वारा बासमती का पेटेंट

3883. श्री एम. राजैया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेक्सन कंपनी के अमरीकी पेटेंट के विरूद्ध अभी तक बासमती पेटेंट का मामला नहीं बनाया है; और

(ख) इस मामले को जल्द ही अमरीका में और बाद में विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय में दाखिल करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) इस बात के आकलन के लिए कार्रवाई जारी है कि क्या संयुक्त राज्य पेटेंट कार्यालय द्वारा "नई बासमती चावल की किस्मों" तथा अनाजों पर मंजूर किए गए पेटेंट को चुनौती दी जा सकती है। सरकार ने इस मामले की जाचं के लिए एक अन्तर मंत्रालयी समिति गठित की है। पेटेंट को रद्द करने की कार्रवाई संयुक्त राज्य पेटेंट और ट्रेडमार्क नियम के तहत करनी होगी। इसलिए मामले को डब्ल्यू. टी. ओ. और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

ताइवान के साथ व्यापारिक संबंध

3884. श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटील : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताइवान सरकार ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच कितना व्यापार हुआ;

(घ) क्या दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में विस्तार हेतु नए क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) भारत सरकार ने "ताइवान सरकार" (चीन गणराज्य) के साथ कोई सरकारी अथवा राजनयिक सम्बन्ध कायम नहीं किए हुए हैं। तथापि सरकार व्यापार, निवेश तथा पर्यटन को बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी व्यापार, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्पर्कों को सुविधाजनक बनाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा निम्नानुसार है :

(करोड़ रु. में)

	1995-96	1996-97	1997-98	(अप्रैल-जनवरी) 1998-99
ताइवान को निर्यात	861.44	1504.11	1443.74	
ताइवान को आयात	1277.21	1504.48	1313.51	3704.71

(स्रोत : डी. जी. सी. आई. एंड एस.)

(घ) और (ङ) दोनों देशों की व्यापार सहयोग समितियों द्वारा व्यापार का विस्तार करने हेतु नए क्षेत्रों का नियमित रूप से पता लगाया जा रहा है। मौजूदा व्यापार सम्बन्धों का स्तर-विस्तार करने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं : प्रतिनिधिमंडलों का नियमित रूप से आदान-प्रदान, व्यापार मेलों में सहभागिता तथा व्यापार और वाणिज्यिक मामलों के लिए सम्पर्क कार्यालयों की स्थापना।

[हिन्दी]

स्थायी खाता संख्या (पैन)

3885. श्री पंकज चौधरी :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने व्यक्तियों को स्थायी खाता संख्या (पैन) जारी कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार को स्थायी खाता संख्या (पैन) जारी न करने अथवा जारी करने में विलम्ब के बारे में शिकायत मिली है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने स्थायी खाता संख्या (पैन) शीघ्र जारी करने के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ङ) स्थायी खाता संख्या के आबंटन के लिए दिनांक 28.2.1999 तक निर्धारित फार्म में प्राप्त हुए 1,70,94,507 आवेदन पत्रों में से 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार सम्पूर्ण देश में 1,14,75,117 स्थायी खाता संख्याएं आबंटित की गई थीं।

हाल ही के महीनों में पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। कतिपय आवश्यक जानकारी के अभाव में स्थायी खाता संख्या आबंटित नहीं की जा सकी। त्रुटि संबंधी पत्र जारी कर दिए गए हैं। त्रुटि संबंधी पत्रों के उत्तर प्राप्त होने पर स्थायी खाता संख्या आबंटित की जाएगी।

स्थायी खाता संख्या के आबंटन का कार्य पूरे जोरों पर है और सभी आवेदनकर्ताओं को स्थायी खाता संख्या शीघ्र आबंटित करने के लिये भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। स्थायी खाता संख्या आदि के जारी न होने के बारे में विभाग द्वारा शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

वित्तीय संस्थानों द्वारा एस्सार स्टील को सहायता

3886. श्री सी.डी. गामीत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस्सार स्टील को वर्तमान वित्तीय संकट से उबारने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु वित्तीय संस्थानों पर दबाव डाला जा रहा है;

(ख) क्या वित्तीय संस्थानों द्वारा इस कंपनी में प्रस्तावित वित्तीय निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की दृष्टि से इस कंपनी के कार्यों का ठोस अध्ययन नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो निगमित क्षेत्रों में निवेश के मामले में वित्तीय संस्थानों के लिए निर्धारित नीति संबंधी मार्गनिर्देशों से विचलित होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का ध्यान 15 जनवरी, 1999 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में "गवर्नमेंट प्रेसर्स" एफ आईज ऑन स्टील कंपनी वेलआइट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर भी आकृष्ट किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इस समाचार पत्र में इस संबंध में क्या समाचार प्रकाशित हुआ है, और वित्तीय संस्थाओं हेतु बाध्यताओं के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार का वित्तीय संस्थानों सहित निवेशकों के मन से निराशाजनक विचारों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, नहीं। वित्तीय सहायता की मंजूरी या ऋणों के पुनर्गठन का निर्णय संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने सुविचारित वाणिज्यिक निर्णय तथा इस विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के आधार पर लिया जाता है।

(ख) और (ग) वित्तीय संस्थाओं ने सूचित किया है कि स्टील उद्योग को पेश आ रही कठिनाईयों के संदर्भ में बड़ी स्टील परियोजनाओं (एस्सर स्टील सहित) जो क्रियान्वयन के अंतिम चरण में है, की उनके द्वारा पुनरीक्षा की गई है। वित्तीय संस्थाओं ने इन परियोजनाओं की दीर्घावधि अर्थक्षमता का पुनर्मूल्यांकन किये जाने, परियोजनाओं के अर्थक्षम पाए जाने पर उनका शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आवश्यकता पर आधारित सहायता प्रदान किए जाने को अनिवार्य माना है। साथ ही यह भी माना है कि सहायता प्राप्त स्टील परियोजनाओं को प्रवर्तकों की ओर से सख्त वित्तीय अनुशासन, निधियों के अंतिम उपयोग पर निकट से निगरानी, वित्तपोषण के कड़े मानदंडों और आस्ति वर्गीकरण तथा आय की पहचान संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों का अनुपालन सहित आवश्यक सुरक्षा उपायों के अध्यधीन आवश्यकता पर आधारित राहतें और सहायता प्रदान की जाएं।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) वित्तीय संस्थाओं पर कोई दबाव नहीं डाला जाता है और वित्तीय सहायता की मंजूरी का निर्णय उपर्युक्त (क) में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

[हिन्दी]

टिन प्लेटों पर रियायती योजना

3887. प्रो. रीता वर्मा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा टिन प्लेटों की बिक्री के लए रियायती योजनायें शुरू की गई थीं; और यदि हां तो यह कब और किस अवधि के लिए की गई थी;

(ख) वर्ष 1997–98 और 1998–99 के दौरान आरम्भ की गई इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) रियायती योजनायें शुरू किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान टिन प्लेटों की बिक्री पर कितनी राशि की रियायत दी गई है तथा उस अवधि के दौरान टिन प्लेटों का बाजार मूल्य क्या था और रियायती योजनाएं क्या–क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (घ) प्रतिस्पर्धी बाजार में अपने उत्पादों की बिक्री में सुधार करने के लिए स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) छूट/अन्य वाणिज्यिक शर्तों के रूप में विपणन प्रोत्साहन की पेशकश करता है। ये योजनाएं सामान्यतः मात्रा से जुड़ी हुई हैं। प्रोत्साहन की सीमा कई घटकों जैसे बाजार परिस्थितियों, समग्र मांग, उपलब्धता स्टाक स्थिति, प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों, मौसम तथा अन्य स्थानीय घटकों आदि जैसे कई घटकों पर निर्भर करती है। तथापि अन्य ब्यौरा वाणिज्यिक रूप से संवेदी स्वरूप का है। इसलिए उन्हें उजागर करना सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

रबड़ का सरकारी मूल्य

3888. श्री सुरेश कुरूप : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि रबड उत्पादक रबड़ का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की मांग लगातार करते आ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) रबड़ का मूल्य मूल रूप से मांग और पूर्ति संबंधी पहलुओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। चूंकि भारत सरकार रबड़ उत्पादकों को अपने उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य दिलवाने में हर संभव उपाय कर रही है, इसलिए रबड़ का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की जरूरत नहीं है।

तुलनात्मक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

3889. श्री नादेन्दला भास्कर राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 नवम्बर, 1998 को "ट्रिब्यून" में "चाइना बीट्स इंडिया इन एट्रेक्टिंग एफ. डी. आई." शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत ने विलम्ब से प्रवेश किया है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ. डी. आई.) के संदर्भ में भारत का निष्पादन संतोषजनक रहा है। वर्ष 1991 के मध्य में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तः प्रवाह में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। विश्व जमा प्राप्तियों (जी. डी. आर.) को छोड़कर वर्ष 1998 के दौरान अन्तः प्रवाह, 1991 में केवल 351 करोड़ रुपये की तुलना में, लगभग 13315 करोड़ रुपये था। भारत ने दक्षिण एशिया में अत्यधिक विदेशी निवेश (लगभग 80 प्रतिशत) किया है।

[हिन्दी]

कोयला धोवनशालाएं

3890. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड की प्रत्येक सहायक कम्पनी के अधीन कौन–कौन सी कोयला धोवनशालाएं हैं और गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक धोवनशाला द्वारा वर्षवार कितना अवपंक बेचा गया है;

(ख) क्या विगत कुछ वर्षों से सी. सी. एल. और बी. सी. सी. एल. की धोवनशालाएं स्तरी पोंड से अवपंक बहा रही है और कुछ निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति इसका अनुचित लाभ उठा रहे हैं;

(ग) क्या किसी समिति ने इस मनमानेपन रवैये के संबंधों में कोई सुझाव दिये हैं और कोई सिफारिशें की हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वाशरी से बेचे गई स्लरी की मात्रा तथा कोल इंडिया लि. की कोयला वाशिरियों के नाम नीचे दर्शाए गए हैं :

(आंकड़े लाख टन में)

वाशरियां	94–95	95–96	96–97	97–98	98–99
1	2	3	4	5	6
सी. सी. एल.					
राजरप्पा	476	1292	1075	1425	1905
गिड्डी	304	1310	222	394	999
सवांग	355	524	368	394	188
कथारा	919	657	387	633	353
कारगली	–	–	14	–	–
केडला	लोड परीक्षण के अंतर्गत				
पिपरवार	अ–कोककर कोयला वाशरी				
बी. बी. सी. एल.					
दुग्दा	01	068	143	103	122
भोजूडीह	–	–	0002	0002	008
पथेरडीह	01	–	038	063	076
बरोरा	–	–	001	–	001
मूनीडीह	–	109	101	072	039
डब्ल्यू. सी. एल.					
नंदन	068	076	068	036	022

(ख) जी, नहीं। उत्कृष्ट कोयले की स्लरी पोंड से प्राप्त कर लिया जाता है और कभी–कभी मानसून की भारी बारिश में स्लरी पोंड जलप्लावित हो जाता है तथा बहते हुए पानी के साथ कुछ स्लरी बह जाते हैं।

(ग) और (घ) बी. सी. सी. एल. और सी. सी. एल. की कोयला वाशरियों के कार्य–निष्पादन के अध्ययन तथा उनमें सुधार लाने के सुझाव हेतु सरकार द्वारा गठित की गई अल्टेकर समिति ने अपनी सिफारिशों के अंतर्गत एक सुझाव यह दिया था कि उत्कृष्ट कोयले के परिष्करण हेतु फ्लोटेशन सेल को स्थापित/शुरू किया जाए। उपर्युक्त सिफारिश के अनुपालन में इन वाशरियों में, जोकि भाग (क) के उत्तर में संदर्भगत है, उत्कृष्ट कोयले के परिष्करण हेतु फ्लोटेशन सेल/हाइड्रोसाईक्लोन प्रचालन में हैं तथा यह भोजूडीह वाशरी (जिसे इस वर्ष के अंदर चालू किए जाने की संभावना है), कारगली (फ्लोटेशन सैल की स्थापना हेतु परियोजना की स्वीकृति दी गई है), गिड्डी और पिपरवार (दोनों अ–कोककर कोयला वाशरियों) को छोड़कर है।

[अनुवाद]

हस्तशिल्प से निर्मित वस्तुओं का निर्यात

3891. श्री अमर अब्दुल्ला : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कश्मीरी हस्तशिल्प से निर्मित वस्तुओं, कालीनों, शालों तथा अन्य ऊनी मदों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन मदों के उत्पादन तथा निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वर्ष 1999–2000 तथा नौवीं योजना के आने वाले वर्षों के लिए इस सम्बंध में तैयार कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) जी हां, विगत तीन वर्षों के दौरान इन मदों के उत्पादन एवं उनके निर्यात में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदमों में–प्रशिक्षण, डिजाइन विकास पर कार्यशालाएं आयोजित करना, निर्यात विपणन, पैकेजिंग, विदेशों से बिक्री–सह–अध्ययन दल प्रायोजित करना, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना, प्रचार अभियान, भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेलों (शरद् एवं बसंत) व कालीन एक्सपो का वार्षिक आयोजन शामिल है। वर्ष 1999–2000 और नौंवी योजना के दौरान ये कदम उठाये जाते रहेंगे और यथावश्यक इन्हें और तीव्र किया जाएगा।

भंडार/उत्पादन अनुपात

3892. श्री विजय कुमार "विजय" : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले का भंडार संरक्षित करने की दृष्टि से कोयले के भंडार/उत्पादन अनुपात 3 : 1 स्तर पर निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कई कोयला खानों में इस समय कोयले का भंडार/उत्पादन अनुपात 6 : 1 से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(घ) क्या कोयला मापन शैलों की भू–खनन विशिष्टताओं का किए बिना अपनाई जा रही वर्तमान खनन प्रणाली कोयले के भंडार की भारी मात्रा में हानि का मुख्य कारण है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) आरक्षित उत्पादन अनुपात, किसी विशेष वर्ष में कोयले के प्रमाणित भंडार तथा कोयले के उत्पादन का अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत अनुपात है। सामान्यतः इस अनुपात को कोयला भंडार की समयावधि का पता लगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

(ख) और (ग) जी, हां। देश में अधिकांशः परिचालित खानों में भंडार/उत्पादन अनुपात 6 : 1 से अधिक है। संरक्षण की दृष्टि से कोई भंडार/उत्पाद के अनुपात का निर्धारण नहीं किया गया है। सामान्यतः कोयला परियोजनाओं को 20 : 1 और उससे अधिक पर भंडारों तथा उत्पादन अनुपात पर आयोजित किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

आई. डी. बी. आई. द्वारा इस्पात परियोजनाओं के लिए ऋण पैकेज

3893. श्री माधवराव पाटील :

श्री ए.सी. जोस :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग विकास बैंक (आई. डी. बी. आई.) के निदेशक मंडल ने हाल ही में 6 इस्पात संयंत्रों के लिए ऋण पैकेज मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो इन इस्पात परियोजनाओं के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ऋण के नियम व शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) 1991 से भारतीय इस्पात उद्योग को अविनियमन के बाद, वित्तीय संस्थाओं ने 1992 से 1996 की अवधि के दौरान गैर सरकारी क्षेत्र की कई इस्पात परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है। दक्षिण पूर्व एशिया में मुद्रा संकट तथा सी. आई. एस. देशों के अलग–अलग होने जैसी गतिविधियों के कारण इन परियोजनाओं की अर्थक्षमता को निर्धारित करने वाली कई अवधारणाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। संस्थाओं ने यह आवश्यक समझा कि इन परियोजनाओं की दीर्घावधिक अर्थक्षमता को पुनः निर्धारित किया जाए तथा वह विचार व्यक्त किया कि कार्यान्वयन तथा आवश्यकता पर आधारित राहत के अंतर्गत इस्पात परियोजनाओं का शीघ्र पूरा होना सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जाए तथा अन्य बातों के साथ–साथ प्रवर्तकों द्वारा कड़ा वित्तीय अनुशासन, निधियों के प्रयोग पर पूरा नियंत्रण, आस्ति वर्गीकरण तथा आय की पहचान के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देश के अनुपालन और वित्तपोषण हेतु कडे मानदण्ड समेत आवश्यक सुरक्षोपाय के अध्यधीन सहायता प्राप्त इस्पात परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाए। इस पृष्ठभूमि में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई. डी. बी. आई.) ने संस्थागत हितों का पूर्णरूपेण ध्यान रखते हुए इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से छः चालू इस्पात परियोजनाओं को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दी है। मंजूर की गई अतिरिक्त सहायता, प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने, वोट देने के अधिकार के साथ प्रवर्तकों की शेयरधारिता बन्धक रखने, 100% तक अतिरिक्त ऋणों के सममूल्य पर इक्विटी में परिवर्तित करने के विकल्प, पंथांतरित निधियों को तुरन्त वापस लाने, न्यास तथा प्रतिधारण खाते का रखरखाव, उधारदाता की नियुक्ति, इंजीनियर्स तथा समवर्ती लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षकों का आदान प्रदान, कंपनी शासन आदि के मामले में सुधार आदि के संबंध में विशेष शर्तें रखती हैं। इसके अलावा, प्रवर्तकों को संशोधित अतिरिक्त अंशदान का कम से कम एक तिहाई सीधे प्रस्तुत करना होगा तथा शेष को समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना होगा।

बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीतिरिवाजों के अनुसरण में तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को शामिल करने वाले सांविधिक उपबंधों तथा लोक वित्तीय संस्थाओं (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंध के अनुसार, अलग–अलग व्यक्तियों से संबंधित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है।

अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण का प्रभाव

3894. श्री समर चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उदारीकरण और सार्वभौमीकरण की नीतियों को लागू किये जाने के बाद कृषि क्षेत्र में खाद्यानों के उत्पादन व आयात–निर्यात के बीच के अन्तर को पाटने के सन्दर्भ में देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े हैं; और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की औद्योगिक इकाईयों को मजबूती प्रदान करने के क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : नब्बे के दशक की शुरूआत से भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के विभिन्न उपाय शुरू किए गए हैं। शुरू किए गए उपायों के परिणामस्वरूप भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य–निष्पादन हुआ है। खाद्यान्नों का उत्पादन वर्ष 1990–91 में 176. 39 मि. टन से बढ़कर 1998–99 में 200.88 मि. टन होने का अनुमान है। व्यापार घाटे में सुधार हुआ है और यह 1990–91 में 10,645 करोड़ रुपए से कम होकर 1994–95 में 7297 करोड़ रुपए रह गया है। लेकिन वर्ष 1997–98 में यह घाटा बढ़कर 25268 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। उद्योग की संवृद्धि दर जो वर्ष 1991–92 में मात्र 0. 6 प्रतिशत थी 1995–96 में बढ़कर 12.8 प्रतिशत हो गई और तत्पश्चात कम होकर 1997–98 में 6.6 प्रतिशत हो गई। अगस्त, 1991 से शुरू करके नवम्बर, 1998 तक आई. ई. एम. और एल. ओ. आई. के माध्यम से 750951 करोड़ रुपए के मूल्य के निवेश मंतव्यों की पेशकश की गई है। केन्द्र सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों के मामले में नियोजित कुल पूंजी पर सकल लाभ तथा कर से पूर्व लाभ की प्रतिशतता 1990–91 में 10. 9 प्रतिशत और 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 1996–97 में क्रमशः 15.1 प्रतिशत और 7.7 प्रतिशत हो गई है।

तम्बाकू के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियां

3895. श्री सतनाम सिंह कैथ : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू की विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश में सिगरेट उत्पादन के लिए संविदा कर सकती है;

(ख) यदि हां, तो संविदा उत्पादन और प्रत्यक्ष उत्पादन के बीच क्या अंतर है;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां संविदा उत्पादन को माध्यम से अपने उत्पादों के लिए सस्ते मजदूरों के काम पर लगाना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो ठेका उत्पादन और प्रत्यक्ष उत्पादन के बीच क्या सूक्ष्म भेद है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) सिगरेट के विनिर्माण पर उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधान लागू होते हैं। इस प्रकार केवल लाइसेंस धारक ही सिगरेटों का विनिर्माण कर सकता है। इस क्षेत्र में अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधान के अध्यधीन विदेशी वित्तीय तथा/अथवा तकनीकी सहयोग अनुमत्य है। इस क्षेत्र में विदेशी निवेश/तकनीकी सहयोग के किसी प्रस्ताव के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड/सरकार की पूर्व अनुमति अपेक्षित होगी।

निवेशकों से प्राप्त शिकायतें

3896. श्री अजीत जोगी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को शेयरों पर लाभांश, ऋण पत्रों/सावधि जमा धन पर ब्याज और ऋण पत्रों तथा सावधि जमा धन पर परिपक्वता धनराशि के न मिलने सम्बन्धी बड़ी संख्या में शिकायतें निवेशकों की ओर से मिलती रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 में ऐसे उपबन्ध हैं जिनसे सरकार दोषी कम्पनियों पर मुकदमा चला सकती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसा कोई मुकदमा शुरू किया है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे मुकदमों की संख्या कितनी है और दोषी कम्पनियां कौन–कौन सी हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

बैंक कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

3897. श्री वी.वी. राघवन :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जनवरी, 1999 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एक्स बैंक आफसिल बेजिस लोन फॉर पेंशन टु रिटायर्ड वर्कर्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस समाचार में प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या 1986 से पहले और उसके बाद सेवानिवृत्त हुए बैंक कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू करने के संबंध मे उठे विवाद के बारे में सरकार का स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) सभी सेवा निवृत्त बैंक कर्मचारियों को एक समान मानते हुए पेंशन योजना का लाभ देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) यह सच है कि कामगार यूनियनों/अधिकारी संघों द्वारा

भारतीय बैंक संघ (बैंक प्रबंधकों का प्रतिनिधित्व करते हुए) के साथ किए गये समझौते के अनुपालन में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर जिसमें पेंशन योजना पहले से रही है) में अंशदायी भविष्य निधि के बदले पेंशन शुरू की गई थी और जो कर्मचारी दिनांक 1.1. 1986 से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, वे इस योजना के तहत पेंशन का विकल्प देने के पात्र नहीं हैं तथा उन्हें सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अंशदायी भविष्य निधि की राशि बनाए रखने की अनुमति दे दी गई है। यह उल्लेखनीय है कि किसी नए लाभ को शुरू करते समय निर्दिष्ट तारीख निर्धारित करना अपरिहार्य है।

भारतीय रिजर्व बैंक और साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों के 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त व्यक्तियों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं पर अपना निर्णय देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1.1.1986 की निर्दिष्ट तारीख का अनुमोदन किया है।

केन्द्रीय सरकार ने भी पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए अंशदायी भविष्यनिधि के उन लाभग्राहियों को अनुग्रह अदायगी देने का निर्णय लिया है, जो 18.11.60 से 31.12.85 की अवधि के बीच सेवानिवृत्ति हुए थे और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले न्यूनतम 20 वर्ष की लगातार सेवा की हो। हालांकि माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुपालन में 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों को किसी लाभ का कोई अधिकार नहीं है, तथापि केन्द्रीय सरकार की तरह ही 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति के समय उन्हें प्राप्त अंशदायी भविष्य निधि के लाभ वापस करने के लिए उनसे कहे बिना, सरकार कल्याणकारी उपाय के रूप में अनुग्रह राशि देने के लिए सहमत हो गई है।

राज्यों में मसालों का उत्पादन

3898. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष–वार प्रत्येक राज्य में विभिन्न प्रकार के मसालों का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार का नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मसालों के उत्पादन का विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में प्रमुख मसालों का वर्ष–वार उत्पादन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मसालों के समेकित विकास के लिए 125 करोड़ रु. के योजना परिव्यय की तुलना में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मसालों के समेकित विकास के लिए 150 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान किया जाता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मसालों के समेकित विकास के तहत निम्नलिखित कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है :

(i) मसालों की अधिक पैदावार वाली किस्मों के गुणवत्ता रोपण सामग्री के उत्पादन एवं वितरण के लिए सहायता प्रदान करना ताकि उनका उत्पादन बड़े पैमाने पर हो सके।

(ii) मसालों के उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार लाने के लिए अत्यावश्यक निविष्टियाँ मुहैया कराना।

(iii) समेकित कीट रोगों तथा पोषक प्रबंधन तरीकों को लोकप्रिय बनाना जिससे कि मसाला उत्पादकों की अवशेष रहित गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।

(iv) मृदा एवं पौध स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करना।

(v) उत्पादन, उत्पादकता तथा उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी का हस्तानांतरण।

विवरण

मात्रा : हजार टन में

	जीरा					सौंफ					मेथी				
राज्य	1992–93	1993–94	1994–95	1995–96	1996–97	1992–93	1993–94	1994–95	1995–96	1996–97	1992–93	1993–94	1994–95	1995–96	1996–97
राजस्थान	77.69	110.72	33.66	36.03	65.71	3.35	1.74	1.74	2.00	5.18	25.37	30.13	48.72	40.76	43.43
गुजरात	57.50	55.80	45.10	39.20	51.40	19.00	13.10	27.30	13.70	23.20	6.00	7.44	8.10	6.40	
अन्य		0.01	0.01	0.05	0.80	0.34	0.34	0.31	0.31	0.32	0.31	0.30	0.31	0.34	3.11
कुल	135.19	166.53	78.77	75.28	117.91	22.69	15.18	29.35	16.01.	28.70	31.68	37.87	57.13	47.50	46.54

	धनिया					लाल मिर्च					हल्दी				
	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
आंध्र प्रदेश	23.60	26.40	29.70	15.20	24.50	373.10	374.00	348.00	383.50	562.00	171.80	384.90	364.90	244.10	292.00
असम						8.30	8.50	8.60	9.40	9.90	5.10	6.00	6.70	6.60	6.90
बिहार	1.20	1.10	1.10	1.10	1.40	13.70	6.20	2.90	5.30	4.50	3.60	4.00	3.30	2.40	3.30
गुजरात						19.80	20.50	20.50	21.00	18.80	3.20	4.70	4.40	5.00	11.00
कर्नाटक	3.20	3.00	3.00	2.50	2.60	97.40	110.30	101.50	108.10	161.20	48.80	74.70	20.88	20.60	26.20
केरल						0.50	0.60	0.40	0.40	0.50	5.30	5.80	6.10	9.20	9.10
मध्य प्रदेश	38.40	40.40	37.60	40.00	50.80	16.20	17.60	10.00	16.40	17.40	0.70	0.70	0.70	0.60	0.70
महाराष्ट्र						68.40	61.30	58.90	58.50	59.60	9.20	7.70	9.00	9.30	9.20
मेघालय						1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.80	1.80	1.80	6.80	6.40
मिजोरम						2.90	3.10	3.20	2.00	3.30	1.40	1.70	1.70	1.70	3.60
उड़ीसा	9.80	10.20	11.70	13.80	5.70	68.50	75.50	24.90	28.30	40.70	47.00	51.10	49.60	51.30	38.50
पंजाब						7.10	7.60	3.80	4.40	7.40					
राजस्थान	106.20	105.20	91.90	116.40	154.80	62.10	46.90	39.40	37.20	59.70	0.60	0.50	0.70	0.90	0.80
तामिलनाडू	5.40	11.00	14.00	2.80	11.20	45.70	43.70	47.60	27.70	38.20	83.20	136.60	124.00	79.60	92.00
उत्तर प्रदेश	3.40	3.40	4.00	4.30	4.50	18.70	17.20	12.70	13.50	18.60	1.40	1.90	2.10	1.70	1.70
पश्चिम बंगाल						44.40	42.20	44.30	49.80	49.70	20.50	20.70	21.80	19.00	22.50
अन्य						14.20	13.80	14.90	12.80	13.80	4.10	4.60	4.30	4.10	5.00
कुल	191.20	203.70	193.00	196.10	255.50	862.10	850.10	742.70	779.40	1,066.40	407.70	707.40	621.98	462.90	528.90

	अदरक					काली मिर्च				
	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
आंध्र प्रदेश	7.27	6.11	8.76	8.87	8.96					
अरुणाचल प्रदेश	14.53	16.5	16.88	19.45	24.34					
कर्नाटक	2.81	3.05	3.78	4.65	5.81	0.75	0.79	0.76	0.88	0.93
केरल	50.39	45.37	37.91	50.61	48.47	49.67	49.85	59.26	59.94	53.77
मध्य प्रदेश	3.64	3.58	3.59	4.05	5.36					
मेघालय	40.8	41.84	43.34	42.96	44.18					
मिजोरम	6.82	7.91	8.72	14.58	21.79					
नागालैण्ड	1.02	0.04	4.33	6.38	7.2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
उड़ीसा	14.28	16.68	17.88	17.8	10.56										
सिक्किम	19.14	3.41	2.93	3.84	4										
तामिलनाडु	16.1	12.2	20.2	15.9	14.5	0.28	0.6	0.64	0.67	0.8					
उत्तर प्रदेश	3.81	4.19	3.27	3.98	7										
पश्चिम बंगाल	12.76	13.6	16.66	16.69	17.94										
अन्य	8.26	11.72	9.4	9.54	10.4	0.05		0.08	0.08	0.08					
कुल	201.63	186.2	197.65	219.3	230.51	50.75	51.24	60.74	61.57	55.58					

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय; कृषि एवं सहकारिता विभाग

हथकरघा क्षेत्र

3899. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा क्षेत्र के लिए टेरी टावल और चादरों को आरक्षित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन मदों का कुल कितना उत्पादन हुआ और बिजलीकरघा और हथकरघा क्षेत्र द्वारा उनका कितना–कितना उत्पादन किया गया; और

(घ) क्षेत्रवार इनसे कितना निर्यात किया गया ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) जी, हां।

हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत केवल टैरी तोलियें के आरक्षण का सरकार के पास विचाराधीन है। हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 की धारा 4 के अंतर्गत विधिवत् रूप से गठित सलाहकार समिति मामले की जांच करेगी तथा अपनी सिफारिशें देंगी। इस समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद, सरकार मामले पर उचित निर्णय देगी।

(ग) वस्त्र आयुक्त, मुम्बई के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार विकेन्द्रीयकृत क्षेत्र में फैब्रिक का उत्पादन काटन फैब्रिक, ब्लेंडिड फैब्रिक तथा 100% नान–कॉटन फैब्रिक की विशाल श्रेणियों में से सरकार द्वारा अनुमोदित यार्न से फैब्रिक के कुछ परिवर्तन अनुपात के आधार पर अनुमान लगाया जाता है, अतः विकेन्द्रीकृत क्षेत्र द्वारा उथ्यादित किस्म–वार फैब्रिक के संबंध में अलग से विवरण उपलब्ध नहीं है।

(घ) वस्त्र आयुक्त मुम्बई के कार्यालय टैक्सप्रोसिल द्वारा क्षेत्रवार टेरी तोलिए और चादरों के निर्यात के संबंध में उपलब्ध करवाई सूचना नीचे दर्शायी गई है :

टेरी तौलियों का निर्यात

क्षेत्र	एम.एन.के.जी.	एम.एन. रु.	एम.एन.के.जी.	एम.एन.रु.	एम. एन.के.जी.	एम.एन.रु.
पावरलूम	22.27	3878.70	21.41	3791.37	19.38	3630.25
हथकरघा	4.47	736.36	3.95	643.05	3.15	468.34
सभी क्षेत्रों का जोड़	33.52	6219.05	34.46	6674.97	35.15	7263.34

चादरों का निर्यात

	1996		1997		1998	
क्षेत्र	एम.एन.के.जी.	एम.एन.रु.	एम.एन.के.जी.	एम.एन.रु.	एम. एन.के.जी.	एम.एन.रु.
पावरलूम	2.46	509.03	0.38	78.29	नगण्य	2.75
हथकरघा	0.01	2.39	नगण्य	0.08	नगण्य	0.04
सभी क्षेत्रों का जोड़	2.48	526.00	0.38	78.37	0.02	5.54

[हिन्दी]

व्यापार घाटा

3900. डॉ. चिन्ता मोहन :

डॉ. सुशील इन्दौरा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998–99 के दौरान सोने का कुल कितना आयात किया गया और उसका मूल्य क्या था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आभूषणों का कुल कितना निर्यात किया गया और उसका मूल्य क्या था; और

(ग) देश के व्यापार घाटे पर इसका क्या प्रभाव रहा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 1998–99 के दौरान लगभग 21320/–करोड़ रु. मूल्य के 511.018 मीट्रिक टन सोने की कुल मात्रा का आयात किया गया।

(ख) रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा दिए गए निर्यातों के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 1998–99 के दौरान निर्यातित स्वर्ण आभूषणों का कुल मूल्य 3615/–करोड़ रु. था। स्वर्ण आभूषणों के निर्यात की मात्रा के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) वर्ष 1998–99 के दौरान किए गए स्वर्ण आभूषणों को निर्यातों के समायोजन के पश्चात् 1998–99 के दौरान सोने के आयात के कारण व्यापार घाटा लगभग 17705/–करोड़ रु. का था।

[अनुवाद]

ईंधन आपूर्ति समझौता रद्द किया जाना

3901. श्री संदीपान थोरात : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने दुलमुल ग्राहकों को हटाने के प्रयास में छः स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को उनकी ईंधन आपूर्ति समझौता रद्द करने के लिए नोटिस भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोयला क्षेत्र में ऐसे दुलमुल ग्राहकों को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (ग) जी, नहीं। कोयला मंत्रालय ने अपने ईंधन आपूर्ति करार (एफ. एस. ए.) को रद्द करने के लिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आई. पी. पी.) को कोई नोटिस जारी नहीं किया तथापि निम्नलिखित 12 पार्टियों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें यह सूचित किया गया है कि यदि 30 जून, 1998 से पूर्व एफ. एस. ए./समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप नहीं दिया गया तो यह माना जाएगा कि संयोजन को वापिस लेने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तथा मंत्रालय उन्हें बिना कोई नोटिस दिए ही पुनः आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

1. अपोलो एनर्जी कं. लि.
2. मेसर्स सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड्स कंपनी लि., इस्पात हाउस (मेसर्स भद्रावती)
3. वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन
4. डेवलपमेंट कंसलटेंट
5. बरकेश्वर पावर जनरेटर कंपनी लि.
6. पेसिफिक इलेक्ट्रिकल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन
7. ए. ई. एस. ट्रासपावर
8. अहमदाबाद इलैक्ट्रिक कंपनी लि.
9. यू. पी. एस. ई. बी. अनपाड़ा टी. पी. एस.
10. मेसर्स बी. पी. एल. पावर प्रोजेक्ट (ए. पी.) लि.
11. इंडो–गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स कंपनी लि.
12. रायपुर एलाय एण्ड स्टील लि.।

इस मामले की पुर्नसमीक्षा के बाद निम्नलिखित तीन पार्टियों के संयोजन को रद्द कर दिया गया है :

1. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, अनपाड़ा
2. डेवलपमेंट कंसलटेंट
3. रायपुर एलाय एण्ड स्टील लि.

त्रिवेंद्रम में "गारमेंट प्रोसैसिंग सेन्टर" की स्थापना

3902. श्री ए.पी. जोस : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की त्रिवेन्द्रम में सिले–सिलाए वस्त्र तैयार करने के लिये परीक्षण सुविधा केन्द्र खोलने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) त्रिवेन्द्रम में परिधान प्रसंस्करण केन्द्र में एककों की परीक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने की वस्त्र प्रयोगशाला की स्थापना के एक प्रस्ताव को वस्त्र समिति द्वारा जांचा गया था क्योंकि एककों को अभी स्थापित किया जाना है इसलिए त्रिवेन्द्रम में परिधान प्रसंस्करण केन्द्र में एक वस्त्र परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। जब कभी एकक स्थापित हो जाएंगे प्रयोगशाला की स्थापना पर विचार किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव–जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी द्वारा जो विश्वास का मत हासिल करने के लिए प्रस्ताव लाया गया है मैंने कल उस पर बोलना शुरू किया था और कहा था कि जनता की निगाहें देश की सबसे बड़ी पंचायत इस सदन की तरफ लगी हुई हैं। यहाँ कल से जो चर्चा चल रही है, पूरे देश के लोग अपना काम–धंधा बंद करके यहाँ की एक–एक बात का गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय एजेंडा की चर्चा की थी। साथ ही कावेरी जल विवाद की, पोखरण अणु–विस्फोट की और प्रधान मंत्री जी द्वारा पाकिस्तान की बस द्वारा यात्रा की चर्चा की थी। अब मैं काश्मीर में शांति–व्यवस्था की चर्चा करना चाहता हूं। आज से कुछ समय पहले इस देश में क्या स्थिति बनी हुई थी। कश्मीर में शोले भड़क रहे थे, असम जल रहा था, बिहार का तो मैं वर्णन ही नहीं करना चाहता हूं। वैसी स्थिति में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सरकार केन्द्र में बनी, उसके अथक प्रयास से वहाँ शांति और व्यवस्था कायम हुई। सीमा पार से देश में प्रवेश करके जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों पर आतंकवादी हमला किया करते थे और जिस प्रकार से थोक के हिसाब से हत्याएं होती थीं, उससे वहाँ के लोगों का विश्वास उठता जा रहा था। लेकिन सरकार के मजबूत कदमों से वहाँ के लोगों का विश्वास जगा है और वहाँ राष्ट्रीय स्तर पर लोग राष्ट्रीय धारा में जुड़ने का काम कर रहे हैं। क्या आप इसे सरकार की उपलब्धि नहीं मानते। अगर नहीं मानते हैं तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार बनी उस समय आपने खजाना खाली करके दिया था, देश में भ्रष्टाचार दिया था, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी और अणु–विस्फोट हुआ तो अमरीका जैसे देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए लेकिन उसके बावजूद जिस हिम्मत के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में आर्थिक प्रतिबंधों का मजबूती के साथ सामना किया गया, हर मामले में हम आगे बढ़े और देश में आर्थिक सुधार हुए, क्या आप इन्हें सरकार की उपलब्धि नहीं मानते, अगर नहीं मानते हैं तब मुझे कुछ नहीं कहना है और अगर आप इसे उपलब्धि मानते हैं तब तो आपको सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए।

मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली जैसे मैट्रो शहर में लोग ब्लैक में रसोई गैस सात–आठ हजार रुपए में खरीदते थे लेकिन इस सरकार ने मैट्रो शहरों में इसे मुक्त कर दिया। अब राशन कार्ड दिखाने के बाद रसोई गैस मिल जाती है। बड़े लोगों के पास इसकी उपलब्धता थी लेकिन मध्यम और मजदूर वर्ग के लोगों के पास इसकी उपलब्धता नहीं थी। जब मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग सरकार की प्रशंसा करने लगे तो आपकी बेचैनी बढ़ी। क्या आप इसे सरकार की उपलब्धि नहीं मानते ? अगर नहीं मानते और सरकार पर हमला करते हैं तब मुझे कुछ नहीं कहना है। कल शरद पवार जी कह रहे थे... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप चेयर को एड्रेस करें।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तरफ देख कर ही बोल रहा हूं। शरद पवार जी कल कह रहे थे कि इस वर्ष अन्न का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति ने मदद की। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जब कहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वह सरकार की कमजोरी माना जाता है। जब देश में किसी परिस्थितिवश किसान आत्महत्या करते हैं तो उसे सरकार की विफलता माना जाता है। अगर देश में अन्न का रिकॉर्ड उत्पादन होता है जिसे वह स्वीकार करते हैं परन्तु उसे सरकार की उपलब्धि नहीं मानते हैं। अगर वह अपने राज में इसे सरकार की उपलब्धि नहीं मानते हैं तो कम से कम अपने मुंह से वाजपेयी जी के प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बैठने का लक्षण भी तो मानिए और यह कह कर सरकार को बधाई देने का काम कीजिए। अगर इसे सरकार की उपलब्धि नहीं मानते और हमला करते हैं तब मुझे कुछ नहीं कहना है।

अध्यक्ष महोदय, 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में आज एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट निकली है जिस में लोगों ने कहा है कि वह किसी भी विदेशी को देश का प्रधान मंत्री कबूल नहीं करेंगे। 82 परसैंट लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की है।...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अटल जी तो प्रधान मंत्री हैं और प्रधान मंत्री बने रहेंगे। उनका कहना है कि किसी विदेशी को प्रधान मंत्री होने नहीं देंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ? आप बैठिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस देश में 82 परसैंट लोगों ने वाजपेयी जी के पक्ष में अपनी इच्छा जाहिर की है।

एडमिरल विष्णु भागवत की चर्चा महीनों से इस सदन में, राज्य सभा में और अखबारों में हुई। यह एक चर्चा का विषय बना रहा। दूसरे लोग इस पर चर्चा करते हैं तो उनकी बात समझ में आती है लेकिन रक्षा मंत्री के पद पर रहने वाले लोग श्री मुलायम सिंह यादव और शरद पवार जी जब बार–बार इस मामले में उलझते हैं तो हम जैसे लोगों के मन में एक अजीब सा माहौल बनने लगता है।

जब कल शरद पवार जी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हाउस में इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए लेकिन जिस तरह से उनकी पार्टी के लोगों ने काम किया क्या वह उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते थे ? अगर नहीं कर सकते थे तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वह विपक्ष के नेता किस हैसियत से बने हैं ? मुझे इस मामले में ज्यादा नहीं कहना है क्योंकि रक्षा मंत्री ने एक किताब छपवा कर सभी सदस्यों के बीच बांट दी है। मुझे विश्वास है कि सब लोगों ने इसे पढ़ा होगा। कोई भी सरकारी नौकर अगर अनुशासन को तोड़े और रक्षा जैसे मामले में सरकार को यह कहे कि यह आपको अधिकार नहीं है, और इस पर कार्यवाही हो ताकि सदन में हाय–तौबा मचाया जाये। उसके

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

बाद नोटरी मैजिस्ट्रेट के यहाँ शपथ पत्र दिया है जिस पर इतनी चर्चा देश में हो रही है और इस देश के लोग कांग्रेसियों और विपक्ष के लोगों को किस निगाह से देख रहे हैं। इसलिये कांग्रेस को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिये। आप कहते हैं कि इस तरह का निर्णय जल्दबाजी में हुआ है। आप लोगों को याद होना चाहिये कि 1971 में जनरल मानेक शॉ को फील्ड मार्शल बनाया गया था। युद्ध जीतने के बाद वे विदेश गये। वहाँ एक प्रैस कांफ्रेंस में चर्चा की थी। प्रैस वालों ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हम अगर दूसरे पक्ष में होते तो स्थिति कुछ और होती। उस समय कांग्रेस के लोगों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया था। उस समय इन्दिरा जी प्रधानमंत्री थीं जिन्होंने उन्हें किसी फंक्शन में नहीं बुलाया, उन्हें अपमानित किया गया। क्या आप इस बात को याद नहीं करते ? और आज अगर एक भ्रष्ट और निकम्मे अफसर को बरखास्त कर दिया तो आप लोग देश में इतनी हाय-तौबा मचा रहे हैं। आपको इस बात पर लज्जित होना चाहिये, इस बात पर शर्म आनी चाहिये। आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो उपलब्धियां हो रही हैं, उससे इनको बेचैनी हो रही है। इन लोगों को इसलिये बेचैनी हो रही है कि इनसेट-2ई का सफल परीक्षण किया गया है। आज गांव के लोगों के दिल और दिमाग में इस सरकार के प्रति रुझान बढ़ा हुआ है। गांव के लोगों के मन में यह बात आयी है कि वैज्ञानिक युग में न केवल शहर को बल्कि गांव के लोगों को भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कुछ मिलने वाला है। क्या यह सरकार की उपलब्धि नहीं है ? अगर आप इसे सरकार की उपलब्धि नहीं मानते और फिर भी सरकार पर हमला करते हैं, तब मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

हम एक बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से यह बताना चाहते हैं कि उनसे एक भूल हुई है। आपने जो अग्नि परीक्षण किया है, उसकी ज्वाला निकली और इन लोगों के शरीर में प्रवेश कर गई है, उससे जो गर्मी निकली है, उससे बौखलाकर ये लोग बेचैन हो गये हैं। आज देश की जनता आपके इस सफल कदम से काफी उत्साहित है और आपके प्रति अपना आभार व्यक्त कर रही है लेकिन इन लोगों के शरीर में वह गर्मी प्रवेश कर गई है, इसलिये ये लोग बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री संगमा जी का भाषण सुन रहा था। वे बोल रहे थे कि हम लोगों को सरकार चलाना नहीं आता। वे ठीक कह रहे थे क्योंकि उन लोगों को 50 वर्ष का अनुभव है। अगर 13 महीने की अवधि में हम लोगों को सरकार चलाना आता तो हम लोगों पर भी बोफोर्स जैसा मामला बना होता, अगर हम लोगों को सरकार चलाना आता तो कोई न कोई यूरिया घोटाला जैसा मामला सामने आया होता। चूंकि सरकार चलाने में अक्षमता है, इसलिये अभी तक ये लोग प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रालय के किसी भी मंत्री के विरोध में बोले हैं लेकिन किसी भी विरोधी दल के सदस्य की जुबान नहीं खुली कि किसी ने भ्रष्टाचार का मामला उठाया हो। इसलिये मैं एक कहानी सुना देना चाहता हूं। एक बार एक चिड़िया पेड़ पर चहक रही थी। उधर से तीन मित्र जा रहे थे। एक मित्र ने कहा कि चिड़िया कितने अच्छे ढंग से बोल रही है-राम, सीता, दशरथ। दूसरा मित्र व्यवसायी था, इसलिये उसने कहा नहीं, यह चिड़िया बोल रही है-नून, तेल, अदरक। तीसरे मित्र ने कहा, नहीं, यह दोनों बातें नहीं बोल रही है, चूंकि वह बनारस से भागा हुआ था, पुलिस उसका पीछा कर रही थी, वह मेरठ आना चाहता था, इसलिये बलिया के रास्ते से भाग रहा था, उसने कहा कि चिड़िया बोल रही है बनारस, बलिया और मेरठ। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि आप जिस ढंग से सोचियेगा, वही दिखता है। यह कहा गया है 'जाकि रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखि तिन तैसी।' आप जिस चश्मे को लगाकर देख रहे हैं, आपको सरकार उसी ढंग की दिखाई देती है। हम चाहेंगे कि आप अपना चश्मा बदलिये और बदलकर उस निगाह से देखिये।

श्री शरद पवार जी बोल रहे थे कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश की जनता की आस्था नहीं है। वे यह भी कह रहे थे कि जनता ने हमें भी स्वीकार नहीं किया है लेकिन इतना तो सत्य है कि उसने आपको बर्खास्त किया है, उसने आपको रिजैक्ट किया है। अगर आपको रिजैक्ट किया है तो उसने श्री वाजपेयी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की है।

उसी आस्था के बदौलत आज अटल बिहारी वाजपेयी जनता की कृपा से प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हम बताना चाहते हैं कि शरद पवार जी बोल रहे थे तो हम सोच रहे थे कि शरद पवार जी महाराष्ट्र से आते हैं जहाँ कभी बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग हुआ करते थे। बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी विदेशियों के सामने घुटने नहीं टेके थे और विदेशियों से लड़ते-लड़ते अपने जीवन को समाप्त कर दिया था। हम समझते थे कि बाल गंगाधर तिलक की आत्मा शरद पवार जी में प्रवेश कर गई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि शरद पवार जी को पता नहीं क्या हो गया कि एक विदेशी के सामने उन्होंने घुटने टेक दिये।...*(व्यवधान)*

श्री दत्ता मेघे (वर्धा) : आप किसकी बात कर रहे हैं ? कौन विदेशी है ?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : क्या श्री प्रभुनाथ सिंह यह जानते हैं कि श्री आडवाणी लाहौर से हैं ?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, उन्होंने अपनी बात के क्रम में नैतिकता का सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि वह महसूस कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है।...*(व्यवधान)* उनको गहरा भरोसा था कि सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देगी क्योंकि वह अल्पमत में आ गई है। हम आश्चर्य करते हैं कि कांग्रेस के लोग नैतिकता की बात करते हैं ? दोनों एक साथ ? यह बात कहां से आती है ? आपका जो इतिहास रहा है, आपका जो चरित्र रहा है, आप एक बार अपने पुराने चरित्र को देखिये। जिस समय मोरारजी की सरकार इस देश में बनी, आपने चरण सिंह जी से मिलकर उस सरकार को समाप्त कराया। जिस

समय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार इस देश में बनी, आपने चन्द्रशेखर जी को अपने विश्वास में लेकर उनके साथ धोखाधड़ी की। आपने देवेगौड़ा साहब के साथ धोखाधड़ी की। गुजराल साहब सामने मौजूद हैं। बेचारे के सीने पर रात को सांप लोटता होगा जब–जब उन्हें याद आती होगी। आप पर कौन विश्वास करेगा ? आप नैतिकता की बात करते हैं ? आज से कुछ दिन पहले इसी सदन में जब बिहार में राष्ट्रपति शासन के मामले पर पक्ष और विपक्ष में चर्चा चल रही थी, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं और हम इस देश के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहना चाहते हैं कि आप हमारी बातों को सुनिये और इसे गंभीरता से लीजिए। सोनिया गांधी जी का अखबार में बयान आया था कि नैतिकता के आधार पर श्रीमती राबड़ी देवी को इस्तीफा देना चाहिए और मैं जानता हूं कि कांग्रेस के एक महासचिव ने गृह मंत्री से और रक्षा मंत्री से मिलकर कहा था कि सोनिया जी की इच्छा है कि अगर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए। उस समय जब बात हो रही थी तो किसी मंत्री ने कहा कि अब तो राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इससे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मेरा नाम लिया है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने नाम का उल्लेख नहीं किया है।

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।. *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने किसी नाम का उल्लेख नहीं किया है। श्री प्रभुनाथ सिंह कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम कहना चाहते हैं कि कुछ दिनों के बाद ये बातें बदल गईं और इसी सदन में दिया गया विश्वास अविश्वास में बदल गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। आपने आधे घंटे से भी अधिक समय ले लिया है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : हमने अभी शुरू ही किया है।

अध्यक्ष जी, हम कहना चाहते हैं कि जो थोड़े दिनों में बात बदली उसके पीछे कारण क्या था। मेरे पास प्रमाण है और मैं प्रधान मंत्री से यह मांग करूंगा कि आप जांच करवाइए...*(व्यवधान)**

* कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह टिप्पणी कार्यवाही वृत्तांत में संम्मिलित नहीं की जायेगी।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.20 बजे

इस समय श्री विलास मुत्तेमवार, श्री रामदास आठवले और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और समापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कह दिया है कि यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही व्यवस्था दे दी है कि यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, आप बिना किसी तथ्य के आरोप नहीं लगा सकते हैं। कृपया यह बात समझ लें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही विनिर्णय दे दिया है कि यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा। मैंने पहले ही माननीय सदस्य को बता दिया है कि वे बिना किसी तथ्य के आरोप नहीं लगा सकते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.25 बजे

इस समय श्री विलास मुत्तेमवार, श्री रामदास आठवले और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थानों पर वापस चले गये।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शरद जी, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री शरद पवार को बोलने की अनुमति दी है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार (बारामती) : मिस्टर स्पीकर सर, जो सदन

[श्री शरद पवार]

की माननीय सदस्या नहीं हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्षा हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री शरद पवार : जो व्यक्ति सदन की सदस्या नहीं हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्षा हैं, जिनके परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी है... *(व्यवधान)* ऐसे व्यक्ति के बारे में आज यहाँ इस सदन में झूठा आरोप लगाना सदन की परम्परा के लिए बिल्कुल गलत चीज है...*(व्यवधान)* हम आज यहाँ एक गंभीर समस्या पर बहस कर रहे हैं, इस सरकार का कॉन्फीडेन्स मोशन विचार के लिए इस सदन के सामने है। इस सदन में क्या हो रहा है, पूरा देश इस पर ध्यान दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में एक सरासर झूठा इल्जाम लगाने का काम माननीय सदस्य ने किया है। वह सदन में माफी मांगकर अपने शब्द वापस ले, नहीं तो सदन का काम चलाना मुश्किल होगा।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, मैंने किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाया है...*(व्यवधान)*

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है. ..*[व्यवधान]*

अध्यक्ष महोदय : कल्पनाथ जी, आप बैठ जाइये। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। मैंने श्री प्रभुनाथ सिंह को बोलने की अनुमति दी है। आप कृपया बैठ जाइये। आप बीच में कैसे बोल सकते हैं ? यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिए, उसके बाद कुछ भी कीजिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कल्पनाथ राय कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। श्री प्रभुनाथ सिंह जो कह रहे हैं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री कल्पनाथ राय, कृपया आप बैठ जाइये। ऐसा ठीक नहीं है। आप एक वरिष्ठ सदस्य है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*[व्यवधान]**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा। माननीय सदस्य कृपया समझें कि हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं।

*[व्यवधान]**

अध्यक्ष महोदय : श्री कल्पनाथ राय, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*[व्यवधान]**

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, मैं आपको सम्बोधित सम्बोधित कर रहा हूं। कृपया अपने शब्द वापस लें। आप बिना किसी तथ्य के आरोप नहीं लगा सकते हैं। आपको किसी के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहिए तथा बिना किसी तथ्य के कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया आप पीठासीन अधिकारी को संबोधित कीजिए, न की किसी और को।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, मैं क्या कह रहा हूं, वह तो आप सुनिये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री प्रभुनाथ सिंह का भाषण ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा और कुछ कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, अगर मेरे बोलने के क्रम में श्रीमती सोनिया जी का नाम...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.34 बजे

इस समय श्री विलास मुत्तेमवार और कुछ माननीय सदस्य सभा पटल के निकट आए और फर्श पर खड़े हो गए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 1.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.35 बजे

तत्पश्चात लोकसभा अपराह्न 1.30 बजे तक स्थगित हुई।

अपराह्न 1.30 बजे

लोकसभा अपराह्न 1.30 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्री के. येरननायडू *पीठासीन* **हुए]**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ माननीय सदस्यों माननीय अध्यक्ष महोदय से मिले और उनसे अनुरोध किया कि पिछली परम्परा के अनुसार शुक्रवार को सदन की बैठक मध्यान्ह भोजन के समय अपराह्न 1.00 बजे से 2.00 बजे के बीच नहीं होनी चाहिए। आज शुक्रवार होने के कारण उन्होंने अनुरोध किया कि सदन की बैठक तद्नुसार अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाये।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.31 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* **हुए]**

मंत्री परिषद् में विश्वास का प्रस्ताव—जारी

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, सोनिया गांधी जी इस सदन की सदस्य नहीं हैं और शायद बोलने के क्रम में मैंने उनका नाम लिया था, मैं उनका नाम वापस लेता हूं और खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि 100 करोड़ रुपए जो चंदे के रूप में लेने की बात मैंने कही थी, वह रकम राजीव गांधी फांउडेशन के नाम पर ली गई है। मैं इस संबंध में जे. पी. सी. से जांच कराने की मांग करता हूं।

श्री शदर पवार (बारामती) : हम इसका समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी आप तीन घंटे ले चुके हैं, अब समाप्त करें।

श्री प्रभुनाथ सिंह : मुझे पांच मिनट और दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में ऐसी पार्टियां भी हैं जिनका अंग्रेजों के जमाने से इतिहास रहा है। जिस समय अंग्रेज इस देश में शासन कर रहे थे, ये पार्टियां उनकी बजुनियां बनकर बाजा बजा रही थीं। इसी तरह से इन्होंने कभी केन्द्र में कांग्रेस का बाजा बजाया और कभी विपक्ष की सरकार जब बनी तो उसका भी बाजा बजाया। बाजा बजाते–बजाते इनकी यह हालत हो गई कि ये जो आज कहते हैं, कल भूल जाते हैं। आप प्रोसीडिंग उठाकर देख लें, मैं इनका नाम बता देना चाहता हूं, ये कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जो बजुनियां के रूप में बराबर बजती रहती हैं। ...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कल लालू जी यहां बोल रहे थे कि मैं गदा लेकर आया हूं और कह रहे थे कि हमें गदा चलानी है, प्रधान मंत्री जी को कुर्सी छोड़कर चले जाना चाहिए। लालू जी यह नहीं जानते कि वे किस पर गदा चला रहे हैं। जो इस देश की जनता की भावना है, वे उस भावना पर गदा चलाने जा रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि आप देश की जनता की भावना पर गदा मत चलाएं, आपको गदा चलानी है तो किसी विरोधी पर चलाने का काम करें, लेकिन देश की जनता की भावना पर चलाने का काम न करें। आप जब बोलते हैं, मुझे याद है बचपन में जब हमारे यहां नाच होता था तो नाच में एक पात्र होता था, जब वह अंदर आता है तो लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं, इसीलिए जब वे खड़े होते हैं तो पूरा सदन ठहाकों से गूंज जाता है। उस पात्र का नाम...* होता है। इस लोक सभा की अजीब स्थिति बन गई है कि जहां इतना गंभीर सवाल उठता हो ...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष जी, मेरे प्वाइंट ऑफ ऑर्डर को सुन लिया जाए। किसी माननीय सदस्य को ...*(व्यवधान)* इस तरह से सदन की मर्यादा और कचहरी की गरिमा नहीं बचेगी। ... *(व्यवधान)*

---

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि शब्द ...आपत्तिजनक होगा, तो मैं उसे निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : इसे प्रोसीडिंग से हटाया जाए और माननीय सदस्य को मर्यादा के तहत, सदन की गरिमा के तहत रहने के लिए नियंत्रण में रखना आपका कर्त्तव्य है, इसीलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि सदन की मर्यादा के लिए ऐसा होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। यह एक महत्त्वपूर्ण चर्चा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें। यह क्या है। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद : अध्यक्ष जी, सदन की गरिमा की रक्षा करने का काम आसन का कर्त्तव्य है। ...*(व्यवधान)* मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह से कमेंट्स और टिप्पणियां नहीं की जा सकती। ...*(व्यवधान)* इस तरह की टिप्पणीयों को प्रोसीडिंग से हटाया जाए और माननीय सदस्य को मर्यादा में रहने के लिए निर्देश दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, जब से सरकार बनी है, तीन पार्टीज समता पार्टी, ममता बैनर्जी की पार्टी और जयललिता जी की पार्टी का नाम चर्चा में रहा कि ये तीन पार्टियां किसी न किसी दिन इस सरकार के लिए गले में कांटे का काम करेंगी। समता पार्टी को तोड़ने की एक साजिश हुई। बहुत लोगों ने बहुत ढंग से प्रयास किया। अखबारों में नाम भी छपने लगे कि समता पार्टी टूट रही है जिसमें मेरा भी नाम अखबारों में आता रहा। इस मामले में मैं तो कोर्ट में जाऊंगा ही जिन लोगों ने मेरा नाम लिया है लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि समता पार्टी चट्टान की तरह एकता कायत किये हुई है और वाजपेयी सरकार को समर्थन करेगी। उसमें एक भी सदस्य इधर–उधर होने वाला नहीं है। ममता बनर्जी जी के बयान आ चुके हैं। ...*(व्यवधान)* मैं समाप्त कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, आपकी यदि इच्छा नहीं है तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ...*(व्यवधान)* लालू जी वाजपेयी जी को कह रहे थे कि अब आप जाइए। नेहरू जी के कहने के बाद आप दो बार प्रधान मंत्री हो गये। अटल बिहारी वाजपेयी जी का राजनैतिक इतिहास और भूगोल आप उलट कर देख लीजिए। उन्होंने अपने जमाने में बहुत दुनिया देखी होगी। मैं बताता हूं कि एक बार एक ऊंट पखार कर रहा था और जब उस घर की मालकिन उसे भगा रही थी तो वह नहीं भाग रहा था। दूसरे घर की मालकिन ने कहा कि यह सूप ढपढपाने से भागता है। इसके बाद वह घर से सूप लेकर आई और सूप ढपढपाने लगी। ऊंट चल दिया तो उसने कहा कि मैंने कहा था कि सूप ढपढपाने से भाग रहा है। ऊंट ने घूमकर कहा कि जब लड़ाई के मैदान में मेरी पीठ पर नगाड़ा बजता है तो मैं चिंता नहीं करता हूं। मैं सूप ढपढपाने से भागने वाला नहीं हूं। इसी तरह अटल बिहारी वाजीपेयी जी के बारे में है। लालू जी, आपके सूप ढपढपाने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। पहले भी बराबर यह चर्चा होती रही कि तेरह दिन में सरकार जाएगी। एक बार चली गई लेकिन फिर आकर तेरह महीने पार कर गई और अब तेरह वर्ष बितायेगी।

अंत में मैं एक शब्द कहकर बैठ जाऊंगा। इस देश में नयी परम्परा बन रही है। ...*(व्यवधान)** इस पर ध्यान देना चाहिए और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : राष्ट्रपति भवन के लिए ...*(व्यवधान)* इस तरह की बातें नहीं कही जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

(व्यवधान)

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्यमंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : महोदय, मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रपति भवन के संदर्भ में कही गई बात को कार्यवही वृत्तात से निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया जाएगा। इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाये।

(व्यवधान)

सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस शब्द का उपयोग अभी–अभी मुझसे पहले बोलेने वाले माननीय सदस्य द्वारा किया गया था। चूंकि यह आपको असंसदीय नहीं लगता। इसलिए मैं केवल इतना कह सकता हूं कि.....इस सदन में अनेक हैं .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ खड़ा हुआ हूं। मैं आशा करता हूं कि इस देश के

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

और देश के लोगों के उद्धार का दिन कल आएगा। इस वाद–विवाद की दिशा ऐसी है जैसे यह प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया गया है चूंकि विपक्ष को यह न्यायसंगत ठहराना है कि वह मंत्रिपरिषद में क्यों अविश्वास व्यक्त कर रही है।

पूरे सम्मान और नम्रता के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि आश्चर्य जनक बातें हो रही हैं। एक के बाद एक वक्ता ने आरोप लगाए हैं। मैंने देखा कि इस सदन के एक माननीय सदस्य ने राष्ट्रपति भवन पर भी आरोप लगाए हैं आज, मैंने देखा कि एक विख्यात विधिवेत्ता ने एक वक्तव्य जारी कियाा जो अखबारों में प्रकाशित हुआ--वह अब राज्य सभा के सदस्य हैं और बी.जे.पी. के हैं--और उन्होंने माननीय राष्ट्रपति जी की मंशा पर भी शंका व्यक्त की हैं उनका कहना है कि भारत के राष्ट्रपति ने जल्दबाजी में निर्णय लिया है। आज के इस बहुरंगे गठबंधन में वे भारत के राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़ रहे हैं जिन्होंने इस देश के संवैधानिक सिद्धान्तों के प्रति अनुकरणीय लगाव दिखाया है। वह भारत के राष्ट्रपति हैं इस पर हम सभी को अत्यन्त गर्व है। ...*(व्यवधान)*

डॉ. विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : हमें भी उन पर गर्व है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह प्रस्ताव क्यों लाया गया है ?

[हिन्दी]

डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : राष्ट्रपति शासन लगाया था, तो क्या हुआ था ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हों तो आपको बाधा नहीं डालनी चाहिए। कृपया इसे समझें। आपको प्रक्रिया की जानकारी भी होनी चाहिए। यह अचछी परम्परा नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : केवल दो ही दिन पहले, बी. जे. पी. के नेतृत्व वाले गठबंधन की एक बड़ी पार्टी ने माननीय राष्ट्रपति जी को लिखकर सरकार से आपना समर्थन वापस ले लिया है। यह किसी गलती है ? वे अपने सहयोगियों को एकजुट रखने में असफल रहे हैं। क्या यह हमारी गलती है ? उस आधार पर, माननीय राष्ट्रपति जी ने महसूस किया कि बी. जे. पी. के नेतत्व वाला तथाकथित गठबंधन, जिसने सरकार बनाई, उस पार्टी के समर्थन से सरकार बना सकेगा। इसलिए उन्होंने अपने विवेक का प्रयोग कर विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहा। माननीय प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं जैसा कि प्रतिपक्ष ने कोई अपराध कर दिया हो। उन्होंने कहा : "मुझे कुछ नहीं कहना है। जब तक कोई विकल्प नहीं है, प्रतिपक्ष क्या कहेगा ? मैं इस बारे में जानना चाहूंगा।" प्रतिपक्ष ने अपने अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में किसी वैकल्पिक सरकार का सुझाव देने का कोई प्रस्ताव नहीं किया है। प्रधानमंत्री को अपनी सरकार अथवा विश्वास मत होने के दावे के समर्थन में कुछ नहीं कहना है। उन्होंने कहा कि किसी विकल्प के बिना हम इसके बारे में कैसे बात कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)* मैं उनका दर्द समझता हूं। जितना अधिक समय लगेगा, मतदान में उतना ही विलम्ब होगा। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है ? मैं नहीं जानता। आजकल, राजनीति में सिद्धान्तों और नैतिकताओं का कोई महत्त्व नहीं रह गया हैं। ....*(व्यवधान)* मैं केवल इतना कह सकता हूं कि उन्हें बड़ी चिंता है कि कोई वैकल्पिक सरकार होनी चाहिए। मैं केवल इतना इताना चाहूंगा कि कोई भी सरकार बने, उसने बी. जे. पी. और उसकी सहयोगी पार्टियां शामिल नहीं होगी। इसलिए, उन्हें इसके बारे में जानना चाहिए। उन्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि क्या होने वाला है।

जब बी. जे. पी. ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से समर्थन वापस लिया था तो आडवाणी जी, आपने क्या विकल्प सुझाया था ? अटल बिहारी वाजपेयी ने कौन–सा विकल्प सुझाया था ? उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया जिसकी वे आज आलोचना कर रहे हैं ?

जब श्री देवगौड़ा का विश्वास प्रस्ताव गिरा था तब, नीतीश कुमार जी आपने किसे वोट दिया था ? आपके वर्तमान गुरू ने किसे वोट दिया था ? तब, बी. जे. पी. खुलेआम अपनी खुशी जाहिर कर रही थी कि कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया है। वे कांग्रेस की सराहना कर रहे थे और बी. जे. पी. ने खुले तौर पर कांग्रेस से हाथ मिलाया था। आज आप श्री देवगौड़ा की सरकार गिराने के लिए किसे दोष दे रहे हैं जबकि न तो उनके विरुद्ध और न ही उनकी सरकार के विरुद्ध कोई आरोप लगाया गया था? आज आप दुनिया भर की नैतिकता और राजनीति के उपदेश दे रहे हैं। अपनी टिप्पणी करने के बजाय वह पहले विपक्ष से विकल्प के बारे में पूछ रहे हैं। हम सिर्फ सुनने आए हैं। आप क्यों सिर्फ सुनने आए हैं ? हमें बोलना नहीं है, इस वास्ते सिर्फ सुनने आए हैं। अजीब बात है ! मुझे इस सदन में वर्तमान गृहमंत्री महोदय के कई हस्तक्षेपीय भाषण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। किंतु मुझे आशा है कि वह मेरी बात ठीक से समझेंगे। कल मुझे सबसे अधिक दयनीय दशा दिखाई दी। संभवतया वह दूसरे नम्बर के पद से संतुष्ट नहीं है। शायद उनके दिमाग में कुछ और बात है। हमने वित्त मंत्री महोदय की अति विस्तृत और हास्यस्पद और भ्रामक बातें सुनी। विश्वास दिलाने हेतु जो भी आंकड़े दिए गए उनका वास्तविकता से कोई लेना–देना नहीं है। मेरे अच्छे मित्र श्री नकवी अपना मंत्री पद बचाने के लिए हाथ–पांव मार रहे थे और श्री वैको जो मेरे अच्छे मित्र हैं, उस तरफ जाकर बैठने को व्याकुल थे, बशर्ते कि यह सरकार चले।

वास्तव में, मैंने इनके भाषण के कुछ हिस्सों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे इसी लायक थे।

महोदय, माननीय गृहमंत्री के अनुसार इस सरकार की कई उपलब्धियां बतायी गई हैं अर्थात् पोखरन, अग्नि, शानदार बजट, जम्मू–कश्मीर, बिहार मतदान के मुद्दे पर बहुमत का समर्थन। उनका कहना है कि इस देश में वाजपेयी सरकार एक आदर्श सरकार है और उन्होंने अपने भाषण में इसके समर्थन में एक पत्रिका द्वारा किए गए ओपीनियन पोल का भी हवाला दिया है –मैं नहीं जानता इसे कैसे बताया जाए। उन्होंने श्री वाजपेयी की मूल्य आधारित राजनीति पर भाषण दिया। आपकी अनुमति से हम उस पर भी बोलेंगे। वित्त मंत्री ने खाली विदेशी निवेश के बारे में बताया। डॉ. मनमोहन सिंह ने इनका उत्तर दे दिया है। विदेशी मुद्रा में ख्याली सुधार तथा रुग्ण इकाइयों का पुनरुज्जीवन भी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह मिसलीड कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपने भाषण में बाद में इस संबंध में बोलना चाहूंगा। मा. क. पा. ने अपने घोषणापत्र में कांग्रेस के बारे में क्या कहा था उसका उल्लेख श्री आडवाणी ने बड़े उत्साह के साथ किया है। मुझे खुशी है कि किसी न किसी कारण से आपने हमारे घोषणापत्र को पढ़ा तो सही क्योंकि आप कोई और योगदान तो कर नहीं सकते। आडवाणी जी, क्या आपने यह भी पढ़ा कि हमने आपके और आपकी पार्टी के बारे में क्या कहा है ? यदि आप कांग्रेस के बारे में हमारे द्वारा कही बातों को मानते हैं और सी. पी. आई. (एम.) का आंकलन सही है तो आप अपने बारे में मा. क. पा. द्वारा किए गए आंकलन को भी क्यों नहीं पढ़ते ? ...*(व्यवधान)* यह महत्त्वपूर्ण है। जहां तक हमारे 1996 के घोषणापत्र....*(व्यवधान)* मैं उद्धृत करता हूं।

"देश के विभाजन के बाद साम्प्रदायिक शक्तियां कभी भी इतनी. .*(व्यवधान)*

श्री तपन सिकन्दर (दमदम) : आप कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, हमारे पास नहीं आ रहे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा मेरे मरते दम तक नहीं हो सकेगा।

गृहमंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : शायद आपकी पार्टी ने कहा कि हम कांग्रेस अध्यक्ष को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे जो कि पचास वर्षों के दौरान कभी भी पार्टी का स्टैन्ड नहीं रहा। इसीलिए मुझे इस सबका हवाला देना पड़ा। जिस दिन आप यह कहें कि अगर भा. ज. पा. की सरकार बने तो हमें खुशी होगी, किसी को यह कहना ही पड़ेगा कि पहले आपने मेरे बारे में क्या कहा था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत खूब। लगता है आप भी शिक्षित हैं, यदि मैं ऐसा कह सकता हूं। आप इतने शिक्षित, विद्वान और आमतौर पर इतने विनोदी व्यक्ति हैं। पता नहीं आजकल आपको क्या हो गया है। मैं अपने 1996 के घोषणापत्र में से उद्धरण देता हूं। इसमें यह कहा गया है :

> "देश के विभाजन के बाद साम्प्रदायिक शक्तियां कभी भी इतनी अक्रामक नहीं हुई जितना कि पिछले पांच वर्षों में देखने को मिला है। हाल ही के दिनों में साम्प्रदायिक शक्तियों ने वोट बटोरने के लिए अल्पसंख्यकों के विरुद्ध घृणा का विष फैलाकर पुनः आक्रामक होने का प्रयास किया है।
>
> काशी और मथुरा की मस्जिदों को गिराने के अभियान को शुरू करते समय विश्वहिन्दू परिषद ने हिन्दू राष्ट्र का ब्लूप्रिंट जारी किया है।"

इनके लिए इतना ही काफी नहीं है। इस घोषणापत्र में आगे कहा गया है :

> "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अन्य संगठन भी इस काम को पूरा करने हेतु विभिन्न गतिविधियों को चलाने में सक्रिय हैं। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग को समाप्त कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई दंगों की जांच कर रहे श्रीकृष्ण आयोग को भी समाप्त कर दिया है।"

ऐसा इन्होंने तब किया था। बाद में श्रीकृष्ण आयोग को पुनः अस्तित्व में लाया गया। लेकिन इसकी रिपोर्ट का क्या हुआ ? इनके साथियों ने न्यायाधीश को किस तरह भला-बुरा कहा था ? घोषणापत्र में आगे कहा गया है :

> "इन घटनाओं की पृष्ठभूमि में तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पिछले चुनावों में भा. ज. पा. प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभर कर आयी है, यह आज भी हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है।"

श्री मारन से मेरा अनुरोध है कि वह इस पर विचार करें। इसमें आगे कहा गया है :

> "यह भारत के उस मूल सामाजिक ढांचे को ही नष्ट करने पर तुली हुई है जिससे मिलकर यह बना हुआ है।"

महोदय, इसका एक-एक शब्द सतर्क करने वाला प्रत्येक शब्द आज भी सत्य है। देश की एकता और अखंडता के सामने बहुत बड़ा खतरा है। श्री आडवाणी ने कहा है कि एक पार्टी को छोड़कर कोई भी पार्टी हमारे लिए अछूत नहीं है, और यह मा. क. पा. है। ...*(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैंने ऐसा नहीं था। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इस देश में धर्मनिरपेक्षता के प्रति मेरी प्रतिबद्धता के कारण मैं श्री आडवाणी और भा. ज. पा. के लिए अछूत हूं तो इस पर मुझे गर्व है। ...*(व्यवधान)* हमें खरीदा नहीं जा सकता। मा. क. पा. के संसद सदस्यों को खरीदा नहीं जा सकता। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष जी, यह तो कहा ही नहीं है, कभी भी यह नहीं कहा है आप अच्छा भाषण कीजिए, बार-बार आर. एस. एस. के ऊपर मिथ्या कमेंट क्यों कर रहे हैं।

[अनुवाद]

मेजर जनरल भुवन चंद्र खण्डूड़ी, ए. वी. एस. एम. गढ़वाल : अध्यक्ष महोदय, ये जो कह रहे हैं, श्री आडवाणी ने ऐसा नहीं कहा। यह श्री आडवाणी को गलत उद्धृत कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : इनको भी तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन का सदस्य होने के नाते एकपार्टी कानेता होने के नाते, ये ऐसी असत्य बात कैसे बोल सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ सदस्य हमेशा लगातार साथ–सा। टिप्पणी करते रहते हैं। यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको उत्तर देने का अधिकार है और आप इस बात को उस समय कह सकते हैं, अभी नहीं। कृपया बैठ जाइए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मुझे गर्व है कि इस देश में कोई भी हमारे धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकता और इसलिए मैं पूरे सदन से अपील करता हूं कि जो साजिश और जुगाड़बाजी चल रही है, उसके चक्कर में न पड़े।

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया : जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप बताएं, एक भी दंगा हुआ हो।

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): आप शांत रहिए, आप बैठ जाइए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं इस सदन के सभी पक्षों से यह अपील करता हूं कि वे धर्मनिरपेक्षता के साथ कोई समझौता नहीं करें, देश की एकता और अखण्डता को दाव पर नहीं लगने दें। इस सरकार के बने रहने से इनको सबसे बड़ा खतरा होगा। यह सुनते–सुनते हमारे कान पक गए हैं कि भा. ज. पा. और इसकी सहयोगी दलों को जनादेश मिला था। अब हमारे पास एक सरकार है। हमने सुना था : "जनता की सरकार, जनता द्वारा और जनता के लिए।" अब यह : "सहयोगी दलों की सरकार, सहयोगी दलों द्वारा और सहयोगीन दलों के लिए" हो गया है। यह सरकार इसके अलावा कुछ नहीं है।

अब, प्रश्न यह है कि : इस गठबंधन की नीतियां और इसके कार्यक्रम क्या है ? ये नीतियां और कार्यक्रम कब बनाए गये थे ? उनके राष्ट्रीय एजेंडे में गठबंधन वाले 13 सदस्य दलों की एक सूची है : भारतीय जनता पार्टी, ए. आई. ए. डी. एम. के., समता पार्टी, बीजू जनता दल, शिरोमणी अकाली दल, तृणमूल कांगेस, शिवसेना, एम. डी. एम. के., पी. एम. के., लोक शक्ति, हरियाणा विकास पार्टी, टी. आर. सी. और जनता पार्टी। इस सूची में पी. डी. पी. का नाम नहीं है। तेरह दलों के नामों का उल्लेख है। अब, उनमें से बी. जे. पी. के बाद दूसरे नंबर वाली पार्टी, अर्थात् ए. आई. ए. डी. एम. के., उनकी सहयोगी नहीं रही। जहां तक समता पार्टी का संबंध है, हमें देखना चाहिए कि उनकी नीतियाँ और कार्यक्रम क्या हैं श्री नीतिश कुमार चले गए हैं। 1998 में उन्होंने कहा था :

"देश के लिए आत्मनिर्भरता का लक्ष्य छोड़ दिया गया है। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए नियोजित विकास की प्रक्रिया में बाधा आई है।"

ऐसे कई पैसेज हैं। लेकिन मेरे पास समय नहीं है।

इस परिस्थिति में राष्ट्रीय और दुर्लभ संसाधनों के आबंटन के लिए बाजारोंन्मुख प्रणाली पर निर्भरता का केवल यही अर्थ होगा कि बहुसंख्यक गरीब लोगों को आवश्यक वस्तुएं भी नहीं मिलेंगी और अमीर लोगों के लिए उनकी प्रचुरता होगी। सुधारात्मक उपायों के अभाव में, बाजार प्रणाली से और भी आर्थिक असमानता आती है। हम अपने राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह करने से मुंह नहीं मोड़ सकते है।

मुक्त बाजारोंमुख–व्यवस्था पर निर्भरता से बड़े व्यापार और शक्ति समूहों को निहित स्वार्थों को बढ़ावा देने की छूट मिल जाती है। अब देश में क्या हो रहा है ?

वे चाहते थे कि किसी भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। भरत अपने चालू खाते में एक भी अतिरिक्त डॉलर रख पाने में समर्थ नहीं रहा है। श्री जसवंत सिंह जी,माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि आप वित्त मंत्री बनें। एक जैसा नाम होने की वजह से कोई और व्यक्ति वित्त मंत्री बन गया। "बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अनावश्यक वस्तुओं के आयात में तेजी से वृद्धि हुई है, जबकि बड़े व्यापार और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारत की निर्यात क्षमता को बढ़ाने में असहाय रही है।"

उनकी सूची में 'तीसरे' नंबर का समर्थक दल मौजूद है। समता पार्टी इस विचार को पुनः साबित करना चाहती है कि यह स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा है और वह भारत के लोगों को स्पष्ट, मौलिक और विश्वसनीय नीतियां देना चाहती है जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक और राष्ट्र की मर्यादा पुनः स्थापित हो सकेगी। ये सिद्धान्त और कार्यक्रम प्रजातांत्रिक समाजवाद के सिद्धान्त में सम्मिलित होने चाहिये। जो कि वास्तव में भविष्य का एकमात्र संगत सिद्धान्त हो।

अब मैं समानता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता की चर्चा करना चाहूंगा जिसका अर्थ किसी राज्य अथवा दल के द्वारा धर्म के इस्तेमाल को रोककर धर्मों की बहुलता का आदर करना है।

इसके बाद, किसानों और अन्य की बात करते हुए मैं पंक्ति पढ़ूंगा :

"केवल एक धर्म निरपेक्ष राज्य ही, जो सभी धर्मों को समान आदर दे सकता है, अपनी पहचान बना सकता है और उसे सुदृढ़ कर सकता है।"

मैं इसे क्यों पढ़ रहा हूं ? ...*(व्यवधान)* यदि यह उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ी देर के लिए उन्हें बाहर चले जाना चाहिये। माना जाता है कि ये एक पार्टी के कार्यक्रम, नीतियां और घोषणापत्र हैं जिस

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

पर वे पूरी तरह निर्भर करते हैं। ये 1998 का है जब उन्होंने चुनाव लड़ा था। केवल एक धर्मनिरपेक्ष राजय और सभी धर्मों का समान आदर ही आत्मसंख्यकों की पहचान बना सकता है और उसे सुदृढ़ कर सकता है।

सांप्रदायिकता जो धर्मान्धता का दूसरा नाम है, भारतीय राजनीति में कोई नई बात नहीं है। इसने महात्मा गांधी की जान ली और स्वतंत्रता के बाद के दशकों में इसने असंख्य लोगों की जानें ली हैं। बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना, जो स्वाभविक रूप से अब भी समता पार्टी के हमारे मित्रों को स्वीकार्य नहीं होगा, और इसके बाद की घटनाओं ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं जो हमारे राष्ट्रवाद के मूल आधार पर ही चोट कर रही हैं। 6 दिसम्बर, 1992 की दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने उन सबको निराश किया है जो कानून में विश्वास रखते हैं। इस प्रकार की किसी भी सलाह कि अयोध्या जैसी घटना मथुरा और काशी जैसे अन्य स्थानों में में भी दोहराई जा सकती है, को एक स्वर में नकार दिया जाना चाहिए और इसकी निंदा होनी चाहिए।

महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करने से पहले एक और भाग पढ़ना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुखदा मिश्र (इटावा) : अयोध्या में ताला किसने खुलवाया था ? इसका फैसला हो जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह बड़ी आश्चर्यजनक बात लगती है कि उस पक्ष के माननीय सदस्य अपने सहयोगियों के घोषणापत्र की बातों को सहनकर पाने में असमर्थ हैं। यह अजीब बात है....*(व्यवधान)* कई बातें आयेंगी। यहद हम उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं तो उन्हें भी हमें सुनना चाहिए। यदि मैं बे–सिर पैर की बात भी कर रहा हूं तो भी उन्हें सुनना पड़ेगा जब तक महोदय, आप मुझे मना नहीं करते हैं। मैं अपने जीवन के इस मुकाम पर उनसे प्रमाण पत्र लेने नहीं जा रहा हूं।

महोदय, "सेल्फ रिलायंस टू ओवरकम डेट एंड डिपेन्डेन्स" नामक अध्याय को समता पार्टी ने कहा है :

"विश्व बैंक के दबाव में सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये अर्थव्यवस्था के आधार स्तम्भों का एक के बाद एक करके खोलती जा रही है। समता पार्टी देश को बचाने के लिए आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त पर आधारित उत्पादन प्रणाली पर अधिक बल देकर सुधारात्मक कार्रवाई करेगी।

महोदय, अंत में एक और महत्त्वपूर्ण बात कहूंगा कि बीमा क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के लिए खोल देने के बारे में विचार किया जा रहा है। केवल जनता की मजबूत राय के कारण ही ऐसा नहीं हो सका है।"

हां, श्री नीतिश कुमार...*(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिंह (बांका) : हम अभी भी इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : इन्श्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल इनहोंने ही इंट्रोड्यूस किया था।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : "पार्टी बीमा क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के लिए खोलने के पूरी तरह विरुद्ध हैं"

यही इस गठबंधन की साझा नीतियां और कार्यक्रम हैं। वास्तव में हम चकित नहीं हैं क्योंकि उस दल के नेता श्री जार्ज फर्नांडीज हमेशा अलग–अलग बात करते रहते हैं।

कभी यह कहा गया था :

"हिन्दू राष्ट्र अथवा हिन्दू संस्कृति के वर्चस्व की अवधारणा का धर्मनिरपेक्षता के साथ तालमेल नहीं है। गो–हत्या पर प्रतिबंध की मांग तथा धर्मपरिवर्तन संबंधी विधेयक हमारे कार्यक्रम के अनुरूप नहीं है। आवश्यकता कार्यक्रमों पर आधारित न कि शक्तिशाली व्यक्तित्वों पर आधारित पुनसंयोजन की है।"

श्री जार्ज फर्नांडीज ने 26 जून, 1996 को ऐसा कहा था।

कल श्री लालू प्रसाद ने इसका उल्लेख किया कि जनता पार्टी कैसे टूटी। क्योंकि जनता पार्टी में उनके मित्रों के बीच परियोजित की गई सात पृष्ठ की टिप्पणी में श्री फर्नांडीज ने बल देते हुए कहा था कि इसे उन सभी के लिए दरवाजे बंद कर देने चाहिए जो आर. एस. एस. से संबंध तोड़ना नहीं चाहते हों।

श्री फर्नांड़ीज चाहते थे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई, श्री वाजपेयी और श्री आडवाणी से कहें कि वे आर. एस. एस. और संघीय मंत्रीपरिषद में स्थान में से किसी एक को चुनें।

उन्होंने 1979 में यह वक्तत्व दिया था...*(व्यवधान)* अब महोदय आज इस खिचड़ी का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति और समस्या के दौर को दूर करने वाला व्यक्ति जॉर्ज फार्नांडीज ही हैं। श्री वाजपेयी जब भी चेन्नई जाते हैं अथवा बंगाल, मैं नहीं जानता, अथवा कहीं भी जाते हैं, वे श्री फर्नांडीज का इस्तेमाल करते हैं वे उसी वाजपेयी को समर्थन दे रहे हैं जो कहते हैं : "आर. एस. एस. मेरी आत्मा है।" महोदय, इस तथाकथित गठबंधन की यही स्थिति है।

महोदय, वास्तव में उन्हें आलोचना करने का अधिकार है....ए. आई. ए. डी. एम. के. अब उनकी सहयोगी नहीं हैं। श्री वैको ने कहा है कि अब वे ब्लैकमेल होने से बच गए हैं। उन्हें यह कब पता चला ? मैं समझता हूं उन सब ने मिलकर चुनाव लड़ा था। एक के बाद एक, बी. जे. पी. उस गठबंधन को तोड़ रही है। यह एकदम साफ है। यही कारण है कि श्री वैको आज ब्लैकमेल की बात कर रहे हैं। श्री वैको ने ही उन्हें राजसी दर्जा प्रदान किया था।

हमने देखा है कि जब भी उस पार्टी की नेता ने दौरा किया, बी. जे. पी. के प्रमुख कार्यकर्त्ता एयरपोर्ट पर उन्हें लेने गए।

श्री के. एल. शर्मा कहां हैं ? वह मुझे यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह और मंत्री महोदय उनकी अगवानी करने जाते हैं। मुझे पता नहीं कि चाचा कहां हैं, पटना से कब आते हैं ? क्या कोई मंत्री माला लेकर उनकी अगवानी करने टामेक पर जाते हैं ? *(व्यवधान)* उनकी कई मांगों पर विचार किया गया। मुझे उनके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। वे उनकी खातिरदारी करते हैं, उनकी यथासंभव सभी बातें मानी गई तथा उनकी सभी मांगों को माना गया है। मुझे पता नहीं, श्री वसंत सिंह तथा श्री जार्ज फर्नांडीज ने उनके यहां कितनी बार गए हैं। मुझे यह बताया गया है कि श्री दिलीप राय ने चेन्नई में कोयला मंत्रालय की एक शाखा कार्यालय ही खोल दिया था क्योंकि उन्हें मैडम को खुश रखने के लिए ही वहां भेजा गया था...*(व्यवधान)* इनमें से किसी भी स्थान पर उनकी थोड़ी से अप्रसन्नता पर मंत्री जाते हैं तथा प्रधानमंत्री फोन पर बात करते हैं। अब उस दल के पश्चात– उस दल के नेता ने यह निर्णय लिया है....*(व्यवधान)* वैसे तो उनके पास बहुमत नहीं है। अतः हम यह जानना चाहते हैं कि जब उनके पास अंकगणित के हिसाब बहुमत नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री यह बात बड़े ही विश्वास के साथ कैसे कह रहे हैं कि "मैं अपना बहुमत सिद्ध करूंगा"?

..(व्यवधान)

महोदय, इस महत्त्वपूर्ण वाद–विवाद के दौरान मुझे संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थिति दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वे कहीं और किसी असंसदीय कार्य में लगे हुए हैं....*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : श्री राम नाईक यहां पर हैं.....*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवनचन्द्र खण्डूड़ी ए. वी. एस. एम. : आप चिन्ता न करें। सब कुछ ठीक है...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, 26 मार्च को श्री जना कृष्णमूर्ति और श्री के. एल. शर्मा पुष्पहार से उनकी अगवानी करने के लिए हवाई अड्डे पर टर्मेक पर गए थे। किसी और के प्रति इतनी शालीनता नहीं दर्शायी गयी। उसके बाद श्री विजय गोयल के यहां चाय–पार्टी की बात आती है...*(व्यवधान)*

श्री पी. आर. कुमारमंगलम् : श्री सोमनाथ जी, मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप मान जाइए।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से यह एक अनुचित टिप्पणी है। मैं एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान पर गया था...*(व्यवधान)* यदि, आप इसे असंसदीय मानते हैं तो यह उचित नहीं है। मैं यह उचित नहीं मानता कि इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य सदन के बाहर की किसी भी गतिविधि को असंसदीय कहे...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हालांकि मैं नहीं सोचता कि वे जो कर रहे हैं वह संसदीय है और मैं इसे असंसदीय भी नहीं मानता। ठीक है, मैं आपे वक्तव्य को अब मान लेता हूं। आप यहां परिवर्तन के लिए हैं।

अब हम श्री विजय गोयल द्वारा दिए गए स्वागत समारोह पर चर्चा करते हैं। 26 मार्च को यह स्वागत समारोह क्यों किया गया ? हमने टी. वी. पर उन्हें श्री विजय गोयल के साथ खुशी की मुद्रा में देखा था। जब वह आपके घर या कहीं और गई मेरे विचार से प्रधानमंत्री उनके साथ रहे। उनके साथ विशेष प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। बड़ा ही भव्य स्वागत समारोह था। दूरदर्शन पर यह सब कुछ दिखाया जा रहा था। प्रसार भारती, जिसके बारे में मैंने कहीं और कहा था कि वह अब प्रमोद भारती है। यह सब कुछ प्रसारित कर रहा था जैसे कि कोई बड़ी उपलब्धि मिली है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : यह जयललिता जी का स्वागत किया बता रहे हैं। उनके बारे में सदन में सोमनाथ चटर्जी क्या बोले और कैसी मॉफी मांगनी पड़ी, आप वह भी याद करिये।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : 27 मार्च को समन्वय समिति की बैठक के पश्चात् उन्होंने श्री जार्ज फर्नांडीज के स्थानांतरण के बारे में कहा था उन्होंने श्री जार्ज फर्नांडीज को कम संवदेनशील मंत्रालय सौंपने तथा श्री भागवत को पुनः बहाल करने की मांग की। इसके बाद संकट पैदा हो गया। श्री जार्ज फर्नांडीज अपने सभी कागजात के साथ उनके पास गए तथा उनसे 90 मिनट तक बातचीत की परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ। 28 मार्च को श्री भट्टाचार्जी और डॉ. मुरली मनोहर जोशी उनकी भावनाओं को शांत करने अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए गये। तत्पश्चात् 29 मार्च को प्रधानमंत्री ने उन्हें लंच पर आमंत्रित किया। उसके बावजूद, वह आपका साथ नहीं दे रही है तो फिर हम आप पर कैसे आरोप लगा सकते हैं ? क्या यह आश्चर्यजनक रवैया नहीं है ?

[हिन्दी]

श्री शान्तिलाल चपलोत (उदयपुर) : यह तो कॉन कर्टसी है।

श्री दिग्विजय सिंह : आप इससे कुछ नहीं सीखे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको चाहता हूं परन्तु आप मेरे गुरु न बनें। ....*(व्यवधान)*

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : वे अब मंत्री बनेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि मेरी जानकारी गलत है तो वे उसे सही कर सकते हैं...*(व्यवधान)* मैं जो सूची पढ रहा हूं उसमें से ए. डी. एम. के. बाहर हो गयी है। बिहार में समता पार्टी का विभाजन हो गया है। मुझे पता नहीं यहां क्या होगा। एक सहयोगी दल जिसमें सात और दूसरे में आठ संसद सदस्य हैं उनमें भी विभाजन हो गया है। हालांकि

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

'व्हिप' को ध्यान में रखते हुए, पता नहीं क्या होगा। दसवीं अनुसूची उनकी मदद कर रही है। एक और सहयोगी दल जिसमें सात संसद सदस्य हैं, ने भी समन्वय समिति से विरोध रूप त्यागपत्र दे दिया है क्योंकि उस दल ने रुग्ण उपक्रमों तथा सरकार द्वारा निधारित कीमतों के संबंध में इस गठबंधन की कुछ नीतियों तथा कार्यक्रमों का अनुमोदन नहीं किया था। एक और दल जिसके तीन संसद सदस्य हैं। बिहार संबंधी चर्चा के दौरान मतदान में अनुपस्थित रहा। यह इस गठबंधन का संयुक्त स्वरूप है। इस मामले पर इस गठबंधन को कुछ लेना–देना पड़ रहा है। श्री वाजपेयी इसमें विश्वास करते हैं कि "मुझे वोट दीजिए मैं आपको कुछ दूंगा"। सब कुछ पैकज की आड़ में किया जा रहा है। यह ऐसी सरकार है जिसका इस देश की जनता से नहीं बल्कि केवल पेकेजों से मतलब है। यह सरकार अब भारत के लिए पैकेज तैयार करने की कोई बात नहीं कर रही है। वे अब तमिलनाडु पैकेज के बारे में भी तब तक कोई बात नहीं करेंगे जब तक कि मेरे मित्र श्री मारन कुछ नहीं करेंगे। अब वे तमिलनाडु पैकेज की बात जरूर कर रहे हैं परन्तु वह डी. एम. के. दल के लिए नहीं अपितु किसी और के लिए है, उनके सहयोगी दल सरकार के खिलाफ हैं वे बंगाल पैकेज की बात कर रहे हैं, यदि सभी कुछ किया जाता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं उन्हें बधाई दूंगा. ...*(व्यवधान)* मैं आपको बधाई दूंगा यदि आप बंगाल के पैकेज ले आयेंगे। श्री प्रमोद महाजन इन सभी खोखले और बड़े वादों के साथ वहां गए हैं और मेरे पिता को दोषी बताते हैं।

कुमारी ममता चटर्जी : यह अच्छा है...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा तो इनका रवैया है। वे कहती हैं 'यह अच्छा है' और मेरे स्वर्गीय पिता को दोषी ठहराती हैं और इस बात को दोहराती है कि "यह अच्छा है"। इन्होंने अभी तक इसका कुछ ही भाग ही देखा है। संभवतः वे यह नहीं जानती कि जब आपत्ति उठाई गई थी तब उन्होंने हस्तलिखित पत्र द्वारा माफी मांगी थी...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : यह हम जानते हैं इसीलिए तो मैंने "यह अच्छा है कहा था...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह इस विचार से सहमत नहीं है। इसका अर्थ है कि उन्हें समस्या के बारे में जानकारी नहीं है।

उनकी ही उपस्थिति में वायदा किया गया था कि नार्थ–ईस्ट बंगाल एक्सप्रेस रोज चलेगी अब श्री नीतीश कुमार इस मामले में कुछ करने का प्रयास करेंगे। मुझे पता नहीं...*(व्यवधान)* इतना जरूर कहना होगा यह एक ऐसा सर्वाधिक अवसरवादी गठबंधन है जो इस देश में गठित हुआ है। हमने यह देखा है एक असमान गठबंधन सरकार चला रही है तथा सरकार चलाने का स्वांग रच रहा है। इस सदन के सभी समविचारों वाले संसद सदस्यों का यह परम कर्तव्य है--मेरा उनसे यह निवेदन है वे इस अव्यवस्था को रोकें।

मुझे समाचार पत्रों से पता चला है कि वे डी. एम. के. के कुछ मेरे मित्रों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली रात को मैंने जो टी. वी. देखा उससे लगता है कि उनमें कुछ गलतफहमी पैदा हो गयी है।

हमें तीसरे मोर्चे में विश्वास है। हम तीसरे मोर्चे को कायम रखना चाहते हैं क्योंकि हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप तथा उसकी परम्परा को कायम रखने के लिए यह ही एकमात्र आशा बची है। हम लोग देश की एकता तथा अखंडता के लिए लड़ना चाहते हैं जिसमें डी. एम. के. तथा टी. एम. सी. दल के मित्रों ने अग्रणी भूमिका रही है। वे लोग किसमें विश्वास करते हैं ? हाल ही में दल बदलने वाले श्री कुमार मंगलम तथा ऐसे ही अन्य सदस्यों में अत्याधिक उत्साह है। वे इस असमान गठबंधन को एकजुट रखने का प्रयास कर रहे हैं।

भाजपा का तमिलनाडु राज्य सम्मेलन उनके निर्वाचन क्षेत्र में 20 से 21 मार्च तक हुआ था जिसमें नारा था, "रॉक फोर्ट टु फोर्ट सेंट जार्ज बाई 2001"। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने कहा था कि उन्हें खुशी है कि राज्य की इकाई ने अन्य मित्र दलों के समर्थन और सहयोग से राज्य में 2001 तक सरकार परिवर्तन के लिए कार्य करने का निर्णय लिया है जोकि असंभव कार्य नहीं होगा। उस समय मित्र दल ए. आई. ए. डी. एम. के. था। यद्यपि यह एक कठिन कार्य होगा, मुझे आशा है कि उनके कार्यकर्त्ता इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। निःसंदेह हम वामपंथी दलों की आलोचना की गई थी।

श्री वाजपेयी ने इस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए शर्मनाक तरीके से श्रीमती सोनिया गांधी का समर्थन करने के लिए डी. एम. के. तथा टी. एम. सी. की आलोचना की थी। पिछले वर्ष कोयम्बतूर में लगातार विस्फोटों के लिए कथित रूप से जिम्मेवार मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन अल–उमा के कथित समर्थन के लिए राज्य में डी. एम. के. सरकार की कड़ी आलोचना की गई थी।

श्री कुमारमंगलम ने कहा था कि. डी. एम. के सरकार अब आतंकवादियों को दिए गए प्रोत्साहन के कारण अल–उमा ने डॉ. श्रीधरन की हत्या कर दी थी। आतंकवादियों ने एक जेल वार्डन की हत्या कर दी थी। श्री कुमारमंगलम ने प्रधानमंत्री से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से कानून और व्यवस्था पर नजर रखने के लिए कहने को कहा था। इस पर श्री वाजपेयी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था "तमिलनाडु में राष्ट्रविरोधी तत्त्व हैं।" राज्य सरकार तथा इस देश की केन्द्र सरकार द्वारा अधिक कठोर कदम उठाये जाने की आवश्यकता थी।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : मेरा नाम लिया गया है अतः मुझे बोलने की इजाजत दी जानी चाहिए। कृपया क्या वे एक क्षण के लिए रुकेंगे ? ....*(व्यवधान)*

क्या मैं यह कह सकता हूं कि जो भी वह "द फ्रंटलाइन" पात्रिका से पढ़ रहे हैं वह भिन्न है ? उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम से जो उद्धृत किया है वह गलत है क्योंकि मैं उस बैठक में था। मैं वहां उपस्थित था और ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे विचार से प्रधानमंत्री कार्यालय में अधिकारियों अथवा लोगों की कोई कमी नहीं है। लेकिन इसका किसी

ने खण्डन नहीं किया तथा यह स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। वही भा. ज. पा. यह कहने की कोशिश कर रही है कि ए. आई. डी. एम. के. बहुत बुरी है। वे ठीक ही छोड़कर चले गए हैं। अब डी. एम. के. के हमारे मित्र नेकी का अवतार बन गए हैं। मेरी तीसरे मोर्चे के सभा के उन माननीय सदस्यों—मुझे विश्वास है कि वे अभी भी तीसरे मोर्चे में हैं—से अपील है कि कृपया इस प्रचार से भ्रमित न हों तथा कृपया इस देश में राजनैतिक नागों के साथ रहने की कोशिश न करें। मैंने इस वर्ष 20 और 21 मार्च को आलोचना करने के बाद उसी प्रधानमंत्री को अचानक आपके नेता, श्री करूणानिधि से बात करते पाया। श्री आडवाणी ने उनसे बातचीत की। उसके बाद एक अन्य वरिष्ठ मंत्री, डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने उनसे बात की। ए. आई. ए. डी. एम. के. के नेता आपके नेता के बारे में बोलने के लिए प्रधानमंत्री, गृहमंत्री के पास गई। डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने आपके प्रतिपक्षी ए. आई. ए. डी. एम. के. के नेता से बात की। यह भा. ज. पा. का चरित्र है।

एक माननीय सदस्य : सी. पी. एम. का क्या चरित्र है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह गठबंधन जो कि अब इस देश पर शासन कर रहा है तथा ऐसे बोल रहा है जैसे कि उनके पास लोगों के जनादेश के नाम पर इस देश पर शासन करने का अधिकार है जबकि ऐसा कोई जनादेश नहीं दिया गया था। मैं मत प्रतिशतता की बात नहीं कर रहा हूं। श्री शरद पवार ने कल इसके बारे में कहा था।

हमें योग्य प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया, हमने योग्यता देख ली हैं। सभी राजनैतिक नैतिकताओं, राजनीतिक मानदंडों तथा राजनीतिक मान्यताओं को दरकिनार करके वे येनकेन प्रकारेण के सत्ता में रहे हैं। हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपनी इच्छानुसार अपनी केबिनेट में फेरबदल नहीं कर सकते हैं। वे समय निर्धारित करते हैं तथा उसके बाद उसे स्थागित कर देते हैं। मैं जानता हूं कि श्री रामकृष्ण हेगड़े की स्मरण शक्ति काफी अच्छी है। वे कुछ नहीं कह सकते लेकिन वे जानते हैं। जिसके परिणामस्वरूप वे पद भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसी कारण चाचाजी वहां रहे। वेनको यहां रहे तथा सभी आशाएं और अकांक्षाएं अपूर्ण रही क्योंकि प्रधानमंत्री के पास मंत्रियों को शामिल करने की हिम्मत नहीं है। यहां तक कि वे अपनी पसंद का राज्यपाल भी नियुक्त नहीं कर सकते हैं। हर किसी को एक सज्जन पुरुष के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के बारे में पता चला। मुझे बताया गया कि इसे श्री आडवाणी का आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन वे सफल नहीं हो सके।

अब एक नया रक्षा मंत्री बनने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री को रक्षा मंत्री में बहुत विश्वास है। पोखरण परीक्षण से पहले उन्होंने तीनों सेना प्रमुखों को बुलाया और कहा, "हमारे रक्षा मंत्री को यह न बताएं कि हम परीक्षण करने जा रहे हैं...*(व्यवधान)*

डॉ. बीट्रिक्स डिसूजा (नामनिर्दिष्ट) : आप कैसे जानते हैं ?

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : यह पूरी तौर से आपत्तिजनक है...*(व्यवधान)* वह एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्हें इसे अधिक प्रमाणित करना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह अपनी बात पर कायम है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़री ए. वी. एस. एस. : वे ऐसा आपत्तिजनक वक्तव्य नहीं दे सकते। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे अपनी बात पर कायम हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : अध्यक्ष महोदय ये रीकॉल करें या न करें लेकिन इनको असत्य भाषण करने से रोका जाये।

[अनुवाद]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए. वी. एस. एम. : वे ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है। वे ऐसा वक्तव्य कैसे दे सकते हैं ? क्या वे इसके साक्षी थे। श्री चटर्जी क्या आप इस वक्तव्य को प्रमाणित करेंगे ?...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : निःसंदेह माननीय प्रधानमंत्री इसका उत्तर देंगे। वे इस बात की ओर ध्यान देंगे।

हमें बताया गया था कि सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। मैं भ्रष्टाचार का कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन यह ऐसा दल है जो अभी भी श्री सुखराम के साथ तालमेल बनाए हुए है। उन्होंने उसे हिमाचल प्रदेश केबिनेट में उप मुख्यमंत्री बनाया था। तब क्या हुआ था जब श्री आडवाणी और श्री वाजपेयी इस ओर बैठे थे ? वे कब तक इस सभा की कार्यवाही को पूर्णतः रुके रहने की इजाजत देंगे ? यदि मैं गलत नहीं हूं तो अब वही सज्जन आपके बहुत प्रतिष्ठित उप मुख्यमंत्री है। आपने उनके बेटे को संसद सदस्य बनाया है।

अब मैं गुरुस्वामी मामले की बात करता हूं किसने ये आरोप लगाए ? यह आश्चर्यजनक है। उनके अपने लोग उनके अपने सहयोगी उनके विपरीत जा रहे हैं तथा वे हम पर आरोप लगा रहे हैं। श्री गुरुस्वामी आपके अपने आदमी हैं। उनका कहना है, 'मैंने उससे पीछा छुड़ा लिया है'। दो दिन पहले मुझे पता चला कि श्री गुरुस्वामी ने कहा है कि ये श्री यशवन्त सिन्हा के गलत वक्तव्य हैं...*(व्यवधान)* मैं असंसदीय शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं।

"एडमिरल विष्णु भागवत मामले में इस देश में कुछ अजीब घटना घटी है। श्री संगमा की बात बिल्कुल न्यायसंगत थी। हमें इस सरकार की ओर से कुछ पता नहीं चला है। संसद कुछ नहीं जानती है। कोई चर्चा निर्धारित नहीं की गई थी। यह कार्यसूची में है। लेकिन हमें पता चला कि संसद सदस्यों को नहीं बताया गया, इस सभा को कुछ नहीं बताया गया, टी. वी. यह वे एक के बाद एक इंटरव्यू देते चले गए।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

मैं करण थापर का पूरा सम्मान करता हूं लेकिन उनकी इस टिप्पणी से हम पूर्णतौर पर हक्के-बक्के रह गए। उनसे पूछा गया, "क्या आप ईमानदार मंत्री हैं," उन्होनें कहा, 'हां, मैं एक ईमानदार मंत्री हूँ' क्या आप देशभक्त हैं, 'हां, मैं देशभक्त हूँ'—उसके लिए आप अपना हाथ अपने दिल पर रखिए और कहिए कि 'अपने देश के हितों के विपरीत कार्य नहीं किया है,' 'मैं अपना हाथ अपने दिल पर रख कर कहता हूँ 'कि मैंने देश के हितों के विपरीत कार्य नहीं किया है।'

डॉ. बीट्रिक्स डिसूजा : इसमें गलत क्या है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह तमाशा चल रहा है....*(व्यवधान)* हम केवल अस्तित्व से सीख रहे हैं। यह एक अनोखा अवसर है कि एक देश का रक्षा मंत्री ऐसे मामले में, जिसे यह देश की सुरक्षा का मामला मानता है, प्रमुख प्रश्नों का उत्तर देते हुए एक के बाद एक टी. वी. इंटरव्यू देता है, अपने बारे में प्रमाण पत्र प्राप्त करता है, संसद से बचता है। यदि उनका मामला बहुत गोपनीय है तो वे एक साधारण संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग क्यों नहीं करते जिसकी मांग यह पहले करते थे। आज क्या हुआ है ? कोई भी योग्य सरकार जो देश की रक्षा सेवाओं के मामले में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और ईमानदारी में विश्वास रखती है, वह स्वयं ही जे. पी. सी. के प्रस्ताव के साथ आगे आती। इससे क्या स्पष्ट होता है ? ऐसा उनके अंदर एक अपराध बोध के कारण है। उन्हें पता है कि उनके तथ्य ऐसे हैं जिन्हें वे सभा में साबित नहीं कर सकेंगे।

हमें बताया गया है कि इस देश में संघीय व्यवस्था केन्द्र राज्य संबंधों को मजबूत करने के लिए काफी कुछ किया गया है परन्तु यहां श्री एम. के. आडवाणी जी के नेतृत्व में क्या हो रहा है ? केन्द्र से विभिन्न राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए दल भेजे जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि कुछ सहयोगी दल ऐसा चाहते हैं, उन्हें खुश रखना जरूरी है अन्यथा वे सरकार से बाहर हो जायेंगे। आर. एस. एस. पदाधिकारियों को राज्यपाल नियुक्त किया गया है जो खुलेआम स्वीकार करते हैं कि उन्हें इस बात का गर्व है कि वे आर. एस. एस. पदाधिकारी थे।

श्री शान्तिलाल चपलोत : वे पार्टी के सदस्य थे। वे हमारी अखिल भारतीय पार्टी के उपाध्यक्ष थे। आप ऐसी बात कैसे कर रहे हैं ? मैं नहीं जानता आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री आडवाणी जी और श्री वाजपेयी जी सरकारिया आयोग की अधिकांश सिफारिशों की काफी प्रसंशा करते आए हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

राज्यपालों की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चुनाव के संबंध में सभी विशिष्ट प्रावधानों और सिफारिशों की अवहेलना की गई है। उन्होंने सिफारिश की थी कि किसी भी स्थिति में सत्ताधारी दल के किसी भी सक्रिय राजनीतिज्ञ को राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। अब, किसी अन्य राजनीतिक दल द्वारा शासित राज्य में अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल द्वारा उस राज्य सरकार को हटाने के लिए उन्होंने समता पार्टी से सांठ-गांठ की है और उस राज्य में एक ऐसा राज्यपाल भेजा जा रहा है जो बी. जे. पी. का उपाध्यक्ष था—यदि मेरी बात गलत है तो वह बतायें-- और जो यह कहता है कि उसे आर. एस. एस. से जुडे होने पर गर्व है। क्या यह इस देश में केन्द्र राज्य संबंधों को मजबूत करने का तरीका है ? क्या यह एक ऐसा देश है जिसमें आप...*(व्यवधान)*

श्री शान्तिलाल चलसोत : क्या आर. एस. एस. से राष्ट्र को खतरा है ? वे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं ?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। यह क्या है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री सोमानाथ चटर्जी : केन्द्र द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का यह सबसे गंदा तरीका है जो देशहित में नहीं है बल्कि अपने सहयोगियों को खुश करने के लिए है। वस्तुतः हमने बिहार में अनुच्छेद 356 को लगाए जाने पर चर्चा की है, परन्तु यहां इसे दुहराते हुए हमें स्वयं को याद दिलाना होगा कि यह संवैधानिक शक्ति का यह सबसे गलत उपयोग था। यह संवैधानिक राक्षसपन के अलावा और कुछ नहीं था। यह जानते हुए भी कि राज्य सभा में उन्हें समर्थन प्राप्त नहीं है, उन्होंने इसे लगाया और इस पर सभा में तीन दिनों तक बहस हुई और फिर, कांग्रेस के ऊपर यह छोड़ दिया कि वे राज्य सभा में इसे पास कराएं, और जब वे उनका समर्थन नहीं प्राप्त कर सके तो उन्होंने राज्यपाल को वापस बुलाने की सोची। मुझे याद नहीं है कि कभी किसी राज्य में कुछ दिनों अथवा कुछ महीनों के लिए राष्ट्रपति शासन रहा हो। मैं श्री आडवाणी जी से यह जानना चाहता हूं कि यह किस तरह का राजनैतिक व्यवहार है, संवैधानिक प्रावधानों के प्रति किस प्रकार का आदर है ....*(व्यवधान)* महोदय, यदि ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं तो यहां मर्यादा के साथ काम करना असंभव है...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, छिछोरेपन की कोई हद होती है, सत्ता पक्ष की ओर से की जाने वाली टिप्पणियों की कोई हद होती है।

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : इनकी पार्टी भी वही करती है।. ..*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं समझता था कि एक खिलाड़ी का नजरिया खिलाड़ी जैसा होगा, परन्तु बी. जे. पी. में एक खिलाड़ी, खिलाड़ी कम और बी. जे. पी. का आदमी ज्यादा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय मुझे पता है कि वे आज परेशान हैं। आज उनकी सांस फूल रही है। इतना समय इसलिए दिया जा रहा है कि क्योंकि वे अपने सहयोगियों को एकजुट नहीं रख सकते हैं। यदि उनके सहयोगी दल उनके साथ रहे होते तो यह वाद-विवाद आवश्यक नहीं होता और उसके लिए वे हमें दोषी ठहरा रहे हैं। वे पुचकारते रहें वे घुटने टेकते रहें, वे सभी असंवैधानिक बातों में लिप्त रहें, वे सभी तरह के वादे करते रहें, वे पैकेजों की पेशकश करते रहें, परन्तु फिर भी उनके लोग एकजुट

नहीं होने वाले हैं। दोष हम पर लगाया जा रहा है। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि इस सरकार को और एक मिनट के लिए भी नहीं रहना चाहिए। यह राष्ट्रहित में नहीं है क्योंकि वे हमें सिखाते रहेंगे कि इस सभा में प्रस्तुतीकरण कैसे करें, 30 वर्षों के बाद...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि यदि मैं इनके बीच लोकप्रिय हूं तो यह मेरे लिए श्रेयष्कर नहीं होगा।

महोदय, यदि हम आर्थिक मामलों पर चर्चा करें तो सबसे ज्यादा शोर बजट के ऊपर वित्त मंत्री जी के द्वारा मचाया जा रहा है। श्री चिदम्बरम ने एक स्वपनिल बजट प्रस्तुत किया था। उन्होंने तो इसे स्वपनिल बजट नहीं कहा था। औद्योगिक जगत ने इसे स्वयमिल बजट कहा था। डॉ. मनमोहन सिंह के बाद उनको मसीहा समझा गया। उन्हें भारतीय औद्योगिक और आर्थिक पुनरुत्थान का मसीहा समझा गया। यह सही है कि जिस दिन वे सत्ता से बाहर हुए उसी दिन उनकी उद्योगपतियों ने देश को इस स्थिति तक लाने के लिए उन्हें गाली दी। वही बात फिर हो रही है। श्री यशवंत सिन्हा को सही समय पर सी. आई. आई. द्वारा प्रमाणपत्र दिया गया है।

श्री आडवाणी जी ने समाचार पत्रों से यह पढ़ा था कि विश्व बैंक की रिपोर्ट में क्या कहा गया था। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक ने उन्हें प्रमाण पत्र दिया था, सी. आई. आई. ने उन्हें प्रमाण पत्र दिया था और फिक्की ने भी उन्हें प्रमाण पत्र दिया था। परन्तु आम आदमी के बारे में उनका क्या कहना है ? उन लोगों के बारे में उनका क्या कहना है जो भारत में कुटीर और मध्यम दर्जे के उद्योगों में लगे हैं ? श्री शरद पवार जी ने बताया कि कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। हम भी यह जानते हैं। कितने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को इस सरकार और माननीय वित्त मंत्री के प्रयासों से पुनर्जीवित किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है वे और उनके सहयोगी दल मेरे द्वारा 16 नवम्बर, 1996 को जयपुर में बी. एम. बिडला ऑडीटोरियम में आयोजित बी. जे. पी. की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा लिए गए संकल्प का उल्लेख करने का बुरा नहीं मानेंगे। डॉ. मुरली मनोहर जोशी अब अल्पसंख्यक बन गए हैं। उन्होंने उनका चरित्र पूरी तरह बदल दिया है। संकल्प में कहा गया है :

> "भारतीय जनता पार्टी विश्व व्यापार संगठन के साथ सिंगापुर में होने वाले अन्तर मंत्रालयीय बैठक में श्रम मानकों और पर्यावरण संबंधी मुद्दों जैसे निवेश और सामाजिक मामलों पर बहुपक्षीय समझौते के एकीकरण के पूरी तरह खिलाफ हैं। यदि निवेश पर बहुपक्षीय समझौते, यूरोपीय संघ द्वारा यथा–प्रस्तावित, को पहले से पूरी कर ली गई उरुग्वे दौर की वार्ता (जिसके बारे में बी. जे. पी. ने पहले ही अपनी आपत्तियां जाहिर कर दी हैं, विशेष रूप से पेटेंट कानून और फार्म संबंधी मामलों के संबंध में) के साथ मिला दिया जाए तो यह देश की आर्थिक और राजनैतिक संप्रभुता को समर्पित करना होगा।"

उनकी राजनैतिक नैतिकता कैसी है ? उनके राजनीतिक सिद्धान्त कैसे हैं ? 1996 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में ये उनके वक्तव्य थे। संकल्प में आगे कहा गया है :

> "बी. जे. पी. विदेशी निवेश के बारे में चयनात्मक दृष्टिकोण के प्रति वचनबद्ध है। (आजकल, एक नया नाम आ गया है। इसे 'कौलिबरेटेड ग्लोबलाइजेशन' कहा जा रहा है।) यह 'कौलिबरेटेड ग्लोबलाइजेशन' है। विदेशी निवेश के क्षेत्र और मात्रा जैसी बातों का निर्णय किसी संप्रभुतासंपन्न सरकार द्वारा सामाजिक–आर्थिक मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। वास्तव में, इस अधिकार को उरुग्वे दौर में मान लिया गया है।"

जब वे इसका विरोध कर रहे थे, विश्व व्यापार संगठन बन चुका था। उन्होंने आगे कहा :

"यदि विश्व व्यापार संगठन की सिंगापुर बैठक में यूरोपीय संघ के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया जाता है तो आई. एल. ओ., डब्ल्यू. आई. पी. ओ., यू. एम. सी. टी. ए. डी. जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं बेकार हो जाएंगी। विश्व व्यापार संगठन के क्षेत्र को बढ़ाने के किसी भी प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यकरण में भी दखलदांजी होगी।" अब उनका कहना है, "हम क्या कर सकते हैं, कांग्रेस इसमें शामिल हो चुका है।" वे अपनी शक्ति दिखा सकते थे। उन्होंने कहा कि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में भी यही कहा था। उन्होंने इसकी आलोचना की। विश्व व्यापार संगठन की भूमिका के बारे में उन्होंने कहा कि वे इसकी जांच करेंगे। श्री चिदम्बरम यहीं हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : वे अब आपके साथ नहीं हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह मुझसे सहमत हों या न हों किन्तु जो सच है वह सच है।

इनके घोषणापत्र में कहा गया है :

> कथित उदारीकरण के समय में रिकार्ड लूट हुई। इस अवधि में विदेशी कंपनियां खूब फली–फूली और भारतीय कंपनियां बिल्कुल लड़खड़ा गई। इस समस्या पर विचार करने के लिए सही मंच आई. एल. ओ. है, डब्ल्यू. टी. ओ. नहीं।

वास्तव में, इस सरकार को देश के श्रमिक वर्ग की चिंता नहीं है। ये सब टिप्पणियां तो इन्होंने अपना चुनाव घोषणापत्र तैयार करने के लिए की थीं। आज दिल्ली में संसद मार्ग पर क्या हो रहा है ?

जब प्रसार भारती के कर्मचारी हड़ताल वापस लेकर कार्यालय गए तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। उन्हें कहा गया था कि आपको लिखकर देना होगा कि हम भविष्य में हड़ताल नहीं करेंगे। क्या यह बंधुआ मजदूरों का देश है ? ...*(व्यवधान)* प्रसार भारती के कर्मचारियों को आज काम पर नहीं लौटने दिया जा रहा है क्योंकि वे कुछ उचित कारणों से कुछ दिन से हड़ताल पर थे। सरकार की तरफ से उनसे बात करने वाला कोई नहीं था। मैं श्री जसवंत सिंह और गृहमंत्री महोदय से अपील करता हूं। मैं डॉ. मुरली मनोहर जोशी से अपील करता हूं। मुझे नहीं पता कि वह अब स्वतंत्र हैं या नहीं। कृपया हस्तक्षेप कीजिए। आज लोग वरिष्ठ मंत्री हैं। लोग कह रहे हैं कि हम अपने काम पर वापस आना चाहते हैं।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

[हिन्दी]

लिखकर देना होगा। क्या लिखकर देना होगा ?

[अनुवाद]

लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि आपको लिखकर देना होगा कि मैं भविष्य में हड़ताल नहीं करूंगा आज हमारे देश में ऐसी सरकार है।

इनका दावा है कि इनकी अनेक उपलबधियां हैं। अपनी उपलब्धियों को दिखाइए तो सही मैं यह मजाक में नहीं कह रहा हूं। यह है राष्ट्रीय एजेंडा। इन्होंने घोषणापत्र में की गई घोषणाओं से समझौता किया है। इनका कहना है कि हम स्थायी, ईमानदार, पारदर्शी और दक्ष सरकार देंगे। मैं इन्हें और विस्तार से नहीं बताऊंगा। ये स्वदेशी पर जोर देने की बात कहते हैं। ये यह भी कहते हैं कि हम भूमण्डलीकरण के प्रभावों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करेंगे। क्या आपने यह विश्लेषण किया ? क्या आपने इसे सदन के समक्ष रखा ? आपने इरादतन एक समय–सारणी बनाकर इसे शुरू किया है। इस सदन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा है।

आपका कहना है कि आप वित्तीय, प्रौद्योगिकीय और सामाजिक सुरक्षा की अपेक्षाओं का व्यापक अध्ययन करेंगे और आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष जोर देंगे। प्रधानमंत्री महोदय देश भर में एक्सप्रेस मार्गों की बड़ी–बड़ी योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन न एक पाई है और न इंच भर जगह। कोई व्यवहार्यता का अध्ययन नहीं किया गया। इस काम को करने के लिए किसी को भी चुना नहीं गया है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय एक के बाद एक एक्सप्रेस मार्ग की घोषणाएं कर रहे हैं। यह है आधारभूत संरचना का विकास। यह तो आप जानते ही हैं कि संचार के क्षेत्र में क्या हो रहा है इनका कहना है कि ये उद्योग संबंधी सभी विधियों और विनियमों की समीक्षा करेंगे। क्या हुआ इसका ?

श्रमिकों के बारे में इनका कहना है कि ये संगठित और असंगठित दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को उत्पादन में बराबर का और गौरवपूर्ण भागीदार बनाएंगे। इससे केवल बेरोजगार लोगों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। क्या इस देश के श्रमिकों को बेकार बनाकर ये इस समस्या को हल कर रहे हैं ? मुझे बेरोजगारी समाप्त करने के बारे में नहीं कहना।

भोजन सुरक्षा और मूल्य स्थिरता के बारे में इनका कहना है कि ये सबके लिए भोजन सुनिश्चित करेंगे और ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसमें कोई भूखा नहीं सोएगा। ये सबसे के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का वायदा करते हैं।

जहां तक महिलाओं को अधिकार देने की बात है, इनका कहना है कि ये संसद में 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण करने का विधान बनाएंगे। आज तक ये चर्चा के लिए विधेयक तक नहीं लाए हैं। एक साल गुजर गया है।

इन्होंने लोकपाल विधेयक लाने का वायदा किया है। ये कहते हैं कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। गृहमंत्री महोदय, कहां गया आपका लोकपाल विधेयक ? वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकारों के हस्तांतरण का सुस्पष्ट मामला है। क्या कदम उठाए गए हैं ?

आपने आवश्यक चुनाव सुधार करने का वायदा किया था। आपने क्या सुधार किए हैं ? सरकार द्वारा चुनाव खर्च के वहन का क्या हुआ ? श्री इंद्रजीत गुप्त चेयरमेन थे। सभी दलों का प्रतिनिधित्व है। हमने सर्वसम्मत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का क्या हुआ ? मैं कहता हूं कि यह निकम्मी सरकार है। श्री पूर्णो ए. संगमा ने ठीक ही कहा है कि यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा की भी बात कही गई है। सब बातें कही गई हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : पूरी स्पीच में मेनीफेस्टो पढ़ रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इससे पता लगता है कि अपने अपना घोषणापत्र नहीं पढ़ा है।

[हिन्दी]

विजय गोयल : पांच साल बाद आप इवेलुएट नहीं कर रहे हैं; एक साल बाद कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपका घोषणापत्र पढ़ रहा हूं और इससे आपको बड़ी परेशानी हो रही है। इससे आपको बहुत परेशानी हो रही है।

देखिए प्रशासनिक मूल्यों में कैसे वृद्धि की गई थी। चावल का मूल्य 5.50 रुपए से बढ़ाकर 9.05 रुपए कर दिया गया। निश्चित ही वित्त मंत्री महोदय अपने ही फैसले वापस लेने वाले वित्त मंत्री तथा यह सरकार अपने ही फैसले वापस लेने वाली सरकार है। इन्होंने कुछ वस्तुओं के मूल्यों में की गई वृद्धि को वापस लिया है विचारधारा के कारण नहीं बल्कि अपने ही सहयोगी दलों के दवाब में लिया है संसद में कुछ वोट पाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है न कि इस देश की जनता के प्रति वचनबद्धता के आधार पर किया है। गेहूं का मूल्य 4.50 रुपए से बढकर 6.50 रुपए हो गया, चीनी का मूल्य 11.40 रुपए से बढ़कर 12.00 रुपए हो गया, 50 किलोग्राम यूरिया का मूल्य 183 रुपए से बढ़कर 200 रुपए हो गया, रसोई गैस का मूल्य 130 रुपए से बढ़कर 146 रुपए हो गया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 19.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और केन्द्रीय योजना परिव्यय में 16,705 करोड़ रुपए की कमी आई है। इन्होंने बजट में 17,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। जिसे ये एक साल में व्यय नहीं कर सके।

बताया जाता है कि यह सरकार काम करने वाली सरकार है। जहां तक पोखरन–2 और अग्नि का संबंध है, इसके लिए ये लोग देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला ? मेरे मित्र, श्री जसवंत सिंह को दुनियां भर में घूमना पड़ रहा है। मुझे विश्वास है कि उन्हें नए–नए शहर देखने का शौक नहीं है। मैं जानता हूं कि भिन्न–भिन्न कारणों से वह इनमें से अधिकांश शहरों में गए हैं। आज श्री स्ट्रोब टैलबोट के साथ उनका नाम भले ही लिया जा रहा हो, लेकिन इस देश को हो गया है ? आज ये लोग सी. टी. बी. टी. पर दस्तखत करने का वचन दे चुके हैं। शायद उन्हें इस चर्चा के समाप्त होने का इंतजार है। मैं नहीं समझता हूं कि दुर्भाग्य से यह सरकार बच पाएगी।

श्री जसवंत सिंह के विदेश मंत्री होने पर मुझे गर्व है। लेकिन अब उन्हें किसी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात करना बंद कर देना चाहिए। उन्हें किसी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात करने की क्या आवश्यकता है ? वह सुश्री मैडलीन अल्ब्राइट को अपने पास बुलाएं। उन्हें यहां–वहां जाकर इस देश की प्रतिष्ठा और भविष्य को ताक पर रखना पड़ रहा है। आज कोई भी देश इनका मित्र नहीं रहा है।

बिल्कुल, हमने बस मात्रा की बड़ी सराहना की है। मुझे पूरा विश्वास है कि बस बहुत सुन्दर और आधुनिक होगी और इसमें झटके भी नहीं लगते होंगे तथा इसका सस्पेंशन भी बहुत अच्छा होगा। हम सबने इसकी वाहवाही की थी। लेकिन जब इन्होंने अग्नि का प्रक्षेपण किया तो गौरी–2 और शाहीन के प्रक्षेपण करके इसका जवाब दिया गया। वाह! संबंधों को सामान्य बनाने का क्या शानदार ढंग है। पता नहीं आज इस देश का विदेश मंत्री कौन है। श्री जसवंत सिंह कहते हैं कि वह फैसले कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी स्थिति रक्षा मंत्री से बहुत अच्छी है जिन्हें कि यह भी नहीं पता कि पोखरन में दूसरा विस्फोट या और कुछ कब होगा।

पोखन विस्फोट के तुरंत बाद राष्ट्रपति क्लिंटन को चुपचाप गुप्त पत्र लिखे जाने का कारण अभी तक नहीं बताया गया है। रक्षा मंत्री महोदय को खुश रखने के लिए अब चीन को बुरा–भला कहा जा रहा है। आज यह स्थिति है कि चीन के साथ संबंध सामान्य बनाने के लिए हमें पुनः शुरूआत करनी पड़ेगी। मैं रक्षा मंत्री महोदय से यह मुझे लगता है वह हस्तक्षेप कर रहे हैं,–पूछना चाहता हूं कि वह चीन को हमारा मित्र बनाना चाहते हैं या नहीं। यह सरकार इस ढंग से चल रही है।

तपन सिकन्दर : यह भूल गये हैं कि इन्होंने चीनी अतिक्रमण का समर्थन किया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री जब वाद–विवाद के जवाब में बोलेंगे तब वे उन मुद्दों पर, राजनैतिक सच्चाई, तथा नैतिकता के प्रश्न पर, चुनाव घोषणापत्र एवं शासन के कथित राष्ट्रीय एजेंडा के महत्त्व पर बोलेंगे तथा यह बताने के लिए कि उन्होंने क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं अथवा किन–किन वादों को पूरा किया है इस देश की जनता को विश्वास में लेंगे।

यदि वे अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर नहीं चल सकते हैं तो वे इसकी जिम्मेदारी विपक्ष पर नहीं डाल सकते तथा स्वयं को सरकार में रहना चाहिए अथवा नहीं उसके लिए भी विपक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।

यह एक आश्चर्यजनक कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रपति जी ने प्रथम दृष्टया जो निर्णय लिया है वह वास्तव में विवेकपूर्ण है। आपने प्रधानमंत्री बनने के लिए ए. आई. डी. एम. के. सहित सदस्यों की सूची बताई है परन्तु उन्होंने अब अपना समर्थन वापस ले लिया है। अतः उन्होंने आपसे सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिये कहा है। अब नव निर्वाचित सदस्य आपकी ओर आ रहे होंगे अतः मैं इस सदन में सभी से अपील करता हूं कि भा. ज. पा. को सत्ता में रखने से भी अधिक महत्त्वपूर्ण कुछ बातें हैं और वह हैं देश की एकता और अखंडता। धर्म निरपेक्षता इस देश का मूलाधार है। सरकार के खातिर इसके बारे में कोई सौदा, कोई समझौता न करें। मुझे यह बताया गया है तथा ऐसी खबर भी है कि सत्ता में रहने के लिए येनकेन प्रकारेण मित्रता की जा रही है। और वह मित्रता कैसे की जा रही है यह हम सभी जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके दल का असम्मान नहीं कर रहा हूं परन्तु तेलुगू देशम पार्टी ने न तो कभी भी इन के चुनाव घोषणा पत्र को स्वीकार किया और न ही उसने शासन के लिए जो राष्ट्रीय एजेंडा था उसको माना, आप उनके साथ सत्ता में भागीदार नहीं रहे फिर भी वे आज तेलुगु देशम पार्टी की शुभकामनाओं के कारण ही सत्ता में हैं।

महोदय, मैं इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध करता हूं और मुझे आशा है कि विश्वास मत प्रस्ताव अस्वीकृत हो जायेगा।

श्री मुरासोली मारन (मद्रास मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मुझे, कामरेड सोमनाथ जी तथा उनके दल का अनुसरण करने में अत्यधिक प्रसन्नता है लेकिन दुःख की बात यह है कि वे हमारी अपेक्षा कर रहे हैं। मैं गहरे दुख और उदासी के साथ इस वाद–विवाद में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मुझे दृढ़ विश्वास है कि महाद्वीप के आकार के भारत जैसे विशाल संघीय देश में मिलीजुली सरकार ही हमें एकजुट रखने के लिए सर्वोत्तम कारक है। अतः जब कभी भी केन्द्र में एक मिलीजुली सरकार को कोई परेशानी आई अथवा संकट में पड़ी मुझे अप्रसन्नता होती है क्योंकि हमें एक मिलीजुली सरकार चलाने के लिए अभी भी एक सदाचार अथवा आचार संहिता तैयार करनी है। आज महत्व नीतियों को दिया जाना चाहिये न कि मनगढंत बातों को परनतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो रहा है। हमने कई मिलीजुली सरकारों को बनते बिगड़ते देखा है तथा कई मिलीजुली सरकारों को ताश के पत्तों की तरह तत्काल गिरते हुए देखा है।

हमें उन घटनाक्रमों का पता है जिसके फलस्वरूप यह वाद–विवाद हो रहा है। मैं, श्री सोमनाथ चटर्जी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि यदि कोई राजनैतिक भूचाल आया है तो वह तो भा. ज. पा. का किया हुआ है। अतः यह दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा तथा उसके नेताओं, उन अविश्वसनीय तत्त्वों पर पर विश्वास किया जो कि सिद्धान्तहीन कृत्यों के लिए कुख्यात हैं...*(व्यवधान)*

[श्री मुरासोली मारन]

श्री सोमनाथ चटर्जी ने उन सभी घटनाओं को सूची बद्ध किया है। एक तरह से तो अब माननीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री तथा मिलीजुली सरकार के सभी नेता अब चैन से सो सकते हैं क्योंकि भूत उनके ऊपर था जिसे उन्होंने गले लगाया था अब उतार दिया गया है। और हमेशा के लिये उन से दूर चला गया है तथा ये नेता कुछ अच्छा करने के लिए स्वतंत्र हैं। परन्तु मुझे मेरे कांग्रेस तथा अन्य नए मित्रों के लिए खेद है क्योंकि ये असैद्धांतिक तत्त्व, इनके साथ हो गये हैं। अतः मुझे गहन दुख है और मैं इसको छुपाना नहीं चाहता।

मैं विगत 31 वर्षों से या तो इस सभा का अथवा दूसरे सदन का सदस्य रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री आर मुथैया (पेरियाकुलम) : ऐसा आपके पारिवारिक शासन के कारण हुआ।

श्री मुरासोली मारन : जो भी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री के. पी. मुनूसामी (कृष्णा गिरि) : वास्तव में वह असैद्धांतिक तत्त्व कौन हैं ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया, यह ठीक नहीं है।

श्री टी. आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : वे यदि चाहते हैं तो सदन से बाहर जा सकते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा सभी से अनुरोध है। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने, आपको अनुमति नहीं दी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मुरासोली मारन : मैं, 1967 में यहां आया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। श्री मुरासोली मारन के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों को देख रहा हूं। यह ठीक नहीं है। पीठासीन अधिकारी को सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री आर. मुथैया : कल श्री बालू ने बीच में बोला था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों मैं, आप लोगों को देख रहा हूं। यह ठीक नहीं है पीठासीन अधिकारी को आप लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मुरासोली मारन : मुझे वर्ष 1967 में डॉ. अन्ना जैसे नेता ने यहां भेजा था। विगत 31 वर्षों में मैंने यहां बहुत कुछ देखा है। मैं इस सदन का तथा राज्य सभा का भी सदस्य रहा हूं। उस समय डी. एम. के. दल के 25 सदस्य थे। मैं गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि उस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी उन 25 डी. एम. के. तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की मदद से एक अल्पमत सरकार चला रही थीं...*(व्यवधान)* डी. एम. के. एल की मदद से श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को समाप्त किया तथा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जनता ने सरकार को जो शक्ति दी है वह राष्ट्र के हित में प्रयोग करने के लिए दी है...*(व्यवधान)*

श्री वी. सत्यमूर्ति (रामनाथपुरम) : डी. एम. के. दल सर्वाधिक अवसरवादी दल है...*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : महोदय, आपको सदन को नियंत्रण में रखना होगा। आपको सभा में व्यवस्था बनाये रखनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं ए. आई. डी. एम. के. दल के सदस्यों से पुनः अनुरोध करता हूं कि वे अपना स्थान ग्रहण करें, अन्यथा पीठासीन अधिकारी को उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री आर. मुथैया : महोदय, कल जब मैं बोल रहा था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया ठीक से व्यवहार करें....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य को रोकने में आपको रुकावट नहीं डालनी चाहिए। मैंने, उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति दी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मुरासोली मारन : जनता राजनीतिज्ञों को अधिकार देती है ताकि वे उसका प्रयोग राष्ट्र हित में करें। डी. एम. के. दल ने उन अधिकारों का प्रयोग जिम्मेदारी से किया है। हम जब 25 सदस्यों से भी अधिक थे तब भी हमने किसी को ब्लेकमेल नहीं किया...*(व्यवधान)* महोदय हमने आपातकाल के दौरान कांग्रेस मित्रों का साथ छोड़ दिया था। जिसके लिए मुझे बड़ा खेद है। परन्तु तब हुआ यही था कि हमें, भा. ज. पा. तथा मार्क्सवादियों को जेल में डाल दिया गया था। जब कांग्रेस सत्ता

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

में थी तब हमने तथा भा॰ ज॰ पा॰ ने कई वर्षों तक विपक्ष की भूमिका निभायी।

महोदय, जब श्री वी॰ पी॰ सिंह प्रधानमंत्री थे तब मैं भी सत्ता पक्ष में था तथा मैं एक मंत्री था। उस समय भा॰ ज॰ पा॰ तथा मार्क्सवादियों, दोनों ने सरकार का समर्थन किया था। उसके पश्चात् संयुक्त मोर्चे की सरकार के दौरान मैं मंत्री था तथा वामपंथी दलों एवं कांग्रेस ने हमारी सहायता की।

उनकी सहायता के बिना हमारा अस्तित्व कायम नहीं रह सकता था। अब पूरी सभा में हमारे मित्र हैं। आप चाहते हैं कि हम आप लोगों में से अपने मित्र चुनें परन्तु मेरे लिए यह बहुत कठिन कार्य है। पिछले सप्ताह तक मैं तथाकथित तीसरे मोर्चे के साथ था जो कि उस समय सक्रिय था। मुझे आशा है कि उसे सक्रिय रखा जाएगा और मैं समझता हूं कि श्री रेड्डी इस कार्य को करेंगे। अचानक उनकी सरकार का विघटन हो गया और हम मझधार में फंस गए। इसलिए हमें राष्ट्रीय और राज्य के हितों को ध्यान में रखकर स्वयं ही निर्णय लेना होगा।

महोदय, किसी को भी हमारी विश्वसनीयता पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लम्बे राजनीतिक इतिहास में हमने हर कीमत पर दलितों और अल्पसंख्यकों की सहायता तथा उनकी रक्षा की है। हम उसे पुनः दोहराना चाहते हैं तथा प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ऐसा सदैव करते रहेंगे क्योंकि हमने 1916 में पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए आन्दोलन शुरू किया था। मैं अपनी प्रतिज्ञा दोहराता हूं कि चाहे जो कुछ भी हो, हम ऐसा निरन्तर करते रहेंगे।

महोदय, इस बीच में मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। श्री देवगौड़ा थोड़ी ही देर पहले यहाँ थे। श्री गुजराल यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, श्री मूपनार जैसे वरिष्ठ नेता संयुक्त मोर्चा की सरकार में कांग्रेस की भागीदारी चाहते थे। उन्होंने कहा था कि हमें कांग्रेस के नजदीक आना चाहिए ताकि सरकार चलती रहे और हम केन्द्र में स्थायी सरकार कायम रख सकें। श्री मूपनार इस बात पर लगातार जोर देते रहे और वे इस मामले में अपनी भूमिका निभाने के लिए इच्छुक थे। परन्तु उन्हें ऐसा करने से किसने रोका था ? मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि हमारे वामपंथी दलों के लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया। महोदय, यदि हम उस समय ऐसा कर लेते तो आज परिस्थिति कुछ और होती और इतिहास कुछ भिन्न होता। परन्तु हमें विगत की घटना पर रोना नहीं चाहिए। यह सब इतिहास का भाग है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया था।

श्री मुरासोली मारन : आपने हमें कभी भी प्रयास नहीं करने दिया। श्री इन्द्रजीत गुप्त, आप हमारे साथ मंत्री थे। इसे प्रमाणित करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद हैं।

अब, संकट कैसे उत्पन्न हुआ ? महोदय, ऐसी अनुचित, गैर कानूनी और असंवैधानिक मांगें की गई थीं जिन्हें कोई भी ऐसी लोकतांत्रिक सरकार नहीं मान सकती है जो कानून और न्यायपालिका का सम्मान करती है। हम सब यह जानते हैं। हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत सम्मान करते हैं। वस्तुतः प्रधानमंत्री अधिक से अधिक लोगों को संगठित करने के लिए अपनी बात से पीछे हट रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि वे अपनी छवि को दांव पर लगाकर समझौते करते रहे हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ मौजूद नहीं हैं। वे बहुत उदार थे, परन्तु उनकी उदारता का अनुचित लाभ उठाया गया।

अब मैं यह जानना चाहता हूं कि नये सौदे का विस्तृत विवरण क्या है ? हमारे कांग्रेसी तथा अन्य मित्र इसे स्पष्ट करें।

यदि कोई नया सौदा हुआ है तो वे उसे स्पष्ट करें। क्या आप उसी तुष्टिकरण की नीति का अनुपालन करने जा रहे हैं ? थोड़ी देर के लिए यदि यह मान लिया जाए कि यह सरकार गिर जायेगी, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या है ? क्या वह केवल कांग्रेस की सरकार होगी ? यदि ऐसा होगा तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। अथवा एक गठबंधन सरकार बनेगी ? क्या उसका कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम अथवा राष्ट्रीय एजेंडा है या इसी नाम से कोई इस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं ? मैं समान विचारधारा के बारे में जानना चाहता हूं। मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप राष्ट्र पर एक अवांछित चुनाव नहीं थोप रहे हैं ? कृपया हमें सच्चाई बताइये। कृपया स्पष्टवादी बनिए। देश उसके बारे में जानना चाहता है।

महोदय, इस सम्बन्ध में मेरे विचार भिन्न हैं। कल तक मैं सरकार का आलोचक था। इसलिए मैं कावेरी जल विवाद, जिसको निपटाने का श्रेय सरकार और प्रधानमंत्री को जाता है, के सिवाय सरकार की उपलब्धियों के बारे में न तो बात कर सकता हूं और न ही उसकी सराहना कर सकता हूं।...*(व्यवधान)* यहाँ तक कि अब भी मैं कई मुद्दों पर उनसे सहमत नहीं हूं। यह एक अलग मामला है। परन्तु मुझे विश्वास है कि नये मित्रों द्वारा समर्थित ए॰ आई॰ ए॰ डी॰ एम॰ के॰ का वर्तमान प्रयास राज्य और राष्ट्र विरोधी है।

अतः हम वर्तमान सरकार को बनाये रखने का समर्थन करते हैं। महोदय, हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है...*(व्यवधान)* हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम अटल जी का समर्थन करते हैं और भ्रष्ट सरकार का समर्थन कभी भी नहीं करेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक छोटी टिप्पणी करनी है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि 15 अप्रैल 1999 को हुई नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 15 और 16 अप्रैल 1999 को की जाएगी और माननीय प्रधानमंत्री 17 अप्रैल 1999 को उत्तर देंगे और उसके पश्चात् प्रस्ताव पर मतदान कराया जाएगा। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक दल उन्हें आबंटित समय का कड़ाई से पालन करें।

अतः दलों के नेताओं से मेरा आग्रह है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके सदस्य अपने भाषण आबंटित समय में ही समाप्त करें। अभी 32 सदस्यों को बोलना है। मेरा प्रस्ताव है कि यदि आवश्यक हो तो आज सभा की कार्यवाही देर रात तक चलाई जाए ताकि सभी वक्ताओं का भाषण आज ही समाप्त हो जाए और माननीय प्रधानमंत्री कल चर्चा का उत्तर दे दें। मुझे आशा है कि सभा इस प्रस्ताव से सहमत होगी।

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, आपने दलों के आधार पर, दलों को कितना–कितना समय दें उतना ही बोलने के लिए अपील की है। मैं उसका पालन करूंगा।

अपराह्न 3.09 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

लेकिन हम चेयर से भी उम्मीद करते हैं कि एक सदस्य को साढ़े तीन घंटे बोलने का मौका दिया। इसके लिए हमारी किसी की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन फिर भी जो आपका निर्देश है, उसका पालन करने की हम कोशिश करेंगे। हो सकता है और दस–पांच मिनट ज्यादा लग जाएंगे। अगर उधर के सदस्य बाधा नहीं डालेंगे और चुपचाप सुनेंगे तो नहीं लगेंगे।

अध्यक्ष महोदय, विश्वास मत का प्रस्ताव सदन में आया है, लेकिन हमें बडी खुशी होगी कि इस वाजपेयी जी की सरकार का विदाई समारोह हो जाए।

अगर विश्वास मत विदाई समारोह में बदल जाए तो मुझे व आडवाणीजी को बड़ी खुशी होगी, क्योंकि हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। हम क्यों चाहते हैं कि यह विदाई समारोह हो जाए...*(व्यवधान)* अभी 24 घंटे शेष हैं आप चौटाला और डी. एम. के. को अपने पक्ष में किसी तरह कर ले गए तो सत्ता पक्ष ने जीत माननी ले गये तो हराना मान लिया, ये तो आया राम, गया राम है अभी क्या पता है।

श्री रामचन्द्र बैंदा (फरीदाबाद) : चौटाला का समर्थन पक्का है।

श्री मुलायम सिंह यादव : पक्का हो या कच्चा, अब भी विपक्ष का बहुमत है। अभी मैज्योरिटी बैठी हुई है.....*(व्यवधान)* शर्त गवर्नमेंट के चले जाने के बाद लग जायेगी.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जिस मामले पर हम चर्चा कर रहे हैं वह बहुमत गंभीर मामला है। कृपया बीच में मत टोकिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र के बारे में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन हम संक्षेप में ही बताना चाहेंगे कि इनकी दोहरी चाल, दोहरे चेहरे मोहरे और कितना दोहरा चरित्र है। इसका सबूत मेरे और सारे सदन के पास है और स्वयं गृह मंत्री जी ने अपने हाथ से चुनाव घोषणा पत्र लिखा होगा, उन्हें पता होगा। सवाल यह है कि इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि धारा 370 खत्म करेंगे, समान आचार संहिता लागू करेंगे, अयोध्या, काशी और मथुरा हमारे प्रमुख मुद्दे रहेंगे। दूसरी बात कही कि हमारा सबसे योग्य प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी...*(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : इसमें दो राय कहां हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव : एवं स्थिर सरकार, ये दो नारे देकर जनता के साथ धोखा किया। पर सरकार चलाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया जिसमें दी, अयोध्या, मथुरा और काशी को भी छोड दिया, और कहा कि समान आचार संहिता पर अभी बहस नहीं करेंगे।

श्री तपन सिकन्दर : अयोध्या, काशी और मथुरा हमारा एजेंडा नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव : कल आप विपक्ष में हो जायेंगे तब भी क्या ये मुद्दे छोड़ देंगे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास पहले ही कम समय है। कृपया सहयोग करें।

[हिन्दी]

मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष में होंगे तो फिर इनके ये मुद्दे होंगे, इसलिए मैंने दोहरे चरित्र वाली सरकार कहां है और आजादी के बाद से यह सरकार जितनी नींव फरेब और पाखंड पर टिकी हुई है। हमें भी बहुत सारी सरकारों का अनुभव है...*(व्यवधान)* संयुक्त मोर्चा सरकार जो कहती थीं, वह करती थी। जहां हमने डी. एम. के. का साथ दिया तो दिया, सरकार चली गई तो चली गई, लेकिन हमने आखिर तक डी. एम. के. का साथ दिया। हमने कांग्रेस के दबाव पर डी. एम. के. के मंत्रियों को नहीं हटाया–यह है एक चरित्र, एक बात और एक जबान, कोई कुछ है। जहां तक योग्य प्रधानमंत्री का सवाल है, यह सच्चाई है कि हमें अटल जी की योग्यता क्षमता और विद्वता पर न पहले कोई शक था और न आज है...*(व्यवधान)* आप चुपचाप रहिये। हमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह हमने और हमारे किसी साथी ने नहीं कहा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के किसी भी सदस्य ने अयोग्य प्रधानमंत्री नहीं कहा। आपके ही वरिष्ठ नेता, आर. एस. एस. एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री वाजपेयी जी भाजपा के मुखौटा हैं, भाजपा के असली नेता एवं प्रधानमंत्री आडवाणी जी हैं। यह बताइये कि दोहरा चरित्र किसका है ? यह हमने नहीं कहा और जो भी कहा है जिस नेता ने कहा है वह भाजपा के नेता और आडवाणी जी के विश्वासपात्र आर. एस. एस. के नेता ने कहा है कि अटल जी मुखौटा हैं, हमारा असली नेता या प्रधानमंत्री ग्रह मंत्री आडवाणी जी को मानिये, यह आप याद कीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कभी नहीं कहा।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : कभी नहीं कहा, यही तो दोहरा चरित्र है। चित्त भी हमारी और पट भी हमारी। आप जैसे परिपक्व नेता को ऐसा नहीं कहना चाहिए, कहा है। श्री अटल बिहारी जी ने खुले आम

एक सार्वजनिक समारोह में कहा था कि मैं तो मुखौटा हूं। यह सच है, इसको आप झूठ कहते हैं ? मैं कहता हूं कि यह झूठ और फरेब पर चलने वाली सरकार है। आपके बारे में हमारे कुछ भी मतभेद हों लेकिन हम आपको परिपक्व नेता मानते थे। खुद वाजपेयी जी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गुस्से में कहा था कि मैं तो मुखौटा हूं। उसके बाद आप इंकार कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमने सुबह कहा कि दोहरा चरित्र है। आप याद रखिये 1977 में बनी जनता सरकार इसी दोहरे चरित्र के कारण टूटी थी। हम कहना चाहते हैं कि वही स्थिति आज है। आप बताइये कि इनमें से कितने आर. एस. एस. के लोग हैं और कितने बी. जे. पी. के लोग हैं। आज इस सरकार में आर. एस. एस. की पूरी विचारधारा चल रही है तथा दर्शन चल रहा है।

शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में जो प्रारूप आया, वह पूरा का पूरा आर. एस. एस. का दर्शन था जिसके कारण देश के शिक्षा मंत्रियों ने शिक्षा सम्मेलन से बहिष्कार किया था। मुझे खुशी है कि बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के शिक्षा मंत्री और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के मंत्री ने सबसे पहले बहिष्कार किया था। आज पूरे देश की और केन्द्रीय शिक्षा जनता सुन रही है इसलिए हम उसको बताना चाहते हैं कि हमारे देश का जब संविधान बना मंत्री को मसौदा वापस लेना पड़ा था। तब सारे हिन्दुस्तान के विद्वान, कानूनविद् और जिनकी राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका थी, उन लोगों ने सोच समझकर संविधान बनाया था। इस हिन्दुस्तान के अंदर कई धर्म के मानने वाले लोग हैं। आज मुसलमानों की आबादी 13–14 करोड़ है, ढाई करोड़ ईसाई हैं और दो करोड़ सिख भी हैं। इतना बड़ी तादाद की उपेक्षा करके, अपमानित करके, गाली देकर देश एक नहीं रह सकता है। यही सोचकर धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया था और यही देश की एकता का सबसे बड़ा आधार है। देश की एकता पर सबसे करारी चोट इस सरकार ने लगातार दी है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं दोहराना नहीं चाहता कि किस तरह ईसाईयों को घेर–घेरकर मारा, मुसलमानों के काब्रिस्तान पर कब्जा करना और अगर कोई बोले तो भाजपा का एक पार्लियामेंट मेम्बर गोली चला दे। गोरखपुर की पुलिस रिपोर्ट लिखती है कि लोक सभा के एक सदस्य ने गोली चलाई जिससे सत्यपाल सिंह यादव मारा गया जो पुलिस का जवान था। गृहमंत्री जी आपकी पार्टी के लोक सभा सदस्य ने गोली चलाई। आपको सब जानकारी रहती है। नहीं रहती तो मुझे अफसोस है कि क्यों नहीं रहती। क्योंकि गृहमंत्री को तो सब बातें मालूम होनी चाहिए।

अब स्वदेशी है। हम यहीं पर यह बात छोड़ते हैं। स्वदेशी आचरण कहां चला गया ? श्री वीरेन्द्र सिंह तो अंगुली उठाते हैं। एक रेस्टोरेंट विदेशी गोश्त का खुल गया तो बहुत हल्ला मचा दिया, शोर मचा दिया। सारा का सारा जो स्वदेशी जागरण मंच था वह पूरा विदेशी जागरण मंच बन गया और राष्ट्रीय स्वयं सेवक...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, वे तो यील्ड नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आप अकेले हैं वीरेन्द्र सिंह जी। अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा ?

आज स्वदेशी जागरण मंच विदेशी जागरण मंच बन गया है। जागरण मंच बनाकर सारे विदेशी कंपनियों के स्वार्थ हल करने में जुटे हुए हैं। जब पेटेंट कानून पास हो रहा था, तब आपमें हिम्मत थी तो सदन से निकलकर बाहर ही नहीं चले जाते बल्कि, माननीय वीरेन्द्र सिंह जी आप इस्तीफा दे देते तो हम मान जाते...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह : चले गये थे...*(व्यवधान)* क्या बात करते हैं।. ..*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : समय पहले ही कम है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप इस तरफ देखकर बात कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम आपको ही देख रहे हैं। ...(व्यवधान) कुछ भी उठाते रहें, समाजवादियों को जानते हैं।**

कौन देशी, कौन विदेशी और कौन मातृभूमि बेचकर आने वाले लोग। इसलिए मुलायम सिंह को बोलने दो, मुझे मत रोको, उधर से खड़े हों तो बोल देना।...*(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अनपार्लियामेंट्री भाषा है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप इत्मीनान से बैठिए। अनपार्लियामैंट्री शब्द को हम एक्सपंज करवाएंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : हम मानते हैं कि माननीय वीरेन्द्र सिंह जी थोड़ा–बहुत स्वदेशी जागरण के मंच के नाम पर विदेशी कंपनियों का विरोध करते रहते हैं, स्वदेशी मंच जगाते रहते हैं। इनके एक मित्र हैं और मुख्य मंत्री भी हैं। विश्व बैंक को निमंत्रण दिया कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे। विश्व बैंक के लोगों को बुलाया और फाइव स्टार होटल में लखनऊ में ठहराया गया। अब ये अर्थव्यवस्था सुधारने हेतु नीति बना रहे हैं, उनसे सुझाव ले रहे हैं जबकि हमारे यहां कई

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मुलायम सिंह यादव]

आयोग बने, उनकी कई रिपोर्टें हैं, उन्होंने बड़े–बड़े सुझाव दिए कि यदि विदेशी कंपनियां आएंगी, ज्यादा विदेशी पूंजी निवेश लगेगा तो असंतुलन हो जाएगा और देश बर्बाद हो जाएगा तथा अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। उनके सुझाव पड़े हुए हैं, 5–5 आयोग की रिपोर्टें हैं। हमारे एक माननीय सदस्य के मुख्य मंत्री मित्र विश्व बैंक के विदेशी लोगों से राय–मशविरा ले रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे। जरा बताएं। फाइव स्टार होटल में ठहराते हैं, खाना खिलाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार लोग हैं, पढ़ाई–लिखाई का इंतजाम नहीं है, निरक्षरता है, उनके खून–पसीने का पैसा है। सम्भल क्षेत्र में अभी तक 22 फीसदी ही पढ़े–लिखे लोग है। उनके खून–पसीने के पैसे से विश्व बैंक के अधिकारियों को बुलाकर उ. प्र. सरकार फाइव स्टार होटल, लखनऊ मे उनकी खुशामद करती हैं और समाजवादियों के सामने स्वदेशी जागरण की बात करते हैं। किसान को बर्बाद कर दिया। किसानों को सस्ता आलू 20 से लेकर 30 रुपया किलो बेचा गया। आज किसान की पैदावार इतनी बढ़ी। वह इस सरकार की मेहरबानी से नहीं बढ़ी, और न ही इस सरकार की मदद से किसान ने मेहनत की और कुछ प्रकृति ने साथ दे दिया जिसकी वजह से आलू बहुत पैदा हो गया। आज आलू सड़ रहा है, कोल्ड स्टोरेज में रखने की जगह नहीं है...*(व्यवधान)* इनको क्या तकलीफ होगी। बढ़िया कपड़े, पोशाक पहने हुए हैं। इनको किसान से मतलब नहीं है। हमने भी सोचा, इस साल काफी आलू बो दिया।

आलू अधिक पैदा हो गया। हमारा आलू तो शायद कुछ कोल्ड स्टोरेज वाले चापलूसी में भी रख लेंगे, मैं चापलूसी में रखने के लिए कोई जोर नहीं दे रहा हूं कि मुलायम सिंह का रखा जायेगा, लेकिन अन्य जो गरीब किसानों की गाड़ियां, बैलगाड़ियां, ट्रालियां, बुग्गी लगी हुई हैं, उनका आलू सड़ रहा है। कोई भी पांच रुपये किलो आलू देने को तैयार नहीं है ? आपने तो यूरिया खाद भी महंगी कर दी, डी. ए. पी. समय पर नहीं दी, बिजली नहीं दी, पानी भी नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी पैदावार बढ़ रही है तो किसान अपनी मेहनत से पैदावार बढ़ा रहा है। किसानों को कुंआ खोदकर डीजल का इंजन लगाया, जमीन खोदकर पानी निकालकर, मेहनत करके पैदावार बढ़ाई है। आपकी मेहरबानी से और न ही आपकी मदद से पैदावार बढ़ी है। चले जाइये, हमने भी पैदावार बढ़ाई, उसमें आपका कोई योगदान है ? हमें भी निजी, इधर–उधर से और बैंक से कर्जा लेकर ट्यूबवैल लगाना पड़ा। आपने पूरा का पूरा किसान बर्बाद कर दिया और देश के कई राज्यों में भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान आत्महत्या करने को विवश हो गए।

प्याज के मामले में आप देखेंगे, हमें कल याद आ गई। वित्त मंत्री जी हमारे मित्र हैं, वे बड़े आंकड़े दे रहे थे। वित्त मंत्री जी, आप अफसर रहे हैं, आई. ए. एस. रहे हैं और हमारे नेता के साथ रहे हैं। उन्हीं की वजह से नेता भी हो गये। जरा कर्पूरी जी का ख्याल करते, आप उनके साथ रहे हैं। केवल आंकड़ों से देश तरक्की नहीं करता। अगर आंकड़ों से देश तरक्की कर जाता तो ये सब तरक्की 40 साल से पहले ही कर लेते। इस देश में आंकड़ें ही चले, आंकड़ों से देश नहीं चलेगा। इस सदन में गलत आंकड़े पेश करके अपनी जिम्मेदारी मत हरो। अगर आंकड़े सही पेश करो तो सही पेश करने के बाद उन पर अमल कीजिए और स्वीकार कीजिए कि महंगाई और मंदी से सबसे अधिक किसान और गरीब बर्बाद हुआ, सबसे ज्यादा किसान हुआ, सबसे ज्यादा गरीब हुआ। किसानों के साथ आपको अनुभव नहीं है। आप किसानों के वोट लेकर लोक सभा में आए। न मालूम कल आपने हिन्दी में क्या भाषण दिया आप तो जब से वित्त मंत्री बने, तब से अंग्रेजी में ही बोले। मैंने लालू प्रसाद जी से कहा कि हम लोगों को हाजीपुर में ले चलो और एक सम्मेलन करो, उसमें कहों कि वित्त मंत्री जी जब आयें तो कहा कि आप जिस भाषा में लोक सभा में बोले हों, उसी में बोलिये, तब हम आपको वोट देंगे, तब आप जमानत भी नहीं बचा पायेंगे...*(व्यवधान)* जैसा वित्त मंत्री जी, अब आप आंकड़े दे रहे हैं। हमारे आंकड़े गलत हो तो पढ़ने–लिखने में आप बहुत होशियार हैं, तो सुधार देना। आदरणीय वित्त मंत्री जी चन्द्रशेखर जी के कार्यकाल में भी वित्त मंत्री रहे, फिर वित्त मंत्री बन गये। अफसोस होता है कि आप उधर से इधर इसलिए नहीं आ सकते हैं कि मुश्किल से किसी तरह से बहुत अच्छा, महत्त्वपूर्ण विभाग मिल गया है। आप विभाग के पीछे ही इधर से उधर चले जाते हैं।

हम लोग तो फक्कड़ हैं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब तक देश की साम्प्रदायिक शक्तियों का विनाश नहीं कर देंगे, तब तक ऐसे ही देश की एकता की रक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे।... *(व्यवधान)* हम आपसे कहना चाहते हैं कि पिछली दिवाली और यह जो दिवाली निकल गई, उतने समय के ही मैं आंकड़े दे रहा हूं क्योंकि ये हमारे असली त्यौहार हैं और उसी के थोड़ा आगे पीछे, आसपास ईद भी थी। कालाबाजारियों की पूरी मौज है। मुनाफाखोरों के लिए इससे अच्छी सरकार तो आज तक नहीं आयी। गरीब आदमी क्या खायें और कैसे जिंदा रहे। इस सरकार को फिक्र नहीं है। मूंगफली के तेल की महंगाई में 62 फीसदी वृद्धि हुई और तिल के तेल में 66 फीसदी वृद्धि हुई, जो त्यौहार पर खाया जाता है और बिनौले की महंगाई 59 परसेंट है, इतनी महंगाई हुई। लेकिन पशुधन का काम करने वाला गरीब किसान, खेतिहर गाय–भैंस चराने वाले के घी की कीमत केवल 13 फीसदी बढ़ी। पूरे के पूरे देश के किसान, गरीब मजदूर को बर्बाद करने वाली इस सरकार ने पूरे का पूरा चौपट कर दिया। जो पशुधन सबसे ज्यादा गरीब का है उसकी कीमत में 13 फीसदी वृद्धि हुई। बाकी की 66, 70 और 72 परसेंट तक बढ़ी। वनस्पति की कीमत 90 रुपये किलो से बढ़कर 150 रुपये किलो हो गयी। आलू पांच रुपये से 15 रुपये किलो, टमाटर 6 रुपये से 35 रुपये किलो हो गया...*(व्यवधान)* मैं पिछली दिवाली के और ईद के आंकड़े दे रहा हूं सब्जियों के दाम अलग–अलग नगरों में 90 से लेकर 140 फीसदी तक बढ़े हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

बैंगन चार रुपए किलो से 12 रुपए किलो तक हो गया। किसानों से 2 रुपये प्रति किलो खरीदा हुआ प्याज का दाम कुछ राज्यों 125 रुपये प्रति किलो तक पहुंचा। आगरा में तो एक सप्ताह तक 122 रुपए किलो प्याज बिका।

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : अब क्या भाव है ?

श्री मुलायम सिंह यादव : इनको मंत्री बना दो तो ये कम बोलेंगे। लेकिन नोएडा में जमीन पर कब्जा करना बंद कर दें।

श्री अशोक प्रधान : यह तो आपके शासन में आपके आदमियों के द्वारा हुआ था।

श्री मुलायम सिंह यादव : मेरे पास आपके बारे में कई शिकायतें हैं, लेकिन हम इसलिए सवाल नहीं उठाते कि ये हमारे साथी हैं, लोक सभा में हमारे साथ सदस्य हैं।

श्री अशोक प्रधान : आपके आदमियों ने किया है, डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव : मेरा यही सुझाव है कि अब कब्जा मत करना, कर लिया है तो छोड़ देना।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था कि सब्जियों आदि के जो मूल्य बढ़े हैं, यह इस सरकार की उपलब्धि है। क्योंकि इस सरकार ने न तो समय रहते प्याज का निर्यात रोका और न ही जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही की इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि इस सरकार का विदाई समारोह हो जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी....*(व्यवधान)* हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, कल ही करा देंगे। अभी रात पड़ी है, आपने जो कुछ किया है, हमें मालूम है।

चैम्बर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा कराए गए सर्वेक्षण से पता चला कि इस समय देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। और आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आयी। यह बात हम नहीं कर रहे, सब कह रहे हैं कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, चौपट हो गई है। कुछ उद्योगपतियों को छोड़कर, जिनकी आप मदद कर रहे हैं, छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग बर्बाद हो रहे हैं। सिर्फ कुछ उद्योग पनप रहे हैं, जिनकी आप मदद कर रहे हैं। अब, मैं बताना चाहता हूं कि यह सरकार जमाखारों, मुनाफाखोरों और कालाबाजारी करने वालों की संरक्षक है। इस महंगाई के चलते, थोड़े ही दिनों में साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए का मुनाफा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के समर्थकों ने कमा लिया है। यह हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है और आप इसे उपलब्धि बता रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस सरकार को विदा करने में लगे हुए हैं।

जहां तक विदेश नीति की बात है, विदेश नीति का मतलब होता है कि दुनिया में जितने देश हैं, वे हमारे मित्र बनें। अगर हमारे मित्र देशों की संख्या ज्यादा होगी तो इसका अर्थ है हमारी विदेश नीति और कूटनीति सफल है। अभी सोमनाथ दादा ने भी कहा और ठीक कहा कि आपने गरीब का अपमान किया, किसान का अपमान किया।

आपने लोक सभा में प्रसार भारती बिल पास कराया। हमारी बहन सुषमा जी तब मंत्री थी। वे लालू जी से मिली थीं, मुझसे से भी मिली थी कि इसको पास कराना चाहिए, नहीं तो बैकवर्ड क्लास के लोग कभी आगे नहीं आएंगे इसलिए उनकी मदद करने के लिए इसे पास कराओ। वे इसमें सफल हुई और हमने उसको पास करवा दिया। हमने मदद की और अब अनको अलग बिठा दिया। हमें गाली–गलौज भी मिली कि लालू जी, मुलायम सिंह जी क्या कर बैठे। हमने कहा कि सुषमा जी हमारी पुरानी साथी है, इसलिए साथी तो हैं ही, इनकी बात हमने मान ली थी। हम लोग मान लेते हैं। हम इंसान पहले हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अब भी मान लीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : अब तो उनको माननी पड़ेगी। अगर इनको मंत्री बना देंगे तो ठीक है वरना अपमान का घूंट पी रही हैं। इसलिए पोखरण का जो भी परीक्षण हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, उसमें वैज्ञानिकों का अपमान करने की पूरी कोशिश की गई। ऐसा प्रचारित किया गया कि यह सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप पता लगाइए कि क्या आपकी विदेश नीति सफल है ? क्या आपके दोस्त बढ़े हैं या घटें हैं ? अगर घटे हैं तो आपकी विदेश नीति, कूटनीति असफल है और सबसे बड़ा अपमान वैज्ञानिकों का हुआ है। यह प्रचारित करने की आपने पुरजोर क़ोशिश की कि एटम बम भाजपा ने बनाकर दे दिया। हमने ऐसा कभी नहीं किया। हमने कहा था कि हम लोगों ने इस हेतु पैसा खूब दिया। गुजराल साहब को खूब परेशान किया और उनके पीछे पड़े रहे कि और रुपया दो, और रुपया दो। दस साल में इतना रुपया नहीं दिया गया जितना गुजराल साहब और चिम्बरम साहब ने दे दिया। हमने वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाकर एक उपलब्धि की। उस उपलब्धि को आपने भुनाने की राजनैतिक कोशिश की और सबसे ज्यादा आपने वैज्ञानिकों का अपमान किया है। अब जैसा सुना है, सी.टी.बी.टी. पर आपने दस्तखत कर रहे हैं। अगर सी.टी.बी.टी. पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं तो अमरीका के पीछे–पीछे क्यों घूम रहे हैं। जहां जसवंत सिंह जी जैसे विदेश मंत्री को किसके पीछे–पीछे घूमते देखा गया ? एक डिप्टी विदेश मंत्री के पीछे–पीछे, जो एक वरिष्ठ अधिकारी के बराबर है और कहां आप भारत के विदेश मंत्री हैं। इस देश के सम्मान को बेच दिया। इस देश का अपमान किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस सरकार की विदाई हो जाए। केवल एक निशाना लगना चाहिए, वन वर्क एट ए टाइम। यह काम करना चाहिए था। आप विभाग बांटने में लगे हैं कि कौन एग्रीकल्चर लेगा, कौन होम मिनिस्ट्री लेगा।... *(व्यवधान)* लालू जी, मुलायम सिंह का कुछ नहीं है, हम तो इनकी विदाई चाहते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप लोग चाहे जितने मरवा दो, चाहे जितनी हत्याएं करवा दो, जेल में भिजवा दो, चाहे जितने हमारे कार्यकर्त्ताओं के घर गिरवा दो। चाहे भदोई में हमारे इकबाल बहादुर सिंह जी, ठाकुर साहब के घर गिरवा दो। चुनाव होने पर पता चल जाएगा। गुंडा दूसरा था, मारने वाला दूसरा है। बी. जे. पी. के व्यक्ति के डंडा लग जाए तो हमारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं के मकान डिमोलिश। समाजवादी पार्टी के विधायक किराये पर रहते हैं तो इनका मकान झांसी में डिमोलिश

[श्री मुलायम सिंह यादव]

करवा दिया गया। इसी तरह से दीपक यादव, मध्य प्रदेश के उम्मीदवार को 28000 वोट मिले थे, सब लोग जानते हैं, उनका बीस लाख की कीमत का मकान डिमोलिश करवा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक मामूली सी सोसायटी के चुनाव में मारपीट हो गई। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता के ज्यादा चोट आ गई और हमारे कार्यकर्त्ता के कम चोट आई। समाजवादी पार्टी के एम॰ एल॰ ए॰ का मकान पूरा डिमोलिश करवा दिया गया। ठाकुर इकबाल बहादुर सिंह जी के मकान का पूरा सामान पुलिस के लोग ले गये।

राजवीर सिंह : भारत सरकार कोई थोड़ी करा रही हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव : भारत सरकार ही करा रही है... *(व्यवधान)* इसलिए हम कहते हैं कि आपकी विदेश नीति, कूटनीति असफल हो गई। देश का सम्मान गिरा और नतीजा यह निकला।

आपने दुनिया में जिस तरह से प्रचार किया, उससे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बराबर की स्थिति में खड़े हो गए हैं। हमारा सौ करोड़ का देश है और पाकिस्तान 13–14 करोड़ का देश है। आपने 1500 किलोमीटर की एक मिसाइल तैयार की और उसने 2000–3000 की तैयार की। अब आप कह रहे हैं कि चीन मदद कर रहा है। अधिकारी स्तर पर या सरकारी स्तर पर जो संयुक्त मीटिंग होती थी, उस बैठक का क्या हुआ ? आपने बैठक की ? आप कहेंगे कि चीन नम्बर एक दुश्मन है। आप कहते हैं कि सारी की सारी मिसाइल या परमाणुशक्ति जो पाकिस्तान के पास है, उसमें चीन मदद कर रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? आपने पाकिस्तान को हिन्दुस्तान के बराबर खड़ा कर दिया। प्रधामंत्री जी पाकिस्तान गए। आप पाकिस्तानी टी॰ वी॰ सुनते होंगे, हमारा एक कुटीर उद्योग है, जिसमें बैल आंख मूंद लेता है। हो सकता है, बीजेपी के लोगों ने उसी तरह आंख मूंद ली। वहां के प्रधान मंत्री ने क्या कहा–परमाणु शक्ति वाला देश पाकिस्तान बन गया है, इसलिए सौ करोड़ के देश का प्रधानमंत्री हमारी जमीन पर आ गया है। क्या यह बात कहने के लिए पाकिस्तान की हिम्मत थी ? मेरे विचार से नहीं थी। कई बार ऐसे मौके आए, लेकिन हिम्मत नहीं थी। अब 13–14 करोड़ का वह देश हिन्दुस्तान को धमका रहा है और आप कह रहे हैं कि चीन मदद कर रहा है। चीन मदद कर रहा है तो कूटनीति यही है कि चीन हमारे हाथ से न निकले। हमने कहा कि आप पाकिस्तान की मदद कर दो। पाकिस्तान की मदद करने की बात इसलिए कही कि भारत की सभ्यता और संस्कृति ऐसी है। भारत की संस्कृति और सभ्यता कमजोर की मदद करना है। हम जानते हैं कि हम गरीबों के बीच में रहते हैं। यहां भी भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है और महंगाई से परेशानी है, लेकिन भारत से ज्यादा पाकिस्तान में परेशानी में है। यही बात सोचकर हमने बम्बई में कहा था कि पाकिस्तान की मदद करो। उस सभा में हम और लालू प्रसाद जी दोनों थे। मदद करने के लिए इसलिए भी कहा था कि पाकिस्तान और चीन, अमरीका के हाथ में न चले जायें। आपने मेरा पूरा भाषण नहीं सुना। अगर आप उसको स्वीकार कर लेते, तो दोनों देशों के बीच में विश्वास पैदा होता। आप जो महासंघ की बात कहते हैं, दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान और बंगलादेश की सोवरेनिटी खत्म नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि नेपाल, भूटान से लेकर श्रीलंका और चीन जो भी देश है, उन देशों से हमारी दोस्ती हो जाए और एक ढीलाढाला महासंघ बन जाए, आना–जाना शुरू हो, पासपोर्ट न रहे तथा व्यापार व बाजार सब आरम्भ हो जाए। इसलिए हमने मदद करने के लिए कहा था। लेकिन हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि पाकिस्तानी एजेंट है, मुस्लिमपरस्त है। अब दूसरे गोडसे पैदा होने की जरूरत है। शिवसेना के सबसे बड़े नेता बोले। शिवसेना के नेता को पता नहीं, हम जिन आदर्शों पर चले हैं, यदि गोडसे पैदा हो जायेंगे, अगर तो हम जैसे लोगों को देश के लिए परवाह नहीं है। जो जीवन की परवाह करता है, वह देश की सच्ची सेवा नहीं कर सकता है। मेरे मित्र जोशी जी सियाचीन गए, तो पसीना निकल आया।...*(व्यवधान)* हम बहुत बातें जानते हैं, मांफी मांगने वालों की। चुप बैठे रहिए, नहीं तो पोल खोल देंगे। आप हमें छोड़ेंगे नहीं। आप गोडसे पैदा करेंगे। अगर आप गोडसे पैदा करेंगे, तो हम महात्मा गांधी पैदा करेंगे, इस देश के अन्दर।

अगर चार एम॰ पी॰ चौटाला के मिल गए तो क्यों बवाल कर रहे हो।...*(व्यवधान)* यह तो घुटने टेक सरकार है। इन्होंने पहले जयललिता जी और ममता जी के आगे घुटने टेके, चौटाला जी के आगे घुटने टेके और बाल ठाकरे के सामने फिर दोबारा घुटने टेक दिए...*(व्यवधान)* ये घुटने टेक हैं, इनका नाम घुटने टेक रखो, इसका अर्थ समझ लें। समता पार्टी से लगातार ही घुटने टेकते रहे हैं। ....*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह : आप भी कांग्रेस के आगे घुटने टेकते रहे।. ..*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : कभी नहीं, मैं इनके कहने से आपके खिलाफ नहीं हूं, आपको गलतफहमी है। हम कांग्रेस के कहने पर नहीं हैं, आपसे देश को खतरा पैदा हो गया है। इसलिए वे आपके खिलाफ हैं।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : हम लोग धनिया, मसाला बेच कर नहीं आए हैं...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह : हम धारा बेच कर नहीं आए हैं, गेहूं बेच कर आए हैं...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आप क्यों पोल खुलवा रहे हैं। यह खबर सही है, कि लेकिन रातोंरात घटने इनके आगे भी टेके जाते थे। अभी हमने कोशिश की है कि घुटने मत टेको, सीधे खड़े हो।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप इनसे बात करते रहेंगे तो आपका टाइम निकल जाएगा।

श्री मुलायम सिंह यादव : ठीक है। अकेले स्वामी जी ने कमाल कर दिया। राजनीति की उम्र बड़ी है, कौन डूबूगा और कौन पार निकलेगा, यह पता चल जाएगा। आप क्यों इतने परेशान हो रहे

हो ?...*(व्यवधान)* आप अभी तक बहुमत नहीं कर पाए हो, इतने घमंड में क्यों चूर हो रहे हो ? आपने बहुमत हेतु चौटाला जी ने समर्थन किया है। अगर सरकार बचेगी तो चौटाला जी पार्टी के सभी चारों को मिनिस्टर बनाओगे और अगर नहीं बची तो ?...*(व्यवधान)* आप क्यों घमंड में चूर हो रहे हो, अभी बहुमत नहीं है। कल 12 बजे विदा हो जाओगे।. ..*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : कल विदाई समारोह हो जाएगा।

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, हम नहीं चाहते कि रक्षा के बारे में कोई सार्वजनिक बहस हो।...*(व्यवधान)* अगर कोई माननीय नेता बोले कि मुलायम सिंह जी ऐसे कह रहे थे, हां हम खुलकर कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि रक्षा के मामले में सार्वजनिक बहस मत छेड़ो। मैंने पहले ही दिन कहा था और आज भी कह रहा हूं कि हमारी जो सामरिक रणनीति होती है, उसका कभी भी प्रचार नहीं किया जाता है। गांव का मामूली अपनढ़ आदमी, पहलवान जानता है, आपका दांव अगर प्रतिद्वन्द्वी जान गया तो फिर दांव नहीं चल पाएगा। वीरेन्द्र सिंह जी अच्छी तरह जानते हैं और हम भी जानते हैं। आपने हमारी सामरिक रणनीति को पूरी दुनिया में उजागर कर दिया। हमारे गृह मंत्री जी ने काश्मीर में जाकर कह दिया कि हम परमाणु शक्ति वाले देश बन गए, पाकिस्तान बाज आ जाए।...*(व्यवधान)* अब 13–14 करोड़ का देश सीना तान कर खड़ा है।

हम समाजवादी लोग बहुत दिनों से कहते रहे कि पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते हों, विश्व में शांति हो, गुट–निरपेक्ष नीति चले और आज उसे फिर दोहराना चाहते हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी जब 1935–36 में लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष बने तो उन्होंने डॉ. राम मनोहर लोहिया को विदेश सचिव बनाया। उन्होंने विदेश नीति के लिए कुछ मुद्दे आधार बनाए और जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी विश्व शांति, लोकतांत्रिक व्यवस्था, मानवाधिकार, गैर–बराबरी के खिलाफ संघर्ष, गुटनिरपेक्ष नीति, पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते और उनसे बातचीत जारी रखना विदेश नीति का आधार बनाया। इसी कारण हमारे ऊपर गरीब देशों को विश्वास हुआ था और उनमें से बहुतों को इसी आधार पर आजादी भी मिली। आपने एक मिनट में उस नीति को बर्बाद कर दिया। अब आप उस नीति से हट गये और जो हमारे बहुत सारे मित्र थे वे नाराज हो गये। आपने पाकिस्तान, चीन और अमरीका को एक कर दिया और इसी की मुझे शंका थी। इसलिए मैं कहता हूं कि सुरक्षा के मामले को सार्वजनिक रूप से हम आज भी नहीं उठाना चाहते हैं। लेकिन आपने शुरूआत कर दी। अगर हमारे बयान के बाद प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी हमारी बात मान जाते और संयम बरत जाते तो दो–तीन दिन सदन का बर्बाद न होता लेकिन शुरूआत आपने की। अब भी हम कह रहे हैं पूरे सदन से कह रहे हैं कि यह कोई नयी बात नहीं है। नौकरशाह जानते हैं, वे हमेशा अपनी सर्वोच्चता चाहते हैं। यह आज से नहीं, शुरू से लगातार चल रहा है। हम भी जब दो बार मुख्यमंत्री रहे तो हमारे यहां भी आई. पी. एस., आई. ए. एस. की सर्वोच्चता के नाम पर मतभेद हो जाते थे। कहीं पर सेना के बड़े अधिकारियों में या नौकरशाह जो बैठे हुए हैं उनमें सर्वोच्चता या उच्च सम्मान के लिए टकराव रहता है लेकिन सरकार या कोई मंत्री अगर परिपक्वता, विवेक और बुद्धिमानी से इनका समाधान कर लेता है तो वह योग्य मंत्री होता है। इसमें आप अराफल हुए हैं। हमारे सामने भी ऐसे कई बड़े मसले आये थे, रक्षा मंत्री जानते हैं। हमने दोनों पार्टियों को बैठाकर, समस्या का उचित निराकरण कर उन्हें खुश करके भेजा। कभी भी किसी भी प्रकार का टकराव नहीं आने दिया। बड़े–बड़े अखबारों ने छापा लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा और सारे के सारे नौकरशाहों और हमारे सेनापतियों के बीच अच्छे रिश्ते रहे। इसमें आप नाकामयाब हुए हैं। इसकी वजह से दिक्कतें आ गयी हैं। इस बारे में जो सवाल–जवाब चल रहे हैं उन्हें हम पसंद नहीं करते हैं चाहे कोई पसंद करता हो। जो लोग समझते हैं कि मुलायम सिंह के अंदर कमजोरी है उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि इस मामले पर जे.पी.सी. नहीं बननी चाहिए। आज भी हम कह रहे हैं कि जे. पी. सी. नहीं बननी चाहिए, रक्षा मंत्रालय में बातचीत होनी चाहिए। जो लोग समझते हैं कि मुलायम सिंह के अंदर कमजोरी है वे जरा सोच–समझकर बोलें। हम सिद्धांतों से बंधे हुए हैं। इनको हटाने के लिए हम सब काम करेंगे। जो यह कहता है कि मुलायम सिंह डरते हैं तो वे जरा सोच–समझकर बोलें, नहीं तो हम उनकी पोल खोल देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, 45 मिनट से ऊपर हो गया।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष जी, प्रभुनाथ सिंह जी को आपने साढ़े तीन घंटे का समय दिया।...*(व्यवधान)* अगर इन्होंने उसी समय कह दिया होता तो बात दो मिनट में खत्म हो जाती। माननीय प्रधानमंत्री खड़े हो जाते और सारा सदन बैठ जाता। वह कह देते कि हमारे सदस्य ने नाम लेकर गलती की है, उनके इस कथन से ऐसे में हम सब बैठ जाते। परन्तु प्रधानमंत्री जी बैठे ही रहे। वह बेचारे लाचार हैं, परेशान हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वह कमजोर प्रधानमंत्री हैं। उन्हें कमजोर कर दिया है।

एक माननीय सदस्य : वह बहुत मजबूत हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : यह बात आडवाणी जी से पूछो। वह और हम खुश होंगे जब यह सरकार चली जाएगी। हमारे गृह मंत्री जी का कभी न कभी नम्बर लग जाएगा। मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं कि अगर इस सरकार की विदाई हो जाएगी तो हम और आडवाणी जी सबसे ज्यादा खुश होंगे। मैं भी इस बात को कहना चाहता हूं कि हमें अटल जी की विद्वता और योग्यता पर कोई शक नहीं है। आडवाणी जी को शक हो सकता है। वह अभी खड़े होकर कहेंगे कि मैं अटल जी और उनके बीच मतभेद कराना चाहता हूं। क्या उनके बीच मतभेद नहीं हैं ? क्या मुझे इतना भी पता नहीं है ? उनके बीच गंभीर मतभेद है।. ..*(व्यवधान)* किसी ने कोई परिपक्वता नहीं दिखाई चाहे मंत्रिमंडल हो या कोई समिति हो या रक्षा समिति हो या चाहे रक्षा मंत्री हो और चाहे प्रधानमंत्री जी हों। अगर उन्होंने विवेक से काम लिया होता तो सार्वजनिक रूप से इस तरह की बयानबाजी नहीं होती। हम इसे पसन्द नहीं करते हैं और आपके बयानों को भी पसन्द नहीं करते हैं। सेना के उच्च अधिकारी टेलिविजन पर बोल रहे थे और धड़ाधड़ फाइलें दे रहे

[श्री मुलायम सिंह यादव]

थे तो हम उसे भी पसन्द नहीं कर रहे थे। यह देश की परम्परा हो गई। हम लोग नौकरशाहों के बीच लड़ते रहे और आप उनकी मदद करते रहे। अगर कल आप प्रधानमंत्री बन गए और आपके कैबिनेट सैक्रेट्री अलग हो गया तो वह कुछ इस बारे में बताएगा तो पता चलेगा कि आपकी क्या नीति है ? अगर कल मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव बोलना शुरू हो जाए तो क्या होगा ? ऐसे में आप कहते हैं कि मुलायम सिंह कमजोर है, जे. पी. सी. के बनने से मेरे खिलाफ जांच हो जाएगी। मुलायम सिंह को इससे डर लगता है। मुलायम सिंह को कभी आपसे डर नहीं लगा, न जाने कितने लोगों से हम लड़ चुके हैं। मैं सच्चाई बोल रहा हूं और दिल से बोल रहा हूं। आपकी तो दस साल से लड़ाई हुई। हम तो 1954 से लड़ रहे हैं। आज हम आप सबको हटाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। यह बात आपके कहने से नहीं होगी। हमारी सैद्धांतिक लड़ाई है। आपने जिस तरह मस्जिद गिरा कर पूरी दुनिया में भारत की छवि को गिराया है, जिन मुस्लिम देशों ने कभी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था, वे मुस्लिम देश आज पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति रखते हैं। आप मुलायम सिंह को मुल्ला, मौलाना और न जाने क्या-क्या कहते रहे हैं। आप हमको गाली देने से नहीं चूके।...*(व्यवधान)* हम मुसलमानों के इंसाफ की बात करते हैं। हमने मुसलमानों की पी. ए. सी., पुलिस और सुरक्षा बल में भर्ती की। जब आपकी सरकार आ जाती है तो मुसलमानों का सीना पतला हो जाता है और हमारी सरकार आ जाती है तो उनका सीना चौड़ा हो जाता है और उनकी पी. ए. सी., पुलिस और सुरक्षा बलों में भर्ती हो जाती है।

श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी : आपने पी. ए. सी. में कितने मुसलमानो की भर्ती की थी, यह बता दीजिए ?

श्री मुलायम सिंह यादव : यह बात अपने मुख्यमंत्री से पूछिए।...*(व्यवधान)* हम उस मुख्यमंत्री की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम अपनी बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री की चर्चा करने वाले हमारे तमाम साथी बैठे हैं। वे सब जानते हैं कि क्या-क्या हो रहा है ? आप क्यों उस बेचारे मुख्यमंत्री की चर्चा कराना चाहते हैं ? अगर आप उनकी चर्चा शुरू कर देंगे तो हम भी कर देंगे। हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते। उनकी जहां चर्चा होनी है, होती रहेगी।

रक्षा के मामले में सार्वजनिक रूप से जो चर्चा की जा रही है, मैं उसे पसन्द नहीं करता चाहते रक्षा मंत्री करें, चाहे प्रधानमंत्री करें, चाहे कोई अफसर करे। हम उसे नहीं चाहते। हम अब भी यह चाहते हैं कि बैठ कर रास्ता निकाला जाए जिससे रक्षा संबंधी मामलों में राजनीतिकरण न हो। यह काम आप खुद कर रहे हैं और वह अच्छी तरह हो गया।

आपने क्या-क्या राजनीतिकरण नहीं किया ? सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया, जितनी संस्थायें थी, उनको चौपट कर दिया। आपने छोटी-छोटी समितियों से लेकर, पंचायतों से लेकर विश्वविद्यालयों में और राज्यपाल तक सब जगह आर. एस. एस. के लोगों का अड्डा बना दिया। वाइस चांसलर, प्रोफैसर के लिये आर. एस. एस. के लोगों की छांट-छांटकर नियुक्यिां की जा रही हैं। चुन-चुनकर समूह 'ग' में आर. एस. एस. के लोग भरे जा रहे हैं। अकेले उ. प्र. में समूह 'ग' के 70-80 हजार कर्मचारियों की भर्ती की गई जिसमें 30 से 35 हजार लोग आर. एस. एस. के भर्ती किये गये हैं...*(व्यवधान)* उसमें 20 से 30 फीसदी तक आर. एस. एस. के हार्डकोर लोग भरे गये हैं और नागपुर के ईशारे पर और भर्ती कर दी गई। इसलिये समाजवादी पार्टी चाहती थी कि इनकी सरकार मत बनने दो। यद्यपि भाजपा को जनादेश नहीं मिलता था। फिर भी हमारे कुछ साथियों ने भाजपा की सरकार देश पर थोप दी। आपको सिर्फ 25 प्रतिशत वोट मिले थे, आपको जनमत नहीं मिला था। भाजपा पार्टी एक बड़े दल के रूप में जीतकर अवश्य आई थी परन्तु हमारी पक्की राय थी कि यदि बी. जे. पी. की सरकार बन गई तो ये देश को तबाह कर देंगे और भाजपा देश को तबाह कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष जी, हम अपनी पार्टी की तरफ से अकेले बोलेंगे। अभी जार्ज साहब डेढ़ घंटा बोलेंगे। साढ़े तीन घंटे श्री प्रभु नाथ सिंह बोले हैं। हम यह अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि भाजपा सरकार ने नौजवान छात्र, करीब किसान, मजदूर को चौपट कर दिया और पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। इस सरकार ने साम्प्रदायिक शक्तियों, फिरकापरस्त ताकतों को मजबूत किया। इसलिये तो हम चाहते थे कि बी. जे. पी. बड़ी पार्टी होते हुये भी इनकी सरकार न बने। उपाध्यक्ष जी, आपके मित्र कहते थे कि मुलायम सिंह को बहुत जल्दी है। अगर जल्दी हो गई होती तो इस देश का कल्याण हो जाता और देश नुकसान से बच जाता। भाजपा से संबंधित संगठनों और समर्थकों ने घेर-घेरकर ईसाईयों को मारा, मुसलमानों के कब्रिस्तान पर कब्जा किया और खलीलाबाद में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी अब कोई अपराधी दंडित नहीं हुआ...*(व्यवधान)* आज शुक्रवार है, अगर वहां नमाज नहीं पढ़ने दी गई होगी...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आपकी पार्टी के लिये 28 मिनट हैं लेकिन आपने बोलते हुये 50 मिनट ले लिये हैं। इसलिये आप समाप्त कीजिये। अभी 32 आदमी और हैं जिनको बोलना है, वे कैसे खत्म करेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष जी, मैं 5-10 मिनट में खत्म कर दूंगा। अब ये कह रहे हैं कि माफिया अपराधियों को...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : उपाध्यक्ष जी, मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप किस नियम के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : उपाध्यक्ष जी, मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर यह

है कि यहां आज केन्द्र सरकार के विश्वास मत पर चर्चा की जा रही है, उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं। यदि उत्तर प्रदेश के बारे में बोला जायेगा तो उसका जवाब यहां कौन देगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह अफसोस की बात है कि माननीय गृह मंत्री जी आपकी सरकार माफिया और अपराधियों तथा कातिलों को पूरी-पूरी मदद कर रही है और उन लोगो को बचा रहे हैं। अगर आप तथ्य मांगे और उन तथ्यों पर अमल करेंगे तो मैं आपको तथ्य दे सकता हूं। हमने इस बारे में चिट्ठी लिखी थी, उसका जवाब तक नहीं दिया गया। हमारी चिट्ठी भले कैसी भी थी, उस पत्र का उत्तर नहीं मिला। अगर उत्तर मिलता तो मैं आपको शायद तथ्य देने का प्रयास करता। हालांकि हम जानते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी ने इस तरह की लापरवाही बरती लेकिन मुझे विश्वास है कि आपकी नीयत शायद ऐसी नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो आप पर उंगली उठेगी। इसलिए हम लोग माफिया और कत्लेआम करने वाले से डरने वाले नहीं हैं। माफिया से चुनाव लड़ने में मुझे कोई डर नहीं।

मुझे स्वयं की हत्या का डर नहीं है पर मेरी हत्या हो जाएगी तो गरीबों की हत्या होगी, गरीब लोगों की आवाज कमजोर हो जाएगी। इसलिए मैं जान-बूझकर दिल से बोल रहा हूं, गुस्से से नहीं बोल रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। आज सी.बी.आई. के कुछ लोग अपराधियों, हत्यारों एवं माफिया लोगों की मदद कर रहे हैं तथा उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। और निर्दोष लालू जी को जेल भेज रहे हैं, मैं सदन में चुनौती देता हूं कि कोई डॉक्यूमेंट्स प्रमाणित करके बता दो कि लालू जी सीधा आरोप कौन-सा है। एक महिला राबड़ी देवी मुख्य मंत्री बनी तो सी.बी.आई. ने 11 घंटे उनको घर में बंद कर दिया ? संविधान द्वारा चुनी हुई मुख्य मंत्री महिला को सी.बी.आई. ने 11 घंटे घर में बंद रखा। लेकिन सी.बी.आई. के कुछ लोग माफिया के गुण्डों और कातिलों की मदद कर रहे हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा अपराध का अड्डा दिल्ली है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के देख-रेख की जिम्मेदारी गृह मंत्री जी की है। दुनिया के आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा अपराधी दिल्ली में हैं, सबसे ज्यादा अपराध दिल्ली में हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस सरकार की विदाई हो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अगले वक्ता बोलें।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : हम दस मिनट में समाप्त करेंगे।

हमारी भारतीय भाषाओं को सरकार ने बर्बाद कर दिया। पूरी भारतीय भाषाओं की उपेक्षा ही नहीं की बल्कि उनका अपमान किया है। हम चाहते हैं कि तेलुगू चले, तमिल चले, मलयालम चले, कन्नड़ चले, बंगला चले, स्वामी जी हमारे मित्र दक्षिण के हैं, हम चाहते हैं कि तमिल चले लेकिन यहां विदेशी भाषा अंग्रेजी चलती है। लगता है कि यह अंग्रेजों की लोक सभा है। आप जिस तरह टी. वी. पर विज्ञापन दे रहे हैं उससे आपने यह साबित कर दिया है। हम जोशी जी की तारीफ करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारतीय भाषाओं का शुभचिन्तक अगर कोई बचा है तो अकेले जोशी जी हैं और थोड़ा वीरेन्द्र सिंह जी हैं। बाकी सारे लोगों ने अंग्रेजों की लोक सभा बना दी चाहे इधर के हमारे कांग्रेसी मित्र हों या सत्ता पक्ष के लोग हों।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : जार्ज साहब भी अंग्रेजी बोलते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : जार्ज साहब तो समाजवादी हैं, वह तो हिन्दी बोलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप समाप्त कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : टी.वी. में इस तरह के विज्ञापन निकले कि अगर न्यूज हम लोग सुनते हैं तो सच्चाई है कि हमें अपने लड़के-लड़कियों के साथ न्यूज सुनने में शर्म आती है, इतने गंदे व अश्लील विज्ञापन दिखाये जाते हैं। ये टी. वी. के माध्यम से विदेशी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करते हैं और बात करते हैं स्वदेशी जागरण मंच की। परिवार के सभी लोग साथ-साथ खबरें सुनें तो शर्म आती है इस तरह के विज्ञापन बीच-बीच में दिखाये जाते हैं। आपने भारतीय भाषाओं की अपेक्षा की और अंग्रेजी को बढ़ावा दिया गया।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी एक घंटा हो गया है।

श्री मुलायम सिंह यादव : आपने दस मिनट का वचन दिया है, चार मिनट हो गए हैं, छः मिनट बाकी हैं। छः मिनट में अपनी बात बंद करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : एक घंटे से ज्यादा समय हो गया है।

श्री मुलायम सिंह यादव : जब वी. पी. सिंह की सरकार थी तो माननीय अटल जी राष्ट्रपति जी के पास गए और वी.पी. सिंह जी से समर्थन विदड्रॉ कर लिया तथा उन्हें बर्खास्त करने की मांग की मगर अब आपने उन्हीं परिस्थितियों में इस्तीफा नहीं दिया। आपको भी इस्तीफा देना चाहिए था। मैं दिल से कह रहा हूं। आप नैतिकता के पक्षधर हैं आप योग्य प्रधानमंत्री हो सकते थे। आपकी योग्यता विद्वता व क्षमता पर मुझे कोई शंका न थी न हैं। हम आपको योग्य और विद्वान मानते हैं लेकिन आप लाचार हैं, कमजोर हैं और असहाय हैं आर. एस. एस. के लोगों की वजह से और आडवाणी जी की वजह से। आप इनसे अपना पिंड छुड़ाइए, आप देश के बड़े नेता बन सकते हैं। लेकिन जब तक आर. एस. एस. के लोग आपको मुखौटा कहेंगे, तब तक आप सही ढंग से काम नहीं कर सकते। आपकी विद्वता पर मैंने कभी अंगुली नहीं उठाई है। इन्होंने उठाई है, तब मैंने कहा कमजोर और लाचार प्रधानमंत्री। जब आपने जिन स्थितियों में वी. पी. सिंह से इस्तीफा मांगा था तब आपको भी इस्तीफा देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक साल के अंदर संविधान विरोधी काम किया

[श्री मुलायम सिंह यादव]

तथा लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तहस–नहस किया। राज्यपाल महोदय की सिफारिश पर जब इन्होंने बिहार में धारा 356 लगाई संसद में दोनों सदनों में प्रस्ताव पास नहीं करा सके, और राष्ट्रपति जी ने बिहार की सरकार को बहाल कर दिया तो उसी दिन इनको इस्तीफा देना चाहिए था। आप नैतिकता कायम करते तो देश में लोकतंत्रीय परंपरा का निर्वाह होता।

आप पाकिस्तान गये मुझे खुशी हुई, लेकिन सब का सब आडवाणी जी ने चौपट कर दिया, पूरा का पूरा चौपट कर दिया, अखंड भारत की घोषणा करके हम कहते थे महासंघ बने तो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भी हुई, पता लगा कि जैसे ही आडवाणी जी ने कहा कि अखंड भारत महासंघ, वहां प्रतिक्रिया शुरू हो गई और आपकी यात्रा को चौपट कर दिया। हम आपसे मतभेद नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हें कि दोस्ती रहे मतभेद न रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : आपने छः मिनट का वायदा किया है, जब आप कहेंगे कि छः मिनट हो गये, मैं समाप्त कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है कि लखनऊ में करीब डेढ़ दर्जन फाइनेंश कंपनीज थी, जो सब रुपया लेकर गायब हो गईं। लखनऊ का नाम विशेष है, जहां से प्रधानमंत्री लोक सभा सदस्य हैं, लेकिन देश में ऐसी घटनाऐं और भी स्थानों पर हुई हैं। और तमाम अब बेचारे लोगों का करोड़ों रुपया गायब हो गया। वे आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार उन्हें लाठियां मार रही है। वित्त मंत्री जी उत्तर प्रदेश में दो दर्जन चीनी मिलें अगले साल बंद हो जायेंगी, उसके बाद गन्ना किसान पूरे बर्बाद हो जायेंगे, वे अब भी बर्बाद हैं। आप बकाया नहीं दे रहे हैं, किसानों का गन्ना का करोड़ों रुपया बकाया है भुगतान पड़ा है। यह किसान विरोधी सरकार है और माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार है...*(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान : आपके जमाने में क्या हुआ...*(व्यवधान)* यहां विश्वास मत की बात हो रही है और यह उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आपने पेटेंट कानून पास कर दिया, बीमा बिल को भी पास करने का आप वायदा कर रहे हैं। 1350 करोड़ रुपये की आप चीनी पाकिस्तान में मंगा रहे हैं। मोहन गुरुस्वामी, जिस पर आरोप हैं, राज्य सभा में माननीय सांसद श्री अमर सिंह ने वित्त मंत्री जी की उपस्थिति में कहा था कि स्टील घोटाला हो रहा है। मोहन गुरुस्वामी आपसे कहा था, आरोप लगाया था और माननीय प्रधान मंत्री जी से मैंने कहा था कि मोहन के आरोप सच निकले कि कुछ खास कंपनियों को लाभ वित्त मंत्रालय की कृपा से पहुंचाया जा रहा है। गरीब पर बकाया हो तो कुर्की और सेठों पर बकाया हो तो ईनाम। गुरुस्वामी का आरोप है। मुश्किल यह भी है कि रक्षा मंत्रालय की दिशा मोड़ दी। पेटन्ट व बीमा बिल क्यों पास कराने में सरकार का जुटना स्वयं ही मजदूर और गरीबों के खिलाफ रुख स्पष्ट करता है।...*(व्यवधान)* मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। इनका वही स्वरूप है, वह पढ़ेंगे तो नहीं, मछली में हल्दी, मिर्च और धनिया लगाकर चाहे जितनी पकाओ, मछली को जितना नहला–धुलाकर साफ करो...*(व्यवधान)* नहलाये, धुलाये क्या, जब मन का मैल न जाए।

श्री लालू प्रसाद : जल से धोकर बास न जाए।

श्री मुलायम सिंह यादव : कहावत है कि मछली से बास नहीं जायेगी। माननीय अटल जी, आर. एस. एस. पीछे लगा है, आर. एस. एस. से पिंड छुड़ाओ और देश की राजनीति में आ जाओ। लेकिन हमें लगता है अटल जी मछली से जैसे बास नहीं निकलती है, वैसे ही आर. एस. एस. में होने की वजह से आपमें से भी आर. एस. एस. की बास नहीं निकलेगी। इन्हें गृह मंत्री जी ने बेकार कर दिया। आपकी पाकिस्तान की यात्रा से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इसलिए हम अपनी बात को समाप्त करते हुए इस विश्वास मत का विरोध करते हैं और हमारी इच्छा है कि अटल जी की सरकार को विदाई दे दी जाए। आडवाणी जी आप सबसे कहते थे कि हमारी मदद करो, मदद करो। हमारी और आपकी दूरी कम हो सकती है यदि आप धारा 370 की बात हमेशा के लिए बंद करो और अयोध्या, मथुरा और काशी की बात बंद करो, टूटी हुई मस्जिद को पुनः बनाओ...*(व्यवधान)* और समान आचार संहिता की बात बंद करो। मुसलमानों, इसाइयों और सिखों सभी अल्पसंख्यकों के बारे में आप अपनी नीयत साफ करो तथा राय बदली तो हमारी और आपकी दूरी कम हो सकती है। बरनाला साहब मैं आपको सावधान करता हूं भारतीय जनता पार्टी तोहड़ा और बादल को लड़ाकर अकाली दल को तोड़ रही है और अकाली दल को कमजोर करके वह पंजाब में अपने पैर पसारना चाहती है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसके आगे कुछ रिकार्ड में नहीं जायेगा।

*(व्यवधान)**...

श्री मुलायम सिंह यादव : इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।...*(व्यवधान)* मैं हिन्दी ठीक से नहीं बोल सकती लेकिन आप लोगों को तो मदद करनी चाहिए।...*(व्यवधान)* मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जो कि विश्वास प्रस्ताव लाये हैं, तृणमूल कांग्रेस की ओर से उसका हार्टली सपोर्ट करती हूं। मैं श्री मुलायम सिंह यादव जी की भी आभारी हूं। श्री मुलायम सिंह जी ने जो बात कही, शुरू में भी कही और अंत में भी कही कि श्री वाजपेयी जी को विदाई लेनी चाहिए। केवल श्री मुलायम सिंह जी ही ने नहीं, सी. पी. एम. ने भी यही एक बात कही। लालू जी और कांग्रेस ने भी यही एक बात कही।...*(व्यवधान)* दुनिया भर एक ही बात नहीं है, आपके अंदर की बात है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया साथ–साथ मत बोलिए।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं आपको साथ–साथ बोलने का बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसका समर्थन कर रही हैं ?

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : आपका शुक्रिया। माननीय मेम्बर की मैं इसके लिए आभारी हूं। दुनिया यही बात कहती है, क्या बात कहती है ? दुनिया यह बात कहती है कि आज अपोज़ीशन का एक पॉइंट प्रोग्राम है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हटाओ लेकिन हम लोगों का भी एक पॉइंट प्रोग्राम है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को बचाओ। इसी पर एक शेर है। मैं थोड़ा शायरी पसंद करती हैं।

मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है।

वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है।

मैंने अपोजिशन पार्टी का भाषण सुना। श्री सोमनाथ चटर्जी ने बताया था कि हम लोग तो अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाये, यह तो गवर्नमैंट लाई है फिर हमारे ऊपर क्यों बोला जा रहा है। नहीं लाये लेकिन आप लोगों ने राष्ट्रपति जी को मजबूर किया है। आप लोगों ने जाकर कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी को आप कांफीडेस वोट लेने के लिए बोलो। यह बात ठीक है या नहीं ?...*(व्यवधान)* आप लोगों ने कहा है औप आप लोगों के कहने के बाद राष्ट्रपति जी ने अपोज़ीशन पार्टी को रिसपैक्ट दिया है। जब राष्ट्रपति जी ने आपको रिसपैक्ट दिया है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमने तो अनुरोध किया था।

कुमारी ममता बनर्जी : ठीक है कि आप लोगों ने अनुरोध किया है लेकिन किया तो है न। आप लोगों ने रिकवैस्ट की जिसे राष्ट्रपति जी ने मान लिया।

श्री बसुदेव आचार्य : हमने उन्हें मजबूर नहीं किया।

कुमारी ममता बनर्जी : ठीक है। आपने अनुरोध किया जिसे राष्ट्रपति जी ने मान लिया। इसके लिए राष्ट्रपति जी को भी धन्यवाद। इसके साथ–साथ श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद है जिन्होंने एक भी दिन नष्ट नहीं किया। इसके साथ आधे घंटे के अंदर डिसीजन लिया कि हमको मोशन ऑफ कांफीडैंस लाना है। उन्होंने राष्ट्रपति जी को इज्जत दी है। उन्होंने राष्ट्रपति जी का सम्मान किया है और एक चैलेंज लिया कि पहले ही दिन हम सदन में विश्वास मत लायेंगे। आज दुख लगता है कि अगर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी न होते, हर पार्टी इस इंसान के बारे में कोई भी बात नहीं कह सकती। मैंने कल से जो सुना है, उसके अनुसार किसी ने भी उनके बारे में कुछ नहीं कहा है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। वह इसलिए नहीं कहा क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर इस देश के लिए, इस धरती के लिए काम किया। जिंदगी भर इस मिट्टी के लिए काम किया है, जिंदगी भर उन्होंने अपोज़ीशन पार्टी के लीडर का भी रोल निभाया तब भी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जिनेवा में भेजा था।

[अनुवाद]

'अटल बिहारी वाजपेयी कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं।' एक सफल व्यक्ति वह है जो दूसरों द्वारा उन पर फैंकी गई ईंटों से अपने भवन की नींव रखते हैं।

[हिन्दी]

आज सब बोल रहे थे कि इनका विदाई समारोह है। मैं तो सोचती हूं कि विदाई समारोह नहीं है लेकिन आने वाला दिन बतायेगा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश चलेगा और देश चलने के लिए तैयार है।

मैं सिर्फ एक दिन के लिए कलकत्ता गई थी तो मुझे लोगों ने पूछा, आप कलकत्ता क्यों जा रही हैं। मैंने कहा कि हमारा नगा साल है इसलिए एक दिन के लिए जा रही हूं। वे कहने लगे, क्या श्री अटल बिहारी वाजपेयी से सपोर्ट विदड्रा करने जा रही हैं ? मैंने कहा, मैं सिर्फ एक दिन के लिए जा रही हूं। वे कहने लगे, हम चाहते हैं कि वाजपेयी जी की सरकार अभी रहे। इसलिए हमने कदम नहीं उठाया। लेकिन आज जो लोग मिल–जुलकर अटल बिहारी जी को हटाने के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने गलत कदम उठाया है। मैं भी कांग्रेस घराने की हूं, हमारी आईडीयोलॉजी भी कांग्रेस की है। मैं अभी भी विश्वास करती हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

हां, मुझे यह कहते हुए गर्व है कि मेरा कांग्रेस से संबंध था और आप नहीं हैं।

[हिन्दी]

हम लोगों ने फेस किया।...*(व्यवधान)* मैंने आपके खिलाफ तो कुछ नहीं कहा।...*(व्यवधान)* इस प्रकार मत चिल्लाइए।

[हिन्दी]

जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो हमको बहुत सुनना पड़ा था–'गली–गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है।' किसने बोला था ? लैफ्टिस्ट पार्टी ने बोला था और आज दोस्त हो गए। मैं जब तिरंगा झंडा लेकर चलती थी तो हमें इन लोगों ने कितनी बार मारा, कितने लोगों का खून खराब किया। आज आप किसकी सपोर्ट में सरकार बनाना चाहते हैं ? इनकी सपोर्ट में, जिनके हाथ खून में रंगे हुए हैं। इन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को क्या नहीं कहा, इन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को...* कहा था,...* कहा था। आज आप इन लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, कभी–कभी मिल–जुलकर बात होती है।

यह मत भूलिये कि आप जैसे लोगों ने ही मुझे पार्टी से निकाला था। मुझ में हिम्मत थी और हमें बंगाल के लोगों का आर्शीवाद प्राप्त था इसलिए हमने अपने पार्टी बनाई। हम भिखारी नहीं हैं और हम भूखे लोग भी नहीं हैं उन्होंने मुझे इसलिए निकाला था क्योंकि मैंने सी॰ पी॰ एम॰

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

[श्री कुमारी ममता बनर्जी]

का विरोध किया था। हम अपने आप को न्यौछावर कर सकते हैं लेकिन अपने कार्यकर्त्ताओं का बलिदान नहीं दे सकते हैं, हम अपने राज्य को न्यौछावर नहीं कर सकते हैं, हम अपने देश को न्यौछावर नहीं कर सकते हैं और हम इस देश की आम जनता का बलिदान नहीं दे सकते हैं। यह हमारी विचारधारा है। यह एक राजनैतिक मजबूरी भी है, कृपया इसे समझिए।

यह बात सच है कि पहले सरकार को दिक्कत थी, एक नई सरकार आई थी लेकिन जब 3-4 महीने से सरकार ने काम करना शुरु किया, जब हमारी इकोनौमिक सिचुवेशन, प्राइस राइज, हमारी परिस्थिति थोड़ी बदली, तब सरकार को टॉपल करने के लिए एक गेम प्लान तैयार किया। वह गेम प्लान आज तैयार नहीं हुआ, लास्ट नवम्बर महीने में हुआ था जिसका फॉलो–अप आज हो रहा है। यदि किसी देश की सरकार को हर सार गिराते हैं तो देश की इकोनौमिक स्थिति क्या होती है, क्या कभी इस बारे में आपने सोचा है ? यदि इकोनौमिक सिचुवेशन खराब होती है तो देश की सिचुवेशन खराब होती है। क्या आपको हर साल इलैक्शन करने की इजाजत है ? हमारा देश हर वर्ष चुनावों के खर्च को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यह चुनाव महोत्सव की तरह है। यह हर वर्ष के महोत्सव जैसा है।

हर साल ऐसे ही होता है। देवेगौड़ा जी की सरकार को टॉपल करने के समय भी हमने रिवोल्ट किया थां कांग्रेस के पचास लोगों ने कहा था कि आप इनडिविजुअल इंटरस्ट के लिए ऐसा मत कीजिए। तब तो मैं कांग्रेस की मैम्बर थी। हम कांग्रेस को वोट देने के लिए बाध्य थे। हमने कांग्रेस के लिए वोट दिया था लेकिन दिल से नहीं दिया था। हमको बहुत सारे लोगों ने वार्न किया था। गुजराल जी के बाद आपको सरकार बनानी चाहिए थी लेकिन आप कोई लीडर नहीं चुन सके। वाजपेयी जी ने क्या कहा, आप लोगों को क्या कहना है, हम सुनना चाहते हैं।

[अनुवाद]

आपका क्या प्रस्ताव है ? आपकी क्या कार्य योजना है ? आपकी क्या राजनीति है ? कुछ भी नहीं बताया गया है लेकिन आप देश का नेतृत्व करना चाहते हैं और आप इस सभा को चलाना चाहते हैं।

[हिन्दी]

यदि हम ट्रेन में जाते हैं तो उसमें एक ड्राईवर की जरूरत होती है, जहाज में एक कैप्टन रहता है, खेल–कूद के मैदान में टीम में कैप्टन होता है

[अनुवाद]

लेकिन आप कप्तानविहीन हैं; आपका कप्तान नहीं है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे कप्तान हैं लेकिन उनका कोई कप्तान नहीं है उनकी राजनीति केवल इस सरकार को गिराने तथा चुनाव कराने की है।

[हिन्दी]

अगर यह आपकी इजाजत है तो यह बात सच नहीं है। आप सोचते हैं कि अगर हम अभी इलैक्शन में चले जायें तो हमारी सिंगल लारजैस्ट पार्टी बन जायेगी, लेकिन यह नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी देश का ट्रैंड थोड़ा अलग है। रीजनल पार्टीज़ भी आज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए कोई भी नेशनल पार्टी गवर्नमेंट बनाये तो उसके साथ रीजनल पार्टी का रिश्ता होने से ही केन्द्र में सरकार बन सकती है, चाहे मुलायम जी की पार्टी हो, चाहे लालू जी की पार्टी हो, चाहे हम लोग हों, चाहे तेलगूदेशम हो, चाहे समता पार्टी हो, चाहे बी॰ जे॰ डी॰ हो, चाहे अकाली हो, चाहे चौटाला जी की पार्टी हो, चाहे डी॰ एम॰ के॰ हो, जो भी पार्टी हो। बहुजन समाज पार्टी, शिव सेना कोई भी हो, सब हों।

श्री लालू प्रसाद : हमारी तो राष्ट्रीय पार्टी है, आपकी लोकल पार्टी है।...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : लालू जी, हमारी भी ऑल इंडिया रजिस्टर्ड पार्टी है। हमारी लोकल पार्टी है, इसलिए हम लोग अभी घोटाले में नहीं गये। यह तो मेहरबानी है, मैं इसके लिए यह बात कहना चाहती हूं.. *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोकल और नेशनल के चक्कर में मत रहिये, आप अपनी बात करिये।

कुमारी ममता बनर्जी : हमको कुछ बोलने से हमको रिप्लाई देना पड़ता है। उनके नहीं बोलने से मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन लालू जी टकराएंगे तो हम भी टकराएंगे।

श्री लालू प्रसाद : सब बिहारी लोग वोट देकर आपको नेता बनाये हुए हैं। हम लोग विथड्रा कर लेंगे तो फिर आप जीरो बन जाओगी।

कुमारी ममता बनर्जी : आपके बिहारी लोग हमारे इलाके में रहते है। बिहारी लोग जो वहां रहते हैं, उनको मैं दिल से परान्द करती हूं, आपको उसके लिए मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए।

[अनुवाद]

लालूजी, कृपया दिल्ली के बजाए बिहार पर ध्यान दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : मैं लालू जी और मुलायम जी की इज्जत करती हूं, हमारे बीच में पोलिटिकल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मैं उनकी इज्जत करती हूं, सीनियर लीडर्स हैं। लालू जी, बातों–बातों में क्यों ऐसे गुस्सा हो जाते हैं, मुझे पता नहीं है।

श्री लालू प्रसाद : अब हम नहीं बोलेंगे।

कुमारी ममता बनर्जी : यह बहुत अच्छी बात है। यह बात सच है, हमारे देश की परिस्थिति आप देखिये, जब गवर्नमेंट स्टेबल हो जाती है तो एक गेमप्लान होता है, जिसमें देश के अन्दर का आदमी भी है,

देश के बाहर का आदमी भी है, मिल–जुलकर इकोनोमिक इन्स्टेबिलिटी करने के लिए ऐसी चीज करते हैं। आप देखिये, जब से इन्स्टेबिलिटी शुरू हुई है, शेयर मार्केट क्रैश हो गया है। शेयर मार्केट की सिचुएशन क्या है, इसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर बोल सकते हैं। इंडिया में हमारा जन्म हुआ है, हम लोग गौरव से कह सकते हैं। अभी न्यूक्लियर वैपंस के बाद में भी, हमारी अग्नि के बाद हमारे साइंटिस्ट ने जो काम किया है, हमारे देश के जवानों ने जो काम किया है, हम लोग उसके लिए उनके आभारी हूं, लेकिन साथ–साथ में क्या यह बात भी सच नहीं है कि आज पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, बहुत सारी जगह पर, लेकिन हमारी आर्थिक परिस्थिति खराब होने के नाते आज तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है। इस वास्ते हम लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं। खाली पोलिटिक्स के लिए राजनीति नहीं होती है। राजनीति में पांच वर्ष के लिए पब्लिक का मेनडेट होता है, लेकिन यह मेनडेट तो एव्री ईयर के लिए है, इसमें तो कांस्टीट्यूशन चेंज हो जायेगा, इसमें तो इलैक्शन प्रोसेस चेंज हो जायेगा। जो स्थिति आज देश की बन रही है, इसके लिए आज जो लड़ाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ होनी चाहिए, आज जो लड़ाई होनी चाहिए, बेरोजगारी हटाने की लड़ाई होनी चाहिए, आज जो लड़ाई होनी चाहिए, देश की जनता के हित की लड़ाई होनी चाहिए।

आज साम्प्रदायिक शक्तियों की बात बहुत सारी पार्टियां करती हैं। मैंने सुना, हमारे सी॰ पी॰ एम॰ लीडर ने यहां पर कहा कि हमारी जिंदगी चली जायेगी, लेकिन सैकुलर क्रेडेंशियल मैं आपको नहीं दूंगा। वे यहां नहीं हैं, नहीं तो मैं उनसे पूछती। उस चुनाव में हम भाजपा के सहयोगी नहीं थे लेकिन हमारा उनके साथ सीटों का तालमेल था और इसी कारण हम भाजपा को मिले जनादेश का आदर करते हैं। सरकार का समर्थन करना अब हमारे लिये आवश्यक हो गया है। लेकिन आप बोलिये। मैं जब मेरी कांस्टीट्वेंसी के एक मुस्लिम एरिया में गई तो सी॰ पी॰ एम॰ और कांग्रेस ने मिलकर मुझे वहां घुसने नहीं दिया और क्या बात कही। बोले कि ममता कम्युनल है, वह जायेगी तो तुम्हारा कुरान जला देगी। आप इस पर विश्वास कर सकते हैं ? ये लोग सबसे ज्यादा कम्युनल लोग हैं, जो सैकुलरिज्म की बात करते हैं। इनसे पूछिये, हमको जाने नहीं दिया, लेकिन इसके बाद भी सबसे ज्यादा वोटों से हम जीते और आप लोग कुछ नहीं कर पाये। आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आप सोचिये, जब चुनाव आते हैं...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : बाद में असेम्बली के बाई इलैक्शन में क्या हुआ ?

अपराह्न 5.00 बजे

कुमारी ममता बनर्जी : हमारे संसदीय क्षेत्र में हम जीते हैं, तृणमूल का खाता खुल गया है और आगामी चुनाव में आप वहां जीरो हो जाओगे। यहां स्वदेशी की बात की जाती है। अगर स्वदेशी की इतनी मर्यादा रखते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या वाजपेयी जी स्वदेशी नहीं हैं ? मैं तो स्वदेशी नेता के लिए जो देश के लिए काम कर रहा है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं, किसी विदेशी के लिए नहीं।

यहां भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों के बारे में बात की जाती है और कई लोग कहते हैं कि भारत–चीन के द्वार भी खोलो। आजादी के बाद 50 साल तक आपने राज किया और आप उसकी तुलना इनके एक साल के राज से करते हैं कि इस सरकार ने क्या किया। मैं कहना चाहती हूं कि आपकी सरकार ने इन 50 सालों में क्या–क्या किया। आप वाजपेयी जी को पांच साल तक राज करने का भी हक नहीं देना चाहते और उनको अभी हटाना चाहते हैं।

[अनुवाद]

उन्हें पांच वर्ष तक कार्य करने दीजिए। कोई भी कार्य में उनके बाधा न डालें। उनके दिमाग में अनेक विचार हैं। वे काफी अनुभवी हैं। भारत–पाकिस्तान बस सेवा उनके दिमाग की उपज है। यह हमारे दिमाग की उपज नहीं है। इसका श्रेय उन्हें मिलना चाहिए। भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार, भारत–बांगलादेश बस सेवा जैसे कई कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं। आप उनकी सहायता क्यों नहीं करते ? हम एक साथ मिलकर इस देश के निर्माण कार्य में सहयोगी बने।

[हिन्दी]

वह हम लोग नहीं करते हैं, खाली सोचते हैं कि कौन सी सरकार आएगी, कितने लोग हमारे साथ हैं, चौटाला जी की पार्टी वोट नहीं देगी, जयललिता जी इधर से चली गईं, समता पार्टी टूट गई, ममता की पार्टी टूट गई, यह उचित बात नहीं है।

[अनुवाद]

प्रत्येक दल की अपनी मजबूरी है तथा प्रत्येक राजनैतिक दल की अपनी विचारधारा हैं। उनके अपने संविधान हैं और अपने चुनाव चिन्ह हैं। आप एक राजनैतिक दल की दूसरे राजनैतिक दल के साथ तुलना नहीं कर सकते। लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी है कि समता पार्टी विभक्त नहीं हुई है। वे एक साथ हैं, बीजेड़ी, एक साथ है, अकाली एक साथ है; हम एकजुट हैं और हमारे अन्य मित्र भी एकजुट हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : आप बंगला में बोलिए।

कुमारी ममता बनर्जी : हमारा बंगला में भी टुगेंदर है। मैं रविन्द्र नाथ टैगोर की भाषा में बोलूंगी।

श्री मुलायम सिंह यादव : अंग्रेजी वाले एक प्रतिशत हैं जो सुन रहे हैं, बंगला में बोलिए जिससे कम से कम वहां के लोग तो सुनें। ...*(व्यवधान)* विदेशी कौन है,...**(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी) : श्री शिव शंकर, क्या आप इससे सहमत हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वैको, उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री वैको : क्या...* ? वे भाषा के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं। आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री वैको : महोदय, उन्हें उन शब्दों को वापस लेना चाहिए।..*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चौबे, मैंने पहले ही अपना विनिर्णय दे दिया है। सभा का समय बर्बाद मत कीजिए। अब उन्हें बोलने दो। कृपया व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भाषा के आधार पर कंट्री को डिवाइड नहीं करना चाहती हूं।...*(व्यवधान)*

श्री दत्ता मेघे (वर्धा) : ममता जी ने जो विदेशी की बात की है, वह बताएं कि वह कौन है।..*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि मैं ऐसे सभी शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, मैंने पहले ही कहा है कि मैं ऐसे सभी शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : हम आपका आदर करते हैं। आपने रूलिंग दी, हम उसे मानते हैं लेकिन मुझे अफसोस है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्यों ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया कि मैं केवल आपके शब्दों को ही नहीं बल्कि यहां पर बोले गए सभी अवशिष्ट शब्दों को निकाल दूंगा। यह बात सब पर लागू होती है, चाहे वह कोई भी पक्ष हो।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : मुलायम सिंह जी सीनियर लीडर हैं। मैं उनकी इसके लिए आभारी हूं कि उन्होंने मुझे बांग्ला बोलने के लिए कहा है। उनके रैस्पेक्ट के लिए मैं एक बात जरूर कहूंगी कि कल हमारा नया साल था। उसके लिए मैं आप सबको बधाई देती हूं।...*(व्यवधान)* मैं भाषा के ऊपर कंट्री को डिवाइड नहीं करना चाहती हूं। यह ठीक नहीं है। हमारे देश में कभी उर्दू, कभी मराठी, कभी पंजाबी बोलते हैं, यह हमारे देश में सैक्युलरिज्म की सबसे बड़ी परम्परा है, इसीलिए मैं अपोजीशन पार्टी के दोस्त को भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर लड़ना है तो हमारे देश की बेरोजगारी के साथ लड़ना है। अगर लड़ना है तो देश के टुकड़े करने वालों के खिलाफ लड़ना है, करप्शन के खिलाफ लड़ना है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन देना जरूरी है, इसलिए मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि लोकपाल बिल जो हमारे वोहरा कमीशन की रिपोर्ट है, जो बिल है, उस पर जल्दी से जल्दी हाउस में डिसकशन कीजिए।

[अनुवाद]

चुनाव लड़ने के लिए विशेषकर राजनैतिक दलों को धन देने के लिए चुनाव सुधारों के अभाव में अनेक छोटे दल चुनाव लड़ने में असमर्थ हैं।

[हिन्दी]

इलैक्ट्रोरल रिफार्म्स नहीं होने से छोटी–छोटी पार्टीज इलेक्शन में नहीं जा सकतीं। बड़ी–बड़ी पार्टीज के पास बहुत रुपया होता है। वे तो हर महीने, हर दिन इलेक्शन में जा सकती हैं। उनके लिए तो कैलेंडर में 365 दिन हो सकते हैं।

[अनुवाद]

वे प्रत्येक वर्ष चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन छोटे दल ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि चुनाव उनके लिए अधिक खर्चे वाली बात बन गई है और लोग भी इसे पसन्द नहीं करते।

[हिन्दी]

इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर लड़ना है तो यह सही है :

"भंवरों से लड़ो, लहरों से लड़ो, कितने तक चलोगे
किनारे–किनारे।"

बहुत दफा किनारे–किनारे चले हैं लेकिन अब किनारे–किनारे चलने की कोई बात नहीं है। वाजपेयी जी की सरकार को एक वर्ष हुआ है और इस सरकार ने काम करना शुरू किया है, जैसे पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका के मामले में यह सरकार कामयाब हुई है, उन्होंने जो वातावरण शुरू किया है, उस वातावरण को खत्म करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि वाजपेयी जी की सरकार कंटीन्यू करे। अपोजीशन के भाषण को सुनकर मुझे बड़ी निराशा हुई। उनके पास कोई प्वाइंट नहीं है। केवल एक ही प्वाइंट है कि वाजपेयी जी की सरकार को हटाओ लेकिन वाजपेयी जी नहीं हटेंगे। अगर अभी भी हाउस में वोट करा दो तो आप देखेंगे कि वाजपेयी जी की सरकार जीत जाएगी, यह बात

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अपोजीशन को मालूम हो गई है। उन्होंने भी बहुत कोशिश की है लेकिन हम लोग कभी...*(व्यवधान)* छोटी पार्टी से ही बड़ी पार्टी होती है।

[अनुवाद]

आप निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन मांग रहे हैं। महोदय, उन्हें मुझे ऐसा कहने के लिए विवश नहीं करना चाहिए जो मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि कुछ बातें गोपनीय रखी जानी चाहिए।

उन्होंने मणिपुर कांग्रेस के एक संसद सदस्य को, जो लंदन जा रहा था, क्या पेशकश की थी ? उन्होंने क्या कहा था ? मैं इसका खुलासा नहीं करना चाहता, महोदय कृपया उन्हें मुझ पर उसका खुलासा करने का दबाव डालने से मना करें। मैं उनके बीच में व्यवधान नहीं डालना चाहता। हमारे एक संसद सदस्य को भी पेशकश की गई है।

[हिन्दी]

....*(व्यवधान)* मैं नहीं कहना चाहती हूं। जहां तक इकोनोमिक स्टेबिलिटी की बात है, सरकार की इकोनोमिक स्टेबिलिटी के लिए हर जगह मदद देनी है, लेकिन केन्द्र की सरकार स्टेबल नहीं होगी, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इकोनोमिक स्टेबिलिटी के लिए देश को स्टेबल रखना जरूरी है।

जहां तक पब्लिक सैक्टर की बात है, बंगाल के बारे में सोमनाथ चटर्जी जी ने बहुत बातें उठाई है, वे इस समय सदन में नहीं है, मैं कहना चाहती हूं कि सब तो नहीं हुआ है, मैं वह गाना तो नहीं गा सकती हूं, आप सुना दीजिए—"कुछ—कुछ हुआ है" यह तो माना है। पहले तो कुछ नहीं हुआ था, अब कुछ—कुछ तो हुआ है।

यह मेरे पाले में नहीं है। यह उनके पाले में है। मैं उसकी सराहना करता हूं।

मैं सदन का ज्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहती हूं। जो पचास साल में नहीं हुआ है, अन्ततः एक बरस में हुआ है। हम लोगों ने वाजपेयी जी से बंगाल पैकेज के बारे में विनती की थी।

[अनुवाद]

यह हमारा बंगाल पैकेज है। कोई भी इसे चुनौती दे सकता है। उन्होंने जिसका हमसे वादा किया है हम उससे प्रसन्न हैं। हम वास्तव में इस सरकार से बहुत खुश हैं। हम राज्यों का विकास भी देखना चाहते हैं। यदि राज्य विकसित होंगे तो केन्द्र सरकार स्वतः विकसित होगी।

[हिन्दी]

केन्द्र सरकार के खिलाफ सोमनाथ बाबू ने बहुत सारी बातें कही है। एक बरस में फाइनेंस की क्या स्थिति है। मेरे पास यह लिस्ट है, लेकिन मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहती हूं। बहुत सी योजनायें हैं, जैसे जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, आई. आर. डी. पी., डी. डी. पी., डी. पी. ए. पी. और गांव से संबंधित जो कार्यक्रम है, गरीब किसानों और बेरोजगार नौजवानों से संबंधित कार्यक्रम हैं, इन योजनाओं के लिए 209 करोड़ रुपया 1988—89 में केन्द्रीय सरकार के देने के बावजूद भी इस्तेमाल नहीं कर सके। यदि कोई चैलेंज करना चाहता है, तो इस कागज को मैं सदन के टेबिल पर रखने के लिए तैयार हूं। हमारे उधर करप्शन बहुत है। आप लोग कुछ कामगारी हासिल कीजिए।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। उन्होंने कई बार सी. ए. जी. की रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने हर तरह से निशेषों का दुरुपयोग किया है। क्या सरकार जांच नहीं करा सकती ? मैं नहीं जानता वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। मंत्री महोदय क्या आपको सी. पी. एम. और कम्युनिस्ट पार्टियों से डर है ? कम्युनिष्ट हमेशा अवसरवादी रहे हैं। हम कांग्रेस का तब तक समर्थन नहीं कर सकते जब तक वे केन्द्र में सी. पी. एम. का समर्थन नहीं करते। श्री ज्योती बसु ने एक बात कही है। मुझे उनका नाम लेने के लिए बहुत खेद है क्योंकि वे इस सभा के सदस्य नहीं हैं। मैं उनका उद्धरण नहीं देना चाहता। मैं इसे वापस लेता हूं। उन्होंने कहा है कि बंगाल कांग्रेस पार्टी साम्प्रदायिक है और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष है। यह क्या है ? यह दोहरे मानदण्ड का प्रश्न है। बंगाल कांग्रेस साम्प्रदायिक है और राष्ट्रीय कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष। यह मिथ्याचार है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : यह तृणमूल कांग्रेस के बारे में है।

कुमारी ममता बनर्जी : तृणमूल कांग्रेस पार्टी आपसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष है...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंधोपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : श्री ज्योति बसु ने कहा है कि कांग्रेस केवल बंगाल में साम्प्रदायिक है और राष्ट्रीय कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसे जारी रखना बहुत कठिन है। जहां तक बंगाल और तमिलनाडु का प्रश्न है, और एक वर्ग खड़ा होता है तो दूसरा इसे रोक देता है। इसे कैसे जारी रखा जाए ?

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : हम सी. पी. एम. से सलाह नहीं लेना चाहते कि कौन साम्प्रदायिक है अथवा कौन धर्मनिरपेक्ष। हमें उनसे किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। बंगाल के लोगों ने हमें प्रमाणपत्र दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : आप हमारा उल्लेख क्यों कर रहे हैं ? कृपया हमारा उल्लेख नहीं करें।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : बंगाल में कांग्रेस उनकी मदद के लिए थोड़ी फाइनवुड है।

बोफोर्स से लेकर हवाला तक के संबंध में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु देव आचार्य, कृपया पीठासीन अधिकारी को सहयोग दें।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : श्री ज्योति बसु का बैरिस्टर प्रमाण पत्र कहां है ? क्या वह हमें दिखा सकते हैं ?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपना बचाव कर सकतीं हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : "बोफोर्स टू हवाला, दि इपिक जर्नी ऑफ लूट, ए सी. पी. आई. (एम.) पब्लिकेशन, 1996।"

[हिन्दी]

हमारे बंगाल में जो कांग्रेस है उसके वर्कर्स के सेंटीमेंट के लिए मैं नहीं कहना चाहती हूं। मैं समझ नहीं पाई कि कांग्रेस को फ्रेंड मिला और उसने पार्टी पब्लिकेशन के लिए क्या बोला था।

[अनुवाद]

"बोफोर्स टू हवाला, दि इपिक जर्नी ऑफ लूट, ए. सी. पी. आई. (एम.) पब्लिकेशन, 1996। बोफोर्स पे ऑफ के कारण देश में जबरदस्त राजनीतिक उथल-पुथल हुई और राजीव गांधी की सरकार भी गिरी, परन्तु अभी तक इसकी जांच पूरी नहीं हुई है। आरोप है कि बोफोर्स तोप की खरीद में 65 करोड़ रुपए 'किकवैक' के रूप में दिये गए है।"

वामपंथियों ने ऐसा कहा है। आप खंडन करते है कि आपकी सरकार...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंधोपाध्याय : आपकी यह आदत है कि पहले कुछ कह देती हैं फिर बाद में उसका खंडन करती हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें भड़काएं मत।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : मैं विस्तार में नहीं जाना चाहती। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री सुदीप बंधोपाध्याय : यह अशिष्ट और असभ्य है। महोदय, आप इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दीजिये।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : अगर मैंने राजनीति में कोई गलत काम किया है तो हमारी माता जी को चोर बोलने का इनको कोई हक नहीं है।

[अनुवाद]

उन्होंने उनके साथ क्या किया ? उन्होंने जोर दिया कि मैं उस घटना को बताऊं। जब मैं पिछली बार अपनी माता जी से मिली तो उन्होंने मुझे बताया। मैं कल सुबह आयी हूं। मैंने अपंनी माता जी से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया कि उनकी यह इच्छा है कि वाजपेयी सरकार जीते। उन्होंने मुझे ऐसा कहने पर मजबूर किया। मुझे बेहद दुख है। उन्हें यह जानना चाहिए कि वे क्या कह सकते है और वे क्या नहीं कह सकते हैं। वे ये सब बातें नहीं कह सकते हैं।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले, मैं यह कहना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे बंगाल पैकेज के बारे में वायदा किया था। हम यह चाहते हैं कि सरकार इसे अवश्य कार्यान्वित करे। यह सत्य है कि बेरोजगार युवाओं की संख्या कैंसर की तरह दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बंगाल इस संबंध में सबसे आगे है। वे इस सरकार की आलोचना इसके एक साल के शासन के लिए कर रहे हैं, परन्तु वे 22 वर्षों तक सत्ता में रहे हैं जिसके कारण 57 लाख युवा बेरोजगार हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसकी गंभीरतापूर्वक जांच करवाएं।

[हिन्दी]

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मारन जी को बधाई देना चाहती हूं। यह गवर्नमेंट को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि मदर ऑफ करप्शन के खिलाफ सपोर्ट करना चाहते हैं। चोर की मां सबसे ज्यादा शोर मचाती है। यह हमारे देश की जो भावना और प्रभाव है। हम लोगों को मालूम है कि आज देश में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे अस्थिरता पैदा हो। यह सरकार कामयाब रहे, मैं हर मेम्बर से रिकवेस्ट करती हूं। इसके साथ-साथ करप्ट लोगों को इनडल्ज करने के लिए किसी को आगे नहीं आना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट रहे या न रहे।

[अनुवाद]

सदन चलता रहेगा परन्तु भ्रष्टाचार चलते नहीं रहना चाहिए। यह सदन एक दिन का नहीं है। परन्तु भ्रष्टाचार देश में कैंसर जैसी बीमारी बन गई है। यही कारण है कि मैं आपसे अनुरोध कर रही हूं कि आप भ्रष्ट लोगों को अलग करने का निर्णय लें।

अपना भाषण पूरा करने से पूर्व, मैं रवीन्द्रनाथ टैगोर को कोट करना चाहूंगी। मैं बंगाल से हूं। श्री मुलायम सिंह यादव कुछ जानना चाहते हैं। मैं बंगला में समझा नहीं सकती।

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा :

"व्हेयर दि माइंड इज़ विदाउट फियर एंड दि हेड इस हेल्ड हाई
व्हेयर नॉलेज इज़ फ्री

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

व्हेयर दि वर्ल्ड हैज़ नॉट ब्रोकेन अप इन्टू फ्रैगमेंट्स बाई नैरो डोमेस्टिक वाल्स

व्हेयर क्लियर स्ट्रीम ऑफ रिजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इन्टू ड्रियरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट

व्हेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचस इट्स आर्म्स टुवार्ड्स परफेक्शन

व्हेयर दि माइंड इई लेड फॉरवर्ड बाज दी इन्टू दैट एवर वाइडेनिंग थॉट इन्टू एक्शन ओह माई फादर लेट माई कंट्री अवेक"

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : मेरी बात को गलत लिया जा रहा है। उपाध्यक्ष जी, मैं अंग्रेजी को हटाने के पक्ष में हूं, मिटाने के पक्ष में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि लोक सभा में अंग्रेजी की जगह भारतीय भाषाओं में बोला जाए। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की हम सभी बहुत इज्जत करते हैं। अंग्रेजी पढ़ना गलत नहीं है लेकिन आप लोक सभा में अंग्रेजी भाषा में बोलेंगे तो मेरी राय वही होगी जो पहले थी।

कुमारी ममता बनर्जी : मुलायम सिंह जी, अगर आपको हिन्दुस्तान का नेता बनना है तो आपको हर भाषा की इज्जत करनी चाहिए। यदि वे उन्हें अंग्रेजी में बोलने की अनुमति नहीं देंगे तो उन्हें ए. आई. ए. डी. एम. के. का समर्थन कैसे मिलेगा ?

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : आप बंगला, तमिल, मलयाली या कोई भी और भारतीय भाषा बोलिये, हमें एतराज नहीं है लेकिन हम अंग्रेजी को हटाएंगे।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं अपना भाषण खत्म करने से पहले प्रधानमंत्री जी से विनती करूंगी कि कल जब आपकी विजय हो जाएगी तो उसके बाद आप मेहरबानी करके बंगाल में नजरूल इस्लाम का जो सेन्टीनरी ईअर है उसमें जरूर आइये। संसद के अंदर जो सेन्टीनरी सैलिब्रेशन कमेटी है...*(व्यवधान)* मैंने मुरली मनोहर जोशी जी से भी बात की है, नजरूल इस्लाम जी की जो जन्मभूमि चुरूलिया में है आप वहां जरूर आइये। हमारे देश की जो माइनोरिटीज हैं, उसके संबंध में आपके प्रति इनकी गलत धारणा है। लेकिन सर, हमारे पास आंकड़े हैं। अगर देश में सबसे कम राइट्स किसी के समय में हुए हैं तो वह वाजपेयी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के नेतृत्व में चल रही सरकार में हुए है।...*(व्यवधान)* मैं मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा सभी स्थानों को मानती हूं। वाजपेयी जी को क्यों वोट देना चाहिए, इस पर एक शेर कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, कृपया व्यवधान न करें।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय मैं केवल एक मिनट और लूंगी, क्योंकि श्री मुलायम सिंह यादव ने व्यवधान किया है।

[हिन्दी]

यह शेर वाजपेयी जी को कहना चाहिए था लेकिन मैं कहती हूं।

"मेरे रोने का देश में किस्सा है, उम्र में बेहतरीन हिस्सा है"।

श्री मुलायम सिंह यादव : किसके राज में मस्जिद तोड़ी गयी।

कुमारी ममता बनर्जी : वाजपेयी जी ने जो काम माइनोरिटीज के लिए किया है और जो करते जा रहे हैं वह सराहनीय है और आने वाले दिनों में भी वे देश को ऐसी ही एक सही दिशा देंगे जिससे देश कामयाबी की मंजिल पर आगे बढ़ेगा। माइनोरिटीज के लिए अगर कोई पैकेज दे सकता है तो वाजपेयी जी दे सकते हैं और मैं माइनोरिटीज के लिए उनसे पैकेज मांगती हूं।...*(व्यवधान)* आप लोगों ने केवल राजनीति की है। आज देश में एक प्रतिशत माइनोरिटीज को एग्लाएमेंट है।

उनके ऊपर जब अत्याचार होते हैं तो आप उसे नहीं देखते। जब उनको नौकरी नहीं मिलती तो आप उसे नहीं देखते। आप खाली राजनीति करते हैं और वोट बैंक के लिए राजनीति करते हैं। आप उनकी सामाजिक समस्याओं को नहीं देखते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं...*(व्यवधान)* यह मेरे से टकरा रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो किसी भी मैम्बर से टकरा सकती हूं। यह ठीक नहीं है। आज यह बात साफ हो गई है कि वाजपेयी जी को विदाई देने की कोई बात नहीं है। वह इस्तीफा नहीं देंगे। अगर उन्हें सत्ता सम्भाले 13 महीने हो गए हैं तो वह 13 वर्ष तक भी शासन चला सकते हैं। ऑपोजिशन जो मर्जी आए, कर सकता है। हमारी गवर्नमेंट बचेगी और कामयाब होगी।

"सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,

देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।"

हम लोग जीतेंगे। इतना ही मुझे कहना है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में काफी शोर हो रहा है। जो सदस्य लॉबी में जाना चाहते हैं वे शांतिपूर्वक जा सकते हैं।

श्री पी. शिवशंकर (तेनाली) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 13 महीने से इस सरकार को चलाते आ रहे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आचरण पर बोलते हुए मुझे थोड़ी–सी निराश हो रही है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत कीजिए।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में भाषण दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान : अंग्रेज का बेटा है।

श्री पी. शिव शंकर : हां, मैं अंग्रेज का बेटा हूं। आपको खुशी हो गई।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

इस सरकार ने 28 मार्च, 1998 को विश्वास मत का सामना किया था। पिछले विश्वास मत में सरकार को 275 मत मिले थे। आज जब श्री चोटाला और श्रीमती जयललिता... मांफ कीजिए, 'सुश्री जयललिता'।

[हिन्दी]

श्री पुन्नूलाल मोहले (विलासपुर) : क्या उनकी शादी हो गई है ?

श्री पी. शिव शंकर : आपकी शादी नहीं हुई तो करवा देते हैं।

[अनुवाद]

महोदय, सुश्री जयललिता और श्री चौटाला ने समर्थन वापस ले लिया है तो सरकार को 1998 में जितने मत मिले थे उससे 22 मत कम हो गए हैं। राजनैतिक नैतिकता का तकाजा है कि प्रधानमंत्री महोदय को त्यागपत्र दे देना चाहिए।

ये लोग राजनैतिक नैतिकता की बातें कर रहे हैं। ये सिद्धांतों की राजनीति की बातें करते रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सीधे त्यागपत्र देने के बजाय, इन्होंने और इनके मंत्रीगण ने कहा कि 'हम विश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे बल्कि विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए।' ये वे लोग हैं जो नैतिकता, सिद्धांतों और कतिपय मूल्यों की बातें करते हैं, क्या इन लोगों को स्वयं भी इन मूल्यों और सिद्धातों का अनुसरण नहीं चाहिए ?

यह रास्ता क्यों चुना गया ? मैं कहना चाहता हूं कि मैंने यह रास्ता इसलिए चुना क्योंकि जाहिर तौर पर ये लोग चाहते थे कि यदि समय मिल जाए तो सदस्यों की खरीद–फरोख्त की जा सके। हो सकता है कि ये लोग कुछ लोगों को फुसला लेते और यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो सरकार और अध्यक्ष महोदय की सहमति से इसे आर्डर शीट पर रखना पड़ेगा। ये लोग कुछ अवांछित काम करने के लिए समय लेना चाहते थे। संक्षेप में यही कारण है कि ये लोग कहते थे कि वे विश्वास प्रस्ताव लाना नहीं चाहते हैं।

आज यदि विश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि लोकतांत्रिक परम्पराओं में इन लोगों की इतनी रुचि है, बल्कि इसलिए लाया गया है कि राष्ट्रपति महोदय ने इसके लिए निदेश दिया था। यदि राष्ट्रपति महोदय ने विश्वास प्रस्ताव लाने का निदेश नहीं दिया होता तो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह सरकार विश्वास प्रस्ताव कभी नहीं लाती। इसके विपरीत, जैसा कि प्रधानमंत्री महोदय और इनके मंत्रीगण कहते हैं कि 'अल्पमत सरकार भी चल सकती है, इसलिए जब तक हमारा प्रयोजन पूरा नहीं होगा, हम सरकार में बने रहेंगे।' यह प्रधानमंत्री महोदय का बड़ा ही विचित्र दृष्टिकोण है।

मुझे तो उम्मीद थी कि जो प्रधानमंत्री यह दावा करते हैं कि उनके कुछ मूल्य और सिद्धांत हैं, उन्हें लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्तियों से कुछ सीखना चाहिए था उन्होंने तमिलनाडु में एक दुर्घटना होने पर अपना त्यागपत्र दे दिया था। उन्होंने त्यागपत्र रचनात्मक जिम्मेदारी लेते हुए दिया था। यह परम्परा रही है इस देश की और मुझे प्रधानमंत्री महोदय से इसी परम्परा की पुनरावृत्ति की अपेक्षा थी, मुझे प्रधानमंत्री महोदय से ऐसे ही व्यवहार की अपेक्षा थी। त्यागपत्र देना तो दूर, ये यह प्रस्ताव लेकर आए हैं और इन्होंने कहा क्या था ?

विश्वास प्रस्ताव पेश करते समय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 'आप हमें विकल्प बताइए।' हमसे यह पूछना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता और मेरे मित्र श्री लालू प्रसाद ने कल ठीक जवाब दिया था कि 'आप जाइए तो सही, हम पांच मिनट में सरकार बना देंगे।'

क्या त्यागपत्र देने से पूर्व हमसे वैकल्पिक सरकार के लिए पूछने का आपको कोई अधिकार है ? आप विश्वास प्रस्ताव लाए हैं, आपको राष्ट्रपति महोदय के कहने पर विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा और आप हमसे वैकल्पिक सरकार दिखाने के लिए कह रहे हैं, इसमे से हट की गंध आती है, और कुछ नहीं। इस देश की परम्पराओं में आपका विश्वास नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, आपने मुझसे अधिक संस्कृत पढ़ी है। मैं आपको गीता में दिए गए भगवान कृष्ण के उपदेश का स्मरण कराता हूं :

[हिन्दी]

"यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।

अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम।।"

[अनुवाद]

यह इस देश की परम्परा है। इस देश में समाज सुधार के लिए ऋषियों और मुनियों ने जन्म लिए। और जब भी समाज में बुराइयां पनपी, महापुरुषपों ने जन्म लिया। क्या आप समझते हैं कि आप ही अकेले प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं और कोई नहीं ? आपने विपक्षी पार्टियों से यह पूछने की हिम्मत कैसे की...*(व्यवधान)*

श्री वैको : आप जरा सभ्यता से बोलिए...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर : मित्र, मैं सभ्यता से ही बोल रहा हूं। मेहरवानी करके भगवान के लिए मुझे बोलने दीजिए। मैंने आपके बोलने में कभी बाधा नहीं डाली। लगता है आप व्यवधान करना बंद नहीं कर सकते। कृपया अपने आपको नियंत्रण में रखिए। यह अच्छी बात नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री वैको : आप अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिए...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर : मेर भाषा पर पूरा नियंत्रण है। मैं अपनी भाषा बोलता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वैको, कृपया विघ्न मत डालिए।

श्री पी. शिव शंकर : उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं एक भी असंसदीय अथवा अशोभनीय शब्द बोलूं तो मैं वह आदमी हूं कि अपने आप क्षमा

मांग लूंगा। मुझे दूसरों से यह सीखने की जरूरत नहीं है कि कौन–सी भाषा बोली जाए। मैं भी कठोर भाषा बोल सकता हूं।

इसलिए महोदय, बात यह है कि जो प्रधानमंत्री विश्वास मत प्राप्त करने के लिए सदन में आए उसे विपक्ष से यह पूछने का कोई अधिकार नहीं है कि आप वैकल्पिक सरकार बताएं। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अपने लिये विश्वास हासिल करना है। बाद का काम हमारा है और सरकार बनाने का दावा करना हमारे अधिकार क्षेत्र में है।

महोदय, संक्षेप में कहूं तो मेरे भाषण में कही गई इस बात को सत्ता लोलुपता की संज्ञा दी जा सकती है। आप सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपके पास बहुमत नहीं रहा फिर भी आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं और दूसरों पर पत्थर फेंकना चाहते हैं।

विश्वास मत का आधार क्या है ? कृपया इसे देखिए। मुझे उम्मीद थी–वैसे तो मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने इस पर काफी चर्चा की है –कि प्रधानमंत्री महोदय और सत्तापक्ष के अन्य वक्ताओं को 'शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा' पर बोलना चाहिए था जिसे कि इन सभी दलों ने पिछले वर्ष तैयार किया था। इसके बाद सदन के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते कि वास्तव में इस राष्ट्रीय एजेंडा के अन्तर्गत क्या हुआ है जिसके लिए ये लोग इस सदन का विश्वास चाहते हैं। सत्ता पक्ष के एक भी वक्ता ने इस दस्तावेज का हवाला नहीं दिया और न ही यहां इसके बारे में कही गई बातों पर तथा जो कुछ इसके बाद हुआ उस पर भरोसा करने का प्रयास किया।

अगर किसी ने भी इसे दिखाया होता कि लो–देखो, ये हैं शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा; एक साल में हमने इन–इन कार्यों को पूरा किया है और बाकी कार्यों को हम देश हित में बाद में पूरा करेंगे, इसलिए हम आपका विश्वास चाहते हैं, समझ में आने वाली बात है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप अगर इसके पृष्ठ संख्या आठ को देखें तो इसमें कहा गया है कि हम सर्वसम्मति से शासन चलाने का नया मानक प्रस्तुत करेंगे। इस दस्तावेज में लिखा हुआ है कि "इसलिए, हम देश के समक्ष आने वाले सभी प्रमुख समस्याओं पर विपक्षी दलों और समाज के सभी वर्गों को बातचीत में शामिल करके राष्ट्रीय स्तर पर सर्वसम्मति तैयार करने का प्रयास करेंगे और जहां तक व्यवहार्य होगा हम शासन की सर्वसम्मत रीति विकसित करने का भी प्रयास करेंगे।"

मैं यह प्रश्न प्रधानमंत्री जो कि इस सरकार के मुखिया हैं, से पूछना चाहता हूं। बिहार के मामले, महिला आरक्षण विधेयक के मामले अथवा अन्य मामलों को ही लीजिये क्या आपने कभी भी विपक्ष के नेताओं को बुलाया तथा आम सहमति बनाने का प्रयास किया ? हम लोगों ने महिला आरक्षण विधेयक के प्रश्न पर कार्यकारी समिति में यह संकल्प पारित किया था कि इस विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार का यह कर्तव्य है कि वे आम सहमति बनायें क्योंकि इस संबंध में विभिन्न मत हैं। वस्तुतः यह वैध भी है। एक यह मत था कि आरक्षण के कारण ही समाज के तथा महिलाओं के कुछ वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला है। कुछ लोगों की यह धारण है कि इस मामले को निपटाने के लिए आपने कभी–भी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक नहीं बुलायी।

श्री वैको : इस प्रकार की बैठक दो बार बुलायी गयी थी।

श्री पी. शिवशंकर : आपने विधेयक केवल पुरःस्थापित करवा दिया क्योंकि हम यह चाहते थे कि आप उसे पुरःस्थापित करवायें और ऐसा विगत सत्र में हो गया था। उसके पश्चात् आपने कोई कार्यवाही नहीं की। क्या आप विधान सभा तथ संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामलों में ईमानदार हैं ? यदि आप इस मामले में ईमानदार होते तो आप उनके बारे में सोचते, आप एक आम सहमति बनाने और आम सहमति बनने के पश्चात् उसे पारित भी करवाते। अब इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। मुझे याद है कि सत्ता तथा विपक्ष की मेरी कई बहिनें इस मामले पर पीठासीन अधिकारी के आसन के निकट भी आई थीं। अब वे कहां चली गई हैं ? क्या वे इस मामले को भूल गई हैं ? क्या वे महिलाओं को अधिकार दिलाने के पक्ष में नहीं हैं ? यदि सरकार अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं करती हैं तो फिर क्या होगा ?

इसी तरह हमने बिहार के प्रश्न पर भी एक सैद्धांतिक निर्णय लिया था। जैसे कि अभी यहां चर्चा हो रही है मैं दोहराना चाहता हूं जो मैंने सभा के बाहर कहा है। जब बिहार में दलितों का नरसंहार किया जा रहा था तब हमने यह रुख अपनाया था कि राबड़ी सरकार ने अपना नैतिक अधिकार खो दिया है, जिसका अभिप्राय यह था कि उनका दल नेतृत्व परिवर्तन के प्रयोजनार्थ अपना निर्णय लेगा जैसा कि हमने उड़ीसा के मामले में जब स्टेन्स और उनके दो बच्चों को जलाया गया था, किया था। हमने कभी–भी यह नहीं कहा था कि आप अनुच्छेद 356 लगाओ। यदि कोई यह बात आज कहता है तो पूर्णतः असत्य है। ऐसा ही मेरे मित्र श्री सिंघे ने कहा थ। उन्होंने यह कहा था कि दल के महासचिव के नाते मैं न तो प्रधानमंत्री अथवा गृहमंत्री से, यह कहने के लिये कि आपको अनुच्छेद 356 लगाना चाहिए किसी भी रूप में मिला था। मैं इसका पूर्णतः खण्डन करता हूं। मुझे उनसे अनुदेश मिला था इसीलिए मैं कहा रहा हूं। आपको यदि अनुच्छेद 356 लागू करना है तो आप कर सकते हैं, परन्तु उसके बाद क्या हुआ ? आपके गृहमंत्री कह रहे हैं कि बिहार के राज्यपाल एक राजनैतिक व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति को वहां का राज्यपाल नहीं रहना चाहिए उन्हें बदला जाना चाहिए तथा उनके स्थान पर एक प्रशासक को लाया जाना चाहिए। राज्यपाल स्वयं यह बात कहते हैं कि वे राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ से है और इस पर उन्हें गर्व है।

यदि हम इसका विरोध नहीं करते, यदि हम अनुच्छेद 356 लागू करने का विरोध नहीं करते तो फिर हमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक की शासन व्यवस्था को बर्दाश्त कर लेना चाहिए था जो कि हमने कभी–भी नहीं किया। क्या सरकार हमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक की शासन व्यवस्था को, जो कि वे बिहार में लागू करना चाहते थे को बर्दास्त करवाना चाहती हैं ? क्या हमें यह पता नहीं करना चाहिए कि वहां अनुच्छेद 356 क्यों लागू किया गया ? क्या सरकार ने इस मामले पर आम सहमति बनाई थी ? वह इस बात का प्रचार करती रहती है, उसके पास अपना प्रचार तंत्र है और जो कुछ चाहती है प्रचार करती रहती है और उसके पश्चात् कहती है कि हम गलत थे जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

[श्री पी. शिवशंकर]

आम सहमति कहां है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि आज उनके स्वयं के सहयोगी दलों के बीच जो परिस्थिति पैदा हुई हैं वह इस कारण से हुई हैं कि इन सभी दलों में समुचित आम सहमति नहीं है, जो कि शुरूआत में थी।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : आपने एक बात छोड़ दी है। श्रीमती सोनिया जी को यह गाली दे रहे हैं और हमसे और आपसे झगड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को जब मालूम था कि सारा देश सेक्युलर सवाल पर एक है और धारा 356 के खिलाफ है तब आपने श्रीमती सोनिया जी को बुलाया और उनसे कहा कि आप कृपा कर दें, एप्रूव कर दें ताकि श्रीमती राबड़ी देवी को बर्खास्त करें। श्रीमती सोनिया जी ने आपको तमाचा मारा कि हम धारा 356 नहीं लगाने देंगे। यह सच्चाई है और इसको आप छोड़ रहे हैं।.. *(व्यवधान)*

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : लालू जी पहले ही उनके पैर पड़ गये थे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. शिवशंकर : मैं सहयोगी दलों में आपसी सहमति के बारे में बोल रहा था। क्या मंत्रि परिषद को यह पता है कि मंत्रि मंडल प्रणाली में उनकी संयुक्त एवं भिन्न-भिन्न जिम्मेदारियां होती हैं ? विवादास्पद मामलों में प्रत्येक मंत्री अपनी-अपनी बात कहता है। मैं इस बारे में उदाहरण नहीं देना चाहता हूं। प्रत्येक मंत्री अपने ही तरीके से बात कहता है जिसके फलस्वरूप यदि प्रधानमंत्री ने अपने ही सहयोगी दलों का समर्थन खो दिया है तो ऐसा उनकी दुर्व्यवस्था के कारण हुआ है। उन्होंने ऐसे लोगों को इस संबंध में नहीं लगाया जो कि अपने ही सहयोगी दलों से सामजस्य बैठा सके, हम लोगों के साथ सामजस्य बिठाने की बात तो आप भूल जाइए।

अतः ऐसा कहना कि वे एक कुशल प्रधान मंत्री हैं यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं। हालांकि आजकल कुछ लोग उनकी प्रसंशा कर रहे यह लोग यह कह रहे हैं कि "वे एक योग्य प्रधानमंत्री हैं"। मुझे पता नहीं वे कैसे कह रहे हैं। मैं तो उन्हें अयोग्य प्रधानमंत्रियों में से एक कहूंगा, जो कि अपने सहयोगियों को भी एकजुट नहीं रख सके।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : आपके सर्टीफिकेट से कौन समझने वाला है...*(व्यवधान)* आप तो अपोजीशन में हैं और आपसे कौन सर्टीफिकेट मांग रहा है...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिवशंकर : न मेरे सटीफिकेट की जरूरत है और न आपके सर्टीफिकेट की जरूरत है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत करिये।

श्री पी. शिव शंकर : मैं भ्रष्टचार के बारे में बोलूंगा। यदि आप चाहते हैं तो मैं प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के कार्यों में लिप्त होने के बारे में भी बोलूंगा। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. शकील अहमद : आप हम लोगों की जुबान मत खुलवाइये. ..*(व्यवधान)* हमने बहुत ईमानदारी की बात सुन ली।...*(व्यवधान)* हम लोग बोलना नहीं चाहते लेकिन आप लोग बार-बार बुलवाते हैं..... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं -न कि मैं शिव शंकर के बार में आपको बताना चाहता हूं-तथा आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या शिव शंकर जी ने जो टिप्पणियां की हैं वे सभी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल की गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कोई भी अशोभनीय टिप्पणियां हैं वे सभी कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दी जायेंगी।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : कल जब हम लोगों का भाषण हुआ... *(व्यवधान)* यह फ्लोर गाली-गलोज देने की जगह नहीं है। कल जब मैंने भाषण दिया तब मैंने कहा था कि हम एकेडैमिक डिस्कशन करना चाहते हैं। बाकी उधर जितने छेद हें, उन छेदों पर हमने कल हमला नहीं किया। अगर यह तय हो जाये कि कौन-कौन भ्रष्टाचारी हैं और कौन-कौन क्या कर रहा है, किनके ऊपर क्या-क्या है तो हम उस डिस्कशन में भी प्रवेश करें।

यह राष्ट्र, पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरी दिल्ली, पूरे विभाग को मालूम हो जाएगा कि इन तेरह महीनों में क्या-क्या हुआ। यही नहीं, सबसे बड़ा स्कैंडल यह है, हम सब लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। जब तक सुश्री जयललिता आपके साथ रही, बहुत अच्छी थीं, सपोर्ट विदड्रा कर ली तो बहुत खराब हो गई, मदर ऑफ करप्शन हो गई-यह बात नहीं चल सकती। आप देश में भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए कल हमारी जबान पर ताला ठोका गया। हमने उचित समझा कि एकेडैमिक डिस्कशन हो। आप हमारे दल को फिर समय दीजिए, हम भ्रष्टाचार पर फिर बोलना चाहेंगे।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय वे किस नियम के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो आपने उनको क्या उत्तर दिया है। वे सभा में यह चुनौती दे रहे हैं कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कई मामले हैं और यदि हम इस सभा में आरोप लगाना शुरू कर दें तो इस बारे में उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। यदि उनके पास ऐसे कोई आरोप हैं तो

वे खुलकर चर्चा करें। हम उनकी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यहां जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले अथवा किसी आरोप का उल्लेख करना चाहता है तो यह बिल्कुल नियमानुसार होगा। उसको प्रमाणित करना पड़ेगा अथवा उसे अपने शब्द वापस लेकर क्षमा मांगनी होगी। यही प्रक्रिया है। अब मैं ऐसा ही करूंगा।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : यह बिल्कुल गलत है। उन्हें सभी आरोप लगाने चाहिए। ये हाउस को चुनौती दे रहे हैं। क्या वे सब कुछ कहने के लिए स्वतंत्र हैं ? ...*(व्यवधान)* किसी ने किसी को नहीं रोका।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कह रहा हूं। यहां जो भी व्यक्ति आरोप लगाएगा, उसे उसको प्रमाणित करना होगा अन्यथा उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। यही नियम है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कोई व्यवधान न करें।

(व्यवधान)

श्री पी. शिव शंकर : आज जो स्थिति बन रही है वह हमने नहीं बनायी है। हम तो सिद्धांत पर डटे रहे। हमने स्पष्टतः कहा था कि यह सरकार अंतर्विरोधों की सरकार है। इसके बावजूद भी उन्होंने राष्ट्रीय एजेंडा बनाया लेकिन सरकार ने कभी भी इसके अनुसार काम नहीं किया। इसके विपरीत, अनेक घटकों के अपने–अपने एजेंडा थे जिसके फलस्वरूप ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है।

हम हमेशा कहते आए हैं कि अपने अंतर्विरोधों के कारण यह सरकार नहीं चल पाएगी। यह सरकार गिर जाएगी और यदि यह सरकार गिरती है तो हमने कहा था और आज भी हम अपनी बात पर पक्के हैं कि हम अपना संवैधानिक दायित्व निभाएंगे। राष्ट्र के प्रति हमारा जो दायित्व है हम उससे मुंह नहीं मोड़ेंगे। इस सरकार ने जिस ढंग से कार्य किया है उससे हर आदमी आश्चर्य चकित है। मैं मृदु शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा–इस सरकार ने थोड़ी हठधर्मिता से काम किया है। इसका कामकाज दोषपूर्ण रहा, इसकी प्राथमिकताएं दोषपूर्ण रहीं और त्रासदी यह है कि इसकी अपनी विचारधारा में ही अन्तर्विरोध है इसलिए इसमें बिखराव आया है। इसीलिए इनका एक भी दिन चलना देश के लिए हानिकारक होगा।

महोदय, यदि आप राष्ट्रीय एजेंडा के पृष्ठ 7 पर दी गई विभिन्न मदों पर एक नजर डालें तो–मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी जिन पहलुओं पर पहले ही बोल चुके हैं, मैं उन पर नहीं बोलूंगा–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के बारे में इस एजेंडा में कहा गया है कि : "समुचित कानूनी, कार्यकारी और सामाजिक प्रयासों द्वारा तथा बड़े पैमाने पर शिक्षा और अधिकारिता द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के हितों की समुचित रूप से रक्षा की जाएगी। क्या यह सरकार बता सकती है कि विगत एक साल में इसने क्या किया है ? इसके विपरीत, इसमें हुआ क्या है। जब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संगठनों के परिसंघ ने गृहमंत्री महोदय को उन पांच शासनादेशों को वापस लेने को कहा जो सभी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए हानिकारक थे, जिनके कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आगे चलकर समानता से वंचित रहना पड़ता, तो सरकार ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। सत्तापक्ष में बैठे मेरे मित्रों को यह नहीं भूलना चाहिए कि संविधान की उद्देशिका में सामाजिक–राजनैतिक–आर्थिक न्याय तथा समान अवसर और समानता दोनों की ही बात कही गई है। इन्होंने क्या किया है ? इस देश में सामाजिक न्याय लाने के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने क्या किया है जिससे कि इन वर्गों के लोग भी देश के अगड़े वर्गों के बराबर का स्तर पा सकें ? मैं चुनौती देता हूं कि इस संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। जब इन संगठनों में गृहमंत्री महोदय को यह बताया कि ये पांचों शासनादेश वापस लिए जाने चाहिए और जब कोई उत्तर नहीं मिला तो इसके बारे में इसी संसद में प्रश्न उठाया गया था। और जब इस संसद में यह प्रश्न उठाया गया था तो सरकार ने उत्तर दिया था कि ये शासनादेश न वापस लिए जाएंगे और न इनमें कोई संशोधन किया जाएगा। 25 फरवरी, 1999 को यह उत्तर दिया गया था। क्या ये इन वर्गों के प्रति सहानुभूति रखते हैं ? क्या ये इस देश में समानता लाना चाहते हैं ? क्या ये सामाजिक न्याय लाना चाहते हैं ? ये लोग किस ढंग से देश में समानता और सामाजिक न्याय लाएंगे। यह दुर्भाग्य की बात है ! इन्होंने इस ढंग से काम किया है।

राष्ट्रीय एजेंडा में आगे कहा गया है : "हम सामाजिक न्याय के लिए राष्ट्रीय चार्टर प्रस्तुत करेंगे"...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : क्या आप इन आदेशों के जारी होने की तारीखें बता सकते हैं ?

श्री पी. शिव शंकर : ये आदेश 1997 में जारी हुए थे। मैं मना नहीं कर रहा हूं....*(व्यवधान)* सत्तापक्ष के सदस्यों को खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा...*(व्यवधान)* जो हो गया उसे भूल जाओ। महत्त्वपूर्ण यह है कि आपने राष्ट्रीय एजेंडा तैयार किया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संगठनों के परिसंघ ने इन आदेशों को वापस लेने के लिए आपको इसलिए अभ्यावेदन दिया था क्योंकि आप समानता लाने वाले बनते हैं, आप कहते हैं कि इन वर्गों के लिए ये सब करने वाले हम ही हैं, हम ही सामाजिक न्याय लाएंगे।

मेजर जनरल भुवन चंद्र खण्डूड़ी, ए. वी. एस. एम. : इन्हें जारी आपने कराया और वापस न लेने का दोष हमें दे रहे हैं। क्या तर्क है। आपने उस सरकार का समर्थन किया था। वह सरकार आपके समर्थन से चल रही थी।...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर : मैं उस सरकार को भी इतना ही दोष दे रहा हूं। मैं उनका समर्थन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, उनके बीच में व्यवधान मत डालिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चेतन चौहान, कृपया व्यवधान मत डालिए।

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े (चिमूर) : डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन को भी इन्होंने पैसा नहीं दिया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कवाड़े, कृपया उन्हें बीच में मत टोकिये।

श्री पी. शिव शंकर : हमने समर्थन वापस ले लिया था। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुनियप्पा, आप बैठते क्यों नहीं ? कृपया उन्हें बीच में मत टोकिये।

(व्यवधान)

सायं 6.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुनियप्पा, वह बोल रहे हैं।

श्री पी. शिव शंकर : चाहे मुझे दोहराना पड़े, मैं बताना चाहूंगा कि इससे हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग, जिसे पेट भर भोजन नहीं मिला, जो सदियों से कष्ट उठाता आया है, उस पर प्रभावित होता है, ये आदेश कभी 1997 में जारी हुए थे तथा हमने उस सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और समर्थन वापसी का एक कारण यह भी था।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : इस वजह से इन्होंने समर्थन वापस नहीं लिया था।...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर : एक वजह यह भी थी।...*(व्यवधान)* ये लोग जो चाहें कहें लेकिन मेरा कहना है कि हम इसके संबंधित पक्ष नहीं हैं. ..*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप जब बोलें तब इसका उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी. शिव शंकर : केवल इसलिए कि कोई पार्टी बाहर से समर्थन दे रही है, ये लोग उस पर जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व नहीं मढ़ सकते। हमने केवल इसी मुद्दे पर समर्थन वापस नहीं लिया था। आपने यह देखा है। कई अन्य मुद्दे भी थे।...*(व्यवधान)* मैं आपकी जानकारी में लाना चाह रहा था। .....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वैको, कृपया बीच में मत टोकिये। उत्तर देते समय इन सब बातों का उत्तर दिया जा सकता है।

श्री पी. शिव शंकर : उपाध्यक्ष महोदय, अधिक महत्त्वपूर्ण तो यह है कि इन्होंने जो संसद में कहा है क्या ये उसके उत्तरदायित्व से बच सकते हैं। इनका आचरण क्या है ? मैं इनके आचरण के बारे में पूछ रहा हूं। इन्हें दूसरों के आचरण पर ध्यान नहीं देना चाहिए। विश्वास का मत ये मांग रहे हैं मैं नहीं मांग रहा हूं। इस सदन को यह बताने का मुझे पूरा अधिकार है कि इनका कैसा आचरण रहा है और 26 फरवरी, 1999 को इन्होंने इस संसद में क्या किया था। इन्होंने यहां कहा था कि हम शासनादेशों में संशोधन करना या वापस लेना नहीं चाहते। क्या इन वर्गों के प्रति इन्हें कोई सहानुभूति है ? मैं यही प्रश्न पूछ रहा हूं...*(व्यवधान)* यदि उन्हें कोई हमदर्दी नहीं है तो वे इस देश में समानता कैसे लाएंगे ? वे इन वर्गों को वर्तमान हालातों से उन पर उठने के अवसर कैसे प्रदान करेंगे ? वे सामाजिक न्याय कैसे लाएंगे ? मैं यही प्रश्न पूछ रहा हूं।

न केवल यह, जो दस्तावेज मैं पढ़ रहा हूं, उसमें उन्होंने कहा है :

"इसके अलावा सामाजिक न्याय के लिए हम राष्ट्रीय चार्टर लाएंगे।"

मैं पूछना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या किया गया है। पर कुछ नहीं किया गया है। उन्हें लोगों का विश्वास कैसे मिला ? जब वे इस सभा के विश्वास की मांग कर रहे हैं तो वे इस राष्ट्र के विश्वास की मांग कर रहे हैं। वे राष्ट्र से विश्वास देने की आशा कैसे कर सकते हैं जबकि वे अपने चार्टर, अपने स्वयं के एजेंडा पर ही कायम नहीं रहे हैं। इसी प्रकार मैं एक अन्य पहलू सामने लाना चाहता हूं। इसी पृष्ठ पर उन्होंने कहा है :

> "हम एक सभ्य, मानवीय और न्याय संगत व्यवस्था की स्थापना के लिए वचनबद्ध हैं जिसमें जाति, धर्म, वर्ग, रंग, नस्ल अथवा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।"

यह बहुत अच्छा है हालांकि दूसरे इसके लिए वचनबद्ध नहीं हैं और केवल वे ही इसके लिए वचनबद्ध हैं। हम उन्हें बधाई देते हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने पहले ही एक उदाहरण दिया है, महिला आरक्षण विधेयक की ओर उनका सौतेला व्यवहार, जिसके कारण आज तक उसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका है। वे इसे भूल गए हैं। इसके अलावा, पिछले 50 वर्ष में उनके इस देश में पहली बार सत्ता में आने के बाद आपको पता चला कि समाज का एक वर्ग अर्थात् ईसाई उनके कोपभाजन बन रहे हैं। संघ परिवार उनका सहयोगी है।

उपाध्यक्ष महोदय, कल गृह मंत्री बहुत ऊंचे स्वर में कह रहे थे कि पिछले वर्ष के दौरान कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। गुजरात ने ईसाईयों की हत्या के बारे में 'सिटिजंस कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने है। यह केवल गुजरात के बारे में है। अन्य स्थानों को भूल जाइए।

इस आयोग के सदस्य भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से हैं। उनमें जस्टिस एच. सुरेश, सुश्री रथ मनोरमा, डॉ. कमल मित्रा चिनाए, श्री कीर्ति भाई दत्त, आदि हैं। यह नागरिकों का स्वतंत्र संघ है जिसे आयोग के रूप में गठित किया गया है। उन्होंने सभी पहलुओं को देखा। मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री इस रिपोर्ट को पढ़ें। यह गुजरात में जो भी हो रहा है उसकी रक्त रंजित कहानी बताती है। यदि यह तरीका है जिसे वे कहते हैं कि वे एक सभ्य, मानवीय और न्यायसंगत व्यवस्था स्थापित करना चाहते

हैं। जिसके जाति, धर्म, वर्ग, रंग, नस्ल और लिंग भेद का शासन होगा तो यह देश बर्बाद हो जाएगा। उनके हाथ में यह देश सुरक्षित नहीं है। संक्षेप में हम भी यही कह रहे हैं।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जहां पर अभी भी इनकी सरकार है सरस्वती वंदना तथा वन्दे मातरम को अनिवार्य बनाने के संदर्भ में एक आदेश जारी किया गया था। उस आदेश के जारी होने के बाद विशेष रूप से मुस्लिम समाज में बहुत प्रतिष्ठित, उच्च शिक्षित श्री अबुल हसन ने कहा था कि यदि यह आदेश जारी रहता है तो उन्हें अपने बच्चों को शिक्षा संस्थानों से निकालना होगा। जिस क्षण उन्होंने यह वक्तव्य दिया था उनके विरुद्ध 'सर्च वारंट' जारी कर दिया गया था तथा उनके घर की तलाशी ली गई थी। क्या यह सहिष्णुता है ? कल गृह मंत्री कह रहे थे कि सहनशीलता इस देश की संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। निःसंदेह ऐसा है। यह सहनशीलता उन्होंने दिखाई है। उन्होंने उस व्यक्ति के घर की तलाशी केवल इसलिए ली क्योंकि उसने कुछ कहा था। क्या उसे कुछ शब्द कहने की भी स्वतंत्रता नहीं है ? वे उस समाज की बात कर रहे हैं जिसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। वास्तव में ऐसा किया गया है।

प्रसार भारती के बारे में मेरे मित्र श्री सोम· ·चटर्जी पहले ही बोल चुके हैं। उन्होंने इसे इस सभा में पारित कराया है। क्या उन्होंने इसे दूसरी सभा में पारित करवाने के उद्देश्य से आम सहमति बनाने की कभी कोशिश की थी ? वह विधेयक अभी तक उस सभा में नहीं गया है। फिर भी ये आम सहमति वाली राजनीति की बात करते हैं। प्रधानमंत्री महोदय ऐसा उस सरकार ने किया था जो आप चला रहे हैं। आपने स्वयं ही इसे कलंकित किया है न कि अन्य लोगों ने नहीं हमने उस पर सिद्धान्तवादी दृष्टिकोण अपनाया है।

महोदय, ऐसा हो रहा है कि एक ओर ये केवल कुछ व्यक्तियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से कोशिश कर रहे हैं अपितु घटनाएं इस तथ्य को सिद्ध करती हैं कि उनके नेतृत्व में सरकार खरीद–फरोख्त में सम्मिलित हो रही है तथा लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। वे बहुत ही सिद्धान्तहीन दृष्टिकोण अपना रहे हैं...*(व्यवधान)* यही वस्तु स्थिति है। आज उन्होंने चार व्यक्तियों को आकर्षित कर लिया है। कल उन्होंने आनन्द मोहन को जीत लिया था। ये बातें समाचार पत्रों में आ रही हैं। यही कुछ हो रहा है।

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : शिव शंकर जी यदि चौटाला का मामला खरीद–फरोख्त का है तो जयललिता के बारे में क्या कहेंगे ?

श्री पी. शिव शंकर : मैं शासन के प्रश्न पर बात करूंगा। उनका एजेंडा कहता है कि लोगों के प्रति उनकी पहली वचनबद्धता स्थिर, ईमानदार, पारदर्शी तथा कार्यकुशल सरकार देना है। इन्होंने किस प्रकार की पारदर्शी और ईमानदार सरकार दी है ? मैं केवल आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस सरकार की ईमानदारी यह है कि सही मायने में उत्तर प्रदेश में इनके लगभग सौ मंत्री हैं। यह इस सरकार की ईमानदारी और पारदर्शिता है।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : आप बिहार के बारे में और बता दीजिए।

[अनुवाद]

श्री पी. शिव शंकर : मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं वहां मुख्यमंत्री नहीं हूँ। वहां जाईए और वहां मुख्यमंत्री से पूछिए।

कुछ समय पहले लोगों को प्याज की कमी का सामना करना पड़ा था। बाजार में लोगों को प्याज नहीं मिल रहा था। मैंने इस सरकार से पूछा, क्योंकि उस समय दिल्ली में भी इनकी सरकार थी, क्या उन्होंने एक भी व्यापारी पर छापा मारा ताकि सब कुछ सामने आ सके ? उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वे केवल कुछ वर्गों का ध्यान रखते हैं जो उनका ध्यान रखते हैं। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके परिणामस्वरूप लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। यह इस सरकार की ईमानदारी है।

इसी प्रकार जो एडमिरल विष्णु भागवत की बर्खास्तगी के बाद जो किया गया –मैं इसकी बारीकी में नहीं जा रहा हूं मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि 'सिविल अथारिटि' सर्वोच्च है। मैं इस बात में विश्वास नहीं करता हूं कि सैन्य अथॉरिटि 'सिविल अथॉरिटि' से ऊपर हो सकती है क्योंकि हमारा संवैधानिक सिस्टम ही ऐसा है। मैं यही कहना चाहता हूं। पर बर्खास्तगी आदि के तरीके भिन्न मामला हैं जिनकी जांच की जा सकती है। लेकिन इस व्यक्ति की बर्खास्तगी के बाद इस व्यक्ति ने अपने शपथ पत्र में यह दर्ज किया है कि दो बार उनकी बर्खास्तगी की फाईल रक्षा मंत्री द्वारा उन्हें भेजी गई थी और प्रधानमंत्री इस पर सहमत नहीं हुए। तीसरी बार उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। यह सब उन्होंने अपने शपथ पत्र में लिखा है। यह कहां तक सच अथवा झूठ है यह तो शायद रक्षा मंत्री स्वयं बताएंगे। मैं उस विषय पर बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन बर्खास्तगी के बाद प्रधानमंत्री अंडमान एवं निकोबार जाते हैं तथा श्री हरिन्दर सिंह के साथ रहते हैं। प्रधानमंत्री जी आप क्या संदेश दे रहे हैं ? यह समाचार पत्रों में आया है। आपने पहले इसे सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा है।

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : यह गलत है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

श्री पी. शिवशंकर : आज आप यह कह रहे हैं। इस पर कौन विश्वास करेगा ? मैं ऐसा कह रहा हूं। मुझे यह विश्वास है। प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे होंगे। मुझे यह विश्वास है।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : हर बात के लिए कुतर्क होता है।

श्री पी. शिवशंकर : यही सब कुछ समाचार पत्रों में आया है। आप आज यह कह रहे हैं।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वे नहीं रहे। यह पर्याप्त है।

श्री पी. शिव शंकर : यदि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे नहीं रहे, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : उन्होंने यह कहा है...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) (उ. प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र एक वरिष्ठ संसदविज्ञ हैं। यह स्थापित प्रथा है कि यदि प्रधानमंत्री किसी चीज का खंडन करते हैं तो उन्हें इस पर सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के केवल आप ही पात्र नहीं हैं। आपने खरीद–फरोक्त आदि के लिए कई लोगों के नाम लिए हैं। श्री पी. शिव शंकर कृपया एक भद्रपुरुष की तरह व्यवहार कीजिए तथा अपनी सीमाओं के अन्दर बोलिए। आपका कहना है कि श्री चौटाला और हर कोई बेईमान है। आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। आप इस सभा में दूसरों पर आरोप लगाने के लिए नहीं हैं...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर : उन्होंने कहा कि "मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूं।"...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन : वे गलत आरोप क्यों लगा रहे हैं ? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है।

(व्यवधान)

श्री रामनाईक : वे इस सभा के सदस्यों पर बहुत क्रोधित हैं।. ..*(व्यवधान)* उन्होंने इस सभा के एक सहाय के विरुद्ध आरोप लगाया है...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन : वे झूठे आरोप लगाा रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : आपने क्या कहा, मैंने सुना। उन्होंने बहुत सही बात कही। माननी प्रधानमंत्री जी ने आपके द्वारा उल्लिखित उस एलिगेशन का यहां खंडन किया, अब आपको क्या कहना है ? आपने उसे स्वीकार किया या नहीं किया, यह आप बताएं।

[हिन्दी]

श्री पी. शिव शंकर : मैं आपको बताता हूं। मैंने यह बात साफ कही, आप जो बोल रहे हैं मैं आपकी बात को मानता हूं। मैंने यह बात कही है, मैंने पहले ही कहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री चेतन चौहान : वे झूठे आरोप लगा रहे हैं...*(व्यवधान)* आदरणीय प्रधानमंत्री सभी आरोपों का खण्डन कर देंगे...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब जबकि प्रधानमंत्री ने खंडन कर दिया है, माननीय सदस्य ने मान लिया है।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल जैन : वे समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर आरोप लगा कर सभा को गुमराह कर रहे हैं...*(व्यवधान)* वे एक वरिष्ठ नेता हैं...*(व्यवधान)* हम उनसे सीखना नहीं चाहते।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सत्यपाल जैन, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री पी. शिवशंकर : जब उन्होंने यह कहा मैंने उसे स्वीकार कर लिया।

श्री सत्यपाल जैन : आप माफी क्यों नहीं मांग लेते ? ...*(व्यवधान)* ये सभा को गुमराह कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे सभा की कार्यवाही चलाने देंगे ?

(व्यवधान)

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए. वी. एस. एम. : उन्होंने खरीद–फरोक्त के बारे में कहा है। उन्होंने आरोप लगाये हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : मैंने केवल यह कहा है कि उन्होंने एक सदस्य का नाम लिया है और वह सदस्य अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता है। उन्हें पहले अपनी स्थिति करने की अनुमति दी जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन, कृपया आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे बोलने देंगे ?

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : उन्हें स्पष्ट करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी. शिव शंकर ने यह कहा है कि उन्होंने नहीं कहा और आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है मैं कार्यवाही वृत्तांत से पता करूंगा।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल जैन : उन्हें स्पष्ट करने के लिए अवसर दिया जाये। उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वे इस बात से इंकार कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत को देखूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : बादल के घर में क्या हुआ, यह होर्स–ट्रेडिंग नहीं तो क्या है ? ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी या शिवशंकर जी ने क्या कहा, मैं उनकी बात को नहीं सुन पाया। मैं आपके सामने एक बात कह रहा हूं। यू. पी. के 11–12 आई. ए. एस. हैं, मैं उनकाा नाम नहीं लूंगा, मैंने दो आई. ए. एस. को अपने घर पर बुलाया उनसे कहा कि एम. पी. को तोड़ने के लिए क्यों आए। उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री जी मेरा ट्रांसफर कर रहे हैं इसलिए मेरी पत्नी ने मुझे मजबूर किया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : उन्होंने श्री चौटाला, श्री आनन्द मोहन का भी नाम लिया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन, मैं कार्यवाही वृत्तांत से पता करूंगा।

(व्यवधान)

अनन्त कुमार : महोदय, हमें कुछ प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप बैठ जाईये।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप दूसरों को बोलने नहीं दे रहे हैं। क्या आप बैठने की कृपा करेंगे ?

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अग्निहोत्री, कृपया उन्हें बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये। अब श्री शिव शंकर बोलेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कृपया आप श्री शिव शंकर को बोलने देंगे ? कृपया उन्हें बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : जब उनकी बारी आयेगी तब वे बोल सकते हैं अभी तो शिव शंकर को बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपनी सीट पर जायेंगे ?

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : उपाध्यक्ष महोदय, एम. पीज पर दबाव डाला जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में मत टोकिये। उन्हें बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास, क्या आप अपने स्थान पर बैठने की कृपा करेंगे ?

श्री पी. शिव शंकर : मैं ईमानदारी के संबंध में विस्तार से बोलने का प्रयास कर रहा था।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आनन्द मोहन : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का चांस दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी. शिव शंकर : मैं, शासन के मुद्दे पर विस्तार से यह कहना चाहता था कि उनका एजेंडा ईमानदारी तथा पारदर्शिता को लेकर तय किया गया था। उन्होंने दुहरे मानदण्ड अपनाये...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा की कार्यवाही चलाने दीजिये। बीच–बीच में ये क्या टिप्पणियां की जा रही हैं ?

श्री पी. शिव शंकर : कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में केन्द्र के एक मंत्री जो कि हिमाचल प्रदेश से थे, के संबंध में जब एक मुद्दा उठा था तब इन्होंने, इस आधार पर कि वह बेईमान हैं, 13 दिनों तक सभा की कार्यवाही नहीं चलने दी। ऐसे व्यक्ति को इन्होंने खरीदकर गले लगाया तथा उसे पद दे दिया। यह कैसी ईमानदारी है ? मैं, यह प्रश्न सरकार से पूछना चाहता हूं। वे किस प्रकार की ईमानदारी का दावा कर रहे हैं ? उनके दोहरे मानदण्ड हैं।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह (बांका) : इन्हें बोलते डेढ़ घंटा हो गया है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी. शिव शंकर : एक घंटे से ज्यादा तो आप सभी बोले हैं। मैं तो 15 मिनट ही बोला हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : हम लोग आपको सुनने के लिए बैठे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. शिव शंकर : मैं, सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि कुछ दिनों पूर्व मैंने भा. ज. पा. की केन्द्रीय परिषद् समिति के एक सदस्य द्वारा लगाये गये आरोपों के आधार पर एक मुद्दा उठाया था। मैंने, उस समय आई. टी. सी. द्वारा यू. टी. आई. के लिए गये शेयरों, जिन्हें बी. ए. टी. को बेचा जाना था, तथा जिस बनावटी ढंग से उनकी कीमतों को बढ़ाया गया था, तथा उस प्रस्ताव को जिस महानुभाव ने वित्त मंत्री के समक्ष रखा था, के बारे में उल्लेख किया था। उस समय मैंने आरोप लगाये थे और यह कहा था...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : आप इस मुद्दे को कितनी बार उठायेंगे ?

श्री पी. शिव शंकर : जितनी बार आवश्यक होगा मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। हम यहां विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं और मुझे यह बात कहनी है।

सायं 6.29 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

श्री पी. शिव शंकर : मेरा आरोप है कि इस सरकार ने कानून की अपेक्षा व्यक्तिगत संबंधों को अधिक महत्त्व दिया है। मैंने यह बात सभा में कही थी। मैंने कहा था कि यदि प्रधानमंत्री के दत्तक दामाद के खिलाफ आरोप है तो प्रधानमंत्री स्वयं कैसे आरोप से बच सकते हैं।

वे सिद्धान्तों और नैतिक मूल्यों की बात करते हैं। वे कहते हैं कि उनकी सरकार नैतिक मूल्यों पर आधारित है। उनका कहना है कि उनकी सरकार पारदर्शी है। जब मैंने, वित्त मंत्री के पूर्व सलाहकार द्वारा लगाये गये आरोपों के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति गठित करने के लिए कहा तो वे सहमत नहीं हुए। उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। उन पर हांट रोल्ड कॉयल्स का मूल्य निर्धारित करने तथा दाभोल–II में एनरॉन के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। क्या यही सरकार की नैतिकता है ? क्या यही प्रधानमंत्री की नैतिकता है ? मैं सीधे तौर पर प्रश्न पूछता हूं। पिछली बार अपने तेरह दिन के शासनकाल में उन्होंने श्री एनरॉन परियोजना को मंजूरी दी थी जिसके बारे में माननीय गृह मंत्री, जो यहां उपस्थित हैं, ने कहा था कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आयी तो वे इस कंपनी को देश से बाहर निकाल देंगे। यही कहा गया था। केवल 13 दिन के शासनकाल में मंजूरी दे दी गई थी। आज, दाभोल–II के संबंध में इस आशय के समझौते कि वे 60 प्रतिशत विदेशी इक्विटी इस देश में लायेंगे, के बावजूद, वे रियायतें दे रहे हैं। परिणामस्वरूप, वे 60 प्रतिशत इक्विटी नहीं ला रहे हैं। दाभोल–II में जिस विद्युत सयंत्र का विकास किया जा रहा है उसकी उत्पादन क्षमता 2000 मेगावाट है।

महोदय, इसी प्रकार विज़ाग स्थित फास्ट ट्रैक पावर प्रोजेक्ट के बारे में भी जो सहमति पत्र दिया गया है वह सभी मानदंडों के विरुद्ध है। ऐसी अनेक बातें हैं। परन्तु मैं उन सबके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। केवल ये घटनाएं यह दर्शाने के लिए काफी हैं कि यह सरकार ईमानदारी से कार्य नहीं कर रही है। यह सरकार पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य कर रही है और प्रधानमंत्री भी इन जिम्मेदारियों से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री पर सीधा आरोप लगाता हूं। जो कुछ सरकार में हो रहा है और उनके मंत्री जो कुछ कर रहे हैं, उससे प्रधानमंत्री अनभिज्ञ कैसे रह सकता है ? वह उन्हें नजरअंदाज करके यह कैसे कह सकते हैं कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है ? यदि यह सरकार पारदर्शी थी तो जब हमने संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की बात कही थी तो उन्हें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिये था परन्तु उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति के गठन की बात स्वीकार नहीं की।

इसी प्रकार जहां तक एडमिरल भागवत द्वारा लगाये गए आरोपों का संबंध है, मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता हूं। परन्तु उस व्यक्ति द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप तो लगाये ही गए हैं। जब हमने संयुक्त संसदीय समिति के गठन की बात की तो उनहोंने कहा कि वे संयुक्त संसदीय समिति के अधिकार की बात नहीं मानते हैं। इससे सच्चाई सामने आ जाती और इस बात का पता चल जाता कि कौन झूठ बोल रहा है। यदि आप यह समझते हैं कि आप निष्कलंक हैं तो जब हम संयुक्त संसदीय समिति के गठन की पुरजोर मांग कर रहे थे तो उसके लिए सहमत क्यों नहीं हुए ?

महोदय, प्रधानमंत्री ने 27 मार्च, 1998 को पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव पर अपने भाषण में कहा था :

[हिन्दी]

> "हम चाहेंगे कि राज्यों को और अधिक स्वायत्तता मिले। साधनों का बटवारा इस तरह से होना चाहिये कि राज्य अपने पैरों पर खड़े हो सकें, विकास की जिम्मेदारियां निभा सकें।"

[अनुवाद]

क्या आप हमें बतायेंगे कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या आपने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है ? आप इस सभा और राष्ट्र को विश्वास में नहीं लेते हैं। जैसा मैंने कहा, कि सत्ता पक्ष का यह कर्त्तव्य था कि वे इस राष्ट्रीय एजेंडा का अध्ययन करते और उन्हें हर बात बतानी चाहिए थी कि हमने इस एजेंडा के अनुंसार अमुक कार्य किया है और इसलिए हमें इस सभा का विश्वास चाहिये, तब ही मुझे इनकी बात समझ में आती। परन्तु इसके विपरीत, वे केवल भाषण दे रहे हैं और चाहते हैं कि हम उन पर विश्वास करें।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : यह पांच साल का एजेंडा है।

श्री पी. शिव शंकर : हां, मुझे मालूम है कि यह पांच साल का एजेंडा है लेकिन आपने एक साल में क्या किया है ?

श्री लाल मुनी चौबे : यह पांच साल का एजेंडा है और आप भाषण दिये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. शिव शंकर : इन लोगों का किस प्रकार का सैद्धान्तिक दृष्टिकोण है ? मैं उसे आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। वे सैद्धान्तिक राजनीति की बात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री पी. शिव शंकर, अभी 22 और वक्ता बोलने के लिए शेष हैं।

श्री पी. शिव शंकर : मैं कुछ ही मिनटों में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। वे आधे घंटे से भी अधिक समय से बीच-बीच में व्यवधान डाल रहे हैं।

मैं इस सभा को बताना चाहता हूं कि वे सैद्धान्ति दृष्टिकोण और नैतिक मूल्यों की बात करते हैं। यदि आप 1989 से ठीक पहले और बाद के उनके रिकार्ड और उनकी पूरी राजनीति पर नजर डालें तो आप पायेंगे कि उन्होंने येन-केन प्रकारेण सत्ता में आने के लिए अलग-अलग दलों से सीटों के तालमेल की कोशिश की है। उनका ऐसा ही रवैया रहा है जो कि आपको इतिहास से मालूम हो सकता है। उनका संपूर्ण दृष्टिकोण अथवा एक मात्र लक्ष्य अथवा उद्देश्य कांग्रेस के विरुद्ध रहने के अलावा कुछ नहीं रही है। इसी वजह से उन्होंने ऐसे दलों के साथ गठबंधन किया है जिनकी विचारधारा इनके कार्यकरण से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। उदाहरणर्थ, अकाली दल, श्री वैको जी की पार्टी और नेशनल कांफ्रेस को ही लें। इसमें कांग्रेस के विरोध के अलावा कुछ भी नहीं है। गैर विचारधारा और असमान विचारधाराओं पर आधारित गठबंधन की सरकार लम्बे समय तक नहीं चल सकती और वास्तव में अभी तक ऐसा ही हुआ है।

जहां तक उनकी उपलब्धियों का संबंध है, मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने उनकी प्रमुख उपलब्धियों का विस्तार से वर्णन किया है। उनकी प्रमुख उपलब्धि अग्नि-II रही है। मैं अपको यह बताना चाहता हूं कि क्या वह पोखरन या लाहौर की बस यात्रा थी जिसके लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की जा रही है जब उन्होंने यह कहा था कि ये सब शिमला रामझौते का ही एक विस्तार है। तब वे किस लिए इसका श्रेय ले रहे हैं ? जब हम पोरखन-II या अग्नि-II के लिए अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई देते हैं तो इस सरकार को इसका श्रेय क्यों दिया जा रहा है जबकि वे स्वयं कहते हैं कि यह शिमला समझौते का विस्तार है ?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों डिस्टर्ब करते हैं उनको ? डिस्टर्ब नहीं करें।

[अनुवाद]

श्री पी. शिव शंकर : उन्होंने इस दस्तावेज की प्रस्तावना में स्थायी सरकार की बात की है। उनका कहना है कि वे एक स्थायी सरकार की स्थापना करेंगे और कुशल नेतृत्व प्रदान करेंगे। मैं इस सभा और राष्ट्र की जानकारी में यह बात लाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री उनके स्वयं के घर में और अन्य स्थानों में हो रहे भ्रष्टाचार को बिना किसी प्रतिवाद के स्वीकार कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उनके पास किस प्रकार का कुशल नेतृत्व है। यह पूरे राष्ट्र के लिए बड़े ही शर्म की बात है। मैंने इसका विस्तृत ब्यौरा भी दिया है।

जहां गठबंधन का संबंध है, तो गठबंधन तो केवल एजेंडा में शामिल होने वाले समान विचारधारा वाले दलों के साथ ही सफल हो सकते हैं। कम से कम धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर हम सब एक मत हैं। परन्तु उनमें कुछ ऐसे भी दल हैं जिनकी धर्मनिरपेक्षता के बारे मे भी समान विचारधारा नहीं है। अन्य दलों के भिन्न मत हैं। प्रत्येक दल अपना प्रभाव डाल रहा है और अपनी-अपनी शर्तें मनवाता रहा है तो फिर ने इसे कुशल नेतृत्व और स्थायी सरकार कह सकते हैं। दूसरी ओर से हमारे एक मित्र ने रक्षा मंत्रालय मांगा और उन्हें वह मंत्रालय दे दिया गया।

इसी प्रकार बंगाल पैकेज दिया गया है। उसे किस कीमत पर दिया गया है ? केवल ईश्वर ही उसके बारे में जानता है। यह पैकेज धमकी के कारण दिया गया है। इसी प्रकार, बीजू जनता दल चाहता था कि इस्पात मंत्रालय परम्परागत रूप से उसके पास रहा है इसलिए इस्पात विभाग उसी को दिया जाना चाहिए और वह उनको दे दिया गया। यदि यही तरीका अपनाया जाता है तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह प्रधानमंत्री कुशल प्रधानमंत्री हैं ? वे प्रत्येक बात पर समझौता कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब वे विपक्ष में होते हैं और यह मुद्दा उठाया जाता है तो वे यह कहकर इसका शोर मचाते हैं कि यह भ्रष्टाचार है। परन्तु जब वे सत्ता में होते हैं तो तब वे इसे समझौता कहते हैं। ये सब जो उन्हें करना पड़ता है, उसे समझौता कहा जाता है। ये सब जो हो रहा है, क्या यह पक्षपात है अथवा अन्यथा।

कल जब वित्त मंत्री और गृह मंत्री ने विश्व बैंक की रिपोर्ट से उद्धरण दिया तो उसे सुनकर में आश्चर्यचकित रह गया। विश्व बैंक की रिपोर्ट में क्या कहा गया है ?

विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सबसे पसंदीदा देश है। वे लोग भी यही कह रहे हैं। क्या इसी वजह से 1998 में आपकी पार्टी सत्ता में आयी थी इसलिए भारत सबसे पसंदीदा देश बन गया है ? क्या रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है ? क्या उस समाचार में ऐसा कहा गया है ? ऐसी बात नहीं है। आखिरकार, इसमें 100 करोड़ लोग रहते हैं। यहां पर उपभोक्तावाद काफी अधिक है और अच्छे बाजार की संभावना है। इसलिए यदि विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा कहा है तो फिर वित्त मंत्री या गृह मंत्री किस बात का श्रेय ले रहे हैं ? यदि ऐसा कहा गया है कि 1998 और 1999 में जो कुछ किया गया है उसी के परिणामस्वरूप उन्हें लगता है कि भारत उनके लिए एक बहुत अच्छा बाजार है और शायद उस स्थिति में सरकार स्वयं को सांत्वना दे सकती है। मैं इससे आगे और बोलना नहीं चाहता हूं।

मैंने काफी समय ले लिया है। मेरे विचार में यह सरकार सभी मोर्चों पर असफल हो गई हैं उसकी कोई राजनीतिक नैतिकता नहीं है। मैंने इस बात को उदाहरण देकर दर्शाने का प्रयास किया है। यह एक अक्षम और असैद्धान्तिक सरकार है। इसमें प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार

[श्री पी. शिव शंकर]

व्याप्त है और प्रधानमंत्री तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इतर संवैधानिक प्राधिकारी प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष और परोक्ष सहमति से अत्यंत लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने गरीब जनता की उपेक्षा की है। मेरा केवल यह आग्रह है कि ईश्वर के लिए इस सरकार को तुरन्त चले जाना चाहिए।

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस सभा के सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव को विफल कर दिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी वैकल्पिक सरकार बनाने का अपना दावा पेश करेगी।

श्री राम नाईक : महोदय, मैं सदस्यों की सुविधा के बारे में एक घोषणा करना चाहता हूं। हमें और कई घंटों तक कार्य करना होगा इसलिए हमने सदस्यों और प्रेस के लिए कमरा संख्या 70 में और कर्मचारियों के लिए कमरा संख्या 73 में रात्रि–भोज का आयोजन किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, यदि आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि मुझे कितना समय आबंटित किया गया है तो मुझे बहुत सुविधा होगी। मैं नहीं समझता की आप मुझे भी अन्य वक्ताओं की तरह एक या डेढ़ घंटे का समय देंगे। मुझे ऐसी अपेक्षा नहीं है। मैं उसकी मांग भी नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपके लिए कोई समय–सीमा नहीं है। आप बोल सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इस समय प्रधानमंत्री यहां नहीं हैं क्योंकि मैं कुछ कहना चाहता हूं।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : पूरा मंत्रिमंडल यहां मौजूद है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वास्तव में पूरा मंत्रिमंडल यहां मौजूद है परन्तु उसका प्रमुख यहां नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब गृह मंत्री सरकार के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ दलों को सूचीबद्ध किया था जिनके बारे में उन्हें कोई आशा नहीं है कि वे अपना कोई सुधार करेंगे।

कुछ दलों से उन्हें आशा है और कुछ दलों के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें अब भी उनसे आशा है, वे दल अपनी मूर्खता को समझेंगे और सही रास्ते पर वापस आयेंगे और वह दल केवल हमारा दल है। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने जो बधाई मुझे दी है उस पर मुझे सम्मानित किया जाना चाहिए या बधाई दी जानी चाहिए अथवा घबरा जाना चाहिए... *(व्यवधान)* यह कांग्रेस के प्रति दलों के दृष्टिकोण के बारे में था यदि वे यह समझे रहे थे कि हमारा दल जिसका एक लम्बा इतिहास है और इसकी इस देश में कांग्रेस के कुशासन और इतने वर्षों से चल रहे कुशासन के खिलाफ लड़ने की लम्बी परम्परा रही है। इसलिए अब वे सोचते हैं कि शायद हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए जिससे यह अनुमान लगाया जाए कि यह कांग्रेस के पक्ष में है। पहली बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका तो प्रश्न हीं नहीं उठता। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए जनता और इस देश के हितों के खिलाफ काम किया है। इसे कभी भी भुलाया नहीं जायेगा और यह बात सबकी जानकारी में है...*(व्यवधान)* आखिरकार, मैं यह बात नहीं भूल सकता हूं कि इसी कांग्रेस पार्टी और इसके कुछ नेताओं ने दो वर्ष से कम समय के पश्चात् हर कीमत पर हमारी संयुक्त मोर्चा सरकार को गिराया था। उन्होंने इस सभा में हमें विश्वास दिलाया था कि वे हमारी सरकार का समर्थन करेंगे और उसको चलाने में हमारी सहायता करेंगे परन्तु बाद में, जब उनकी सत्ता की भूख तथा मंत्री बनने की आकांक्षा अनियंत्रित हो गयी तो उनकी पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष ने हमारी सरकार को गिराने में प्रमुख भूमिका निभायी। उनके लिए यह कोई कठिन कार्य नहीं था क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं था। हम कांग्रेस के बाहर से समर्थन पर निर्भर थे। तथापि, उन्होंने जैन आयोग की रिपोर्ट में कथित रूप से उल्लिखित किसी मुद्दे के बारे में निरर्थक दलील के आधार पर सरकार को गिराने का काम किया जबकि उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे संदेह है कि कांग्रेस पार्टी के कितने सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने जैन आयोग की रिपोर्ट को पढ़ने की कोशिश की होगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : यहां तक कि उस पर नजर भी डाली हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे वह रिपोर्ट पढ़नी पड़ी क्योंकि श्री जैन ने स्वयं वह रिपोर्ट मेरे कार्यालय अर्थात् गृह मंत्री के कार्यालय को सौंपी थी। उस रिपोर्ट में तमिलनाडु की डी. एम. के. सरकार के खिलाफ आरोप लगाये गये थे परन्तु मैं अब उन आरोपों का उल्लेख करना नहीं चाहता हूं। परन्तु यह कहा गया था कि उन आरोपों को ध्यान में रखते हुए यदि हम, अर्थात् संयुक्त मोर्चा सरकार डी. एम. के. को संयुक्त मोर्चे से निकालने तथा आगे भी उससे कोई संबंध न रखने के लिए सहमत नहीं होगी तो हमारी सरकार को कांग्रेस का समर्थन वापस समाप्त हो जाएगा। हम उसके लिए सहमत नहीं हुए और हमने उनका यह तर्क स्वीकार नहीं किया क्योंकि हम समझते हैं कि श्री जैन ने जो आरोप डी. एम. के. के खिलाफ लगाये थे वे गलत और असत्यापित थे। डी. एम. के. के सदस्य यहां उपस्थित हैं और आज जो कुछ भी यहां हुआ है उसको देखने के पश्चात् उन्हें हमारे साथ आ जाना चाहिए। आप हमारे साथ थे परनतु अब आप हमारे पीछे हैं। अंब आप उनके साथ हैं। मैं आपको शभुकामनाएं देता हूं। महोदय, इसलिए हमारी सरकार गिरा दी गयी थी। मैं जानता हूं और यह बात नहीं भूल सकता कि उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी।

मैं भी उसे नहीं भूल सकता हूं और भूलना भी नहीं चाहता हूं। मैं इस बात के महत्त्व को कम करना नहीं चाहता हूं कि लगभग 50 वर्षों में, जिनमें उन्होंने अपनी अकेली पार्टी के बहुमत से ही निर्बाध रूप से शासन किया है, कई ऐसे कार्य किए हैं जो आम जनता, गरीब वर्गों के लोगों तथा पूरे देश के हितों के खिलाफ थे। मैं यह भी नहीं भूल सकता कि जब इन लोगों का समर्थन प्राप्त कुछ लोगों ने *मस्जिद* गिरायी थी तो उस समय केन्द्र में श्री नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस समय लखनऊ में श्री कल्याण सिंह की सरकार थी परन्तु दिल्ली में श्री नरसिम्हा

राव की सरकार थी, जहां एक ओर बड़ी संख्या में लोग मस्जिद गिराने में सक्रिय थे वहीं दूसरी ओर, श्री नरसिम्हा राव की सरकार मूक दर्शक बनी रही। उन्होंने कभी भी उसमें हस्तक्षेप नहीं किया और उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। उनके पास सशस्त्र बल, पुलिस, कानून, जेल और हर साधन था। वे उसे रोक सकते थे परन्तु उन्होंने उसे रोकने के लिए कभी भी कुछ भी नहीं किया और हम इन सब बातों को भूले नहीं हैं। क्या वे यह सोचते हैं कि अब हम 'कांग्रेस को गले से लगाने वाले हैं ? उनसे किसने ऐसा कहा है ? परन्तु अब हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसमें यदि वैकल्पिक सरकार बनाना संभव हो तो हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो वह एक अलग बात है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं; तो यह सरकार बनी रहे अथवा हम सबको चुनाव का सामना करना पड़ेगा, जैसी कि संभावना भी है जिसे सभी पार्टियों के अधिकांश माननीय सदस्य नहीं चाहते हैं।

महोदय, श्री आडवाणी यह जताने का प्रयास कर रहे थे कि जो पार्टी सदैव कांग्रेस विरोधी रही है और कांग्रेस के खिलाफ लड़ती रही है, उसने अचानक कांग्रेस के प्रति नरम रुख क्यों अपनाना चाहिए। मुझे डर है, न तो मैं उनकी इस जिज्ञासा की संतुष्टि कर सकता हूं और न ही मैं उनके विचारों से सहमत हूं क्योंकि निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रति हमारा बिल्कुल भी नरम रुख नहीं है। परन्तु हम सौभाग्य से अथवा दुर्भाग्य से गठबंधन की राजनीति के दौर से गुजर रहे हैं और देश की राजनीति विखंडित हो गयी है। हर व्यक्ति उसके बारे में जानता है। यही कारण है कि समान विचारों वाले दलों में भी एकता लाभ बहुत कठिन है। आजकल सामान्य मतदाताओं के लिए यह कठिन है कि वे एक ही पार्टी के लिए मतदान करें और उसे बहुमत दिलाएं। यह नहीं हो रहा है और हमने ऐसा तीन बार देख लिया। इसका कारण यह है कि विभिन्न कारणों, जैसे समुदाय पर आधारित कारणों, जातिवाद पर आधारित कारणों, क्षेत्रिय हितों पर आधारित कारणों और कई अन्य कारणों से राज्य व्यवस्था पूरी तरह खण्डित हैं।

राज्य व्यवस्था पूरी तरह बिखर चुकी हैं और इसलिए इस जटिल परिस्थिति में विपक्षी दल एक वैकल्पिक सरकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उन्हें इस विषय पर और भी चर्चा करनी होगी। उन्हें चिंता हो रही है क्योंकि वे सभी चाहते हैं कि यह सरकार गिरे। कई अन्य माननीय सदस्यों ने इसके कारणों का विस्तार से जिक्र किया है और उन्हें इस सरकार की जगह एक नई सरकार लानी है जो अधिक प्रजातांत्रिक होगी और देश की एकता को कायम रखने के बारे में अधिक सोचेगी। इस देश में एकता अचानक ही नहीं आ गई है। यह एक या दो दिनों में नहीं आई है। इस देश को बनाने में और इतने विशाल देश में समाज को बनाने में हजारों साल लगे हैं, जिसमें अलग-अलग मूलों अलग-अलग जातियों, अलग-अलग संस्कृतियों, अलग-अलग भाषाओं को बोलने वाले और अलग-अलग विकास के स्तरों पर पहुंचे लोग एक साथ हैं एक मातृभूमि के एक समान नागरिक के रूप में रहते हैं। इतिहास में इन वर्षों में हुई ये बातें आसान नहीं हैं। इसी कारण से मुझे इस देश का नागरिक होने पर गर्व है। कई लोगों ने भारत के बारे में भविष्यवाणी की और बड़ी-बड़ी किताबें लिखीं और कहा कि अंग्रेजी राज जाने के बाद भारत एक देश के रूप में अधिक दिन तक नहीं चलेगा। भारतीय लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे, दंगों और फसादों में लगे रहेंगे और समूचा देश के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे। अंग्रेजों ने इस प्रकार की कई बातें लिखीं। श्री विस्टन चर्चिल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐसी बात कही। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर उन्होंने कहा :

> "यह एक कटु सत्य है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हमें भारत को छोड़ना पड़ रहा है। परन्तु मैं प्रत्येक व्यक्ति को यह चेतावनी देता हूं कि जैसे ही हम भारत छोड़ेंगे, ये भारतीय लोग स्वयं ही अपने देश को नष्ट कर देंगे। इसके टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे। कुछ भी नहीं बचेगा।"

खैर, उनकी भविष्यवाणी सही नहीं हुई। 50 साल से ऊपर हो गए हैं। हमारी कई कमजोरियां हैं, हममें कई दोष हैं और हमारी आपस में कई प्रकार की लड़ाइयां भी हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है। इस देश में कई दुखद घटनाएं घटी हैं। परन्तु देश चलता रहा है। आज, विश्व के समुदाय में 50-60 वर्ष रहने के बाद, भारत को एक प्रमुख शक्ति के रूप में माना जाता है जिसका सिर हमेशा उठा हुआ है।

ऐसा किसने किया ? इसका श्रेय किसे दिया जाना चाहिए ? यह इस सरकार या उस सरकार का काम नहीं है। मेरी राय में, ऐसा बुनियादी सद्भावना, देशभक्ति और लोगों की एक साथ मिलकर रहने की इच्छा के कारण है कि आम जनता ने बिखरने से इंकार कर दिया। उन्होंने इस देश को इन वर्षों में एकजुट रखा है। इसलिए, अब मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में एकता बनी रही है। यह सत्य है। राज-व्यवस्था बिखर रही है। हम एक बुरे और दुखद दौर से गुजर रहे हैं। परन्तु देश हमेशा एक रहा है। इस देश की राजनीतिक व्यवस्था विखण्डित हो रही है और बिखर रही है।

हम सबके लिए संकट हैं। यह किसी पार्टी विशेष के लिए संकट नहीं है। हमें कभी-कभी पार्टी से ऊपर उठकर सोचना चाहिए और पूरे देश के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए, अब मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री वाजपेयी, जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से काफी आदर करता हूं, काफी लम्बे समय से, अर्थात् प्रधानमंत्री बनने से पहले मेरे मित्र रहे हैं। और मैं एक साधारण दर्जे का संसद सदस्य था। परन्तु हम दोनों अच्छे मित्र थे। उन्होंने विश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने की बात की है, क्योंकि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उनकी सरकार सदन में बहुमत खो चुकी है। आपको पता है कि उन्होंने बहुमत क्यों खोया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सदन में 18 सांसदों वाली एक पार्टी, जो शुरू से उनके साथ थी, ने अपना समर्थन वापस लेने का निर्णय ले लिया है। इसी के बाद प्रधानमंत्री जी ने माननीय राष्ट्रपति जी की सलाह पर विश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने के लिए सदन से अनुरोध किया। मुझे खुशी है कि उन्होंने ऐसा किया। कुछ मित्रों ने कहा कि यह और भी अच्छा होता यदि वे सीधे त्यागपत्र दे देते। यह उनका विशेषाधिकार है। उन्हें त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु जाने से पहले वे सदन में भी इसे आजमा सकते हैं।

खैर जो भी हो, यदि आप बुरा न मानें तो मैं यह कहना चाहता

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

हूं कि कई सदस्यों ने यहां कहा है कि श्री वाजपेयी, उनके व्यक्तिगत गुणों और अन्य बातों के बावजूद भी, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। वे बंधन में काम कर रहे हैं। वे मजबूरी में काम कर रहे हैं। वे कतिपय अन्य दलों, संगठनों, पार्टियों आदि के दबाव में काम कर रहे हैं जो इस सरकार को घेरे हुए हैं।

सायं 7.00 बजे

मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के बारे में मेरी एक मुख्य आलोचना यह है कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि वे ऐसे कौन–कौन से बल हैं जो उनके अथवा उनकी सरकार द्वारा औपचारिक रूप से घोषित की गई अधिकांश नीतियों और विचारों के विरोधी हैं। परन्तु मेरी शिकायत यह है कि उन्होंने कभी भी उनके विरुद्ध कड़ा रुख नहीं अपनाया। उनके नेतृत्व में यह सरकार आखिर क्या करना चाह रही है ?

जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेजी में एक कहावत है, "रनिंग विद् दि हेयर एंड हंटिंग विद दि हाऊंड्स।"

[हिन्दी]

उसका मतलब आप समझते हैं कि जो शिकार करने वाले शिकारी कुत्ते होते हैं,

श्री लालू प्रसाद : बंजारों के पास रहते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एक छोटा सा जानवर होता है खरगोश, उसको दौड़ाया जाता है, उसके पीछे शिकारी कुत्ते दौड़ते हैं। वे उसको पकड़ ले तो छोड़ते नहीं।

श्री लालू प्रसाद : सियार को भी पकड़ते हैं, सियार कभी–कभी मरवा भी देता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा कहना है कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी सरकार, इन लोगों के बारे में इस किस्म का एटीट्यूड लेकर चल रही है कि हम खरगोश बनकर भी दौड़ेंगे और शिकारी कुत्ते बनकर भी दौड़ेंगे। मेरे ख्याल से ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। मुझे माफ करें मेरी हिन्दी जरा कमजोर है। मैं अंग्रेजी में नहीं बोल रहा हूं कभी आप बाद में बोलें कि यह लंदन की पार्लियामेंट बना दी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : स्विचओवर कर दिया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : स्विचओवर कर दिया, लेकिन हमारी पार्लियामेंट में अंग्रेजी भी एक रिकोग्नाइज भाषा है, हिन्दी भी इसके साथ ऑफिशियल लेग्वेज है, दोनों चलती हैं। मेरा कहना है कि जब अटल जी इस हाउस से कांफिडेंस चाहते हैं तो किसके प्रति हम लोगों का कांफिडेंस प्रकट करने के लिए कह रहे हैं। आज जो भारत के समाज की परिस्थिति है मुझे लगता है जब हम कांफिडेंस प्रकट करें तो वह किसके ऊपर आएगा, किसके लिए हम कांफिडेंस एक्सप्रेस कर रहे हैं। अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विनय कटियार, ये लोग माने हुए लोग हैं।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो लोग सदन के सदस्य नहीं हैं ये उनका नाम कैसे ले रहे हैं, क्या हाउस के नियम सीनियर मेम्बर्स के ऊपर लागू नहीं होते, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने इनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, कोई नुक्ताचीनी नहीं की, फिर क्यों आप ऐसे तडप रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं। जो संघ परिवार है, ये इसके माने हुए नेतागण हैं। संघ परिवार के बारे में हम इन लोगों की मार्फत अखबारों में, पत्रिकाओं में पढ़ते हैं और दूसरी जगह भी सुनने में आता है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बी. जे. पी. जो राजनीतिक पार्टी है।

[अनुवाद]

एक पार्टी के रूप में बी. जे. पी. तथा इस संघ परिवार के बीच क्या रिश्ता है ? मुझे लगता है कि संघ परिवार बी. जे. पी. का दुश्मन नहीं है।

[हिन्दी]

उनकी यह मांग मैंने कभी नहीं सुनी कि वे अटल जी की सरकार गिराना चाहते हैं। हो सकता है, कोई उनमें ऐसा सोचे, मुझे मालूम नहीं है।

जहां तक हिन्दुत्व का सवाल है, मस्जिद का स्वाल है, मंदिर बनने का सवाल है, इत्यादि–इत्यादि, इसमें इन लोगों का क्या स्टैंड है, यह सबको मालूम है। बहुत कट्टरता से शुरू से आज तक बोलते आए हैं। हालांकि मैं मानता हूं, बीच–बीच में प्रधानमंत्री जी कभी–कभी उनको बहुत मुलायम ढंग से, थोड़–थोड़ा मना करते हैं, लेकिन वे सुनने वाले लोग नहीं हैं, अपना काम चला रहे हैं। श्री अशोक सिंघल, आचार्य गिरिराज किशोर और विनय कटियार तथा और लोगों के नाम मैं नहीं ले रहा हूं, इन लोगों ने कहा है कि हमें जो अपना काम करना है, वह हम करेंगे। जहां मस्जिद गिरी है, उसी स्थान पर मंदिर बनायेंगे। कोर्ट की कुछ राय है, कोई कुछ भी बोले या न बोले, हम उसी जगह पर, उसी स्थान पर अपना नया मंदिर बनायेंगे। काशी और मथुरा के बारे में बोलते रहते हैं। उसके बाद फिर दो नम्बर और तीन नम्बर आएगा। जहां तक बजरंग दल की बात है, बजरंग दल का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि हाल ही में होम मिनिस्टर के द्वारा बजरंग दल को एक सर्टिफिकेट मिला है। उड़ीसा में जो दुर्घटना हुई है, आस्ट्रेलियन मिशनरी और उनके दो बच्चों को जिन्दा जला दिया गया। यह कहा गया, पत्रिकाओं और दूसरी जगहों पर, बजरंग दल के लोगों ने शागद किया है। बजरंग दल का नाम वे कहते हैं कि कुछ दिनों से वहां सुनने में आ रहा था। ये लोग तैयारी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम है। अपना नारा देते हैं–बजरंग दल की जय, वगैरह। उनकी हत्या करने के लिए जिस दिन आए, उस दिन भी बजरंग दल की जय की आवाज सुनने में आई और एक व्यक्ति का नाम दारा सिंह जिन्दाबाद, यह सुनने में भी आया। लोग कहते हैं कि दारासिंह कौन है ?

डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : दारासिंह को तो पूरा देश जानता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं बुद्धु आदमी हूं, मुझे नहीं मालूम। आपका सौभाग्य है, एक ऐसे व्यक्ति से आपका इतना गहरा परिचय है। इन्होंने कुछ कदम उठाए हैं। एक जज साहब इस घटना की जांच करने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। बहुत अच्छा कदम उठाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। जांच चल रही है, जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है, जांच का निर्णय क्या निकलेगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन होम मिनिस्टर साहब ने एक बयान दे दिया--जहां तक मैं जानता हूं, बजरंग दल ऐसा संगठन है, जिसमें कोई अपराधी लोग नहीं है। मैं पूछता हूं, इसकी क्या जरूरत थी ?

[अनुवाद]

उन्होंने कहा कि बजरंग दल में कोई अपराधी तत्त्व नहीं हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें ऐसा किसने बताया, उन्हें कैसे पता चला, उन्हें उन लोगों को प्रमाण पत्र क्यों देना चाहिए।

[हिन्दी]

अभी जांच चल रही है। यह मेरे ख्याल से ठीक नहीं किया गया। अयोध्या में यह साबित हो गया है कि वहां मंदिर बनाने के लिए पत्थर तैयार हो रहे हैं। पत्थर लाकर काटे जा रहे हैं। विभिन्न स्थानों से काम करने के लिए कारीगरों को लाया जा रहा है। इस बारे में सब छप चुका है, निकल चुका है और अशोक सिंघल जी ने इसको स्वीकार किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को वे बार-बार कह रहे हैं, जबकि अदालत ने मना कर दिया कि उसी स्थान पर मंदिर बनाया नहीं जाएगा। इसके बावजूद भी अशोक सिंघल बार-बार बोलते हैं कि यह ऐसा मामला है, जिस कोर्ट द्वारा फैसला करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

इसमें कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। यह तो लोगों की भावनाओं की बात है।

[हिन्दी]

इसलिए यह काम वे लोग तेजी के साथ कर रहे हैं और अटल जी की बात सुनने को राजी नहीं है। मेरा कहना है कि अटल जी ने कमजोर और मुलायम ढंग से एक-दो बार थोड़ा सा उन लोगों को कहा कि ऐसा मत करिए। जब ये हत्याएं हुईं तो उन्होंने वहां जाकर कहा कि ये लोग जो प्रचार कर रहे हैं, इन हत्याओं का मूल कारण यह है कि जो मिशनरी लोग हैं, ये वहां आदिवासी लोगों को अपना धर्म बदल कर उनको क्रिश्चियन बनाने बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर वहां लोग बिगड़ गए और इसलिए ये सब काम हुआ। उन्होंने कहा कि देश के अंदर कंवर्शन के प्रश्न पर डिबेट चलनी चाहिए, यही बोलकर उन्होंने छोड़ दिया, और कुछ नहीं हुआ।

महोदय, इसके साथ-साथ, ये संगठन और उनके नेतागण, मैं समझता हूं कि सरकार और बी. जे. पी. के लिए भी समस्या पैदा करते हैं और भविष्य में भी इससे करेंगे बड़ी समस्या खड़ी करेंगे। हमें यह बात साफ कर लेनी चाहिए कि इन लोगों के साथ हमारा रिश्ता कैसा हो और हमें उनके साथ कैसे निभाना है, और उनके वक्तव्यों और गतिविधियों की कड़ी भर्त्सना करने में आप डरते क्यों हैं। आप भयभीत क्यों हैं ? इसके पीछे कुछ कारण हैं। तब महोदय, मैं आर. एस. एस. का नाम लेना नहीं चाहता था मुझें नहीं पता कि आर. एस. एस. संघ परिवार का एक औपचारिक सदस्य है भी या नहीं। क्या वे हैं ? मैं नहीं जानता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यही तो शक जड़ है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यही शक की जड़ है। ठीक है, परन्तु मैं आमतौर पर आर. एस. एस. के बारे में कुछ नहीं पूछंगा क्योंकि मुझे पता है कि बी. जे. पी. के सभी नेताओं और यदि सभी नहीं तो अधिकांश मंत्रियों ने अपना प्रशिक्षण, स्कूली शिक्षा और ड्राइविंग लाइसेंस आर. एस. एस. के साथ ही पाया है। वे इसे कभी छिपाते भी नहीं है। उन्हें इस सच्चाई पर गर्व है...*(व्यवधान)* मैंने कहा, "सभी बी. जे. पी. नेताओं"। इसमें संसद सदस्य भी शामिल है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री कुमारमंगलम् भी इसमें शामिल हो गए हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा आशय यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका मुख्यालाय नागपुर में है, परोक्ष रूप में सरकार को चला रहा है तथा उसका सरकार पर पूर्ण नियंत्रण है। भा. ज. पा. सरकार को अधिकार उनके निर्णयों एवं निदेशों को मानना पड़ता है। इस संबंध में कोई संदेह नहीं है। अतः जब कभी हमारे कुछ लोग इस सरकार की प्रसंशा करते हैं या उसका समर्थन करते हैं तो उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि यह सरकार पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। इसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आदेशों के अनुरूप कार्य करना पढ़ता है। ऐसी स्थिति में यदि आपको यह जानकारी है तो आपको खुलकर बोलना कहना चाहिए कि हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक का समर्थन करते हैं तथा हम यह चाहते है कि यह संघ सरकार पर पूरा नियंत्रण रखे। यदि आपका यही रुख है तो मुझे पता नहीं हमने हाल ही में बिहार की स्थिति को देखा है, जहां श्री सुन्दर सिंह भण्डारी राज्यपाल थे। वैसे वे मेरे एक पुराने साथी हैं। जिसकी जानकारी आप में से कई लोगों को नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने तथा मैंने एक समिति में, जो कि सी. एस. आई. आर. के कार्यकरण के अध्ययन के बारे में गठित की गई थी, काफी लम्बे समय तक साथ-साथ कार्य किया था।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : वह सरकार समिति थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी हां, वह सरकार समिति थी। आपको पता होगा कि उसका प्रतिवेदन भी है। अन्य लोगों के साथ-साथ मैं और श्री सुन्दर सिंह भण्डारी उस समिति के सदस्य थे तथा हमें आपस मे भली भाँति समझने का अवसर मिला। श्री सुन्दर सिंह भण्डारी को संभवतः राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सलाह पर बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था---मुझे यह निश्चित रूप से पता नहीं तथा मैं यह सिद्ध भी नहीं कर सकता--क्योंकि वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख व्यक्ति थे। परन्तु बिहार की राबड़ी देवी सरकार को अस्थिर करने के लिए उन्हें उस विशेष परिस्थिति में वहाँ नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त मुझे उन्हें वहाँ भेजने का और कोई कारण नहीं दिखाई देता है। हम सबको पता है कि उसके पश्चात वहाँ अनुच्छेद 356 को गलत ढंग से कैसे प्रयोग किया गया और सरकार को हटाया गया। इसके कारण पहले

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

मुख्यमंत्री को जाना पड़ा परन्तु बाद में उन्हें बहाल किया गया क्योंकि अनुच्छेद 356 को लगाने के लिए केवल लोक सभा के ही नहीं अपितु दोनों सभाओं के अनुमोदन की आवश्यकता होती है और संभवतः इस बारे में दूसरी सभा से अनुमोदन नहीं मिल पाया इसीलिए उसे वापस लेना पड़ा।

ऐसी स्थिति में अथवा किसी अन्य स्थिति में राज्यपाल श्री सुन्दर भंडारी ने स्पष्टतः कहा है कि वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के व्यक्ति हैं तथा उन्हें इस पर गर्व है। वे गौरवान्वित होना महसूस कर सकते हैं। मुझे इस से कोई ईर्ष्या भी नहीं है। यदि उन्हें गर्व महसूस होता है तो उन्हें खुश होने दीजिए। परन्तु सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन तथा उसके मार्गनिर्देशों, जो सरकार के लिए हैं तथा जिनका सभी सरकारों को अनुपालन करना चाहिए, का क्या हुआ ? वस्तुतः वे केवल मार्गनिर्देश हैं, जिनका अनुपालन करना अनिवार्य नहीं है। परन्तु ये ऐसे मार्ग निर्देश हैं जिनको वर्षों से प्रतिष्ठा मिली हुई है तथा जिन्हें स्वीकार किया गया है।

उन मार्गनिर्देशों में से एक यह है कि किसी राज्य का राज्यपाल होने के लिए चुने गए व्यक्ति को राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहिए तथा वह किसी राजनैतिक दल अथवा संगठन का सक्रिय सदस्य नहीं होना चाहिए। परन्तु फिर भी उन्हें नियुक्त किया गया तथा वहाँ भेजा गया। उसके बाद जब उन पर मुसीबतें आई तो उन्होंने कहा कि यदि मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य हूँ तो क्या हुआ ? कैसी विचित्र बातें होती हैं।

गृह मंत्री ने एक वक्तव्य देते हुए कहा कि मैं यह महसूस करता हूँ कि सामान्यतः किसी राज्य के राज्यपाल को 'एपोलिटिकल मेन' चाहिए जिसका अर्थ गैर–राजनैतिक व्यक्ति से है, यह उस अर्थ में है जैसा कि सरकारिया आयोग में बताया गया है। 'एपोलिटिक्स' का अर्थ है राजनीति से ऊपर। वह उसी प्रकार का बेहतर व्यक्ति होना चाहिए। इसके पश्चात उन्हें बिहार से हटाने अथवा उनका स्थानांतरण करने का आदेश आया। यह बात समझ में आती है और श्री आडवाणी का यह एक प्रसंशनीय कार्य है कि उन्होंने इस बात को मान्यता दी है, हांलाकि उन्हें ऐसा काफी पहले करना चाहिए था। जब इन्होंने उन्हें नियुक्त किया था तब यह नहीं सोचा कि वे कहाँ से आये हैं।

परन्तु इस समय श्री आडवाणी ने कहा यह उचित होता कि राज्यपाल पद के लिए एक ऐसा व्यक्ति हो जो राजनीति से ऊपर हो। अतः उनका स्थानांतरण किया गया। तीन या चार दिनों के बाद उन्हें पुनः लाया गया। तत्पश्चात उनका, शायद अब गुजरात स्थानांतरण कर दिया गया।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : और माफी माँगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माफी माँगी या क्या किया।

[अनुवाद]

किसी भ्रमणकारी क्रिकेट टीम का आना एक सामान्य बात है। क्रिकेट मैचों के लिए व्यवस्था या विभिन्न देशों के बीच कार्यक्रम निर्धारित हो चुके हैं और वे यहाँ खेलने के लिए आने वाले हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : घुटने टेके।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं, घुटने टेके उन्होंने, बाल ठाकरे जी के सामने, जब वह क्रिकेट का मामला था। पाकिस्तान की टीम को हमने ही आमंत्रित किया था, वह कोई जबरदस्ती से नहीं आ रहे थे।

[अनुवाद]

और श्री बाल ठाकरे ने एक वक्तव्य जारी किया कि उन्हें कम–से–कम मुम्बई में खेलने नहीं दिया जायेगा। उनकी दलील यह है कि वे ऐसे देश से आ रहे हैं जो हमारा शत्रु है, जो हम पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, सीमा पार से शस्त्र लोगों को भेज रहा है, लोगों को मार रहा है। उन्हें क्यों आने दिया जाये तथा क्रिकेट मैच खेलने दिया जाये ? मैं उन्हें खेलने नहीं दूंगा तथा मैं अपने लोगों को कह दूंगा कि वे पिच को खोद डालें ताकि वे यहां पर क्रिकेट न खेल सकें। श्री वैको, क्या आपने कभी क्रिकेट खेला है ? क्या आपकी क्रिकेट में रुचि है ?

श्री वैको : कभी नहीं। मेरी क्रिकेट में कोई रुचि नहीं। मेरी फुटबाल जैसे अन्य खेलों में रुचि है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु, आपसे मेरा यही प्रश्न है कि पूरे गठबंधन में आप केवल वाजपेयी को ही जानते हैं। आप अन्य लोगों को, जिनको मैं जानता हूं, नहीं जानते हैं। आपने उन्हें कभी–भी नहीं देखा और उनके बारे में भी कुछ नहीं जानते...*(व्यवधान)* शिवसेना के नेता यह चाहते थे कि क्रिकेट पिच को खोद दिया जाये ताकि वहां पर मैच न खेला जा सके। इस बारे में प्रचार माध्यम से खेल जगत, तथा पाकिस्तान में अत्याधिक चिन्ता व्यक्त की गई इस प्रकार की धमकियों को देखते हुए गृह मंत्री को मुम्बई जाना पड़ा। मैं, यह नहीं कहना चाहता हूं कि उन्होंने उनसे अनुनय विनय किया परन्तु उनके बीच कुछ गोपनीय वार्ता जरूर हुई। तत्पश्चात् यह घोषणा की गई कि श्री बाल ठाकरे ने बड़ी उदारतापूर्वक कहा है कि ठीक है, मैं अपने निर्णय को एक वर्ष के लिए स्थगित रखता हूं। एक वर्ष के पश्चात् हम पुनः पिच खोद सकते हैं, परन्तु एक वर्ष के लिए उन्हें खेलने दिया जा सकता है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बाल ठाकरे जी का नाम लिया है इसलिए मुझे एक मिनट बोलने की इजाजत दी जाए। मुझे किसी की आलोचना नहीं करनी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं सत्य बात सदन के सामने रखना चाहता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैंने कोई असत्य बात कही है ?

श्री अनन्त गंगाराम गीते : आपने सत्य कहा है लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इसलिए विरोध हुआ...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : आपको जब बोलने का मौका मिलेगा तो अपनी बात कहना। समय ज्यादा हो गया है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : जो सत्य और वास्तविकता है, वह मैं सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। आपने आधा सत्य बताया है। मैं पूरा सत्य बताना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर एलाऊ नहीं हुआ है।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : यहां पर इन्द्रजीत गुप्त जी ने बाल ठाकरे जी का उल्लेख किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का विरोध शिव सेना प्रमुख ने किया। इस संदर्भ में उन्होंने यहां उनका उल्लेख किया। शिव सेना प्रमुख बाल ठाकरे जी जिन्हें देश पर गर्व है... *(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : उन पर किसी को गर्व नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं ?....*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : जिसको गर्व है, मैं उसकी बात कर रहा हूं।

[अनुवाद]

मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : यह क्या है ? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : आप कह रहे हैं कि देश को गर्व है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : आपने मेरी आधी सत्य बात सुनी है। आप पूरा सत्य सुनिए। जिन्हें देश पर गर्व है, अपने राष्ट्र पर गर्व है, उनका यह मानना है...*(व्यवधान)* क्या अपने राष्ट्र पर गर्व करना गुनाह है ? उन्हें अपने देश पर गर्व है। ठाकरे जी को राष्ट्र पर गर्व है।

श्री मधुकर सरपोतदार : इनका ड्रामा आज पूरा देश देख रहा है। इस हाउस में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है ?

श्री अनंत गंगाराम गीते : उन्हें अपने देश पर गर्व है। वह चाहते हैं...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : हत्या करवाने वालों और लूटपाट कराने वालों पर इन्हें गर्व है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? श्री मुलायम सिंह, कृपया आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान लगातार हमारी सीमाओं पर हमला कर रहा है।...*(व्यवधान)*

एक ओर वह इस देश में आतंकवाद बढ़ा रहा है और दूसरी ओर पाकिस्तान हमारी सीमा पर हमला कर रहा है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाईये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : ऐसी स्थिति में हमारे राष्ट्र को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिये, ऐसा उनका मानना है। यह हमारा आंदोलन है, यह शिवसेना का आंदोलन है। यदि इस देश में इस तरह का आंदोलन होता है और गृहमंत्री जाकर आंदोलन करने वालों से मिलते हैं तो इसमें कौन सी गलती है। यह नहीं कि हर आंदोलन डंडे के सहारे लेना चाहिये। इसलिये मैं कहूंगा कि गृह मंत्री जी ने कोई गलत कदम नहीं उठाया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री इन्द्रजीत गुप्त बोलेंगे।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? आप किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ? यदि आपका व्यवस्था का प्रश्न है तो कृपया पहले नियम का उल्लेख कीजिए।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, आज सुबह जब श्रीमती सोनिया का नाम लिया गया था तो पूरी सभा की बैठक केवल इसलिए स्थगित कर दी गई क्योंकि उनका नाम लिया गया था...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाईये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त के भाषण के अलावा और कुछ कार्रवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ? ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : केवल श्रीमती सोनिया गांधी का नाम ही लेने से सभा की बैठक करीब दो घंटे तक स्थगित रही...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : लालू जी, आप हाउस को कैसे डिस्टर्ब करते रहते हैं ?

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष जी, हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हम लोग तो बैठ कर सुन रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद, आप एक वरिष्ठ नेता हैं आप इस प्रकार सभा में व्यवधान कैसे डाल सकते हैं ?

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : बाल ठाकरे देश के लिए खतरा हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बार-बार यह क्या कह रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, इस प्रश्न पर देश में तथा इस सभा के सदस्यों में भिन्न-भिन्न मत हो सकते हैं परन्तु मैं वही कह रहा हूँ जो मुझे कहना है और मैं यह कह रहा हूँ कि भारत के गृह मंत्री के लिए यह मर्यादा की बात नहीं है कि वे क्रिकेट मैच के आयोजन के लिए शिव सेना के नेता को मनाने हेतु मुम्बई गए। मेरे विचार से कई लोग सहमत हैं। हमने इस संबंध में उनकी टिप्पणियाँ आदि समाचार पत्रों में पढ़ी हैं।

अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह वर्षों से भारत में बने संघटित समाज, बाहुल्य समाज के बारे में है। मैं महसूस करता हूं कि ऐसी विभिन्न शक्तियों और कारकों के कारण इस समाज हमारे समाज की गरिमा तथा आधार स्तम्भ निरंतर दबाव और खतरे में हैं।

यदि इसे रोका नहीं गया और सरकार और प्रधान मंत्री इस बारे में कढ़ा कदम नहीं उठाते तथा इसे जारी रहने दिया तो यह अन्ततः हमारे देश की एकता और अखण्डता को कमजोर और ध्वस्त कर देगा।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : हो गया ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या हो गया ? हो क्या गया है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : देश तो खत्म हो गया।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, विशेष तौर पर इन हमलों के बारे में, जो कि ईसाई सम्प्रदाय पर हो रहे हैं, जो सारी जनसंख्या का केवल दो प्रतिशत हैं, क्या कभी हमारे मित्रों ने यह सोचने की कोशिश की है कि इसके परिणाम क्या होंगे और देश के उन भागों में क्या हो रहा है जहां ईसाईयों की दो प्रतिशत से कहीं अधिक जनसंख्या है ? मेरे विभाग में विशेष तौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र है जो कि इतना संवेदनशील होता है और जिसमें सात राज्य हैं तथा जिसके बारे में हम निरंतर चर्चा करते रहे हैं क्योंकि यह बहुत संवेदनशील क्षेत्र बन गया है जिसमें सभी प्रकार के फसाद और आंदोलन खुले रूप से होते हैं। हर कोई जानता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले लोग बहुल रूप में ईसाई धर्म के हैं। मैंने पड़ताल की और पाया कि जो भी ईसाईयों के साथ हो रहा है उससे वे बहुत दुःखी और बहुत खिन्न तथा क्रोधित हैं। इसलिए यह अच्छा होगा यदि हम इन घटनाओं को इतने हल्के ढंग से न लें तथा कहें कि धर्म परिवर्तन के बारे में कुछ चर्चा होनी चाहिए अथवा यह नहीं कहें कि बजरंग दल जैसे संगठनों में कोई अपराधी नहीं हैं। मेरे विचार से इस प्रकार की बातें लोगों को केवल अधिक प्रोत्साहित करती हैं तथा एक दिन इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। पूर्वोत्तर में अधिकतर लोग ईसाई हैं। मैं देश के अन्य भागों की बात नहीं कर रहा हूं। दक्षिण में भी ईसाईयों की बड़ी संख्या हैं लेकिन पूर्वोत्तर ईसाई बाहुल्य है तथा हम उस क्षेत्र को भारत की मुख्य धारा के नजदीक लाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक दिन इसका दुष्परिणाम होगा यदि यहां चल रहे ईसाई विरोधी आन्दोलन को रोकने में सरकार कोई कठोर और प्रभावी कदम नहीं उठाती है।

महोदय, मुझे एक या दो बातें और कहनी हैं।

[हिन्दी]

डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : कनवर्शन भी समाप्त होना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : फोर्सिबल कनवर्शन जरूर बन्द होना चाहिए।

[अनुवाद]

दस बारे में कोई संदेह नहीं है लेकिन ऐसा नहीं कहिए कि सभी धर्म परिवर्तन हमेशा बल प्रयोग से होते हैं। ऐसा नहीं भी हो सकता है। कल श्री संगमा हमारे देश में कुछ समस्याओं के कमजोर बनाने अथवा उनकी प्रतिष्ठा कम करने के बारे में बोले। मैं उनके साथ शत-प्रतिशत सहमत हूं।

मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि संयुक्त मोर्चा सरकार, जब यह कार्यवाहक सरकार के रूप में कार्य कर रही थी, ने दो रिक्तियों पर दो राज्यपाल नियुक्त किए थे, एक मिजोरम तथा दूसरा गोवा में। चूंकि मैं उस समय गृह मंत्री था इसलिए मैं इसके बारे में विस्तार से जानता हूं, मिजोरम के राज्यपाल बहुत वरिष्ठ आई. पी. एस. अधिकारी थे, जो

पुलिस के महानिदेशक रह चुके थे तथा दूसरे सज्जन, जो गोवा में नियुक्त किए गए थे, पी॰ एम॰ ओ॰ में एक वरिष्ठ अधिकारी रह चुके थे। उनमें से कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं था अथवा किसी को भी राजनीति अथवा किसी दल से कोई लेना देना था। उनकी नियुक्ति की गई थी तथा इस सरकार के कार्यभार ग्रहण करने के तीन महीने से भी कम समय में उन्हें हटा दिया गया। उन्हें बर्खास्त कर दिया गया लेकिन उनकी बर्खास्तगी का कोई कारण नहीं बताया गया। ऐसा आरोप कभी नहीं लगा कि उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया अथवा ऐसा कुछ किया जो राज्यपालों को नहीं करना चाहिए था अथवा सरकारिया आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया हो। इस प्रकार का कुछ नहीं हुआ। उन्हें केवल इसी वजह से हटा दिया गया क्योंकि वे हमारी संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे। मेरे विचार से यह बहुत गलत किया गया था। राज्यपाल के पद को कमजोर बनाने का यह एक तरीका है। बिहार में भंडारी के साथ जो हुआ उससे इसकी तुलना करना बिल्कुल अलग है क्योंकि वहां हस्तक्षेप के पर्याप्त कारण थे। मिजोरम और गोवा में ऐसे कोई कारण नहीं थे लेकिन फिर भी ऐसा पूर्णतः राजनीतिक वियशताओं, दलगत भावनाओं के आधार पर किया गया।

महोदय, इसके बाद एडमिरल के मामले के बारे में मुझे अभी भी आशा है, मुझे नहीं मालूम कि मेरी आशाएं पूरी होंगी अथवा नहीं, कि किसी भी समय भारत की सर्वोच्च संसद की यह सभा मामले पर चर्चा की इजाजत देगी तथा सरकार, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य इस सभा के समक्ष आएंगे और वक्तव्य देंगे, सरकारी वक्तव्यों को प्राधिकृत करेंगे कि नौसेना प्रमुख को क्यों हटाया गया तथा इसके बाद चर्चा की इजाजत देगी। हम सब यही मांग कर रहे हैं। प्रजातांत्रिक, देशों के ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां निर्वाचित संसद कार्य कर रहीं हैं जिन्होंने रक्षा मामलों, सेना मामलों, यहां तक की युद्ध के समय उनके देशों में व्याप्त स्थिति, के बीच भी चर्चा की इजाजत दी है। यदि आप चाहें तो मैं वे उदाहरण दे सकता हूं और आपको दिखा सकता हूं कि कैसे हाऊस ऑफ कामन्स और यू॰ एस॰ कांग्रेस ने इन मामलों पर चर्चा की इजाजत दी तथा इस दलील का सहारा नहीं लिया कि ये सुरक्षा संबंधी मामले हैं और इसलिए उन पर चर्चा नहीं की जा सकती है।

मेरे विचार में इस मामले पर सभा को चर्चा की इजाजत न देना संसद की अवमानना है। मीडिया को बताया जा सकता है मंत्री टी॰ वी॰ पर आकर लंबे वक्तव्य दे सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया लेकिन संसद को सरकार से इसे जानने अथवा मामले पर चर्चा की इजाजत नहीं दी जा सकती है। मेरे विचार से यह असहनीय है। यह हमारे देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि संसद के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। मैंने पढ़ा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहीं एक या दो बार कहा है, जब कि हमारे कांग्रेस मित्रों द्वारा सबसे पहले कढ़े शब्दों में जे॰ पी॰ सी॰ की मांग की गई थी, उन्होंने कहा कि जे॰ पी॰ सी॰ केवल तभी वाद–विवाद और चर्चा समाप्त होने के बाद ही आ सकती है। यदि वाद–विवाद अथवा चर्चा यह दर्शाती है कि भ्रष्टाचार का प्रथम दृष्टया मामला है, जो मामला भागवत ने उठाया वह भ्रष्टाचार मामलों से संबंधित है, तो उन मामलों की जांच हेतु निश्चित तौर पर जे॰ पी॰ सी॰ नियुक्त की जा सकती है। लेकिन विचार–विमर्श के बिना आप निश्चित तौर पर जे॰ पी॰ सी॰ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं उनके तर्क को स्वीकार करता हूं। वे चर्चा की अनुमति क्यों नहीं देते हैं ? चर्चा की अनुमति दें और यदि इससे कुछ सामने आता है, जिसे हम समझते हैं और जांच की आवश्यकता है, तब जे॰ पी॰ सी॰ का मामला अधिक मजबूत होगा। एक ओर उन्होंने कहा 'कोई जे॰ पी॰ सी॰ नहीं' और दूसरी ओर उन्होंने कहा 'कोई चर्चा नहीं'। तो इस संसद को क्यों नहीं समाप्त कर दिया जाए ? हम इसे किस प्रयोजन के लिए रखे हुए हैं ? देश के सुस्थापित संवैधानिक संस्थानों को समाप्त करने का यह एक तरीका है।

मुझे भागवत के बारे में कोई चिन्ता नहीं है। मैं नहीं जानता कि क्या उन्होंने कुछ ठीक अथवा गलत किया है अथवा उन्हें किसी और ढंग से व्यवहार करना चाहिए था, आदि। मैं सेना प्रमुखों के कार्यालय के बारे में चिन्तित नहीं हूं। आज नौसेना प्रमुख की बात है, कल यह सेना प्रमुख अथवा वायु सेना प्रमुख हो सकता है। इन संस्थानों में हजारों लोग हैं जो इस देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, हजारों प्रशिक्षित लोग इन प्रमुखों के आदेशों का पालन करते हैं।

प्रमुख का अधिक उतरदायित्व है। वह चपरासी अथवा रसोईया जैसा नहीं है कि उसे ऐसे ही वर्खास्त कर दिया जाए और वह भी किसी को उनकी बर्खास्तगी के कारण बताए बिना, उनको अपनी सफाई में कुछ कहने का अवसर दिए बिना और बिना कोई जांच करवाए। इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है ? इस मुद्दे पर संसद को अपने विचार प्रकट करने की इजाजत दी जानी चाहिए। जो हमने सुना उसके बारे में मैं बहुत चिन्तित हूं। मैं नहीं जानता। इनकी बर्खास्तगी के कारण सशस्त्र बलों में कई प्रतिक्रियाएं सुनने को मिल रही हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बर्खास्तगी आवश्यक तौर पर न्यायोचित नहीं थी। यह हो भी सकता है और नहीं भी लेकिन जिस तरह से ऐसा किया गया उससे निश्चित तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों और सेवानिवृत अधिकारियों आदि समेत सशस्त्र बलों के कई लोगों में गंभीर चिन्ता और क्रोध व्याप्त है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर उचित विचार–विमर्श के लिए यथाशीघ्र व्यवस्था की जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नई सरकार द्वारा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : रक्षा मंत्री महोदय ने एक बात कही है कि यह एडमिरल सुरक्षा के लिए खतरा हो गया था। यह कहना बहुत ही गम्भीर बात है। किसी रक्षा बल के प्रमुख पर बिना सिद्ध हुए ही ऐसा गम्भीर आरोप लगाया गया है। यदि यह पता लगा था कि वह सुरक्षा के लिए खतरा है तो यह कब पता लगा था ? कितने दिन पहले यह पता लगा था ? यदि यह पता लग गया था तो उसे पहले क्यों नहीं हटाया गया ? यदि वह सुरक्षा के लिए खतरा था और देश के हितों के साथ धोखा कर रहा था तो उसका कोर्ट मार्शल किया जाना चाहिए था और उसके विरुद्ध काफी पहले ही कड़े कदम उठाये जाने चाहिए थे। आपने कुछ नहीं किया। लेकिन उसे अचानक हटा दिया गया है। कोई आधार नहीं बताया गया है। सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

है और जब उसने रक्षा मंत्री पर कुछ प्रत्यारोप लगाए हैं तो आपने यह कहना शुरू कर दिया कि वह सुरक्षा के लिए खतरा बन गया था। लेकिन हमें इन मामलों पर संसद में चर्चा नहीं करने दी जाएगी। मेरे ख्याल से यह बर्दाश्त न करने वाली स्थिति है। किसी भी देश की चुनी हुई संसद उस व्यक्ति के प्रति ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए, कृपया यह सुनिश्चित करिये कि संसद के इसी सत्र में इस मामले पर उचित चर्चा करने के लिए समय निकाला जाए।

अंत में मैं वित्त मंत्री महोदय के बारे में कहना चाहूंगा, उन्होंने कई बातें कही हैं, और कई दावे किए हैं। उनका बजट आ गया है और हमें अभी इस पर चर्चा करनी है और अभी वित्त विधेयक आना है, और भी काम हैं। उन पर मेरा प्रमुख आरोप इनकी वर्तमान नीतियों के विरुद्ध है। ये नीतियां इनके पूववर्ती वित्तमंत्री की भी हो सकती हैं। मैं नहीं कहता कि इनके दिमाग में ही ये बातें उत्पन्न हुई हैं। ये बातें तो पीछे से चली आ रही हैं। लेकिन 1991 से कुछेक नीतियों का अनुसरण किया जा रहा है। आर्थिक नीतियां, वित्तीय नीतियां, वाणिज्यिक नीतियां—इन्हें कमोवेश उसी लाइन पर चलाया जा रहा है। मैं यह, कहना चाहता हूं कि ये नीतियां, उदाहरण के लिए आप आयात—निर्यात नीति को ले लें, इस ढंग से कार्यान्वित की जा रही हैं कि यदि ये हमारे राष्ट्रीय उद्योगों के हितों को ध्वस्त नहीं करेंगी तो गम्भीर रूप से कमजोर तो कर ही देंगी। ये उद्योग जो इस देश में हमारे लोगों ने खून—पसीना बहाकर वर्षों में बनाए हैं। हमारे देश में नियोक्ता, निवेशक, उद्यमी, कामगार—इन सब लोगों ने मिलकर इतना बड़ा औद्योगिक सेक्टर इस देश में खड़ा किया है। इसमें कोई शक नहीं है। कई अन्य विकासशील देशों अथवा पूर्व औपनिवेशिक देशों में भी इतने बड़े औद्योगिक क्षेत्र नहीं हैं। हम इस सेक्टर को और भी मजबूत करना और उनका विस्तार करना चाहते हैं। बहुत ही संसाधन सम्पन्न शक्तिशाली विदेशी प्रतिद्वंदियों, प्रतियोगियों के साथ असमान प्रतिस्पर्धा में धकेल कर हम इसे कम करना या कमजोर करना नहीं चाहते। हमारे निवेशकों अथवा उद्यमियों को ऐसे संसाधन जुटा पाने की कोई उम्मीद नहीं है। आपने दरवाजे खोल दिए हैं। उन्हें अंदर आने के लिए आपने दरवाजे खोल दिए हैं। आपने पूरी प्रक्रिया में आयात शुल्क कम कर दिया है। अकेले मुझ ही को शिकायत नहीं है बल्कि जो लोग प्रभावित हुए हैं यह उनकी शिकायत है।

ये इन शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य विदेशी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और धीरे—धीरे हमारे प्रतिष्ठानों, फैक्ट्रियों और उद्योगों को बंद होना पड़ेगा। जो कुछ हो रहा है इसका उन पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

मैं समझता हूं कि भा.ज.पा. के स्वदेशी जागरण मंच नामक पूर्वापर सम्बन्ध में एक चीज सामने आई है। इनमें से कुछ लोग स्वदेशी जागरण मंच के सदस्य हो सकते हैं। मुझे ठीक—ठीक नहीं पता है कि उन्होंने अपने आशय को ठीक—ठीक व्यक्त किया है या नहीं। स्वदेशी शब्द का प्रयोग करना तो बहुत आसान है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि हम जो आज समझ रहे हैं उससे कहीं अधिक इसका मतलब —थोड़ी बहुत आत्मनिर्भरता भी होना ही चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि भारतीय एकाधिकारी कम्पनियां और विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग करने में सक्षम कंपनियां समृद्ध होती रहें और बाकी सब दिवाला निकाल दें।

सरकारी क्षेत्र की कुछ बहुत ही अग्रणी कंपनियां अच्छी—खासी चल रही हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रही हैं, उनके मामले में विनिवेश आयोग ने उनके शेयरों का भारी विनिवेश करने की सिफारिश की है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद यह निजीकरण की ओर पहला कदम है। मंत्री महोदय ने हमें पुनः आश्वासन दिया है कि उन्होंने इन उद्योगों को संरक्षण देने, इन्हें मजबूत बनाने और इनका अच्छी तरह चलना सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ निश्चय किया हुआ है लेकिन हमें बहुत आशंकाएं हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी ही आशंकाएं निश्चित ही एक वर्ग को हैं...*(व्यवधान)* जो हो रहा है उस पर उन्होंने डर व्यक्त किया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे इसे पूरी तरह से श्री यशवंत सिन्हा पर न छोड़ें। उन्हें भी इन्हें देखने में रुचि लेनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने देश के उद्योगों के हितों की रक्षा हो तथा उन्हें दिवाला निकलने की स्थिति में न पहुंचा दिया जाये।

अंतरराष्ट्रीय कंपनियां पूरे बाजार पर कब्जा करने पर उतारू हैं। यह सबको पता है। वैश्वीकरण का तात्पर्य है कि अधिक शक्तिशाली देश कमजोर देशों के बाजारों पर कब्जा करने पर तुले हुए हैं। एक बड़ा अभियान चल रहा है। उनके पास बहुत संसाधन हैं। इसलिए हमें इस बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि इन्हें किन क्षेत्रों में प्रवेश करने दिया जाए, कहां नहीं करने दिया जाए और कहां कुछ शर्तों के आधार पर ही करने दिया जाए ताकि अपने देश और अपनी जनता के हितों की रक्षा हो सके। इसमें क्या गलत है ? स्वयं को अंदर आने के लिए दरवाजे और अधिक खोलने हेतु कुछ धनी और ताकतवर लोग सरकार पर दबाव डाल रहे हैं इसलिए उन लोगों की बलि चढ़ाना गलत है। मैं समझता हूं कि आगे चलकर इस नीति से हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होगा। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और जहां भी आवश्यकता हो, इसे ठीक किया जाना चाहिए।

हो सकता है कि कोई नई नीति कुछ लोगों को पसंद न आए किंतु उन्हें कार्यान्वित करने की हिम्मत होनी चाहिए। कुछ छोटे देश ऐसा कर रहे हैं। पिछले दिनों मैं वियतनाम गया था। दक्षिण—पूर्वी एशिया के देशों के साथ—साथ वियतनाम में भी तीव्र मंदी का दौर आया था और फर्मों का दिवाला निकला था। हमें पता है कि दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और उन सभी देशों में क्या हुआ। वे बहुत समृद्ध हो गए थे और सब उन्हें 'एशियन टाइगर्स' कहते थे। अचानक ही उन्हें पता चला कि वे 'टाइगर्स' न होकर 'बिल्ली' बन गए। इन देशों में कंपनियां बंद होने, दिवालियापन, बेरोजगारी, छटनी और ऐसी ही अन्य भारी परेशानियां आई हैं।

हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वियतनाम बहुत ही छोटा देश होने के नाते किसी न किसी तरह इस संकट से बच निकला। कैसे ? मुझे नहीं पता। मैंने वहां अपने प्रवास के दौरान कुछ मंत्रियों तथा कुछ अन्य लोगों से बातचीत की। मैंने उनसे पूछा। उन्होंने मुझे अपने

अनुभव के आधार पर बताया कि यदि हम अपने घरेलू संसाधनों को जुटाने का भरसक प्रयास करें और विश्वबैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पर निर्भर न रहें तथा अपनी उत्पादन प्रक्रिया को ऐसी बनाएं जो हमारी जनता तथा घरेलू बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और इसका प्रयोजन केवल लाभ कमाना न हो, तभी हम ऐसे पूंजीवादी संकट के खराब से खराब हमले से बच सकते हैं।

पहले भारतीय ही नहीं बल्कि पहले एशियाई व्यक्ति डा. अमर्त्य सेन जो प्रतिष्ठित ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज के मास्टर बने और जिन्हें बाद में नोबल पुरस्कार भी मिला और जो हाल ही में इस देश की यात्रा पर भी आए थे, उन्होंने एक नुस्खा दिया है, हो सकता है आपको पसंद न आए। मैं समझता हूं कि सभी भारतवासियों को उनकी उपलब्धि पर गर्व होना चाहिए। किंतु वह बंगाली हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से जब वह कलकत्ता, शांतिनिकेतन और बंगाल में अन्य स्थानों पर थे तो उनका बहुत अधिक स्वागत हुआ और बधाइयां मिलीं। उन्हें बंगाल में भारत की राजधानी से भी अधिक स्वागत और बधाइयां मिलीं। मैं समझता हूं कि यहां भी उनका अभिनंदन तो हुआ था किंतु बहुत बड़ा नहीं।...*(व्यवधान)*

अब मैं गहराई में नहीं जाता। लेकिन उन्होंने गरीब देशों, अपने जैसे विकासशील देशों के उत्थान के लिए पांच–छह बातें बताई थीं। उन्होंने कहा था कि उत्पादन का पैमाना केवल उत्पादन की मात्रा अथवा लाभ ही नहीं होना चाहिए बल्कि जनता के उपभोग और उसकी आवश्यकताओं के लिए और घरेलू बाजार के लिए स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता और उपयोगिता भी इसका पैमाना होना चाहिए। केरल का उदाहरण देते समय भी उन्होंने प्राथमिक शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा और बालिका शिक्षा, गांवों में स्वास्थ्य देखभाल, भूमि सुधार आदि पर काफी जोर दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि किसी भी देश में समाजिक और राजनैतिक जीवन में गुणात्मक सुधार अधिकाधिक महिलाओं के योग्य होने पर ही हो सकता है, दुर्भाग्य से यह हमारी संसद में भी दिखाई नहीं देता है। मैं तो केवल डा. अमर्त्य सेन की बातें बता रहा हूं और वह इसी नुस्खे की वकालत करते रहे हैं।

मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। ढेर सारे दस्तावेज और पुस्तकें हैं, वह उनका अध्ययन करें और देखें कि डा. अमर्त्य सेन ने जैसा कहा है, इस नीति के क्या प्रभाव होंगे और यदि हम अपने देश में संभव और व्यवहार्य सीमा तक इस नुस्खे को प्रयोग करके देखें तो इससे हमें काफी लाभ मिल सकता है।

बस, मुझे यही कहना है। अतः मैं प्रधानमंत्री महोदय के प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता हूं जब तक मैं यह नहीं जान लेता कि यह सरकार श्री आचार्य गिरिराज किशोर अथवा श्री अशोक सिंघल को राष्ट्रविरोधी कृत्य करने से रोकेगी, तब तक क्योंकि मैं निश्चित रूप से श्री आचार्य गिरिराज किशोर अथवा श्री अशोक सिंघल का समर्थन करना नहीं चाहता। अब तक इन विघटनकारी, साम्प्रदायिक, हिंसक और अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार संगठनों के प्रति सरकार की नीति बड़ी ही कमजोर और दुलमुल रही है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : जो लोग हाउस में नहीं हैं, उनके बारे में ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज के बारे में बोल रहे हैं। यह कैसे कह सकते हैं कि उनकी गतिविधियां राष्ट्रविरोधी हैं ? यह बहुत ही गम्भीर शब्द है। जो लोग यहां डिफेंड नहीं कर सकते, उनके बारे में कैसे कह सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री इंद्रजीत गुप्त : इसलिए, महोदय, मैं इसी कारण से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। मैं इसका विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : अध्यक्ष जी, यह विश्वास का प्रस्ताव इस सदन में नहीं आता, अगर प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उस बस में लाहौर नहीं गए होते। उनके प्रवास के दो–तीन दिनों के बाद की बात है कांग्रेस पार्टी के दो समर्थक उनके उस नेता से मिलने गए जो आजकल पार्टी की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। वे पूछने गए थे कि देश में क्या राजनीतिक स्थिति होने वाली है। उस नेता ने उन्हें कहा कि सबसे पहले अटल बिहारी जी की सरकार को उखाड़ना है। यह इसलिए जरूरी हुआ है कि उनका जो लाहौर जाना हुआ, वहां जो बातें हुईं, वहां दोनों प्रधानमंत्रियों ने मिलकर जो कुछ निर्णय लिया, इन सारी चीजों का स्वागत जिस तरह से हिन्दुस्तान में हुआ, अगर यही स्थिति बनी रही तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हम लोगों का जो सबसे बड़ा हथियार है, जो हम उन्हें कम्युनल कहकर उठने नहीं देते हैं, वह हथियार खत्म हो जाएगा और लोग इस पार्टी को सेक्युलर पार्टी समझेंगे। इस कारण कांग्रेस के लिए कोई राजनीतिक स्थान नहीं बचा रहेगा। वहां से यह कार्य शुरू हुआ जो इस विश्वास मत के प्रस्ताव के जरिए सदन और देश के सामने हम देख रहे हैं।

अटल जी का पाकिस्तान जाना उनके लिए स्वाभाविक था, क्योंकि 1977 में जब वे मोरारजी भाई की सरकार में देश के विदेश मंत्री थे, तब पाकिस्तान के साथ हम लोगों को रिश्ते सुधारने में उन्होंने जो योगदान दिया था, वह दोनों देशों के लोगों और दोनों देशों के नेतृत्व, जिन्हें उसकी जानकारी है या उसकी याद हो, वे नहीं भूल सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का सेक्युलर–नॉनसेक्युलर या सेक्युलर और कम्युनल का तर्क है, जो बार–बार पिछले तीन–चार दिनों से बाहर की बहस में और आज सुबह से इस सदन में हम लोग सुन रहे हैं, यह शब्द उनकी वैचारिक सोच से बाहर आया हुआ शब्द नहीं है।

रात्रि 8.00 बजे

यह बहुत पुरानी उनकी रणनीति है। दरअसल हम 1952 के चुनाव से पहले हमने इसका अनुभव स्वयं किया है और उसमें कोई फर्क हुआ है, ऐसा मुझे नजर नहीं आता है। मुझे याद है, 1971 का एक किस्सा। बंगलादेश की समस्या उभर कर आई थी। गृह मंत्रालय की ओर से एक सर्कूलर निकला था। मेरे हाथ में वह सर्कूलर एक अजीब परिस्थिति में

[श्री जार्ज फर्नांडीज]

आ गया। बम्बई में बी.इ.एस.टी. बस यातायात म्युनिसिपल कार्पोरेशन के जरिए चलाई जाने वाली अंडरटेकिंग है। वहां बस के जो डिपो हैं, उन डिपो में जो सुपरवाइजर होते हैं, उनमें जो मुसलमान थे, उन्हें उनके उस काम से हटा दिया गया और सड़क पर इन्सपैक्टर का काम करने के लिए लगा दिया गया। मैं बी.इ.एस.टी. युनियन का अध्यक्ष था। हम पूछने गए, यह क्यों हुआ ? बी.इ.एस.टी. के जनरल मैनेजर उन दिनों आई.ए.एस. अधिकारी थे और उन्होंने कहा कि दिल्ली से आदेश आया है कि मुसलमानों को मौके के स्थान पर नहीं रखना है। जैसे वहां पर हुआ, वैसे ही यहां म्युनिसिपल कार्पोरेशन में यह बात हो गई। बम्बई म्युनिसिपल कार्पोरेशन--मुम्बई महानगर पालिका--उन दिनों एक लाख कर्मचारियों को नौकरी देती थी और आज लगभग एक लाख 30-35 हजार लोगों को नौकरी देती है। मैं उनके संगठन का अध्यक्ष था। बम्बई का पानी तानसा और वैतरणा--बम्बई से कुछ दूरी पर दो बड़े तालाब हैं - तालाबों से आता है। वहां काम करने वाले, महानगर पालिका के पानी खाते के कर्मचारी, महाराष्ट्र के कोंकणी मुसलमान, मुसलमान का मतलब कोंकणी भाषा बोलने वाले...

श्री राम नाईक : अंतुले जी जैसे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी, हां। वहां जितने मुसलमान थे, तानसा और वैतरणा से हटाने का आदेश आ गया और उन्हें बम्बई की सड़कों पर चाबी वाले का काम दे दिया गया, लेकिन तनख्वाह वही। हम म्युनिसिपल कमिश्नर से पूछने गए, वे आई. सी. एस. थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली से आदेश आया है कि मुसलमानों के मौके की जगहों पर नहीं रखना है और बम्बई म्युनिसिपल कमिश्नर ने उस आदेश की एक कापी दे दी। उस आदेश की कापी को लेकर दिल्ली आ गए। अभी अखबार का नाम नहीं है, कल सुबह याद करके बता सकता हूं, संपादक का नाम दे सकता हूं, उर्दू का साप्ताहिक अखबार उन दिनों सबसे अधिक खपत थी, उनको दे दिया और उन्होंने छापा। महोदय, उसी समय एक बात और हो गई। भाभा एटोमिक रिसर्च सैन्टर में काम करने वाली एक स्टैनोग्राफर महिला, डाक्टर दसतूर को माननीय विरोधी दल के नेता जरूर पहचानते होंगे, डाक्टर आर.एच. दसतूर, उनका फोन आता है कि मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हम उनसे बात करने जाते हैं और एक लड़की छोटे बच्चे को गोद में लेकर बैठी है और डाक्टर दसतूर एक पत्र देते हैं, जो पत्र उस लड़की को काम से हटाने का पत्र है। हम डाक्टर सेठना से पूछते हैं, डाटर सेठना भाभा एटोमिक रिसर्च सैन्टर से उन दिनों डायरैक्टर थे, डाक्टर सेठना बोलते हैं कि दिल्ली से आदेश है कि मुसलमानों के मौके की जगह पर नहीं रखना है। जो वाद हमने उनसे करना था, वह वाद हमने कर लिया, सबसे कर लिया।

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर) : आप एक मिनट थिल्ड करेंगे। एक प्रश्न है।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं अपनी बात पर कायम हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, कृपया मेरा बचाव करें। मैं अपनी बात पर कायम हूं।

अध्यक्ष महोदय : वे नहीं मान रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इंदिरा जी को कहा गया था कि अपने गार्ड हटा दो।...*(व्यवधान)* उन्होंने कहा कि वह नहीं हटाएंगे। यह बात कह सकते हैं।...*(व्यवधान)* आप यह क्या बात सुनाने जा रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं तो आज एक ही प्रार्थना इस संदर्भ में करना चाहता हूं, गृह मंत्री जी 1971 के अपने मंत्रालय की फाइल से उस सर्कुलर को, आदेश को निकालें और उसे देश के सामने रखें ताकि लोगों के सामने सत्य बना रहे। नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में, हमारे बुजुर्ग साथी और मित्र इन्द्रजीत जी ने तथा विपक्ष के सभी वक्ताओं ने ईसाइयों पर होने वाली बातों की यहां चर्चा की, आपने पहले अपने भाषण में एक बात कही। पिछले 50 सालों में ईसाइयों पर जितने जुल्म और अत्याचार हुए, उसके 50 प्रतिशत पिछले 13 महीनों में इस सरकार के चलते हो गए। ये सरकारी दस्तावेज हैं। जिन आंकड़ों की इन्होंने चर्चा की, मेरे पास 1978 से 1998 तक के आंकड़े हैं, उसके पहले के नहीं हैं। मेरे पास सिर्फ चार प्रदेशों के आंकड़ें हैं, जहां सबसे अधिक इस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण हुई थीं, उनकी जानकारी है। कुल मिला कर 1978 से 1998 तक 178 घटनाएं घटीं। अरुणाचल प्रदेश में 24, बिहार में 11, मध्य प्रदेश में पांच और उड़ीसा में 60 हुईं।...*(व्यवधान)*

श्री मोतीलाल वोरा (रजनांदगांव) : गुजरात के आंकड़े मेरे पास हैं, वहां 15 दिन में 50 घटनाएं घटीं।...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप इन्हें जरूर रखिए।...*(व्यवधान)* मेरे पास केवल चार प्रदेशों के आंकड़े हैं और सरकारी आंकड़े हैं। मैं इसलिए इस बात को रख रहा हूं, क्योंकि जिन चार राज्यों में ये सारी घटनाएं घटीं तो कांग्रेस का ही राज था और केन्द्र में भी कांग्रेस का राज था। जब इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो उस पर जो भी सोच होती है उसको किसी एक संस्था, पार्टी तक सीमित न रखा जाए, इस बार भी एक सिलसिला शुरु हो गया। सबसे पहले मध्य प्रदेश का झाबुआ कांड हुआ। उस पर खूब हंगामा हुआ। यहां अटल जी की सरकार बनी थी। वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मगर केवल हिन्दुस्तान के भीतर ही नहीं बल्कि विश्व भर में उसका प्रचार होता है। अंग्रेजी में नन बोलते हैं, जो महिलाएं अपने को चर्च के कार्य में समर्पित करती हैं उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुए और ऐलान हो गया। ये बातें बार-बार देश और दुनिया में चलाई गईं कि ये सारा कार्य ऐसे लोगों ने किया। अभी यहां

केरल से एक प्रतिनिधिमंडल केरल की सरकार ने वहां पर भेजा था। उसने ऐलान किया कि इसमें किसी संस्था का कोई योगदान नहीं था। जिन लोगों ने यह कार्य किया या जो लोग इस कांड के लिए जिम्मेदार थे वह उसी इलाके के रहने वाले लोग थे। जिन 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें से 11 आदिवासी और 11 ईसाई हैं। कांड होता है कांग्रेस के राज्य में और हमारी सरकार पर हमला हो गया। फंसे हुए लोगों में आधे आदिवासी समाज के और आधे ईसाई हैं। उड़ीसा की घटना पर चर्चा हुई तो हमारे ऊपर भारी टिप्पणी हो गयी। कहा गया कि दो घंटे में ही हमने सारा उड़ीसा पहचान लिया। हम उस गांव में गये थे जहां घटना हुई थी। उस गांव में कुल मिलाकर सौ–सवा–सौ की आबादी है। उसमें 6–7 परिवार ईसाई हैं और अन्य गैर–ईसाई हैं। हम उस स्थान पर हैलीकोप्टर से गये थे। वहां मजिस्ट्रेट, पुलिस का एस. पी., पुलिस के अधिकारी तथा अन्य अधिकारी मौजूद थे। वहां अधिकतर गैर–ईसाई परिवार थे और 6–7 परिवार ईसाई थे। हमने सभी से वहां पर बात की। मजिस्ट्रेट ने और पुलिस ने जो जानकारी दी, वह जानकारी लेकर हम लोग लौट आए। हम तीन लोग गये थे। नवीन पटनायक जी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी और स्वयं मैं वहां गया था। हमने लौटकर प्रधान मंत्री जी को रिपोर्ट दी।

रात्रि 8.12 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

उसके बाद जांच वाली बात आ गयी। जब वहां पर कांड हुआ तो वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, आज भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री को बदल दिया। लेकिन उस कांड को लेकर नहीं बदला, अगले चुनावों को ध्यान में रखकर बदला। कई महीने इस बात को हो गये। जो जांच आयोग बैठा दिया है वह तो अपनी खोज करेगा लेकिन उस राज्य की सरकार की तरफ से कौन सी कार्यवाही हुई। जिस व्यक्ति या संस्था का नाम लिया जाता है, सारी व्यवस्था अपने हाथ में होते हुए भी कौन अपराधी है उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है, इस प्रश्न का जवाब क्यों नहीं आ रहा है। उड़ीसा में एक और कांड की चर्चा होती है कि एक नन के साथ बलात्कार हुआ। वह किसी दूर के गांव से इम्तहान देने आई थी। उसे एक महिला ने रोका और एक गाड़ी में ले गये, दो लोग उसमें बैठे हुए थे। बाद में पता चला कि यह महिला नहीं पुरूष हैं और उसके साथ बलात्कार हो गया। कुछ दिनों बाद पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि ऐसा कांड हुआ ही नहीं था, बलात्कार की बात हुई ही नहीं थी। एक महिला ने शिकायत जरूर की थी लेकिन उसमें कोई तथ्य नहीं था। यह बात जरूर पुलिस के अधिकारियों ने कही कि यह बात चली थी कि नन्स आर बीइग रेप्ड इन उड़ीसा आप ही का उस राज्य में राज और दुनिया में आप केन्द्र की सरकार को बदनाम करने के लिए उसे प्रचारित करते हो।

उड़ीसा में दो नहीं अनेक कांड हुए। वहां एक के बाद एक कांड हुआ। एक कांड इलाहाबाद का था।

डॉ. शकील अहमद (मधुबनी) : आपने बयान दिया था कि इसमें विदेशी साजिश है, इसके बारे में बताएं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : एक कांड इलाहाबाद का है। एक दिन विश्व भर के अखबारों में समाचार आता है चूंकि अखबार को प्रचारित करने वाली एजेंसी एसोसिएटिड प्रेस ऑफ अमेरिका है, उसमें समाचार आता है और एक व्यक्ति का नाम आता है कि वह डाक्टर है, क्लीनिक चलाता है, उसकी पत्नी अमेरिकन है, वह डाक्टर मिशनरी है, उसकी पत्नी उनके साथ काम करती है यानी क्लीनिक चलाती है। उसे घर से भाग जाना पड़ा चूंकि बलात्कार का कांड वहां भी हुआ है। अगले दिन वह डाक्टर बयान देता है कि मैं अमेरिकन नहीं हूं जबकि प्रचार यह होता है कि वह अमेरिकन डाक्टर है। उसने कहा कि मैं हिन्दुस्तानी हूं, इलाहाबादी हूं, वहां मेरा अपना घर है, अपना क्लीनिक है, मैं अमेरिका में पढ़ा, वहां मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी अमेरिकन है। हम दोनों एक घर में रहते हैं और वहां कोई कांड नहीं हुआ लेकिन दुनिया के अखबारों में यह खबर छप कर आ गई। एक और मिशनरी परिवार के साथ क्या जुल्म हो गया ?...*(व्यवधान)* जब एक के बाद एक विश्व भर में इसका प्रचार होने लगा और हमारी सरकार को कटघरे में रख कर यह प्रचार हो रहा था तो मैंने कहा था और आज भी पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। वह साजिश आप लोगों की आज भी जारी है। इस साजिश के पीछे चाहे जो लोग हों, हम इसे सरकार की कमजोरी कह कर मानते हैं। इसे जिस तीव्रता के साथ उजागर करना चाहिए था और बताना चाहिए था कि इसमें किन–किन लोगों का क्या हाथ है, वे क्यों इस चीज को करने जा रहे हैं, क्यों हमारे देश को दुनिया के सामने बदनाम करके विशेष कर हमारी सरकार को दुनिया के सामने बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इस पर हम लोगों को अधिक सोचना चाहिए था।

आज ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है ?...*(व्यवधान)*

इस पर हमें टोकने का काम हो रहा है। सैकुरिज्म की बात की जाती है। उसकी याद दिलाने पर कई लोग नाराज और गुस्सा हो जाते हैं। इसी दिल्ली की सड़कों पर साढ़े तीन हजार सिखों को जब मारा गया तो आप लोगों का वह सैकुलर कहां था ? जब कोई बडा पेड़ गिरता है तो धरती में कंपन होती ही है।

याद है, यह बात किस ने कही थी ? आप इसे भूल गए। वे केवल दिल्ली में नहीं मारे गए, सारे देश में सिखों के खिलाफ अभियान चला। सिखों को चलती ट्रेन में मारा गया। इन गरीब सिखों और उनकी महिलाओं के साथ कौन सा गुनाह नहीं हुआ ? उनके बच्चों के साथ क्या जुल्म नहीं किया ?

श्री मुलायम सिंह यादव : जिन्होंने यह काम किया वे लोग आज इधर बैठे हैं।...*(व्यवधान)* सिखों को मारने वाले कांग्रेस को छोड़ कर बी. जे. पी. में पहुंच गए हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी हत्या तक यह मामला सीमित नहीं रहा। इस कांड के बाद दिसम्बर, 1984 में देश के अंदर आम चुनाव हुये। क्या आप भूल गये ? उस आम चुनाव में जीतने वाले यहां बैठे हुये हैं।**

[अनुवाद]

राजेश पायलट जी, ऐसा 1984 में किया गया था।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : हमने 1984 में चुनाव लड़ा था। ऐसा कभी नहीं हुआ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं आपको समाचार उपलब्ध करवाऊंगा। आपको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। मैं उन दिनों के समाचार पत्र उपलब्ध करवाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : हमारा कमांडर इन चीफ मुसलमान था, प्रेसीडेंट मुसलमान था। क्या एक बस कंडक्टर को बदलते फिरेंगे ? बात करने का एक तरीका होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सब से अपील करता हूं कि आप उनके बीच में व्यवधान मत डालिए। यहां काफी गंभीर विषय पर वाद-विवाद हो रहा है। वे जो भी वक्तव्य दे रहे हैं, आप उनको खंडन अपने बोलने के वक्त कर सकते हैं।

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बेतुका और बेबुनियादी आरोप है। आप ऐसी बातों की अनुमति कैसे दे देते हैं ? ऐसी बात किसी मंत्री को शोभा नहीं देतीं।...*(व्यदधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यदि जो कुछ भी मैंने कहा है वे बेतुका और बेबुनियादी साबित हो जाता है तो मैं इस सदन से इस्तीफा दे दूंगा और हमेशा-हमेशा के लिए इस सदन से चला जाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह (बांका) : अब आप जवाब दीजिये और इनका इस्तीफा ले लीजिये।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं इस सदन से इस्तीफा दे दूंगा और हमेशा के लिए इस सदन से बाहर चला जाऊंगा।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : क्या यह कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रकाशित किया गया था ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हां, मैं उसी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं जिसके आप भी एक सदस्य है। ऐसा लगता है कि आपकी याददाश्त काफी कमजोर है।...*(व्यवधान)*

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दिग्विजय सिंह, श्री वैको, कृपया उनकी बात सुनें।

(व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन : श्री जार्ज फर्नांडिज, ऐसा सोचना भी संभव नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी बातों का सहारा लेगी। मैं आपको बता रहा हूं, आपका कोई सिद्धान्त नहीं है। आप यहां थे और आप वहां गए। आपका कोई सिद्धान्त नहीं है। ऐसे आरोप मत लगाइये। ऐसा मत कीजिये।...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड़) : उपाध्यक्ष महोदय, वे बिना सोचे समझे आरोप लगा रहे हैं, वे उस समाचार पत्र को उपलब्ध कराएं और कल बोलें।...*(व्यवधान)*

श्री मोतीलाल वोरा : उपाध्यक्ष महोदय, उन्हें हमारी पार्टी पर बिना सोचे समझे आरोप लगाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। हमें इस पर आपत्ति है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया मेरी बात सुनें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हाण्डिक, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे कुछ कह रहे हैं।

श्री राजेश पायलट : महोदय, वे बयान नहीं कर रहे हैं। यह एक आरोप है कि ऐसा कोई पोस्टर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अथवा कांग्रेस पार्टी ने प्रकाशित करवाया था जिसमें यह लिखा था कि "क्या आप किसी सिक्ख पर विश्वास करेंगे ?" यह कांग्रेस पार्टी पर आरोप है। हम सभी कांग्रेस पार्टी के हिस्से हैं।...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं कांग्रेस पार्टी पर दोष लगा रहा हूं। मैं किसी अन्य पार्टी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : आप इस आरोप को साबित कीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं उन सब बातों को सिद्ध कर दूंगा जो मैंने यहाँ कही हैं।...*(व्यवधान)* मैं इसे सिद्ध कर दूंगा और यदि मैं इसे सिद्ध नहीं कर सका तो मैं इस सदन से इस्तीफा दे दूंगा।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : क्या हम कंडक्टर बदलकर...

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ये नेता है, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहेंगे ?...*(व्यवधान)* फिर ? चुनौती नहीं देना।...*(व्यवधान)* भूल जाते हैं। राजेश साहब को तो ऐसा नहीं कहना

चाहिए। आपको अगर मालूम न हो तो आप कहें आपने नहीं देखा।.. *(व्यवधान)* जी हां, अखबारों में विज्ञापन सरदारों के फोटो के साथ छपा था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप मेरी बात सुनेंगे ?

श्री राजेश पायलट : महोदय, यह मेरी पार्टी पर आरोप है। कृपया इसे कल सदन में सिद्ध करें। यदि हमने ऐसा किया है तो हम राष्ट्र से क्षमा मांगेंगे। परन्तु यह कांग्रेस पार्टी का काम नहीं है।...*(व्यवधान)* आप कल सबूत लाएं और उसे सभा पटल पर रखें।...*(व्यवधान)* यदि कांग्रेस पार्टी ने यह विज्ञापन दिया है तो कृपया इसे सभा पटल पर रखें।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको वह सबूत सदन में प्रस्तुत करना है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं सबूत प्रस्तुत कर दूंगा। मैं 1984 के अखबारों को आज रात ढूंढ नहीं पाऊंगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं सोमवार को सबूत प्रस्तुत करूंगा।..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सोमवार को मैं प्रूफ दूंगा। मेरे घर में 1984 का अखबर नहीं है। मैं 1984 का अखबार घर में नहीं रखता हूँ। सोमवार को मैं सदन में पेश कर दूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया मेरी बात सुनें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप किसी समाचार पत्र अथवा किसी पार्टी द्वारा दिए गए विज्ञापन का उल्लेख कर रहे हैं तो आपको उन्हें साबित भी करना होगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं सोमवार को इसे पेश कर दूंगा।

श्री शरद पवार (बारामती) : इसे कल पेश कीजिए...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं क्यों इस्तीफा दूँ ?

[हिन्दी]

आप सुनिये। आपकी कांग्रेस पार्टी राष्ट्र को पिछले तीस सालों से लूटना चाहती है लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : श्री जार्ज फर्नांडिज, आप हमेशा से कांग्रेस विरोधी थे। आपने 1984 की तथा–कथित घटना सुनाई। क्या आप इन 15 सालों तक सोते रहे ? आपने यह आरोप सदन में पहले क्यों नहीं लगाया ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने अनेक बार इसके बारे में चर्चा की है।...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : नहीं महोदय, आपने सदन में इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया।...*(व्यवधान)* मैं 1980 के बाद से इस सदन में रहा हूँ। आप कांग्रेस के घोर विरोधी थे और सभी प्रकार के आरोप भी लगाते रहे हैं। परन्तु आपने यह आरोप कभी नहीं लगाया। क्यों ?...*(व्यवधान)* अब आप इसे गढ़ रहे हैं।...*(व्यवधान)* श्री फर्नांडीज, आप कहानियां गढ़ रहे हैं।...*(व्यवधान)* इन्हें विज्ञापन लाने दें।...*(व्यवधान)* यह एक बिना सोचे–समझे लगाया गया आरोप है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, ये रिजाइन करें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो आपको उसका सबूत भी देना होगा।

(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : महोदय, जो बात श्री जार्ज फर्नांडीज कह रहे हैं वही बात पहले मैंने भी इस सदन में भाषण देते समय कही थी। मैंने उस भाषण में यह आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी द्वारा सिक्खों से संबंधित विज्ञापन निकाले जा रहे है। सिक्खों के विरुद्ध काफी असंतोष पैदा किया जा रहा था। मैंने यह बात इस सदन में ही कही थी।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यहाँ यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपके पास कोई सबूत नहीं हो तो आप कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं। लगाए जाने वाले किसी भी आरोप को प्रमाणित किया जाना चाहिए। यदि मंत्री महोदय ने पहले ही आरोप लगाए हैं तो अब उन्हें प्रमाणित भी करना होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष जी, यह दिसम्बर, 1984 की बात है। दिसम्बर, 1984 का जिन–जिनको रमरण है और बरनाला जी के स्वयं के इसमें इन्वोल्व होने के कारण उन्होंने कहा है और मैंने स्वयं इस बात को सदन में कहा है। मुझे याद है उन दिनों मैंने उसी बारे में एक वक्तव्य दिया था। 1984 के अखबार तुरंत प्रस्तुत करना संभव नहीं है। श्री जॉर्ज फर्नांडीज ने कहा है कि वह सोमवार को निश्चित वे अखबार लायेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वह कल ही ले आएं, हम कोशिश करेंगे कि हम कल ही वह प्रस्तुत कर सकें।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : महोदय, जो आरोप उन्होंने लगाया है उसे मैं दोहराता हूँ। मंत्री महोदय ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक विज्ञापन जारी किया था। वे इसे स्पष्ट करें। कल यदि ये किसी व्यक्ति का नाम बताते हैं तो उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।... *(व्यवधान)* हमें जिस बात से चोट पहुँची है वह यह है कि...*(व्यवधान)* श्री जार्ज फर्नांडिज ने कहा है...*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह (जालौर) : कृपया एक मिनट के लिए मेरी बात तो सुनिये।

महोदय, श्री जार्ज फर्नांडीज ने जो मुद्दा उठाया है उसके लिए उनके पास कोई प्रामाणिक सबूत नहीं है। हम कांग्रेस दल में थे ...*(व्यवधान)* कांग्रेस दल ने ऐसा कोई वक्तव्य जारी नहीं किया कि श्रीमती इन्दिरा गाँधी की हत्या के लिए सिख जिम्मेदार हैं...*(व्यवधान)* श्री जार्ज फर्नान्डीज की ओर से यह कहा जाना गलत है कि ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रधान, यह बड़ा ही गंभीर मामला है। कृपया उन्हें सुनिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मुझे श्री पायलट की बात सुनने दीजिये। मैं, आपको भी बोलने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : उपाध्यक्ष महोदय, हमें माननीय मंत्री की जिस बात से ठेस लगी वह यह कि उन्होंने कहा कांग्रेस दल, और जब मैं, कांग्रेस दल की बात कर रहा हूँ। तो उसमें, जिला कांग्रेस समिति, अथवा प्रदेश कांग्रेस समिति अथवा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, सभी शामिल हैं मैं किस एक व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूँ, यदि किसी व्यक्ति ने जारी किया। उन्होंने यह कहा है कि कांग्रेस दल ने जारी किया है और वह भी शुरू में एक इश्तेहार और उसके पश्चात एक विज्ञापन। और इस बात से हमें ठेस पहुँची है। यदि कांग्रेस दल अथवा किसी एक ईकाई ने जारी किया है तो उन्हें सभा के पटल पर सबूत रखना चाहिए. ..*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : महोदय, यह एक बड़ा ही गंभीर मामला है। इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। उन्हें सबूत प्रस्तुत करने दीजिये और उसके पश्चात् हम इस पर कल चर्चा जारी रखेंगे. ..*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : दिसम्बर 1984...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मेजर जनरल खण्डूड़ी, श्री शिवराज पाटील कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज वी. पाटील (लातूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब ने यहां पर जो कहा, वह बहुत सीरियस मैटर है और सीरियस मैटर होने की वजह से अगर मिनिस्टर साहब या और कोई भी सदस्य कुछ बोल रहे हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए बोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुस्लिम भाई या सिख भाई के खिलाफ...*(व्यवधान)* दोनों के बारे में कहा है। पहले मुस्लिम कहा है फिर सिख के बारे में कहा है कि इनको नौकरी में नहीं रखना चाहिए या किसी खास जगह पर नहीं रखना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हमने यह नहीं कहा है। हमने यह कहा है कि मौके की जगहों पर नहीं रखना चाहिए, सेंसिटिव जगहों से उनको हटाना, क्योंकि बंगला देश का प्रश्न सामने आया था और युद्ध होना था। मौके की जगह पर नहीं रखना।...*(व्यवधान)* फायर स्टोन कारखाने में से...*(व्यवधान)* मौके की जगह पर फायर स्टोन कारखाने...*(व्यवधान)* सारे मुसलमानों को...*(व्यवधान)* हम उनके लिए लड़े हुए आदमी हैं।. ..*(व्यवधान)* आपको इतना मालूम होना चाहिए।...*(व्यवधान)* मैं कोई भी बात बिना सबूत के नहीं बोलता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, मैंने श्री शिवराज वी. पाटील को बोलने के लिए अवसर दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री शिवराज वी. पाटील : महोदय, मैंने अभी बोलना समाप्त नहीं किया है। यह एक बड़ा ही गंभीर आरोप है। यह पूरी जिम्मेदारी के साथ लगाया जाना चाहिए। मंत्री महोदय दस्तावेज प्रस्तुत करके यह साबित करें कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह सही है अथवा इस मामले की जाँच विशेषाधिकार समिति को सौंपी जाये अथवा मंत्री महोदय, अपने आरोप को वापस लें और खेद प्रकट करें।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा : सभापति महोदय, ये दो बातें ऐसी हैं जो रिकार्ड पर है। पहली 1984 में दिल्ली में भयानक एंटी सिख राइट्स हुए–इस पर जो प्रतिक्रिया उस समय के प्रधान मंत्री जी ने की कि जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है।, यह उसको जस्टीफाइड करने के लिए किया। वह बात रिकार्ड पर है, इसका प्रूफ चाहिए, वह एक बात है।

दूसरे हम इस बात के आई विटनेस हैं, हमने भी वे एडवर्टाईजमैंट देखें हैं जिसमें 1984 के आखिरी इलेक्शन, कांग्रेस सरकार ने चार्ज लगाकर एंटी सिख अटमॉसफियर बनाकर लड़ा। हमने उसको देखा है लेकिन अगर ये इनसे प्रूफ मांग रहे हैं तो कांग्रेस यह कमिट करे कि अगर उन्होंने प्रूफ दिया तो वे देश की जनता के सामने माफी मांगेंगे। आप यह बात मनने के लिए तैयार हों।

एक बात और है कि आपकी इस बहस में कई ऐलीगेशन लगे

हैं। बी. जे. पी. पर लगे हैं और बाकियों पर भी ऐलीगेशन लगे हैं। उनके लिए आपने कोई प्रूफ नहीं मांगा। अगर इस तरह से कोई प्रूफ मांगना है तो जो ऐलीगेशन्स लगे हैं, उन सबके प्रूफ मांगे ताकि ऐलीगेशन लगाने वाले को पता लग जाये कि ऐलीगेशन क्या हैं ?

श्री बूटा सिंह : मैं आज इस सदन में रिकवैस्ट करता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अशोक प्रधान, कृपया बैठ जाईये। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यह मामला बहुत जज्बाती है।...*(व्यवधान)* इस मामले को बहस के लिए, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए इस्तेमाल न किया जाये।... *(व्यवधान)* मेरी रिकवैस्ट यह है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा ही दुखद एवं संवेदनशील मामला है। पन्द्रह वर्षों के पश्चात अब इस मामले पर छान बीन करना निरर्थक रहेगा...*(व्यवधान)*

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : उन्होंने इस मामले को अब उठाया है।...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट) : उन्होंने इस मामले को अब क्यों उठाया ?...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : ठीक है यदि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं तो मैं, बैठ जाता हूँ, मैं जोर से नहीं बोल सकता हूँ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विजय हान्दिक, कृपया आप बैठ जाईये मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर : मुझे भी इस संबंध में कुछ जानकारी है और यदि मैं बोलूँगा तो कई लोगों को बुरा लगेगा। अतः मुझे बोलने से रोके नहीं।

मेरा श्री जार्ज फर्नान्डीज से अनुरोध है कि वे इस मुद्दे को उठाये नहीं और मैं कांग्रेस सदस्यों से भी अनुरोध करूँगा कि वे इस मुद्दे को भूल जायें। यदि आप लोगों की राय में कुछ आपत्तिजनक है तो आप उसे निकाल दीजिये। ऐसा श्री जार्ज फर्नान्डीज अथवा कांग्रेस दल के कारण नहीं है, अपितु इस मामले के कारण देश भर में गंभीर प्रभाव पड़ेगें। मुझे यह कहते हुए खेद है कि इससे स्थिति अनियंत्रित होने की पूरी संभावना है।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैं भी यही कह रहा था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बोलने से क्यों रोक रहे हैं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : आप मुझे बोलने से कैसे रोक सकते हैं ? मैं भ सदन से विनती कर रहा हूँ कि मामला बहुत नाजुक है और पंजाब में बड़ी कठिनाई से शांति स्थापित हुई है। पंजाब में 30–40 हजार नौजवान बच्चे मर चुके हैं।...*(व्यवधान)*

श्री कृष्णलाल शर्मा : वह आपकी वजह से हुई। वहाँ तब शांति हुई जब अकाली दल और बी. जे. पी. ने मिलकर सरकार बनाई.. *(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : श्री के.एल. शर्मा ने कहा कि 1984 के रायट्स में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मुझे प्रक्रिया को स्पष्ट करने दीजिये। माननीय सदस्यों पैरा 46 के उप पैरा (4) में मंत्री सदस्य अथवा किसी बाहरी व्यक्ति के विरूद्ध आरोप लगाने की प्रक्रिया के संबंध में इस प्रकार कहा गया है :

> (4) चूंकि सदस्यों पर सभा में उनके द्वारा कही गयी किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, इसलिए उन्हें किसी साथी सदस्य/मंत्री अथवा किसी व्यक्ति–विशेष या सार्वजनिक निकाय के विरुद्ध उस समय तक दोषारोपण नहीं करना चाहिए जब तक कि उनके पास ऐसे आरोपों को सिद्ध करने की चुनौती दिये जाने की अवस्था में उन्हें सिद्ध करने के लिए ठोस और पर्याप्त प्रमाण न हों।

अब स्थिति यह है कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कुछ आरोप लगाये हैं जिन्हें कार्यवाही वृत्तांत में शामिल कर लिया गया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शर्मा कृपया मुझे सभा की कार्यवाही चलाने दीजिये।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन : आप भी बराबर के जिम्मेदार हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : 1984 के रॉयट्स में जो कुछ हुआ, वह रिपोर्ट सदन के सामने आ चुकी है।...*(व्यवधान)* मेरी रिक्वैस्ट है कि इस मामले को यहीं खत्म किया जाए और मैं चाहूंगा कि श्री जार्ज फर्नान्डीज देश की शांति के लिए और देश में सद्भावना कायम करने के लिए अपनी बात वापिस लें। इन्होंने जो बात कही है, वह सरासर बेबुनियाद है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऐसा प्रचार नहीं हुआ। उस वक्त मैं कांग्रेस पार्टी में था।...*(व्यवधान)*

श्री कृष्ण लाल शर्मा : जितनी बहस हुई है, उसमें ऐसे कई ईशूज आए हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल प्रक्रिया संबंधी नियम पढ़ रहा हूँ।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूड़ी ए. वी. एस. एम. : उपाध्यक्ष महोदय, अभी–अभी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को राष्ट्र विरोधी कहा गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे ?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी आरोप में अन्तर नहीं कर रहा हूँ। यह किसी पर लागू हो सकता है जिसने आरोप लगाया है। यह प्रक्रिया है। सभा ने जो नियम बनाये हैं मैं उनसे हट नहीं सकता। अतः या तो श्री जार्ज फर्नान्डीज अपने आरोप को वापस लें अथवा उसे साबित करें। ये दोनों विकल्प उनके पास है वे किसी एक को मान सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक गंभीर मामला है इससे पूरा देश प्रभावित होगा। कृपया देश के खातिर ऐसा न करें।

श्री सी.के. जाफर शरीफ (बंगलौर-उत्तर) : माननीय सदस्य श्री चन्द्रशेखर ने जो कहा है उसे ध्यान में रखते हुए इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसे कार्यवाही वृत्तांत से क्यों निकाल दे ?

श्री सी.के. जाफर शरीफ : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न करें। कृपया इसे भूल जायें और ऐसी अनावश्यक स्थिति पैदा न करें जिससे किसी भी समुदाय को तकलीफ हो।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं, मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना आरोप वापस लें। इसमें ऐसी कौन सी बात है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसे कार्यवाही वृत्तांत से क्यों निकाला जाये ?...*(व्यवधान)* क्यों निकाल जाये ?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप क्या कहना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए. वी. एस. एम. : कई आरोप लगाये गये हैं। क्या उन सभी को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जायेगा ?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी आरोप को साबित किया जाना चाहिए। यदि वह साबित नहीं किया जाता है तो उसे या तो वापस ले लिया जाना चाहिए अथवा उसके परिणामों का सामना करना होगा। आप आरोप को वापस ले रहे हैं अथवा नहीं ?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, मैं चाहता हूँ कि वह रिकार्ड पर रहे, हम सबूत पेश करेंगे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : उन्हें या तो आरोप वापस लेना होगा अथवा उसे साबित करना होगा। अन्यथा उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकालना होगा।...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं, वापस नहीं ले रहा हूँ।...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : तब आप उसे निकाल दीजिये। यह प्राधिकृत नहीं है। यदि वे साबित नहीं कर रहे है तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसे वापस लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है और ऐसा वे नहीं कर रहे हैं। अतः इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा : पूरी डिबेट में जितने भी ऐसे रिमार्क्स आये हैं, वे सब एक्सपंज़ किये जायें...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है। उन्हें या तो आरोप को साबित करना चाहिए अथवा वापस लेना चाहिए। अन्यथा सभा को स्थगित कर दीजिये।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, मैंने तथ्य रखे हैं। इतनी शिकायत सदस्यों की जायज है कि वे दस्तावेज मुझे लाने चाहिए। मैं कल ले आने की कोशिश करूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : आपको दस्तावेज पहले रखने चाहिए। .....*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सोमवार को मैं आपको निश्चित तौर पर लाकर दे दूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष जी, एक चीज मुझे याद है। हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के ऊपर इसी हाउस में, उन्नीकृष्णन जी शायद इसी जगह बैठे हुए थे और उन्होंने राजीव गांधी के ऊपर चार्ज लगाया कि आपने रुपये पैसे की ब्राइब ली है। राजीव गांधी उठे और उन्होंने कहा कि आप चार्ज लगा रहे हैं, आप इसको प्रूव कीजिए, मैं रिजाइन कर दूंगा, अगर यह साबित होता है कि मैंने रुपया

लिया है, नहीं तो आप भी कहिये कि आप भी करेंगे। इनमें से जितने लोग बैठे हैं, बड़े–बड़े लोग उठकर के कहते हैं, सिम्पल चीज है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यदि यह सिद्ध हो जाता है कि श्री जार्ज फर्नान्डीज की बात गलत है तो उन्हें त्यागपत्र देकर चला जाना चाहिए। यदि यह सिद्ध हो जाता है तो उन्हें -श्री शरद पवार–को भी त्यागपत्र देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अनुभवी लोग मेरा मार्गदर्शन करेंगे।

श्री मधुकर सरपोतदार : वे इसे सिद्ध करेंगे। लेकिन यदि यह सिद्ध हो जाता है तो क्या श्री शरद पवार त्यागपत्र देने को तैयार हैं ?...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : जब तक वे इसे सिद्ध नहीं करते वे बिना वजह आरोप नहीं लगा सकते यद्यपि उन्हें इसकी आदत है। लेकिन यह कोई तरीका नहीं है। उन्हें इसे वापस लेना होगा। और यदि वे इसे वापस लेने को तैयार नहीं हैं तो आपको इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकालना होगा।

श्री शिवराज वी. पाटील : सभा के बहुत वरिष्ठ सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला था और हमें इस मामले को बहुत जिम्मेदाराना ढंग से निपटाना चाहिए।

एक मंत्री से वक्तव्य आया है और यह ऐसा वक्तव्य है जो बाहरी लोगों के दिल और दिमाग में कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है इसी कारण हम इससे उचित तरीके से निपटने की कोशिश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जब इसको इस्तेमाल किया था, तब इनकी सेंसिटिविटी नहीं थी ? जब आप लोगों ने वोट मांगने के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया था, तब आप लोगों की सेंसिटिविटी कहां गई थी ? अभी बड़े सैकुलर हो जाते हो...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : शरद जी, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वी. पाटिल : हम समस्या पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमें इसे समझना चाहिए।

यदि आरोप गीीर है, तो इसे साबित किया जाना चाहिए। यदि आरोप साबित नहीं किया जा सकता है तो इसे वापस लिया जा सकता है। आपके निर्णय से यदि आप सोचें कि ये दोनों बातें संभव नहीं है तो आप इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल सकते हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो उस सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है जिसने आरोप लगाया है तथा उस विशेषाधिकार प्रस्ताव में यह सिद्ध करना होगा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा कुछ वक्तव्य दिए गए हैं अथवा कांग्रेस पार्टी द्वारा कुछ पोस्टर छापे गए हैं। पोस्टर कांग्रेस पार्टी के कहने पर से छापे गए थे और केवल तभी वह वक्तव्य सिद्ध किया जा सकता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : पूर्णतया।

श्री शिवराज वी. पाटिल : हम समस्या पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे मंजूर है।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : उन्हें प्रमाणित वक्तव्य लाना होगा। तभी वह वक्तव्य दे सकते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं सत्य को क्यों वापस लूं।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : महोदय, आपने विनिर्णय दिया है और उसको चुनौती दी जा रही है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं विनिर्णय देने जा रहा हूँ। कृपया आप अपना स्थान गृहण कीजिए। मेरे पास केवल दो विकल्प हैं।

पहला, नियमों के अनुसार यह स्पष्ट है कि या तो माननीय सदस्य अथवा मंत्री महोदय को इसे वापस लेना होगा अन्यथा मुझे इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकालना होगा। मैं माननीय मंत्री से इसे वापस लेने के लिए कह रहा हूँ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं, महोदय। मैं इसे वापस नहीं ले रहा हूँ। मैं प्रमाण को वापस क्यों लूं?...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : महोदय, आपने अपना विनिर्णय दे दिया है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री बोल रहे हैं। सभी वरिष्ठ नेता यहां उपस्थित हैं। ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर मैं मार्गदर्शन चाहूंगा।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं कहीं पर भी विनिर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, सदन के पूर्व अध्यक्ष ने बहुत विस्तार से इसके बारे में कहा है कि इस–इस प्रकार की परिस्थिति में ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे ऑथेंटिकेट कर सकें तो ठीक है और नहीं कर सके तो उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव किया जाएगा। मैं समझता हूं यह जो शिवराज जी ने कहा यह बिलकुल ठीक है। उसके अनुसार कार्य होना

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

चाहिए। यहां पर यह पहचान हुई कि इनकी बात सत्य है, ये आज वह कागज लेकर नहीं आए हैं। नटवरसिंह जी मैंने देखा उनको समझा रहे थे, पुराने सदस्यों को जरूर याद होगा जो बात इन्होंने कही है वह शत-प्रतिशत सही है। उपाध्यक्ष जी, आपने कहा था कि प्रमाणित करें, वह करेंगे, यदि नहीं कर सके तो आप ब्रीच आफ प्रिविलेज मोशन लाएं।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : 1984 में मैं इस सभा का सदस्य था। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर : उपाध्यक्ष जी, अगर कोई ऑथेंटिकेट करेंगे, सही होगा, गलत होगा, यह बहस हफ्ते, दो हफ्ते, दो महीने चलेगी। मैंने इसलिए कहा कि यह बहस टलेगी तो इसके नतीजे बुरे होंगे। इसलिए मैंने जार्ज फर्नांडीज जी से निवेदन किया कि इस मामले को प्रेस न करें और कांग्रेस के मित्रों से भी कहा कि वे भी इस पर जोर न दें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने अधिकार का उपयोग करके जो भी उसमें अनुचित हो, उसको एक्सपंज कर दें, क्योंकि यह सदस्यों के अधिकार का प्रश्न नहीं है, यह राष्ट्र में अशांति फैलने का सवाल है। मैं आडवाणी जी से बड़े विनम्र शब्दों में कहूंगा कि हो सकता है जार्ज जी कुछ दस्तावेज लाएं, लेकिन हर चीज को दस्तावेजों के जरिए साबित करके हमें और अधिक समस्याएं नहीं खड़ी करनी चाहिए। हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं, उन्हीं का समाधान हम नहीं ढूंढ पाते।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष जी, मैं चन्द्रशेखर जी की बात का अनादर नहीं कर सकता और मैं उनकी बात मानता हूं, लेकिन आपको इस बात का स्मरण करना चाहिए कि जहां तक इस विज्ञापन का सवाल है, देश में सिख समाज कभी उसको भूलेगा नहीं, उधर भले ही भूल जाएं।

इनके ऊपर आरोप लगाया गया है---असत्य बोल रहे हैं।

श्री चन्द्रशेखर : आडवाणी जी, मैंने कभी नहीं कहा कि जार्ज असत्य बोले हैं। मेरे भी बहुत सारे व्यक्तिगत अनुभव हैं। हमारे मित्र, श्री इन्द्रजीत गुप्त, ने कहा कि मैं पुरानी बातों को नहीं भूलता हूं। मैं बहुत सारी बातों को भूल जाता हूं। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा और आपसे नहीं जार्ज साहब से निवेदन करूंगा कि बहुत बातों को भूल जाना भी कभी-कभी जरूरी होता है। जरूरी व्यक्ति के लिए नहीं, जरूरी समाज के लिए, जरूरी देश के लिए, इसलिए जार्ज साहब उस बात को भूल जायें। बहुत सारे आर्ग्युमेंट्स उनके पास होंगे, काफी दस्तावेज लाये होंगे, अगर एक दस्तावेज 1984 के रायट्स का पेश नहीं करेंगे, तो उनके भाषण में कमी नहीं आएगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं चन्द्रशेखर जी से सहमत हूं। कभी-कभी सहमत हो जाता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए मैंने इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया है। श्री जार्ज फर्नान्डीज, कृपया अपना भाषण जारी रखिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आनन्द मोहन (शिवहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक निवेदन है। आरोप-प्रत्यारोप की बात हो रही है। मुझ पर भी आरोप लगाए गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जार्ज साहब के भाषण के बाद आपको मौका दूंगा।

श्री आनन्द मोहन : आपने बताया था कि रिकार्ड देखकर मौका दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कहां मौका मिला, इधर ही बैठे हैं।

श्री आनन्द मोहन : हम कहेंगे, शिवशंकर जी द्वारा कुछ आरोप हैं शिवशंकर जी उनको साबित करें।*

हम उनसे रीजन नहीं मागे, लेकिन मुझ पर भी आरोप लगाया गया है। मेरे जैसे छोटे व्यक्ति की कुछ न कुछ बात स्वीकार करिए या उस आरोप को प्रूव करें।*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)***

उपाध्यक्ष महोदय : हम श्री जार्ज फर्नान्डीज की बात सुनें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर इतना विवाद होगा, यह मैंने नहीं सोचा था। मगर यह बात मैं इसलिए लाया, मैं इससे भी पुराने इतिहास परजा सकता था, 1952 तक जा सकता था, लेकिन में नहीं गया...*(व्यवधान)* यह जो हिन्दुस्तान में एक नकली बहस चल रही है कि सैक्युलर, नान-सैक्युलर या सैक्युलर, कम्युनल, इस बहस को...*(व्यवधान)* हमने कभी नहीं चलाया...*(व्यवधान)* इन लोगों ने काम सरकार को बदनाम करने के लिए, देश के भीतर और विश्व भर में बदनाम करने के लिए यह काम किया है। मैंने सोचा कि जरा इनको आईना दिखाऊं, अपना चेहरा ये देखें। उनको देखने में तकलीफ हो गई,* चन्द्रशेखरजी ने उसमें योगदान दे दिया और प्रधान मंत्री जी ने उसमें हां कर दी...*(व्यवधान)*

---

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक्सपंज कर रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, नेता विरोधी दल ने कल सदन में प्रस्ताव का विरोध करते हुए काफी लम्बी बहस चलाई। कैसे हमारी सरकार आर्थिक क्षेत्र में देश को बर्बाद कर रही है और बेरोजगारी की समस्या पर काफी बोले।

रात्रि 9.00 बजे

उसी पर आज हम लोगों के बुजुर्ग इन्द्रजीत जी ने भी, उस आर्थिक नीति पर यहां बहस चलाई। सोमनाथ बाबू इस समय सदन में नहीं हैं, मैंने उनका संपूर्ण भाषण सुना था। उन्होंने भी आर्थिक नीतियों को लेकर बताया कि हम कैसे स्वदेशी से दूर गए हैं। यहां स्वदेशी का मजाक भी हो गया, हम कैसे आत्मनिर्भरता से देश को दूर कर रहे हैं, उसकी भी यहां चर्चा हो गई और नीतियों में हम कहां पहुंच रहे हैं उस बारे में इन लोगों ने अपनी शिकायत की। मुझे नहीं मालूम कि नेता विरोधी दल को हिन्दुस्तान की बेरोजगारी के बारे में कितनी जानकारी है। भाषण के लिए जो ब्रिफ आता है वह एक चीज है लेकिन बेरोजगारी के बारे में जानकारी रखना, यह क्यों बढ़ रही है, इसे कैसे मिटाया जाए, इस पर सोचना दूसरी चीज है। आज के दिन तक हिन्दुस्तान के जिन पढ़े–लिखे लोगों के नाम एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में दर्ज हैं उनकी संख्या लगभग चार करोड़ है और इससे तीन गुना ज्यादा वे बेरोजगार हैं जिनके नाम एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में नहीं लिखे जाते हैं, क्योंकि वे बहुत पढ़े–लिखे नहीं हैं। उनके गांवों के नजदीक एम्प्लायमेंट एक्सचेंज नहीं है। इस तरह आज हिन्दुतान में पढ़े–लिखे चार करोड़, कम पढ़े–लिखे, किसी प्रकार की कला अपने हाथों में न रखने वाले 13 करोड़, यानी आज 17 करोड़ के लगभग आंकड़ा हमारे देश में बेरोजगारों का है। इस संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। ये बढ़ोत्तरी हमारी सरकार के आने पर नहीं हो रही। आप 1947 के आंकड़े निकालिए, प्रतिवर्ष बढ़ाने का ही काम चला। हम जो स्वदेशी आदि कार्यक्रम की बात करते रहे, हमें लगता था कि उन कार्यक्रमों के चलते हम लोग इस बेरोजगारी पर कुछ हल्ला कर पाएंगे। मगर 1991 में जो आपने नयी आर्थिक नीति पर हस्ताक्षर करने चाहे, 1991 में इसी सदन में किसी भी प्रकार का प्रस्ताव न लाते हुए, उन दिनों प्रधानमंत्री, श्री राव जी थे और उनके वित्त मंत्री डा. मनमोहन जी थे, चार दशकों की हम लोगों की आर्थिक नीति, पंडित नेहरू का इस सदन में औद्योगिक नीति पर रखा हुआ वह प्रस्ताव, इन सारी नीतियों पर विचार एवं बहस किए बगैर, किसी भी प्रकार का वाद–विवाद चलाए बगैर आप लोगों ने एक दिन यहां नीति का ऐलान किया और वह नीति आगे जाकर हाउन टेल हो गई। वह किस चीज में हुई, "उरूग्वे राउंड में"। फिर माराकेश आया, उस पर हस्ताक्षर हो गए। मुझे याद है हमने उस समय सदन के भीतर और बाहर देश के लोगों को आगाह करते हुए कहा था और विशेषकर देश के मजदूर आंदोलन को कहा था कि हम लोगों के हाथों में आठ–दस महीने इस नीति को मिटाने के लिए हैं और हम लोग नाकामयाब हो जाते हैं तो देश की आने वाली पीढ़ियों को अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए लड़ना पड़ेगा और माराकेश में आप लोगों ने इस देश को कैद करके विदेशी ताकतों के हाथों में दे दिया। आज हम लोगों के भाषण जो भी हों, इन्द्रजीत जी का इस पर जो भी भाषण हो। मैंने बहुत जबरदस्त भाषण सोमनाथ बाबू का सुना था तथा अन्य लोग भी इस पर बोल सकते हैं कि कैसे आर्थिक नीति बिगड़ी, क्या–क्या हो गया। यह हमने नहीं बिगाड़ी। हम लोग एक मायने में कैदखाने में हैं और इस देश को कैद करके रखने का काम आपने 1991 से शुरु किया और जब 1994 में माराकेश में हस्ताक्षर किया तब तो आपने सब के हाथ में बेड़ी डाल दी। हम आज नहीं बल्कि एक अर्से से इस बात को कह रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारी ताकत बहुत सीमित है।...*(व्यवधान)* मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं।...*(व्यवधान)* आप बैठ जाइए, आपके नेता बोल चुके हैं...*(व्यवधान)* मैं यह बताना चाहता हूँ कि नीति, लिखित नीति, बोली की नीति और व्यवहार में क्या, यह सामने आ जाए।

पहले मैं उस दस्तावेज को रख रहा हूँ जिसका नाम है,

[अनुवाद]

वैकल्पिक आर्थिक नीति के लिए 1998 के लोक सभा चुनावों हेतु वामपंथी दलों के चुनाव घोषणा पत्र भाग–2 में कहा गया है :

"1991 से आर्थिक सुधारों के नाम पर अपनाई नीतियों ने केवल स्थिति को बदत्तर बनाया है।"

जैसे मुझे इसका ज्ञान है वैसे ही आपके नेताओं और लिखने वालों को इसका ज्ञान है।

इसमें आगे कहा गया है :

"उदारीकरण का अभिप्राय बड़े व्यापार घरानों, भूस्वामियों, वित्तीय सट्टेबाजों और उन बड़े व्यापारियों के लिए समृद्धि का स्रोत है जो अधिक लाभ और अधिक आय अर्जित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक के निर्देशों के अंतर्गत भारत के आर्थिक विकास के लिए प्राथमिकताएं भारतीय लोगों के हितों में के बजाए चंद स्वदेशी धनी लोगों और विदेशी पूंजीपतियों के लिए बनाई जाती हैं। इन नीतियों से 10 प्रतिशत लोगों ने अपने आपको रोज 90 प्रतिशत लोगों की कीमत पर समृद्ध बना लिया है।"

[हिन्दी]

अब यह है सही बात और अब जरा गलत बात देखिए। मेरे हाथ में एक अखबार का विज्ञापन है जिसको मैं सदा अपनी जेब में रखता हूं। यह तब काम आता है जब लोगों की कथनी और करनी में अंतर आता है। यह फट गया है लेकिन इसकी फोटो–कॉपी मेरे पास है। यह विज्ञापन देश और दुनिया में साल भर से आता है। मैंने इसको सितम्बर महीने के हिन्दू अखबार से काटा था। इसका टाइटल है,

[अनुवाद]

'लुकिंग फॉर पॉवर ?'– राजनीतिक शक्ति नहीं, जिसने आपको छला है और आगे भी आपको छलेगी

विज्ञापन में कहा गया है :

"अन्य स्थानों पर विद्युत के संकट जैसी स्थिति है लेकिन पश्चिम बंगाल में इसकी प्रचुरता है।

[श्री जार्ज फर्नांडीज]

आदर्श स्थान के मामले में हम किसी अन्य राज्य की तुलना में दक्षिण–पूर्व एशिया, पेसिफिक रिंग और जापान के नजदीक हैं। आपकी यांगोन, बैंकाक और सिंगापुर को इंडियन एअरलाइन्स की उड़ाने भी जाती है। विश्व स्तर की कंपनियों के मामले में हमारा राज्य सीनन्स, फिलिप्स, आई. सी. आई., मोटरोला, सुशीटोमो, मतसुशीता, रोल्स रोमस, ए. बी. बी., लुम्मुस ग्लोबल इंक, प्राइस वाटरहाऊस, इटोचु, टोमो इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन मित्सुबीसी, इमुजु, कॉल्टैक्स, मारुबेनी, जॉर्ज सोरॉस, पैप्सी, बी. ओ. सी., बेचटेल, जनरल इलैक्ट्रिक, आई. बी. एम., अल्कीआ इंटरनैशनल, यूनोकॉल, आई. टी. उब्ल्यु. सिंगनोड इंडिया लि., लुर्गी, बी. ए. एस. एफ., इंस्टीट्यूट फ्राकाएस, डु पेट्रोल बायो मास लिस्टमस, इंक, आर्यर डी. लिबल, डिमुच बाबकॉक, वेसुविअस, डेवि, डामलिम, चियुंग चि हि, टॉंग सन, टेलिकॉम मलेशिया और टेल्सूटा निगमित विश्व का हूज हूं जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए चुना गया है। प्रगतिशील राज्य, प्रगतिशील संरचनागत ढांचा, प्रगतिशील ग्रामीण अर्थव्यवस्था, प्रगतिशील औद्योगिक परिदृश्य, राजनीतिक रूप से स्थाई माहौल, कुशल और सुयोग्य जनशक्ति की भरमार–यह सब आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। पश्चिम बंगाल आई एस वहां संभावनाएं प्रचुरता में हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : आत्मसमर्पण हमने नहीं, आपने किया है. ..*(व्यवधान)*

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : पिछले एक वर्ष में औद्योगिक विकास कितना हुआ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्यों चिल्ला रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, क्या मुझे इस सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा। यह विज्ञापन है :

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम पश्चिम बंगाल सरकार का उद्यम है जिसके अध्यक्ष श्री सोमपाल चटर्जी मेरे विचार से ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : हम इसका स्वागत करते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : फिर बेरोजगारी पर भी चर्चा इसके साथ मत करिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

हां हम चाहते हैं। लेकिन ऐसा शोर मत कीजिए जैसा कि आप करते रहते हैं मैं यही सब कुछ बता रहा हूँ...*(व्यवधान)*

हम लोगों को कटघरे में रखने की कोशिश को खत्म किया जाए। आप इसे स्वीकार करिए, चिंता मत करिए और कबूल करिए।

श्री बसुदेव आचार्य : हम ऐसे आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप यहां पर विश्व स्तर की कंपनी चाहते हैं।

श्री एन. जर्नादनन रेड्डी (बापतला) : उस विज्ञापन में क्या गलत है ? आप दोष लगाते रहते है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कुछ नहीं...*(व्यवधान)*

मुझे इस पर कुछ कहना नहीं है कि क्या गलत है ? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कथनी और करनी में अन्तर को खत्म किया जाए।

श्री बसुदेव आचार्य : आप अपना रुख बताएं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : श्री बसुदेव आचार्य, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैंने इसलिए इस बात को कहा कि देश की आर्थिक नीतियों को लेकर भारी कशमकश है। एक नीति 1991 में बनी थी। वह नीति हम सब को सता रही है। हमारे देश के अन्दर...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : मेरा प्वांइट ऑफ ऑर्डर है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस रूल के अन्तर्गत प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है ?

श्री लालू प्रसाद : मेरी बात सुनी जाए। मैं मंत्री जी से क्लैरिफिकेशन चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं संसद सदस्य हूं। मैं अपने महान समाजवादी नेता श्री जार्ज फर्नान्डीज से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप उनकी बात मान रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह एक घंटा बोले। मैंने बड़े मजे से इनकी बात सुनी।...मैंने इन्हें टोका नहीं। मुझे अभी बोलने दीजिए।... *(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : मैं भी सुन रहा हूं।...*(व्यवधान)* हम टोक नहीं रहे हैं। देश और विदेश में लोग देख रहे हैं कि यहां क्या हो रहा है ? मैं इनसे एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। मैंने कल भी कहा था कि आप हमारे गुरु हैं। हम एक ही स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। देश और विदेश में बैठे लोग जानना चाहते हैं कि आपने जिस समाजवाद का पाठ हम लोगों को पढ़ाया था, कौन सा कारण है जिस की वजह से आप बी. जे. पी. की झोली में जाकर बैठ गए हैं ? वह यह बता दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जब कभी गम्भीर मसलों पर चर्चा होती है तो हंसी–मजाक और राहत की आवश्यकता होती है और श्री लालू प्रसाद हमेशा हंसी–मजाक करते रहते हैं तथा राहत दिलाते रहते हैं। मैं समझता हूं कि इसके लिए सदन इनका आभारी है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : आपके विषय में 'पांचजन्य' ने क्या लिखा था ? वह मंगाया जाए। 1979 में एक सीनियर मैम्बर ने क्या कहा था, आप वह भी बता दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह टोका–टोकी क्यों हो रही है ?

श्री बसुदेव आचार्य : 1979 में इन्होंने अटल जी और आडवाणी जी के बारे में क्या कहा था, वह भी बताएं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस तरह कब तक बैठे रहेंगे ? श्री बसुदेव आचार्य, कृपया और व्यवधान मत डालिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, आर्थिक नीति के नतीजे को देखते हुये दो पहलू रखे गये। चूंकि हम चाहते हैं कि स्वदेशी पर सचमुच बहस हो। हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को स्वदेशी से कोई मतलब नहीं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष ने सालभर पहले मुम्बई के शिवाजी पार्क की एक सभा में स्वदेशी का मजाक किया था। हम स्वदेशी के पक्षधर हैं। इसके बारे में जब बोलते हैं तो स्वदेशी के साथ स्वाभिमान जोड़ते हैं, उसके साथ वही भाषा जोड़ते हैं लेकिन मुलायम सिंह जी अपनी दृष्टि से भाषा को जोड़कर बोलते रहते हैं। लेकिन हम उसके साथ स्वाभिमान और स्वावलम्बन की भाषा जोड़ते हैं तथा अनेक बातों को जोड़ते हैं। दुनिया के देश स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल अपने–अपने ढंग से करते हैं। वे अपने देश में बनी हुई चीजों को खरीदने की कोशिश करते हैं लेकिन हो सकता है कि हमारे यहां अंग्रेजों की दो सदियों की गुलामी का नतीजा हो कि हमें अभी तक विदेशी चीजे पसंद हों और हम स्वदेशी चीजों को पसंद नहीं करते। स्वदेशी चीजों के पीछे हमें परेशानी होती है। मुझे नहीं मालूम कि हर विदेशी बात को आप जोड़ते हैं। लोगों की नजर में कोई व्यक्ति विदेशी नहीं है लेकिन मैं आर्थिक नीतियों के संदर्भ में कह रहा था कि इस देश में बनी हुई चीज खरीदने का, इस देश में जो रोजगार पैदा करने वाली चीजें हैं, पूर्वांचल के लोग यहां बैठे हुये हैं, उनकी समस्या है और वे रो रहे हैं क्योंकि उनके यहां कारखाने नहीं हैं, उद्योग धंधे नहीं हैं और उनके हाथों से बनाई हुई चीजों का सवाल है। अगर हमारी सरकार, देश के ऐसे उद्योग, होटल या अन्य जगहों पर उनके हाथों से बनाई हुई चीजें जैसे केन–फर्नीचर लोग खरीदना शुरु कर दें और इसका प्रयोग इस देश में चले तो समस्त पूर्वांचल के लोगों की जो समस्या है, वह आधी रह जायेगी। हम लोगों को यह काम करना चाहिये लेकिन होता नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, चाहे मंत्री का घर हो, सांसद का घर हो, हम लोगों का दफ्तर हो, हर जगह पर हमें वे चीजें पसंद हैं जो दिखावट वाली हैं। मगर हाथ की बनाई हुई चीजें हमें पसंद नहीं, इसलिये मैंने यह बात छेड़ी। अगर हम सदन के भीतर और बाहर सभी दलों के बीच में यह बहस हो जाती कि किस तरह हम लोग रोजगार की समस्या का हल निकाल सकते हैं तो ठीक होता लेकिन इसमें समय जरूर लगेगा। हम ऐसी परिस्थिति निर्माण कर सकते हैं जिससे जो बिलकुल लाचारी वाले इलाके हैं, जहां हथकरघा का काम कर सकते हैं वहां उन लोगों को जीने का अवसर देने का काम कर सकते हैं। यही इस बारे में आप लोगों से आग्रह करना है।

उपाध्यक्ष जी, श्री सोमनाथ बाबू ने अन्य दलों के घोषणा पत्र को पढ़ा। हमारे दल का घोषणा पत्र पढ़ा गया। हमें खुशी है कि और कोई काम हो न हो लेकिन कम से कम बहस के लिये लोगों ने घोषणा पत्र पढ़ना शुरु कर दिया वरना मुझे याद है कि घोषणा पत्र केवल लिखे जाते रहे हैं, अखबारों में उसके कुछ पैराग्राफ आते रहे हैं लेकिन अब एक नई प्रक्रिया यहां शुरु हो गई है। अब कम से कम हम लोग एक–दूसरे का घोषणा पत्र पढ़कर एक दूसरे की बात को काटने का प्रयास करते हैं जो अच्छा है। इस घोषणा पत्र को पढ़ने का क्या कारण था। यहां कई दलों की मिली–जुली सरकार है और उसमें जुड़ी हुई सरकार की अलग–अलग नीतियां हैं लेकिन हम लोगों ने सरकार चलाने के लिये नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस का दस्तावेज बना दिया। सरकार हर पार्टी के घोषणा पत्र पर नहीं चल रही है। इसमें चाहे समता पार्टी का घोषणा पत्र हो, चाहे बी. जे. पी. के घोषणा पत्र की बात हो या अन्य पार्टियों के घोषणा पत्र में लिखी हुई बातें हों, हमने घोषणा पत्र की बातों को जोड़कर नेशनल एजेंडा फार गवर्नेंस बनाया है और देश के सामने पेश किया हुआ यह दस्तावेज है जो सरकार बनने के पहले हम लोगों ने बैठकर तैयार किया था।

अब इसमें से एक बात को पढ़ना जरूरी है चूंकि सेक्यूलरिज्म को लेकर एक बात चलाई गई कि कुछ बुनियादी बातों पर हम लोगों में क्या–क्या भिन्न राय हैं। हमारा नेशनल ऐजेण्डा फॉर गवर्नेन्स कहता है :

[अनुवाद]

> "हम ऐसा सभ्य, मानवोचित और न्यायपूर्ण नागरिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए वचनबद्ध हैं जिसमें जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, जाति अथवा लिंग के आधार पर भेद न हो। हम भारत के परम्परागत *सर्व पंथ समादर* जिसका आशय 'सभी पंथों के लिए समान आदर' है, के अनुरूप और 'सभी के लिए समानता' के आधार पर धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को ईमानदारी से और यथार्थरूप में प्रोत्साहित करेंगे और व्यवहार में लाएंगे। हम अल्पसंख्यकों के आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए वचनबद्ध हैं तथा हम इस संबंध में प्रभावी कदम उठाएंगे।"

[हिन्दी]

यह है नीति, यह है हम लोगों का कार्यक्रम। मुझे खुशी है कि

[श्री जार्ज फर्नांडीज]

आज इस कार्यक्रम को यहां पर सोमनाथ बाबू ने पढ़कर सुनाया, लेकिन मैं इसलिए पढ़कर सुना रहा हूं क्योंकि जिस काम में हम लोग लगे हुए हैं उस के पीछे कुछ ठोस और समयबद्ध कार्यक्रम हैं और एक साल एक महीने में जितना हो सकता था, उस पर अमल कर दिया और तीन साल और ग्यारह महीने बाकी हैं। वह कार्य भी ठीक ढंग से पूरा किया जाएगा यह मैं सभी सदस्यों को, पूरे सदन को और समूचे देश को स्पष्ट ढंग से कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बताया गया कि एक घंटे में ये लोग विकल्प तैयार करने वाले हैं। फिर बताया गया कि एक मिनट में तैयार करने वाले हैं। जब बिहार का जादू चलेगा तो एक मिनट में सब कुछ हो जाएगा यहां पर। हम जानते हैं कि कैसे आप एक दूसरे के साथ यह सब करने जा रहे हैं। यह दस्तावेज है हमारे सोमनाथ बाबू की पार्टी सी. पी. आई. (एम) का।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप अच्छा बोलते थे क्यों यह सब पढ़ते हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उसकी बात नहीं है। सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जब सरकार बनाकर आप यहां बैठ जाएंगे तो हम वहां बैठ जाएंगे, आप यही कल्पना लेकर बैठे होंगे। तब तो सवाल भी होंगे। इसलिए कुछ तो रेकार्ड रखकर चलना चाहिए।

[अनुवाद]

"कांग्रेस (आई) की सरकार जनता के धन की लूट का पर्याय बन गई है। कांग्रेस सरकार द्वारा अपनायी गई नीतियां पूरी तरह से अमीरों के हित में और बड़े व्यवसासियों और विदेशी पूंजी के लिए लाभदायक रही हैं। प्रशासन चलाने में भ्रष्टाचार सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी की जीवन शैली बन गया है। इससे आम आदमी अपने वैधानिक अधिकार से वंचित रह जाता है क्योंकि धन के बल से सरकारी नीतियों को निजी लाभ के लिए बदल दिया जाता है। सत्ताधारी पार्टी बोफोर्स दलाली मामले में दोषी व्यक्तियों को संरक्षण देने पर तुली हुई है। अपनी आर्थिक नीतियों, साम्प्रदायिक शक्तियों से समझौता करने, राष्ट्रीय एकता को सुहृद करने में विफल रहने और अत्याधिक भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण कांग्रेस (आई) सरकार आम जनता में अपना जनाधार खो रही है।"

[हिन्दी]

यह 5 से 11 तक कलकत्ता में हुआ। वहां आपने नीति वक्तव्य तय किया है, यहां पर मैं उनको समर्पित करता हूं। यह मार्क्सवादियों का दस्तावेज है।

[अनुवाद]

"अपने चोटी के नेताओं के भ्रष्टाचार की जांचों के बारे में कांग्रेस पार्टी की चिंता बढ़ती जा रही थी इसलिए उसने हस्तक्षेप करके देवगौड़ा सरकार से समर्थन वापस ले लिया और समर्थन जारी रखने की कीमत के रूप में उन्हें हटाने की मांग की। जैन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट का बहाना लेकर कांग्रेस द्वारा अनुचित ढंग से समर्थन वापस लेने के कारण संयुक्त मोर्चा की सरकार गिरी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक के निर्देशों के बाद 1991 से 97 तक, 7 वर्ष की अवधि में साधारण आदमी विशेषतः ग्रामीण गरीब लोगों के जीवन-यापन के हालत में लगातार गिरावट आयी।"

"गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन" करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत 1989-90 में 34.3 से बढ़कर 1994-95 में 36.9 हो गया। सोलह प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को 3 रुपए प्रतिदिन से भी कम मिल पाते हैं। 1991-95 के दौरान कृषि श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में गिरावट आयी। 1991 में प्रति व्यक्ति 41.6 ग्राम दालों की उपलब्धता 1996 में घटकर 34 ग्राम प्रति व्यक्ति रह गई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष--विश्व बैंक की उदारीकरण की नीति अपनाने, सांप्रदायिक शक्तियों के साथ समझौता करने के इसके रिकार्ड के परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक वर्ग के इससे विमुख होने, और इसमें उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त होने की वजह से कांग्रेस पार्टी का सतत पतन हो रहा है।

[हिन्दी]

यह इनका पुराना प्रस्ताव नहीं है, यह पिछले महीने 5 अक्टूबर से 11 तारीख तक का कुछ ही महीने पहले का प्रस्ताव है। कलकत्ता में जो आप लोगों का अधिवेशन हुआ, उसमें आपके द्वारा पारित किया हुआ प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : भा. ज. पा. के बारे में उन्होंने क्या कहा था ? आपको उसके बारे में भी बताना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज :वह ठीक है, लेकिन बी. जे. पी. के साथ आप मिलने नहीं जा रहे हो, उनके साथ आप रिश्ता बना रहे हो... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : आपको सत्ता से हटाने के लिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपने 19:55 बजे बोलना शुरू किया था।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे बोलने की अनुमति कब दी गई थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सच है। लेकिन मैं विवश हूं। पांच और मंत्रियों, दो पूर्व प्रधानमंत्रियों तथा अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

[हिन्दी]

मैं कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा सुनाना नहीं चाहूंगा...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : इनका समय हो गया है, बाकी का समय मुझे देना होगा। उनकी सदस्य संख्या भी उतनी है जितनी कि हमारी है। यह नहीं होगा, यह आपका अन्याय चल रहा है।

श्री लालू प्रसाद : अब आपको काफी समय हो गया है, अब आप बैठ जाइये। आपको एक घंटे से ज्यादा समय हो गया है।...*(व्यवधान)* आप भागवत पुराण पढ़ रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप थोड़ा शांत रहिये, सबको टाइम मिलेगा, सबको बोलने का मौका मिलेगा। अभी पांच मिनिस्टर्स और हैं।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं कुछ ही मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

[हिन्दी]

मैं चाहता था कि उनकी कांग्रेस पार्टी के साथ रिश्ता जोड़ने की बात कई दिनों से चल रही है। इधर से उधर हो रहे हैं और इनकी पार्टी के नेता तो उसमें सबसे बड़े जोड़ करने वाले व्यक्ति हैं। मैं चाहता था कि इन सब चीजों के बारे में मैं सदन के सामने कुछ बातें रखूं, लेकिन मैं उसके लिए समय नहीं लूंगा। लेकिन डी. एम. के. ने जो फैसला लिया है, मैं उसका दो कारणों से स्वागत करना चाहता हूं। हमारा डी. एम. के. के साथ वैसे भी अरसे से पुराना रिश्ता है और इमरजेन्सी के दिनों में श्री करुणानिधि ने जो हमारी ममद की थी, जब तक हम जिंदा रहेंगे, तब तक हम उसे भूल नहीं सकते। अपने प्रदेश में मुझे उन्होंने कुछ ऐसी जगहें रहने के लिए दी थीं। हमारे पूरे आंदोलन को उन्होंने उस समय काफी मदद की थी और अंत में उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी, इमरजेन्सी के दिनों में उनकी सरकार को हटा दिया गया था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : वह आपकी तरह नहीं हैं। वह हमारे प्रति कृतज्ञ हैं। आप कृतघ्न हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने दो बातों के बारे में कहा था। दूसरी बात यह है कि जिस दल के साथ कुछेक दोस्ताना रिश्ते वह रखते रहे, जिस कांग्रेस पार्टी के साथ वह दोस्ताना रिश्ते रखते रहे, हमें उससे बड़ी परेशानी थी। परेशानी इसलिए थी कि इस पार्टी की डी. एम. के. के बारे में जो सोच है, वह बहुत सोच गंदी थी, बहुत ही गलत थी। उनके 1998 के पिछले चुनाव घोषणा पत्र में डी. एम. के. के बारे में लिखा था :

[अनुवाद]

"एल. टी. टी. ई. को डी. एम. के. सरकार और डी. एम. के. के कुछ नेताओं से जो समर्थन और सहायता मिली, उसके बिना राजीव गांधी की हत्या नहीं हो सकती थी।"

हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में उस पार्टी से गले मिलने का प्रयास भी जारी रहा। मगर उस पार्टी के बारे में आपकी यह राय रही है। इस पार्टी के नाम को लेकर आपने उनकी सरकार को भी गिराने का काम किया था। इसलिए मुझे खुशी है कि आज उन लोगों ने भी उस दल से मुक्ति पाई है जो अपने कार्य के लिए उनको साथ भी ले जाना चाहते हैं लेकिन उनको हमेशा कटघरे में भी रखने का प्रयास करते हैं। हमें खुशी है कि एक समस्या को कुछ हद तक आपके इस प्रयोग के चलते या इस प्रयास के चलते दूर करने में आप भी कामयाब हो गये और हम भी कामयाब हो गये। कुछ मामले हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा और मेरे मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। यहां पहले मैं यह कहूं कि मुझे यह अफसोस हुआ जब दो–तीन रोज पहले अग्नि का परीक्षण हुआ और कुछ ऐसे बयानात आये, विशेषकर वामपंथी दलों से, जो नहीं आने चाहिए थे। श्री ज्योति बसु की हम बहुत इज्जत करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप उनकी बात मान रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं इनकी बात नहीं मानता हूँ। महोदय, आपने मुझे मेरे समय का स्मरण कराया है। मुझे विश्वास है कि मेरा 50 प्रतिशत समय इस तरह के व्यवधानों से खराब हुआ है। मुझे बोलने नहीं दिया गया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप इनसे कोई नियम नहीं पूछते जबकि हमसे नियम पूछते हैं।...*(व्यवधान)* यह अच्छी बात नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह कुछ स्पष्टीकरण मांग रहे हैं।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में हुई नेताओं की बैठक में निर्णय लिया गया था कि मतदान कल 12 बजे होगा। इसका अर्थ है कि माननीय प्रधानमंत्री कल 11 बजे उत्तर देंगे। मैं समझता हूं कि बोलने के लिए अभी विभिन्न दलों के अनेक वक्ता हैं। मेरी भी पार्टी के दो और वक्ता हैं। मेरा निवेदन है कि हमें समय–सीमा का अनुपालन करना चाहिए। या फिर आप रात 12 बजे के बाद तक बैठने का निर्णय कर रहे हैं ? महोदय इस संबंध में मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सुबह माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि 11 बजे प्रधानमंत्री महोदय उत्तर देंगे और 12 बजे मतदान होगा, हम बैठकर बोलने वाले वक्ताओं की पूरी सूची समाप्त करेंगे। अब पता नहीं कि इस काम में 12 बजते हैं या नहीं। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे कृपया इसमें सहयोग करें क्योंकि अधिकांश समय

[उपाध्यक्ष महोदय]

[हिन्दी]

इस टोका–टाकी में चला जाता है।

[अनुवाद]

अतः मैं समझता हूं कि यदि हम एक–दूसरे की बात शांतिपूर्वक सुनें तो हम वक्ताओं की पूरी सूची को समाप्त कर सकते हैं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, समस्या यह है कि छोटी पार्टियों को समय नहीं मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपको भी समय मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने कहा कि हमें बड़ी परेशानी हुई जब ज्योति बाबू ने अग्नि परीक्षण के बारे में कुछ ऐसी बातें कहीं। राष्ट्र का महान कार्य, जो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, उन्होंने उसकी धज्जी उड़ाने का यह कहकर प्रयास किया कि यह पोलीटिकल स्टंट है और रिडीकुलस चीज है। मेरे हाथ में पार्लियामेंट्री स्टेंडिंग कमेटी की 2–3 महीने पहले की रिपोर्ट है। मैं उसका एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाऊंगा।

[अनुवाद]

> "समिति सरकार द्वारा 'अग्नि' मिसाइल प्रणाली की बढ़ी हुई परास वाले रूप को स्वीकृति किए जाने का स्वागत करती है। पाकिस्तान ने अपना मिसाइल विकास कार्यक्रम जारी रखा हुआ है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के विरुद्ध है। खबर है कि हाल ही में, भारत और पाकिस्तान द्वारा किए गए नाभिकीय विस्फोटों के बाद पाकिस्तान ने भारतीय स्थलों को अपनी मिसाइलों का निशाना बनाने का दावा किया है। चीन ने भी बड़ी संख्या में मिसाइल प्रणालियां विकसित कर ली हैं, जो हमारे देश के किसी भी भाग को निशाना बना सकती हैं जिसके विरुद्ध हमारे पास कोई विश्वसनीय मिसाइल निवारक तंत्र नहीं है। समिति का मत है कि सरकार को 'अग्नि' के विभिन्न रूपों जो अभी विकसित किए जा रहे हैं, के अलावा मिसाइलों की पूरी श्रेणी विकसित करने के लिए समयबद्ध तरीके से पूरे जोर से आगे बढ़ते जाना चाहिए जो प्रमुख शत्रुओं को हमारी किसी भी सम्पत्ति पर बैलेस्टिक मिसाइल क्षमता का उपयोग करने से रोकने के लिए निवारक उपाय होगा।"

[हिन्दी]

यह पार्लियामैंट की सिफारिश है। हम लोगों का जो भी कार्य रहा, राष्ट्र की सुरक्षा की बातों को पार्लियामैंट ने जिस रूप में समझा, उसे मद्देनजर रखकर वह प्रयोग था और उसमें जिस प्रकार के बयानात आए, वे नहीं आने चाहिए थे। हमारे बारे में विशेषकर हमारे अखबारों ने और टेलीविजन में दी हुई मुलाकातों की भी यहां चर्चा हुई और नेवी के मुखिया को हटाने को लेकर भी यहां चर्चा हुई। हमारे मित्र श्री पुर्णो संगमा अभी यहां पर नहीं हैं, उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री बचाव पर आ गए हैं। मैं तीन महीने चुप रहा। मैं सोचता हूं कि एक ऐफीडैविट भी देशभर में चला। उसे अखबारों ने खूब छापा। हमारे कार्य के बारे में बहुत कुछ आया लेकिन हम चुप रहे। हम तीन महीने तक एक शब्द नहीं बोले। लोक सभा के अध्यक्ष ने यहां एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में यह विचार–विमर्श हुआ कि हम सदन में बहस करेंगे, जो आरोप हमारे ऊपर हैं, उनकी यहां बहस हो जाए। हम उस बहस के लिए तैयार रहे। फिर स्पीकर साहब के कमरे के बगल में कॉन्फ्रैंस हाल में तीन मीटिंग हुई। वहां भी हमने यह बात कही। लेकिन कई सदस्यों की यह राय रही कि जब बजट सैशन का दूसरा हिस्सा शुरु होगा, तब बहस होनी चाहिए। मैंने उस समय एक बात छेड़ी, मैंने कहा कि रोज अखबारों में आ रहा है, हमारे खिलाफ इतनी बातें लिखी जा रही हैं, इतने गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं हम बदनाम हों, मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मैं कहीं भी, कभी भी जवाब दे सकता हूं लेकिन जब इस प्रकार की बातें रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री पर आ रही है, उनकी नीयत, उनकी ईमानदारी, उनके काम, इन सब चीजों के बारे में चुनौती दी जा रही है तो देश की सीमाओं में जो जवान बैठे हैं, हिन्दुस्तान की तीनों सेनाओं थल सेना, वायु सेना और नौ सेना के जवान अधिकारी जहां–जहां हैं, उनके मन में शंकाओं का निर्माण हो रहा है और इसका जवाब देना मेरे लिए अनिवार्य हो जाएगा। वहां पर अध्यक्ष जी की मौजूदगी में नेताओं ने यह कहा था कि आप सार्वजनिक हो सकते हैं, आप बोले सकते हैं, जहां, जो बात काटनी चाहिए, यदि आपको लगता है तो आप कर सकते हैं। उस इजाजत के बाद भी हमने इंतजार किया। लेकिन जब देखा कि दूसरों की ओर से रोका नहीं जा रहा है तो मुझे सार्वजनिक जाना पड़ा। लेकिन यहां हाथ उठाकर यह बताया गया कि मैं ए. डी. एम. के. के महामंत्री के पास फाइलें लेकर गया था। मैं फाइलें लेकर नहीं गया था, मैं खाली हाथों गया था।

सब को मालूम है कि मैं खाली हाथों से गया था। ताज होटल में समय तय हुआ था, मैं नहीं जाता, तो हम लोगों मैं पहले जो बातें हुई थीं, वे बातचीत में हम दोनों के बीच में अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की महामंत्री और हमारे बीच में, प्रधान मंत्री के सामने, गृह मंत्री के सामने, कमेटी के सदस्यों के सामने यह तय हुआ था कि मैं जाकर उनके मन में जो भी शंकाएं हैं, वह दूर करूंगा। मैं नहीं गया होता, तब भी मुझ पर हमला होता कि वायदा करके नहीं गये। हम गये तो उसको लेकर कई किस्म की बातें कही गईं। मगर मुझे सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि मैं खाली हाथ से गया, खाली हाथ से आया। जिस वक्त मुझे टेलीविजन वालों ने और अखबार वालों ने पूछा, फाइलें नहीं लाये तो मैंने कहा कि खाली हाथों से आया हूं। वापस आते वक्त फिर पूछा, फाइलें कहां गईं तो मैंने कहा कि मैं क्या जादूगर हूं कि यहां से मैं अभी फाइलें ले गया और अभी फाइलें चली गईं। मैं जादूगर नहीं हूं। मैं फाइलें लेकर नहीं आया था, लेकिर यहां यह बात इस सदन में चलाई गई। यह देश में चल रही हैं।

मैं बहस से भागने वाला आदमी कभी नहीं रहा हूं। मैं बहस का आमंत्रण करता हूं और रक्षा विभाग के मेरे किसी भी काम को लेकर, किसी भी क्षेत्र के मेरे किसी भी निर्णय और किसी भी फैसले को लेकर

मैं कहीं भी खड़ा होकर मेरा बचाव करने की कोई जरूरत मैं महसूस नहीं करता हूं, लेकिन मैं कहीं भी खड़ा होकर तथ्यों को रखने के लिए तैयार हूं। मैं कभी भागने वाला आदमी नहीं हूं, किसी भी लड़ाई से कभी भागा नहीं हूं। एक व्यक्ति को अगर निकाला तो उसके पीछे जो कारण हैं, उन कारणों की अगर चर्चा करनी है तो वह हम चाहेंगे कि ऐसे स्थान पर या ऐसे ढंग से वह चर्चा हो कि जिसमें से कई बातें सार्वजनिक करने की जरूरत न पड़े, लेकिन जिनको कुछ बातों की जानकारी है, हमारी सुरक्षा से जुड़ी हुई कुछ बातों की, उनके सामने वह चर्चा हो। हमने यह बात तब भी कही थी, प्रधान मंत्री ने यह बात उस समय भी रखी थी, गृह मंत्री ने यह बात रखी थी, अध्यक्ष महोदय के सामने ये बातें रखी थी कि कुछ मामलों में देश की सुरक्षा को नुकसान होगा, अगर हर बात को रखा गया। आपको मालूम है, लोक सभा के अध्यक्ष को मालूम है कि रक्षा मंत्रालय में सदस्यों के जितने प्रश्न आते हैं, उनमें से मुश्किल से 25 प्रतिशत प्रश्न भी स्वीकार नहीं किये जाते हैं और केवल लिखित जवाब उनको दिये जाते हैं। लोक सभा के अध्यक्ष के पास यह कहकर जाता है कि इसको आप जिस सदस्य का यह प्रश्न है, उनको सुना सकते हो। अगर इतनी परेशानी होती है कि एक साधारण प्रश्न को लेकर तो अध्यक्ष जी, जब कुछ बहुत बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं, जैसे कुछ मामले हैं, जिन पर बहस होनी चाहिए और बहस हो सकती हे, कुछ तो नुकसान होगा, तब भी होनी चाहिए। टी–90, टी–72 जो खरीदा नहीं गया है, जिसका ट्रायल अगले दो महीनों में होना है और ट्रायल के लिए अभी तीन टैंक्स रूस से आने हैं, मगर उस पर हजारों करोड़ रुपया चला गया। हमारी मीटिंग में कहा गया, अखबारों में लिया गया, हर स्तर पर कहा गया कि हजारों करोड़ रुपये का सौदा हो गया। हम सौदा करने नहीं गये थे। टी–72 टैंक पसन्द किये हुए हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री हैं, टी–90 टैंक देखे हुए हमारे तत्कालीन रक्षा मंत्री हैं। वहां उसको देखने के लिए, वहां उसकी परीक्षा लेने के लिए गये हुए सेना के अधिकारी हैं और हम रक्षा मंत्रालय में जाने के पहले गये हुए लोग हैं, लेकिन क्या–क्या नहीं चला है। आज यहां पर अभी जब भाषण चल रहा था तो एक माननीय सदस्य, मेरे ख्याल से यह बात शिवशंकर जी ने शायद चलाई, जिसके ऊपर यहां पर उसका खंडन हुआ, वह बात थी कि प्रधान मंत्री जब अंडमान निकोबार गये थे, तब वे किसके मेहमान रहे। हरेन्द्र सिंह के मेहमान रहे, हरेन्द्र सिंह फोर्थ टाइम के कमांडर थे, प्रधान मंत्री अपने कार्य के लिए गये थे, प्रधान मंत्री देश की सुरक्षा कमेटी के अध्यक्ष मात्र नहीं हैं, देश के प्रधान मंत्री हैं और उनको लेने वहां जो हमारी स्ट्राइप्ड सर्विस का जो सबसे बड़ा काम है, वह उसका काम है तो उन्होंने उसका स्वागत किया, लेकिन देश भर में चला है, रोज चला है और उस व्यक्ति से चला है, जिसकी गवाही लेकर मुझको इस सदन में कठघरे में रखा जा रहा है। मगर उन्होंने यह बात चलाई और अगर हमने उसको काट दिया तो उसे कहा जाता है कि तुम पब्लिक में गये।

दूसरी उन्होंने एक बात और कही। दूसरी एक बात उन्होंने और कही और वह बात थी, वह भी गलत करके प्रधान मंत्री ने ही बता दिया। ..*(व्यवधान)* नहीं, पोखरण वाली नहीं थी, एक और बात थी।

उपाध्यक्ष जी, इस सदन में इस बहस के दरमियान दो बातें कही गईं, वे कैसे गलत हैं, यहां उसको स्पष्ट किया गया। मुझे इस बात का अफसोस है कि एक व्यक्ति जिसके बारे में उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं, जिनके नीचे वह काम कर रहा था, उनकी 30 अक्टूबर, 1990 की टिप्पणी इस दस्तावेज में है, जिसे मैंने सभी सदस्यों को भेजा है। इसके पैज नम्बर चार पर लिखा है — वास्तव में, उनके ऊपर के अधिकारी, वाइस एडमिरल, एस. जैन, फलैग आफिसर कमान्डिंग इन चीफ, पश्चिमी कमान की रिअर एडमिरल विष्णु भागवत (तत्कालीन नौसेना अध्यक्ष को सम्बोधित अपने 30 अक्तूबर 1990 के पत्र में) के बारे में यह कहना था। मैं उसे उद्धत करता हूँ :

> "भागवन ने दोषपूर्ण ढंग से विद्वेषपूर्ण और गलत आरोप लगाए हैं...वह असंतुष्ट अधिकारी है जो मानसिक रूप से असंतुलित भी है। वे दिमागी रूप से बीमार है और उन्हें मनोरोग चिकित्सा की जरूरत है।...जिन्हें नापाक इरादें से उस सेवा और सरकार के अंदर सूचना प्राप्त करने का एक हानिकारक नेटवर्क विकसित किया है...अपने उच्च अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों और समकक्षों की गतिविधियों पर गुप्त निगाह रखते रहे हैं...टेलीफोन टेप करने में भी संकोच बरतते है...दूसरे के कागजातों से चोरी छुपे जानकारी एकत्र की है।"

यह पत्र पश्चिमी कमान के फ्लैग आफीसर कमान्डिग, वाइस एडमिरल जैन ने 1990 में अपने उच्च अधिकारियों को लिखा था।

[हिन्दी]

किसने उनको बनाया, उनको बनाने वाले दो लोग हैं, जो सदन में बैठे हैं, मगर हम अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं केवल एक व्यक्ति के बारे में उसके सुपीरियर आफिसर की क्या राय थी, उसको रख रहा हूं। आप इस पर सदन में बहस चाहते हैं, वह जरूर होनी चाहिए और जो भी तथ्य हों, वे सामने आने चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : जे. पी. सी. का क्या हुआ ?

श्री जार्ज फर्नांडीज : जे. पी. सी. किस पर बैठे, आप बार–बार जे. पी. सी. का नाम लिए जा रहे हैं। आपमें हिम्मत है तो आप आरोप लगाएं, लेकिन जे. पी. सी. मत बोलिए। किसी एक व्यक्ति ने कोई गलत बात कहीं, गलती की, सारी सेना को परेशानी में डालने वाली बात की, आप मुझे कहें, जे. पी. सी. से क्या होगा। आप मुझ पर आरोप लगाएं, कोई भी पांच सदस्य लगाएं या एक सदस्य लगाए कि हमारे पास यह दस्तावेज है, यह एफिडेविट है और यह सही है, इसमें लिखी हुई बातों पर हम आपसे जवाब चाहते हैं। अभी हमने एक पोस्टर की बात की थी, आपको वह मंजूर नहीं हुई और पोस्टर की बात को हटा दिया और मेरे ऊपर आरोप लगा दिया। एक ऐसे व्यक्ति ने मुझ पर आरोप लगाए जिसकी जिम्मेदारी आप अपने हाथों पर ले रहे हैं हम जे. पी. सी. नहीं, अदालत में जाने के लिए तैयार हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : मैंने और देवेगौड़ा जी ने नियुक्ति की थी, उसमें क्या कमी है, यह बता दें ?

श्री जार्ज फर्नांडीज : मुझे आपके फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है, रत्ती भर भी आपत्ति नहीं है। आपके फैसले के ऊपर ही मंत्रालय आगे बढ़ा है। वह आपका ही फैसला नहीं है, वह प्रिंसीपल सेक्रेटरी का फैसला है, यह डिफेंस सेक्रेटरी, केबिनेट सेक्रेटरी और तीनों सेनाओं के मुखियाओं द्वारा बैठकर लिया गया निर्णय है। अब क्या मैं यह दस्तावेज यहां लाऊं। मेरी समझ में नहीं आता सुरक्षा के मामलों को इस तरह फैलाया जा रहा है जिस प्रकार की बातें छेड़ी जा रही हैं, नेता विरोधी दल तो इन चीजों को जानते हैं, वे रक्षा मंत्री रह चुके हैं, मुलायम सिंह जी भी जानते हैं। यहां तक नहीं तीन भूतपूर्व प्रधान मंत्री हैं, उनको सारी चीजों की जानकारी है।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : विभिन्न स्रोतों से प्रचार माध्यमों को बड़ी संख्या में संवेदनशील कागजात उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रत्येक दिन कोई खास अखबार पढ़ने पर आपको रक्षा मंत्रालय के बारे में कोई न कोई जानकारी मिल जाएगी। यह जानकारी पायनियर के पास कैसे पहुंची ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : रक्षा मंत्रालय के कागजातों को गलत तरीके से प्राप्त कर लिया गया है।

श्री शरद पवार : तब तो आप अयोग्य है...*(व्यवधान)* आप पद पर बने रहने के योग्य नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : भूतपूर्व नौसेनाध्यक्ष इन कागजातों को वितरित कर रहे हैं। बैठक का कार्यवाही सारांश अपने साथ ले गए है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इसके लिए मंत्री महोदय जिम्मेवार है। उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। इसके लिए कौन जिम्मेवार है ?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : रक्षा मंत्री जी का यह कहना कि डिफेंस से कागजात हाईजैक हो गए, यह बड़ा गम्भीर मामला है, यह कोई मामूली बात नहीं है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : रक्षा मंत्री ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय से कुछ सूचना गलत ढंग से प्राप्त की गई है। तब वे क्या कर रहे थे ? इसके लिए जिम्मेवार कौन है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं अपनी बात बोलना चाहता हूं, आप मुझे क्यों टोक रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो मिनिस्टरी के निर्णय हुए हैं, वे क्या नेवी चीफ के हाथों में जाना उचित थे, लेकिन नेवी चीफ की ओर से वैसे कागज हर रोज रिलीज हो रहे हैं, यह मैंने यहां कहा।...*(व्यवधान)* जो लोग उनके सहरे यहां कह रहे हैं मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सच पहचानिए।

.....*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के तहत आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, रक्षा मंत्री ने कहा है कि कुछ सूचना गलत ढंग से प्राप्त की गई है। उन्हें सदन को यह बताना चाहिए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। रक्षा मंत्री को सदन में स्पष्टीकरण देना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, कल से सदन में मौजूदा सरकार द्वारा लाए गए विश्वासमत प्रस्ताव पर बहस हो रही है। मैंने सत्ता पक्ष के लोगों के भी ख्याल सुने हैं और विपक्ष के नेता श्री शरद पवार तथा अन्य दलों के नेताओं के भी विचार सुने हैं। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि कल से लेकर आज तक जो बहस चल रही है और अभी जारी है, मुझे दोनों तरफ से बहुजन समाज के प्रति आप लोगों की कोई दिलचस्पी नजर नहीं आई है। बहुजन समाज के हित के बारे में न तो सत्ता पक्ष की कोई दिलचस्पी मुझे नजर आई और न ही विपक्ष की नजर आई। बहुजन समाज, जिसको आप लोग इग्नौर करके चल रहे हैं, ये आबादी के हिसाब से बहुत विशाल समाज है। जिसे हम अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से संबंध रखने वाले सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और बुद्धिस्ट के नाम से पुकारते हैं। बहुजन समाज के बारे में न तो मुझे सत्ता पक्ष के लोग गंभीर नजर आए और न ही विपक्ष के लोग नजर आए। मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूं, जब जयललिता जी की पार्टी के दो मंत्रियों ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद राजनीतिक माहौल बहुम गर्म हो गया था। प्रैस, मीडिया के लोग और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के लोग हर पार्टी के नेताओं के पास घूम रहे हैं और वे उनके ख्यालात जानना चाहते हैं, वे हमसे भी बीच–बीच में मिलते रहे और उन्होंने हमें बहुत कुरदने की कोशिश की। इस बात को जानने की कोशिश की कि यदि सरकार अल्पमत में आ जाती है तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा और यदि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है और विपक्ष की पार्टियां लाती हैं तब आपकी पार्टी का क्या स्टेंड होगा। हमने विश्वास मत सरकार के द्वारा लाने से पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि बहुजन समाज पार्टी अपनी रणनीति का एडवांस में खुलासा नहीं करना चाहेगी लेकिन इतना जरूर है कि यदि ऐसा कोई मौका आया, चाहे सरकार की ओर से विश्वास मत आए या सदन में विपक्ष की तरफ से अविश्वास मत सरकार के खिलाफ आए, हम जो भी फैसला लेंगे वह बहुजन समाज के हित

को ध्यान में रख कर ही लेंगे। अपनी रणनीति का खुलासा हम फ्लोर पर ही सदन में करेंगे। बहुजन समाज पार्टी का विश्वास मत प्रस्ताव के ऊपर क्या रणनीति होगी, उसके बारे में बताने से पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि सत्ता पक्ष के लोग भी बी. एस. पी. से यह उम्मीद कर रहे थे कि बी. एस. पी. विश्वास मत के मौके पर हमें वोट करेगी और विपक्ष की पार्टियां भी हमसे उम्मीद कर रही थीं तथा अभी भी रणनीति का खुलासा करने से पहले शायद वे उम्मीद कर रहे हैं कि बी. एस. पी. विश्वास मत के विपक्ष में अपनी राय प्रकट करेगी। मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों को भी स्पष्ट करना चाहती हूं, अपनी रणनीति का खुलासा करने से पहले, जब मैंने आप लोगों को यह बताया कि हम जो भी फैसला लेंगे वह बहुजन समाज के हित को ध्यान में रख कर लेंगे। यदि हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ नजर डालें,

रात्रि 10.00 बजे

मिलीजुली पार्टियों के सहयोग से जो सेंटर की सरकार चल रही हैं या जिन सूबों में भाजपा की अपनी सरकार चल रही हैं, तो इनकी सरकारों के दौरान बसपा का हित कितना सुरक्षित रहा है, उसकी तरफ मैं अपनी रणनीति का खुलासा करने से पहले कुछ कहना जरूरी समझूंगी।

देश के सबसे बड़े प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हमें दो बार सरकार बनाने का मौका मिला और दोनों बार हमने अपने पार्टी के उसूलों, सिद्धांतों और बहुजन समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार चलाई। हमने उत्तर प्रदेश में चाहे 1995 की बात हो या 1997 की बात हो या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात हो, हमने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को सरकार बनाने से पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि जितने दिन भी हमारी सरकार चलेगी, उसे हम अपने उसूलों, सिद्धांतों और बहुजन समाज के हितों को ध्यान में रखकर चलाएंगे। जब 1995 में हमें पहली बार सरकार बनाने का मौका मिला, किन परिस्थितियों में मिला, इसका अहसास सत्ता पक्ष को भी है और विपक्ष को भी है। हमने 1995 में समाजवादी पार्टी से समर्थन वापस क्यों लिया ? समाजवादी पार्टी से एलाइंस के समय और उसके बाद जब सरकार मिलीजुली बनी और सरकार बनाते समय और एलाइंस करते समय समाजवादी पार्टी के नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कांशी राम जी से वायदा किया था कि हम अपनी हुकूमत में बहुजन समाज के लोगों को इंसाफ देंगे, उनके ऊपर किसी प्रकार की भी जुल्म–ज्यादती नहीं होने देंगे। हमने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता पर भरोसा किया और मिलकर चुनाव लड़ा। वायदे के मुताबिक उत्तर प्रदेश की सत्ता इनके हवाले की। मिलीजुली सरकार थी और 18 महीने का मौका हमने समाजवादी पार्टी को दिया। लेकिन 18 महीने के शासन काल में बहुजन समाज के लोगों को अन्याय और अत्याचार के सिवा कुछ नहीं मिला। जून 1995 को हमने अपना समर्थन वापस लिया तो समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी वह अल्पमत में आ गयी। नैतिकता के आधार पर इनको सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए था। उस समय श्री मोती लाल वोरा जी उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे। जब हमने समर्थन वापस लिया था तो उसी पत्र में लिखा कि हमें इतनी पार्टियों का समर्थन प्राप्त है, हमारी इतनी संख्या बनती है। जब हमने उसी समय मोती लाल वोरा जी को समर्थन वापसी का और जिन पार्टियों का हमें समर्थन मिल रहा था उसका भी लैटर दिया तो हमारे पास बहुमत था। श्री मोती लाल वोरा जी को उस समय हमें बिना देर किये हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलानी चाहिए थी। लेकिन श्री मोती लाल वोरा जी जो शुरु से कांग्रेस पार्टी में रहे और कांग्रेस पार्टी बात तो करती है कि हम दलितों के बड़े हितैषी हैं। आजादी के बाद लम्बे अर्से तक कांग्रेस का सैंटर और सूबों में भी राज रहा। कांग्रेस पार्टी ने अपने लम्बे अर्से के शासन काल में बहुजन समाज के लोगों को आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दिया। जब पहली बार दलित की बेटी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलने वाला था तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को यह अच्छा नहीं लगा कि दलित की बेटी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। पहली जून को हमने सपोर्ट विदड्रा किया। हमें ओथ दिलानी चाहिए थी लेकिन उस समय श्री मोती लाल वोरा जी समाजवादी पार्टी के साथ मिल गए और पहली जून 1995 को हमने सपोर्ट विदड्रा किया तो उन्होंने ओथ नहीं दिलाई। 2 जून 1995 को समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के छटे–छटाए शरारती तत्वों और माफियाओं को इकट्ठा कर मुझ पर जो जानलेवा हमला कराया वह इतिहास के काले पन्नों में लिखा जाएगा। उस समय उत्तर प्रदेश के गवर्नर साहब को सारी चीज की समय–समय पर जानकारी मिलती रही थी लेकिन गवर्नर साहब ने यह जरूरत महसूस नहीं की कि मायावती को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता को पूरा मौका दिया कि बहुजन समाजवादी पार्टी के जितने विधायकों को किडनैप किया जा सके किया जाए, जितना खरीदना चाहें खरीद लिया जाए। जब गवर्नर साहब के षडयंत्र का खुलासा हो गया तो उस समय मोती लाल वोरा जी घबरा गए। उस समय सैंटर में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी विरोधी दल के नेता थे। सारी विरोधी पार्टियों ने जब कांग्रेस पार्टी को सैंटर में घेरा तो दिल्ली से इनस्ट्रक्शन जारी हुए। वह कब जारी हुए ? जब 2 जून 1995 को उत्तर प्रदेश के कोने–कोने से कांग्रेस पार्टी और मोती लाल वोरा जी की देखरेख में क्योंकि मुलायम सिंह जी की सरकार अल्पमत में आ गई थी, श्री मोती लाल वोरा जी की जिम्मेदारी बनती थी कि उनको क्या कदम उठाना चाहिए था लेकिन वह खुद समाजवादी पार्टी से मिले थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिल कर मेरी हत्या का षडयंत्र रचा। जब उसमें कामयाबी नहीं मिली और सैंटर में यह मामला उठा तब उन्हें दिल पर पत्थर रख कर मुझे ओथ दिलानी पड़ी। कांग्रेस पार्टी को हम मनुवादी पार्टी मान कर चलते हैं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज के मामले में हम मनुवादी पार्टी मान कर चलते हैं तो कांग्रेस पार्टी को भी हम मनुवादी पार्टी मान कर चलते हैं। 1995 में हमारी सरकार बनी लेकिन कांग्रेस पार्टी के गले के नीचे से वह नहीं उतरी। उस समय सैंटर में कांग्रेसी सरकार थी। हमारे भाई राजेश पायलट जी उस समय गृह मंत्री थे। वह वहां बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी से दलित और पिछड़ा वर्ग तो नाराज ही था लेकिन मुस्लिम समाज भी नाराज था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की देखरेख में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के साथ मिल कर, सांठ–गांठ करके जब मुसलमानों की बाबरी मस्जिद

[कु. मायावती]

गिराई वह बात किसी से छिपी नहीं है। उस समय केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की बाबरी मस्जिद को गिराने का षडयंत्र रच रही थी, पूरी तैयार हो गई थी, उस समय सैंट्रेल गवर्नमेंट को चारों तरफ से यह कहा जा रहा था कि यदि आपने उत्तर प्रदेश में जल्दी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया तो मुसलमानों की बाबरी मस्जिद गिर जायेगी लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप रही। बी. जे. पी. के साथ अंदरूनी सांठ–गांठ करके आपकी रजामंदी से मुसलमानों की बाबरी मस्जिद गिराई गई तब उसके बाद वहां राष्ट्रपति शासन राज लागू किया गया। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं कि बी. जे. पी. और कांग्रेस पार्टी दोनों ने मिलकर मुसलमानों की बाबरी मस्जिद गिराई। आपने पूछा मैंने उसका जवाब दे दिया है। अब आर. पी. आई. की बात देखिये। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ मिलकर इस पार्टी के कुछ सदस्य चुनकर आए हैं।

श्री जोगेन्द्र कवाडे : कृपया सदन को गुमराह न करें।

कुमारी मायावती : ठीक है। मुझे मालूम है कि आपका अलाइंस कैसा है। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि उसके बाद पूरे देश में साम्प्रदायिक तनाव पैदा हुआ और बड़े पैमान पर लोगों की जान–माल का नुकसान हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : कुमारी मायावती ने अपनी बात मान ली है, फिर आपको क्या कहना है ?

कुमारी मायावती : मैं स्पष्टीकरण देना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने बी. जे. पी. से मिलकर मुसलमानों की बाबरी मस्जिद गिराई थी। देश के सारे मुसलमान बी. जे. पी. और कांग्रेस के खिलाफ हो गये। मैं 1995 में जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो उस समय केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस यह मौका तलाश रही थी कि कोई ऐसा मौका आये जिसमें कांग्रेस पार्टी बाबरी मस्जिद गिराने में इन्वाल्व हुई, वह कलंक उतर सके। 1995 में मथुरा की ईदगाह का मामला जब आया, उस समय में बी. जे. पी. और उसके सहयोगी संगठनों के सहयोग से सरकार चला रही थी। बी. जे. पी. और उसके सहयोगी संगठनों ने पूरी कोशिश की कि जिस प्रकार अयोध्या में मुसलमानों की बाबरी मस्जिद गिराई, उसी प्रकार मथुरा में भी ईदगाह मस्जिद के स्थान पर कृष्ण मंदिर बनाया जाये। जब मुझे इनकी यह मंशा मालूम हुई तो मैंने उनको साफ लफ्जों में कहा कि हमारी सरकार कल की बजाए चाहे आज चली जाये लेकिन हम मुसलमानों की मस्जिद को नहीं टूटने देंगे। हमने बी. जे. पी. और उसके सहयोगी संगठनों की मंशा को पूरा न होने देने के लिये उत्तर प्रदेश के कोने–कोने के बढ़िया और सक्षम अधिकारी वहां तैनात किये और बी. जे. पी. तथा उनके सहयोगी संगठनों को ईदगाह मस्जिद से तीन किलोमीटर दूर रखा। उस समय कांग्रेस पार्टी केन्द्र में नया गेम खेल रही थी। उस समय स्टेट होम मिनिस्टर श्री राजेश पायलट थे। उन्हें लग रहा था कि मथुरा में कोई खतरा है। क्या चीफ मिनिस्टर को मालूम होना चाहिये था। वे मेरी इजाजत के बिना मथुरा में दौरा कर सकते हैं लेकिन उस समय श्री राजेश पायलट ने सोचा कि हैलीकाप्टर लेकर जायें, वहां दौरा लगाकर खुद कुछ गड़बड़ कराकर हम पर यह इल्जाम लगायें कि मायावती ठीक से सरकार नहीं चला सकीं और ईदगाह मस्जिद को बचा नहीं सकी। उन्होंने हैलीकाप्टर से तीन चार बार दौरा लगाकर भड़काऊ भाषण देकर टैंशन पैदा किया। वे यह साबित करना चाहते थे। यदि ईदगाह मस्जिद भी उनके षड्यंत्र के तहत टूट जाती तो आप बताते कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को तो हम पहले ही बोलते हैं कि ये अयोग्य लोग हैं, ये रिज़र्व कोटे से आते हैं, इनको कैसे उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बना दिया, ये तो हुकूमत चलाने के काबिल नहीं हैं। एक तरफ तो आप यह कहते और दूसरी तरफ कहते कि देखो हमने मुसलमानों की मस्जिद बचा दी। आप एक तीर से दो निशाने करना चाहते थे, लेकिन हमने आपके षड्यंत्र को समझा और जब मुझे मालूम हुआ कि कांग्रेस पार्टी की इंटेन्शन साफ नहीं हैं तो हमने सख्ती बरती और हमने सेन्टर के ऊपर भी निगरानी रखी कि कहीं ये लोग, जो गलती इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर की है, अयोध्या में मुसलमानों की बाबरी मस्जिद गिराई है, ये अपने उस कलंक को धोना चाहते हैं और मथुरा के अंदर षड्यंत्र ये रचेंगे और बदनाम करेंगे बहुजन समाज पार्टी को, मैंने इनके षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया। जहां तक 1997 का सवाल है, 1997 में हमारी सरकार बनी लेकिन चुनाव हमने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर लड़ा। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहती लेकिन 1997 में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी मिली जुली सरकार बनी और छः महीने मेरे नेतृत्व में सरकार चली तो हमने बहुजन समाज के हित में बहुत से फैसले लिये। उन महान पुरुषों को भी आदर सम्मान दिया जिन्होंने इस देश में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने इस देश में मानवता और इंसानियत का संदेश दिया। लेकिन छः महीने पूरे होने के बाद जब हमने सत्ता भारतीय जनता पार्टी को सौंपी तो भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल बहुजन समाज के उलट काम किया। बहुजन समाज के हित में जो हमने फैसले लिये, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन फैसलों को एक–एक करके बदलना शुरू कर दिया। तब हमने बहुजन समाज के हित को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के हित को ध्यान में रखकर अपनी सत्ता ताक पर रख दी थी। मैं विपक्ष के नेता शरद पवार जी से कहना चाहती हूं जो उठकर जा रहे हैं, उनको मेरी बात सुननी चाहिए। मैं उनको बताना चाहती हूं कि जब हमने बहुजन समाज के हित में, दलितों, पिछड़ों और अकलियतों के हित में अपनी सत्ता ताक पर रख दी थी...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : लगता है आपका समर्थन दोनों को ही मिलने वाला नहीं है, इसलिए मैं जा रहा था।...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : जब मिलना होता है, तभी देते हैं।...*(व्यवधान)*

कुमारी मायावती : आप मेरी बात सुनकर जाएं। शरद पवार जी जो दलितों, पिछड़ों और अकलियतों की दुहाई देते हैं, आपका असली चेहरा, दलितों के प्रति जो आपका प्रेम है, वह बिहार के इश्यू पर उजागर हुआ। बिहार के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट के लोग बड़े पैमाने पर मारे गए और जब दलितों की हत्या के मामले को लेकर बिहार में प्रैजीडेण्ट रूल

लगाने की बात आई तो उस समय कांग्रेस पार्टी का रवैया सदन को मालूम है, हर पार्टी को मालूम है और आज कांग्रेस पार्टी की ओर से श्री शिवशंकर जी बोल रहे थे। वह बता रहे थे कि बिहार के मामले में हमने राजद के नेताओं को कहा था कि जब वहां पर दलितों की हत्या हुई है और जो जालिम लोग हैं उनको पकड़ने में वहा की सरकार कामयाब नहीं रही है तो वहां की मुख्य मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था लेकिन आप कब ऐसी बात बोल रहे हैं जब आपको लगा कि बिहार के मामले में दलित आपके कब्जे से निकल चुका है। आज आप बोल रहे हैं ? मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जब आप बिहार की मुख्य मंत्री को कहते हैं कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था, तब आपकी नैतिकता कहां चली गई थी ? जब बिहार की मुख्य मंत्री ने अपनी नैतिकता को नहीं निभाया, इस्तीफा नहीं दिया तो कम से कम आपको तो अपनी नैतिकता दलितों के प्रति निभानी चाहिए थी। जब यह मामला राज्य सभा में जाना था तो आपको प्रेजीडेण्ट रूल का समर्थन करना चाहिए था ले किन आपने उसका समर्थन नहीं किया और आज आप दलितों के हित की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी का शासन भी हमारे लोगों ने आज़ादी के बाद लंबे अर्से तक देखा है। कांग्रेस पार्टी की जब तक सैंटर में और अन्य प्रदेशों में लगातार पांच–पांच साल तक सरकारें चलती रहीं, तब तक बहुजन समाज के लोग अनभिज्ञ रहे, आप उन्हें गुमराह करते रहे। आप लोग आश्वासन के आधार पर राजनीति करते रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी और दूसरे साथी याद रखें कि जब बहुजन समाज के लोगों ने आपकी नीति और नीयत को पहचाना तो वे आपको छोड़कर अलग हो गये। कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को सबक सीखना चाहिए, जब बहुजन समाज के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं किया, तीसरा मोर्चा बनाने वाले लोगों को माफ नहीं किया। यदि आप भी उनकी तरह रवैया अपनायेंगे तो बहुजन समाज के लोग आपको भी माफ नहीं करने वाले हैं। गरीब और मजलूम लोग आपको भी माफ नहीं करने वाले हैं। मैं अपनी पार्टी की रणनीति का खुलासा करने से पहले सदन में एक गलतफहमी और दूर करना चाहती हूं, क्योंकि आज से चार–पांच दिन पहले कुछ पेपर्स में छपा, इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से इस बात का बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अपने पांच वोट देकर उत्तर प्रदेश की सत्ता हथियाना चाहती है। इस किस्म का प्रचार बहुजन समाज पार्टी की छवि को बिगाड़ने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता इधर बैठे हैं, वे खुद बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े राष्ट्रीय नेता भी इस सिलसिले में बता सकते हैं यदि उनसे हमारी इस बारे में कोई बात हुई हो। क्या हमने कहा है कि हम आपको पांच वोट तब देंगे जब आप श्री कल्याण सिंह की जगह वहां बी. एस. पी. की सरकार बना दो। हमने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी थी और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी बताना चाहती हूं कि हमें कल्याण सिंह की सरकार से कोई तकलीफ नहीं है। हमारा काम श्री कल्याण सिंह बहुत आसान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कल्याण सिंह ने बहुत कमजोर किया है, वह हमारे हित में काम कर रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कल्याण सिंह को बदला जाए। यदि वह थोड़े दिन और रह जाएं तो हमारा काम बहुत बढ़िया हो जाए। उत्तर प्रदेश में यदि कल्याण सिंह इलैक्शन होने तक मुख्य मंत्री रहे और आप उन्हें न बदलें तो वह हमारे लिए सोने पे सुहागा होगा। चूंकि फिर हमें भारतीय जनता पार्टी को कमजोर नहीं करना पड़ेगा, श्री कल्याण सिंह जी खुद ही आपकी पार्टी को कमजोर करके सत्ता हमारे हवाले कर देंगे, जब भी उत्तर प्रदेश में इलैक्शन होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर काफी खराब है। गरीबों और मजलूमों पर जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं और समाज का हर तबका बड़े पैमाने पर दुखी है। हमें उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के बारे में कोई तकलीफ नहीं है। आप वहां नेतृत्व परिवर्तन करें या न करें। यदि आप वहां नेतृत्व परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर आप बहुत बड़ी मेहरबानी करेंगे। यह हमारे बड़े हित में होगा। इसलिए मैं इस मौके पर इस हाउस में स्पष्ट करना चाहती हूं चूंकि कई दिनों से प्रैस वाले भी पूछ रहे थे कि क्या आप बी. जे. पी. के पक्ष में वोट देने वाली हैं या विपक्ष में वोट देने वाली हैं ? हमने प्रैस मीडिया और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के लोगों को भी स्पष्ट कहा था कि हम जो भी फैसला लेंगे वह बहुजन समाज के लोगों के हित को ध्यान में रखकर लेंगे। आजादी के बाद लम्बे अरसे तक कांग्रेस पार्टी, तीसरे मोर्चे और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रहें। लेकिन इन सरकारों ने दलितों, पिछड़ों और अक्लियतों के हित सुरक्षित नहीं रह सके। इसलिए मुझे कोई भी पार्टी बहुजन समाज के हित में नजर नहीं आती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने यह फैसला लिया है कि हम न तो विश्वास मत के पक्ष में वोट देंगे, न विपक्ष में वोट देंगे। हमारे लिए दोनों पार्टियों में एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है। बहुजन समाज के मामले में दोनों पार्टियां हमारी हितैषी नहीं है। इसलिए हम अपने वोट खराब नहीं करेंगे। आप लोगों की नीयत बहुजन समाज के प्रति साफ नहीं है। न हम विश्वास मत के पक्ष में वोट देंगे, न विपक्ष में वोट देंगे, हमारी पार्टी ने एब्सटेन करने का फैसला लिया है।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) (उ.प्र.) : उपाध्यक्ष जी, आज की बहस में हर तरह की बातें कही गईं। मैं इस बहस की उपयोगिता के बारे में शुरू से ही संदेह रखता हूं। मैं नहीं जानता कि यह बहस किसलिए हो रही है। मैंने प्रारंभ में भी यह कहा था, मैं क्षमा के साथ कहूं तो राष्ट्रपति महोदय ने इस बहस की इजाजत क्यों दी, यह बात भी मेरी समझ में नहीं आती। पार्लियामैंट का बजट सैशन चल रहा था और सरकार किसी समय भी गिराई जा सकती थी। विरोधी पक्ष के नेता गये, यदि मैं होता तो शायद मैं भी जाता। इस सदन का जो निरर्थक समय बर्बाद किया जाता है, उसकी मुझे चिंता नहीं है बल्कि नयी–नयी परम्पराएं डाली जा रही हैं। एक ओर हम मर्यादाओं की बात करते हैं, एक और जनतांत्रिक परम्परा को सुदृढ़ करने की चर्चा करते हैं और दूसरी तरफ अगर कोई भूल एक बार हो जाती है तो उस भूल को बार–बार दोहराकर हम उसे परम्परा का रूप देते हैं। एक दो बार पहले हुआ, वह फिर हो रही है। इसके बाद क्या होगा, मुझे नहीं मालूम लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि इस बहस में कुछ ऐसे सवाल उठाये जाने की कोशिश हुई, आज जिन सवालों को नहीं उठाया जाना चाहिए था, वह दुर्भाग्यवश हुई। इस

[श्री चन्द्रशेखर]

सदन में मैंने पहले ही कहा था कि अगर चर्चा होनी जरूरी है तो सुरक्षा के मामले में चर्चा बहुत सीमित लोगों के बीच में होनी चाहिए। इस सरकार के पक्ष में मैं नहीं हूं, यह बात मैं आज नहीं कह रहा हूं बल्कि निरन्तर कहता रहा हूं। प्रधान मंत्री जी ने आज कह दिया कि कभी–कभी हमसे वह सहमत हो जाते हैं। पहले तो हम बराबर दोनों सहमत हो जाते थे लेकिन इस समय कुछ असहमति होती है, सहमति कभी–कभी होती है। असहमति कोई व्यक्तिगत कारणों से नहीं है। बल्कि मौलिक विचारों में अंतर होने के कारण है। हमारे और उनके विचारों में मौलिक अंतर है। हमारे मित्र जार्ज फर्नान्डीज से मेरी कोई सहमति नहीं है लेकिन जिस समय सुरक्षा के मामलों में बयान दिये गये, जार्ज फर्नान्डीज को बिना मिले, बिना पूछे मैंने कहा कि इस विवाद में रक्षा मंत्रालय के विरुद्ध कोई बयान देना, उस व्यक्ति का मेरी समझ में उत्तरदायित्वपूर्ण नहीं है जो सुरक्षा के बारे में, सरकार चलाने के बारे में या संसदीय परम्परा के बारे में, उसके भविष्य के बारे में थोड़ी सी चिन्ता रखता है मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहना चाहता लेकिन जो लोग उच्च पदों पर रहे हैं, जो लोग जिम्मेदारी को निभाये हैं, जिनको सुरक्षा मंत्रालय के बारे में जानकारी है, वे लोग इस बात की चर्चा चलायें कि किन कारणों से कोई अधिकारी हटाया गया, उस पर कोई कमेटी बैठाई जाये, उस पर कोई बहस चलाई जाये तो मुझे ऐसा लगता है कि हम राष्ट्रीय कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। यदि कोई ऐसी बात हो, तो रक्षा मंत्री से बात हो सकती है, प्रधान मंत्री से बात हो सकती है, उसमें कमजोरियां हो सकती हैं, उसमें कमियां हो सकती हैं। मैंने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की कि किन कारणों से क्या उसमें आरोप थे, जिसके आधार पर वह व्यक्ति हटाया गया ? लेकिन एक बार अगर सुरक्षा विभाग का कोई अधिकारी हटाया जाता है तो अब तक यही परम्परा रही है, शिवराज पाटिल जी उसकी जानकारी रखते हैं, हमारे मित्र शरद पवार जी रखते हैं, देवेगौड़ा जी रखते हैं, मुलायम सिंह जी रखते हैं। क्या उनके लिए रास्ता नहीं था कि चाहे वह या उसके परिवार का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति महोदय के पास जाकर अपनी अपील करता। यदि अखबारों में जाये, तो एक ही बहुत बड़ा जुर्म था जिस पर उस अधिकारी को रक्षा विभाग से हटा देना चाहिए था। मेरी यह मान्यता है और मैं इसको मानता हूं। दुनिया में कहा जाता है, बहुत जगह बहसें हुई लेकिन दुनिया में बहस इस तरह से नहीं हुई होगी कि रक्षा मंत्री में और अगर किसी अधिकारी में कोई विवाद खड़ा हो गया तो हम लोग रक्षा मंत्री की आलोचना करने के लिए अखबारों का सहारा लें।

यह बात सही है कि रक्षा मंत्री ने संयम से काम लिया। बहस होती रही, चर्चा होती रही लेकिन जार्ज फर्नान्डीज अपने स्वभाव के विपरीत चुप रहे। जब अध्यक्ष महोदय के पास इस सवाल पर बैठक हो रही थी तो उस समय अध्यक्ष महोदय ने बड़ी कृपा करके मुझसे कहा था कि उस कमेटी की अध्यक्षता मैं करूं। मैंने उनसे कहा था जिस पर हमारे मित्र शरद पवार को थोड़ा एतराज था क्योंकि उनको दूसरी सूचना मिली होगी कि चन्द्रशेखर का विचार कुछ अलग है। ऐसा अध्यक्ष कुछ गड़बड़ करेगा। शरद पवार जी, मैं आपसे निवेदन करूं, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है। किसी कमेटी का अध्यक्ष बनना मेरे मन की लालसा नहीं है और आप जानते हैं बड़े से बड़े पद के बारे में मेरी क्या प्रतिक्रिया होती है। इसलिए मुझे कुछ अजीब लगे उसके पहले ही मैंने राज्य सभा के अध्यक्ष और लोक सभा के अध्यक्ष को कह दिया था कि समिति का अध्यक्ष होना मेरे लिए स्वीकार नहीं है क्योंकि मैं लोक सभा में कह चुका हूं कि इस प्रकार की कोई चांज उचित नहीं है, यह संसदीय परम्परा के अनुकूल नहीं है। लेकिन जो भी हो, बहस शायद अब भी चलती रहेगी। अभी हमारे मित्र जारों से बोल रहे थे। शायद हर बयान जो एक सेना का अधिकारी देता है, वह सही है और हर बयान जो रक्षा मंत्री देता है, वह गलत है, इस धारणा के साथ हम इस सारी बहस को चलाना चाहते हैं। आज भी मैं उतने ही जोर से कहना चाहूंगा कि इस सवाल पर किसी तरह की समिति की स्थापना, उसमें बहस नाजायज है। उस समय मैंने कहा था कि जो लोग रक्षा के मामले में जानते हैं वे पांच सदस्य थे–हमारे मित्र श्री शिव शंकर, श्री कुरियन, श्री शरद पवार, श्री प्रणब मुखर्जी और श्री मनमोहन सिंह थे। मैंने कहा कि पांच सदस्य–श्री गुजराल, श्री देवेगौड़ा, श्री मुलायम सिंह और रक्षा मंत्री, 9–10 सदस्य बैठकर मामले को देख लें। जो मामला बहस के लायक न हो, उस मामले को हम चुप रखें, बाकी मामलों पर बहस हो जाए। लेकिन आखिरी दिन कोई ऐफिडैविट आ गया और सही था कि जार्ज फर्नान्डीज साहब को उससे नाराजगी हुई। कोई भी आदमी नाराज होता। उस दिन उन्होंने कहा था कि बहस होनी चाहिए और उसी दिन यह भी तय हुआ था कि यदि तुरंत बहस नहीं हो सकती तो सवालों का जवाब देने के लिए श्री जार्ज फर्नान्डीज या रक्षा मंत्री पूरी तरह स्वतंत्र हैं। इसलिए आज यह सवाल उठाना कि रक्षा मंत्री ने अखबारों का सहारा लिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लिया, यह बात मुझे कुछ अजीब सी लगती है। दूसरे पक्ष से पिछले तीन महीनों से लगातार श्री जार्ज फर्नान्डीज के खिलाफ ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : श्री सोमनाथ चटर्जी और गुप्ता जी भी थे।

श्री चन्द्रशेखर : माफ कीजिए, श्री चटर्जी और गुप्ता जी भी थे, मैं एक–दो व्यक्तियों का नाम भूल गया।

एक तरफ रोज चर्चा हो, अखबारों में बयान निकलें, ऐफीडैविड बांटे जाएं, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर ईटरव्यू निकले, उस पर चर्चा चलाई जाए और दूसरी तरफ रक्षा मंत्री को कहा जाए कि क्योंकि आपको संसद में बोलना है इसलिए इस समय चुप रहिए। मैंने नहीं कहा था, सब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया था कि हम रक्षा मंत्री को इस बात का अधिकार देते हैं। इसलिए आज श्री जार्ज फर्नान्डीज की आलोचना करना उचित नहीं है। मैं यह बात कहना इसलिए जरूरी समझता था कि मैंने सोचा था कि सारा मामला उसी से उठा है तो चर्चा उसी पर होगी। लेकिन चर्चा उस पर नहीं हुई, चर्चा में सारे विषय उठा दिए गए और हम लोगों की एक आदत बन गई है, हम हर चर्चा को भ्रष्टाचार से जोड़ देते हैं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो भ्रष्टाचार की बहस को संसद में चलाना अनुचित मानता हूं। हम दुनिया के ऊपर कुछ ऐसा प्रभाव डालना चाहते हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार के अलावा और कोई चीज नहीं है, यह परम्परा

ठीक नहीं है। अगर कहीं भ्रष्टाचार है, उसकी जांच कराइए, उसमें हस्तक्षेप मत कीजिए, अगर किसी के ऊपर चार्ज शीट लगे तो मुकदमा चलाइए, आप ऐथिक्स कमेटी बना रहे थे, वह बनाइए लेकिन संसद में एक–दूसरे पर दोषारोपण करना, एक–दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, हम इस संसद को क्या बनाना चाहते हैं, हम इस संसद के बारे में क्या प्रतिष्ठा देना चाहते हैं। क्या यहां का हर व्यक्ति बेईमान है, क्या हर सदस्य की गरिमा पर, गौरव पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना हमारा कर्तव्य रह गया है ? हम इस बात को नहीं सोचते कि हमारी मर्यादा लोगों की नजर में यूं ही गिर रही है, हम उसे और गिराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि यह सवाल, यह बहस अगर गहीं पर बंद हो जाए तो अच्छा है।

मेरा दुर्भाग्य है, मैं अभागे लोगों में से हूं जो सरकार के हर कदम को, जो पिछले हमारे मित्र मुरली मनोहर जी ने उठाए हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हो सका। पहला बड़ा पराक्रम का काम आपने अणु विस्फोट का किया। इस सदन में बड़ी प्रशंसा लूटने की कोशिश की, आपने नहीं, आपसे पहले हमारे दूसरे मित्रों ने कहा कि वह विस्फोट हम ही करने वाले थे, थोड़ी देर हो गई नहीं तो विस्फोट हमने कर दिया होता। उसमें कोई पीछे नहीं रहा लेकिन मैंने जब उस बहस में हिस्सा लिया तो कहा कि अणु बम विनाश का हथियार है और मैं इस हथियार के बनाने के विरुद्ध हूं। कहा जाता है सुरक्षा का अधिकार है। मैंने कहा कि यह सुरक्षा का हथियार नहीं है। प्रधानमंत्री जी, बड़ी प्रशंसा मिली, बड़ी शोहरत दी गई, यह नहीं कि केवल राजनीतिक लोगों ने की, हमारे वैज्ञानिकों ने भी बढ़कर बड़ी प्रशंसा पाई, आपने भी राष्ट्रीय उपलब्धि को रातभर में भारत रत्न बना दिया। शायद दुनिया के इतिहास में एक बड़ा पराक्रम भारत की सरकार ने यह दिखाया होगा, लेकिन उसके होने के बाद कहा गया, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम एक परमाणु बम बनाने वाले देश हो गये, हमारे सामने कोई टिकने वाला नहीं है। सात दिन के अन्दर जब पाकिस्तान ने वही करके दिखा दिया तो उसके दस दिन के बाद भारत की सरकार की आवाज बदल गई और कहा गया कि अब हम पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं। एक ओर युद्ध की तैयारी, एक ओर अणु बम को हथियार बनाकर अपने देश के पुरुषार्थ का बखान करना और उसके एक महीने के अन्दर दोस्ती का बखान या दोस्ती का प्रयास करना। यह बात बच्चों का खिलवाड़ हो सकती हैं, लेकिन किसी सक्षम, समझदार राजनैतिक नेतृत्व का यह काम नहीं हो सकता और उसके लिए किया क्या गया। बस से लाहौर जाया जाये, अच्छा है, लाहौर हमारे देश के साथ रहा है, हम लोगों का भाईचारा है। बस से जाना एक बात है, लेकिन कहा गया, मार्च इन दि हिस्ट्री। कहां इतिहास बन गया ? अचानक एक बस के जाने से और बस में एक लाहौर डिक्लेरेशन, एक लाहौर घोषणा हुई। दुनिया के कुछ देशों ने कहा, बड़ी भारी घोषणा हो गई। हमारे अखबारों में प्रशंसा के पुल बांध दिये, लेकिन जब हम लोग लंका में गये और सार्क में पाकिस्तान के लोगों ने कहना शुरू किया कि यह बड़ी अच्छी घोषणा है, इसको सार्क डिक्लेरेशन में जुटा लीजिए, शामिल कर लीजिए तो हम लोग बगलें झांकने लगे। पूरी तरह तो नहीं जुटा, कुछ तो जुट गया। इस सरकार की यह बड़ी भारी उपलब्धि है। 50 वर्षों में सारी कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान कश्मीर के मसले को अन्तर्राष्ट्रीय मसला नहीं बना सका था, इस सरकार ने उसको अन्तर्राष्ट्रीय मसला बना दिया, यह बड़ी भारी उपलब्धि है और उस उपलब्धि का नतीजा हम लोग देख रहे हैं। किस तरह के वक्तव्य पाकिस्तान के आ रहे हैं, किस तरह की त्यौरी दिखाई जाती है और इस घटना के बाद आपस में इतना विवाद, अग्नि का परीक्षण केवल चार दिन रुक नहीं सकता था। यह बहस खत्म होने के बाद वह काम नहीं हो सकता था, दो दिन पहले अग्नि की परीक्षा करके बड़ा भारी यह दिखाने की कोशिश की गई कि हमीं पुरुषार्थी हैं, हमीं सामर्थ्यवान हैं, हमीं शक्तिशाली हैं। नतीजा यह निकला कि पाकिस्तान भी वही कर रहा है, जिस का हमको डर था। वह डर आज साबित हो रहा है। यह क्षेत्र एक बार फिर हथियारों की होड़ का क्षेत्र बन रहा है। कोल्ड वार, शीत युद्ध समाप्त हो गया था, रूस और अमेरिका के अन्दर, क्षमा कीजिएगा, मेरा डर है, मेरे मन की शंका है, मैं बहुत बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं जानता, लेकिन जाने–अनजाने हम इस भूखंड को शीत युद्ध का एक एरिया, एक क्षेत्र बनाने की गलती कर रहे हैं। इसलिए मेरे मन में होता है कि या तो मेरे मन में डर ज्यादा हो गया है, पुरुषार्थी उतना हूं नहीं, पराक्रमी उतना हूं नहीं, कुछ पराक्रमी लोगों के पराक्रम को मैं पहचान नहीं पाता हूं, लेकिन क्षमा कीजिएगा, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मन में यह डर है, मेरे मन में यह शंका है और इस शंका को और बल मिलता है। दुनिया में कुछ बड़ी ताकतें सारी दुनिया को एक सूत्र में पिरोना चाहती हैं। अपने रास्ते पर अनुशासित करके चलाना चाहती हैं। वे ताकतें अगर कभी कोरिया में जा सकती हैं, कभी वियतनाम में जा सकती हैं, कभी इराक में जा सकती हैं, कभी यूगोस्लाविया में जा सकती हैं तो क्या वे हिन्दुस्तान की ओर नजरें नहीं उठा सकतीं ? वही सवाल है, हम एक क्षेत्र विशेष का नाम मैं नहीं लेता, लेकिन हमारे देश के ऊपर एक खतरा है और इस खतरे के द्वारा बिना आगाह हुए और इस खतरे के द्वारा बिना सोचे हुए आप अपनी प्रशस्ति पढ़ते जाइये, लोगों को भ्रम में रखते जाइये, लेकिन वास्तविकता जो है, हमारी आंखों के सामने मुंह बाये खड़ी हुई है।

अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हम कहां पहुंच गये हैं, अभी हमने सुना कि दुनिया के देशों में हमारी बड़ी इज्जत बढ़ गई है, वह इज्जत वहां बढ़ी है। अभी मैं 3–4 दिन पहले गुजरात में गया था, मोरारजी भाई की एक मूर्ति का अनावरण करने के लिए, वहां चन्द्रशेखर धर्माधिकारी, जो दादा धर्माधिकारी के पुत्र हैं, वे एक कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो कमेटी इस बात की चांज कर रही है कि कितनी वेश्यावृत्ति हमारे देश में है और उन्होंने जो बातें उस सार्वजनिक सभा में कहीं कि लोगों की आंखों में आंसू आ गये। एक–दो नहीं, हमारी लाखों बहनें आज शरीर व्यापार करने के लिए मजबूर हैं। आज हमारे देश में कहा जाता है कि सैक्स वर्कर हैं। सैक्स वर्कर की उपाधि देकर उनका संगठन बनाया जा रहा है। सांस्कृतिक क्षेत्र में, मानव मर्यादा के क्षेत्र में यह उपलब्धि है। महिलाओं को जो आप 33 फीसदी रिजर्वेशन देना चाहते हो, क्या कभी इस तरफ ध्यान गया है, प्यासे–भूखे गांव की तरफ कभी ध्यान गया है। यशवंत जी हमारे छोटे भाई जैसे हैं, मैं इनकी बुद्धि एवं विचारों की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। मुझे एक दिन इनका भाषण सुन कर आश्चर्य हुआ, इसका राजनीतिक परिणाम जो भी हो, लेकिन सुधार जारी

[श्री चन्द्रशेखर]

रहेगा। श्री जार्ज फर्नान्डीज, ऐसा आपके वित्तमंत्री बोल रहे थे। मैं समझता हूं कि 1991 में जिन लोगों ने लिब्रलाइजेशन या उदारीकरण किया, उन्होंने अपराध किया। मैंने इसी सदन में कहा था कि मनमोहन सिंह जी, जो कुछ सोचा था, पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी जी ने, वह सारी जवाहर लाल जी और गांधी जी की बुद्धि आपकी और राव जी की बुद्धि से कम हो गई, यह स्वीकार करने के लिए मेरा मन नहीं मानता। उन्होंने किया तो जार्ज साहब आप बयान दे रहे थे, बड़ा उत्साहजनक लगा लेकिन क्या आपकी सरकार ने उसे बदलने का कोई कदम उठाया ? स्वदेशी का नारा देना आसान है, इसके लिए क्या कुछ कदम भी उठाए गए। आपने बहुत आंकड़े दिए, मैं जानता हूं हमारे मित्र बैठे हैं जो बड़े स्वदेशी वाले हैं। जो कुछ हो रहा है, राज्य सरकारें जो कर रही हैं, केवल वेस्ट बंगाल में नहीं हो रहा है। आज सारे मुख्य मंत्री आजाद हैं, विदेशों से पैसा मांगने के लिए, वर्ल्ड बैंक और आई. एम. एफ. से समझौता करने के लिए। कितना बड़ा बोझ भारत की अर्थनीति पर, आर्थिक स्थिति पर पड़ने जा रहा है, जब यशवंत जी रात को सोते होंगे तो इनको बात याद आती होगी। केवल अपने रिजर्व बैंक को नहीं देखते होंगे, राज्यों ने कितना कर्जा लिया है और हर राज्य इसे भुगतान नहीं कर पाएगा तो इसकी देनदारी आपके ऊपर होगी, क्या आपने इस पर कोई रोक लगाई ? क्या किसी मुख्य मंत्री को ऐसे एडवरटाइजमैंट छापने से आपने मना किया ? क्या आपने कभी स्वदेशी के लिए कहा, अपने देश के लोगों को कहा, इतना बड़ा एडवरटाइज़मेंट निकल रहा है। क्या वित्त मंत्रालय ने कहा कि अपने देश की बनी हुई वस्तुओं को खरीदो। जोशी जी, आपके पुरूषार्थ को क्या हुआ ? मैं बार-बार आपसे कहा करता था-"मोर मुकुट कट काशनी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ।" वह धनुष बाण हाथ में नहीं रहा। आप बिखर गए, दबक गए। दूसरों की आलोचना करना बड़ा आसान है लेकिन सत्ता का मोह बड़ा मुश्किल होता है। मैं जानता हूं कि आप में कोई कमी नहीं, आडवाणी जी के पुरूषार्थ में कोई कमी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के चिन्तन में कोई कमजोरी नहीं, लेकिन जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं यह आदमी को ऐसा पकड़ लेती है कि इसे छोडना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसे छोड़ने के लिए आत्मविश्वास चाहिए, उस स्तर की भावना चाहिए, आत्मबलिदान चाहिए। इसे छोड़ने के लिए केवल वर्तमान से नहीं बल्कि भविष्य में देखने की दूरदृष्टि होनी चाहिए, वह आपमें नहीं है। आर्थिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, कितनी बेकारी बढ़ी। जार्ज जी आंकड़े बहुत देते हैं, वह 1952 से लेकर आंकड़े दे सकते थे और शायद हमारे कांग्रेस के मित्रों की या जो लोग भी सरकार में रहे थे उनकी जुबान बंद कर सकते थे, लेकिन आपने ये आंकड़े क्यों नहीं दिए, पिछले आठ-नौ वर्षों में जब से उदारीकरण हुआ तब से कितने छोटे उद्योग बंद हुए। आपके जमाने में कितने उद्योग बंद हुए, कितने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का आपने डिसइनवेस्टमेंट किया और करने जा रहे हैं। यह और कुछ नहीं है, अपनी कमाई हुई 50 वर्ष की संपदा को बेच कर आज का खर्चा चलाने का काम आप कर रहे हैं-"बड़े-बड़े नाम और बड़े-बड़े नारे"। मैंने लालू जी का भाषण सुना था, उन्होंने कहा कि स्टेटिस्टिक से सब कुछ साबित नहीं होता।...*(व्यवधान)* इससे सब कुछ साबित नहीं होता, उनका कहना भी गलत है। दुनिया में कितनी स्टेटिस्टिक्स हैं और मैंने तो आपकी सरकार से कहा था कि इसके आधार पर ही देख लीजिए कि लिब्रलाइजेशन से जो हमने सोचा था उसकी हमें किस हद तक उपलब्धियां हुईं। चाहे विदेशी पूंजी के बढ़ाने के सवाल पर, चाहे उद्योगों और रोजगार के बढ़ाने के सवाल पर, चाहे बेकारी मिटाने के वाल पर-एक नहीं हमारे सारे कुटीर उद्योग एक-एक करके बंद हो गये। हमारे देश में 40-50 फीसदी कुटीर उद्योग बंद हो गये हैं। टाटा जैसी कंपनी में 20 हजार लोगों की छंटनी हुई है। हमारे मित्र जानते होंगे कि कितने उद्योग हैं जो बंद हुए हैं। विदेशी और स्वदेशी के झगड़े में मैं पड़ना नहीं चाहता। आप स्वदेशी चलाना चाहते हो, साथ में सुषमा स्वराज की चलाई हुई टेलीविजन की नीतियां भी चलाना चाहते हो। जरा देखो टेलीविजन को, उसमें कितना स्वदेशी है। टेलीविजन के होते हुए उमा जी तपस्वनी हैं। कभी-कभी उस टेलीविजन को देखती भी है या नहीं। उस टेलीविजन का और स्वदेशी का क्या संबंध है ? उसका कोई दूर का भी रिश्ता हो सकता है, क्या उसको आप नहीं रोक सकते थे, क्या उस पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते थे, क्या उसमें कोई नये तरीके की तस्वीरें नहीं दिखा सकते थे ? मैं जानता हूं कि डब्ल्यू. टी. ओ. पर दस्तखत करने के बाद हम बहुत हद तक मजबूर हैं। लेकिन पेटेंट बिल पास करते समय विधि आयोग की सिफारिशों को छिपाकर रखना क्या जरूरी था ? क्या सदन में उसकी चर्चा नहीं हो सकती थी ? उस कानून में जो परिवर्तन हो सकते थे वे क्यों नहीं किए गये ? हमारे मित्र कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि उसका करना जरूरी था। जहां तक आर्थिक सवाल है आपमें और उनमें कोई फर्क नहीं है। जहां तक विदेशों से संबंध का सवाल है, हमारे मित्र इंद्रजीत और सोमनाथ जी नहीं हैं। मुलायम सिंह जी और लालू प्रसाद जी आपसे मैं कहना चाहता हूं कि शिवशंकर जी और राजेश पायलट जी भी बड़े स्वदेशी के समर्थक हैं। हमारे मित्र शरद पवार जी तो विदेशी पूंजी लाने के पक्ष में हैं। मुझे मालूम है कहने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जो नशा आदमी को लग जाता है तो छूटता नहीं है। चाहे उसके लिए उसे मौत का आलिंगन ही क्यों न करना पड़े, यह दौलत का नशा बहुत बुरा नशा है। "कनक-कनक से सौ गुनी मादकता अधिकाय, एक खाए बौरात है एक पाए बौरात"। सोना मिलने पर आदमी पागल हो जाता है, धतूरा के तो खाने पर ही आदमी पागल होता है। मत इस सोने की ललक में पड़ो, बहुत लम्बी जिंदगी है। इस लम्बी जिंदगी में बहुतों को लुढ़कते आपने देखा है। दो-तीन वर्ष पहले जो एशियन टाइगर्स थे वे आज कहां चले गये ? कहां गया वह सारा नारा जो हमने गांधी जी से सीखा था। इसलिए प्रधान मंत्री जी मुझे शिकायत आपसे यह नहीं है आपने कोई नयी गलती की है लेकिन जो पुरानी गलतियां थीं उनमें से एक को भी आपने सुधारने का काम नहीं किया। मैं उन बातों में पड़ना नहीं चाहता कि आपने किससे समझौता किया, किसने नखरे किए और उन नखरों को मानने के लिए आपने किस प्रकार से प्रधान मंत्री पद की गरिमा को कम कर दिया। जैसा हमारे किसी मित्र ने कहा कि आडवाणी जी किसी को समझाने चले गये तो उनकी मर्यादा गिर गयी। क्योंकि राज को चलाना है तो कभी हथियार उठाना पड़ता है और कभी लोगों की मिन्नत भी करनी पड़ती है, कभी लोगों को समझाना पड़ता है। हमारे घर का कोई आदमी पागलपन करे और झगड़ा करने पर उतारू हो जाए तो

क्या हम उसको समझाते नहीं हैं। नहीं मानता है तो उसको दोस्तों से मनवाते हैं। अपने घर में समझाने का रास्ता और भारत मां के बेटों के साथ गोली चलाने का रास्ता, हर समय हिम्मत दिखाने का रास्ता। हमारे कम्युनिस्ट मित्रों के दिल से अभी तक बंदूक नहीं चली गयी। मार्क्स और लेनिन चले गये लेकिन इनके दिल से बंदूक नहीं गयी। बंदूक ही सब चीजों का इलाज नहीं है दोस्तों। इसी देश में महात्मा गांधी ने करोड़ों लोगों को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़ा कर दिया था। आडवाणी जी, आप आलोचना से घबराइयेगा नहीं, जरूरत पड़ने पर लोगों को समझाइयेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर हिम्मत भी दिखाइयेगा। हर समय एक ही बात नहीं कि समझौता करने के लिए डरकर पैर पकड़ लिए जाएं। आप सरकार में हैं तो सरकार में कभी–कभी कटु निर्णय भी लेने पड़ते हैं और वह कटु निर्णय देश के लिए लेने पड़ते हैं, राष्ट्र के लिए लेने पड़ते हैं। मैंने जसवंत जी की एक बात सुनी। उन्होंने अच्छी बात कही कि आपको इस स्थिति के लिए क्या मतलब है ? आप आइये "ऊका–बुका तीन तड़ुका के लिए"। ऊका–बुका तीन तड़ुका को आप छोटा मत समझिये। उससे आगे वाला आप भूल गये। "चंदा मामा आरे आवे पारे आवे, नदिया किनारे आवे, सोने की कटोरिया में दूध भात लेने आवे"। यही दादी मां सिखाती थी। इसके पीछे एक सिद्धांत और आदर्श है। हमारी प्रकृति में जो साधन हैं, उन पर हमें विश्वास है। हमारा आत्म शक्ति पर विश्वास, हमारा ममत्व पर विश्वास, हमारा इच्छा शक्ति पर विश्वास है। यही स्वदेशी की अवधारणा है, यही स्वदेशी का केन्द्र बिन्दु है जिसे आप समझें। गांव की बोली में कही बात को आप मजाक की बात न समझिए। लालू जी, आप भी गम्भीर बातों को जरा गम्भीरता से कहिए। हर समय गम्भीर बातों को छिछला बना कर हम देश की अस्मिता को कमजोर करते हैं। आज जरूरत है इस बात को करने की। मेरी जार्ज जी से दोस्ती है। मेरा जार्ज जी से कोई लेना–देना नहीं है। हमारे कांग्रेस के मित्र बड़े गुस्से में थे। वे गुस्से में होकर क्या करेंगे ? जो कागज वह चाहते थे, वह कागज उनके पास अभी आ गया। वह उसको देखना चाहते थे।...*(व्यवधान)* किसी ने कहा कि वह कागज आ गया। क्या हम यही एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं ? क्या इसी के लिए संसद है ? इसी के लिए क्या विश्वास मत और अविश्वास मत है ? क्या इसी चर्चा के लिए संसद है ? क्या इसी के लिए हम हैं ?

महोदय, मैं बोलता नहीं हूं। मेरी बोलने की इच्छा नहीं थी। बड़ी कृपा हुई कि आपने मुझे इस समय बोलने की अनुमति दे दी लेकिन कहीं गलतफहमी न हो जाए। जब आजादी की स्वर्ण जयन्ती मनाई गई तो मैंने उस समय कहा था कि क्या हम एक साल के लिए पुरानी गलतियों को नहीं भूल सकते ? चाहे कोई भी सरकार हो, हम भूख के सवाल पर, प्यास के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, सब लोग मिल कर काम करें। क्या हम लोग वे काम नहीं कर सकते ? क्या हम रोज–रोज ऐसे ही लड़ते रहेंगे। इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि यह विवाद न हो तो अच्छा है लेकिन प्रधान मंत्री जी, आपने वह माहौल नहीं बनाया। आडवाणी जी, मैं वे बातें नहीं कहूंगा जो दूसरे लोग कहते हैं लेकिन रोज जो चर्चा होती है, मैं नहीं जानता कि संघ परिवार क्या कहना और करना चाहता है ? आपस में टकराव करके या आपकी टांग खींच कर क्या वे लोग देश पर हावी होना चाहते हैं ? क्या वह एक नई विधा देश में लाना चाहते हैं ? यह खतरनाक बात है। अगर उनके मन में यह बात है और जो संसदीय जनतंत्र की परिधि से बाहर है तो लोगों के मन में शंका होना स्वाभाविक है। इसलिए यह खतरा लोगों के मन में दिखाई पड़ रहा है। बहुत चीजें इसलिए बिगड़ जाती हैं कि हम लोग आपस में बातचीत नहीं करते।

हमारे मित्र मुलायम सिंह जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बड़ी नाराजगी है और वह सही है। उन्होंने सुबह मुझ से कुछ बात कही। दोपहर को मुख्यमंत्री जी मिल गए। मैंने उनसे कहा कि ऐसी गलती क्यों की ? उन्होंने कहा कि हमने गलती नहीं की, हमने उस गलती को सुधारने के लिए कदम उठाए। हम चार दिन में वह गलती सुधार देंगे। मैं उसकी तफसील में कुछ नहीं कहूंगा। मैंने उनसे कहा कि मुलायम सिंह जी को खुद ही बता देना, मुझे याद नहीं रहा। चर्चा करते समय मेरे दिमाग में बात आ गई। कभी–कभी चर्चा और बात कर लेनी चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : वह शादी में मिले थे। मैंने उनसे बात कर ली थी।

श्री चन्द्रशेखर : आर्थिक और राजनैतिक सवालों पर मतभेद होते हैं। आखिरकार हम इन्सान हैं। राजनीति हमारे जीवन में 10 परसैंट होगी, हम 90 फीसदी राजनीति से अलग हैं। अगर 90 फीसदी को विकसित नहीं करेंगे तो देश बनाने का काम हम नहीं कर सकते, हम निर्माण का काम नहीं कर सकते। आपस में हम लोगों में सहयोग नहीं होगा तो करोड़ों लोगों का सहयोग लेकर राष्ट्र निर्माण का काम कैसे होगा ? हमारी समस्याओं का समाधान लंदन, वाशिंगटन, आई॰ एम॰ एफ॰ और वर्ल्ड बैंक में नहीं है। जसवंत जी, समस्याओं का समाधान हमारे नौजवानों के मनोबल में, हमारे गांवों की गलियों में रहने वाले किसानों की बांहों की ताकत में, हमारे कल–कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की बांहों की ताकत में है। आइए, हम उनको सजाएं, एक जगह एकत्र करें। महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद कराया था। सबसे बड़ा राजनैतिक अपराध क्या आप लोगों ने नहीं किया था ? शिवशंकर जी, यह कहने के लिए क्षमा करिए, 1991 में सबसे बड़ा राजनीतिक अपराध आपने शुरु किया था। जो मनोबल महात्मा गांधी जी ने गुलाम देश में बनाया था, उस मनोबल को तोड़ने की जिम्मेदारी हम सब पर है। हमने उसके साथ समझौता किया था। मुझे एक ही बात का संतोष है, मेरी बात कोई सुने या न सुने, मैंने इन बातों पर समझौता नहीं किया। इसलिए मैं चाहते हुए भी आडवाणी जी, आपके प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि मेरे मन में कोई कटुता है। मैं नहीं जानता मुलायम सिंह, लालू प्रसाद या कम्युनिस्ट मित्रों या हमारे उधर बैठे नेता शरद पवार जी की कितनी चलेगी ? लेकिन आप लोग याद रखना और यह मत समझना कि सत्ता पाकर सब कुछ हासिल कर लेंगे। अंत में हिन्दी की एक कविता की पंक्तियां सुना देता हूं।

जिन हाथों में शक्ति भरी है, राजतिलक देने की,
उन हाथों में ही ताकत है, सर उतार लेने की।

रात्रि 10.56 बजे

(रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : तेलुगु देशम पार्टी की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी द्वारा लाए गए विश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

महोदय, तेलुगु देशम पार्टी संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र विकास और सामाजिक न्याय का समर्थन करती है। साढ़े चार दशकों से भी ज्यादा के कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार, भाई–भतीजावाद, पक्षपात, गुटबाजी और कुप्रशासन की बहुलता रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी ने अनेक बार क्षेत्रीय पार्टियों को विनाशकारी ताकतें बताया है। कांग्रेस पार्टी ने अनेक बार क्षेत्रीय पार्टियों की आलोचना की है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि डी. एम. के. या ए. आई. डी. एम. के. भी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं। कांग्रेस उनके साथ हाथ क्यों मिला रही है ? कांग्रेस पार्टी ने अनेक बार घोषणा की है कि क्षेत्रीय पार्टियों में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की कमी है और वे अप्रासंगिक हैं। इतिहास ने कांग्रेस को अनेक बार गलत साबित किया है। पिछली नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोकसभा से ही क्षेत्रीय पार्टियों की सहायता के बिना केन्द्र में कोई भी सरकार नहीं बन पाई है। भविष्य में भी मिली–जुली सरकारें अवश्यम्भावी हैं। ग्यारहवीं लोकसभा में भी केन्द्र में दो सरकारों की बरखास्तगी के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार थी। श्री देवेगौड़ा और श्री गुजराल दोनों की ही सरकारों को बिना उनकी किसी गलत के...*(व्यवधान)*

महोदय, मेरे राज्य ने दशकों तक तानाशाही झेली है। यह अवधि बुराई, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, ठहराव, अराजकता, अव्यवस्था और जन–विरोधी नीतियों से भरी हुई थी। इनके कारण तेलुगु देशम पार्टी का जन्म हुआ। श्री एन. टी. रामाराव द्वारा इस पार्टी के गठन के नौ महीने के अन्दर ही तेलुगु देशम पार्टी सत्ता में आ गई। कांग्रेस का विरोध करना हमारे खून में है, हमारी अस्थि मज्जा में है...*(व्यवधान)* हमारे संस्थापक अध्यक्ष, एन. टी. आर. के सपनों को हमारे सक्रिय नेता, श्री एन. चन्द्रबाबू नायडू द्वारा कार्यरूप में परिणत किया गया है। उन्होंने इस राज्य को एक मोडल राज्य के रूप में प्रस्तुत किया है जिसकी एक सुव्यवस्थित सरकार है जो कि निष्कपट, नैतिक, जिम्मेवार और पारदर्शी है। आँध्र प्रदेश सरकार ने उन किसानों की सहायता की है जो आत्महत्या कर रहे थे। किसानों द्वारा आत्महत्या करने की समस्या महाराष्ट्र में भी थी लेकिन उस राज्य सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया।

उन्होंने इसके तेलुगु देशम सरकार की भी आलोचना की थी। आज भी मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सरकारें विकास कार्य देखने के लिए आन्ध्र प्रदेश में दल भेज रहे हैं ताकि वे अपने राज्यों में भी उन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों को अपना सकें।

महोदय, 1996 के चुनावों में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया। उस समय तेलुगु देशम पार्टी संयुक्त मोर्चा सरकार का हिस्सा थी। हमारे नेता श्री चन्द्रबाबू नायडु संयुक्त मोर्चा के संस्थापक थे। सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के लिए बैठक का स्थान नियत किया गया। तेलुगु देशम ने संयुक्त मोर्चा का महत्वपूर्ण घटक होने के नाते एकता, स्थायित्व, धर्मनिरपेक्षता, विकास तथा सामाजिक न्याय की नीतियों पर आधारित शासन की वैकल्पिक और बेहतर प्रणाली प्रदान करने की कोशिश की...*(व्यवधान)*

रात्रि 11.00 बजे

सभापति महोदय : वे मान नहीं रहे हैं। कृपया आसन ग्रहण कीजिए

(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू : महोदय, वे मेरे भाषण में व्यवधान डाल रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री के. बापीराजू (नरसापुर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई वक्ता अपना भाषण पढ़ सकता है।...*(व्यवधान)* आपने पढ़ना शुरु कर दिया। आप भाजपा की बात करते हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : महोदय, लेकिन यह प्रयोग ज्यादा दिन तक नहीं चला। कांग्रेस के लिए सत्ता के बगैर रहना असंभव है। पहले दिन से ही उन्होंने अस्थिरता का अपना प्रिय खेल प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने निरंतर समस्याएं पैदा की। कांग्रेस पार्टी ने हर जगह समस्याएं पैदा की हैं। सारा देश इसे जानता है। इस लोक सभा में भी शुरु से ही वे इस सरकार को अस्थिर बनाना चाहते हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली साझा सरकार के तेरह महीने पूरा करने के बाद इस सरकार को अस्थिर बनाने की क्या आवश्यकता पढ़ी ? आप मुझे इसका एक भी कारण बताईए।

किसी न किसी तरह से सत्ता में आना कांग्रेस का लक्ष्य रहा है। जनादेश खोने के बाद वे अप्रत्यक्ष तरीके से सत्ता में आना चाहते हैं। 1998 के चुनावों में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई। और अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर यह सबसे बड़ा ग्रुप बना। जनादेश तथा लोगों की भावनाओं, जिसने भाजपा को शासक दल तथा श्री वाजपेयी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहा था, का आदर करते हुए ते. दे. पा. ने मुद्दों पर आधारित सशर्त समर्थन देने का निर्णय लिया था। हमने शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा के आधार पर भाजपा नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दिया। हमारे मित्रों ने राष्ट्रीय एजेंडा पर निर्णय लिया। उन्होंने केवल 13 महीने पूरे किए हैं। उन्होनें राष्ट्रीय एजेंडा में कई बातें कही हैं आप उन्हें दो–तीन वर्ष का समय दें और तब उनकी आलोचना करें। हमारा दल कमजोर वर्गों, महिलाओं, युवाओं तथा अल्पसंख्यकों के सुधार के लिए वचनबद्ध है।

हमारा राज्य, आन्ध्र प्रदेश महिला कल्याण क्रियाकलापों में अग्रणी है। हम 'जन्मभूमि' कार्यक्रम जैसे लोक कल्याण कार्यक्रमों को चला

रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में घोषणा की है कि यदि वे सभा में आते हैं तो वे जन्मभूमि कार्यक्रम रद्द कर देंगे। इसीलिए मुझे भय है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वे जन्मभूमि कार्यक्रम रद्द कर देंगे। देश में प्रत्येक व्यक्ति ने इस कार्यक्रम की सराहना की है। इस कार्यक्रम की प्रगति देखने के लिए सभी राज्य अपने प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं। श्री मंणी शंकर अय्यर जैसे कांग्रेसी नेताओं ने भी आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा चलाए गये क्रियाकलापों की सराहना की है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि राजनीतिक अवसरवाद और निर्लज होकर सत्ता हथियाना कांग्रेस का पेशा है। यह अपना रंग बदल रही है और अपने बलबूते पर सांझा और बाहरी समर्थन से संयुक्त भागीदारी के पूर्व दृष्टिकोण को बदलने के वक्तव्य दे रही है। कांग्रेस व्यवस्था और अस्थिरता का पर्याय बन गई है। जब तक इसे सत्ता नहीं मिलती यह अस्थिरता का खेल निरंतर जारी रखेगी। एक बार सत्ता में आने के बाद वे यह अस्थिरता बन्द कर देंगे। अन्यथा किसी भी सरकार को अस्थिर बनाना कांग्रेस का सतत खेल जारी रहेगा। इसका अनुभव श्री चरण सिंह, श्री चन्द्रशेखर, श्री देवेगौड़ा और श्री गुजराल ने किया है। महोदय, हम केवल चुनावों तक राजनीति क्यों नहीं छोड़ देते और चहुंमुखी विकास के उद्देश्य से अच्छे शासन की बात क्यों नही करते ? लोगों की पीड़ाएं इतनी अधिक हैं कि हम निरंतर राजनीतिकरण के युग को बर्दास्त नहीं कर सकते। पूर्व सभा में कांग्रेस ने ऐसा किया होगा लेकिन इससे राष्ट्रीय अहित हो सकता है। राष्ट्र को स्थायित्व की आवश्यकता है तथा इस समय स्थायित्व की आवश्यकता है कि हम भाजपा को मुद्दों पर आधारित सशर्त समर्थन के अपने सिद्धान्त पर कायम है। इसलिए हम पूरे मन से विश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।

डा. रवि मल्लू (नगर कुरनूल) : विश्वास प्रस्ताव भाजपा सरकार द्वारा लगाया गया है न कि तेलुगु देशम सरकार द्वारा...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : हमारा प्रमुख उद्देश्य जनादेश के बगैर कांग्रेस को गलत तरीके से सत्ता में आने से रोकना है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपको बोलने की इजाजत नहीं है। आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। हमने श्री देवेगौड़ा जी को बुलाया है।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौड़ा (हसन) : सभापति महोदय, आज हम माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले 13 महीनों में यह माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दूसरा विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। मार्च, 1998 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था तब उन्होंने विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। हमने उस समय एक दृष्टिकोण अपनाया था और आज भी हमारे दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हमने इस सरकार का विरोध करने का निर्णय किया था। इसके बारे में अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और हमारी सरकार चली गई। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। 1998 में जब हम सब एकत्र हुए तो हममें अत्यधिक अंतर विरोध थे। हम एक दूसरे के विरोधी थे। हम एक दूसरे से लड़े। तब भी हमने विश्वास मत के विरोध में मत देने का निर्णय किया था।

मैं यह कहते हुए अपने आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि कई प्रकार की बातें चल रही हैं। तीन दिन पहले प्रचार माध्यमों में यह प्रकाशित हुआ कि देवेगौड़ा ने रात्रिभोज के लिए सभी विपक्षी सदस्यों को बुलाया है और सोनिया जी तथा जयललिता जी उस रात्रिभोज बैठक में भाग लेने जा रही हैं। इस प्रकार की गप्पबाजी तथा ब्लैकमेलिंग ने इस समाचार को जन्म दिया। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इन सब बातों की कोई सीमा होनी चाहिए। मुझे खेद है कि जब मैं प्रधानमंत्री था तब भी मेरे पर यह आरोप लगा था कि किसी व्यक्ति, जिसके खिलाफ कुछ आरोप थे, से बचाने के लिए मैं भारत के मुख्य न्यायधीश से मिला था। मेरे खंडन करने के बाद भी विद्यमान वित्त मंत्री ने उस समय यह कहते हुए चुनौती दी थी कि वे इसे सिद्ध करने जा रहे हैं कि मैं रात के 2 बजे भारत के मुख्य न्यायधीश से मिला था। सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार के आधारहीन आरोप किसी का भला नहीं करने वाले हैं। इससे राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक दल और राजनीतिक नेतृत्व बर्बाद हो जाएगा। मैं और आगे कुछ कहने से पहले इस बात से अपने को आस्वस्त कर देना चाहता हूं। हम इस सरकार का विरोध क्यों करना चाहते हैं ? हम इसके बारे में बहुत स्पष्ट हैं। श्री वाजपेयी पिछले 13 महीने से इस देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि इस सरकार ने लोगों के लिए कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। सरकार की कुछ उपलब्धियाँ रही हैं। कल माननीय गृह मंत्री उन उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश कर रहे थे। यह स्वाभाविक है कि सरकार उन उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश करेगी और हम लोग उन उपलब्धियों का विश्लेषण करेंगे। विपक्ष का काम ही यही है। सरकार की असफलताओं के लिए हम उन्हें प्रशस्तिपत्र नहीं देने जा रहे हैं। हमारा काम ही विश्लेषण करना है। वे कौन से नाजुक क्षेत्र हैं जिनके कारण हम यह कहना चाहते हैं कि इस सरकार को सत्ता में नहीं बने रहना चाहिये ?

प्रधानमंत्री जी ने एक दिन की भूख हड़ताल क्यों की ? वे एक दिन के लिए *धरने* पर बैठे। उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा ? क्या वे जिम्मेवार हैं ? मैं उनसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री हमें यह बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री को भूख हड़ताल पर क्यों बैठना पड़ा ? इसका क्या उद्देश्य था ? किस गलती के लिए उन्हें यह *प्रायश्चित* करना पड़ा ? मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूं।

माननीय प्रधानमंत्री इस देश पर शासन कर रहे हैं जो कि सबसे बड़े प्रजातंत्र में से एक है। इस देश में करीब 100 करोड़ लोग रहते हैं। उस घटना के बारे में उनका कहना है कि यह राष्ट्रीय कलंक, शर्म की बात है। मैं यह कहने नहीं जा रहा हूं कि किसने राष्ट्रीय कलंका का काम किया है। प्रधानमंत्री जी यह कहते हैं। उड़ीसा या मध्य प्रदेश या गुजरात में हुई किसी घटना के लिए वे राष्ट्रीय लज्जा की अभिव्यक्ति क्यों करें ? मैं यह सीधा प्रश्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी से पूछना चाहूँगा जो आज सदन के नेता हैं। कल वे नेता रह भी सकते हैं या नहीं भी

[श्री एच.डी. देवगौड़ा]

रह सकते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि सदन का क्या निर्णय होने वाला है। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं। मुझे ईमानदारी से बोलने दीजिए। हमारे कांग्रेसी मित्र भी यह महसूस करें कि अगर वे सरकार को अस्थिर भी कर देते हैं तब उन्हें भी राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न स्थिति की जिम्मेवारी में शरीक होना होगा।

मैं यही प्रश्न माननीय गृहमंत्री से पूछना चाहूंगा। जब हमारी सरकार थी, तब गुजरात में बी. जे. पी. की सरकार थी। यही केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे। तब *बाइबिल* क्यों नहीं जलायी गयी ? उस अवधि में गिरजाघरों को क्यों नहीं जलाया गया ? इसका क्या कारण था ? इसका कारण यह था कि एक बार शासन करने की जिम्मेवारी मिलने के बाद उन लोगों को बढ़ावा मिला कि एक ऐसी सरकार है जो कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी। इसीलिए, एक खास समुदाय पर हमले करने का इस तरह का घृणित कार्य शुरु हुआ। मैं बिना कारण के ही उन पर दोषारोपण नहीं करता हूं।

महोदय, मैंने खुद सड़क मार्ग से 920 किलोमीटर की यात्रा की जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि वहां क्या हुआ क्योंकि मैं केवल अखबारों की खबरों पर विश्वास नहीं करना चाहता था। मैं वहां गया। मैंने एक कस्बे का दौरा किया जो कि उप–नगरीय क्षेत्र है। एक तरफ मुसलमान रहते थे और दूसरी तरफ जनजातीय हिन्दू लोग थे। एक जनजातीय व्यक्ति की कुछ मुस्लिम असामाजिक तत्वों द्वारा छुरा मारकर हत्या कर दी गई थी। अंतिम संस्कार के बाद, वे हिन्दू वापस जा रहे थे। हमारे रीति–रिवाज के अनुसार, वापस जाते वक्त वे पानी छूते हैं और फिर घर जाते है। एक लड़का चिल्लाया कि मुसलमान हथियार लेकर आ रहे हैं। पुलिस दौड़ी और उस आदमी को गोली मारी जो कि घर के अन्दर था, जो इन घटनाओं में किसी भी प्रकार संलिप्त नहीं था। मैंने जाकर खुद देखा कि गोली कहां लगी थी। गोली दरवाजे को छूकर उसकी छाती में लगी थी और फिर आईने पर लगी थी।

वास्तव में गुजरात में ऐसा हुआ। मैं माननीय गृह मंत्री को यह कहना चाहूंगा कि जब गुजरात के गृह मंत्री करीब 10,000 से 12,000 की जनसंख्या वाले उस गाँव में जाते हैं तो वे केवल हिन्दुओं के घरों में जाते हैं और उन व्यक्तियों के घरों में जाना मुनासिब नहीं समझते जो पुलिस द्वारा मारे गए। जब इस प्रकार की मनोवृत्ति है तब हम सरकार का समर्थन कैसे कर सकते हैं ? अगर प्रधानमंत्री *प्रायश्चित* करना चाहते हैं तो इसका अर्थ है कि कहीं कुछ गलत है। अगर प्रधानमंत्री निष्पक्ष प्रशासन चाहते भी हैं तो कुछ तत्व ऐसे हैं जो ऐसा न होने देने की कोशिश कर रहे हैं। आप केवल अपने उन सहयोगियों की ही गलतियाँ क्यों ढूंढ रहे हैं जिन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है ? मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूं। भा. ज. पा. की कार्यकारी समिति की बैठक में बंगलौर में क्या हुआ ? मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहता। किसने क्या कहा इसके बारे में मेरे पास सारी कतरनें हैं। मैं और विस्तार में नहीं जाना चाहता।

माननीय गृह मंत्री ने कल कहा, "हमने उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश को नियुक्त किया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन जाँच शुरु होने से पहले माननीय गृह मंत्री कहते हैं कि एक खास संगठन इससे किसी भी प्रकार सम्बद्ध नहीं था। आप निष्पक्ष जाँच की आशा कैसे कर सकते हैं जब खुद गृहमंत्री जाँच शुरु होने से पहले निर्णय दे देते हैं ? उनके तीन कैबिनेट मंत्री वहां जाते हैं और कहते हैं कि एक खास संगठन जिम्मेवार नहीं था। जब उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश द्वारा जाँच शुरु होने से पहले ही तीन कैबिनेट मंत्री अपना निर्णय सुना देते हैं, तब हम इस तरह की चीजों को जारी रखे जाने की अनुमति कैसे देंगे ?

महोदय, मैं इस सरकार की वरीयताओं से संबंधित कुछ मुद्दों पर जोर देना चाहूँगा। उन्होंने पोखरन–II और अग्नि–II को अपनी उपलब्धियों के रूप में बताया। यह ठीक है। मैं इन बातों पर टिप्पणियाँ नहीं करना चाहता। 1998 में जब पोखरन–II के परीक्षण किए गए, तब दोनों सदनों में कांग्रेस पार्टी से संबंधित विपक्षी दल के नेताओं ने वक्तव्य दिया। यह 11 और 13 तारीख को हुआ। ये परीक्षण दो दिन किए गए। वास्तव में, 15 तारीख को मैंने विशेषकर परीक्षण के मुद्दे का विरोध करते हुए कड़ा पत्र लिखा। इसका परिणाम क्या होगा ? कुछ लोगों ने कहा है–मैं उन्हें निष्क्रिय प्रधानमंत्री की संज्ञा नहीं देना चाहता और यह भी नहीं कहना चाहता कि एक सक्रिय प्रधानमंत्री ने परमाणु विस्फोट करने का निर्णय लिया है। मानो कि 30 दिनों में ही उन्होंने बम बना लिया था। जब हम सरकार चला रहे थे तब हमने उस समय इसकी अनुमति नहीं देने का, आर्थिक स्थिति को देखकर, निर्णय लिया। अब मैं विशेषकर इस मुद्दे पर फिर से सविस्तार वर्णन नहीं करना चाहता। उसके बाद क्या हुआ ? पाकिस्तान ने भी दो परीक्षण किए। उनकी जनसंख्या करीब छह या सात करोड़ की है। हमारी जनसंख्या करीब 100 करोड़ है लेकिन हम पूरे विश्व की निगाह में एक ही स्तर पर आ गए हैं। यही उनकी उपलब्धि रही है। मैं इससे अधिक बताना नहीं चाहता।

कल मैं माननीय वित्त मंत्री का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा, 'बाद में पश्चाताप न करें।' माननीय वित्त मंत्री, अब पश्चाताप करने का क्या है ? पिछले एक वर्ष में किसान और ग्रामीण लोग किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं ? जब आप, सत्ता में आए तो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि वे किसानों की समस्याओं को अत्यन्त गम्भीरता से लेंगे। अनेक किसानों ने आत्महत्या की है। यह आश्वासन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसी सदन में दिया गया।

मैं एक सीधा प्रश्न पूछना चाहूंगा। यह आपकी गलती नहीं है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैं यह कहने नहीं जा रहा हूं। हमारे द्वारा पिछले 50 वर्षों में की गई भयंकर गलतियों का यह संचित प्रमाण है।

हमने इस क्षेत्र की अवहेलना की है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप अफसोस क्यों प्रकट कर रहे हैं जब श्री वाजपेयी की सरकार गिर रही है ? इस संबंध में श्री वाजपेयी का क्या योगदान है ? प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने सलाह देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की। इन समितियों में कौन–कौन हैं ? इसमें सबके सब बड़े उद्योगपति हैं। इन समितियों के कितने सदस्यों ने गाँवों का दौरा किया ? वे आपके द्वारा दिए जाने वाले पैसे को जमा

करने के लिए संभवतः स्वीटजरलैण्ड गए होंगे। माननीय प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए क्या इन समितियों में एक भी कृषि अर्थशास्त्री है ? इन दोनों समितियों ने और उप–समितियाँ बनाई हैं और मैं इन उप–समितियों के बारे में विस्तृत विवरण नहीं देना चाहता। लेकिन इन समितियों में कृषक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले कितने लोग हैं ? आप समझते हैं कि कृषक समुदाय के लोग अज्ञानी नहीं हैं और वे ऐसी समितियों में काम नहीं कर सकते हैं। उन समितियों में कुछ बड़े उद्योगपति हैं जो आपके सकल घरेलू उत्पाद या आपकी अर्थव्यवस्था में सुधार कर सकते हैं, लेकिन आपकी अर्थव्यवस्था में खेती में सुधार नहीं हो रहा है।

महोदय, हमने संस्थागत वित्तीय निवेश का 20,000 करोड रुपए से भी ज्यादा का निवेश इस्पात उद्योग में किया है। जब विश्वव्यापी आधिक्य के कारण इस्पात उद्योग को क्षति हो रही है, तब आप उसे मुसीबत से उबारना चाहते हैं और आई. डी. बी. आई. करीब छह या सात उद्योगों को 4,000 करोड़ रुपए देने पर सहमत हुआ है। मैं वित्त मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। उन्होंने कहा कि वे इन इस्पात कारखानों को संकट से उबारने के लिए और सहायता देने के मामले में शामिल नहीं हैं।

आज जब किसानों को नुकसान हो रहा है और वे प्याज एक रु. प्रति किलोग्राम और टमाटर 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहे हैं तो आपने उनको किस प्रकार की सहायता दी है ? आज उनकी दशा क्या है ? उनको इस दशा से बाहर निकालने के लिए आपने क्या कार्यवाई की है ? कृपया मुझे बताएं। हमें उस सरकार का समर्थन क्यों करना चाहिए जो केवल उन लोगों को ही सहायता देना चाहती है जो उनके नजदीक हैं ?

महोदय, मेरे पास भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की रिपोर्ट है। मैं यह नहीं बताना चाहता कि श्री मोहन गुरुस्वामी ने क्या कहा है। अब मैं उन सभी मुद्दों को उठाने नहीं जा रहा हूं। वे कोई सड़क के आदमी नहीं हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी सरकार में एक खास ओहदे पर रहे हैं और कतिपय जिम्मेदारियों का पालन किया है। उन्होंने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारी सरकार ने उड़ीसा में महारानी पावर प्रोजेक्ट को अस्वीकार कर दिया है। हिन्दुजा ने हमारी सरकार पर दबाव डाला कि हम इस बात की गारंटी दें कि यदि कोयले की आवक अनियमित हुई हो विलम्ब शुल्क का वहन हम करेंगे। यही मुद्दा है। हमने ऐसी गारंटी देने से मना कर दिया। हमने इसे अस्वीकार कर दिया। वित्त मंत्री इसका खंडन कर सकते हैं। यदि मैं सही नहीं हूं तो मैं इसे स्वीकार करने और अपनी बात वापस लेने को तैयार हूं। जब मैं प्रधानमंत्री था उस समय इस संबंध में हमारे ऊपर काफी दबाव था, परन्तु हमने इसे नहीं माना। श्री चिदम्बरम जी यहीं हैं और वे इस बात को जानते हैं। अब मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। परन्तु मैं वह निर्णय पढ़ सकता हूं जो आपने उस विशेष मुद्दे के बारे में लिया है, क्योंकि ये सभी बातें अखबारों में छप चुकी हैं। मैं उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को उठाकर इस सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। ये आरोप सदन के सामने हैं।

कुछ इस्पात उद्योगों के लिए दी गई धनराशि का अपवर्त्तन कैसे किया गया ? यह सभी कुछ यहाँ बताया जा चुका है। आई. डी. बी. आई. की रिपोर्ट मेरे हाथ में है। मैं इस रिपोर्ट को पढ़ने जैसी बात भी नहीं करना चाहता हूं। सदन की सुविधा के लिए, जिस तरीके से उन्होंने निधियों का अपवर्तन किया है वह अखबारों में छप चुका है। इतना ही नहीं, जब उन्होंने परियोजना रिपोर्ट को पेश किया उन्होंने इन परियोजनाओं की लागत में हेर–फेर किया है। यहाँ "पेलेटाइजेशन" और अन्य सभी बातों का जिक्र हुआ है। एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि लगभग 280 मिलियन डॉलर भारतीय धनराशि 'स्वीश' बैंकों और अन्य विदेशी बैंकों में है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि इस्पात उद्योग को बचाने के लिए निर्णय लेने में उन्होंने इतनी रुचि कब ली, कृषक समुदाय को उन्होंने थोड़ी भी सहायता क्यों नहीं दी है ? कृपया इस बारे में मुझे बताएं।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : क्या आप मुझे बोलने का मौका देंगे ? माननीय श्री देवगौड़ा जी, आप बार–बार मुझसे प्रश्न कर रहे हैं "कृपया मुझे बताएं। कृपया मुझे बताएं।" मैं बोलना नहीं चाहता था। मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता हूं।

श्री एच.डी. देवगौड़ा : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री यशवंत सिन्हा : संभवतः कल जब मैंने हस्तक्षेप किया था तब आप सदन में उपस्थित नहीं थे। इनमें से अधिकांश प्रश्नों का जवाब मैंने वाद–विवाद में हस्तक्षेप करते समय दे दिया था।

श्री एच.डी. देवगौड़ा : महोदय कृपया मुझे बताएं।

श्री यशवंत सिन्हा : पूर्व प्रधान मंत्री महोदय, दुर्भाग्यवश अब आपको अपने ही कार्यकाल के तथ्य याद नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं ? आप पढ़ रहे हैं। मुझे पता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। हमें इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए समय मिलेगा। आप किस व्यक्ति को भगवान समझ रहे हैं ? आप वही पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूं कि "कृपया जाँच कर लें। आरोप लगाने से पहले कृपया आप अपने तथ्यों की जांच कर लें।"

आप हमसे पूछ रहे थे कि हमने किसानों के लिए क्या किया है। आप इस्पात उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आई. डी. बी. आई. ने क्या दिया है।

श्री एच.डी. देवगौड़ा : आई. डी. बी. आई. की रिपोर्ट यहाँ है।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, यह वित्त मंत्रालय का कार्य नहीं है कि वह यह निर्णय ले कि वित्तीय संस्थाओं को क्या करना चाहिए और कौन सा ऋण देना चाहिए। श्री चिदम्बरम यहाँ बैठे हैं। यदि वे चाहें तो मुझे चुनौती दे सकते हैं। क्या उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में यह निर्णय लिया था कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा कौन सा ऋण दिया जाएगा ? कौन से राहत पैकेज दिए जाएंगे ? क्या दिया जाएगा ? वे अपने कार्य क्षेत्र में स्वायत्त हैं और वे स्वयं निर्णय लेते हैं। वित्त मंत्री

[श्री यशवंत सिन्हा]

अथवा वित्त मंत्रालय इसमें दखल नहीं देता। मैंने उनके निर्णय में दखल नहीं दिया है मैं यह भली–भांति स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

आप यह जानना चाहते थे कि हमने किसानों को कितना दिया है। कल भी और बजट भाषण में भी मैंने कहा है कि यदि 1997–98 में संस्थाओं और बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को 31,000 करोड़ रुपए ऋण के रूप में दिए गए थे तो 1998–99 में यह बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हो गया है– जो 20 प्रतिशत की वृद्धि है। पूर्व प्रधान मंत्री जी, यही हमने कृषि के लिए किया है।

श्री एच.डी. देवगौड़ा : उद्योगों के लिए आपने 98,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं। पैंसठ करोड़ लोग कृषक हैं। आप कह रहे हैं कि आपने 38,000 करोड़ रुपए दिए हैं। मैं इस पर बहस करना नहीं चाहता। आपने उल्लेख किया है कि आपने कृषकों के लिए काफी कुछ किया है। उर्वरकों पर आयात शुल्क शून्य था जिसे आपने बढ़ा दिया है। आपने उर्वरकों पर पांच प्रतिशत आयात शुल्क लगा दिया है। यह सहायता है जो आपने दी है।

'स्पिंकलर' सिंचाई और 'ड्रिप' सिंचाई पर सब्सिडी के बारे में हमने जो निर्णय लिया और आपने जो दिया है वह काफी कम है।

छोटे ट्रैक्टरों पर जो सब्सिडी हमने दी थी उसे उन्होंने हटा दिया है। मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि सिंचाई हेतु आबंटन को कम कर दिया गया है। ग्रामीण विकास हेतु आबंटन को भी कम कर दिया गया है। अब मैं आंकड़े बताना नहीं चाहता। परन्तु यदि माननीय वित्त मंत्री जी चाहें तो मैं ये आंकड़े उनके अपने बजट से ही पढ़ सकता हूं।

महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज सबसे ज्यादा नुकसान कृषक ही उठा रहे हैं। उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। लगभग 42,000 करोड़ रुपए गैर–निष्पादन परिसंपत्तियां हैं। इसका उल्लेख माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा किया गया है। ऐसा वित्तीय संस्थाओं अथवा बैंकों के कारण हुआ है जो, जैसा कि उन्होंने ठीक ही कहा है, स्वायत्त हैं। उन्होंने 42,000 करोड़ रुपए की इस राशि को गैर–निष्पादन परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया है। मैं उनसे सहमत हूं कि यह एक वर्ष में नहीं संयमी हो भी सकता है और नहीं भी। परन्तु, ये स्वायत्त वित्तीय संस्थाएं उन उद्योगों को बचाने के लिए और भी अग्रिम राशियां दे रही हैं।

परन्तु किसानों के मामले में वे क्या कर रहे हैं ? मान लीजिए कि यदि वे ऋण की अदायगी नहीं कर पाते हैं तो उनसे ऋण की जबरन वसूली के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। इस देश में, किसान आत्महत्या क्यों करते हैं ? क्या कारण हैं ? क्योंकि वह अपना अपमान बर्दास्त नहीं कर सकते हैं। इसका जिम्मेदार कोई निजी–ऋण दाता अथवा कोई बैंकिंग संस्था अथवा कोई सहकारी बैंक अथवा कोई वाणिज्यिक बैंक हो सकता है, परन्तु आज किसानों का यही हस्र है।

मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि यह किसानों की सरकार नहीं है। यह व्यापारियों की सरकार है। मुझे ऐसा कहने में कोई झिझक नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी चाहते हैं कि उनके एक पूर्व सलाहकार द्वारा लगाए गए कुछ आरोपों पर चर्चा हो। यह हो सकता है बशर्ते कि यह सरकार कल रह जाती है। जैसा कि सरकार ने वादा किया था कि श्री मोहन गुरूस्वामी द्वारा लगाए गए आरोपों पर चर्चा कराई जाएगी, इस मामले को सदन में नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा के लिए उठाया जाए।

श्री यशवंत सिन्हा : इस पर पहले ही चर्चा शुरु हो चुकी है और तीन सदस्य पहले ही बोल चुके हैं।

श्री एच.डी. देवगौड़ा : नहीं, मैंने कहा है कि यदि सरकार बच जाती है तब हम चर्चा करेंगे।

श्री यशवंत सिन्हा : नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा पहले ही शुरु हो चुकी है। सरकार कायम रहेगी और यदि नहीं भी रही तो हम, चाहे कोई भी सत्तासीन हो, चर्चा अवश्य करेंगे। मैं इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि मैं सरकार की स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री एच.डी. देवगौड़ा : चाहे सरकार रहे या न रहे, यदि मैं सही हूं तो अध्यक्ष महोदय उन्हें बताएंगे। जो भी प्रस्ताव पेश किए गए हैं और यदि सरकार बदलती है तो नई सरकार अपनी सहमति देगी। मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। इस बारे में कल सदन को निर्णय लेना होगा।

महोदय मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि हम यह देखें कि एक साल में कैसे एक तरफ तो कृषक समुदाय के साथ अन्याय हुआ है और दूसरी तरफ उद्योग, विशेष रूप से इस्पात उद्योग, को सरकार द्वारा काफी बढ़ावा दिया गया है। माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। तो इस्पात की कीमतों पर कैसे प्रभाव पड़ा ?

माननीय सदस्य श्री चिदम्बर ने एक अर्द्ध–सरकारी पत्र अथवा एक अधिसूचना का उल्लेख किया था। उन्होंने अभी भी उसका उल्लेख किया है। माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि केवल वाणिज्य तथा इस्पात मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार थे और उनका इस बारे में किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। इस्पात की न्यूनतम अथवा प्राथमिक कीमत वाणिज्य और इस्पात मंत्रालय द्वारा 247 अथवा 304 डालर निर्धारित की गई है न की वित्त मंत्रालय द्वारा तथा इससे मेरा किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है।

यह आपने कहा है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे कौन से कारण थे जिस लिए सरकार ने इस्पात की कीमत संशोधित करके 302 डालर से 260 डालर कर दी। विगत तीन–चार महीनों में इन 'हॉट कॉयल शेल' मिलों ने मुनाफा कमाया। इसमें ऐसा कौन सा सौदा हुआ ? इस मामले पर सभा में चर्चा होनी चाहिए। आप इस्पात उद्योग की मदद क्यों करना चाहते हैं ? जब आपने न्यूनतम कीमत 302 डालर निर्धारित कर दी थी तो फिर आपने तीन महीनों के भीतर ही इनकी कीमतों को एकदम क्यों संशोधित कर दिया ? अतः ऐसे कुछ कारण होंगे जिन्हें सभा को स्वीकार करना होगा। मैं अभी उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अभी समय की अधिक महत्ता है।

अभी मैं टी–90 टैंकों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। माननीय रक्षा मंत्री महोदय ने टी–90 टैंको तथा विष्णु भागवत मामले का उल्लेख किया है। महोदय, उन्होंने 'भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय' की एक पुस्तक परिचालित की है। इस पुस्तक के भाग–I में, विष्णु भागवत मामले पर तथा भाग–II में टी–90 टैंको के मामले पर, चर्चा की गई है। अब वे, सदस्यों को परिचालित इस पुस्तक में एक पत्र को छपवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे मैन 8 नवम्बर को माननीय प्रधानमंत्री को लिखा था। यह उनके लिए बड़ा सुविधाजनक था इसीलिए उन्होंने उस पत्र को जिसमें कतिपय टाइप संबंधी त्रुटियाँ थी, छपवाया है। उस पत्र में त्रुटि सुधारने हेतु मैंने दो ही दिनों के भीतर 10 नवम्बर को एक और पत्र लिखा।

महोदय, मैं इस सामान्य सभा के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि ये वे पत्र हैं जो मैंने माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को लिखे थे...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन : सभापति महोदय, इस वाद–विवाद में अभी 20 और सदस्यों को भाग लेना है। अतः आप कृपया समय निर्धारित कर दीजिये...*(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवगौड़ा : महोदय, यह एक गंभीर मामला है। कृपया मुझे बोलने दीजिये अन्यथा यह एक पक्षीय दलील हो जायेगी, जो कि इस पुस्तक में दी गई है तथा जिसे सभी सदस्यों को परिचालित किया गगा है।

महोदय, कृपया यह देखिये कि माननीय रक्षा मंत्री ने क्या सफाई दी है। रक्षा मंत्री ने अपने उत्तर में यह सफाई दी है कि इसका निर्णय पूर्व सरकार ने लिया था। अक्तूबर, 1997 में श्री मुलायम सिंह, रक्षा मंत्री के रूप में मास्को गये। नवम्बर, 1997 में प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव के कक्ष में एक बैठक हुई तथा अमुख–अमुख व्यक्ति उस बैठक में उपस्थिति थे। सेना के शिष्टमण्डल ने फरवरी 1998 में टी–90 टेंको के निष्पादन-का मूल्यांकन किया था। 25 मई, 1998 को तकनीकी मूल्यांकन प्रतिवेदन दिया गया। जून 1998 में रक्षा सचिव ने दौरा किया। 3 दिसम्बर, 1998 को सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने टी–90 टैंकों को अधिप्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक तौर पर स्वीकृति दी। टी–90 टैंकों की कीमतों के संबंध में बातचीत करने के लिए रुस का शिष्ट मंडल 20 जनवरी, 1999 को आया।

मैंने यह मामला इसलिए नहीं उठाया कि मेरी उस विशेष टैंक में रुचि है। अपितु यह मामला इसी सभा के सदस्य ने उठाया है जो कि स्थायी समिति के सभापति भी है। उन्होंने 3 नवम्बर, 1998 को रक्षा मंत्री महोदय को एक पत्र लिखा

उन्होंने उस पत्र में विशेषकर यह उल्लेख किया कि टी–90 एक आधुनिकतम टैंक है, परन्तु उनका उत्पादन क्यों नहीं आरम्भ हुआ इसके कारण रूस को ही पता है। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इनका उत्पादन रूस में भी नहीं हो रहा है, इन्हें स्वीकृत नियमावधि में हमारे बेड़े में शामिल नहीं किया जा सकता। इन टैंकों का आबडी में उत्पादन आर्थिक तथा उत्पादन शुरु करने में लगने वाले समय की दृष्टि से सार्थक नहीं है। इसके अतिरिक्त क्या टी–90 टैंकों का गर्मी अथवा सर्दी में परीक्षण किया गया। अब रूस ने आधुनिकतम टैंक 'ब्लैक ईगल', जो की भविष्य का टैंक है, पर कार्य करना शुरु किया है। यह बात स्थायी समिति के सभापति ले लिखी थी, जो कि एक ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने रक्षा मंत्रालय में कार्य किया है। श्री जार्ज फर्नान्डीज एक विशेषज्ञ नहीं है। मैं अथवा श्री मुलायम सिंह यादव भी कोई विशेषज्ञ नहीं है। 3 नवम्बर, 1998 को एक ऐसे व्यक्ति ने रक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा है जिन्होंने रक्षा मंत्रालय में भी कार्य किया है। मैं पुनः एक विशेष मुद्दे पर जोर देना चाहता हूं। उस अधिकारी का यह कहना है कि टी 72 एस में ऐसी कई विशेषताएँ हैं जो कि 272 एम में हैं और इस टैंक का उत्पादन बिना किसी विलंब के शुरु किया जा राकता है। यहाँ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि टी–90 में जो अतिरिक्त सुविधाएं हैं उन्हें टी 72 एस में लगाया जा सकता है। टी 72 एस में आधुनिकतम टैंक फायर कंट्रोल प्रणाली, 125 एम. एम. टैंक गन, 1000 अश्व शक्ति क्षमता का इंजन, एंटी टैंक, एंटी हेलिकाप्टर मिसाइल, एस. बी. आई. आर., एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, प्रोडक्टिव प्रणाली है। इन अतिरिक्त सुविधाओं के साथ यह टैंक टी–90 के बराबर का हो गया है और इसकी उत्पादन लागत 5–6 करोड़ रुपये है जबकि टी–90 की 12–13 करोड़ रुपये है। ऐसा पत्र स्थायी समिति के सभापति ने लिखा।

इसके अतिरिक्त एक और पत्र लेफ्टिनेंट–जनरल फोली ने भी लिखा। उन्होंने क्या लिखा ? यह पत्र 6 जून को लिखा गया। माननीय रक्षा मंत्री को यह निश्चित करने के लिए कि क्या हमें टी–90 टैंक लेना चाहिए अथवा नहीं इसके लिए सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष द्वारा लिखे गये पत्र को पढ़ना चाहिए। जी हां, श्री मुलायम सिंह यादव नवम्बर 1997 में वहाँ गये। और मैंने ही उस तारीख का उल्लेख किया है। उसके पश्चात प्रिंसिपल सचिव ने एक बैठक बुलाई। उन्होंने इन सभी बातों की जिम्मेदारी जिसमें हमारे द्वारा किया गया प्रयास भी शामिल है किन्हीं और पर डालने की कोशिश की है। इन टी–90 टैंकों की खरीद के लिए शुरु में किसने प्रयास किये ? यह प्रयास संयुक्त मोर्चे ने किये। क्या इन लोगों ने कहीं पर भी यह कहा है कि आप लोग टी 72 टैंक के बारे में विचार न करें ?...*(व्यवधान)* नहीं महोदय, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे मैं उठाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन : अभी 20 और लोगों को बोलना है। इसका मतलब यह हुआ कि कल सुबह के ग्यारह बजेंगे।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौड़ा : नहीं, उन्होंने सभा को गुमराह किया है। वे सभा को गुमराह करने में काफी दक्ष है।...*(व्यवधान)* जहाँ तक इस विशेष मामले का संबंध है मैं, छोड़ने वाला नहीं हूं। उन्होंने मेरे विरुद्ध आरोप लगाये हैं। इसके अतिरिक्त मुझे क्या करना चाहिए ? इन्होंने मामलों को यहाँ उठाया है। इन्होंने एक पुस्तिका भी परिचालित की है जिससे इन्होंने बाद में मेरे विरुद्ध ही आरोप लगाने की कोशिश की है।

[श्री एच.डी. देवगौड़ा]

'इण्डिया टुडे' में इन्होंने जो साक्षात्कार दिया है मैं उसमें से प्रश्न और उत्तर उद्धृत कर रहा हूं :

"प्रश्न : विपक्ष का यह विश्वास है कि ये आरोप काफी है।"

उत्तर : मैं, मानता हूं कि ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है कि वे इस पूरे मामले में राजनैतिक संभावनाएं देख रहे हैं। वे यह महसूस नहीं कर रहे है कि इससे वे देश की सुरक्षा को कितनी क्षति पहुँचा रहे हैं। वे तो एक अधिकारी की निष्ठा पर प्रश्न लगा रहे हैं। जार्ज फर्नान्डीज को भूल जाइये, मेरी भूमिका तो गौण है।

प्रश्न : आप इस पर क्या कहना चाहते हैं ?

उत्तर : हमारे यहाँ देवगौड़ा है जो कि अकस्मात ही यह कहते है कि हमें रूस से टी–90 टैंक के बजाय टी 72 टैंक खरीदना चाहिए जिसके बारे में उन्हें अभी भी स्पष्टीकरण देना है। और ऐसा करने में उन्होंने भारतीय सेना के एक उत्कृष्ठ अधिकारी–जनरल एस.एस. मेहता (जो कि उस समिति के प्रमुख थे जिन्होंने इनकी खरीद की सिफारिश की) की निष्ठा पर प्रश्न उठाया। यदि कोई संघर्ष की स्थिति रहती तथा हमें राजस्थान के मरुस्थल में लड़ाई करनी पड़ती तो जनरल मेहता 1000 टैंकों के बेड़े के साथ कार्यवाही करते"

कम से कम उन्होंने जनरल का पद दिया है। आपके रक्षा मंत्री कहते हैं :

यदि मुझे जनरल गौड़ा और जनरल मेहता के बीच चुनाव करने का अवसर होता तो मैं जनरल मेहता को ही चुनता क्योंकि वे जिन्दगीभर टैंको के बीच ही रहे हैं। और युद्ध में उनके आदमियों को लड़ना है न की देवगौड़ा के पुत्रों को।

मेरे पास, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जो दूरदर्शन पर डेढ़ घण्टे जो साक्षात्कार दिया था, उसकी कैसट है। मैंने उस कैसट को पूरे डेढ़ घण्टे तक देखा है। उनका यह कहना है कि मैं अपने पुत्रों के साथ रूस गया तथा राष्ट्रपति येलत्सिन से मुलाकात की। राष्ट्रपति येलत्सिन ने मुझसे पूछा कि "गौड़ा जी क्या आप टी–72 टैंक खरीदेंगे" ? और गौड़ा जी ने राष्ट्रपति येलत्सिन से पूछा–उन्होंने दूसरे देश के राष्ट्रपति का नाम घसीटा है–"क्या टैंक बनाने की फैक्ट्री आपके निर्वाचन क्षेत्र में है ? मैं वह टी. वी. कैसट लाया हूं।" "क्या वह टैंक फैक्ट्री आपके चुनाव क्षेत्र में है ?" मैंने श्री येलत्सिन से यह पूछा। तब श्री येलत्सिन ने कहा, "हां"। तब मैं इस पर विचार करुंगा। यह जवाब था गौड़ा का !

यह उस टेप के अनुसार है।

क्या यह कोई चुटकला है ? क्या रक्षा मंत्री ने यह कोई चुटकला कहा है ? आपके रक्षा मंत्री मजाक तक करते हैं। इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से वह किसे समझाना चाहते हैं ? वह इस सदन के समक्ष आना नहीं चाहते इसलिए इलेक्ट्रोनिक मीडिया का प्रयोग करना चाहते हैं। लगभग एक सप्ताह पूर्व वह इलेक्ट्रोनिक मीडिया में गए। ऐसे प्रश्न पूछे गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री एच.डी. देवगौड़ा : हम इसे यहीं समाप्त नहीं कर सकते। मैं मधुमेह का रोगी हूं। मैं सुबह से प्रतीक्षा कर रहा था। इस स्थिति में मेरे ऊपर जो यह आरोप लगाया गया है मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। यह बिलकुल असम्भव है। हम यहाँ किसलिए आए हैं ? मेरे पास इनका लिखा हुआ पत्र है। इनका कहना है :

"बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है कि उनके जैसे व्यक्ति ने लेफ्टिनेंट जनरल एस.एस. मेहता जैसे त्रुटिहीन रिकार्ड तथा बेदाग निष्ठा और व्यावसायिक सक्षमता वाले वरिष्ठ अधिकारी पर कटाक्ष किए हैं। शायद आपने यह महसूस नहीं किया है कि आपके कटाक्षों से विशेषतः जनरल आफिसर के तथा सामान्यतः सेना के मनोबल को कितनी क्षति हो सकती है।"

राजस्थान के मरुस्थल में साथ–साथ हो रहे परीक्षण मूल्यांकन के बारे में पत्र लिखकर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। यह पत्र मुझसे काफी पहले स्थायी समिति के चेयरमेन ने लिखा था।

और यही नहीं। 12 जून, 1998 को जनरल फोली ने कहा था कि "डी. आर. डी. ओ. हमारी मुख्य, मुश्किल और बाधक रुकावट है।" ऐसा उनके पत्र में लिखा हुआ है और मैं सम्बन्धित हिस्सों को पढ़ रहा हूं

"निर्णय लम्बित रहने तक, सभी टी–55 विजयंत और टी–70 टैंकों के स्थान पर दोनों में से किसी एक अथवा दोनों ही टैंकों को शामिल किए जाने को एक प्रगतिशील कदम के रूप में स्थापित करने हेतु 1992–93 में टी–72 और टी–80 टैंकों का मूल्यांकन किया गया था. .. पूर्व मूल्यांकन टी–72 एस और टी–80 एन. बी. सी. रक्षित हैं लेकिन इनमें दोष थे। टरबाइन इंजन के कारणों से टी–80 मरुस्थल में विफल हो गया। टी–72 ने प्रचालन के सभी मानदंडों को पूरा किया था।"

"...और 3.5 करोड़ रुपए प्रति टैंक की लागत पर 300 टैंक शामिल किए जाने थे। परीक्षण की रिपोर्ट मैकेनाइज्ड फोर्सेज़ के महानिदेशक के पास है। इसके अतिरिक्त टी–72 टैंकों की पूरी मरम्मत करके टी–72 एस के रूप में बदलने हेतु मात्र 25 करोड़ रुपए की लागत पर अवाड़ी टैंक फैक्ट्री का स्तरोन्नयन किया जाना था क्योंकि अन्य सभी सुविधाएं स्तरोन्नयन के अनुकूल हैं। यह अनुमानित सम्भावना सम्भवतया हथियारों के व्यापारियों के साथ नौकरशाही के गड़बड़ियों के कारण विलम्बित की गई थी और आज भी लम्बित पड़ी है।"

यह पत्र सेना के अधिकारी, सेवानिवृत्त लेफ्टीनेंट जनरल ने लिखा था।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। सूची में 22 सदस्य बाकी हैं।

(व्यवधान)

श्री एच.डी. देवगौड़ा : वाजपेयी सरकार हटने के बाद कुछ धर्मनिरपेक्षता ताकतों की कृपा से करीब 11 महीने के लिए मुझे भी सरकार का प्रमुख बनने को कहा गया था। कम से कम अब उन्हें जनरल का

दर्जा दिया गया है। अगर मैंने सैन्य प्रशिक्षण लिया होता तो मैं भी सेना का प्रमुख बन गया होता।

श्री फर्नान्डीज बहुत ही वाकपटु वक्ता हैं। उन्होंने कई दस्तावेज प्रस्तुत किए। लेकिन सदस्यों को परिचालित की गई इस पुस्तक में उन्होंने सभी दस्तावेज शामिल क्यों नहीं किए? वह जानते हैं कि विकृत रूप कैसे दिया जाए। वह इस काम में बहुत सक्षम हैं। उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की है। क्या मोरारजी देसाई की सरकार को हटाने के लिए उन्होंने कांग्रेस का समर्थन नहीं लिया था? क्या श्री जार्ज फर्नान्डीज उस काम में शामिल नहीं थे? क्या मोरारजी देसाई की सरकार को गिराने के लिए उन्होंने कांग्रेस का समर्थन नहीं लिया? मैंने इन सब बातों की गहराई में जाना नहीं चाहता।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : हम लोग तो उस समय भी आपका विरोध कर रहे थे। कांग्रेस ने आपका समर्थन किया था।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौड़ा : उन्होंने मुझे हटा दिया, मैं परवाह नहीं करता। मैं उनकी दया पर नहीं हूं। किंतु यहाँ सेना के अधिकारियों ने इसके बारे में स्पष्ट कहा है। इस अधिकारियों में से एक रक्षा संबंधी स्थायी समिति का चेयरमेन और दूसरा लेफ्टीनेंट जनरल है। वित्त मंत्री महोदय टी. वी. इंटरव्यू में व्याख्या करने की हद तक चले गए।...*(व्यवधान)* मुझे खेद है। मुझसे भूल हो गई। रक्षा मंत्री महोदय ने मुझे पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा इस पत्र को लिखने से सामान्य तौर पर सेना का और उस अधिकारी विशेष का मनोबल टूट गया है। कृपया प्रधानमंत्री महोदय उत्तर देते समय स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास करें। सरकार का निर्णय क्या था? बिना मूल्यांकन किए टी–90 टैंकों को खरीदने की क्या जल्दी थी? मास्कों जाने वाला व्यक्ति–जनरल एस.एस. मेहता–मूल्य निर्धारण समिति का चेयरमेन था। पिछले पचास वर्षों में मूल्य निर्धारण समिति का चेयरमेन सिविलियन अधिकारी होता था। इस प्रक्रिया को क्यों बदला गया? रक्षा मंत्री जी के अनुसार जन. एस.एस. मेहता एक सक्षम अधिकारी हैं। आज तक, जब आपकी सरकार सत्ता में आयी, तब तक कोई टैंक खरीदने के लिए अपनाए गए मानदंड तकनीकी मूल्यांकन और क्षेत्र परीक्षण थे। अगर ये सब बातें साफ हो जाती हैं तब मूल्य निर्धारण समिति का प्रश्न आता है। मूल्य निर्धारण समिति का चेयरमेन रक्षा मंत्रालय का कोई वरिष्ठ अधिकारी होता है--संयुक्त सचिव या अपर सचिव या अन्य कोई वरिष्ठ अधिकारी।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब कनक्लूड किया जाए।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौड़ा : उसे बदला क्यों गया? वही अधिकारी रक्षा मंत्रालय का सहयोग कर रहा था।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुंबई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, क्या हर सदस्य को इसी तरह समय मिलेगा?

[हिन्दी]

डॉ. प्रभा ठाकुर (अजमेर) : वह पूर्व प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के सवाल पर बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौड़ा : अगर विष्णु भागवत की बर्खास्तगी पर चर्चा की गई तो इससे सुरक्षा को और क्षति पहुंचेगी। सुरक्षा की दृष्टि से हमें बहुत से मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं करनी चाहिए, यह रक्षा मंत्री महोदय का कहना है। इस अधिकारी के बारे में उनका कहना है कि टी–72 एस और टी–90 टैंकों का परीक्षण मूल्यांकन साथ–साथ कराने हेतु इसने जो पत्र लिखा था–यह इस अधिकारी की गलती थी। और अब वह उसी अधिकारी की निष्ठा, सक्षमता और इन सब बातों के बारे में बोल रहे हैं जिनका लाभ उस अधिकारी को मिलेगा।

उन्होंने विष्णु भागवत पर कई आरोप लगाए हैं। सारे दस्तावेज संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करवाइए। उन्होंने कहा है कि अगर मेरी कही बात सच नहीं हुई तो मैं सदन से त्यागपत्र दे दूंगा। इन सभी दस्तावेजों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाइए।**

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : आखिर वह प्रधानमंत्री रहे हैं।

सभापति महोदय : अब समाप्त किया जाए।

श्री लालू प्रसाद : सर, आप मिनिस्टर थे और देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, आप इसका ख्याल करिये, आप घंटी बजा रहे हैं। आप इनके मंत्रिमंडल में स्टेट मिनिस्टर थे...*(व्यवधान)* अब 12 बजने जा रहे हैं, यह एक डॉकूमेन्ट्री प्रूफ है और डिफेन्स मिनिस्टर यहां उपस्थित नहीं हैं। वह हवा में भाषण देकर चले गये। यहाँ कागज–पत्र की बात चल रही है और डिफेन्स मिनिस्टर गायब है।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : बहुत हो गया, अब वह अध्यक्ष हैं, वह जो कह रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : क्या इनको अध्यक्ष बना दिया है, यह पैनल में सभापति है। चलिये आप कल से अध्यक्ष हो गये।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : लालू जी द्वारा सभापति महोदय को यह कहना कि आप श्री देवगौड़ा जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, आप इनका ख्याल रखिये और इन्हें समय दीजिए पीठासीन अधिकारी को यह कहना उचित नहीं है।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, आप इनको इस तरह कब तक बोलने की अनुमति देंगे? उन्हें बोलने का अधिकार है परन्तु उन्हें संक्षेप में बोलना चाहिए। यह कोई तरीका नहीं है कि वह दो घंटे लें...*(व्यवधान)*

** अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : आप सेना हैं, वह नेता हैं ...*(व्यवधान)*

मध्यरात्रि 12.00 बजे

श्री मधुकर सरपोतदार : हर किसी को बोलना है। उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने हैं। हमें भी महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख करना है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : सभापति जी, ये बेताब हो रहे हैं। ये सेना हैं, इनकी जरूरत फील्ड में है, यहाँ बोलने की क्या जरूरत है ?...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : क्या आपने सीमा देखी है ? आप क्या बात करते हैं ?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौड़ा : महोदय, उनका अगला आरोप है .....*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : बोलते समय अपना सारा हिसाब–किताब बराबर करने का यह ठीक स्थान नहीं है।

श्री एच.डी. देवगौड़ा : यह हिसाब–किताब बराबर करने का प्रश्न नहीं है। यह राष्ट्र को बताने का प्रश्न है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. प्रभा ठाकुर : सभापति जी, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ तो अहम मामला है, उस पर ये सारे तथ्यों के साथ बोल रहे हैं इसलिए इन्हें अपनी बात पूर्ण कर देनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : यह चर्चा नियम 193 के अंतर्गत हो रही है। यदि कल इनकी सरकार बन जाए तो उन्हें इन बातों पर चर्चा करनी चाहिए। यह आज की चर्चा का विषय नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवगौड़ा : अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व रक्षा मंत्री महोदय ने कहा था कि मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था कि रक्षा मंत्री ने करोड़ो रुपए लिए हैं। यह आरोप कुछ लोगों ने लगाया था और इसी वजह से उनको अपने ऊपर लगे कुछ आरोपों के उत्तर देने पड़े थे जिनमें विष्णु भागवत की बर्खास्तगी भी शामिल है। अगर उन्होंने यह मुद्दा नहीं उठाया होता तो मुझे स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह इलेक्ट्रोनिक मीडिया में गए जिसे मीडिया ने तीर बार, साढ़े चार घंटे प्रसारित किया जिसे 20 लाख से अधिक दर्शकों ने इसे देखा। अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए मैं कहाँ जाऊं ? क्या मैं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में जाऊं ? क्यों ?...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : क्योंकि वह इलेक्ट्रोनिक मीडिया में गए थे...*(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवगौड़ा : मैं इस सदन का सदस्य हूं।...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : वह भी इस सदन के सदस्य हैं। .....*(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवगौड़ा : तो वह अपना बचाव करें।...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : वह अपना बचाव करेंगे।

श्री एच.डी. देवगौड़ा : वह अपना बचाव करें। प्रधानमंत्री महोदय अपना बचाव करें।...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : यह विषय बिलकुल भिन्न है। ...*(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवगौड़ा : उन्होंने वह इसे सिद्ध करें।...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : उन्होंने एक घंटा ले लिया है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन : यह पूरा एक दिन बोल चुके हैं। इन्होंने 16 तारीख को शुरू किया था और अब 17 तारीख हो गई है। इनको बोलते हुए पूरा एक दिन हो गया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों के बार–बार खड़े होने से समय की बर्बादी होती है। कृपया आप आसन ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अनेक माननीय सदस्य उठकर समय की बर्बादी कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : सभापति जी, बहुत से वक्ता बोलने वाले हैं।...*(व्यवधान)* कुछ लोग सैंट्रल हाल में आ जायें। ..*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : जब आप अपनी सरकार बनायेंगे तब डिसकस करा लीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर) : सभापति जी, हमारा सुझाव यह है कि 12 बज गये हैं इसलिए आप आज की कार्यवाही यहीं समाप्त कर दीजिए। कल प्रधानमंत्री जी का रिप्लाई दो बजे होना चाहिए।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौड़ा : जब मैं प्रधानमंत्री था तब इन्हीं रक्षा मंत्री महोदय ने कोन्जेट्रिक्स परियोजना की मंजूरी के बारे में आरोप लगाया था कि 60 करोड़ रुपए का लेन–देन हुआ है।

तब मैं सत्तापक्ष में था। आरोप लगाया गया था कि कोन्जेट्रिक्स परियोजना में 60 करोड़ रुपए का लेन–देन हुआ है। वर्तमान प्रधान मंत्री महोदय को मैंने यह लिखा था :

"केवल कर्नाटक में शुरु होने वाली फास्ट ट्रेक प्रोजेक्ट रोक दिया गया है। मुझे जानकारी है कि आपके मंत्रिमंडल के दो सहयोगियों ने बिना सोचे समझे आरोप लगाए हैं। मैं आपसे इस परियोजना को पूरा करने की कहने वाला आखिरी व्यक्ति हूं।"

और, मैंने माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि वह इस मामले की जांच कराने के आदेश दें तथा यह पता लगाएं कि 60 करोड़ रुपए का लेन–देन हुआ है या नहीं। यदि मैंने 11 माह की अपनी सरकार में कोई गलत काम किया हो तो अपने उत्तरदायित्व से मुंह छिपाने का कोई प्रश्न नहीं था।

कांग्रेस के नेताओं ने गेहूं के आयात के बारे में आरोप लगाया था और इसकी जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराने हेतु यह सरकार सहमत हो गई थी। शायद सरकार की ओर से श्री बरनाला ने इससे संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दिया था। इस संबंध में भी मैंने प्रधानमंत्री महोदय को पत्र भी लिखा था। संयुक्त मोर्चा सरकार के अठारह महीने के शासन काल में 11 महीने मैं प्रधानमंत्री रहा था और 7 महीने श्री गुजराल प्रधानमंत्री रहे थे। अठारह महीने की इस अवधि में हमने कई निर्णय किए थे। यह सरकार गेहूं आयात के सौदे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने को सहमत हो गई थी। प्रधानमंत्री महोदय को लिखे अपने पत्र में मैंने उनसे संयुक्त मोर्चा शासन के अठारह महीने में लिए गए हमारे सभी निर्णयों की समीक्षा कराने के लिए कहा था। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि उन निर्णयों का अध्ययन कराने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित कराएं और यदि कोई वित्तीय अनियमितता मिले तो जांच के आदेश दें। मैंने कहा था कि यदि हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों में कोई वित्तीय अनियमितता मिलती है तो हम किसी भी प्रकार की जांच का सामना करने को तैयार हैं, चाहे वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो से या कोई और जांच हो।

उन्होंने इस मामले में मेरा नाम और मेरे बेटे का नाम भी लिया है। यदि कल मतदान में यह सरकार जीत जाती है, तो इस सरकार से अथवा आने वाली नई सरकार से मैं यह मांग करता हूं कि वह इस मामले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन करे।

मैं यह जानना चाहूँगा कि बातचीत के साथ–साथ फील्ड परीक्षणों को पूरा किए बिना इसकी कीमत के बारे में बातचीत करने के पीछे इस सरकार का क्या हित था। इसकी क्या आवश्यकता थी, इतनी जल्दी किस बात की थी, और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी ?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (विधलोन) : यह एक सीधा–साधा भ्रष्टाचार का मामला है।

श्री एच.के. देवगौड़ा : मुझे नहीं मालूम कि यह भ्रष्टाचार का मामला है अथवा पक्षपात का या इसमें हथियार विक्रेताओं के शामिल होने का मामला था। लेफ्टिनेंट जेनरल एन. फोले जिन्हें इस सरकार ने इस सदन में नामनिर्दिष्ट किया था, ने रक्षा मंत्री को संबोधित अपने पत्र में कहा था, "राजनीतिक दबाव में आकर कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करना चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा, "हथियार विक्रेता सभी प्रकार का दबाव डालेंगे।" यह पत्र उनके द्वारा रक्षा मंत्री को लिखा गया है। मैं किसी हथियार विक्रेता के प्रभाव में नहीं हूं। मैंने किसी को कोई विशेष टैंक खरीदने को नहीं कहा है। सेना में विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे विशेषज्ञों की राय के अनुसार मैंने दोनों ही टैंकों का साथ–साथ परीक्षण द्वारा मूल्यांकन करने का आदेश दिया था जिसके पीछे मेरा विचार यह था कि जिस टैंक का प्रदर्शन बेहतर होगा हम उसे ही खरीदेंगे। यही बात मैंने कही थी। उन्हें तर्क करने की कला आती है। आरोप यह है कि डॉ. येल्तसिन ने मुझे प्रभावित किया था क्योंकि टैंक फैक्ट्री उनके निर्वाचन क्षेत्र में है। उन्होंने राष्ट्रपति येल्तसिन का नाम भी घसीटा है। यदि माननीय अध्यक्ष महोदय आपके कमरे में इस कैसेट को देखने की अनुमति प्रदान करें तो रक्षा मंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी, सभी लोग जाएं और इसे देखें।

उन्होंने श्री विष्णु भागवत मामले के संबंध में आरोप लगाए। उनके अनुसार, ये बातें साथ हैं। कौन निर्णय करेगा कि ये पूर्ण सत्य हैं, अर्ध सत्य हैं अथवा असत्य है ? यह सभा इसका निर्णय एक समिति नियुक्त करके करेगी। यही कारण है कि मैं एक संयुक्त संसदीय समिति की मांग करने वाला हूं।

इस पृष्ठभूमि में ही उन्होंने आरोप को संयुक्त मोर्चा सरकार की ओर मोड़ने की कोशिश की। मैं पूरी तरह इसका खंडन करता हूं, और इस संबंध में वर्तमान सरकार अथवा भावी सरकार किसी भी प्रकार की जांच करवा सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं इस विश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं। यह सरकार जानी चाहिए। यह व्यापारियों की सरकार है। यह आम जनता अथवा गरीब जनता की सरकार नहीं है। इस सरकार को अवश्य जाना चाहिए।

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बनराला) : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का टाइम दिया। मैंने मांगा तो 16 तारीख में था, लेकिन आपने 17 तारीख में टाइम दिया है, फिर भी आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

वाजपेयी साहब ने जो प्रस्ताव हाउस के सामने रखा है, उसके हक में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : माननीय देवगौड़ा साहब ने जो कैसेट टेबिल पर रखा हे, उसकी कापी कराकर हर मैम्बर पार्लियामेंट को मिलनी चाहिए। यह ज़ो कैसेट है, यह सब जगह हम लोगों को मिलनी चाहिए। ऐसा न हो कि कैसेट फिर बदल जाये। कैसेट की कापी करके हम लोगों को दे दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन : यह किस चीज की कैसेट है ?

श्री लालू प्रसाद यादव : वही जो डील हुई है।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : चूंकि टाइम बहुत हो गया हे और अभी बोलने वाले बहुत हैं, इसलिए मैं थोड़ा समय लेकर अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा।

देश के लिए इस सरकार ने बहुत कुछ किया है, थोड़े समय में ही, एक साल, 13 महीने हुए हैं, 13 महीनों में बहुत बातें की हैं। ऐसी बातें हो गई हैं, जिनका जिक्र मैं थोड़ा–थोड़ा करना चाहूँगा।

देश के लिए सबसे जरूरी नेशनल सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा होती है। उसके लिए यह पोखरण–II का जिक्र आया, यह हुआ। इससे देश के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा, देश की शक्ति बढ़ी, लेकिन इसके बारे में भी शोर किया गया कि साहब यह क्यों हो गया। इन्होंने यह नहीं देखा, ज्यादा शोर इन बैंचों से हुआ, कि कुछ समय पहले यह इन्दिरा गांधी जी ने भी किया था, पोखरण–I उसका नाम रखा गया था। वह करने के बाद उन्होंने भारत रत्न भी हासिल किया था। उसकी महत्ता अपने आप ले ली थी। जो देश अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते, उनका नुकसान होता रहता है। हमारे साथ ऐसा हुआ है। देश आजाद होते ही 1947 में कश्मीर पर आक्रमण हो गया। कबाइली भी आ गए और दूसरे देशों की फौजें भी आ गईं और कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। यूनाइटेड नेशंस में बात होने लगी, सीज़ फायर की बात होने लगी। हमारे जनरल जो लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि दो दिन रुक जाइए, हम इनको धकेल देंगे और पूरा कश्मीर हमारे अधिकार में होगा। लेकिन इंतजार नहीं किया गया, सीज़ फायर कर दिया गया, जिसकी वजह से कश्मीर का बहुत सा इलाका उनके हाथों में चला गया। उसको लाइन आफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, वह बना दी गई। हमारे देश का कुछ हिस्सा निकल गया, क्योंकि हमने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं किया। हम उनको धकेल सकते थे, लेकिन किसी प्रैशर के तहत यह फैसला कर लिया कि हम सीज़ फायर करेंगे। ऐसे ही तब हुआ जब चीन ने हम पर हमला किया। हम तैयार नहीं थे, सुरक्षा के बढ़िया हालात नहीं थे। इस कारण हमारा बहुत बड़ा इलाका चीन के पास चला गया, जो हजारों मुरब्बे मील बनता है। वह इलाका चला गया और हम खामोश बैठ गए। अब जब थोड़ी बहुत शक्ति आने लगी, उसमें भी एतराज हो रहा है कि यह नहीं करना चाहिए था, यह गलत हो गया है। जबकि पड़ौसी की पूरी तैयारी थी, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए था। उसके बाद अग्नि 2 का परीक्षण हुआ, उस पर भी एतराज हो रहा है कि यह इतनी जल्दी क्यों कर लिया, बाद में कर लेते। जब आपके पास शक्ति होती है तो आप देश की हिफाजत कर सकते हैं और दूसरे भी आपसे डरते हैं। इतना जरूर है कि शक्ति होते हुए आपको पहले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वह वाजपेयी साहब ने कहा कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कभी गुरू तेग बहादुर जी ने कहा था :

भै काहू को देत न, न भै मानत आन।

किसी से डरता नहीं हूं, किसी को डर देता भी नहीं हूं। यह बात यहाँ हुई है। मैं कहना चाहूँगा कि इस बारे में कुछ काम हुआ, देश को शक्ति मिली है, देश के लोगों का हौसला बुलंद हुआ है।

दूसरा जरूरी काम होता है देश के लिए फूड सिक्योरिटी का, वह भी देश की सुरक्षा जितना जरूरी काम है। क्योंकि हमारी आबादी बहुत बढ़ी है। इतनी बड़ी आबादी के लिए फूड सिक्योरिटी जरूरी हो जाती है। मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए कि जो हमारा नेशनल एजेंडा बना था, उसमें कहा गया था कि हम दस साल में फूड प्रोडक्शन दोगुना कर देंगे। उस तरफ काम भी शुरू हुआ है और उसके परिणाम निकलने शुरू हुए हैं। पहली बार देश में 200 मिलियन टन से ऊपर अनाज की पैदावार होने जा रही है। इसके बारे में पहले सोचा भी नहीं था, लेकिन इस साल 200 मिलियन टन को क्रास करने जा रहे हैं। हमारा स्टाक भी कम्फर्टेबल है। हमें इस वक्त, एक अप्रैल को, जो निर्धारित बफर स्टाक चाहिए, वह 16 मिलियन टन चाहिए। इस वक्त हमारे पास 21 मिलियन टन का स्टाक है। गेहूं की फसल मंडियों में आ रही है। आहिस्ता–आहिस्ता उसका प्रोक्योरमेंट शुरू हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस बार हम 13 मिलियन टन तक गेहूं प्रोक्योर कर सकेंगे, यह एक रिकार्ड बन जाएगा। इसके साथ ही साथ निर्यात भी हो रहा है। नॉनबासमती राइस इस साल तकरीबन 40 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि नार्थ–ईस्टर्न स्टेट्स में स्टाक जमा कर लिए गए हैं। वहाँ दिक्कतें आ जाती थी, कभी फ्लड आ जाता था, कभी कोई अन्य कारण बन जाता था, आवाजाही के साधन खत्म हो जाते थे, अब वहाँ स्टाक खुले तौर से अच्छी मात्रा में बन गए हैं। इसी तरह काश्मीर में भी दिक्कतें आती थीं, क्योंकि बहुत दूर अनाज ले जाना पड़ता है इसलिए वहाँ भी काफी मात्रा में स्टाक जमा हो गए हैं। अब सारे देश में अनाज की सुविधा है, कोई चिन्ता की बात नहीं है। इसलिए सारे देश में अनाज की कीमतों का एक ही भाव रहा है।

इसके साथ ही यहाँ शुगर की बात चली, कई लोगों ने शुगर के बारे में बोला। दुनिया में हमारा देश सबसे ज्यादा शुगर पैदा करने वाला देश है। हमारी कंजम्पशन भी दुनिया में सबसे ज्यादा है और पैदावार भी ज्यादा है। इस बार आपने देखा होगा कि सारे साल शुगर प्राइसेस सारे देश में स्टेबल रही हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि फ्लकचुएट होती रही हों—कभी 13 रुपए या 18 रुपए हो जाए, ऐसा नहीं है, कांस्टेंट चलती रही हैं। अब जो 7 मार्च तक का प्रोडक्शन है, मेरे पास जो फीगर्स आईं, 7 मिलियन 102 लाख टन 7 मार्च तक हमारी रिकार्ड पैदावार हो गई थी, हमें उम्मीद है कि अब की बार 150 लाख टन तक पैदावार होगी। 53 लाख टन पिछले साल का स्टाक पड़ा हुआ था और 150 लाख टन इस बार होने जा रही है इसलिए हमारी बहुत सुविधाजनक पोजिशन रहेगी। शुगर इम्पोर्ट हो रही है उसको बंद नहीं कर सके। इम्पोर्ट आपने शुरू करवाई, ओ॰ जी॰ एल॰ आपके समय में हुआ था, हमने तो रेस्ट्रेन करने के लिए उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी। उससे कुछ कमी भी आई है, ऐसा किया गया है।

यहाँ प्याज की बात भी आई। प्याज की वजह से ये कई जगहों पर फायदा ले गए। इसलिए इन्होंने प्याज का जिक्र किया, प्याज की कीमतें बहुत बढ़ गई थीं उसकी वजह से आप तीन स्टेट्स में कामयाब हो गए। उस समय भी हमने हाउस में कहा था कि यह इसलिए हुआ, क्योंकि मौसम खराब होता रहा, बेमौसमी वर्षा होती रही इसलिए प्याज की फसल तबाह हो गई। अब प्याज की भरपूर फसल है। अभी यह कह

रहे थे कि इसकी कीमत बहुत कम हो गई, देवगौड़ा जी कह रहे थे।. ..*(व्यवधान)* हमने इसका एक्सपोर्ट शुरू किया। जहाँ–जहाँ से मांग आई वहाँ–वहाँ एलाऊ किया। तकरीबन 50,000 टन महीने का एक्सपोर्ट हो रहा है। हमने कहा है कि गुजरात और महाराष्ट्र से भी कीजिए। जहाँ प्याज की ज्यादा पैदावार होती है वहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हमें खुशी है कि इस बार तकरीबन 48 लाख टन अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्याज होने वाला है। इसी तरह आलू की बात है। आलू की कीमतें बढ़ी थीं, क्योंकि मौसम खराबी की वजह से दो–तीन जगह आलू का नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार आलू की भरपूर पैदावार हुई है। मुझे आशा है कि 150 लाख टन से ऊपर आलू की पैदावार होगी। उसके भाव स्टेबल हो गए हैं। कहीं तीन–चार या पांच रुपए है। हमने स्कीम बनाई है जिसमें कि कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, उसके अंदर यह सारे साल रखा जा सकेगा, जब जरूरत होगी उसे इस्तेमाल कर लिया जाएगा।

यहाँ जिक्र आया, यह बहुत जरूरी बात है कि आपके पड़ौसी देशों के साथ कैसे संबंध है। यह जो 12–13 महीने की सरकार है, इस दौरान अच्छे संबंध बने। हमारी सबसे ज्यादा जरूरत पाकिस्तान से रहती है, क्योंकि झगड़ा भी इन्हीं से होता है। बस का जिक्र हुआ, बस की बहुत तारीफ हुई। इस बार पाकिस्तान से बहुत लोग आए हैं। यह जो तीसरी शताब्दी आनन्दपुर साहब में मनाई जा रही थी, उसके लिए 350 लोगों का जत्था पाकिस्तान के लाहौर से आया, क्योंकि गुरू गोविन्द सिंह जी ने जो पांच प्यारे सजाए थे, जिनको पहले अमृत चखाया था, उनमें से एक लाहौर का था। वहाँ का खत्री था। वहाँ एक बड़ा जत्था आया, उससे बात हुई और उन्होंने कहा कि इन 50 सालों में जो सबसे बढ़िया बात हुई है वह बस यात्रा वाली बात हुई है। इससे दोनों देशों की जनता की सोच में वड़ा फर्क आया है। लोगों का आना–जाना शुरू हुआ है। अभी क्रिकेट मैच का जिक्र आया। कुछ लोगों ने कहा था कि हम क्रिकेट मैच नहीं होने देंगे लेकिन लेकिन सरकार ने दृढ़ संकल्प किया और क्रिकेट मैच हुआ। उसमें कहीं हम जीते और कहीं हम हारे। ऐसा वातावरण पहले कभी नहीं बना। अब तो ढाका वाले भी कहने लगे हैं कि बस चलनी चाहिए और वहाँ भी संबंध ठीक हो रहे हैं। नेपाल से भी ऐसा ही हुआ है। पुराने समझौते को नये सिरे से लेकर नया समझौता किया गया है। श्रीलंका से भी बढ़िया ताल्लुकात हुए हैं, उनसे हमारे ताल्लुकात कुछ बिगड़ गये थे। कुछ समय पहले ऐसी नौबत आ गयी थी कि हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गये और उनकी परेड का निरीक्षण कर रहे थे कि घूमकर एक सिपाही ने रायफल की बट मार दी थी। दुनिया में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी प्रधानमंत्री को निरीक्षण करते समय किसी सिपाही ने बट मार दी हो। वहाँ के लोग हमसे नफरत करते थे लेकिन आज हालात बदले हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ ताल्लुकात बढ़िया हुए हैं।...*(व्यवधान)*

बजट जो इस समय पेश किया गया है उसकी प्रशंसा हर तरफ से हुई है, कोई खास कटाक्ष नहीं हुआ है क्योंकि सबको स्वीकार्य बजट था। मैं उसके बारे में यहाँ नहीं कहूंगा क्योंकि वित्त मंत्री उसके बारे में बहुत कह चुके हैं। साउथ एशिया की इकोनोमी इस दौरान हिल गयी लेकिन हमारी इकोनोमी स्टेबल रही है। अगर हम अपने पड़ोसी देशों से तुलना करें तो हमारी अर्थव्यवस्था स्टेबल रही है और उसका सारा श्रेय इस सरकार को जाता है।

फैडरेलिज्म की बात अब पहली दफा होने लगी है। जैसा टी. एम. सी. वाले कह रहे थे। कुछ लोग पहले हमारा विरोध करते थे। वे कहते थे कि हम अलगाव की बात करते हैं। लेकिन पहली दफा अब फैडरल स्ट्रक्चर बनाने की बात होने लगी है। प्रदेशों का हिस्सा बढ़ाया जाने लगा है और इस ओर सोच शुरू होने लगी है। मुझे उम्मीद है कि जैसा इस बारे में हमारा संकल्प था वह अब पूरा होगा। पानी के बारे में फैसले होने लगे हैं। बहुत समय से ये लड़ते चले आ रहे थे। कावेरी की बात पर किसी ने कहा था कि बहुत बढ़िया बात हुई है। डी. एम. के. के नेता कह रहे थे कि बहुत बढ़िया बात हुई है।

सभापति महोदय : माननीय मंत्रियों को तो अपने विभागों के बारे में ही कहना चाहिए। अभी 22 माननीय सदस्यों की सूची है, पांच–पांच मिनट भी बोलेंगे तो बहुत समय लगेगा।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : जब ये लोग शक्ति से, सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो इनकी बांटो और राज करो की नीति रहती है। जब मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी थी तब भी उन्होंने ऐसा काम किया था। आहिस्ता–आहिस्ता चौधरी साहब को हमसे अलग कर दिया। चौधरी साहब को कहते रहे कि प्रधानमंत्री बनाएंगे लेकिन वह प्रधानमंत्री नहीं बन सके। आपने ऐसा काम उस समय किया। फिर वी.पी. सिंह के समय किया।...*(व्यवधान)* दस दिन के लिए बने तो क्या बने? चन्द्रशेखर जी चले गए हैं। उनके साथ भी यही किया। यह टॉपलिंग गेम आहिस्ता–आहिस्ता इस्तेमाल हुई। देवगौड़ा जी अभी बैठे थे। वह चले गए। देवगौड़ा जी की सरकार बना दी और मिल कर बनाई। कोई मेल नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री बनाया।...*(व्यवधान)*

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार को भाजपा ने टीपल किया था। आप इसे याद करिए

...(व्यवधान)

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : हम भी उसमें शामिल थे। हम आखिर तक मोरारजी भाई की सरकार को समर्थन देते रहे। देवगौड़ा जी की सरकार बनाई, थोड़े दिन चलाई, फिर कहा कि हमें पसन्द नहीं, उनको चलता किया, गुजराल जी को ले गए। थोड़े दिनों के बाद उनको भी चलता कर दिया। टौपलिंग गेम यह करते रहते हैं। यह स्टेट्स में भी यही कुछ करते रहे। पंजाब में भी यही कुछ किया। थोड़े से आदमी लिए, उनको सपोर्ट किया और एक नई सरकार बना दी। पंजाब में ही नहीं, जम्मू–कश्मीर में भी किया जो बहुत सैंसटिव स्टेट है। शेख अब्दुल्ला के समय में इन्होंने ऐसा काम शुरू किया। फारूख अब्दुल्ला के बहनोई को खड़ा कर दिया कि हम सपोर्ट करेंगे। उस समय फारूख अब्दुल्ला की सरकार गिरा दी। यह सरकारें ही नहीं गिराते थे, इसके साथ–साथ आतंकवाद भी लाते थे। इन्होंने जम्मू–कश्मीर और पंजाब में आतंकवाद पैदा किया। जम्मू–कश्मीर वाले चिल्ला कर कहते हैं कि वहाँ इन्होंने आतंकवाद पैदा किया। यह मिलिटैंसी लाने वाले लोग हैं। यहाँ बात हुई

[सरदार सुरजीत सिंह बरनाला]

कि यह कैसे इकट्ठे होंगे और क्या विकल्प है ? बहुत आसानी से कह दिया कि सैकुलर पार्टियां इकट्ठी हो जाएंगी। लालू जी, पहले इनकी सैकुलर की शक्ल देखिए। यह वह पार्टी है जिस ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया। जो सबसे पवित्र स्थान है, वहाँ फौज भेज दी। फौजे दूसरे देशों पर आक्रमण करने के लिए जाती हैं। अपने देश के किसी धर्म स्थल से...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. सुब्रहमण्यम स्वामी (मदरै) : बी. जे. पी. ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का समर्थन किया था।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मैं अपनी बात पर कायम हूं।

[हिन्दी]

इन्होंने गुरूद्वारे को तहस–नहस कर दिया। आप इनको कहते हैं कि सैकुलर हैं। आप इनकी बात करते हैं। मस्जिद गिराने में किस का हाथ था ? आज इस बारे में मायावती जी बता गई हैं कि मस्जिद गिराने में भी इनका हाथ था। इनका सैकुलरिज्म दिल्ली की सड़कों और बाजारों में देखा गया। तीन दिन कत्ले–आम होता रहा। आपको इस बात की चिंता होनी चाहिए। यही नहीं देश की राजधानी में जहाँ आपका राज हो, आपका प्राइम मिनिस्टर बैठा हो, तीन दिन वहाँ कत्ले–आम होते रहे, साढ़े तीन हजार लोग मारे गए, आपको इस बात की चिंता नहीं हुई। आप संसद में रैजोल्यूशन तक नहीं ला सके। वह यहीं नहीं हुआ, जगह–जगह हुआ। गाड़ियों में हुआ। जहाँ–जहाँ इनका राज था, वहाँ हुआ। आप इनको सैकुलर कहेंगे। इनकी सैकुलर शक्ल है। विकल्प क्या है ? कहते हैं कि हम से न पूछो कि विकल्प क्या है ? हम एक मिनट में फैसला कर लेंगे। यह क्या कर लेंगे ? सबसे सीनियर आदमी इन्द्रजीत जी हैं। वह चले गए हैं। किसी अखबार वाले ने उनसे पूछ लिया कि क्या विकल्प है ? उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं इसका क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा ? पापाजी को पता होगा। मैंने आज के अखबार में पढ़ा। किसी को पता नहीं क्या होगा ? यह कहते हैं कि इस सरकार को गिराना है। मैम्बर पार्लियामैंट नहीं चाहते कि इलैक्शन हों। थोड़े–थोड़े दिनों के बाद इलैक्शन होने पर देश बरबाद हो जाता है। इतना भारी बोझा पड़ता है। यही पहले कहते थे जब श्री देवगौड़ा की सरकार थी कि इलैक्शन होगा लेकिन जब श्री गुजराल की सरकार आयी तो कहा गया कि इलैक्शन नहीं होने देंगे। लेकिन आहिस्ता–आहिस्ता एम. पीज़. को अंधे कुएं की तरफ ले आये थे। अब कहते हैं कोई बात नहीं–चढ़ जा बेटा सूली पर, भली करेंगे राम। राम क्या भली करेंगे जब आप एम. पीज़. को अंधे कुएं में गिराने जा रहे हैं। आपके पास कोई विकल्प नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं। आप किसी बात पर इकट्ठे नहीं। यहाँ चार–चार लोग प्राइम मिनिस्टर बनने के लिये बैठे हुये हैं। देवगौड़ा साहब चले गये हैं, वे बन सकते थे, गुजराल साहब बढ़िया आदमी हैं लेकिन उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। इसलिये आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग दिशाहीन हैं। यह सरकार अच्छा काम कर रही है, इसको चलना चाहिये...

श्री लालू प्रसाद : आप भी उस समय मंत्री थे। अब सिर्फ आपका इस्तेमाल होता है, आपसे सलाह नहीं ली जाती है।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : जो सरकार चल रही है, बढ़िया चल रही है और चलेगी। इसका साथ दीजिये। जो प्रस्ताव यहाँ पेश किया गया है, उसको पास कराइये, मैं सारे सदन के माननीय सदस्यों से यही विनती करता हूं। ऐसा न हो कि आप सभी एम. पीज़. को आहिस्ता–आहिस्ता अंधे कुएं में धक्का दे दें।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम (शिवगंगा) : सभापति महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव पर हो रहे वाद–विवाद के बीच में एक छोटा सा हस्तेक्षप कर रहा हूं। मैंने इस वाद–विवाद के अधिकांश हिस्से को सदन में बैठकर अथवा दूरदर्शन पर सुना है और मेरा यह अनुभव है कि यह एक अवास्तविक वाद–विवाद है। इस सरकार के कार्य निष्पादन पर हो रही चर्चा में कई घंटे बीत चुके हैं। यह वाद–विवाद सरकार के प्रदर्शन के बारे में नहीं है।

00.37 बजे (17.4.99)

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

यह वाद–विवाद सिद्धान्तों के बारे में है। यह सरकार की कार्य कुशलता के बारे में नहीं है। यह वाद–विवाद सरकार के आचार के बारे में है, कि वे उन आचार संबंधी नीतियों का पालन करते है अथवा उनका उल्लंघन करते हैं। वास्तव में यह वाद–विवाद शासन के बारे में बिलकुल नहीं है। यह वाद–विवाद इस बारे में है कि कैसे सरकार की कार्यप्रणाली हास्यास्पद और अपमानजनक हो गयी है। यही कारण है कि मैं इसे जरूरी नहीं समझता कि मैं इस सरकार के पिछले 13 महीनों के रिकार्ड के बारे में विस्तार से चर्चा करूं। जब से इस सरकार ने देश की बागडोर संभाली है तब से इसने ऐसी अनेक बातें कही हैं और की हैं जिससे मैंने समझा कि ये भारत को जुरासिक युग में ले जाएंगे।

धर्मनिरपेक्षता पर सीधा प्रहार हुआ। इस देश के एक काफी सहनशील अल्पसंख्यक वर्ग को इस कदर दबाया गया कि उन्हें अपना विरोध जाहिर करने के लिए सड़क पर आना पड़ा। शिक्षा संस्थाओं पर भी आघात हुआ, जिस पर पिछले दो दिनों में काफी विस्तार से चर्चा हुई है। कानून विरोधी तत्वों को बढ़ावा मिला। उड़ीसा के अत्याचार की घटना के बाद गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी का वक्तव्य इसका एक उदाहरण है।

आर्थिक विकास के संदर्भ में 1998–99 की अवधि बेकार चली गई। वित्त मंत्री जी की उद्घोषणा के विपरीत विकास दर पांच प्रतिशत से भी कम होगी। वित्तीय घाटा 6.5 प्रतिशत से ज्यादा होगा। वास्तव में यह आठ वर्षों में सबसे बड़ा आर्थिक घाटा तथा सात वर्षों में सबसे कम विकास दर होगी।

इस सरकार की भ्रमित नीतियों के कारण आज विश्व में भारत का कोई मित्र नहीं है। भारत की सुरक्षा बढ़ाने की बजाए उन्होंने भारत की असुरक्षा बढ़ा दी है और भारत बुरी तरह से अलग–थलग पड़ गया

है। लूटपाट, कुशासन और अक्षमता की लम्बी दास्तान इस सरकार के जाने के लिए काफी है। परन्तु और भी कारण हैं। आप पिछले 13 महीने एक ऐसी पार्टी के साथ खतरे में रहे जिसके बारे में हमने आगाह किया था कि वह पार्टी समय आने पर आपको धोखा दे देगी। अब आप हमारे पास हमारा समर्थन मांगने आए हैं। पिछले 13 महीने में आपकी सहयोगी पार्टी ने आपको पूरी तरह चूस लिया। आपकी सहयोगी पार्टी ने भारत सरकार के साथ वही करना चाहा जो उन्होंने तमिलनाडु में स्वयं सत्ता में होने पर किया था। प्रत्येक नियम को तोड़ा–मरोड़ा गया। प्रत्येक तंत्र का उल्लंघन किया गया। प्रत्येक अवसर का फायदा उठाया गया। अधिकारियों को बदला गया। अभियोजकों को बदला गया। यहाँ तक कि न्यायाधीशों को बदलने की स्पष्ट कोशिश भी की गई। आपका गर्व चूर–चूर हो गया और आप एक के बाद एक अपमान झेलते रहे। आपके सहयोगी दल के दरवाजे पर आपके मंत्रियों की लम्बी कतार और बार–बार अपमान को इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। सरदार बूटा सिंह से लेकर श्री प्रमोद महाजन, श्री रामकृष्ण हेगड़े, श्री राम जेठमलानी, माननीय गृह मंत्री श्री आडवाणी जी, श्री जार्ज फर्नांडिज और श्री यशवंत सिन्हा.....*(व्यवधान)*

शहरी मामले तथा रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : श्री चिदम्बरम, कृपया अपने तथ्यों को सही करें।

श्री पी. चिदम्बरम : आप अपने सहयोगी के दरवाजे पर नहीं खड़े हुए परन्तु फिर भी आपका अपमान हुआ। मै अपनी भूल सुधारता हूं। अंत में मेरे अभिन्न मित्र श्री जसवंत सिंह जी वहाँ गए और जिन्हें विश्वासघाती भी कहा गया है। मैं एक उदाहरण देता हूं। जब प्रधानमंत्री कानून मंत्री को बदल नहीं सके तो उन्होंने कानून ही बदल दिया। कंपनी अधिनियम की धारा 370 और 372 इसका उदाहरण है। श्री राम जेठमलानी यह जानते हैं कि वह संशोधन क्यों किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कानून मंत्री नहीं बदल सके इसलिए कानून ही बदल दिया। कम से कम एक अवसर पर प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि एक मंत्री ने यह आदेश दिया कि दो करोड़ रुपए से ऊपर के किसी भी ठेके पर उनके हस्ताक्षर होने चाहिए। आपके प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं। इसकी पुष्टि के लिए आप उनसे पूछ सकते हैं। चूंकि यह सरकार खतरे में चलती रही इसलिए इसके पास हमारे समर्थन का उम्मीद करने का कोई कारण नहीं है। बी. जे. पी. में मेरा कई व्यक्तियों से परिचय है। उन्होंने मुझसे अपील की है कि मैं उसी के पक्ष में मतदान करुं जिसकी इजाजत मेरा मस्तिष्क दे। आखिर वे मेरे दिल की अपील क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वे अपराध बोध से ग्रस्त हैं और शर्मसार हैं। वे पिछले 13 महीनों के दौरान उतने ही दोषी रहे हैं जितना उनकी यह सहयोगी पार्टी।

जब कोई सरकार जाती है तो किसी अन्य सरकार को आना होगा। प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह एक बहुत ही सटीक प्रश्न पूछा था। मैंने यही प्रश्न स्वयं से किया। मेरी पार्टी ने भी यह प्रश्न पूछा है। आज सुबह जब मैंने कहा कि भावी सरकार की रूपरेखा के बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए। उस समय भी मैंने इस बात को व्यक्त किया था। यह असंगत प्रश्न नहीं है। यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिस पर हम विपक्ष वाले ध्यान न दें। हमें इसका उत्तर ईमानदारी से देना होगा।

हमें इस देश की जनता को ईमानदारी से देखना होगा और कहना होगा कि यह सरकार कब गिर रही है और आने वाली नई सरकार एक अलग तरह की सरकार होगी। हम एक सांप्रदायिक और अक्षम सरकार को बाहर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बल्कि एक वैसी सरकार को लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें एक ऐसी पार्टी शामिल होगी जिसने एक राज्य में अपने पद का दुरुपयोग किया और भारत सरकार में 13 महीनों तक सत्ता में भागीदारी करते हुए प्रत्येक तंत्र, प्रत्येक नियम और प्रत्येक प्रक्रिया का उल्लंघन किया। मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा। कांग्रेस ने जब पंचमढ़ी में घोषणा की तो इसने इस देश का उत्साह बढ़ाया, सभी कांग्रेसियों का उत्साह बढ़ाया, सभी प्रकार के लोगों का उत्साह बढ़ाया। आपने अपने लिए काफी ऊंचा स्थान बनाया और मैं कांग्रेस से आग्रह करता हूं कि वह अपने उसी उच्च स्थान पर रहे। मैं उनसे कहता हूं कि वे पिछले 13 महीनों से सबक लें; मैं उनसे कहता हूं कि वे पंचमढ़ी में अपनाए गए और उद्घोषित अपने सिद्धान्तों का पालन करते रहें। परन्तु यदि कांग्रेस और अन्य दल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल होते हैं तो हमारा दल, चाहे हम कितने भी छोटे क्यों न हो, हम अगली सरकार का भी इसी प्रकार विरोध करेंगे। हम अगली सरकार का भी विरोध करेंगे। यदि अगली सरकार विगत 13 महीनों से कोई शिक्षा नहीं लेगी तो हम उसका भी पर्दाफाश करेंगे।

हम संप्रदायिकता तथा भ्रष्टाचार दोनों को बुराई मानते हैं। ये दोनों ही बुराईयां एक समान हैं। भ्रष्टाचार भारतीय समाज के महत्वपूर्ण अंग को क्षति पहुँचाता है। साम्प्रदायिकता भारत के लोकाचार को आघात पहुँचाता है। दोनों से लड़ना होगा। हमारा दल छोटा है या बड़ा है परन्तु हमारा यह विश्वास है कि हमारे पास इन दोनों बुराईयों से लड़ने की हिम्मत है। आज हम सांप्रदायिकता को इसलिए नष्ट कर रहे हैं ताकि सरकार में भ्रष्टाचार न हो। मैं, यह बात पूर्णतः स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे। हम इस प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान देंगे। इस सरकार को गिराने के लिए हम विपक्ष का साथ देंगे। हम इस सरकार को किसी भी तरह से नहीं बचायेंगे। परन्तु इसके साथ ही मैं विपक्ष के अपने साथियों से यह अपील करता हूं कि इस सरकार के गिरने के पश्चात आप जो सरकार लायेंगे वह इससे भिन्न सरकार होनी चाहिए। यह एक ईमानदार सरकार होनी चाहिए यह ऐसी सरकार होनी चाहिए जो सांप्रदायिकता तथा भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कृत संकल्प हो तथा जो विगत तेरह महीनों में देश को हुई क्षति की भरपाई कर सके और भारत को आगे ले जा सके। भारत की जनता आपसे यही आशा करती है और मुझे भी आशा है कि आप देश की जनता को निराश नहीं करेंगे।

इन शब्दों के साथ ही मैं यह कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि मेरा दल प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये विश्वास प्रस्ताव का विरोध करेगा... *(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बीदुरई (करुर) : मैं, सभा के समक्ष एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। अभी–अभी हमारे माननीय सदस्य श्री पी. चिदम्बरम ने विधि मंत्रालय के कार्यकरण के संबंध में कतिपय आरोप लगाये हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है मैं उससे सहमत नहीं हूं। मुझे मेरी शक्तियाँ मालूम हैं। यह बात हर कोई जानता है। विधि मंत्री किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण नहीं करता है। केवल उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही उनका स्थानांतरण कर सकता है। इस सम्बन्ध में मुझे कोई अधिकार नहीं है। अतः यह आरोप लगाना पूर्णतः गलत है कि मैंने विधि मंत्री के रूप में किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण किया है।

दूसरी बात उन्होंने कम्पनी कार्य के संबंध में कहा कि हमने धारा 372 में संशोधन क्यों किया। उन्होंने यह कहा कि प्रधानमंत्री ने किसी प्रयोजनार्थ ऐसा किया।

जहाँ तक कम्पनी अधिनियम की धारा 372 में संशोधन करने का संबंध है, यही श्री चिदम्बरम, जब वित्त मंत्री थे तो इन्होंने स्वयं ही यह सुझाव दिया था। केवल उन्हीं के सुझावों के आधार पर प्रधानमंत्री ने ऐसा करने का सुझाव दिया और हम संशोधन लाये। इस का और कोई प्रयोजन नहीं है। परन्तु इन्होंने ऐसे कहा है जैसे कि यह सब कुछ मेरे हस्तक्षेप से किया गया है, जो कि गलत है।

तत्पश्चात उन्होंने ढेकों के संबंध में कुछ बातें कही हैं। मैंने अपने ही अधिकारों के तहत कार्य किया है और इसके लिए सभा में यह कहना गलत है कि ऐसा किन्हीं प्रयोजनार्थ किया गया, क्योंकि इसका कोई संबंध नहीं है। हम इसे देखें कि वे लोग कैसे कार्य करेंगे। मैं यही स्पष्टीकरण देना चाहता था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधुकर सरपोतदार :

श्री सत्यपाल जैन : वे किस प्रकार हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। यह तो शुरूआत है। वे आपको भी नहीं छोड़ेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जैन, कृपया व्यवधान न डालें।

डॉ. एम. तम्बीदुरई : मेरे रिकार्ड बिल्कुल ठीक हैं। आप देख सकते हैं।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए. वी. एस. एम. : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह सभा के शिष्टाचार के विरुद्ध है कि कोई माननीय सदस्य अपना भाषण देने के तुरंत बाद ही सभा की बैठक छोड़ कर चला जाए।। श्री चिदम्बर ने अभी–अभी अपना भाषण दिया और दो मिनट भी इन्तजार नहीं किया कि तत्काल सभा से चले गये। यह सभा के शिष्टाचार के विरुद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब कभी सभा देर तक बैठती है तो यह परिपाटी रही है।

(व्यवधान)

श्री के. नटवर सिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री महोदय को यहाँ उपस्थित होना चाहिए। शिष्टाचार की बात नहीं करनी चाहिए।

श्री मोती लाल वोरा : उपाध्यक्ष महोदय, सभा में न तो प्रधानमंत्री महोदय उपस्थित हैं और न ही गृहमंत्री। वास्तव में प्रधानमंत्री महोदय को यहाँ उपस्थित रहना चाहिए था।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए. वी. एस. एम. : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका उससे कोई संबंध नहीं है। सदस्यों के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें उन्हें करनी चाहिए और कुछ बातें ऐसी है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने जो किया है उसे कृपया उचित न ठहरायें।

श्री के. नटवर सिंह : महोदय, प्रधानमंत्री ने विश्वास मत के लिए कुछ कहा है न कि हमने...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, सभा का समय बर्बाद न करें।

मैंने श्री मधुकर सरपोतदार को बोलने की अनुमति दे दी है।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव को पेश करने वाले यहाँ उपस्थित नहीं हैं।

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : उपाध्यक्ष महोदय, विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री द्वारा पेश किया गया था। लेकिन वे यहाँ उपस्थित नहीं है। गृह मंत्री भी उपस्थित नहीं हैं...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कल एक प्रस्ताव पेश किया जो कि इस प्रकार है :

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करती है।"

मैं, अपने दल की ओर से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

कल सुबह 11 बजे से हम यहाँ बैठे हुए हैं। कृपया मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तत्पश्चात आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। बारह घंटे बैठने के बाद अभी हमारा नम्बर आया है। हमारे यहाँ ऐसी प्रैक्टिस बन रही है कि कोई भी आता है, बात करके चला जाता है। हम यह कहते हैं कि यह सभा की प्रक्रिया तथा विशेषाधिकार है। जो बात नहीं करते, वे बेचारे यहाँ बैठे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आकर डेढ़–डेढ़ घंटा बात करते हैं। उन्हें यह प्राथमिकता क्यों दी गई है ? क्यों वे पूर्व प्रधानमंत्री अथवा किसी अन्य पद पर थे। इसलिए उन्हें पर्याप्त समय मिलता है। वे बोलते हैं और चल देते हैं।

[हिन्दी]

यह पार्लियामैंट का कौन सा तरीका है, मुझे समझ में नहीं आता।. ..*(व्यवधान)* जो भी मिनिस्टर हैं, वे यहाँ पर सुबह से, परसों से भी बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वे आते हैं और चले जाते हैं, घंटों से यहाँ बैठे हुए हैं।...*(व्यवधान)* लेकिन मैंने यह भी देखा है कि आपकी तरफ से यहाँ लोग कितनी देर बैठते हैं। यदि आप टोकेंगे तो मैं भी ऐसे ही जवाब दूंगा। टोकने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने किसी को नहीं टोका है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सरपोतदार, आप सीधे ही विषय पर आइये।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : यदि कोई हमें बीच में टोका–टाकी नहीं करेगा तो मैं नहीं बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कोशिश करूंगा कि टोका–टाकी न करें। लेकिन आप उसके लिए प्रवोक मत कीजिएगा।

श्री मधुकर सरपोतदार : यहाँ जो प्रस्ताव लाया गया, उसकी वजह यह थी कि हमारा समर्थन करने वाली एक पार्टी ने इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति जी को जाकर बताया कि हम इनका समर्थन नहीं करते। यह होने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि अभी बजट सैशन चल रहा है। सब माननीय सदस्यों को इतना बढ़िया मौका था कि यदि एक कट मोशन लाते तो यहाँ सब फैसला हो जाता। लेकिन उसके पीछे राजनीति थी। यह राजनीति किसने बनाई ? यहाँ बैठे हुए श्री सुब्रह्मणयम स्वामी ने। उनका कहना है कि ये पांडवाज़ हैं और ये सब कौरवाज़ हैं। पांडव आए, यहाँ से दूसरी तरफ चले गए। मैं श्री स्वामी से पूछना चाहता हूं कि यदि ये सब कौरवाज़ हैं तो आप उसमें ही थे, तब शकुनी मामा थे, आप इनके दरम्यान थे। कौरवाज के बीच से शकुनी मामा निकल गए, उनके यहाँ जाकर पहुँचे। शकुनी मामा का क्या काम है, क्या रोल है, हमारा पूरा भारत जानता है। वह रोल अदा करने के लिए वहाँ गए। अच्छी बात है, आखिर हर इंसान अपने अपने मतलब से बंधा हुआ है। आदमी की जिन्दगी में व्यक्तिगत स्वार्थ सर्वोपरि हो गया है। डा. सुब्रह्मणयम स्वामी इसके अपवाद नहीं हैं...*(व्यवधान)* चंद्र स्वामी नहीं, सुब्रह्मणयम स्वामी।

डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी : चंद्र स्वामी तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी का दोस्त हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : हो सकते हैं। उस स्वामी और इस स्वामी में खास फर्क नहीं है, स्वामी तो है, मानना पड़ेगा। किसी न किसी को स्वामी मानकर उनके पीछे घूमते हैं।...*(व्यवधान)* मैं स्वामी नहीं हूं, मेरा किसी के पीछे घूमने का सवाल ही नहीं उठता। आज जयललिता जी ने हमसे सपोर्ट विदड्रा कर लिया। पहले दिन से जब से कोलीशन सरकार की बातचीत चल रही थी, तब से मैंने देखा, जयललिता जी यहाँ नहीं हैं, मैं इसलिए उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता क्योंकि यदि मैं कुछ बोलूंगा तो उनको जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा। ये गलतियां अन्य लोगों ने की हैं। ऐसी गलती मैं नहीं करुंगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जब हमारे यहाँ थीं, तब हमारे लोग उनके पीछे घूमते थे। स्वामी जी, आज आपकी बदौलत उनके ऊपर ऐसा प्रसंग आया है कि अब उनको हर व्यक्ति के घर–घर पहुँचना पड़ेगा, अभी प्रोसैस शुरू हो गया है। हम उनके पीछे घूमते थे और अब वे अन्य लोगों के पीछे घूमेंगे। अब यह स्टेज आ गई है क्योंकि दो दिन पहले मुझे एक स्टैटमैंट पढ़ने को मिला कि आधा दिन इंतजार करने के बावजूद मुझे कोई मिलने नहीं आया।

रात्रि 1.00 बजे

इससे भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास होता है। इसलिए यदि यह अच्छा मौका था, मैं यह समझा, स्टेटमेंट भी ऐसा आया था कि 'वे अविश्वास प्रस्ताव लाएँगे।' मैं समझा, कौन यह मूव करेगा, कांग्रेस वाले नहीं करेंगे, सी. पी. एम. वाले नहीं करेंगे, सी. पी. आई. वाले नहीं करेंगे, तो कौन करेगा। स्वामी जी सोचते थे कि स्वयं करेंगे। यदि स्वामी स्वयं करना चाहते हैं तो 50 लोगों का, एम. पीज़. का सपोर्ट मिलना चाहिए था। इनके साथ तो 18 और वे, 19 लोगों को लेकर कोई नो कॉन्फीडेंस मोशन तो मूव नहीं हो सकता था, अन्य कौन दस्तखत करेगा उसके ऊपर, टी. एम. सी. वाले करेंगे, नहीं, डी. एम. के. वाले करेंगे, बिल्कुल नहीं, फिर कौन करेगा, टी. डी. पी. वाले करेंगे, नहीं करेंगे, कांग्रेस वाले नहीं, टी. एम. सी. वाले नहीं टी. डी. पी. वाले नहीं, साउथ के अन्य कोई उनके पीछे जाने वाले नहीं हैं। यह प्रस्ताव कैसे आ पाएगा ? मैं यही सोच रहा था। आखिर उन्होंने एक नोवेल आइडिया निकाला, सब जमा होकर राष्ट्रपति जी के पास चले गये और बोला कि नहीं, उनको बोलो, उनकी तादाद कम हो गई। *उन्हें विश्वास प्रस्ताव लाने दीजिए, जबकि हमारे संविधान में और हमारे नियमों में विश्वास प्रस्ताव का कोई प्रावधान नहीं है। फिर राष्ट्रपति जी ने कहा, हमें मानना पड़ा। **हमें उनका आदर करना ही होगा, वह देश भर के मुखिया हैं। लेकिन प्रस्ताव देने वालों ने यह नहीं सोचा कि जो प्रस्ताव दे रहे हैं, यह कहाँ तक ठीक है। आप इतनी बड़ी तादाद में बहुत कॉन्फीडेंस के साथ इस हाउस में बैठे हो, मैंने सोचा कि आप स्वयं लेकर आयेंगे। नाम निकलते समय सोच रहा था, एक दिन सुब्रह्मणयम स्वामी जी का नाम निकला, स्वयं प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मैं बोला, बड़ी खुशी की बात है।

डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी : सामना में पढ़ा ?

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : नहीं, सामना में आपकी न्यूज नहीं आती है, अन्य किसी अखबार में पढ़ा। उसके बाद में जब अम्मा जी यहाँ चली आईं तो उनसे पूछा गया कि आप प्राइम मिनिस्टर बनने वाली हैं, उन्होंने इसका खण्डन नहीं किया है। इसका अर्थ यह है कि दो अर्थों के कारण हमेशा ही खबर बन जाती है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, हाफ ट्रुथ। मैं यह सोच रहा था कि ये पांडव वहाँ चले गये। अम्मा जी कुन्ती की भूमिका में वहाँ रहेंगी। बाकी इनके साथ महाभारत में सब योद्धा रहने वाले हैं, मैं सोच रहा था कि किस–किस को साथ लेंगे और द्रोपदी कौन रहेगी, यह भी थोड़ा सोच रहा था। स्वामी जी ने जरूर सोचा है, वे उसका जवाब जरूर देंगे, जब बात करेंगे तब। क्योंकि एक बार किसी को बोल देंगे, ये सब कौरव हैं, लेकिन ये आधुनिक पांडव हैं, ये पांडव नहीं है, आजकल के पांडव हैं। उनके बारे में क्या–क्या लोग बोलते हैं, आज मारन साहब ने बात कर दी, अभी चिदम्बरम साहब ने बात की और बाहर चले गये। दोनों की दोस्ती अच्छी है, एक दूसरे को क्या करना चाहते थे, बराबर कर देते हैं। यहाँ पर सब लोगों को जानकारी हो जाती है। सबसे बड़ी हमारी कौन सी बात है तो यह बात है कि ऐसी आपस में दुश्मनी होने से यहाँ आने के बाद सब कुछ निकल जाता है, वहाँ पर क्या हो रहा है, यह हमारी उपलब्धि है।

उसके बाद में यह सब सोच रहा था कि तीन साल हो गये, करीब 10 मई को हमें तीन साल हो जाएंगे, तीन साल में यह हमारी चौथी

[श्री मधुकर सरपोतदार]

सरकार है। चौथी सरकार गिराने की अभी साजिश चल रही है। यह गिराने का काम कौन कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस के दोस्त बैठे हैं, जल बिन मछली, पानी में नहीं है, सत्ता से बाहर हैं, पानी से बाहर हैं, तड़प रहे हैं और जब तक सत्ता में नहीं जाते, तब तक इस तरफ कोई भी आकर बैठेगा तो इनकी साजिश उनको गिराने की बनती रहेगी।...*(व्यवधान)* यही अक्ल है, मैं ना नहीं बोलता। यही अक्ल है, मैं इसको न नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को मानना पड़ेगा। 50 साल तक आप सत्ता में रहे, तो आपने एक ही चीज सीखी कि कैसे सत्ता में बने रहें और यदि यह नहीं होता है, कोई दूसरा आ जाता है तो उसे कैसे गिराया जाए। आपने राजनीति अच्छे ढंग से सीखी है, यह मैं मानता हूं। मैं उस समय भी बोला था कि पावर में कैसे रहना और पावर से किसी दूसरे को कैसे गिराना, यह कोई आपसे सीखे और इसके लिए आपको धन्यवाद देना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)* आप कभी सत्ता में नहीं आए इसलिए आपको मालूम नहीं है। जब इनकी सरकार कभी बनेगी तो आपको कौन सा चार्ज मिलेगा, मालूम नहीं है। रामदास आठवले जी जब आप महाराष्ट्र असेमबली में अकेले बैठते थे, ये तब समाज कल्याण मंत्री थे, मैंने उस समय शरद पवार जी को कहा था कि ये हमेशा दलितों का नाम तो जपते हैं, डा. अम्बेडकर का नाम लेते हैं, ज्योतिगा फुले का नाम लेते हैं और फिर छत्रपति शिवाजी का नाम लेते हैं, लेकिन मैंने रेखा कि जब से वह यहाँ आए हैं, उन्होंने इन तीनों महान व्यक्तियों का नाम नहीं लिया, जबकि मैं महाराष्ट्र में देखता था कि वह बराबर इनका नाम बोलते थे, मैं उनको वहाँ कहता था कि यदि आप दलितों के मसीहा हो तो रामदास जी को महाराष्ट्र का मुख्य मंत्री बना दो, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी, आठवले जी आपको याद होगा। दलितों का नाम लेकर कौन सी राजनीति की जाती है, यह आपको समझना चाहिए।

श्री रामदास आठवले : हमारी भी मांग थी कि आपको मिनिस्टर दिया जाए, लेकिन किसी ने नहीं मानी।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं जहाँ जाऊंगा वहाँ खुश रहूंगा। मेरा तो मानना है कि जहाँ काम करने का मौका मिलता है, वहाँ काम करो। यह कोई आवश्यक नहीं कि हर इनसान को मंत्री बनना चाहिए। मैंने कभी भी मांग नहीं की, आज भी नहीं करूंगा। मैं मिनिस्टरी के पीछे नहीं जाऊंगा, यदि मेरे में क्वालिटी है तो मंत्री पद मेरे पीछे आ जाएगा। ...*(व्यवधान)* नहीं आएगा तो कोई चिंता नहीं है। आप लोगों को जानकारी है कि कैसे मंत्री बनते हैं, क्योंकि आपके पास यही कोई क्वालिटी है। लेकिन रामदास जी आठवले नहीं बनेंगे, उनके पास वह क्वालिफिकेशन नहीं है।

यहाँ देवगौड़ा जी बोलकर चले गए। जब वे बात करते थे तो मैंने एक-दो बार रोका। मसला क्या था, इनता ही था कि उनका कुछ करप्शन का व्यक्तिगत मसला चल रहा था, उनके जमाने में हो गया था इनके जमाने में हो गया, न मुझे जानकारी है और न उनको जानकारी है। लेकिन एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। जार्ज साहब ने उस समय क्या कहा, उन्होंने उस समय क्या कहा, आज जार्ज साहब क्या कह रहे हैं और वे क्या कह रहे हैं, यह कहने के लिए और भागवत की बात करने के लिए उन्होंने डेढ़ घंटे तक बात की। मैं उनको कह रहा था कि आप लाग आते हैं और बात करके चले जाते हैं। उनको क्यों प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वे पूर्व में प्रधानमंत्री रहे हैं। इसी तरह से चन्द्रशेखर जी कभी आ जाते हैं, हाथ ऊपर करते हैं और चेयर पर कोई भी हो, उनको कहते हैं कि आप बोलिए और वे बोलकर चले जाते हैं। यह कोई हाउस चलाने का तरीका है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस हाउस की कंवेंशन है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री को मौका दिया जाता है।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं मानता हूं, लेकिन समय की पाबंदी भी होनी चाहिए। उनको जरूर इज्जत देनी चाहिए, कोई भी वरिष्ठ मेम्बर हो, उनको इज्जत देनी चाहिए, लेकिन कोई एम. पी. चुनकर आता है उसके मत में और इनके मत में खास फर्क नहीं है। प्राइम मिनिस्टर रहे, मिनिस्टर रहे, अच्छे सांसद रहे, इन्द्रजीत गुप्त जी हैं, सोमनाथ जी हैं, उनको पहले मौका देते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके साथ-साथ यह भी देखना चाहिए कि वे यहाँ पर बैठे और अन्य लोगों का मार्गदर्शन करें।

[अनुवाद]

श्री राम रघुनाथ चौधरी (नागौर) : आप मूल मुद्दे पर आइए. ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : हां, मैं मूल मुद्दे पर ही आ रहा हूं।

[हिन्दी]

जब बोफोर्स की बात चल रही थी, मैं सोमनाथ जी का बयान बहुत गौर से सुन रहा था, उन्होंने बहुत लम्बा बयान दे दिया, बहुत से एलिगेशन लगा दिए। मुझे जिसकी जानकारी नहीं थी वह आज जार्ज साहब ने दे दी। वहाँ कोई इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने एक एडवरटाइजमेंट भी दी, जो फॉरेन कम्पनी के लिए दी। कम्युनिस्ट राज में फॉरेन कम्पनियां आती हैं, उनके लिए सब सुविधा दी जाती है। यहाँ जो खिलाफ बात करने वाले हैं वहाँ जाकर उनकी मज़म्मत करने की भी कोशिश करते हैं, यह मुझे आज पता लगा है। जो कम्युनिस्टों की नीति है वह मेरी जानकारी से उसके खिलाफ में है। अभी कोई नई नीति बन गई होगी तो मुझे पता नहीं कि सिर्फ इनको ही बुला दो, राज चला दो। यहाँ बोलते हैं कि सब सरमाएदार हैं और वहाँ कहते हैं कि वे सरमाएदार लोग नहीं हैं, गरीबों का खून चूसते हैं।

....*(व्यवधान)* मैं यही मुद्दा उठा रहा हूं। क्या आपको इससे कोई परेशानी हुई है ?...*(व्यवधान)* आप जो बोलेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा, मेरे लिए कोई आपत्ति नहीं है। सोमनाथ दा जो बोले थे, उस समय उसकी तारीख 20 अप्रैल, 1987 है और आज की तारीख 17 अप्रैल, 1999 है। वह बोले थे :

[अनुवाद]

"जैसा कि हमने आपातकाल से पहले भी देखा था कि ऐसा सामान्य

तरीका या कार्य प्रणाली अपनाई जाती है कि अस्थिरता इत्यादि के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बातें करके लोगों का ध्यान बटाया जाये।"

ये आरोप कांग्रेस के खिलाफ श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा लगाए गए थे।

[हिन्दी]

आज क्या हो रहा है ? आज कांग्रेस पार्टी के सोमनाथ जी एडवाइजर बन गए हैं। वह कभी उठ कर उनके पास चले जाते हैं। जो प्लीडिंग करने का काम कांग्रेस वालों का है, वह सोमनाथ दा करते हैं। मुझे ताज्जुब लगता है, क्या उनके पास एक्सपर्ट नहीं हैं, आपके पास जितने एक्सपर्ट्स हैं उनसे ज्यादा उनके पास एक्सपर्ट्स हैं लेकिन दोनों के हाथ में हाथ डाल कर आगे बढ़ने की नीति बन गई है। यहाँ बेचारी ममता जी चिल्लाती हैं। इसलिए कांग्रेस का एक ग्रुप वहाँ से टूट कर कांग्रेस से बाहर निकला लेकिन वे अपने को कांग्रेस वाले समझते हैं। यहाँ हमारे कम्युनिस्ट भाई बैठे हैं, करीब 20–22 सालों से वेस्ट बंगाल में उनका राज चलता है। आज वेस्ट बंगाल की क्या उपलब्धियां हैं, ये उन्हें यहाँ बोलनी चाहिए। उन्होंने इतने साल एक स्टेट में राज किया, हमने गरीबों के लिए यह किया। मैं वेस्ट बंगाल गया था, मैं देहातों में भी गया। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहाँ हरेक की आलोचना करते हो, हमारी भी करो, यह आपका अधिकार है, लेकिन मुझे जवाब दो कि 22 सालों में वेस्ट बंगाल में देहातों में गरीबों को क्या शौचालय मिले, आपने उनके लिए पानी का प्रबंध किया।...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : आप महाराष्ट्र के बारे में बोलिए।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं महाराष्ट्र की बात करुंगा। .....*(व्यवधान)* चिन्ता मत कीजिए। बाद में मैं बिहार की बात करुंगा।. ..*(व्यवधान)* जब हम वहाँ बहुत साल तक राज करेंगे तब आप सवाल करना।...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : आपके नसीब में नहीं है।. ..*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : जब नसीब में आएगा तब देख लेंगे।. ..*(व्यवधान)* आपके जो नसीब में है, आप जो कर रहे हैं उसे दुनिया देख रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं,

[अनुवाद]

वे लगातार हमारी आलोचना करते आ रहे हैं। इसलिए जब कभी भी वे किसी सरकार की आलोचना करें तब यह आवश्यक है कि वे यह भी बताऐं कि अपने राज्य में उन्होंने क्या किया।...*(व्यवधान)* इसलिए, इन लोगों के लिए यह आवश्यक है।

[हिन्दी]

सोमनाथ बाबू बहुत सारे सवाल करते हैं इसलिए मैंने इनसे सवाल पूछा। यदि उन्होंने अच्छा काम किया तो उसके आंकड़े पेश करें कि उन्होंने यह अच्छा काम किया।

यह इनमें से एक है।

लेकिन वैसा सुनने में कभी आया नहीं है।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : एक चीज तो पश्चिम बंगाल में हुई है। भूमि–सुधार हुआ है और गरीब आदमी को पट्टे भी दे दिए गये हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : जो अच्छे काम हुए हैं उनके लिए मैं आपकी तारीफ करुंगा, लेकिन जो काम नहीं हुए हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं।

मैंने आपको धन्यवाद दिया।

यहाँ पर सोमनाथ जी की बात हुई, लेकिन वे यहाँ पर नहीं हैं। वे यहाँ पर होते हैं तो बात करने में भजा आता है।...*(व्यवधान)* जब यहाँ पर 11 जुलाई 1997 को बजट का सत्र चल रहा था, उस समय सोमनाथ चटर्जी ने कांग्रेस वालों से पूछा था :

[अनुवाद]

20 वर्षों के अपने शासन के बाद उन्होंने अपने राज्य में क्या किया है और वे अब हमारी उस सरकार की आलोचन कर रहे हैं जो केवल 13 महीने से सभा में है। श्री चटर्जी के अनुसार इसी 13 महीने में हमें सरकार चलानी है। अपने राष्ट्रीय एजेंडा की सभी मदों को पूरा कर लेना चाहिए था। उन्होंने 20 वर्षों में क्या किया ? मैं यही पूछ रहा हूं।

[हिन्दी]

क्यों ? युनाइटेड फ्रंट की जो सरकार थी उसको सपोर्ट उन्होंने विद–ड्रा कर दिया यह वजह थीं कांग्रेस वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि बजट से आपका क्या ताल्लुक है, एक कट–मोशन लाते, इतना बढ़िया मौका था वह आपने छोड़ दिया और आप राष्ट्रपति जी के पास चले गये। आप क्या डिमांउ करते हो।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा :

"अभी बजट पास होना है। अब हमें बजट पास करने के किसी नए तरीके के बारे में सोचना होगा। अध्यक्ष महोदय चिन्तित हैं। मुझे लगता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी भी चिन्तित हैं।

वह भी बजट सच था।

[हिन्दी]

प्रो. पी.जे. कुरियन : आप कांग्रेस वालों की क्यों बात कर रहे हो, अपनी बात करो।

श्री मधुकर सरपोतदार : आपको मेरे बोलने पर कोई आपत्ति तो नहीं है।

[श्री मधुकर सरपोतदार]

[अनुवाद]

उनकी क्या मांग है कि "विश्वास प्रस्ताव पारित करके हमें अपना बहुमत सिद्ध करना चाहिए।" ऐसी बात है।

[हिन्दी]

ऐसा मौका निकालकर कांग्रेस वालों की तरफ से देश के सामने कठिनाईयां पैदा करने की कोशिश होती हैं।

डॉ. शकील अहमद : आप कांग्रेस वालों की बात बार–बार क्यों करते हैं, आप अपनी बात कहिये।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं आपकी कहानी बता रहा हूं, आपके किये हुए कार्यों के बारे में बोल रहा हूं।

जब शिवशंकर जी बात कर रहे थे कुरियन जी, तब तो आपने उन्हें नहीं रोका।

डॉ. प्रभा ठाकुर : आप एक ही बात को बार–बार क्यों दोहरा रहे हो।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : बहन जी आपको क्या आपत्ति है।

[अनुवाद]

मुझे पूरा विश्वास है कि वे चिन्तित हैं। हम सभी चिन्तित हैं। "31 मई के बाद क्या होगा जब 31 मई को लेखानुदान पारित करने की समयावधि बीत जाएगी ? अगर लोक सभा भंग हो जाती है तब आप नए सिरे से लेखानुदान कैसे पारित करेंगे ? इस के बारे में कोई नहीं सोचता है।"

11 अप्रैल, 1997 को तब श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा ये प्रश्न उठाए गए थे। मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : आप इनसे कोई अनकन्विनिएंट सवाल मत पूछें।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं ज्यादा अनकन्विनिएंट सवाल नहीं करूंगा। मेरे पास बहुत मैटिरियल है लेकिन मैं पूछना नहीं चाहता।. ..*(व्यवधान)* मैंने इन्द्रजीत जी की बात को गौर से सुना। उन्होंने जो बयान दिया था मुझे लगता था कि वह उसके बारे में कुछ कहेंगे लेकिन उन्होंने नहीं कहा। राजेश पायलट जी यहाँ नहीं हैं। उन्होंने जो कहा था, मैं वही कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जो यहाँ उपस्थित नहीं हैं, आप उनके बारे में गुस्सा मत करिए। जो यहाँ बैठे हैं, उनकी बात कहें।

श्री मधुकर सरपोतदार : जो यहाँ नहीं बैठे हैं उनको कोई न कोई जाकर बता देगा। इन्द्रजीत गुप्त जी ने उस समय जो कुछ कहा था, मैं वह बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"लोग हमारे गुलाम नहीं है कि वे वह सब कुछ सुनेंगे जो हम उन्हें करने के लिए कहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग पुनः चुनाव के बारे में बहुत उत्साहित हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जनता की मनःस्थिति है जिसे वे प्रकट कर रहे हैं। भा. ज. पा. में भी मेरे कुछ मित्र हैं। मैं उनमें से कई लोगों को जानता हूं। मुझे नहीं लगता है कि वे उत्साहत या खुश हैं। लेकिन यह सामान्य बात है और इसकी आशा भी है। मुझे लगता है कि हमने देश का अहित किया है। मैं नहीं जानता कि अभी भी कुछ किया जा सकता है या नहीं। अनेक माननीय सदस्यों ने ऐसे सुझाव दिए है कि आज की कार्यवाही समाप्त होने पर मतदान के बाद यदि सरकार की हार हो जाती है, श्री देवगौड़ा को, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा। उसके बाद भविष्य क्या है ? अगर समय हो तो इस देश के भविष्य के बारे में सोचने वाले सभी लोगों को है, एक साथ बैठकर बात करके देखना चाहिए कि क्या कोई समाधान निकाला जा सकता है और समझौते के द्वारा कुछ किया जा सकता है मुझे नहीं लगता कि यह असंभव है।" इन चुनावों के बारे में भी इन्होंने कुछ कहा था। इस समय वे प्रसन्न नहीं थे। दो बार उनकी सरकार को कांग्रेस द्वारा कराया गया था। प्रारम्भ में जब देवगौड़ा ने युनाइटेड फ्रंट की सरकार का गठन किया था तब मैं विपक्ष में था, तब मैंने इन सभी लोगों को कहा था कि अगर आपको किसी को ध्यान रखना है तो वह कांग्रेस पार्टी है। उनके समर्थन वापस लेते ही आप सड़क पर आ जायेंगे। तब फिर इस देश में कोई सरकार नहीं रहेगी। हमारे देश में यह प्रवृत्ति बस गई है। क्या इस देश के लोग प्रजातंत्र के साथ ऐसे ही दृष्टिकोण की आशा करते हैं ? क्या हमारे देश में इसी प्रकार का लोकतंत्र है ? क्या प्रजातंत्र का यही अर्थ है कि हम कोई बहाना बना लें, सरकार को हटा दें, पुनः लोगों के पास जायें और चुनावों का सामना करें ? सामान्यतः, एक बार चुने जाने के बाद संसद सदस्य को पांच वर्षों के लिए संसद सदस्य रहना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : 1997 में आपने क्या किया ?

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : हम लोगों ने कुछ नहीं किया था। इन्होंने यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमैंट को निकाल दिया जबकि देवगौड़ा जी अच्छा काम कर रहे थे। वह उठ कर चले गए हैं। गुजराल जी ने भी अच्छा काम किया। मैं यह नहीं कहूंगा कि उन्होंने कोई खराब काम किया। उनकी सरकार को किस ने गिराया ? वह किस के कंधे पर बैठे थे और किस ने कंधा निकाल दिया ? यह सोचने की बात है। हमारा कंधा निकालने वाले सुब्रह्मणयम स्वामी, जयललिता को लेकर अभी आपके पास पहुँचने वाले हैं। इस आधार पर वह सरकार बनाने जा रहे हैं। उनका ये सपना मुझे नहीं लगा कि मैटिरियलाइज होने वाला है।

[अनुवाद]

...(व्यवधान) नहीं ! आप यह सपना देख रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी और सभी पार्टियां मिलकर मंत्रिमंडल में शामिल होंगी। किन्तु मुझे विश्वास है कि यह सरकार ऐसे गठजोड़ से नहीं गिराई जाएगी। आप कल परिणाम देखेंगे।

श्री पी.सी. थामस : आज ही।

श्री मधुकर सरपोतदार : बिल्कुल ठीक है। आज ही। *...(व्यवधान)* हमें कोई गलतफहमी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, मैंने वास्तव में हर किसी को सुना है। कृपया मुझे कुछ मिनट के लिए बोलने की इजाजत दें।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, वे हमारे पक्ष में बोल रहे हैं अतः इन्हें बोलने की इजाजत दी जाए।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं हमेशा श्री स्वामी के लिए प्रार्थना करता हूं। वे एक बुद्धिजीवी हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं। चूंकि वे विशेषकर स्थिति को खराब बना रहे हैं इसलिए मुझे दोबारा अपने कांग्रेस मित्रों को बताना होगा कि वे एक नेता हैं और वह उन्हें सभी अन्य लोगों के पास ले जाएंगे और तब उनका नेतृत्व करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : सरपोतदार जी, आप स्वामी को लेकर अपना समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : नहीं, मैं अपना समय नष्ट नहीं कर रहा हूं। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं श्री स्वामी इसके सूत्राधार हैं। उन्होंने जयललिता जी को मना लिया है। वे संदेश लाए हैं। वे देश में चारों ओर घूम रहे हैं। वे सोनिया जी के पास जा रहे थे। वे बसपा लोगों के पास भी गए थे। वह वहाँ पर उन्हें मनाने के लिए गए थे। मैंने उनका फोटो टी. वी. पर देखा है। वह काशी राम जी को शाल भेंट कर रहे थे। मैंने वह देखा है। उन्हें इसका खण्डन करने दो।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दोबारा फिर विषय से हटकर बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : आपको याद होगा कि हमारी हिन्दू कल्चर में नारद का रोल था।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : क्या आप अविश्वास प्रस्ताव पर श्री स्वामी के विरुद्ध बोल रहे हैं ?

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं इस देश में विद्यमान स्थिति, राजनीतिक विकास के बारे में बोल रहा हूं।

महोदय, श्री इन्द्रजीत गुप्त का एक अलग दृष्टिकोण है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : एक दृष्टिकोण ही पर्याप्त है।

श्री मधुकर सरपोतदार : उन्होंने कहा है, मैं इसे उद्धृत करता हूं :

"उस बारे में अन्ततः मैं यह कहना चहता हूं कि इन वर्षों में मेरे संसद के अनुभव में मैंने कभी भी ऐसी अजीबोगरीब बात नहीं देखी है कि समर्थक दल, जो कि लगभग पिछले 50 वर्ष से इस देश की सरकार चला चुकी है और जिसके यहाँ पर काफी संख्या में सदस्य हैं, ने इस सभा में घोषणा की कि वे धर्मनिरपेक्ष ताकतों द्वारा बनाई गई सरकार का बिना शर्त समर्थन करेगा। निसंदेह उनके पास अपना समर्थन वापस लेने का अधिकार है, परन्तु उनके पास इस सभा को अन्धेरे में रखने का अधिकार नहीं है। उन्हें हमें बताना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और उन्हें इसके तर्क देने चाहिए। वे इस प्रकार चुप नहीं बैठ सकते हैं। यह संसद की अवमानना है। इसलिए मुझे आशा है कि इतनी देरी के बाद भी कांग्रेस दल के कुछ वरिष्ठ सदस्य इस सभा को यह बताने का प्रयास करेंगे कि इस सारे घटनाक्रम के पीछे क्या राज है।"

यह वक्तव्य श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा दिया गया था। उन्हें नहीं मालूम था कि समर्थन वापस क्यों लिया गया था। श्री राजेश पायलट यहाँ नहीं है। उन्होंने सभा में कोई वक्तव्य दिया था। हम इसलिए जानते हैं क्योंकि हम यहाँ थे। श्री नटवर सिंह यहाँ नहीं हैं अतः वे इसे नहीं जानते। लेकिन श्री शिवराज पाटिल जैसे कुछ लोग इन सभी घटनाओं के बारे में जानते है।

श्री शरद पवार ने कई मुद्दे उठाए हैं। अब मैं उन पर बात करुंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : उन सबको मत उठाइये। उसके लिए समय नहीं है।

श्री मधुकर सरपोतदार : कम से कम इस समय किसी को घड़ी की ओर नहीं देखना चाहिए क्योंकि जब ये सभी सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे थे तो किसी ने घड़ी की ओर नहीं देखा, हालांकि मैं पीठासीन अधिकारी को इस बारे में याद दिलाता रहा। मैं उन्हें अपनी घड़ी दिखा रहा था। सभा में केवल तीन सदस्यों वाली पार्टी के एक माननीय सदस्य को एक घंटे से भी अधिक समय तक बोलने की इजाजत दी गई है। ऐसा क्यों हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास समय नहीं है अन्यथा हम और समय दे देते। हमारे पास अभी भी 15–20 सदस्य बोलने के लिए शेष हैं। सुबह तक ऐसा ही चलता रहेगा। कृपया इसे समझिए।

श्री मधुकर सरपोतदार : यदि आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। मैं एक भी शब्द नहीं बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह जानता हूं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

श्री मधुकर सरपोतदार : लेकिन मैं एक बात को उठाना चाहता हूं...*(व्यवधान)* मैं बात कह कर रहूंगा। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। मैं नहीं बैठूंगा।

[हिन्दी]

डॉ. प्रभा ठाकुर : उपाध्यक्ष जी, मैं केवल एक शेर कहना चाहती हूं :

जब सलीबों के करीब आने वाले हैं,

तब कायदे–कानून समझाने लगे हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : इस शेर का कुछ मतलब होता तो मैं समझ सकता। उनको पता है।

[अनुवाद]

आप इन सभी लोगों के चेहरे देख सकते हैं। वहाँ पर बैठे लोगों की संख्या देखिए। उन्हें पूरा विश्वास है कि वे हारने जा रहे हैं, वे सफल नहीं होंगे। इस कारण कोई भी यहाँ बेठना नहीं चाहता है। वे चले गए हैं।

[हिन्दी]

शरद पवार जी यहाँ पर बोले थे। हमारे देश के अंदर उद्योग, आर्थिक स्थिति, परराष्ट्र नीति, बेरोजगारी, शुगर की स्थिति, चीनी के बारे में, ईसाईयों के बारे में उन्होंने बात की थी। मैंने ईसाई और सेक्यूलर इन दो चीजों के बारे में पहले एक बार कहा था और आज भी कहना चाहता हूं। हमारे देश में हर व्यक्ति किसी न किसी जाति में पैदा होता है। जन्म लेना किसी के हाथ में नहीं है, कर्म हरेक के हाथ में है। मैं इतना ही कहूंगा कि इस सभा में एक भी व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष नहीं है। किसी न किसी मां–बाप के यहाँ जन्म लिया। मुसलमान है तो मुसलमान है, हिन्दू है तो हिन्दू है, ईसाई है तो ईसाई है, अन्य जाति में पैदा हुआ तो उस जाति का होगा। मगर उस इंसान को कर्म से पहचाना जाना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है ? धर्मनिरपेक्षता क्या है ? मैं धर्मनिरपेक्षता के बारे में बहुत कम जान पाया हूं। मुझे एक ही बात समझ में आती है कि हरेक इंसान को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन जहाँ देश का सवाल पैदा हो जाता है, तब सभी लोगों को मिलकर, इस देश को प्यार करने वाले लोगों को हाथ से हाथ मिलाकर इस देश को बचाना चाहिए।

[अनुवाद]

इसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता का कोई अन्य मतलब नहीं है। किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि यह व्यक्ति मुस्लिम है और इसलिए अल्पसंख्यक है, यह व्यक्ति ईसाई है और इसलिए इसे अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए, यह व्यक्ति नव्य बौद्धिक है और इसलिए इसे अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए। किसी को इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। हमें इन लोगों देखना चाहिए यदि इस देश में रह रहे हैं और जिन्हें इस देश से प्यार और आदर है। प्यार और आदर बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

हम लोग क्या कर रहे हैं ? आपस में झगड़ा कराने के लिए सेक्यूलर और कम्यूनल का कनसेप्ट बना रहे हैं। ईसाइयों का कुछ हो गया तो सरकार को ब्लेम करो। उड़ीसा में जो कुछ हुआ उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई संबंध नहीं है। वहाँ लोगों को जलाया गया और जो घटनाएं हुई, वैसा नहीं होना चाहिए लेकिन जो दोषी हैं, उनको पकड़ने का काम किसका था ? स्टेट गवर्नमेंट का काम था। आज तक नहीं पकड़ा।

डॉ. शकील अहमद (मधुबनी) : श्रीकृष्ण कमीशन की जो रिपोर्ट आई उसका क्या हुआ ? उसमें आपका और ठाकरे साहब का नाम है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : मैंने कहा है कि यदि वे श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं।

डॉ. शकील अहमद : श्रीकृष्ण कमीशन की रिपोर्ट है कि आप लोगों ने दंगा भड़काया है और हत्याएं करवाई हैं। उसके बारे में भी आप कुछ बोलिये। उसमें आपका नाम है सरपोतदार जी।...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : आप अगर हमें उस बारे में बोलने के लिए मजबूर करेंगे तो भी कांग्रेस को भारी पड़ेगा। मैं श्रीकृष्ण कमीशन के सामने गया था। मैं स्वयं गया था। मैंने अपना शपथ पत्र दाखिल कर दिया है। उन्होंने मुझे कभी भी साक्षी के रूप में नहीं बुलाया है।...*(व्यवधान)* आपको फैक्ट्स नहीं पता हैं तो न बोलें, मगर मैं बहस करने के लिए कभी भी तैयार हूं।

[हिन्दी]

अभी मोतीलाल जी को घड़ी की याद आ गई। मैं सुबह तक भी बात करुंगा। अभी घड़ी नहीं देखिये। पहले से घड़ी देखनी चाहिए थी। हर मेम्बर के समय में देखनी चाहिए थी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

जहाँ तक श्रीकृष्ण कमीशन रिपोर्ट का सवाल है, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मैं श्रीकृष्ण के सामने भी बहुत स्पष्ट था, मैंने उनके सामने लगभग 15 दिन उपस्थित हुआ हूं। मेरी सुनवाई और जिरह भी की गई। रिपोर्ट पूरी होने के बारे मैं श्रीकृष्ण को एक बात बताई कि मैंने आयोग को सहायता करने की दृष्टि से अपना शपथ यहीं दाखिल किया था लेकिन वे मुझे इस कारण एक अपराधी की तरह समझ रहे हैं क्या उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि वे...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, शरद पवार जी ने जो पूरा बयान दिया उसमें एक बात से मुझे ताज्जुब हुआ कि एक घंटे के बयान में उन्होंने बाबरी की बात नहीं की। हमारे दो तीन माननीय सदस्य ऐसे हैं कि जब बात करने के लिए उठते हैं तो पहले बाबरी की बात करते हैं। उसमें एक श्री शरद पवार जी हैं, श्री सोमनाथ चटर्जी हैं और अन्य लोग हैं। बिना बाबरी के मुद्दे के वे आगे नहीं बढ़ते हैं। उन्हें इतना सदमा पहुँचा है।

मैंने बाबरी के बारे में एक बार बोला था और बाबरी के बारे में मैं बार–बार बोलता हूं। हमारे देश के मुसलमान उसे भूल गये, बाबरी किसी को याद भी नहीं है। लेकिन ये लोग उसे भूलना नहीं चाहते हैं। बार–बार उसी बात को निकालते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप टाइम के बारे में भी सोचिये।

श्री मधुकर सरपोतदार : आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं। मैंने तैयारी के लिए कुछ अभ्यास किया है। मैं यहाँ परसों से बैठा हुआ हूं। पूरे दिन मैं यहाँ बैठा रहा हूं।...*(व्यवधान)* आप क्यों बैठेंगे, आप बात करिये, मैं बैठूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री के. बापीराजू : हम आपको सुनने आये हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं आपको बहुत चैन से सुनूंगा। .....*(व्यवधान)* अभी श्री देवगौड़ा जी की स्पीच के बारे में आपको बताना है, वह बात करके चले गये। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस से ताल्लुक रखती है। आज दोनों साथ में है, साथ में जाना चाहते हैं। लेकिन वही देवगौड़ा जी क्या बोले थे, वह आपको बताना जरूरी है, नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं अभी समाप्त करता हूं। अभी आप लोग वापस साथ में आ रहे हैं, उन्हें भी प्राइम मिनिस्टर बना दो, कोई बात नहीं है। एक बार देवगौड़ा जी उस समय जो कुछ बोले थे, शायद आपको याद नहीं है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें याद होगा, यह अभी–अभी हुआ है, सबको याद है।

[अनुवाद]

डॉ. शकील अहमद : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप किस नियम के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

डॉ. शकील अहमद : यह लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 356 के अंतर्गत है। नियम 356 में कहा गया है : "अध्यक्ष, ऐसे सदस्य के आचरण की ओर, जो वाद–विवाद में बार–बार असंगत बातें करे या जो स्वयं अपने प्रतर्कों की या अन्य सदस्यों द्वारा प्रयुक्त प्रतर्कों की उकता देने वाली पुनरुक्ति करता रहे, सभा का ध्यान दिला देने के बाद उस सदस्य को अपना भाषण बंद करने का निदेश दे सकेगा।"

महोदय, यह केवल मेरा अनुरोध है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सरपोतदार, कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : आप उन्हें रूल्स ठीक से समझने को कहिए, उन्हें रूल्स का मतलब समझ में नहीं आता है, कोट करते हैं और प्वांइट ऑफ आर्डर निकालते हैं। डॉ. अहमद अभी आपको बहुत कुछ सीखना है।

उपाध्यक्ष महोदय : सरपोतदार जी अब आप समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, श्री देवगौड़ा ने जो कहा था उसका उद्धरण देकर मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। ये लोग मेरी बात सुनना नहीं चाहते इसलिए मैं अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। श्री देवगौड़ा ने कहा था :

"जो लोग डराने धमकाने की राजनीति करना चाहते हैं मैं उनसे कभी नहीं डरता। बाहर से मैं शांत दिखने वाला भले ही हूं किंतु यदि मेरी लड़ाई शुरु होती है तो मैं कर्नाटक में पहले ही दिखा चुका हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। अब मैं दिखाने वाला हूं कि देवगौड़ा को संयुक्त मोर्चा का समर्थन प्राप्त है। कुछ लोग इसे तोड़ना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके टूटने पर ही वे सरकार बना सकते हैं क्योंकि वह ही एकमात्र वैकल्पिक दल है। लेकिन हम (संयुक्त मोर्चा को) टूटने नहीं देंगे।" श्री देवगौड़ा ने कांग्रेस पार्टी को यह धमकी दी थी। यह एक चुनौती थी।

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं यह जान सकता हूं कि माननीय सदस्य यह बात कौन से दस्तावेज में से पढ़ रहे हैं ?

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, अभी मैंने इस सदन में 11.4.1997 को दिए गए श्री देवगौड़ा के भाषण का एक हिस्सा पढ़ा है। जो माननीय सदस्य उस समय इस सदन में नहीं थे उनकी जानकारी के लिए मैंने इसे पढ़ा है।

श्री राम नाईक : महोदय, माननीय सदस्य कैसे बोल सकते हैं यदि उनके हर वाक्य के बाद व्यवधान किया जाता है ? आखिरकार, वे एक पार्टी के नेता हैं। माननीय सदस्यों को थोड़ा शालीन होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग डिबेट को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या तो इन्हें रिजल्ट पता लग गया है कि कुछ होने वाला नहीं है और डिबेट को लम्बा करो, आप जितना रेस्टलेस होंगे, उतना ही लम्बा करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी. शंकरन (कालीकट) : महोदय, वे श्री सोमनाथ चटर्जी के प्रत्येक वाक्य के बाद व्यवधान कर रहे थे। वे भी एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : आपको इस बात की सराहना करनी चाहिए कि मैंने उनको टोका नहीं।

श्री मोतीलाल वोरा : महोदय, यह कहना गलत है कि कांग्रेस वाद–विवाद में रुचि नहीं ले रही है। पार्टी के वरिष्ठ सदस्य वाद–विवाद में भाग लेने के इंतजार में बैठे हैं।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : अभी भी लालू यादव हाउस में नहीं हैं, थोड़ा उनके बारे में भी बोलने दें।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : रात के 1.30 बज चुके हैं। बोलने वाले के लिए कोई समय सीमा होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : अब आप उठें। लालू जी यहाँ आते हैं, बात करते हैं, मजाक करते हैं। हमारी डेमोक्रेसी के अंदर जब टेंशन हो जाती है तो कोई हंसी का वाक्य छोड़ देता है, तो वह अच्छी बात है लेकिन वे क्या बोलते हैं ?

[अनुवाद]

श्री पी.जे. कुरियन : आपको कितना समय चाहिए ?

श्री मधुकर सरपोतदार : क्या आपने पिछले दो दिनों में एक बार भी यह रुख अपनाया है ?

प्रो. पी.जे. कुरियन : आपको पता होना चाहिए कि अब रात के दो बज चुके हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : यह मेरी गलती नही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें और अब अपना भाषण समाप्त करें।

यहाँ बात करते हुए लालू जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था उनकी पत्नी बिहार की सुपुत्री हैं और मैंने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है। मैं लालू जी से पूछना चाहता हूं, वे हाउस में नहीं हैं, नहीं तो मैं उनके सामने पूछता।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हमने पहले कहा था कि जो यहाँ नहीं है, उसके बारे में मत बोलिये।...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : यह मेरी गलती नहीं है।

बिहार की क्या हालत कर दी ? फातमी साहब वहाँ बैठे हैं। मैंने कहा था कि मैं बाद में बिहार के बारे में जवाब दूंगा। उन्होंने बिहार की यह हालत बनाकर रखी है, 11 साल से उनका राज वहाँ पर है। 11 साल में पूरे बिहार का सत्यानाश कर दिया। बिहार में कोई रोजी–रोटी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, पीने के पानी का प्रबंध नहीं है, गरीबों को कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। इसके अलावा यहाँ से जो पैसा वहाँ जाता है उसका भी मिसयूज होता है। कभी–भी उस पैसे का यूज नहीं किया जाता है। दलितों की वहाँ पर हत्या की जाती है। वहाँ हर किस्म की बात है फिर भी ये यहाँ आकर कहते हैं कि यहाँ ठीक नहीं है। श्री मुलायम सिंह जी हमारे फ्रैंड हैं लेकिन उनकी हालत आज ऐसी है कि न घर का न घाट का। अगर ये उस तरफ जायेंगे तो कांग्रेस वाले काटेंगे और इस तरफ जायेंगे तो सी. पी. आई. वाले काटेंगे। ये जो फ्रैंड बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में मेरा इतना ही सवाल है कि इस फ्रैंड से क्या होने वाला है और कितने दिन यह फ्रैंडशिप चलने वाली है ? मुझे लगता है कि कांग्रेस वालों की नीति है कि उसे फ्रैंड बना लो और चंद महीने के बाद गिरा दो और चुनाव डिक्लेयर करो। चुनाव एक खेल बनने जा रहा है। देश की पूरी जनता इस बात का ख्याल जरूरी करे।

कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। और क्या चाहिए। पूरे देश की जनता देख रही है कि कौन सा खेल यह कांग्रेस वाले अपने साथियों को लेकर खेल रहे हैं। वे इस देश की जिन्दगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। यह खेल अच्छा नहीं है। कॉमन मैन के लिए हमारे पास क्या प्रोग्राम है ? गरीब जनता की हम कौन सी देखभाल कर सकते हैं ? अनइम्पलायमैंट का इलाज क्या है ? यहाँ पर कल संगमा जी खड़े होकर कह रहे थे कि दि कोरम ऑफ दी पार्लियामैंट, तीन बार नहीं चार बार संगमा जी ने आसन पर बैठकर कहा था। "केवल इस सदन के अन्दर अनुशासनहीन गतिविधियों के कारण मुझे इस कुर्सी पर बैठने में शर्म महसूस हो रही है।" यदि ऐसी बात थी तो मैं संगमा जी से पूछना चाहता हूं कि स्पैशल सैशन हो गया, स्पैशल सैशन के बाद एक रैजोल्यूशन पास हो गया और उस रैजोल्यूशन के दौरान पहला रैजोल्यूशन यह था कि कोई भी वेल में नहीं आएगा। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि वेल में आने का रिकार्ड किसने ब्रेक किया ? उस पर श्री शरद पवार के दस्तखत हैं और उस समय के जो मैम्बर थे, उन सबके दस्तखत थे। आप सबसे पहले कानून तोड़ते हैं और वेल में आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ऑवर सस्पैंड नहीं करेंगे, ऐसा प्रस्ताव मंजूर कर दिया। पहला क्वेश्चन ऑवर सस्पैंड करने का नोटिस किसने दिया, कांग्रेस वालों ने दिया। आज बुबह सदन में 100 करोड़ रुपये की बात की गई। मैं सोनिया जी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि सोनिया जी यहाँ पर नही हैं मैं समझ सकता हूं लेकिन उनको यह पता नहीं लगा कि आपने गुस्सा क्यों किया ? कांग्रेस वाले केवल 100 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार कर सकते हैं ? हजारों करोड़ रुपये बोलते तो कुछ इज्जत होती। 100 करोड़ की बात होती है, पूरा रिकार्ड खोलकर देख लें। आप सुखराम जी का नाम लेते हैं। यह कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। यूरिया की बात ले लें, कितना बड़ा घोटाला है। बोफोर्स की बात देखें जो सौ करोड़ रुपये के अंदर था। एक हजार करोड़ रुपये से नीचे कोई बात करते ही नहीं हैं यानी इतनी छोटी रकम के लिए कोई भ्रष्टाचार करेगा, इस बात पर किसी को भरोसा नहीं है। यदि भ्रष्टाचार करना है तो बहुत बड़ी तादाद में रकम लूट लो, बाद में बोलो कि आप कमीशन बिठाएं, जे. पी. सी. बिठाएं, सब कुछ करें, यह ठीक नहीं है। आपको, हमको और सबको देश को आगे बढ़ाना है और यदि देश को आगे बढ़ाना है तो

मैं जानता हूं कि काफी अच्छे लोग भी हैं। कांग्रेस पार्टी में मैं प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। वे बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन घुटने टेकने से काम आगे नहीं बढ़ेगा। 'परदेसियों से न अखियां मिलाना' मुझे यह गाना याद आ रहा है। ये अखियां मिलाने का जो काम चल

रहा है, वह भी परदेसी से मेरी कांग्रेस वालों से हम्बल रिक्वैस्ट है कि देश को आगे ले जाने की कोशिश करें। हम हर अच्छे काम के लिए आपके साथ रहेंगे, रहे भी हैं, आपके साथ जो काम करना था वह काम करके बताया है। लेकिन आपका रास्ता गलत हो रहा है। किसको साथ ले जा रहे हैं, उसकी तलाश करें और जिनको हाथ में हाथ बढ़ाकर आगे ले जाएंगे, उनको धोखा नहीं देना। यदि आप धोखा देते हैं तो इससे देश को धोखा होता है, यदि देश को धोखा होता है तो जनता को धोखा होता है और जनता यह धोखा कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। साथ ही मैंने पहले भी कहा और दुबारा कहता हूं कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामदास आठवले : उपाध्यक्ष महोदय, हमको बोलने का मौका कब मिलेगा। दो बजने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी समय मिलेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी मौका मिलेगा।

श्री नटवर सिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सुबह के पौने दो बज चुके हैं और श्री इंद्रजीत गुप्त, श्री पी. चिदम्बरम, श्री संगमा और श्री शरद पवार जैसे प्रतिष्ठित सदस्यों ने इस सरकार के खराब प्रदर्शन के बारे में काफी कुछ बोला है और इसे गिराने के लिए काफी अच्छा प्रयास किया है।

मुझे लगता है कि श्री इंद्रजीत गुप्ता जी का भाषण हाल के वर्षों में संसद के अन्दर दिए गये भाषणों में सबसे बढ़िया भाषण था। जब वे बोल रहे थे तो मैंने *गठबंधन सरकार* के मंत्रियों को अपनी कुर्सियों में कसमसाते हुए देखा क्योंकि वे किसी भी बात का उत्तर नहीं दे सके।

एक माननीय सदस्य : प्रधानमंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री नटवर सिंह : वे संभवतः कल हमेशा के लिए सदन से चले जाएंगे।

उन्होंने अपने एजेण्डे में यह वादा किया था कि वे एक स्थिर सरकार और कुशल नेतृत्व प्रदान करेंगे। हम आपको बताएंगे कि स्थायित्व क्या है। हमने केन्द्र में 42 साल तक शासन किया; आपने 13 दिनों तक शासन किया और यह सिद्धान्त बनाया कि आप किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। श्री संगमा ने पिछले वर्ष एक भविष्यवाणी की थी। तेरह महीने पहले क्या हुआ। अठारह अलग-अलग पार्टियां जिनकी एक भी बात समान नहीं थी, मिल गईं और एक अस्थिर वाली सरकार बन गई। आपका प्रदर्शन इतना खराब रहा कि आपकी स्थिति दयनीय हो गई है। आप इस बात को जानते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम इतिहास में एक महान नेता और राजनीतिज्ञ के रूप में लिखा जाता यदि वे भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने होते क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वे पूरी तरह असफल रहे हैं। उनकी अकुशलता के बारे में मैं बाद में बोलूंगा।

सबसे पहले हम एक स्थिर और सक्षम सरकार के बारे में बात करें।

उनका स्थायित्व हमने अभी-अभी देखा है। वे पिछले 13 महीनों से दैनिक मजदूरों की भांति रह रहे हैं। अब हम उनकी योग्यता देखेंगे।

वे एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 45 वर्षों तक संसद में रहे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने मई में अमरीका के राष्ट्रपति को यह स्पष्टीकरण देने के लिए पत्र लिखा कि पोखरण-II परीक्षण क्यों किए गए। 1995-96 में जब चीन ने विस्फोट किया तो वहाँ के राष्ट्रपति ने तो श्री क्लिंटन को नहीं लिखा; फ्रांस के राष्ट्रपति ने तो श्री क्लिंटन को यह बताने के लिए पत्र नहीं लिखा कि उन्हें जर्मनी से खतरा है, अथवा चीन ने यह नहीं कहा कि उन्हें रूस से खतरा है। परन्तु श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सभा का विषेश सत्र बुलाने की बजाए श्री क्लिंटन को पत्र लिखा। वह स्पष्टीकरण देने के लिए सभा के प्रति जिम्मेदार हैं न कि श्री क्लिंटन के और उन्होंने श्री क्लिंटन को क्या लिखा ? मैं चाहता हूं कि वे आएं और यहाँ बैठें। उन्होंने उस पत्र पर हस्ताक्षर किया जिसमें दो देशों के नाम थे।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : आपके नेता ने तो अमेरिका के दबाव में परीक्षण नहीं किया, जिस नेता की बात आप करते हैं। .....*(व्यवधान)*

श्री के. नटवर सिंह : देखिये, मैंने आपके किसी भी बोलने वाले को इण्टरप्ट नहीं किया। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भाई साहब, जरा सब्र तो रखिये, जरा आगे-आगे देखिये, होता है क्या। अभी तो इब्दिता-ए-इश्क है तो है क्या, बताऊंगा आपको। भाईजान, आप को पता नहीं, यहाँ कब आये, हमारी तो इसमें जिंदगी कट गई, जरा सुन लो। हम तो आज तक सीख रहे हैं, आप सीखने को तैयार नहीं हैं तो मैं या करूं।

प्राइम मिनिस्टर साहब पत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि साहब हमें खतरा है, एक मुल्क से न्यूक्लियर का, दूसरे मुल्क से न्यूक्लियर का, कमाल है भाई।

[अनुवाद]

यदि उन्हें लिखना ही था तो उन्हें श्री क्लिंटन को यह लिखना चाहिए था कि जिस प्रकार फ्रांस और चीन ने सम्प्रभु और स्वतंत्र देश के रूप में अपनी परमाणु क्षमता को अद्यतन रखने के लिए परमाणु बमों का विस्फोट किया, उसी प्रकार यह भारत का सम्प्रभु अधिकार है कि वह अपनी परमाणु प्रौद्योगिकी को अद्यतन रखे। इसलिए, खतरों की कहानी मत बनाएं क्योंकि कोई खतरा है ही नहीं और इन 13 महीनों में कुछ भी साबित नहीं हुआ है। क्या चीनी सेनाएं अरुणाचल में प्रवेश कर गईं ? क्या पाकिस्तानी सेना अमृतसर में प्रवेश कर गई ?

यहीं श्री अटल बिहारी वाजपेयी की योग्यता है। मैं यहाँ उनकी

[श्री के. नटवर सिंह]

प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। यह एक अलग बात है कि वे एक अच्छे आदमी हैं। हम एक प्रधानमंत्री के रूप में उनका और उनके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन कर रहे हैं। अभियोग काफी गंभीर है और इसे सभी तरफ स्पष्ट तौर पर लगाया गया है।

वित्त मंत्री काफी उत्साहित होकर बोल रहे थे कि वे तीन और बजट पेश करेंगे। मेरे मित्र श्री यशवंत सिन्हा एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और उन्हें ऐसे अमर्यादित वक्तव्य देने से पूर्व भली–भांति सोचना चाहिए। वे यह कैसे जान सकते हैं कि कल क्या होने वाला है ? जब भारत के प्रधानमंत्री संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को पत्र में लिखते है कि भारत को चीन और पाकिस्तान से परमाणु युद्ध का खतरा है तो कौन इस देश में पैसा लगाएगा ? डा. मुरली मनोहर जोशी कृपया मुझे जवाब दीजिए आप यहाँ पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से उपस्थिति हैं।

[हिन्दी]

अगर आप खुद कह रहे हैं कि हमारी दुकान में आग लग रही है तो आपके यहाँ खरीदने कौन आएगा, आपके यहाँ पैसा कौन लगाएगा। यह तो बड़ी मोटी बात है।

[अनुवाद]

हर दिन वह कहते हैं कि कांग्रेस सत्ता की भूखी है। हम ऐसे नहीं हैं। आप सत्ता के भूखे हैं। हमने 42 वर्ष शासन किया है और यह कहना कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है तथ्यों को नकारना है क्योंकि वे जानते हैं कि 1947 में क्या था और कांग्रेस के 42 वर्ष के शासन में क्या हुआ। श्री यशवंत सिन्हा 1991 में शुरू हुए सुधारों का श्रेय ले रहे हैं।

अतः कृपया हम देखें कि इन योग्य सरकार ने विदेशी मामलों में क्या किया है क्योंकि बाकी सभी मामलों को श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बहुत अच्छी तरह से किया है।

शासन का उनका एजेंडा कहता है :

"इसलिए, हम विपक्षी दलों और समाज के सभी वर्गों को वार्त्ता में शामिल करके राष्ट्र के सामने सभी प्रमुख मामलों पर राष्ट्रीय आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगे, हम शासन के आम सहमति वाले तरीके की भी कोशिश करेंगे।"

इस सरकार के महान राजनयिक श्री जसवन्त सिंह उनसे बातचीत करते रहे हैं जिन्हें वे 'मेरा मित्र स्ट्रोब टालवोट' कहते हैं। टालवोट ने उनहें नहीं कहा 'मेरा मित्र जसवन्त;। मैंने विदेशी मामलों में उनका लेख पढ़ा है। वे भारत की एक भी बात नहीं माने हैं। बातचीत के आठ दौर चले हैं लेकिन हमें नहीं बताया गया कि उसका क्या परिणाम निकला। सरकार कहती है कि इस पर आमराय है लेकिन यह सत्ता में आने के छह सप्ताह बाद आमराय समाप्त कर लेती है। विदेश नीति पर 50 वर्षोंसे विद्यमान आमराय को इस प्रधानमंत्री और इसकी सरकार ने 11 तथा 13 मई को ध्वस्त कर दिया। विपक्ष के नेताओं अथवा सभा का विशेष सत्र बुलाने की बजाय उन्होंने संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति को लिखा।

[हिन्दी]

सफाई देने के लिए कि साहब हमने इसलिए कर दिया, हम क्या करें।

[अनुवाद]

और क्लिंटन ने पत्र प्रैस को बता दिया। अगले दिन चीन वाले कहते हैं कि श्री राजीव गांधी की यात्रा के बाद पिछले 10 वर्ष से भारत के साथ संबंध सुधर रहे हैं। सीमा पर कोई तनाव नहीं है। व्यापार में वृद्धि हुई है। आदान–प्रदान में वृद्धि हुई है। पिछली बार मैंने प्रधानमंत्री से बहुत आदर सहित पूछा, सबसे पहले उस पत्र का मसौदा किसने तैयार किया और उन्होंने उस पर इस्ताक्षर क्यों किए। यदि वो इतने योग्य हैं तो उन्हें इसे पढ़ लेना चाहिए था। यदि उन्होंने इसे पढ़ा होता तो उन्होंने इस पर हस्ताक्षर न किए होते। उन्होंने इस पर हस्ताक्षर इसलिए किए क्योंकि उन्होंने इसे पढ़ा नहीं था। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उनकी इतनी अधिक योग्यता के लिए।

[हिन्दी]

बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। उनके मंत्रियों का तो कहना ही क्या, कल होम मिनिस्टर आडवाणी जी ने मेरा नाम लिया, उनको धन्यवाद देता हूं कि नटवर सिंह जी ने क्या कहा, मैंने लास्ट ईयर स्पीच में कहा कि आपकी इस करतूत से क्या होगा।

[अनुवाद]

कश्मीर मुख्य मुद्दा बन जाएगा। सितम्बर, 1965 से, जब सरदार स्वर्ण सिंह सुरक्षा परिषद का बहिष्कार करके बाहर आ गए थे, 5 जून, 1998 तक कश्मीर पर कभी भी सुरक्षा परिषद में चर्चा नहीं हुई। इस सरकार के गठन के बाद पहली बार सुरक्षा परिषद में हमारी आलोचना हुई। एक भी सदस्य हमारे पक्ष में नहीं बोला। यह इस सरकार की उपलब्धि है। जी–8 ने हमारी आलोचना की। 'नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी सेंटिनरी' में अपने भाषण में श्री क्लिंटन ने कहा, जब भारत और पाकिसतन, जम्मू और कश्मीर पर चर्चा करें तो चीन वहाँ पर उपस्थित हो। यह महान उपलब्धि है। अब भारत के एक कैबिनेट मंत्री श्री स्ट्रोब टॉल्बोट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, के साथ बैठक कर रहे हैं। मैंने विदेश सेवा, प्रोटोकोल मामलों में 31½ वर्ष बिताए हैं। श्री टॉल्बोट पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ वे विदेश सचिव से बात करते हैं, जो सिवेल अधिकारी हैं, लेकिन भारत में वे श्री जसवन्त सिंह से बातें करते हैं जो कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष होते हुए भी कैबिनेट स्तर के हैं तथा अब वे पूर्णतौर पर कैबिनेट मंत्री हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री ब्रजेश मिश्र से बातचीत करने को क्यों नहीं कह सकते हैं ? वे श्री जसवंत सिंह से अच्छा कार्य कर सकते हैं। हम जानना चाहते हैं कि विदेशी मामलों संबंधी प्रॉटोकॉल में ऐसा क्यों होने दिया गया। अगली बार जब हम कार्यालय जाएं, यदि श्री टॉल्बोट आते हैं तो उन्हें विदेश सचिव से मिलना पड़ेगा। यह बातें महत्वपूर्ण हैं। वे ऐसी बातें चीन के साथ नहीं करेंगे।

रात्रि 2.00 बजे

उन्होंने इस कमजोर सरकार के होते हुए ऐसा करने की कोशिश की । उन्होंने ऐसा हमारे साथ न किया होता।

पिछले वर्ष मैंने श्री आडवाणी जी से पूछा था कि क्या आप जानते हैं कि तत्परता और सक्रियता का क्या अभिप्राय है ? आपने 13 महीनों में इसका पालन क्यों नहीं किया ? क्योंकि इसके परिणाम बहुत गंभीर होते। भाजपा सदस्य कहते हैं कि वे दूसरे सरदार पटेल हैं। हम बहुत खुश हैं कि आप कांग्रेसजनों की तरह बनना चाहते हैं। सरदार पटेल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य नहीं थे। वे कभी भी जनसंघ के सदस्य नहीं थे। उस समय जनसंघ अस्तित्व में भी नहीं आया था क्योंकि सरदार पटेल 15 दिसम्बर, 1950 को गुजर गए थे तथा जनसंघ का जन्म 1951 में हुआ। सरदार पटले शिव सेना प्रमुख से बातचीत करने मुम्बई न गए होते। उन्होंने उसे यहाँ भेजा होता और प्रमुख यहाँ आया होता। आडवाणी जी अगर दूसरे सरदार पटेल हैं तो कृपया हिम्मत रखें।

एक और छोटे मियां हैं श्री जार्ज फर्नान्डीज जो कि इधर से उधर पाला बदलने में ज्यादा माहिर हैं। उनका कहना है : "सबसे बड़ा खतरा चीन से है।" आश्चर्यजनक। एक मिनट में इस व्यक्ति ने भारत–चीन संबंधों पर किए गए दस वर्ष के कठिन परिश्रम पर पानी फेर दिया। मैं हाल ही में चीन गया था। मैं वहाँ पर कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल के साथ गया था तथा वहाँ पर मैंने अपने चीनी मित्रों के साथ बातचीत की। मैं एक भारतीय होने के नाते आपकी सरकार के बारे में बोला, आप जानते हैं क्योंकि राजदूत ने इस बारे में बताया था। उन्होंने कहा : "हम जानने चाहते हैं कि हम आपके लिए कहाँ खतरा बने हैं।" इसका कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने इसको दोहराया और प्रधानमंत्री ने उनसे स्पष्टीकरण नहीं मांगा। प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि आप बिना वजह मत बोलिए। क्यों ? ऐसा इसलिए क्योंकि रक्षा मंत्री ने कहा था कि वह उनकी सरकार गिरा देंगे। यह सिद्धान्तों वाली सरकार है; नैतिकता वाली सरकार है। आप यह भी नहीं जानते कि इन शब्दों का क्या अर्थ है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : इनको डिक्शनरी दिखा दो।...*(व्यवधान)*

श्री के. नटवर सिंह : डिक्शनरी के लिए पहले पढ़ तो लें। डिक्शनरी पढ़ने के लिए भी कुछ कलाम और ईल्म चाहिए।

[अनुवाद]

पहली बार भारत पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। उसके बाद विश्व बैंक आपको 150 मिलियन डॉलर देता है और आप खुशी से नाचने लगते हैं।

[हिन्दी]

अरे चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ। हिन्दुस्तान 150 मिलियन डालर का है, क्या हिन्दुस्तान की कोई कीमत नहीं है। उसको कोई नहीं खरीद सकता। उनसे कहिए अपने आप डालरों को रख लीजिए।

आप सी. टी. बी. टी. पर साइन करने के लिए तैयार हो गए, आप बगैर हमारी कंसेंसस के करिए तो सही। आप हमें बताएं कि क्या कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी जवाब दें कि आपने सी. टी. बी. टी. के लिए कैसे कहा है कि हम सितम्बर तक साइन कर लेंगे। यहाँ माननीय सदस्य बोल रहे थे कि मई, जून तक साइन हो जाएंगे, इस हाउस की सहमति के बगैर साइन नहीं होंगे। हम भी चाहेंगे कि सी. टी. बी. टी. पर साइन कर दें, हम चाहते हैं कोई एटम बम न हो। राजीव गांधी जी ने कह रखा है :

[अनुवाद]

सी. टी. बी. टी. अप्रसार के बारे में है न कि परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में। यदि आप अन्तर नहीं जानते तो आप विदेशी मामलों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हमारी नीति प्रत्यक्ष तौर पर समयबद्ध परमाणु निरस्त्रीकरण से संबद्ध अप्रसार की रही है और रहेगी जैसा कि राजीव गांधी ने अपनी कार्ययोजना में उल्लिखित किया था। यह वास्तविकता है। इस बारे में श्री टॉल्बोट के साथ बातचीत कीजिए। मैंने 'फारन अफेयरस' पत्रिका में उनके लेख बहुत ध्यानपूर्वक पढ़े हैं। उन्होंने इस सरकार के लिए जरा सी भी गुंजाईश नहीं छोड़ी है और उनका ऐसा इरादा भी नहीं है। श्री इन्डरफर्थ एक बात कहते हैं और सुश्री मेडलीन अलब्राईट दूसरी बात कहती हैं तथा विदेश मंत्री यहाँ आकर कहते हैं कि नहीं, जो उन्होंने पहले कहा था वह उस पर कायम है। हमें देखना है आप क्या करते हैं। आप कल अथवा परसों शायद यहाँ न हों।

अब हम अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पोखरण है। मैंने पिछले वर्ष अपने विचार व्यक्त कर दिए थे और मैं फिर वही सब कहूंगा। 50 वर्ष से हम हर तरह से पाकिस्तान से आगे रहे हैं। 28 मई, 1998 को पाकिस्तान ने परमाणु क्षेत्र में हमारी बराबरी कर ली। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के सामने 'पहले हमला न करने' का प्रस्ताव रखा। वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि यदि वे ऐसा करते हैं तो परम्परागत हथियारों में असमानता फिर से सामने आ जाएगी तथा इसे वे पोखरण के बाद और अधिक स्वीकार नहीं करेंगे। परम्परागत हथियारों में हमारा वर्चस्व अब प्रासंगिक नहीं है जैसा कि 50 वर्ष तक रहा है।

अतः यदि सरकार ने अधिक विवेक, दक्षता और दूरदृष्टि से काम लिया होता तो परिणाम कुछ और ही होते।

बस यात्रा की बात लें। मिनार–ए–पाकिस्तान की उनकी यात्रा को एक प्रकार के अजूबे का नाम दिया गया। वास्तव में मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि किसी पाकिस्तानी कट्टरपंथी ने उस क्षेत्र को पानी के साथ धोया क्योंकि उसने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने उसकी परिक्रमा की थी।

चूंकि अब पाकिस्तान और भारत, दोनों परमाणु शक्तियां हैं इसलिए अब हमें एक स्वर में इन पी–5 परमाणु शक्तियों से बात करनी चाहिए जो अपना परमाणु एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं।

[श्री के. नटवर सिंह]

इन्होंने सारे नियम तोड़े हैं। हमने कोई नियम नहीं तोड़ा है फिर भी हम पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए जा रहे हैं। हम सी. टी. बी. टी. पर उनसे क्यों बात करें ? यह देश सी. टी. बी. टी. पर किसी से क्यों बात करे ? यह बात मेरी समझ में नहीं आती। हमारा देश स्वतन्त्र प्रमुसत्ता–सम्पन्न देश है। निरस्त्रीकरण संबंधी सम्मेलन में हम अपना दृष्टिकोण बता सकते हैं। आप संयुक्त राष्ट्र में अपना दृष्टिकोण बता सकते हैं। यह बातचीत किसलिए हो रही है। बातचीत का आठवां दौर पूरा हो चुका है कोई परिणाम नहीं निकला है। अगर आपके पास दूरदृष्टि और कल्पनाशक्ति होती तो आपने पाकिस्तान से कहा होता, "आओ एक साथ बैठे और साझा परमाणु नीति बनाएं।" नहीं, ऐसा नहीं किया गया क्योंकि आपको अनुभव नहीं है और आप सीखने के इच्छुक नहीं हैं। आप आम सहमति की बातें करते हैं। आप हमसे परामर्श कर सकते थे। हम भी आप सब की तरह देशभक्त हैं। लेकिन संसद को विश्वास में लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

प्रधानमंत्री न्यूयार्क गए। मैं विदेश मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जब वह दस दिन न्यूयार्क में रहे तो उन्होंने किससे भेंट की। जिस दिन श्री वाजपेयी वहाँ पहुँचे उसी दिन श्री क्लिंटन वहाँ से चले गए। जब श्री वाजपेयी वहाँ थे तब सुश्री मेडलीन अल्ब्राइट दस दिन वहीं थीं किंतु वह उनसे नहीं मिलीं। श्री चंदन मित्रा जो भा. ज. पा. के आलोचक नहीं हैं, उन्होंने भी लिखा था कि भारत के प्रधानमंत्री वहाँ छुट्टियां मनाने गए थे। क्योंकि कुछ छोटे देशों के नेताओं के अलावा किसी ने भी श्री वाजपेयी से मुलाकात नहीं की।

अब अमेरिकी हमसे पूछ रहे हैं, कि "कृपया हमें अपनी न्यूनतम निवारक आवश्यकता बताएं।" वह हमसे पूछने वाले कौन होते हैं ? क्या हम उन्हें स्पष्टीकरण देंगे ? इसलिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी कल इस सदन को विश्वास में लें और हमें बताएं कि वार्ता के आठवें दौर में विदेश मंत्री महोदय और संयुक्त राज्य के मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के बीच क्या चर्चा हुई थी और यदि वे सी. टी. बी. टी. पर हस्ताक्षर करने पर सहमत हुए थे तो किन शर्तों पर। हमें इसकी जानकारी दीजिए। यदि आप सहमत नहीं हुए हैं तो ऐसा कहिए। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि चीन ने सी. टी. बी. टी. का अनुसमर्थन नहीं किया है। रूस और अमरीका ने इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। ह्वाइट हाउस ने छह शर्तें लगाई हैं और जब तक वे पूरी नहीं हो जातीं, वे सी. टी. बी. टी. का अनुसमर्थन नहीं करेंगे। लेकिन हम पर अनुचित दबाव डाला जा रहा है, प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, सुरक्षा परिषद में निंदा की जा रही है और कश्मीर को प्रमुख मुद्दा बनाया गया है और 33 साल बाद हमसे सी. टी. बी. टी. पर बिना शर्त हस्ताक्षर करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि सी. टी. बी. टी. को संशोधित नहीं किया जा सकता।

हम भी परमाणु अप्रसार चाहते हैं। हम भी परमाणु निरस्त्रीकरण चाहते हैं किंतु जब तक हमें सही यह पता न हो कि हम किस चीज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं हम जबरदस्ती सी. टी. बी. टी. पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। आपको सितम्बर तक हस्ताक्षर नहीं करने है और सितम्बर में भी आपको हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आप मार्च, 2000 तक जा सकते हैं। संसद को इन सभी तथ्यों के बारे में नहीं बताया गया है।

मैं लगभग 20 वर्ष पूर्व पाकिस्तान में भारत का राजदूत था। इसलिए पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ौसी जैसे और मित्रतापूर्ण संबंध रखने में मेरा निहित स्वार्थ है। मैं पूछना चाहता हूं कि बस यात्रा की सही और ठोस उपलब्धि क्या रही है ? श्री वाजपेयी की पाकिस्तान से वापसी के बाद श्री नवाज शरीफ द्वारा दिए गये भाषण हमने पढ़े हैं और यह स्पष्ट है कि खुशफहमी पूरी तरह इकतरफा है। यह सरकार बस यात्रा को बड़ी उपलब्धि कह रही है। उन्होंने क्या उपलब्धि प्राप्त की ? वे भाषण में निपुण है। वह बहुत ही वाकपटु हैं। उन्होंने लाहौर में बहुत अच्छा भाषण दिया।

[हिन्दी]

श्री देवजी भाई जे. टंडेल (दमन और दीव) : आप क्या बात कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री के. नटवर सिंह : मैंने किसी की बात में दखल नहीं दिया। लाहौर में, वह लफ्फाजी आतिशबाजी की तरह असमान में गूंजी और दो ही सेकेंड में राख और धूल की तरह जमीन पर आ गिरे क्योंकि कोई ठोस और वास्तविक उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। हम ठोस परिणामों की जानकारी चाहते हैं। हम भी पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्ध रखना चाहते हैं। स्व. श्री राजीव गांधी एक नहीं दो बार पाकिस्तान गए थे।

[हिन्दी]

श्री देवजी भाई जे. टंडेल : आप सो रहे थे।

श्री के. नटवर सिंह : हम सो नहीं रहे थे। ऐसी बात नहीं है कि हमने इस क्षेत्र में कुछ नहीं किया। हमने अच्छी विदेश नीति बनाई और इसी में जागे। पता नहीं इसमें आपको कितना अनुभव है ? अगर ज्यादा है तो बता दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि जश्न किस बात पर हुआ ? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हौजखास में और आडवाणी जी ने बंगलौर में इस बात का जश्न मनाया कि 13 महीनों में बड़ी–बड़ी चीजें हुईं। आपने क्या चीजें कीं हैं ? जो किया है, हमें बता दीजिए।

[अनुवाद]

आपने कौन से ठोस परिणाम हासिल किए हैं ? आपने राष्ट्रीय आम सहमति को समाप्त किया, चीन, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य और यूरोप के साथ हमारे संबंध खराब किए। आप दक्षिण अफ्रीका गए और डा. नेल्सन मंडेला से विवाद किया। क्यों ? श्री मंडेला ने विश्व में आठ क्षेत्रों की सूची बनाई। उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि आपको कूटनीतिक अनुभव होता तो सम्मेलन से पूर्व सरकार को भारत के उपराष्ट्रपति को दक्षिण अफ्रीका भेजना चाहिए था और श्री मंडेला को समझाना चाहिए था। हम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष रहे थे। मैं स्वयं सातवें सम्मेलन का महासचिव रहा हूं। हम कह सकते थे कि

इन बातों का उल्लेख नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दक्षिण अफ्रीका के साथ कोई सहयोग नहीं किया गया

फिर क्या हुआ ? प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि डा. मंडेला ने क्षमायाचना की है। मान लीजिए, डा. मंडेला ने क्षमायाचना की थी तो क्या हमें इसे सार्वजनिक रूप से कहना चाहिए था ? दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त ने वक्तव्य दिया कि उन्होंने क्षमायाचना नहीं की। यदि डा. मंडेला ने क्षमायाचना की भी होती, तो भी हमें संयम दिखाना चाहिए था। वह एक महान व्यक्ति हैं। क्या इस पर हायतोबा मचाना जरूरी था ? क्या यही कूटनीति है ? क्या विश्व के एक महान व्यक्ति के प्रति ऐसा ही शिष्टाचार दिखाना चाहिए ? आपने दक्षिण अफ्रीका को अपना विरोधी बना लिया है, यही आपकी उपलब्धि है। जब संयुक्त राष्ट्र में चर्चा हुई तब दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि ने भारत की ओर देखा और कहा कि हम यहाँ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के चेयरमेन की हैसियत से नहीं बल्कि दक्षिण-अफ्रीका के प्रतिनिधि की हैसियत से बोल रहे हैं। वे हमारी आलोचना कर रहे थे। क्या यह अच्छी कूटनीति है ? हमें इन प्रश्नों के जवाब चाहिए। हम विदेश नीति पर राष्ट्रीय आम सहमति बनाना चाहते हैं। हम सी. टी. बी. टी. पर राष्ट्रीय आम सहमति बनाना चाहते हैं। हम निरस्त्रीकरण पर राष्ट्रीय आम सहमति बनाना चाहते हैं। क्या आपने कोई प्रयास किया है ? आपने कोई प्रयास नहीं किया है। यही वजह है कि हम इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। तेरह महीने में भारत की विदेश नीति को आपने जो क्षति पहुँचायी है इसके लिए हम आपको उत्तरदायी मानते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : डा. सुब्रह्मणयम स्वामी।

(व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : हमारे बारे में क्या विचार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बारी आएगी। मैं आप दोनों को एक साथ बोलने की कैसे अनुमति दे सकता हूं ? मैंने डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी का नाम पुकारा था।

(व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, आप किसे अनुमति दें और किसे न दें, यह आपका निर्णय है। मेरी तो इतनी अपील है कि पहले सब कुछ सदस्य संख्या के अनुसार किया गया था। किंतु अब यह ताकत के अनुसार हो रहा है।

डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी : मेरा नाम 19 सदस्यों के आधार पर पुकारा गया था। उस मामले में मुझे पहले बुलाया जाना चाहिए था।

श्री अमर राय प्रधान : मैं नहीं जानता।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रधान, ऐसी बात नहीं है। मैं सूची के अनुसार चल रहा हूं जो मेरे पास है। कृपया मेरे साथ सहयोग करें।

(व्यवधान)

डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी : उपाध्यक्ष महोदय, इन दस घण्टों के भीतर ही यह सरकार गिरने वाली है। प्रधानमंत्री जो यह प्रस्ताव लाए हैं उसे आज कुछ ही घंटों में सभा के अधिकांश दल अस्वीकार कर देंगे। इस प्रस्ताव को लाने की आवश्यकता, ए. आई. ए. डी. एम. के. दल द्वारा इस सरकार से समर्थन वापस लेने के कारण उत्पन्न हुई है। जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को यह प्रस्ताव लाने का निदेश दिया था। समर्थन वापस लेने के परिणामस्वरूप यदि उन्होंने जो शिक्षा दी थी उसके अनुरूप आचरण किया होता तो वे त्याग पत्र दे देते। इस सभा ने देखा है कि जब उत्तर प्रदेश में कुमारी मायावती ने मुलायम यादव की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। तब आडवाणी ने, मुलायम सिंह यादव के त्याग पत्र देने से मना करने तथा विश्वास मत प्राप्त करने के निर्णय को राजनैतिक अपराध बताया था। उनका यह कथन इस सभा की कार्यवाही वृत्तांत में है। उस समय भा. ज. पा. के विभिन्न नेताओं ने जो वक्तव्य दिये थे वे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा लिखी गई पुस्तक में दिये गये हैं और आज वे ही विश्वास मत प्राप्त करने के लिए हमें आग्रह कर रहे हैं। ए. आई. ए. डी. एम. के. दल के नेताओं को समर्थन वापस लेने की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि दल की नेता कुमारी जयललिता ने यह पाया कि इस सरकार ने देश की सुरक्षा को घोर खतरे में डाला है तथा एडमिरल विष्णु भागवत को बिना सोचे समझे बर्खास्तगी द्वारा सैन्य बलों का हौंसला कम किया गया। एडमिरल को 30 दिसम्बर को बर्खास्त किया गया था और उसके तुरंत बाद ही अर्थात 2 जनवरी को ए. आई. ए. डी. एम. के. नेता ने इस मामले पर एक सार्वजनिक वक्तव्य जारी किया। एडमिरल की बर्खास्तगी तथा उसके पश्चात जारी किये वक्तव्य एवं प्रतिवक्तव्यों से रक्षा मंत्री के आतंकवाद तथा विदेशी घुसपैठियों को उकसाने वाले घिनौने इरादों तथा प्रधानमंत्री के भ्रष्ट शस्त्रास्त्र लॉबी के समक्ष हार मानने की बात का पता चल गया है तथा उनका पर्दाफाश हो गया है। दूसरे शब्दों में आज का यह मुख्य मुद्दा है कि राष्ट्रीय अखण्डता, सुरक्षा तथा राष्ट्र के हितों के लिए हम इस सरकार पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। अतः इस सरकार को जाना चाहिए। यह सरकार वैसी नहीं है जैसा कि भा. ज. पा. नेताओं ने इसे बनाया था जो कि चर्चा के दौरान कह रहे थे कि भा. ज. पा. नेतृत्व ने डी. एम. के. सरकार को बर्खास्त नहीं किया था इसलिए समर्थन वापस लिया गया। सरकार द्वारा डी. एम. के. सरकार को बर्खास्त न करके मतदाताओं के किए गए वादे को पूरा नहीं किया गया है, परन्तु आज मुद्दा यह है कि उन्होंने सैन्य बलों के मनोबल को गिराकर राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया है। अतः आज हम यह चाहते हैं कि राष्ट्र को इस पतन से बचाने के लिए इस सरकार को चले जाना चाहिए। अतः आज हमारे लिए डी. एम. के. सरकार की बर्खास्तगी कोई प्रमुख मुद्दा नहीं है। राष्ट्र को बचाना हमारी प्राथमिकता है।

वे शायद संयुक्त संसदीय समिति गठित करने के लिए सहमत हो जाते। परन्तु उनकी क्या प्रतिक्रिया थी ? उन्होंने कहा : "कि आप चर्चा करिये, संबंधित सामग्री लाइये और यदि हम संतुष्ट हो जायेंगे तो हम संयुक्त संसदीय समिति गठित करने के लिए सहमत हो जायेंगे"।

[डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी]

न्यायशास्त्र में एक दोषी को न्यायालय चुनने का अधिकार होता है। इस मामले में बर्खास्त एडमिरल द्वारा लगाये गये अभियोगों में प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री संकट की स्थिति में है। प्रधानमंत्री यह नहीं कह सकते कि वे उस सामग्री का मूल्यांकन करेंगे कि क्या वह एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। संसद एक संयुक्त संसदीय समिति गठित कराना चाहती है। कई संसद सदस्य एक संयुक्त संसदीय समिति चाहते हैं। प्रधानमंत्री शक के दायरे में हैं। अतः यह उनके लिए उचित होता कि वे प्रस्तुत किये गये प्रमाणों का मूल्यांकन करने के बजाय एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करने के लिए तत्काल राजी हो जाते। एक दोषी निर्णायक कैसे बन सकता ? यह तथ्य कि उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति गठित करने से पूर्णतः मना कर दिया है; यह साबित करता है कि वे कुछ छिपाना चाहते हैं।

अब मुख्य मुद्दे, एडमिरल भागवत की बर्खास्तगी के बारे में चर्चा करें, क्योंकि इस मुद्दे को यहाँ लाया गया नहीं है। इस बारे में काफी गलत जानकारी दी गई है। अतः मैं इस मुद्दे को प्रकाश में लाना चाहता हूं। वर्तमान सरकार के कार्यभार संभालने के पश्चात, वाइस एडमिरल हरिन्दर सिंह जो कि अंडमान में तैनात थे उन्होंने दिल्ली स्थित नौ सेना हेडक्वाटर में तैनात करने का अनुरोध किया। एडमिरल भागवत ने नौ सेनाध्यक्ष की हैसियत से वाइस एडमिरल मदनजीत सिंह के उपसेनाध्यक्ष के पद के लिए सिफारिश की थी। दोनों ही सिख थे। परन्तु यह अफवाह फैलायी गई कि एडमिरल भागवत सिख विरोधी है। उन्होंने किसी दूसरे सिख की सिफारिश की जो कि वे नहीं चाहते थे परन्तु एडमिरल भागवत के विचार से वह एक अच्छा अधिकारी था। इससे मंत्री सहमत नहीं हुए और उन्होंने एडमिरल को पुनः विचार करने के लिए कहा। परन्तु एडरिल अपनी बात तथा सिफारिश पर डटे रहे। तत्पश्चात, सरकार ने उस निर्णय का उल्लंघन किया और नियुक्ति संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति ने बाइस एडमिरल हरिन्दर सिंह का नाम अनुमोदित किया और अंपना अनुमोदन एवं प्रारूप नियुक्ति पत्र सेनाध्यक्ष एडमिरल भागवत के पास भेज दिया। परन्तु एडमिरल ने यह कहते हुए कि यह कार्यान्वयन योग्य नहीं है, उस आदेश का कार्यान्वयन नहीं किया। इसके चलते उन्हें नौ सेना अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत बर्खास्त किया गया।

इस बारे में क्या वैधानिक स्थिति है ? जिस अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें बर्खास्त किया गया था उसकी धारा 184 के अन्तर्गत एक अधीनस्थ विधान, अर्थात नियम 134 है। इस नियम को 1965 में बनाया गया था और मैं उस नियम 134 को पढ़ रहा हूं।

"सभी शाखाओं के कैप्टन तथा उससे ऊपर के पदों के अधिकारियों की नियुक्ति सेनाध्यक्ष की सिफारिश पर की जायेगी"

नियम में "सरकार द्वारा की जायेगी" शब्द हैं। जिस किसी को भी कानून का न्यूनतम भी ज्ञान हो वह जानता है कि जब "शेल" शब्द का प्रयोग किया जाता है सरकार के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वे कार्यान्वयन करें, नौ सेनाध्यक्ष की सिफारिश के अनुसार कार्य करें। अतः नियमानुसार एडमिरल का निर्णय ठीक था। वे सिफ़ारिश कर रहे हैं तथा विगत में भी जब कभी नौ सेनाध्यक्ष द्वारा केप्टन अथवा उससे ऊपर के पद की नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है, इस विशेष मामले के अतिरिक्त उस सिफारिश को बिना किसी अपवाद के स्वीकार किया गया है।

अब बर्खास्तगी के बारे में प्रतिक्रिया सैन्य बलों में फैल गई है। हालांकि वे अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकते हैं परन्तु जो उच्च पद पर रहे हैं तथा सेवानिवृत्त हो गये हैं उन्होंने इस प्रकार कहा है। पूर्व नौ सेनाध्यक्ष आर.एस. तहलियानी ने कहा :

"यह स्थिति भयावह तथा सर्वथा असंगत है। इस निर्णय से सरकार की असंवेदनशीलता का पता चलता है। आज की घटना से सेनाके मनोबल को अपूरणीय क्षति हुई है"।

लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. मधोक (सेवानिवृत्त) ने कहा :

"चूंकि पदोन्नति तथा स्थानांतरण के संबंध में किसी सेनाध्यक्ष के कतिपय अपने विचार हैं इसलिए उनको बर्खास्त करना सर्वथा अनुचित है"।

जनरल वी.एन. शर्मा, भूतपूर्व सेनाध्यक्ष ने कहा :

"ऐसे उच्च पदों पर नियुक्ति के मामलों से निपटने के लिए इस प्रकार का अनअपेक्षित निर्णय लेना सही तरीका नहीं है।"

लेफ्टिनेंट जनरल कालकट, भूतपूर्व सेना कमांडर ने कहा :

यह सैन्य बलों तथा समुचे राष्ट्र के लिए एक दुःखद स्थिति है।

रात्रि 2.26 बजे

(श्री पी.सी. चाको *पीठासीन हुए*)

इसी घटना की सैन्य बलों ने व्यापक भर्त्सना की है तथा उसका मनोबल पूर्णतः गिर गया है।

अब प्रश्न यह है कि इस एडमिरल को बदनाम करना आवश्यक क्यों हो गया ? प्रश्न यह भी है कि रक्षा मंत्री नौ सेनाध्यक्ष को सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाने के लिए इतने उत्सुक क्यों थे ? यदि उनके साथ मतभेद है तो आप उन्हें बुलाकर चुपचाप उनका त्यागपत्र मांग सकते थे। यदि वे ऐसा करने से इंकार करते तो बात कुछ और थी। आप कुछ और कदम उठा सकते थे। परन्तु आपने उन्हें सार्वजनिक रूप से नीचा क्यों दिखाया ? मेरे विचार से यही देशद्रोह की निंदनीय कहानी है।

इस मामले पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने पर मेरे संज्ञान में ऐसे दो कारण आए हैं जिससे यह पता चलता है कि रक्षा मंत्री, श्री जार्ज फर्नांडीज एडमिरल विष्णु भागवत को नीचा दिखाने के लिए विशेषकर उत्सुक क्यों थे ? पहला कारण तो श्री जार्ज फर्नांडीज के लिट्टे से सम्पर्क और एडमिरल भागवत के विरुद्ध लिट्टे का द्वेष, क्योंकि एडमिरल भागवत ने वर्ष 1995 में लिट्टे के दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिन्हें कि लिट्टे में सामान्यतया 'किट्टू' के नाम से जाना जाता था, को बीच समुद्र में पकड़ा था और उसे सायनाइड को निगलकर स्वयं को मारना पड़ा

था। तब से लिट्टे के सभी प्रकाशनों में एक ही बात का प्रचार किया जा रहा है और वह है एडमिरल विष्णु भागवत का विरोध।

एडमिरल भागवत का दूसरा दोष यह था कि उन्होंने श्री जार्ज फर्नान्डीज को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताया और उसकी पुष्टि के लिए उन्होंने कई दस्तावेज प्रस्तुत किये।

चर्चा के शुरू होने से पहले ही मैंने वह सभी सामग्री तथा दस्तावेज अध्यक्ष महोदय, को यह कहते हुए दे दिये थे कि मैं उनका उल्लेख करूंगा। उस सामग्री में से, मैं इस वर्ष दिनांक 14 अप्रैल के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में से कुछ पढ़ना चाहता हूं। श्री पी.के. बालचन्द्रन ने एक खबर भेजी है जिसमें यह कहा गया है : अपने नवीनतम अंक में प्रशंसा के रूप में बाक्स में लिखे लेख में लिट्टे समर्थक तमिल पत्रिका "थीनामुरासु" ने याद दिलाया कि* श्री फर्नान्डीज एल. टी. टी. ई. आन्दोलन के प्रति अपने दायित्व से पीछे नहीं हटे थे।

पूरे विश्व में लंकाई तमिलों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय साप्ताहिक पत्रिका ने कहा कि एडमिरल विष्णु भागवत को हटाए जाने का एक कारण यह था कि उन्होंने श्रीलंका सरकार को एल. टी. टी. ई. के हथियारों से लदे जहाज की आवाजाही के बारे में सूचना दे दी थी। एडमिरल भागवत के आदेश पर ही उस जहाज को बीच में ही रोका गया था जिस पर एल. टी. टी. ई. नेता किट्टू सवार थे। भारतीय नौसेना मुख्यालय के प्रमुख को बदले जाने के बारे में सहमति प्रकट करते हुए पत्रिका ने लिखा है "वर्तमान नौसेना अध्यक्ष श्रीलंका सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं देंगे।"

सोमवार को "द आईलैण्ड" में लिखे गए अपने संपादकीय लेख में श्रीलंका के पूर्व राजदूत कलानंद गोडगे ने बताया है कि श्री राजीव गांधी और श्री जे.आर. जयवर्धन के बीच जिन पत्रों का आदान–प्रदान हुआ था उसके अनुच्छेद 2(16) के अनुसार हथियारों से लदे पोतों को बीच में ही रोकने तथा श्रीलंका सरकार को सूचना देने की जिम्मेवारी भारत की है।"

श्रीलंकाई सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार एडमिरल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। इसलिए, यह एक ऐसा मामला है जिसमें एल. टी. टी. ई. पत्रिका द्वारा श्री फर्नान्डीज की प्रशंसा की जा रही है क्योंकि...* रक्षा मंत्री होते हुए भी वे एल. टी. टी. ई. आन्दोलन का समर्थन कर रहे हैं। एल. टी. टी. ई. से इसका प्रमाणपत्र भी मिला है। एल. टी. टी. ई. के साथ श्री फर्नान्डीज की सांठगांठ एक ऐसा मामला है जिस पर संसद को अत्यन्त गम्भीरता से ध्यान देने की जरूरत है और इसके लिए भविष्य में आने वाली सरकार उनके विरुद्ध मुकदमा भी चला सकती है।

यह 16.3.1999 के "द टेलीग्राफ" समाचार पत्र की कतरन अथवा दस्तावेज है। उसका शीर्षक है "फर्नान्डीज प्लेज सेविअर"। श्री जार्ज फर्नान्डीज राजीव गांधी हत्याकांड में सजा प्राप्त 26 लोगों के लिए एल. टी. टी. समर्थित धन जुटाने के मुख्य संरक्षक थे। तमिलों की सुरक्षा के लिए धन जुटाने वाली निकाय नामक संस्था धन के लिए तमिल प्रकाशनों में विज्ञापन के द्वारा मृत्युदंड की सजा प्राप्त 26 लोगों को बचाने के लिए धन की मांग कर रही है। "द टेलीग्राफ" के पास उपलब्ध एक दस्तावेज में श्री जार्ज फर्नान्डीज को समिति का संरक्षक बताया गया है। फर्नान्डीज ने अखबार के इस समाचार की पुष्टि की कि वे इस समिति के संरक्षक थे, लेकिन उन्होंने आगे बताया "कि केन्द्र सरकार का मंत्री बनने के बाद मेरा उससे कोई सम्बन्ध नहीं रहा।"

नेदूमारन, जो भारत में एल. टी. टी. ई. के आयुक्त हैं और जब कभी वे दिल्ली आते हैं तो श्री फर्नान्डीज के यहाँ रुकते हैं, के अनुसार, यद्यपि फर्नान्डीज इस आन्दोलन में हमारे साथ जुड़े है तथा वे तमिल ईलम के साथ सहानुभूति व्यक्त करने वाले एक गुट के संयोजक हैं। तमिलनाडु में विशेष टाडा न्यायालय द्वारा 26 व्यक्तियों को मृत्युदंड की सजा दिए जाने के बाद उच्चतम न्यायालय में इस संबंध में अपील करने के लिए अपील की गई है।

मेरे पास उस पैम्फलेट की एक प्रति जिसे तमिलनाडु में वितरित किया गया है और इसकी एक प्रति मैंने अध्यक्ष महोदय को दी है। श्री फर्नान्डीज एल. टी. टी. ई. के लिए देशभर में काफी लम्बे समय से अभियान चला रहे हैं। दिनांक 6.1.1997 के *'द टाइम्स आफ इण्डिया'* के अनुसार :

"इसमें प्रभाकरन ही मुख्य रहे। प्रभाकरन राजीव गांधी की हत्या में स्वयं घोषित मदद देने वाले हैं। उन्होंने गर्व से दावा किया है कि उन्होंने ही राजीव गांधी को सबक सिखाने के लिए उनकी हत्या का आदेश दिया था। राजीव गांधी हत्या की जाँच में वे प्रमुख अभियुक्त हैं।"

यह *'द टाइम्स आफ इण्डिया'* में कहा गया है। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने घाषणा की कि 'इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रभाकरन और एल. टी. टी. ई. श्रीलंका में तमिलों के ऐसे एकमात्र प्रतिनिधि हैं जो स्वतंत्र राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। भारत का रिकार्ड कतई उल्लेखनीय नहीं है, इससे कोई प्रणाली नहीं मिलती है। तथाकथित आई. पी. के. एफ. भेजने के लिए राजीव गांधी का श्रीलंकाई सरकार से समझौता करना भारत के इतिहास का एक शर्मनाक अध्याय है। यह उन्होंने 5 जनवरी, 1997 को बंगलौर में कहा था। नवम्बर, 1997 में वे एल. टी. टी. ई. के लिए दिल्ली में एक बैठक आयोजित करना चाहते थे।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : जैन आयोग की रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया था।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : तब तक जैन आयोग समाप्त हो गया था। ये सब बातें जैन आयोग के बाद की हैं। मेरे विचार से एक नए आयोग का गठन होना चाहिए क्योंकि जैन आयोग ने बहुत सारी बातें छोड़ दी हैं। और मैं समझता हूं कि अगली सरकार को इसकी जाँच के लिए उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश को नियुक्त करना चाहिए।

नवम्बर, 1997 में जब संयुक्त मोर्चा की सरकार सत्ता में थी और श्री इन्द्रजीत गुप्त गृह मंत्री थे, तब श्री फर्नान्डीज एल. टी. टी. ई. के

---

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[डॉ॰ सुब्रह्मणयम स्वामी]

समर्थन में एक बैठक आयोजित करना चाहते थे। संयुक्त मोर्चा की सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया और श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक पत्र लिखा, 'कि कृपया इस बैठक को आयोजित न करें।' उन्होंने श्री फर्नान्डीज को लिखा कि यह बैठक भारत के राष्ट्रीय हित में वांछनीय नहीं है। श्री फर्नान्डीज ने उस प्रतिबंध की अवहेलना की और अपने सरकारी आवास के लॉन में यह बैठक की।

जैन कमीशन की रिपोर्ट, खंड 5, पृष्ठ 232, पर राजीव गांधी हत्याकांड के एक अभियुक्त द्वारा दिया गया विवरण है। एक मुद्दक कहता है :

"बंदी सुब्रह्मणयम जो कि एल॰ टी॰ टी॰ ई॰ के प्रचार प्रमुख हैं, के अनुरोध पर उस काम के बीच में मैंने किताबों का मुद्रण किया।

उनके द्वारा दी गई सामग्री से मैंने दूसरी किताब का मुद्रण किया। जार्ज फर्नान्डीज ने इस किताब की भूमिका लिखी। इस किताब में राजीव गांधी की काफी निन्दा की गई है और राजीव गांधी से क्यों खतरा है और उन्हें समाप्त कर देना चाहिए।" श्री जार्ज फर्नान्डीज ने उसकी भूमिका लिखी है।

हम जानते हैं कि यह वीरमनी कौन है। वीरमनी 'द्रविड़ कड़गम' नामक संगठन के महासचिव हैं, जो कि परंपरागत रूप से स्वतंत्र तमिलनाडु की मांग करता आ रहा है। प्रत्येक सार्वजनिक बैठक में वे श्री प्रभाकरन की प्रशंसा करते आ रहे हैं। 24 जनवरी, 1999 की **अखबार** की कतरन में कहा गया है :

"कि वीरमनी के लिए प्रभाकरन केवल तमिल समुदाय का नेता ही नहीं है वह उनका छोटा भाई है। जब सरकार यह दावा करती है कि देश में एल॰ टी॰ टी॰ ई॰ का कोई आन्दोलन नहीं है। तब प्रतिबंध की क्या आवश्यकता है ? वह प्रतिबंध का विरोध करते हैं।"

इस फोटोग्राफ के साथ इसमें यही कहा गया है।

मैं यह सब इसलिए बता रहा हूं कि रक्षा संबंधी स्थायी समिति का सदस्य होने के नाते मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और पेरियार मनिआम्मै कॉलेज आफ टेक्नोलाजी फार वीमैन, जिसके चैयरमैन श्री वीनमनी हैं, के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

उस समझौता ज्ञापन में क्या कहा गया है ? इसमें यह कहा गया है कि तंजावूर के सुदूर क्षेत्र में स्थित यह महिला कालेज सियाचेन ग्लेसियर में भारतीय सैनिकों को हो रहे फ्रास्ट बाइट्स के बारे में अनुसंधान करेगा। इस पर मंत्रालय की ओर से श्री अब्दुल कलाम द्वारा और कालेज की ओर से श्री वीरमनी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। लेकिन इसकी अन्तिम पंक्ति में कहा गया है, "कि यह समझौता ज्ञापन दो प्रतियों में तैयार किया गया है और 5 नवम्बर, 1998 को दिल्ली में माननीय रक्षा मंत्री की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं।" अर्थात यह सब कुछ रक्षा मंत्री के निर्देश पर यह किया गया है।

मैंने यह सब अचानक ही नहीं पेश किया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को अनेक पत्र लिखे। मुझे प्रधानमंत्री जी से इसकी पावती मिली है। यह 3 नवम्बर, 1998 की श्री वाजपेयी द्वारा लिखी गई पावती है। इसमें कहा गया है :

"प्रिय डा॰ स्वामी,

मुझे आपका 29 अक्टूबर, 1998 का वह पत्र मिल गया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि कुछ केन्द्रीय मंत्री एल॰ टी॰ टी॰ ई॰ की सहायता कर रहे हैं।"

इसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला।

हमें इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देखना चाहिए। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे पता है कि समय खत्म हो रहा है।

16 मार्च, 1999 के *दी हिन्दुस्तान टाइम्स* में कहा गया है :

"अवैध रूप से देश में हथियारों को लाने वाले अंडमान में नौसेना की आँखों में धूल झोंकते रहते हैं। श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर अंडमान के निकट ऐसे ही व्यक्तियों को पकड़ने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया अभियान असफल रहा। ये व्यक्ति जिनके एल॰ टी॰ टी॰ ई॰ के साथ निकट संबंध बताए जाते हैं, अपनी नौकाएं डुबाकर भाग गए। रक्षा मंत्री को दी गई रिपोर्ट में इस अभियान की असफलता का विस्तृत विवरण दिया गया है जिससे नौसेना अधिकारियों द्वारा ऐसे मामलों से निपटने के तरीके के बारे में गम्भीर सवाल उठ खड़े होते हैं। उस समय इसकी कमान वाइस एडमिरल होथा सिंह के हाथ में थी, जिन्होंने आज नौसेना के उपाध्यक्ष का कार्य भार संभाला है।

विदेश मंत्रालय के उच्च पदस्थ स्रोतों ने बताया कि श्रीलंका सरकार ने 6 मार्च, को भारत सरकार से अनुरोध किया था कि वह एम॰वी॰ मुनियम्मा नामक 500 टन के जलपोत को बीच में ही रोकने में उनकी सहायता करे जिसके बारे में विश्वास किया जाता है कि उसने इस गणराज्य के उत्तरी भाग में एल॰ टी॰ टी॰ ई॰ को हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति की थी।

पिछले गुरूवार अपराह्न को भारतीय नौसेना के जहाजों ने जलपोत को घेर लिया था तथापि यह निर्णय लिया गया था कि एम॰वी॰ मणियम्मा को दिन की बजाय रात को पकड़ा जाएगा। लेकिन उस रात को भारतीय जहाज ने पाया कि जलपोत अंडमान तट से 200 किलोमीटर पर डूब रहा है। तलाशी से पता चला कि उसमें कोई व्यक्ति अथवा हथियार नहीं थे। यह पता चला है कि जलपोत पर सवार आप्रेटर हथियारों को "जैमिनी नौका में से लाद कर उससे भाग गये थे"।

अब इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि रक्षा मंत्री सक्रिय तौर पर एल॰ टी॰ टी॰ ई॰ को उकसा रहे हैं। जब श्री विष्णु भागवत बाईस–एडमिरल थे वे एल॰ टी॰ टी॰ ई॰ की गतिविधियों को रोकने के लिए उत्तरदायी थे विशेषकर दूसरे वरिष्ठ नेता के पकड़े जाने के बाद उसे साइनाईड खाना पड़ा था। निस्सन्देह आज

एल. टी. टी. ई. इस सरकार को अपना समझती है। वे सोचते हैं कि यह मित्र सरकार है, मैंने इसे पढ़ा है।

श्री सरपोतदार यहाँ हैं। उनके नेता बालासाहेब ठाकरे कहते हैं, "मुझे एल. टी. टी. ई. पर गर्व है; मैं एल. टी. टी. ई. की सराहना करता हूं और मुझे इन टाईगरों पर गर्व है।" यह सब उन्होंने जनसभा में कहा है।

सरकार के अन्य मंत्री भी हैं जो एल. टी. टी. आई. के समर्थक हैं तथा मेरे पास इसके दस्तावेज हैं। मैंने इसके बारे में प्रधानमंत्री को लिखा है। एक और दस्तावेज है। अपना भाषण समाप्त करने से पहले मुझे यह कहना है। दिनांक 17.3.99 के *दि टाइम्स ऑफ इंडिया* में कहा गया है :

"वरिष्ठ नौसेना कर्मी कहते हैं कि 11 मार्च को एल. टी. टी. ई. आपूर्ति जलयान पकड़ने का असफल प्रयास जान बूझकर किया गया था। औपचारिक तौर पर आप्रेशन में जुड़े एक नौसेना अधिकारी ने कहा कि जलयान पकड़ने संबंधी आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए रात तक स्थगित किए गए थे कि ये एल. टी. टी. ई. कार्मिक युद्ध के लिए एक और दिन जिन्दा रह सकें। उन्होंने आगे कहा कि आधुनिक उपकरणों ने भागती हुई नावों का पता लगाना और उन्हें पकड़ना आसान कर दिया है। अतः तलाश को टालने के लिए स्पष्ट आदेश थे।"

यह बहुत गंभीर मामला है। इसने संकट में डाल दिया है। इसीलिए ए. आई. डी. एम. के. ने समर्थन वापस लिया न कि डी. एम. के. सरकार को बर्खास्त न करने के कारण। कुछ भी हो डी. एम. के. सरकार अब जाने की तैयारी में है। वैसे भी उनके पास केवल दो वर्ष और हैं। यदि नई सरकार आती है और उसे इसके विदेशी मुद्रा विनियमन के उल्लंघन तथा अन्य बातों का पता चलता है तो वे सामान्य ढंग से चले जाएंगे। हम उनकी बर्खास्तगी के बारे में चिन्तित नहीं हैं। मामला यह है कि सशस्त्र सेनाओं को हतोत्साहित किया जा रहा है। मामला यह है कि विदेशी आतंकवादी संगठन इस देश में अपने पांव जमा रहे हैं। यह वास्तव में मूल कारण है।

एल. टी. टी. ई. इस सरकार के कितना नजदीक है यह एक अन्य समाचार पत्र में वर्णित किया गया है। "स्पेशल गेस्टस् एट् वैलोस सन वेडिंग"। क्या श्री वैको यहाँ हैं ?

श्री वैको : हां, मैं यहाँ हूं।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : "यह अति विशिष्ट व्यक्ति की शादी थी जिसमें देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के नेता उपस्थित थे। केन्द्रीय मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी और रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज के अलावा, रविवार को चेन्नई में वैको ने अपने पुत्र की शादी में कुछ विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया था। गैर कानूनी घोषित एल. टी. टी. ई. प्रमुख वी. प्रभाकरण के माता–पिता तथा ईलम के कई कट्टर समर्थक बड़ी संख्या में शादी में उपस्थित थे।"

तब यह बातें चली कि एल. टी. टी. ई. के लोग हमदर्द सरकार के रूप में इस सरकार की कैसे सराहना करते हैं...*(व्यवधान)*। आपको अवसर मिलेगा।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : आपने उनका नाम लिया है।

श्री वैको : आपने मेरा नाम लिया है। मुझे इसका स्पष्टीकरण देना है।

सभापति महोदय : यदि आप सहमत हैं तो वे बोल सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह गंभीर आरोप नहीं है। मैं वही पढ़ रहा था जो यहाँ लिखा हुआ है।

श्री वैको : सभापति महोदय, हमेशा की तरह सभी दुर्भावनापूर्ण, विद्वेषपूर्ण और गलत आरोप लगाए गए हैं।

एक माननीय सदस्य : यह अशिष्टता है।

सभापति महोदय : नहीं, श्री वैको आपको समय दिया जा चुका है। कृपया इसे समझिए कि हमारे पास 10 और वक्ता हैं तथा हमें अपनी चर्चा समाप्त करनी है।

श्री वैको : महोदय, आरोप दुर्भावनापूर्ण, विद्वेषपूर्ण और गलत है।

सभापति महोदय : ऐसा आप कह सकते हैं लेकिन आपने जो कहा है उसका दूसरा भाग यहाँ नहीं आना चाहिए। यह कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं आएगा।

श्री वैको : महोदय, दुर्भावनापूर्ण, विद्वेषपूर्ण और बहुत गलत आरोप लगाए गए हैं। यह झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने मेरे पुत्र की शादी का उल्लेख किया है।

सभापति महोदय : नहीं, उन्होंने केवल समाचार–पत्र को पढ़ा है। यदि आपको उस बारे में कुछ कहना है तो कृपया कहें।

श्री वैको : सभापति महोदय, आपको मुझे इजाजत देनी है।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : महोदय, आरोप लगाए गए हैं। आपको इन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से निकालना होगा *...(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए. वी. एस. एम. : क्या उन्होंने दस्तावेज को प्रमाणीकृत किया है ?

सभापति महोदय : यदि कोई चाहता है तो वे इसे प्रमाणीकृत कर देंगे। इतना पर्याप्त है।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए. वी. एस. एम. : वे कभी प्रमाणीकृत नहीं करते।

सभापति महोदय : आप इसके लिए कह सकते हैं।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए. वी. एस. एम. : उन्होंने इसे प्रमाणीकृत नहीं किया है।

श्री वैको : राभापति महोदय, श्री प्रभाकरन के माता–पिता कई वर्षों से शांतिपूर्वक त्रिची में रह रहे हैं। उनका संगठन से कोई लेना–देना नहीं है। इसलिए मेरे आमंत्रण पर वे शादी में भाग लेने आए। वे वहाँ पर थे लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एल. टी. टी. ई. के कट्टर लोग आए थे। अतः यह आक्षेप है और वे वहाँ पर कई वर्षों से रह रहे हैं। पूर्व सरकार भी रही है। अतः इन सभी वर्षों में इनका संगठन से कोई लेना–देना नहीं है। इसलिए वे क्या बात कह रहे हैं ?...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : महोदय, उन्होंने मेरे विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए हैं।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। आपके विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इजाजत नहीं है। डा. स्वामी के अलावा किसी को इजाजत नहीं है।

श्री टी.आर. बालू : उन्होंने डी. एम. के. पार्टी के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए हैं।

सभापति महोदय : श्री बालू आपको इजाजत नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपसे अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करता हूं।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री बालू अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ? मैं आपसे अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध कर रहा हूं।

डा. स्वामी द्वारा कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की गई। इसके बावजूद मैंने श्री वैको को इजाजत दी क्योंकि यह उनके परिवार के बारे में संवेदनशील मामला है। कृपया बोलने के लिए दबाव मत डालें। यह आवश्यक नहीं है।

श्री टी.आर. बालू : कृपया मुझे एक मिनट का समय दें।

सभापति महोदय : यह आवश्यक नहीं है। मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री टी.आर. बालू : वे मान गए हैं। आपको हमें अवसर देना चाहिए। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं।

सभापति महोदय : नहीं।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री टी.आर. बालू : आप मुझे एक मिनट का समय दीजिए।

सभापति महोदय : डॉ. स्वामी, क्या आप उनकी बात मान गए हैं ?

डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी : मैं नहीं माना हूं।

सभापति महोदय : श्री बालू, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपको इजाजत नहीं है। आप जो भी कह रहे हैं वह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप पीठासीन अधिकारी को इस प्रकार आदेश नहीं दे सकते।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपसे अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध कर रहा हूं। आपने जो कहा वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। इसकी इजाजत नहीं है। इस प्रकार आदेश मत दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि कृपया आप इस तरह पीठासीन अधिकारी को निर्देश मत दीजिये मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। श्री बालू कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइये। आपके तथा डी. एम. के. पार्टी के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी गई है। श्री स्वामी जो कह रहे हैं कार्यवाही वृत्तांत में उसके अतिरिक्त कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। केवल डॉ. स्वामी का भाषण ही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जायेगा। डॉ. स्वामी के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

मेरा डॉ. स्वामी से अनुरोध है कि वे अपना भाषण समाप्त करें। मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। मैं आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइये।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : जब आपकी बारी आयेगी तब आप बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री बालू, कृपया मेरी बात सुनिये। डॉ. स्वामी के भाषण में आपके नाम का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। यह कोई तरीका नहीं है। कुछ ऐसे दल हैं जिन्हें सभा में बोलने का अवसर नहीं मिला है। वे लोग धैर्य से अपने अवसर का इन्तजार कर रहे हैं। हमें कम से कम चर्चा तो पूरी करनी चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री बालू, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू : नहीं महोदय, यह ठीक नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह पीठासीन अधिकारी का निदेश है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। इसका प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने तो डॉ. स्वामी को अपना भाषण समाप्त करने के लिए कहा है। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा का समय बर्बाद मत कीजिये आप जो कह रहे हैं उसका एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा। आप सभा का समय क्यों नष्ट कर रहे हैं ?

*(व्यवधान)**

श्री टी. आर. बालू : कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिये. ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइये। डा. स्वामी कृपया आप अपना भाषण पूरा कीजिये।

(व्यवधान)

श्री टी. आर. बालू : कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिये. ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उसके बारे में मैने अपना विनिर्णय दे दिया है।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं अपनी बात पर कायम हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डॉ. स्वामी के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइये। इस प्रकार सभा की कार्यवाही कैसे चलेगी ?

*(व्यवधान)**

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं अपनी बात पर कायम हूं।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, उन्होंने बेतुका आरोप लगाया है। ..*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी ए. वी. एस. एम. : डॉ. स्वामी ने एक बात पर सहमत हैं। कृपया उन्हें एक मिनट का समय दीजिये. ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू यदि आप पीठासीन अधिकारी के आदेश नहीं मानते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। परन्तु मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। इस मामले में मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। आपकी जो भी राय हो, आप जो कुछ भी कह रहे हैं, वह कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा। मैं किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। जहां कहीं भी अपमानजनक टिप्पणी की गई है अथवा जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ है। मैंने बोलने का समय दिया है। मैं दलों की स्थिति बता रहा हूं। वे उन्हें बोलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं। मैं उन सदस्यों के प्रति अन्याय नहीं कर सकता जो बोलने के लिए इन्तजार कर रहे हैं।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं आपके निवेदन को अस्वीकार करता हूं। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री टी. आर. बालू : यदि आप बोलने की अनुमति नहीं देंगे तो हम सभा का बहिष्कार कर जायेंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह क्या है ? इस वाद-विवाद में कई दल भाग लेना चाहते है। यह क्या है ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय, को ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए...*(व्यवधान)*

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं अपनी बात पर कायम हूं।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : महोदय, आप उन्हें आगे बोलने की अनुमति देने से पहले उनसे अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, आपको बोलने की अनुमति नहीं दी गई है। फिर आप कैसे बोल सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री दलित एजिलमलाई : महोदय, उन्होंने श्री जार्ज फर्नान्डीज के विरुद्ध आरोप लगाया है। उन्हें इसे साबित करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

रात्रि 2.55 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

श्री राम नाईक : महोदय, माननीय सदस्य, श्री सुब्रह्मणयम स्वामी ने यह आरोप लगाया है कि एक मंत्री का लिट्टे से संबंध है। उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे किन का उल्लेख कर रहे हैं। सदस्य यही पूछ रहे हैं।

श्री दलित एजिलमलाई : उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वे यह आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं। उन्हें इस आरोप को साबित करना चाहिए...*(व्यवधान)*

डॉ. शकील अहमद : वे देश के रक्षा मंत्री, श्री जार्ज फर्नान्डीज के बारे में कह रहे थे...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री स्वामी से पूछ रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : महोदय, उन्होंने मेरे दल पर एक अमर्यादित टिप्पणी की है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

श्री दलित एजिलमलाई : महोदय, आप कार्यवाही शुरू करने से पहले आप कृपया श्री स्वामी से इस आरोप को साबित करने के लिए कहिए। उन्होंने कहा है कि एक मंत्री का 'लिट्टे' से संबंध है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि मंत्री महोदय वास्तव में 'लिट्टे' को उकसा रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं, श्री सुब्रह्मणयम स्वामी से पूछ रहा हूं। आप मुझे भी बोलने नहीं दे रहे हैं। हां, श्री सुब्रह्मणयम स्वामी, आप क्या कह रहे थे।

(व्यवधान)

श्री टी. आर. बालू : महोदय, इन्होंने मेरे दल के बारे में एक अमर्यादित टिप्पणी की है। हम अपने दल को बचाने के लिए यहाँ पर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बालू मैं, उनसे पूछ रहा हूं।

डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी : महोदय, मैं एक पत्र पढ़ता हूं जो कि प्रधानमंत्री की मेरे पास पावती है।

श्री दलित एजिलमलाई : महोदय, उन्होंने कहा है कि एक मंत्री का लिट्टे से संबंध है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि वास्तव में वह मंत्री महोदय, लिट्टे को उकसा रहे हैं। उन्हें यह बताना चाहिए कि वह मंत्री कौन हैं...*(व्यवधान)*

डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी : महोदय, उन्हें एक मंत्री के रूप में व्यवहार करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुब्रह्मणयम स्वामी, क्या आपने यह कहा है कि एक मंत्री का लिट्टे से कुछ संबंध है ?

श्री दलित एजिलमलाई : जी हां, महोदय, उन्होंने ऐसा कहा है। और आगे यह भी कहा है कि वह मंत्री वास्तव में लिट्टे को उकसा रहा है। उन्हें यह साबित करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, मैं उनसे पूछ रहा हूं। पहले मुझे यह समझने दीजिये कि उन्होंने क्या कहा है।

श्री वैको : इन उल्लेखों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वैको आप तत्काल कोई निर्णय क्यों ले लेते हैं ? पहले मुझे समझने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री दलित एजिलमलाई : महोदय, केवल इन दो उल्लेखों के बारे में हम स्पष्टीकरण चाहते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शंकरन, यह क्या हो रहा है ?

(व्यवधान)

रात्रि 3.00 बजे

श्री टी. आर. बालू : यह तो केवल एक मिनट की बात है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे पहले, मुझे उन्हें आपसे पहले बोलने का मौका देना चाहिए।

(व्यवधान)

डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी : क्या मैं अपनी बात कह सकता हूं ? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे उनकी बात सुनने दीजिए।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं प्रधानमंत्री जी से प्राप्त उस पत्र की पावती पढ़ रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा है :

"डॉ. स्वामी, मुझे आपका 29 अक्तूबर, 1998 का पत्र मिला जिसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ केन्द्रीय मंत्री एल. टी. टी. ई. की सहायता कर रहे हैं।"

वह जानना चाहते हैं कि...*(व्यवधान)*

श्री दलित एजिलमलाई : क्या इसमें यह कहा गया है कि किसी मंत्री का एल. टी. टी. ई. के साथ संबंध है। हमें रिकार्ड के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए क्या उन्होंने ऐसा कहा था ? यदि वे अपना बयान वापस लेते हैं तो उन्हें यह कहना चाहिए कि वे इसे वापस ले रहे है। अगर वह इसे वापस लेना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। उन्हें ऐसा करने दीजिए। रिकार्ड में क्या है ?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे उनकी पूरी बात सुनने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : यह पत्र पावती है। इसमें क्या समस्या है ? उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। यह रिकार्ड में है...*(व्यवधान)*

श्री दलित एजिलमलाई : वे यह कह रहे हैं कि एक मंत्री का एल. टी. टी. ई. के साथ संबंध है। उन्हें इसका प्रमाण देना होगा। ...*(व्यवधान)*

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : उस पत्र में मैंने पक्के सबूत के साथ आरोप लगाया है कि श्री जार्ज फर्नान्डीज का एल. टी. टी. ई. के साथ संबंध है और वे एल. टी. टी. ई. को उकसा रहे हैं। मैंने यह सोचा था कि प्रधानमंत्री जी इसकी जाँच करेंगे और मुझे यह बतायेंगे कि मेरे आरोप निराधार हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं किया और अगर संयुक्त संसदीय समिति का गठन हो जाएगा तो यह प्रमाणित करना बहुत आसान होगा कि मेरे आरोपों में कितना दम है। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है।

जहाँ तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विरुद्ध मेरे आरोपों का संबंध है, मैं एल. टी. टी. ई. समर्थक पत्रिका का उद्धरण देते हुए एक समाचार पढ़ रहा हूं। मैंने उन अखबारों की कतरनों की फोटो कापी आज सुबह माननीय अध्यक्ष को यह कहते हुए दी है कि मैं इन समाचारों पर विश्वास कर रहा हूं इनमें दीना मुरासु पत्रिका में कहा गया है कि तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जो बहुरूपी है के समान जार्ज फर्नान्डीज एल. टी. टी. ई. के प्रबल समर्थक है। मैं केवल इतना ही पढ़ता हूं। इसके बाद मैंने यह भी कहा है कि डी. एम. के. सरकार को बर्खास्त करना हमारे लिए प्राथमिकता का मुद्दा नहीं है। भविष्य में आने वाली सरकार विदेश मुद्रा कानूनों और अन्य कानूनों के अन्तर्गत उनसे निपट सकती है। हम उनकी बर्खास्तगी नहीं चाहते हैं। यही मैंने कहा है। अब, क्या मैं अपना भाषण जारी रखूँ...*(व्यवधान)*

श्री दलित एजिलमलाई : वे कितने भी लिख सकते हैं। किस तरह से वे सही है ?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी को लिखे अपने पत्र में उन्होंने मंत्री महोदय के नाम का उल्लेख किया है और इस पत्र की पावती प्रधानमंत्री द्वारा भेजी गई है।

श्री दलित एजिलमलाई : माननीय उपसभापति महोदय, मेरा प्रश्न यह नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए. वी. एस. एम. : इस सदन में किसी मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाने की एक प्रक्रिया है। वे प्रधानमंत्री जी को लिख सकते हैं। हमें इस बात की चिन्ता नहीं है। लेकिन जहाँ तक किसी मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाने का संबंध है, उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। क्या उन्होंने प्रक्रिया का पालन किया है ?

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है उन्होंने उस पत्र की प्राप्त सूचना को पढ़ कर सुनाया है।

(व्यवधान)

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए. वी. एस. एम. : वे मंत्री के विरुद्ध सदन में आरोप लगा रहे हैं इसके लिए कुछ निश्चित प्रक्रिया है। क्या उन्होंने उस प्रक्रिया का पालन किया है।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने प्रक्रिया का पालन किया है।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए. वी. एस. एम. : क्या उन्होंने मंत्री को नोटिस दिया है।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं अध्यक्ष महोदय को दी गई फोटो कापियों के आधार पर आरोप लगा रहा हूं...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए. वी. एस. एम. : क्या उन्होंने मंत्री को नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या अब मैं अपना भाषण जारी रख सकता हूं...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए। मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर दूँगा...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : क्या उन्होंने अखबारों की फोटो कापी संबंधित मंत्री को दी है ?...*(व्यवधान)*

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह न्यायालय नहीं है। वे क्या बात कर रहे हैं। वे नियम भी नहीं जानते हैं उन्हें नियमों को पढ़ना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : महोदय, यह सीधा–सादा मामला है। अगर किसी सदस्य को किसी मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाना होता है तो वे उन्हें न केवल अध्यक्ष महोदय को बल्कि मंत्री महोदय को नोटिस देना होता है पहली बात यह है कि क्या उन्होंने मंत्री महोदय को नोटिस दिया है दूसरी बात यह है कि क्या इसके समर्थन में प्रमाण दे रहे है। अपराह्न में अध्यक्षपीठ ने विनिर्णय दिया है कि बिना प्रमाणित किए हुए आरोप नहीं लगाए जा सकते है। वह अपने आरोप को सिद्ध नहीं कर रहे हैं। उन्हें

[श्री राम नाईक]

उन्हें संबंधित मंत्री महोदय को नोटिस देना चाहिए जिससे कि वे आरोपों का खण्डन करने के लिए उपस्थित रह सकें...*(व्यवधान)*

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने केवल अखबार की कतरनों को पढ़ा है। जिसे मैंने अध्यक्ष महोदय को दिया है। मैंने उन समाचारों पर विश्वास किया है।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय इतना पर्याप्त नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वामी, इसे अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : अध्यक्ष महोदय को लिखे अपने पत्र में मैंने उसे अधिप्रमाणित किया है और कहा है कि मैं इस पर विश्वास करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सचिवालय से पता कर लेने दें कि क्या नोटिस दिया गया। श्री स्वामी मुझे सूचित किया गया है कि सचिवालय को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने स्वयं ही इसे अध्यक्ष महोदय के कार्यालय में दिया है। मेरे पास उसकी प्रतिलिपि है।..* मैंने अभी कतरने दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे सचिवालय को उचित फार्म में देना होता हे। अगर आपने सचिवालय को दिया होता तो उनके पास उसकी प्रतिलिपि निश्चित रूप से होती।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने यह आज सुबह दिया है।

श्री मधुकर सरपोतदार : उन्हें इसे महासचिव को देना चाहिए।

श्री टी. आर. बालू : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा। उन्होंने मेरी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुझे अपनी पार्टी के हितों की रक्षा करनी होगी। इसी के लिए हम यहाँ बैठे हैं।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी बोलूंगा। वे अपनी बारी आने पर बोल सकते हैं। मैं अभी नहीं रुक रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बालू, माननीय सदस्य अभी आपको मौका नहीं दे रहे हैं।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, अपनी पार्टी का बचाव करना मेरा कर्त्तव्य है। उन्होंने मेरी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया मुझे एक मिनट बोलने का मौका दें।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, कोई सूचना नहीं दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी चीजें अभी ठीक हो जाएंगी। अध्यक्ष को कोई पेपर कटिंग नहीं मिली है।

श्री दलित एजिलमलाई : महोदय, इन सारी बातों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दें।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय,*.....

जब मैं सुबह 10.30 बजे गया तो वहाँ न तो अध्यक्ष महोदय थे और न ही महासचिव।...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, उन्होंने सदन को गुमराह किया है। उन्हें सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए।

श्री राम नाईक : महोदय, लोकासभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 353 के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 353 इस प्रकार है :

> "किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक अथवा अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को भी पर्याप्त अग्रिम सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जाँच कर सके।"

इसमें दो बातें हैं। पहली तो यह कि अध्यक्ष को कोई भी सूचना बैठक शुरू होने से एक घंटा पूर्व देनी होती है, अर्थात् आज 10 बजे तक। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वे आज सुबह 10.30 बजे महासचिव के कार्यालय में गए। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने समय पर सूचना नहीं दी है।

दूसरी बात यह है कि उन्हें उस सूचना की प्रति मंत्री महोदय को भी देनी होती है। इस बारे में वे चुप हैं और मैं समझता हूं कि उनके चुप रहने से ही इसका उत्तर मिल जाता है। इन्हीं दो मुद्दों पर मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री टी. आर. बालू : उन्होंने सदन को गुमराह किया है।

श्री मधुकर सरपोतदार : उन्होंने सदन के साथ विश्वासघात किया है।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : कृपया यह पता लगाएं कि जो सूचना मैंने दी वह महासचिव को मिली या नहीं। इस बात की जाँच होनी चाहिए कि मैंने ये कागजात दिये थे या नहीं। मैंने यह महासचिव को दिया था। इसकी जाँच होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : सूचनाएं सूचना कार्यालय में दी जाती है। अब हम एक अन्य संयुक्त संसदीय समिति की मांग करते हैं जो यह पता करेगी कि ये सूचनाएं कहाँ गईं।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 353 के अधीन अब यह न केवल अध्यक्ष बल्कि मंत्री महोदय को भी स्पष्ट हो गया है।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या मैं व्यवस्था के प्रश्न पर यह आपके

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

समक्ष यह स्पष्ट कर सकता हूं कि मैंने इस बात को अपने पूरे भाषण में स्पष्ट कर दिया है।

श्री दलित एजिलमलाई : नियम स्पष्ट हैं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : यह एक सामान्य टिप्पणी है। यह कोई आरोप नहीं है।

श्री मधुकर सरपोतदार : वे सदन को गुमराह कर रहे हैं। आप इसकी अनुमति कैसे दे सकते हैं ?

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : हर बात के लिए नोटिस देना पड़ेगा ? क्या किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ बोलने के लिए नोटिस देना पड़ेगा ?

[अनुवाद]

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं अपने पूरे भाषण में इसी बात पर बल दे रहा हूं।

श्री वैको : मंत्री के खिलाफ सभी उल्लेखों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देना चाहिए।

श्री टी.आर. बालू : उन्होंने सदन को गुमराह किया है।

श्री वैको : सदन के अभिरक्षक के रूप में आपको सदस्यों के अधिकार की रक्षा करनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : अपराह्न में मैंने एक विनिर्णय दिया था। यह सर्वथा नियमों के अनुसार है। अब आपको या तो इसे साबित करना होगा अथवा, नियमों के अनुसार, इसे वापस लेना होगा। यदि आप इसे वापस नहीं ले रहे हैं तो मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

श्री वैको : जब श्री जार्ज फर्नांडीज ने कांग्रेस पार्टी पर कुछ आरोप लगाया तब आपने सही विनिर्णय दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सदन का समय नष्ट न करें।

श्री वैको : उन्होंने सूचना नहीं दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसे पहले ही कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है।

(व्यवधान)

श्री टी. आर. बालू : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री वैको : वे आरोपों को वापस लें अथवा इन आरोपों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही यह विनिर्णय दे दिया है कि मैंने कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है। अब इस विषय पर बात करने का क्या तुक है ?

(व्यवधान)

श्री टी. आर. बालू : महोदय, मेरी पार्टी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के बारे में क्या कहना है ?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : डॉ. स्वामी, आप कृपया बोलना जारी रखें।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : हाँ, मैं बोल रहा हूं। मैं एक खबर पढ़ रहा था।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आनन्द मोहन (शिवहर) : सर, अब बहुत समय हो गया है, हाउस स्थगित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है, लेकिन आप देख रहे हैं, ये इधर मेरी जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं एक खबर पढ़ रहा था। इसका शीर्षक है--"द स्पेशल गैस्ट्स एट वैको'ज सन्स वैडिंग।"...*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : महोदय, वे जो कुछ भी कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)* वे अखबार की रिपोर्ट बार-बार पढ़ रहे हैं, सदन का समय नष्ट किया जा रहा है।...*(व्यवधान)* वे एक राजनीतिक ब्लैकमेलर हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : डॉ. स्वामी, मैंने अपना विनिर्णय पहले ही दे दिया है। आप कोई दूसरा विषय उठाएं।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप यह कह रहे हैं कि मैं कोई खबर नहीं पढ़ सकता ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप उद्धृत कर सकते हैं।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : हाँ, मैं उद्धृत कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कौन सा अखबार है और किस तिथि का है ?

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं 6 दिसम्बर, 1998 के 'दि इंडियन एक्सप्रेस' से उद्धृत कर रहा हूं, और मैं इस खबर में लिखी हुई बात की जाँच करवाना चाहता हूं।

श्री दलित एजिलमलाई : इसे पहले ही कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया है।

श्री टी. आर. बालू : वह उसी बात को उद्धृत कर रहे हैं।

श्री वी. सत्यमूर्ति (रामनाथपुरम) : क्या आप समाचार को नकारने को तैयार हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बालू, अखबारों की रिपोर्टों को उद्धृत किया जा सकता है।

श्री टी. आर. बालू : वह इसे पुनः उद्धृत कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह उद्धृत ही कर रहे हैं। मैंने उन्हें उद्धृत करने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : पता नहीं ये इतने भयभीत क्यों हैं। ..*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नियमानुसार आपत्तिजनक हिस्से को मैंने कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है। उन्हें उद्धृत करने का अधिकार है। आप इस पर आपत्ति क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री टी. आर. बालू : वह एक सदस्यीय दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्होंने चालीस मिनट से अधिक समय ले लिया है।

श्री मधुकर सरपोतदार : मेरे ख्याल से अब इनका समय पूरा हो गया है।

श्री टी. आर. बालू : इसे उन्होंने पहले भी पढ़ा था और आपने इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया था।...*(व्यवधान)*

प्रो. पी. जे. कुरियन : डॉ. स्वामी के भाषण समाप्त करने के बाद आप कृपा करके श्री बालू को बोलने की अनुमति दे दें।

[हिन्दी]

श्री आनन्द मोहन : सर, अब हाउस स्थगित किया जाए और कल सुबह आठ बजे फिर शुरू किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : कैसे होगा ? अभी तमिलनाडु का मामला चल रहा है।

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर पहले ही एक घंटा बर्बाद हो चुका है। मेरा विनम्र सुझाव है कि यह सब श्री बालू की जिद के कारण हो रहा है, इसलिए डॉ. स्वामी का भाषण समाप्त होने के बाद उन्हें अपनी बात रखने के लिए दो मिनट का समय दे दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी इसका समर्थन कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : यह अच्छा सुझाव है। उसके भाषण के बाद, वह जो कहना चाहें उन्हें दो मिनट का समय कहने के लिये दीजिए। ...*(व्यवधान)*

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं 6 दिसम्बर, 1998 के *दी इंडियन एक्सप्रेस* से पढ़ रहा था।...*(व्यवधान)*

श्री दलित एजिलमलाई : उन्होंने किसी समाचार पत्र में से पढ़ कर सुनाया था और उसे कार्यवाही वृत्तांत में से निकाल दिया गया था। अब वह उसे पुनः पढ़ कर सुना रहे हैं।...*(व्यवधान)*

प्रो. पी. जे. कुरियन : श्री टी. आर. बालू उत्तर देंगे। आप अभी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त क्यों कर रहे हैं ? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिए। ...*(व्यवधान)*

स्वामी जी का सारा मामला ऐसे ही गोल–माल में टिका हुआ है। ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अशोक प्रधान, मुझे सदन की कार्यवाही चलाने दीजिए। वह समाचार पत्र में से उद्धृत कर रहे हैं। उन्हें उद्धृत करने का हक है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : यह डिक्टेटरशिप नहीं है, डेमोक्रेसी है।...*(व्यवधान)* जब आप लोग बोलते हैं तब क्या आप कोट नहीं करते हैं ?...*(व्यवधान)* यह डेमोक्रेसी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी, ए. वी. एस. एम. : महोदय, वह पहले ही इसे उद्धृत कर चुके हैं। आप यहाँ नहीं थे, मैं यहीं था। श्री वैको ने कुछ बातें रखी थीं। किंतु इसे पुनः दुहराया जा रहा है। यह बात है।...*(व्यवधान)*

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं दुहरा नहीं रहा हूं।...*(व्यवधान)* जब मैं इसे पढ़कर सुना रहा था तो व्यवधान डाला गया। समाचार में आगे क्या कहा गया है ? श्री वैको ने इसका खंडन किया था। समाचार में आगे कहा गया है :

> "मजे की बात यह है कि ईलम के पक्के समर्थक केवल शादी में शामिल ही नहीं हुए बल्कि उन्होंने ईलम समर्थक भाषण दी दिए और कुछ लिट्टे समर्थक बातें भी कीं। ईलम के इन पक्के समर्थकों में कासी आनंदन भी शामिल है जो राजीव गांधी की हत्या से संबंधति जैन आयोग की अंतिम रिपोर्ट में बताए गए 21 संदिग्ध व्यक्तियों की सूची में शामिल है। जैन आयोग ने कहा है कि राजीव गांधी की हत्या में 20 अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के अलावा कासी आनंदन की भूमिका की जाँच की जानी चाहिए।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने इसे केवल उद्धृत किया है।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी हां, मैंने उद्धृत किया है।

दरअसल, यदि आप मेरा पूरा भाषण पढ़ें तो पाएंगे कि मैंने केवल उद्धरण दिए हैं। सिवाय यह कहने के कि मैंने ये आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिखा था और मैंने प्रधानमंत्री महोदय से उम्मीद की थी कि वह इसकी जाँच करके मुझे उत्तर देंगे, मैंने कोई और आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने मेरे पत्र की पावती दी है। किंतु उन्होंने अभी तक इसकी जाँच नहीं कराई है और मुझे रिपोर्ट नहीं दी है या फिर यदि जाँच करा ली है तो मुझे रिपोर्ट नहीं भेजी है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपके पत्र का संबंध इस रिपोर्ट से है ?

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : नहीं। मेरे पहले पत्र में इनकी सरकार के दो मंत्रियों के लिट्टे से संबंध होने के बारे में आरोप थे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह वही है जिसे मैंने अभी कार्यवाही वृत्तांत से निकाला था ?

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपके ऊपर है। लेकिन मैं केवल अपने पत्र को उद्धृत कर रहा था और यह मानहानिकारक नहीं था। मैंने प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिखा तो क्या यह मानहानिकारक हो गया ? क्या प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिखने से मानहानि हो जाती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। ऐसी बात नहीं है।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि इस तरह से प्रधानमंत्री जी की मानहानि हो जाती है तो मैं उनको पत्र नहीं लिख सकता हूं। मैंने तो उन्हें केवल पत्र लिखा है और उसकी पावती मिल गई है। उन्हें पता लगाना चाहिए था कि कहीं यह निराधार बात तो नहीं है। और यदि यह निराधार थी तो उन्हें इसकी पावती नहीं देनी चाहिए थी। किंतु उन्होंने इसकी पावती दे दी है इसलिए उन्हें इसकी जाँच करनी चाहिए क्योंकि एक संसद सदस्य ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। इसलिए प्रधानमंत्री महोदय को जाँच करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : यदि वह कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं तो फिर इसे उद्धृत क्यों कर रहे हैं ? अप्रत्यक्ष रूप से वह ये आरोप लगा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब उनके बोलने में व्यवधान मत डालिए।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : यह तो इनकी चालाकी है। वास्तव में तो यह आरोप है।...*(व्यवधान)*

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, आप जिस बात को मानहानिकारक समझें उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकालना आपका अधिकार है, किंतु मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है।...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, यहाँ अकेले यह ही होशियार आदमी नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी, मैंने किसी भी चीज को या हर चीज को कार्यवाही वृत्तांत से नहीं निकाल दिया है। मैंने केवल इस नियम के अंतर्गत बताई गई मद को निकाला है।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : किंतु वह नियम मेरे भाषण के किसी भी हिस्से पर लागू नहीं होता क्योंकि मैंने पूरा का पूरा समाचार पत्रों से उद्धृत किया है। अब यह आपके ऊपर है और मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप आगे बोलिये।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं अब अंतिम बात पर आता हूं।

श्री दलित एजिलमलाई : महोदय, संबंधित नियम के अंतर्गत इन्हें सदन के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे––जो भी पत्र इन्होंने प्रधानमंत्री महोदय को लिखा हो और इनके हाथ में जो भी समाचार पत्र की क्लिपिंग हैं, यहाँ रखनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे पहले ही कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया है, इसलिए यह बात पहले ही खत्म हो गई।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, एडमिरल भागवत की बर्खास्तगी का ढंग ऐसा है जिससे शंका उत्पन्न होती है और इससे गम्भीर प्रश्न उत्पन्न हो गए हैं और इसी आधार पर ए. आई. ए. डी. एम. के. की नेता ने इस सरकार से अपना समर्थन वापस लिया।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं बताना चाहूंगा कि मंत्रीगण और सत्तापक्ष की ओर से बोलने वाले कतिपय वक्ताओं के भाषणों में एक बात पर जोर दिया गया था कि 13 माह में भ्रष्टाचार का एक भी मामला उजागर नहीं हुआ है। अब मैं एक प्रश्न पढ़ता हूं जो मैंने फाइल किया था और प्रधानमंत्री महोदय ने 24.2.99 को इसका उत्तर दिया था। आपकी अनुमति से, मैं इसे पढ़ना चाहूंगा :

"क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री को किसी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत उनकी मंजूरी मांगने वाली याचिका मिली है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?"

"क्या 13 जनवरी, 1999 के फ्री प्रेस जरनल में छपी खबर की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है जिसमें बताया गया है कि किसी मंत्री विशेष पर लगे कतिपय आरोपों के संबंध में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने अपनी जाँच पूरी कर ली है; यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया।

"डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी, संसद सदस्य से एक याचिका प्राप्त हुई

[डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी]

है जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत केन्द्रीय मंत्री पर मुकदमा चलाने की मांग की गई है तथा इस मामले पर सरकार विचार कर रही है।

मुझे सीधे प्रधानमंत्री का दिनांक 21 जनवरी, 1999 का पत्र भी मिला है। में उद्धृत कर रहा हूं :

"प्रिय डॉ. स्वामी मुझे आपका दिनांक 14 जनवरी, 1999 का पत्र मिला जो श्री राम जेठमलानी शहरी कार्य और रोजगार मंत्री पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिये जाने के बारे में है।"

उस पत्र में मैंने श्री राम जेठमलानी के भ्रष्टाचार के बारे में केन्द्रीय जाँच ब्यूरों की रिपोर्ट के अंश, संलग्न किये थे। मैंने प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र के साथ भी उन्हें संलग्न किया था। प्रधानमंत्री की रिपोर्ट के अंश केन्द्रीय जाँच ब्यूरो से सीधे भी प्राप्त हुए थे परन्तु मैंने भी अपने स्रोतों से प्राप्त रिपोर्ट के अंश, संलग्न किये थे और मैं यह जानना चाहता था कि क्या वह सही थे। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के अनुसार मंत्री महोदय, द्वारा जारी किये गये आदेश काफी धनराशि से संबंधित हैं और वह आबंटन पत्र और दिल्ली उच्च न्यायालय तथा अपर जिला न्यायाधीश के आदेशों के अनुरूप नहीं है। यदि मंत्री आदेश कार्यान्वित किया जाता तो हुडकों को अनेक प्रकार से हानि हो सकती थी...*(व्यवधान)*

श्री वैको : महोदय, यहाँ पर भी फिर वही नियम लागू होता है।

डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी : मैंने मुकद्दमा चलाने की अनुमति मांगी थी। यह सांविधिक अधिकार है।

श्री वैको : महोदय, वे एक मंत्री के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं। नियम काफी स्पष्ट हैं...*(व्यवधान)*

डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी : कृपया व्यवधान न डालें। मैंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संविधि के अन्तर्गत पूछा है। एक आम नागरिक को अधिकार है...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, उनहें प्रक्रिया संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए।

डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी : प्रक्रिया संबंधी कोई नियम नहीं है ...*(व्यवधान)* भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एक संविधि है और मैंने उसी संविधि के अन्तर्गत मंत्री महोदय पर मुकद्दमा चलाने के लिए प्रधानमंत्री से अनुमति मांगी है।...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए. वी. एस. एम. : क्या यहाँ पर पत्राचार को उद्धृत करना और इस सभा के नियमों का उल्लंघन करना आपके लिए उचित है ?

डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी : मैंने प्रधानमंत्री से मुकद्दमा चलाने की मंजूरी दिए जाने की अनुमति मांगी है। .....*(व्यवधान)*

श्री वैको : महोदय, इस मामले में भी नियम 356 लागू होता है।

डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी : मैं सभा के ध्यान में यह बात ला रहा हूं कि एक याचिका है जिसमें मैंने भ्रष्टाचार के आरोप में एक मंत्री पर मुकद्दमा चलाने की मंजूरी दिए जाने हेतु प्रधानमंत्री महोदय, से अनुमति मांगी है। उनका यह कहना गलत है कि भ्रष्टाचार के आरोप का एक भी मामला नहीं है।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए. वी. एस. एम. : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वामी, यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है। आप कतिपय नियम के अन्तर्गत प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं।

डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी : प्रधानमंत्री मंजूरी देने के लिए एक सांविधिक प्राधिकारी है। बिना मंजूरी के मैं आगे कार्यवाही नहीं कर सकता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप सभा में उस विशेष मामले को उठाते हैं तब आपको निश्चित नियम के अन्तर्गत ऐसा करना होगा।

डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी : महोदय, मैं यहाँ पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री वैको : महोदय, यह एक आरोप है।...*(व्यवधान)*

डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी : मैं, मंत्री महोदय पर मुकद्दमा चलाने की मंजूरी मांग रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने प्रधानमंत्री से कहा है। परन्तु इसे सभा में उठाया जा रहा है, यह सभा की कार्यवाही का भाग बनने जा रहा है। यदि यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाता है तो यह नियमों के अन्तर्गत होना चाहिए।

डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी : महोदय, कृपया आप नियम देखें और नियम लागू करें। यदि आप महसूस करते हैं कि यह नियमों के अन्तर्गत नहीं है तो आप उसे हटा दीजिये।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न और उत्तर का पढ़ना ठीक है।

डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी : यदि मेरा प्रश्न कार्यवाही वृत्तान्त के लिए अनुमत्य है तो मैं जो कुछ बोल रहा हूं उसकी भी अनुमति होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, इसका उससे कोई संबंध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान : ये हाउस को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

डॉ. सुब्रह्मणयम स्वामी : एक याचिका लंबित पड़ी है, जिसके

लिए मैंने प्रधानमंत्री महोदय से जो कि सांविधिक प्राधिकारी हैं, अनुमति मांगी है...*(व्यवधान)*

श्री दलित एजिलमलाई : महोदय, आपको उन्हें इस तरह से बोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए...*(व्यवधान)*

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मंत्री महोदय को पता होना चाहिए कि मर्यादा कैसे कायम रखी जाती है...*(व्यवधान)* मुझे पता है आपकी पृष्ठभूमि क्या है।

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान : इन्हें इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री वैको : उन्होंने कहा कि 'उन्हें मंत्री महोदय की पृष्ठभूमि का पता है'...*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : महोदय, मंत्री महोदय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के हैं...*(व्यवधान)* वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति समुदाय के मंत्री महोदय पर आक्षेप लगा रहे हैं।

श्री दलित एजिलमलाई : महोदय, मुझे बोलने का पूरा अधिकार है...*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : महोदय, वे मंत्री महोदय पर आक्षेप लगा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उन्होंने कोई असंसदीय बात कही है तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूँगा।

(व्यवधान)

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं आपको बताऊंगा कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है।...*(व्यवधान)* वे पट्टाली मक्कल काची दल के है ...*(व्यवधान)*

श्री सी. श्रीनिवासन : महोदय, वे इसे स्पष्ट करने के लिए तैयार हैं। महोदय, आप इस सभा के संरक्षक हैं। वे आपको सभी कुछ स्पष्ट कर देंगे...*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : महोदय, उन्हें वे शब्द वापस लेने होंगे ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपने यहाँ जो कुछ उल्लेख किया है। यदि नियमों के अन्तर्गत उनकी अनुमति नहीं होगी तो मैं उन्हें कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूँगा।

(व्यवधान)

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, यह निर्विवाद है...*(व्यवधान)*

श्री दलित एजिलमलाई : महोदय, मुझे आपकी पृष्ठ भूमि के बारे में पता है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने क्या कहा ?

(व्यवधान)

श्री दलित एजिलमलाई : मैं, तस्कर नहीं हूं, मैं चालबाज नहीं हूं, मैं ब्लेक मेल करने वाला नहीं हूं। तब वे मेरी किस पृष्ठ भूमि की बात कर रहे हैं ?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : किसकी पृष्ठ भूमि ?

(व्यवधान)

श्री दलित एजिलमलाई : वे किसी मंत्री के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, आप अपने स्थान पर क्यों नहीं बैठते हैं ? मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री टी. आर. बालू : महोदय, उन्हें अपनी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : दलित मंत्री को ऐसा कहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान : ये ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, इनको माफी मांगनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या ऐसे हाउस को कंट्रोल करेंगे, आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वामी, अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन सभी अपमानजनक शब्दों की जाँच करुंगा और यदि वे अपमानजनक पाए गए तो मैं उन्हें पूर्णतः कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईए। हर बात की एक सीमा है। मैं संसदीय कार्य मंत्री से उन्हें नियंत्रित करने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जब प्रभुनाथ सिंह जी तीन दिन बोल सकते हैं, तो स्वामी जी दो दिन क्यों नहीं बोल सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या करना है ?

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव : हाउस को एडजोर्न करें...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वामी, क्या आप अपनी बात समाप्त करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : महोदय, यह बहुत अधिक है। हम कल 11 बजे कैसे आ सकते हैं ?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव : हम लोग इतनी रात तक बैठकर समझ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। जब पार्लियामेंट नहीं समझेगी तो देशवासी कैसे समझेंगे।

श्री आनन्द मोहन : मेरा नियम 376 के तहत व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है, आपको स्वामी जी के बाद बोलना है, आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : अन्त में, मैं कहूंगा कि चाहे वह राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय एकता अथवा सशस्त्र सेनाओं का मनोबल कम करने अथवा भ्रष्टाचार का प्रश्न हो। इस सरकार ने देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया है।

इसलिए यह सरकार अवश्य गिरनी चाहिए। प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाना चाहिए। मेरा उनसे कहना है कि यह बेहतर है कि वे स्वयं हट जायें बजाय कि उन्हें हटाया जाए।

इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। राजनीतिक दलालों और ब्लैकमेल करने वाले लोगों के मूर्खतापूर्ण कार्य की वजह से सारा राष्ट्र राजनीतिक उथल–पुथल का सामना कर रहा है...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया : महोदय, क्या वे ऐसे शब्द बोल सकते हैं ? ...*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : मैंने किसी का हवाला नहीं दिया है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों ओर से यह अनुरोध किया गया है कि वे एक मिनट के लिए बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : यह एक असंसदीय अभिव्यक्ति है। इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : मैंने किसी का हवाला नहीं दिया है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया, मैं असंसदीय शब्दों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन : हमारे नेता ने समर्थन वापसी का पत्र दिया है। सम्पूर्ण प्रक्रिया जारी है। क्या यह मूर्खतापूर्ण कार्य है ? क्या राष्ट्रपति का आदेश मूर्खतापूर्ण कार्य है ? आपको विनिर्णय देना होगा। सभी सदस्य एक समान हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुथैया, यदि ऐसा कोई अंश है जिसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जाना चाहिए तो मैं ऐसा करुंगा। अब आप क्यों चिल्ला रहे हैं ? श्री बालू, उन्हें उत्तेजित मत करें।

श्री टी. आर. बालू : डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अपने भाषण के दौरान हमारे दल के विरुद्ध अनर्गल आरोप लगाए हैं। उन्होंने यह कहते हुए कुछ टिप्पणी की है कि डी. एम. के. तथा इस दल के लोगों ने विदेशी मुद्रा विनियमन कानून का उल्लंघन किया है। परन्तु यहाँ पर तमिलनाडु के राज्यपाल को सम्बोधित एक पत्र है। डॉ. स्वामी, क्या यह सही है ?

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस पत्र की क्या प्रासंगिकता है ? महोदय, क्या उन्होंने पत्र प्रस्तुत किया है ?...*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : मैं इस बारे में जानता हूं। महोदय, उन्होंने नवम्बर, 1993 में राज्यपाल को पत्र लिखा था। जिसमें सुश्री जयललिता पर मुकद्दमा चलाने की इजाजत मांगी गई थी। यह पत्र संसद सदस्य द्वारा लिखा गया था। मैं उद्धृत करता हूं :

> "सुश्री जयललिता विदेशी मुद्रा विनियमन के उल्लंघन तथा धोखाधड़ी की दोषी है। सुश्री जयललिता का यूनियन बैंक ऑफ स्विटजरलैंड, जूरिक में कम से कम 21 निर्वाचन डालर (लगभग 62 करोड़ रुपए) का गोपनीय अवैध बैंक खाता है।"

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री अमर राम प्रधान (कूचबिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, शुक्रवार को नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सभी राजनीतिक

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिनिलत नहीं किया गया।

दलों को समय मिलेगा। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे अवसर नहीं मिला तथा अब 4 बज रहे हैं। मैं नहीं जानता कि मुझे अवसर क्यों नहीं मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी का नाम है, श्री ओवैसी का नाम है, रिपब्लिकन पार्टी का नाम है। पांच या छह नाम हैं। मैं उन सबको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री अमर राम प्रधान : यदि सभी वरिष्ठ सदस्यों को सम्मान मिलना चाहिए तो क्या मैं एक वरिष्ठ सदस्य नहीं हूं? मुझे अवसर मिलना चाहिए। क्या मैं एक नया सदस्य हूं? मेरा दल एक छोटा दल है। आप इसे अनदेखा क्यों कह रहे हैं? मैं बहुत स्पष्ट तौर पर यह जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे गलत मत समझिए।

श्री अमर राम प्रधान : यह गलत समझने का प्रश्न नहीं है। मैं आपसे न्याय की अपेक्षा करता हूं क्योंकि जब तक आप पीठासीन अधिकारी हैं तब तक आप सर्वोच्च हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रधान आपका नाम सूची में है। अगले वक्ता आप होंगे।

(व्यवधान)

श्री अमर॰राम प्रधान : आपको इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह दुःख की बात है।

[हिन्दी]

श्री आनन्द मोहन : उपाध्यक्ष जी, आपने हमें देर से ही सही, बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सदन में प्रधानमंत्री जी द्वारा लाए गये विश्वास मत के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे जा रहे हैं, एक घंटा बर्बाद करते चले गये।

श्री आनन्द मोहन : मैं अगर विश्वास मत के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम भाजपा के आर्थिक दर्शन या उसकी नीतियों और सिद्धांतों से सहमत हैं। मैं ऐसा भी नहीं मानता कि भाजपा में ऐसे कोई सुरखाब के पर लग गये हैं। कि हमारी विवशता हो और हम भाजपा के पक्ष में खड़े हो गये। मैं आज भी यह मानता हूं कि सत्ता में आने के बाद जितना परिवर्तन भाजपा में हुआ ऐसा दुनिया में किसी भी पार्टी में नहीं हुआ होगा।

उपाध्यक्ष जी, बजट पेश किया गया और उस पर बहस होनी शेष है, लेकिन मैं मानता हूं कि डॉ॰ मनमोहन सिंह जी के बजट में, श्री पी॰ चिदम्बरम जी के बजट में और श्री यशवंत सिन्हा जी के बजट में कोई फर्क नहीं है और न ही कांग्रेस और भाजपा की अर्थ–नीति में कोई फर्क है। जहाँ तक पेटेंट का सवाल है उस पर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की दूरियां सिमट गयी है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर, मिल कर यहाँ से लेकर राज्य सभा के पटेंटे जैसे राष्ट्रघाती बिल को लाए। इसके बारे में मेरे जैसा व्यक्ति मानता है कि यह देश की अस्मिता के लिए सबसे खतरनाक बात है। भारत की गुलामी के दस्तावेज पर प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष ने मिल कर हस्ताक्षर किए हैं। आने वाले दिनों में भावी पीढ़ी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि हजारों सालों से पीड़ित और उपेक्षित तबका महिलाओं का है। उनके सवाल पर जो बिल लाने की कोशिश हुई, मैं इस मामले में मुलायम सिंह जी और लालू प्रसाद जी को उतना बड़ा दोषी नहीं मानता जितना बड़ा दोषी सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष को मानता हूं। ऐसा करके आधी आबादी के साथ छल हुआ है और धोखा हुआ है। अगर कांग्रेस महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में थी, बी॰ जे॰ पी॰ इसके पक्ष में थी और हमारे क्रांतिकारी मित्र सी॰ पी॰ एम॰ भी इसके पक्ष में था तो 37 सदस्यों वाली पार्टी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि महिला बिल को पास करा देती। उन्होंने इस बिल को लटका कर रखा। मैं इसमें इच्छा शक्ति की कमी मानता हूं और राजनीतिक ईमानदारी की कमी मानता हूं। आज मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो इसका यह मतलब कतई नहीं है कि सरकार की नीतियां और सिद्धांत नहीं हैं। अगर हम इस सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर यह मानते हैं कि जो राजनीतिक घटनाक्रम फिलहाल चल रहा है इसके पीछे मुझे जबर्दस्त गहरी विदेशी साजिश की बू आती है। हमारी स्पष्ट मान्यता है कि कोई आसमान नहीं टूटा जा रहा था, कोई पहाड़ नहीं ढह रहा था कि केन्द्र में अस्थिरता थोपी जाए। अविश्वसीय मित्रों के दम पर जिस तरह से सरकार के बदलने की बात हो रही है, कल आने वाले दिनों में भी केन्द्र सरकार स्थिर होगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : पांच–छः आदमी बोलने वाले हैं। आप जल्दी से खत्म करो।

श्री आनन्द मोहन : अभी तक टाइम लिमिट नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय : टाइम लिमिट इधर आ रही है।

श्री आनन्द मोहन : कांग्रेस यह चाहती है कि ऐसे कुछ कदम उठाए जाएं जिससे केन्द्र में उनकी सरकार आए और उनके नेतृत्व में आने वाले दिनों में चुनाव हों। ये बेबस चुनाव लादने की और सम्पूर्ण देश को बताने की यह गहरी साजिश है कि गैर कांग्रेसी दलों को सरकार चलानी आती नहीं है और उनमें सरकार चलाने का हुनर नहीं है। इसमें कांग्रेस की गहरी साजिश है। हर बार साम्प्रदायिकता का हौवा खड़ा किया जाता है। हम मानते हैं कि साम्प्रदायिकता देश के लिए खतरनाक है लेकिन यह भी मानते हैं कि साम्प्रदायिकता से भी बड़ा खतरा इस मुल्क को जातिवाद से है। जो लोग केन्द्र सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं और भविष्य की सरकार के लिए चिंतित हैं, वे न केवल जातिवादी हैं, वे भ्रष्टाचार में भी डूबे लोग हैं। हमें आश्चर्य है और उसी के साथ–साथ हम यह मानने के लिए भी बाध्य हैं कि हर बार साम्प्रदायिकता का हौवा खड़ा किया जाता है। यह भी एक साजिश का अंग है। हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यहाँ नहीं हैं, वे चले गये। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि 1977 से 1979 की सरकार हमने इसलिये खोई

[श्री आनन्द मोहन]

थी क्योंकि हम साम्प्रदायिकता से कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं उनको तथा उनके समस्त साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि 1974 से लेकर 1977 तक एमरजेंसी के समय लैफ्ट पार्टीज और हम सब लोग एक साथ थे। उस समय सरकार ने प्रैस की स्वतंत्रता पर तलवार लटका दी थी। यह आजादी की दूसरी जंग हम लोगों ने लड़ी थी। इस लड़ाई में आर॰ एस॰ एस॰, जनसंघ, लैफ्ट पार्टीज हमारे साथ थे। उस समय जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसमें न केवल ये हमारे तमाम मित्र थे जो आज साम्प्रदायिकता की बात उठा रहे हैं बल्कि उस समय जनता पार्टी में जनसंघ के लोग भी थे। तब इन्हें साम्प्रदायिकता का कोई खतरा नहीं था। लालू जी इस सदन में 1989 में चुनकर आये थे और तभी वी॰पी॰ सिंह की सरकार बनी थी। उस सरकार को न केवल लैफ्ट पार्टीज ने समर्थन दिया बल्कि श्री आडवाणी जी की पार्टी जनसंघ ने भी समर्थन दिया था। उस समय इनके समर्थन से कोई परहेज नहीं किया गया था। उस समय साम्प्रदायिकता का सवाल भुला दिया गया था। उस समय डा॰ राम मनोहर लोहिया का गैर–कांग्रेसवाद का नारा दिया गया था और गैर–कांग्रेसी हकूमत इस देश में बनी थी। बिहार में जब सरकार बनी तो उसमें न केवल लैफ्ट पार्टीज, जनसंघ के लोग थे बल्कि समाजवादी लोग भी थे तथा कांग्रेस (संगठन) के लोग भी थे। इन सब ने मिलकर सरकार चलाई। उस समय 9 प्रान्तों में गैर–कांग्रेसी सरकारें बनीं, तब इनको कोई परहेज नहीं था, तब साम्प्रदायिकता का हौवा नहीं खड़ा किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक लालू जी की बात का सवाल है, वे इस समय सदन में नहीं हैं फिर भी मैं उनके साथियों को याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने बिहार में 1990 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चलायी, जब हम उस सरकार के खिलाफ लड़े थे, वह बी॰ जे॰ पी॰ के समर्थन से चलायी थी परन्तु आज साम्प्रदायिकता पर लम्बी–चौड़ी बातें की जा रही हैं। इसलिये मैं लैफ्ट पार्टीज तथा अन्य साथियों से कहना चाहूंगा कि आप अपनी सुविधा के अनुसार सैकुलरिज्म को परिभाषित न करें। आप अपनी सुविधा के अनुसार नॉन–सैकुलरिज्म बनाने जा रहे हैं, यह ख्याल बंद होना चाहिये। हम मानते हैं कि इस देश को साम्प्रदायिकता से कोई खतरा नहीं है, इसके सैकुलरिज्म को कोई खतरा नहीं है। इस देश की 100 करोड़ आबादी में, अबुल कलाम से लेकर खुदीराम बोस तक, चन्द्रशेखर आजाद से लेकर अशफाकुल्ला खां तक कोई बड़ा फर्क नहीं रखते हैं। हन अपनी राजनैतिक रोटी सेंकने के लिये बार–बार इन सवालों को उठाकर वोट के समय उनको याद करते हैं, यह एक प्रकार से छलावा या धोखा है।

उपाध्यक्ष जी, यहाँ बार बार यह सवाल उठाया गया और कहा गया कि रूलिंग पार्टी को नागपुर से मेसेज आता है और बार–बार नागपुर का नाम लिया जाता है। मैं बेबाक कहूंगा कि जब भी जरूरत पड़ी तो हम नागपुर से मेसेज ले लेंगे और आर॰ एस॰ एस॰ या जमायते इस्लामी को गले लगा लेंगे लेकिन यह कदापि नहीं होगा कि हम इटली से मैसेज लेकर देश चलायें या अमरीका के पास देश बंधक रखकर उनसे मदद ले लें। आज ऐसी बातें होने की आशंका है। आज ही अखबार में अतिरिक्त प्रवक्ता अर्जुन सिंह जी का बयान आया--कल की आने वाली सरकार सोनिया के नेतृत्व में होगी। अभी इस देश के 100 करोड़ में से 50 करोड़ मांओं की कोख सूनी नहीं हुई है।

प्रातः 4.00 बजे

मैं एक बात चाहूंगा कि यह वही विदेशी महिला हैं जिन्होंने इस देश की नागरिकता लेने के साढ़े सोलह वर्षों तक हमें इंतजार कराया। बहू बन गई लेकिन मुल्क की नागरिकता ग्रहण नहीं की।*

[अनुवाद]

श्री के॰ बापीराजू : महोदय, वह किसके बारे में बात कर रहे हैं ? महोदय, आप उनकी बात क्यों सुन रहे हैं ?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी अपमानजनक टिप्पणियां कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दी जाएंगी।

[हिन्दी]

डॉ॰ शकील अहमद : ये जो बोल रहे हैं वह ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री आनन्द मोहन :* आखिर इसके पीछे कौन से कारण हैं ? मैं मानता हूं कि इस सबके पीछे गहरी विदेशी साजिश है और इस देश को अस्थिर करने की कोशिश है। हम वाजपेयी जी की सरकार के पक्ष में इसलिए भी हैं क्योंकि इनकी सरकार ने पोखरन में अणुबम का परीक्षण किया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ॰ शकील अहमद : महोदय, क्या आपने इनकी अपमानजनक टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इन्होंने जो अपमानजनक टिप्पणियां की हैं उन्हें कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री आनन्द मोहन : तमाम आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद वाजपेयी जी ने इस देश को आर्थिक समस्याओं से उबारने की कोशिश की और वह कामयाब रहे। हम इसलिए इस सरकार के पक्ष में खड़े हैं कि उन्होंने अग्नि–2 का सफल परीक्षण किया।...*(व्यवधान)* यह एक विदेशी महिला की गहरी साजिश है, यह मैं दावे के साथ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अमर राय प्रधान।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने श्री प्रधान का नाम पुकारा है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, इनको कनक्लूड करने दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री आनन्द मोहन : हम एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर आनन्द मोहन जैसे व्यक्ति को राबड़ी देवी और सोनिया गांधी में चुनाव करना पड़ेगा तो अनपढ़ और गंवार भगवती देवी को भी चुनना पसंद करेंगे, सोनिया गांधी को नहीं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वे सभी अपमानजनक टिप्पणियां कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दी गई हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

श्री पी. सी. चाक्को : महोदय, हम इसे उठाते रहे हैं। आपका विनिर्णय क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे सभी अनुचित टिप्पणियां मैंने कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दी हैं। आप और क्या चाहते हैं ?

हां, श्री प्रधान, कृपया आप बोलिए।

[हिन्दी]

श्री आनन्द मोहन : अभी कांग्रेस के लोगों ने हम पर आरोप लगाया। कांग्रेस के शिवशंकर जी ने हॉर्स ट्रेडिंग की बात की। उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि आप रेकार्ड देखेंगे। क्या आपने रेकार्ड देखा ?

उपाध्यक्ष महोदय : हां, देखा।

श्री आनन्द मोहन : क्या उसमें हम पर आरोप है ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं है।

[अनुवाद]

श्री वैको : श्री शिव शंकर ने एक आरोप लगाया था...*(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लाए गए विश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने को खड़ा हुआ हूं।...*(व्यवधान)*

श्री वैको : महोदय, श्री पी. शिव शंकर ने श्री आनंद मोहन का हवाला दिया था।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आनन्द मोहन : उपाध्यक्ष महोदय,...*(व्यवधान)** ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन ने जो कुछ भी कहा है, कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। श्री आनन्द मोहन, यह बोलने का ढंग नहीं है।

*(व्यवधान)**

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूड़ी, ए. वी. एस. एम. : उपाध्यक्ष महोदय, वह खरीद–फरोख्त के आरोप की बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मेजर जनरल खंडूडी, मैंने मामले की जाँच कर ली है। मैं पहले ही उनको यह बता चुका हूं।

(व्यवधान)

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूड़ी, ए. वी. एस. एम. : मैं जानना चाहता हूं कि उनका नाम किस संदर्भ में लिया गया था।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी जाँच कर ली है और इसे उनको बता दिया है। आप क्या बात कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अमर राय प्रधान के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री अमर राय प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं। वह अक्सर देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं। एक देशभक्त के रूप में मैं भी महसूस करता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक भारत एक है। निस्संदेह, यह हमारी मातृभूमि है। यदि ऐसी बात है तो, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लेकिन भा. ज. पा. सरकार अखंडता के लिए काम नहीं कर रही। ये साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, ये जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही ये क्षेत्रीयता को बढ़ावा दे रहे हैं।

माननीय वित्त मंत्री महोदय यहाँ उपस्थित नहीं हैं। मैं कह सकता हूं कि पिछले 13 महीनों में इस सरकार ने देश के पूर्वी भाग, विशेषकर देश के पूर्वोत्तर भाग की उपेक्षा की है। क्योंकि इन क्षेत्रों में मुख्यतः जनजातीय और ईसाई लोग रहते हैं इसलिए यह सरकार देश के इस भाग की उपेक्षा कर रही है।

महोदय, ये क्षेत्रीय असंतुलन को और बढ़ा रहे हैं। अधिकांश निवेश कुछेक राज्यों में ही हो रहा था। पूरे सदन को जानकारी होनी चाहिए कि ये निवेश महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ही हो रहे थे। वर्ष

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अमर राय प्रधान]

1998–99 के प्रथम नौ माह में मंजूर की गई कुल 1,349 विदेशी तकनीकी और वित्तीय परियोजनाओं का 73 प्रतिशत इन तीन राज्यों के हिस्से में आया।

ये देश में केवल तीन राज्यों–महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश, का ही विकास कर रहे हैं। ये शेष देश की नहीं सोच रहे। 1300 परियोजनाओं में से केवल 2 परियोजनाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं। ये क्षेत्रीय असंतुलन के उदाहरण हैं। इन क्षेत्रीय असंतुलनों को और बढ़ाया जाना है।

माननीय गृह मंत्री जी यहाँ हैं। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। श्री आडवाणी जी जानते हैं कि 126 भारतीय एन्क्लेव हैं। जब वह विपक्ष में थे और श्री नरसिंहराव प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने यह प्रश्न उठाया था।

मैंने भी उस प्रश्न का समर्थन किया था। इन 126 भारतीय इन्क्लेवों का क्या होने जा रहा है ? आप जानते हैं, उस समय बड़े साफ शब्दों में यह कहा गया था। हां, मैं आपको संख्या भी बता सकता हूं। यह 5 दिसम्बर, 1991 का इस लोक सभा का प्रश्न संख्या 205 है। यह प्रश्न श्री लाल कृष्ण आडवाणी और श्री अमर राय प्रधान ने उठाया था। मुख्य प्रश्न बंग्लादेश से जुड़े तीन बीघा गलियारे के संबंध में था। उस समय, माननीय विदेश राज्य मंत्री ने कहा था कि उच्चतम न्यायालय ने इसे स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का और उच्चतम न्यायालय के एक प्रमुख न्यायाधीश का हवाला देते हुए कहा है कि दासता का अधिकार पहुँच का अधिकार है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत प्रत्येक देश को दूसरे देश के एन्क्लेव को देना चाहिए। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस. मुखर्जी, न्यायमूर्ति एम.एच. कानिया, न्यायमूर्ति के.जे. शेट्टी, न्यायमूर्ति के.एन. सैकिया और न्यायमूर्ति एस.सी. अग्रवाल की उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने यह निर्णय दिया था। यह निर्णय 5 मई, 1990 को दिया गया था। यह स्थिति थी।

उपाध्यक्ष महोदय, इन 126 एन्क्लेवों की क्या दशा है ? मेरे ख्याल से आपके लक्षद्वीप में कुल जनसंख्या लगभग एक लाख है लेकिन इन 126 एन्क्लेवों में जनसंख्या लगभग दो लाख है। लेकिन वे जंगलराज में जी रहे हैं। वहाँ न कोई स्कूल है, न अस्पताल है, न सड़क है, न कोई राहत है, न पंचायत है, न पुलिस है, न वहाँ सेना है और न वहाँ ऐसी कोई अन्य चीज है। क्या वे भारत के नागरिक नहीं हैं ? यह सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम सभी को शर्म आनी चाहिए कि 50 वर्ष में भी भारत में दो लाख लोग मुख्य भूमि से अलग पड़े हुए हैं। उन्हें कोई काम नहीं है। वे केवल बंग्लादेश के लोगों की दया पर जी रहे हैं। लेकिन माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे यह प्रश्न है। जब आप विपक्ष में थे तब आप इन भारतीय नागरिकों के बारे में जोर–शोर से बातें करते थे। लेकिन विगत 13 महीने में आपने इनकी कोई परवाह नहीं की। ऐसा क्यों ? ऐसा इसलिए की आप साफ तौर पर जानते हैं कि बंगलादेश से घिरे भारत के एन्क्लेव के इस भाग में रहने वाले 80 प्रतिशत लोग मुसलमान हैं और शेष 20 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों के हैं। इसी वजह से आप कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। जब आप विपक्ष में थे तब आप केवल मगरमच्छी आंसू बहा रहे थे। लेकिन क्या अब तेरह महीने में आपने इनकी हालत के बारे में पता किया है ? देश के उस हिस्से में वे कैसे रह रहे हैं ? क्या आपको पता है कि वहाँ 64 लोग भूख से मर गए हैं ? क्या आपको इसकी जानकारी है ? क्या आपने इसकी जाँच कराई ? क्या आपने बंगलादेश की सरकार से कहा है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं और भारतीय एन्क्लेवों में जाना चाहते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं ? आपने जो पहले निर्णय दिया था कि वे भारतीय नागरिक हैं, केवल कुछ राजनीतिक फायदा लेने के लिए लिया था। यही कारण है कि आप इन लोगों के लिए बोले। परन्तु जबकि आप 13 महीनों से सत्ता में हैं तो आप उन्हें भूल गए। निश्चित रूप से आप उन्हें भूल गए। क्या ऐसा इसलिए है कि आपको यह पता है कि ये मुसलमान लोग हैं, ये अनुसूचित जाति के लोग हैं और यदि ये लोग देश में, भारत में, आते हैं तो मुसलमानों और अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या बढ़ेगी ?

महोदय, आज मैं भारी मन से केवल एक ही बात कहना चाहूंगा। मैंने इसे अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ा था। मैं आपका अत्याचार सह सकता हूं परन्तु आपका ढोंग नहीं सह सकता हूं। मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं।

मैं सरकार, इस ढोंगी सरकार, पर आरोप लगाता हूं कि इन्होंने इन लोगों के लए घड़ियाली आंसू बहाए, परन्तु इनके लिए कुछ भी नहीं किया। बांगलादेश से इनके अवैध संबंध हैं। फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया ? क्या सरकार मुझे यह बताएगी ?

इसलिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं। यद्यपि एक व्यक्ति के रूप में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए मेरे मन में काफी आदर है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं। यदि उनसे भारत के प्रधानमंत्री वाला भाग हटा दिया जाए तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी का मैं अत्यधिक आदर करता हूं।

मैं उनके द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को इस हाउस में विश्वास प्रस्ताव लाने की मजबूरी स्वीकार करनी पड़ी। इस सरकार ने अलग–अलग पार्टियों को साथ लेकर सरकार बनाने का प्रयत्न किया। यह सरकार चलेगी या नहीं, इस संबंध में अटल जी और उनके साथियों को विचार करने की आवश्यकता थी। लेकिन नॉन–सैकुलर विचारधारा के लोग और सैकुलर धारा से अपना संबंध बताने वाले सोशलिस्टों ने कांग्रेस पार्टी में अपना जीवन खर्च किया। ऐसे बहुत से लोग राष्ट्रपति जी से जाकर मिले। बहुजन समाज पार्टी ने सत्ता के लिए कभी कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज किया, कभी बी. जे. पी. को किया। श्री कुमारमंगलम ने ऐसे किया। सोशलिस्ट पार्टी के श्री जार्ज फर्नान्डीज का नाम हम स्कूल के जमाने में सुनते थे, सोशलिस्ट नेता की उनकी विचारधारा थी लेकिन दो सालों से हम देख रहे हैं कि उन्होंने सोशलिज्म को बर्बाद करने का काम किया। वे बिहार की राजनीति में अटक गए। सैकुलर और नान–सैकुलर लोगों को इकट्ठे होकर जो सरकार बनाई, वह शायद ज्यादा दिन चलने वाली नहीं थी।

तालियां आप क्यों बजा रहे हैं
अटल जी को आप क्यों सजा दे रहे हैं
भारत की अस्मिता का आप क्यों मजा ले रहे हैं
बी. जे. पी. की सरकार को क्यों रजा दे रहे हैं।

अभी सात घंटे बाकी हैं और इस सरकार को जाना ही है, जो आता है उसे जाना भी होता है। आप तेरह महीने पहले आए थे। कौन्फीडैंस मोशन हम नहीं लाए। सुश्री जयललिता के साथ गठबंधन करने का निर्णय आपने लिया था। पी. एम. के., एम. डी. एम. के. और दूसरी पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई लेकिन आपको जो काम करना चाहिए था, उसे आपने ठीक ढंग से नहीं किया। भागवत ईशू पर इस तरह का कोई कागज नहीं आना चाहिए। मगर भागवत जी का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, मगर भागवत जी ने जो भी सवाल बाद में खड़े कर दिये हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी ने कागजात बाहर दिखाने का भी प्रयत्न किया है और यह कागजात गायब थे, यह बताया है तो कागजात जिसने गायब कर दिये थे, उनके ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई करने की आवश्यकता थी, लेकिन उसकी कोई जाँच नहीं हुई है।

हम इतना ही चाहते हैं कि हमारी जो पार्टी है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की विचारधारा को मानने वाली हमारी पार्टी है। हमारी पार्टी रियल सैकुलर पार्टी है। सत्ता के लिए कहीं भी टांग अड़ाने वाली हमारी पार्टी नहीं है। अगर आप लोग बोलेंगे और आप इधर आइये, हमारे गवई साहब या किसी को ये प्रधानमंत्री भी बनाएंगे तो हम बी. जे. पी. के साथ कभी भी जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा बी. जे. पी. के सामने इतना ही सवाल है, हमारे मित्र राधाकृष्णन जी हैं, वे हमसे पूछ रहे थे कि आप बी. जे. पी. का क्यों विरोध कर रहे हैं तो विरोधी करने का कारण, कुमारमंगलम जी, इतना ही है, हमारा आपसे विरोध नहीं है, मगर एक तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि संघ परिवार को जो हिन्दुत्व मंजूर है, उस हिन्दुत्व का मतलब राष्ट्रवाद नहीं है। हम तो यह समझते हैं कि हिन्दुत्व का मतलब अगर आप एकता समझते हैं, हिन्दुत्व का मतलब अगर आप समानता समझते हैं तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी 14 अक्टूबर, 1956 को हिन्दू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में जाने का प्रयत्न भी नहीं करते। बाबा साहेब सदियों से मांग रहे थे कि हम तो गांव के बाहर रहने वाले लोग हैं और गांव के बाहर रहते हुए भी हमने अपने देश को अपनाया है। हमारा बहुत बार अपमान करने का प्रयत्न किया, मगर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हमारा इतना अपमान होने के बाद भी हम लोग अपने देश के साथ रहे हैं। इस देश के बारे में हमें अभिमान है। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें जो राष्ट्रीयता सिखाई है, यह ठीक बात है कि पार्टी अपनी अलग-अलग है, जाति अपनी अलग-अलग है, धर्म अपना अलग-अलग है, मगर हम भारत के सारे वासी एक हैं।

रिपब्लिकन पार्टी की भूमिका यह भी रही है कि पाकिस्तान के साथ जरूर दोस्ती होनी चाहिए। मगर पाकिस्तान के साथ जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बस से जाकर आये हैं और उससे अभी क्या होने वाला है, हमें मालूम नहीं है। अभी अटल जी का ही क्या होने वाला है, हमें मालूम नहीं है तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती तो होनी चाहिए, मगर उस दोस्ती के बारे में हमारा इतना ही कहना है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती करो, मगर पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर का हमारे देश का जो पार्ट पाकिस्तान के कब्जे में है, उसमें से एक इंच जमीन भी पाकिस्तान को नहीं मिलनी चाहिए। उस पूरी जमीन पर हमारा अधिकार है, भारत के लोगों का अधिकार है। इसलिए दोस्ती करो, मगर अभी दोस्ती करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, अभी खाली सात घंटे बाकी हैं। हमारे आडवाणी साहब भी अच्छे नेता हैं, हम आपको रिक्वैस्ट करते हैं कि आप अटल जी को ज्यादा तकलीफ देने का प्रयत्न मत करिये।...(व्यवधान) मुझे पांच मिनट दे दीजिए। कुमारमंगलम जी, हमारा कहना इतना ही है कि आज होने वाली वोटिंग में हमारी ही जीत होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त कीजिए।

श्री रामदास अठावले : होने वाली वोटिंग में हमारी ही जीत होगी और भारत देश का उसी में हित है, अटल जी को हटाना, यही जयललिता का गीत है, सत्ता से दूर जाने में ही अटल जी तुम्हारा हित है।

ज्यादा कोशिश आप लोग कर रहे हैं। हमारे आनन्द मोहन जी इधर थे, हमारा किसी के ऊपर ऑब्जैक्शन नहीं है, आप अच्छे कार्यकर्ता हैं, मगर हम यह चाहते हैं कि आपको इधर ही रहना चाहिए, उधर जाने की कोशिश अगर आप करेंगे तो ठीक है, हमारा कहना इतना ही है कि जो कुछ भी 2-3 दिन से चल रहा है, यह नीतिमत्ता को धक्का देने का काम है। हम यह चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है, हमारे रूट अलग-अलग हैं, मगर 2-3 दिन से जो चल रहा है, यह हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं वोटिंग होती है तो होने दो, हम तो जीतने वाले हैं ही, आप हारने वाले हैं। अटल जी इस्तीफा दे दें, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। मैं आनन्द मोहन जी को कहना चाहता हूं कि आप बिहार से आए हैं, विद्यार्थी आंदोलन से आए हैं, आप बी. जे. पी. का समर्थन कर रहे हैं, यह आपके लिए ठीक बात नहीं है, उनके लिए ठीक है, लेकिन आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। मैं इस हाउस से अपील करता हूं कि उधर जो दल हैं चाहे समता पार्टी हो, पी. एम. के. हो वे इस प्रस्ताव का विरोध करें।...*(व्यवधान)* राधाकृष्णन जी आप बी. जे. पी. में हैं, आप अकेले इधर नहीं आ सकते, आप हमारे मित्र हैं, वैसे भी बी. जे. पी. में हमारे कई मित्र हैं। हम इस सभागृह से इतनी ही अपील करना चाहते हैं कि जो विश्वास मत का प्रस्ताव वाजपेयी जी लेकर आए हैं, हमारा तो उससे विरोध है ही, सभी लोगों को उसका विरोध करना चाहिए। हमारा अटल जी से विरोध नहीं है, लेकिन जो उनके समर्थन में 17-18 पार्टियां हैं, जो सरकार है, उससे हमारा विरोध है। अगर ये अब जीत गए तो फिर राष्ट्रपति जी को तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगर आप अब जाएंगे तो हम चार साल तक सत्ता में रहेंगे। हमारी पार्टी की तरफ से इस प्रस्ताव का विरोध है। बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को हम आगे बढ़ाएंगे और धर्मनिरपेक्षता को कायम रखेंगे।

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : उपाध्यक्ष महोदय, परसों से इस सदन में प्रधानमंत्री जी द्वारा पेश विश्वासमत के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। एक वर्ष पहले भी ऐसा प्रस्ताव आया था। इस प्रस्ताव का मकसद केवल एक है कि सुश्री जयललिता जी ने जो अपना समर्थन वापस लिया, हमारी पार्टी ने भी वापस लिया, उसके बाद यह सरकार अल्पमत में आ गई तो राष्ट्रपति जी ने हुक्म दिया कि सदन में अपना बहुमत सिद्ध करो। इसलिए यह प्रस्ताव आया है। जहाँ इस सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना है, उसके साथ-साथ जो चर्चा चल रही है, उसमें पिछले 13 महीनों का इस सरकार का लेखाजोखा सदन में डिसकस हो रहा है। जहाँ तक वाजपेयी जी की सरकार का पिछले 13 महीने का हिसाब है, हालांकि किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी सरकार के लिए इतना थोड़ा समय एक वर्ष का समय अपनी उपलब्धता दिखाने के लिए, अपने कार्य दिखाने के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए बहुत कम होता है। ऐसी स्थिति में जहाँ मिलीजुली

[श्री किशन सिंह सांगवान]

सरकार हो, 15–16 पार्टियों की सरकार हो, सरकार चलाने में कठिनाई आती है। लेकिन फिर भी मैं वाजपेयी जी को बधाई देता हूं, इस सरकार को बधाई देता हूं कि इन्होंने इस थोड़े समय में न केवल अपने देश में, बल्कि विदेशों में अपनी विदेश नीति के जरिए देश का नाम रौशन किया है। अपने देश की रक्षा मजबूत की है। इस देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आया है, साम्प्रदायिक दंगे खत्म हुए हैं, बहुत कुछ उपलब्धियां हुई हैं। लेकिन जहाँ कुछ उपलब्धियां हुई हैं वहाँ इस सरकार ने इस देश में बसने वाले 80 फीसदी किसानों के साथ बड़ी ज्यादती की है। सारे देश के किसानों को इस सरकार से बड़ी उम्मीदें थी लेकिन किसान को पिछले एक वर्ष में पूरी तरह इग्नोर किया गया। किसान पर आर्थिक बोझ डाला गया। सारे देश में फ्लड से किसान की तबाही हुई, विशेष तौर पर हमारा हरियाणा प्रदेश इस सरकार की तरफ से हर दृष्टि से उपेक्षित रहा। फ्लड में हमारे हरियाणा प्रदेश का 40 प्रतिशत एरिया बर्बाद हुआ। हमारी पार्टी और हमने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया। हमने हाउस में प्रश्न उठाया लेकिन हमें कोई राहत नहीं मिली। पहला जब विश्वास प्रस्ताव आया उस समय भी हमने अपने प्रदेश की कुछ समस्याएं सदन में रखी थीं। महोदय, हमारी सबसे पहले पार्टी थी, चुनाव परिणाम आने से पहले हमने बिना शर्त वाजपेयी जी को समर्थन दिया था। हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इलैक्शन लड़ा था और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी लड़ा था लेकिन देश के हित में हमने यह सोचा कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में न आ जाए इसलिए हमने वाजपेयी जी के नेतृत्व, उनके प्रभुत्व को देखकर उनका समर्थन किया था। हम किसी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, हमारा बाहर से समर्थन था। हमें कोई लालच नहीं था लेकिन केवल देश के हित में हमने समर्थन किया था। जिस प्रकार हमारे प्रदेश की उपेक्षा हुई, हमारी समस्याओं की अनदेखी हुई उससे हमारे देश की जनता हमसे नाराज होती गई। हमने हाउस में पहले ही दिन मांग की थी, अपनी समस्या रखी थी कि हमारा हरियाणा प्रदेश का पानी आजादी के 32 साल से लगातार पाकिस्तान में जा रहा है, हमें हमारा हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। हमारी एस. वाई. एल. नहर पर हरियाणा प्रदेश का हजारों–करोड़ों रुपया खर्चा हो चुका है, केवल छः किलोमीटर टुकड़ा बनना बाकी है वह पूरा करवाया जाए ताकि हरियाणा के लोगों को पानी मिले।

महोदय, मैं वाजपेयी जी की सरकार को बधाई देता हूं, इन्होंने चारों प्रदेशों के पानी की समस्या को, कावेरी जल विवाद को सुलझा कर बहुत अच्छा काम किया। कावेरी जल विवाद का हल करके प्रधानमंत्री जी ने इस देश की बहुत बड़ी समस्या हल की है लेकिन हमें अफसोस है कि हमारे 32 साल पुराने राजधानी के मामले लटके पड़े हैं। उस तरफ इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। दोनों प्रांतों के नेताओं को बुलाकर यह मामला सुलझाया जाना चाहिए था। हमने इसी सदन में मांग की थी कि हरियाणा प्रदेश के जो 8–10 लाख आदमी ट्रेन के जरिये दिल्ली आते हैं, इसके लिए हमारे यहाँ से नयी रेलगाड़ियां चलें, पैसंजन ट्रेन के डिब्बे बढ़ाए जाएं लेकिन हमें इस बारे में कोई रेस्पोन्स नहीं मिला। हमने कहा कि हरियाणा की जमीन वाटर–लॉगिंग में है लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ के कर्मचारियों पर दमन हुआ और बाल्मीकी वर्ग के हजारों लोगों को जेलों में डाल दिया गया। जो नर्सें अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर रही थीं, उनको जेलों में डाल दिया गया। हमने उनके समर्थन में आवाज उठाई लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी सुनवाई न तो डैवलपमेंट की दृष्टि से हुई और न ही नैतिक दृष्टि से हुई। जिससे हमारी जनता नाराज होती रही। दूसरी समस्याएं दूर करने की बात तो दूर किसानों पर भी फर्टिलाइजर की शक्ल में सब्सिडी कम करके बोझ डाल दिया। इससे सारे देश के किसान नाराज हुए। हमने उस मामले में पहल की और कहा कि हम किसानों के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। हमने फैसला किया कि या तो खाद की कीमत घटा दी जाए नहीं तो हमारी पार्टी समर्थन वापस ले लेगी। हमने यह भी फैसला किया कि हम कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगे चाहे हमें इसके लिए किसी को भी वोट करना पड़े। कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 50 साल में इस देश को बर्बाद किया है, यह किसान–विरोधी पार्टी है और इन्होंने किसानों के विरोध में हमेशा फैसला किया है।

हमारी पार्टी के फैसले के मुताबिक हम विपक्ष में बैठे लेकिन जब यह सवाल आया कि कल तो नहीं बदल जाओगे। कल तक हमारा वोट आपका था, कल तक हमारा फैसला था कि हम कांग्रेस की सरकार बनने नहीं देंगे। लेकिन हमारे पास रिपोर्ट्स आईं कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है तो उसी वक्त हमने फैसला किया और पुनर्विचार किया कि इस देश को कांग्रेस से बचाने के लिए हमारी पार्टी का समर्थन भाजपा के लिए है।

श्री हन्नान मोल्लाह : सच बात बता दीजिए।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अंदर की बात हम पूछ रहे हैं।

श्री किशन सिंह सांगवान : मुझे अफसोस है कि श्री मुलायम सिंह जी अभी यहाँ नहीं हैं। उन्होंने एक इल्जाम बिना नाम लिए लगाया। चौधरी देवी लाल और चौटाला साहब का नाम लिया कि उन्होंने हरियाणा बेच दिया। जिन देवी लाल जी ने 54 बार जेल काटी हो और जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हों, उनके लिए कहते हैं कि हरियाणा बेच दिया। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर इल्जाम लगाते हुए उन्हें शर्म आनी चाहिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : हम लोग और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा चौधरी देवी लाल को आदर की दृष्टि से देखता है।

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : आज यहाँ मुलायम सिंह जी ने इल्जाम लगाया।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : आपको किसी ने गलत बताया है।

श्री किशन सिंह सांगवान : हमने कानों से उनकी कही बात सुनी है। आप प्रोसिडिंग देखिए।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : हरियाणा के बारे में आप नहीं जानते हैं। वहाँ आया राम और गया राम है। वह अगर आज हमारे साथ हैं तो कल आपके साथ हैं।

श्री किशन सिंह सांगवान : चौधरी देवी लाल वह शख्सियत हैं जिन्होंने इस देश में चार प्रधान मंत्री बनाए। वह खुद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इनके जैसा त्यागी व्यक्ति देश में नहीं हो सकता। सारे देश ने इस सैंट्रल हाल में चौधरी देवी लाल को देश का प्रधान मंत्री नियुक्त किया था लेकिन उन्होंने पहले पब्लिक में वायदा किया था कि

मैं वी.पी. सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। अपने वायदे को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना ताज उतार कर वी.पी. सिंह जी पर रख दिया था। ऐसे त्यागी और तपस्वी आदमी के खिलाफ इस प्रकार के इल्जाम लगाए गए। उन पर ऐसे लोग इल्जाम लगाएं जो हमेशा चौधरी देवीलाल के गुण गाते रहे हैं। मुझे उनकी बात सुन कर बड़ा दुख हुआ।

हम नैतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं लेकिन कांग्रेस को हम इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। हमारी सोच थी कि कोई ऐसा विकल्प निकलेगा कि बी. जे. पी. और कांग्रेस को छोड़ कर कोई तीसरी मोर्चे की सरकार बनेगी तो हम उसका समर्थन करेंगे। देवी लाल जी पर जो इल्जाम लगा, उसे सुनकर हमें दुख हुआ। मुलायम सिंह भी कैंडिडेट हो सकते थे, देवगौड़ा भी हो सकते थे और तीसरे मोर्चे का कोई कैंडिडेट हो सकता था, हम उसका समर्थन करते लेकिन जब हमें पता लगा कि सारा देश कांग्रेस की झोली में जा रहा है, विदेशी लोगों की झोली में जा रहा है, हमने उसी वक्त फैसला किया कि हम विदेशी की बजाय स्वदेशी को हुकूमत देना पसन्द करेंगे। हम हरियाणा को बनाने वाले हैं। कांग्रेस इस देश को विदेशियों के हाथों गिरवी रखना चाहती है। यह बड़े अफसोस की बात है।

एक माननीय सदस्य : जो पाकिस्तान से हैं उनका नाम बताएं।

श्री किशन सिंह सांगवान : पाकिस्तान इस देश का हिस्सा था। इस देश में पाकिस्तान के कितने लोग रहने वाले हैं ? आप क्या उन्हें पाकिस्तानी समझेंगे ? क्या उन्हें इस देश का वासी नहीं समझेंगे ? बड़े शर्म की बात है कि आप एक तरफ सैकुरिज्म की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऐसा इल्जाम लगाते हैं।

मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि उनकी सरकार को सैंट परसैंट विश्वास मिल चुका है। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उनकी सरकार को गिरा सके लेकिन मैं उनसे अनुरोध करुंगा कि इस देश के किसानों के प्रति वह हमदर्दी करें। किसान बरबाद हो गया है। 80 फीसदी जनता गांवों में रहती है। वह दूसरे सब काम छोड़ कर किसानों के हित की बात ध्यान में रखें। यही मेरा अनुरोध है।

श्री एस.एस. ओवेसी (हैदराबाद) : डिप्टी स्पीकर साहब, इस वक्त जो ऐतमाद की तहरीक पेश की गई है, मैं उसकी मुखालफत करता हूं। उसकी बुनियाद यह है कि यह हुकूमत 13 महीने 13 दिन यानी तीन तेरह गुजरे लेकिन सिर्फ आपस के लड़ाई झगड़ों को तय करने में ही इनके दिन गुजरते चले गए। कोई काम हमारे सामने नजर नहीं आया। अगर कोई काम नजर आया है तो अब हम देख रहे हैं कि कल तक वे लोग जो यह कहते थे कि हम आपकी ताईद नहीं करेंगे, लेकिन मैं समझा नहीं कि आखिर आज कौन सी चीज हो गई कि आज फिर इनकी ताईद पर आ जाते हैं। बहरहाल मुझे वह शेर याद आता है :

अखलाख का जलता हुआ घर देख रहा हूं,
देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूं।

कम से कम ऐसा मत कीजिये। मगर आप देख रहे हैं कि किस तरीके के आप हालात पैदा कर रहे हैं, उसे दुनिया देख रही है। मैं यह बात कहूंगा कि आपने कहा कि जब से आपकी गवर्नमेंट आई, फसादात नहीं हुये। अब क्या नहीं हुआ ? कौन लोग आ गये और ईसाइयों पर जुल्म और ज्यादतियां की गई, श्रीकृष्ण कमीशन की रिपोर्ट को कबूल नहीं किया जाता है। ईसाइयों पर जुल्म किये गये और उन्हें जिन्दा जलाया गया। फिर उसके बाद आप कहते है कि अमन है। सब कुछ हो रहा है लेकिन अमन है। यदि यही अमन है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। हर चीज होती है लेकिन पुरअमन तौर पर होती है। अगर आपका यह नजरिया है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। आप खुद देखिये कि आपके आने के बाद किस तरीके के बयानात आते हैं। विश्व हिन्दू परिषद्, बजरंग दल के बयानात आते हैं और कहा जाता है कि सब कुछ ठीक–ठाक है। यदि ऐसा है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप अपनी हुकूमत बचाने के लिये काफी हाथ–पैर मार रहे हैं। आपकी हुकूमत अकलियत की हो गई है। कभी गौर कीजिये कि आपको अकलियत में रहने से 13 महीने में इतनी बेचैनी हो गई है, हम लोग पिछले 50 साल से भुगत रहे हैं। इस बात का जरा ख्याल करें और गौर तथा फिक्र की जाये कि इस मुल्क के क्या हालात हो रहे हैं। आपने क्या दिया है ? अगर दबाव में आकर आप लाहौर चले गये तो क्या हो गया ? उसके बाद क्या नतीजात आ रहे हैं। यह मालूम हुआ कि यह दबाव में आकर हुआ। उराके बाद क्या नतीजा निकला ? असल में किसी पालिसी के बारे में देखना होता है कि आपने क्या पालिसी अख्तियार की है, उसके क्या नतायज निकल रहे हैं। अगर अच्छे नतीजे निकले तो यकीन होता है कि वह पालिसी ठीक हो सकती है। लेकिन आपकी पालिसी एक होती है, उराके नतीजे क्या निकल रहे हैं, यह देखकर वाकई अफसोस का मकाम होता है।

हम खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से आन्ध्र प्रदेश में जितने कत्ल हुये, कितने जुल्म और ज्यादतियां हुईं लेकिन वहाँ कभी सदर राज की बात तक नहीं होती क्योंकि मसल मशहूर है कि अपने ही दई में अंडे वाली बात। इस पर गौर और फिक्र करने की बात है कि आखिरकार जिस तरीके से इन दिनों में खुसूसन यहाँ सबसे बड़ी अकलियत मुसलमानों के ताल्लुक से आपने आज तक क्या किया, मैं यह पूछना चाहता हूं। आपने हमें अपने हक से क्यों महरूम कर दिया, आपकी गवर्नमेंट आई तो आज हमारे पैसे, हमारी मेहनत का 50 परसेंट तो दीजिये। आप बताइये कि क्या यह जुल्म नहीं है। तालीम इदारे के हालात इस तरीके से बनाये जाते हैं और इस ताल्लुक से आप बताइये कि क्या आपने यहाँ अकलियतों के लिये आज तक क्या किया, क्या ठोस काम किया ?

श्री अशोक प्रधान : आपकी पार्टी ने हैदराबाद में दंगे करवाये थे। उसमें कौन बंद हुआ था ?

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : उस समय बंद कौन हुआ मेयर किस पार्टी का था, और पम्फलैट किसके थे। आपके मेयर ने पम्फलैट बांटकर दंगा करवाया था, कौन लोग पकड़े गये ?

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : आप दंगे की बात करते हैं। मुसलमान क्या दंगा करेगा, क्या दंगा करके खुद अपने को तबाह करेगा ? पूरी दुनिया नहीं मानती, आप बोल लीजिए जो चाहे, लेकिन जिसमें थोड़ी सी अक्ल है, वह यह नहीं समझ सकता कि आज 50 बरस के अंदर जो दंगे हुए हैं, ज्यादा नुकसान मुसलमानों का हुआ है। वह दंगा क्या कराएगा, आप इस बात पर गौर कर सकते हैं। आज अकलियती कमीशन है लेकिन उसको कानूनी अख्तियारात नहीं हैं। जो अकलियती कमीशन है, उसको बर्खास्त करने की बात की जाती है। हमारी जुबान को तबाह करने की बात की जाती है। आज हर तरीके से ये करना चाहते हैं लेकिन यह बात याद रखिये कि ज़रा सोच समझकर करें क्योंकि ज्यादा अगर दबाने की कोशिश करते हैं तो वह फट पड़ता है और उस मुकाम तक मत आइए जहाँ आपको फिर लौटना पड़ेगा, फिर मुझे कुछ कहना ज्यादा नहीं है। मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का वक्त दिया।

جناب سلطان صلاح الدین اُویسی (حیدرآباد) :جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس وقت جو اعتماد کی تحریک پیش کی گئی ہے، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ حکومت ۱۳ مہینے ۱۳ دن یعنی تین تیرہ گزرے لیکن صرف آپس کی لڑائی جھگڑوں کو طے کرنے میں ہی ان کے دن گذرتے چلے گئے۔ کوئی کام ہمارے سامنے نظر نہیں آیا۔ اگر کوئی کام نظر آیا ہے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل تک وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم آپ کی تائید نہیں کریں گے، لیکن میں سمجھا نہیں کہ آخر آج کون سی چیز ہو گئی کہ آج پھر ان کی تائید پر آجاتے ہیں۔ بہر حال مجھے وہ شعر یاد آتا ہے:

اخلاق کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں،
دیکھا نہیں جاتا مگر دیکھ رہا ہوں

کم سے کم ایسا مت کیجئے۔ مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے کے آپ حالات پیدا کر رہے ہیں، اسے دنیا دیکھ رہی ہے۔ میں یہ بات کہوں گا کہ آپ نے کہا کہ جب سے آپ کی گورنمنٹ آئی، فسادات نہیں ہوئے۔ اب کیا نہیں ہوا؟ کون لوگ آگئے اور عیسائیوں پر ظلم اور زیادتیاں کی گئیں، شری کرشن کمیشن کی رپورٹ کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ عیسائیوں پر ظلم کئے گئے اور انہیں زندہ جلایا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ امن ہے۔ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن امن ہے۔ اگر یہی امن ہے تو پھر مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔ ہر چیز ہوتی ہے لیکن پُر امن طور پر ہوتی ہے۔ اگر آپ کا یہ نظریہ ہے تو مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔ آپ خود دیکھئے کہ آپ کے آنے کے بعد کس طریقے کے بیانات آتے ہیں۔ وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل کے بیانات آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی حکومت بچانے کے لئے کافی ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ آپ کی حکومت اقلیت کی ہو گئی ہے۔ کبھی غور کیجئے کہ آپ کو ۱۳ مہینے میں اتنی بے چینی ہو گئی ہے، ہم لوگ پچھلے ۵۰ سال سے بھگت رہے ہیں۔ اس بات کا ذرا خیال کریں اور غور و فکر کی جائے کہ اس ملک کے کیا حالات ہو رہے ہیں۔ آپ نے کیا دیا ہے؟ اگر دباؤ میں آکر آپ لاہور چلے گئے تو کیا ہو گیا؟ اس کے بعد کیا نتیجے آرہے ہیں۔ ہم لوگوں کو تو کسی پالیسی کے بارے میں دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا پالیسی اختیار کی ہے، اس کے کیا نتیجے نکل رہے ہیں۔ اگر اچھے نتیجے نکلے تو یقین ہوتا ہے کہ وہ پالیسی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کی پالیسی ایک ہوتی ہے، اس کے نتیجے کیا نکل رہے ہیں، یہ دیکھ کر واقعی افسوس کا مقام ہوتا ہے۔

ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آندھرا پردیش میں کتنے قتل ہوئے ہیں، کتنے ظلم اور زیادتیاں ہوئیں۔ لیکن وہاں کبھی صدر راج کی بات تک نہیں ہوتی کیونکہ مثل مشہور ہے کہ اپنے ہی دہی میں انڈے بچے والی بات۔ اس پر غور اور فکر کرنے کی بات ہے کہ آخر کار جس طریقے سے ان دونوں میں خصوصاً یہاں سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کے تعلق سے آپ نے آج تک کیا کیا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہمیں اپنے حق سے کیوں محروم کر دیا، آپ کی گورنمنٹ آئی تو آج ہمارے پیسے، ہمارا محنت کا ۵۰ فیصد تو دیکھئے۔ آپ بتائیے کی کیا یہ ظلم نہیں ہے۔ تعلیمی اداروں کے حالات اس طریقے سے بنائے جاتے ہیں اور اس تعلق سے آپ بتائیے کی کیا آپ نے یہاں اقلیتوں کے لئے آج تک کیا کیا، کیا ٹھوس کام کیا؟

شری اشوک پردھان (خورجہ): آپ کی پارٹی نے حیدر آباد میں دنگے کروائے تھے۔ اس میں کون بند ہوا تھا؟

شری شنکر پرساد جائسوال (وارانسی): اس وقت بند کون ہوا میئر کس پارٹی کا تھا اور پمفلٹ کس کے تھے۔ آپ کے میئر نے پمفلٹ بانٹ کر دنگا کروایا تھا، کون لوگ پکڑے گئے؟

جناب سلطان صلاح الدین اُویسی (حیدر آباد): آپ دنگے کی بات کرتے ہیں۔ مسلمان کیا دنگا کرے گا، کیا دنگا کر کے خود اپنے کو تباہ کرے گا؟ پوری دُنیا نہیں مان، آپ بول لیجئے جو چاہے، لیکن جس میں تھوڑی بھی عقل ہے، وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ آج ۵۰ برس کے اندر جو دنگے ہوئے ہیں تو نقصان مسلمانوں کا ہوا ہے۔ تو وہ دنگا کیا کرائے گا، آپ اس بات پر غور کر سکتے ہیں۔ آج اقلیتی کمیشن ہے لیکن اس کو قانونی اختیارات نہیں ہیں۔ جو اقلیتی کمیشن ہے، اس کو برخاست کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ ہماری زبان کو تباہ کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ آج ہر طریقے سے یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ ذرا سوچ سمجھ کر کریں کیونکہ زیادہ اگر دباؤ کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھٹ پڑتا ہے اور اس مقام تک مت آیئے جہاں آپ کو پھر لوٹنا پڑے گا، پھر مجھے کچھ کہنا زیادہ نہیں ہے۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا وقت دیا۔ شکریہ۔

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, वज़ीरे–आज़म ने एक तजवीज़ रखी है कि हुकूमत पर ऐतमाद का इज़हार किया जाए। मैं इस ऐतमाद की मुखालिफत करने के लिए खड़ा हुआ हूं।...*(व्यवधान)* मेरे ख्याल में उनको क्रॉस टॉक दो मिनट करने की इज़ाज़त दे दी जाए फिर मैं बात शुरू करूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इजाज़त बिल्कुल नहीं दे रहा हूं।

श्री जी.एम. बनातवाला : मैं इस तजवीज की पुरज़ोर मुखालिफत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सवाल यह है कि आखिर इस तजवीज की नौबत क्यों आई, कैसे आई। यह नौबत कैसे आई कि वज़ीरे आज़म को इस ऐवान से कॉनफिडेन्स मांगना पड़ रहा है ? हकीकत तो यह है कि वजीरे आज़म और यह हुकूमत अपने साथियों को ही साथ न रख सकी। कुछ पहले छोड़ गए, अन्ना डी. एम. के. ने अब अपनी सपोर्ट और ताईद को विदड्रॉ किया, वापस लिया। गज़ब तो यह है कि वज़ीरे आज़म अपने साथियों को खुद लेकर चल नहीं सकते और अपोज़ीशन पर बरस रहे हैं कि बताओ तुम्हारी हुकूमत कैसी होगी। होना तो यह चाहिए था कि वजीरे आजम इस हाउस में आते और माफी मांगते कि मैं अपने साथियों को साथ न रख सका और अपने साथियों के साथ चल न सका जिसकी वजह से यह नौबत आ रही है। साहब जब यह हुकूमत बनी तो दावा किया गया कि हुकूमत बाहिमी राय यानी कनसेन्सस पर चलेगी। अब अपोज़ीशन के साथ कनसेन्सस तो दूर की बात है, आपस में भी कनसेन्सस अंदर भी कनसेन्सस पाया नहीं गया, यह सूरते हाल सामने आती है और फिर यह कहा जा रहा है कि यह अपोज़ीशन है जो हुकूमत को हिला रहा है, हुकूमत को हिलाने की कोशिश कर रहा है। हकीकत तो यह है कि दरअसल ये हुकूमत हिन्दुस्तान के सेक्यूलर डेमोक्रेटिक फाउंडेशन को न सिर्फ हिला रही है बल्कि ढहा रही है और गिराने की कोशिश में लगी हुई है। हैरत की बात है कि दावा किया जाता है कि रॉयट–फ्री पीरियड रहा है। जब कि अक्लियतों पर, ईसाइयों पर हमले और उन पर हमले की खुली छूट, इनकी एक दुखभरी दास्तान यहाँ पर मौजूद है...*(व्यवधान)* ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत में जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके नजरियात को मानने वाली जो जमाते हैं, उन्हें खुली छूट दी गई है कि नफरत फैलाएं, तशद्दुद, वॉयलेन्स बरपा करें, तबाही और बरबादी लायें और यहाँ सेक्युलरिज्म को खत्म करे। यह मैं सिर्फ सुनी सुनायी बातों पर नहीं जा रहा हूं। हमारी पार्टी के सैक्रेटरी और मैम्बर पार्लियामैंट ई. अहमद साहब ने गुजरात में कई जगहों का दौरा किया और रिपोर्ट पेश की। होम मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, उन्हें भी खत लिखा और यह हकीकतें सामने हैं, जरूरत कि इन जमातों को ऐसी बी. जे. पी. से आइडियोलोजिकल सिमिलेरिटी रखने वाली इन सिस्टर आर्गेनाइजेशंन को लगाम देने की जरूरत थी। लेकिन हैल्पलैस देखते रहना, बल्कि ऐडिंग और बैटिंग ये चार्जेज हैं जो हम लगा रहे हैं और सिर्फ हम ही नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हुकूमत में जो एलाइज हैं, ये एलाइज भी अपनी बी. जे. पी. पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि कुछ लोगों को तबाही और बरबादी के लिए खुली छूट दी गई है।

आपको याद होगा कि एलाइज की एक कोऑर्डीनेशन कमेटी या उसे जो भी कहें, उसकी मीटिंग हुई, उसके बाद एक ज्वाइंट स्टेटमैंट जारी किया गया। मैं उसे कोट करूंगा–दिनांक 3 फरवरी, 1999 के 'दि हिन्दू' का चेन्नई अंक। यह एलाइज तमाम का अपना स्टेटमैंट है और अपने स्टेटमैंट में अलाइज कह रहे हैं–

[अनुवाद]

मैं उद्धृत करता हूं :

"समन्वय समिति की बैठक के अंत में जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य, जिस पर बैठक में उपस्थित लगभग सभी लोगों के हस्ताक्षर थे, में यह मांग की गई की वाजपेयी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गठबंधन की इज्जत और एकजुटता में इसके समान विचारधाराओं वाली संस्थाओं से संबंधित संगठनों के कारण कमी नहीं आनी चाहिए।"

[हिन्दी]

खुद इनके एलाइज बी. जे. पी. को वार्न कर रहे हैं कि हम वार्न करते हैं कि अपनी आइडियोलोजिकल सिस्टर आर्गेनाइजेशंस को हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म, हिंदुस्तान की जम्हूरियत और उसकी डेमोक्रेसी को तबाह और बरबाद करने की यह क्या छूट दे रखी है, इन्हें लगाम दो।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री जी.एम. बनातवाला : सर, मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किया है, मैं बहुत जल्दी अपनी बात को खत्म करूंगा। लेकिन इससे ज्यादा इन्डिक्टमैंट आपको कहाँ मिलेगा। मैं कहना चाहूंगा कि चर्चेज को जलाया गया, मिशनरियों पर हमले हुए, लोगों को जिंदा जलाया गया, मुसलमानों को पूरी की पूरी बस्ती खाली कर देने पर मजबूर किया गया। स्कूल एजूकेशन का हिंदुत्व की छाप लगाने की कोशिश, तारीख को केसरी अंदाज के अंदर रीराइट करने की कोशिश, इंडियन कॉउंसिल ऑफ हिस्ट्रीकल रिसर्च को ऐसे लोगों के साथ भर देना, जो एक खास नजरिया

[श्री जी.एम. बनातवाला]

इनके जैसा रखते हों और तारीख को मसख करके रखने की ताकत और कूवत रखते हों।

प्रातः 5.00 बजे

साहेब, यहाँ पर ऐसे लोग जिन्होंने यह ऐलान किया कि बाबरी मस्जिद के बारे में अदालत कुछ भी कहे, हम तो मंदिर बनाकर रहेंगे, ऐसे लोगों के सामने जो हैल्पलैस हैं इनकी आईडियोलॉजीकल जमात हैं, कैसे इनके ऊपर एतमाद और कांफ्रीडैंस जाहिर किया जाये। बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर कायम करने के लिए खुली छूट, कंस्ट्रक्शन मैटीरियल शिद्त के साथ, जोरों के साथ तैयार हो रहे हैं और हकूमत ने खुली छूट दे रखी है। हां, अकलियत का मामला आया। सबके लिए पैकेज हैं। कश्मीर के लिए पैकेज, बंगाल के लिए पैकेज, नार्थ ईस्ट के लिए पैकेज है। मुझे उस पर कोई एतराज नहीं लेकिन अकलियतें याद नहीं हैं। अकलियतों के लिए, माइनौरिटीज के लिए कोई पैकेज नहीं है।...*(व्यवधान)* मैं बहुत जल्द समाप्त करुंगा। जिस तरह मैं सब्र के साथ बैठा रहा हूं उसी तरह थोड़ा सा सब्र आपसे चाहता हूं। आसाम के अंदर माइनौरिटीज खौफजदा हैं इसलिए कि कहा जा रहा है कि इललीगल माइग्रैंट्स डिटरमिनेशन बॉय ट्रिब्यूनल एक्ट को अब रिपील किया जायेगा और माइनौरिटीज खौफज़दा है कि क्या फिर पहले जैसे जुल्म सितम, पहले जैसी नाइंसाफी और पहले जैसी धांधली वापिस आने वाली है। यह हालात हमारे सामने आ रहे हैं।

हां, उड़ीसा की बात यहाँ कही गयी है कि वहाँ अगर मिशनरीज को जिंदा जलाया गया तो एक कमीशन बना दिया गया है। पहले तो एक जमात जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, होम मिनिस्टर उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। उसको शह दे रहे हैं, उसको हवा दे रहे हैं। उसको और ज्यादा इनकरेजमैंट दे रहे हैं। फिर हमसे कहा जाता है कि हां, एक जस्टिस वाधवा कमीशन बना दिया गया है। क्या हाल जस्टिस वाधवा कमीशन का हुआ ? कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जा रहा है। परेशान होकर जस्टिस वाधवा कमीशन ने हुकूमत को खत लिखा कि यह क्या सलूक हमारे साथ किया जा रहा है। जस्टिस वाधवा परेशान हुए कि वे खुद अपने घर के अंदर हियरिंग करने पर मजबूर हैं। जरिटस वाधवा हुकूमत को नोट लिखते हैं और उस नोट में क्या लिखते हैं। वे लिखते हैं, मैं कोट करता हूं।

[अनुवाद]

"इससे यह भी पता चलता है कि शायद केन्द्रीय सरकार इस आयोग के कार्य के बारे में गंभीर नहीं है।"

[हिन्दी]

ये हालत है। कल कहा जा रहा था कि इंस्टीट्यूशन्स को डैनीग्रेट किया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे लिए तो आपने दो मिनट में घंटी बजा दी थी लेकिन अब इनको बोलते हुए पन्द्रह मिनट हो गए हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ पर आक्षेप न लगाएं।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : हकीकत तल्ख होती है। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि यदि ईसाइयों पर हमले हुए तो हमें कन्वर्जन्स पर नैशनल डिबेट करनी पड़ेगी। यह एक किस्म का बढ़ावा देना है। कन्वर्जन्स पर नैशनल डिबेट, एक भयानक कोशिश कि पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, कुछ वे जो कन्वर्जन्स में मानते हैं और कुछ वे जो कन्वर्जन्स में नहीं मानते। इसीलिए मैं इन बातों को आपकी बेसब्री और बेचैनी को देखते हुए खत्म करते हुए यह कहूंगा कि आज दावा है कि आज डिफैंस के बारे में कहा जा रहा है कि हमने पोखरण, अग्नि, हमने देश को डिफैंस के नुक्तेनजर से मुल्क को ताकतवर बनाया। पोखरण के लिए मैंने भी मुबारकबाद दे दी लेकिन बाद में जो भौंडापन आया, उसने मुल्क की शान और इज्जत गिराई। लेकिन डिफैंस का मामला यह है। सरकारी व्यय 15.40 प्रतिशत से घटकर 14 प्रतिशत हो गया है। डिफैंस एक्सपैंडीचर कम और कहा जा रहा है कि हम उसका ख्याल रखते हैं। अगर ग्रॉस डोमैस्टिक प्रोडक्ट देखें तो डिफैंस के ऊपर 2.54 फीसदी से घटकर 2.28 पर चला गया।...*(व्यवधान)* मैं होम मिनिस्टर आडवाणी जी का शुक्रिया अदा करते हुए इस बात को खत्म करुंगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग भी कोई पॉलिटिकल अनटचेबल नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमारी भी अगर किसी से मुखालफत होती है, प्रिंसिपल्स की बुनियादों पर होती है, मुखालफत प्रोग्राम की बुनियादों पर होती है, कारकर्दगी की बुनियादों पर होती है। आज यह हुकूमत जम्हूरियत के लिए, सैकुलरिज्म के लिए, नैशनल सिक्युरिटी के लिए एक खतरा बनी हुई है और इसके लिए हम इस तज़वीज़ की, इस वोट ऑफ कौन्फीडैंस की पूरी मुखालफत करते हैं, उसे औपोज़ करते हैं और यकीन रखते हैं कि देश बहुत जल्द इनसे निजात पा लेगा।

شری جی ایم بنات والا (پوننانی): محترم جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، وزیر اعظم نے ایک تجویز پیش کی ہے کہ حکومت پر اعتماد کا اظہار کیا جائے۔ میں اس اعتماد کی مخالفت کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔...(مداخلت) میرے خیال میں ان کو کراس ٹاک دو منٹ کرنے کی اجازت دے دی جائے پھر میں بات شروع کروں۔

ڈپٹی اسپیکر: میں اجازت بالکل نہیں دے رہا ہوں۔

شری جی ایم بنات والا (پوننانی): میں اس تجویز کی پرزور مخالفت کرنے کے لئے کھڑا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس تجویز کی نوبت کیوں آئی، کیسے آئی۔ یہ نوبت کیسے آئی کہ وزیر اعظم کو اس ایوان سے اعتماد مانگنا پڑ رہا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ وزیر اعظم اور یہ حکومت اپنے ساتھیوں کو ہی ساتھ نہ رکھ سکی۔ کچھ پہلے چھوڑ گئے، اناڈی ایم کے نے اب اپنی سپورٹ اور تائید کو واپس لیا۔ غضب تو یہ ہے کہ وزیر اعظم اپنے ساتھیوں کو خود لیکر چل نہیں سکتے ہیں اور اپوزیشن پر برس رہے ہیں کہ بتاؤ تمہاری حکومت کیسی ہو گی۔ ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ وزیر اعظم اس ہاؤس میں آتے اور معافی مانگتے کہ میں اپنے ساتھیوں کو ساتھ نہ رکھ سکا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل نہ سکا جس کی وجہ سے یہ نوبت آ رہی ہے۔ صاحب جب یہ حکومت بنی تو دعوا کیا گیا کہ حکومت باہمی رائے یعنی کنسینشنس پر چلے گی۔ اب اپوزیشن کے ساتھ کنسینشنس تو دور کی بات ہے آپس میں بھی کنسینشنس پایا نہیں گیا، یہ صورت حال سامنے آتی ہے اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اپوزیشن ہے جو حکومت کو ہلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دراصل یہ حکومت ہندوستان کے سیکولر ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن کو نہ صرف ہلا رہی ہے بلکہ ڈھا رہی ہے اور گرانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ دعوا کیا جاتا ہے کہ رائٹ فری پریڈ ہے۔ جبکہ اقلیتوں پر، عیسائیوں پر حملے کی کھلی چھوٹ، ان کی ایک دکھ بھری داستان یہاں پر موجود ہے۔...(مداخلت) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت میں جو سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کے نظریات کو ماننے والی جو جماعتیں ہیں، انہیں کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ نفرت پھیلائیں، تشدد، وائلینس برپا کریں، تباہی اور بربادی لائیں اور یہاں سیکولرزم کو ختم کریں یہ میں صرف سنی سنائی باتوں پر نہیں جا رہا ہوں۔ ہماری پارٹی کے سکریٹری اور ممبر پارلیمنٹ ای۔ احمد صاحب نے گجرات میں کئی جگہوں کا دورہ کیا اور رپورٹ پیش کی۔ ہوم منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، انہیں بھی خط لکھا اور یہ حقیقتیں سامنے ہیں، ضرورت ہے کہ ان جماعتوں کو ایسی بی جے پی آئیڈیولوجیکل سمبلیرٹی رکھنے والی ان سسٹر آرگنائزیشن کو لگام دینے کی ضرورت تھی۔ لیکن ہیلپ لیس دیکھتے رہنا بلکہ ایڈنگ اور ابیٹنگ یہ چار چیز ہیں جو ہم لگا رہے ہیں اور صرف ہم ہی نہیں لگا رہے ہیں، بلکہ حکومت میں جو ایلائز ہیں، یہ ایلائیز بھی اپنی بی جے پی پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو تباہی اور بربادی کے لئے کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔

آپ کو یاد ہو گا کہ ایلائز کی ایک کوآرڈینیشن کمیٹی یا اُسے جو بھی کہیں، اس کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا۔ میں اسے کوٹ کروں گا:

Chennai issue of The Hindu, dated February 3, 1999

یہ تمام ایلائز کا اپنا اسٹیٹ مینٹ ہے اور اپنے اسٹیٹمینٹ میں ایلائز کہہ رہے ہیں:

I quote.

> "The joint statement issued at the end of the meeting and signed by almost all those who were present in the Coordination Committee meeting, demanded that the BJP should ensure that the prestige and cohesiveness of the coalition are not diluted by organisations belonging to its ideological fraternity."

خود ان کے ایلائز بی جے پی کو وارن کر رہے ہیں کہ ہم وارن کرتے ہیں کہ اپنی آئیڈیولوجیکل سسٹر آرگنائزیشن کو ہندوستان کے سیکولرزم، ہندوستان کی جمہوریت اور اس کی ڈیموکریسی کو تباہ و برباد کرنے کی یہ کیا چھوٹ دے رکھی ہے، انہیں لگام دو۔

ڈپٹی اسپیکر: اب آپ ختم کیجئے۔

شری جی ایم بنات والا (پوننانی): سر، میں نے تو ابھی شروع کیا ہے، میں بہت جلدی اپنی بات کو ختم کروں گا۔ لیکن اس سے زیادہ انڈیکٹمینٹ آپ کو کہاں ملے گا۔ میں کہنا چاہوں گا کہ چرچز کو جلایا گیا، مشنریوں پر حملے ہوئے، لوگوں کو زندہ جلایا گیا، مسلمانوں کو پوری کی پوری

"It also shows perhaps the Central Government is not serious about the functioning of this Commission."

یہ حالات ہیں۔ کل کہا جا رہا تھا کہ انسٹی ٹیوشنس کو ڈیگریٹ کیا جا رہا ہے۔...(مداخلت)

ایک ممبر: ڈپٹی اسپیکر، ہمارے لئے تو آپ نے دو منٹ میں گھنٹی بجادی تھی لیکن اب ان کو بولتے ہوئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں۔...(مداخلت)

MR. DEPUTY SPEAKER: Do not caste aspersion on the Chair.

شری جی ایم بنا والا (پوننانی): حقیقت تلخ ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ اگر عیسائیوں پر حملے ہوئے ہوں تو ہمیں کنور جنس پر نیشنل ڈیبیٹ کرنی پڑے گی۔ یہ ایک قسم کا بڑھاوا دینا ہے۔ کنور جنس پر نیشنل ڈیبیٹ، ایک بھیانک کوشش کہ پورے ملک کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے، کچھ وہ جو کنور جنس میں مانتے ہیں اور کچھ وہ جو کنور جنس میں نہیں مانتے۔ اس لئے میں ان باتوں کو آپ کی بے صبری اور بے چینی کو دیکھتے ہوئے ختم کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ دعوا ہے آج ڈیفینس کے نقطہ نظر سے ملک کو طاقتور بنایا۔ پوکھران کے لئے میں نے بھی مبارکباد دے دی لیکن بعد میں جو بھونڈا پن آیا، اس نے ملک کی شان اور عزت گرائی۔ لیکن ڈیفینس کا معاملہ یہ ہے:

Government expenditure has fallen to 14 percent from 15.40 percent.

ڈیفینس ایکسپینڈیچر کم اور کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر اس ڈیموکریٹک پروڈکٹ دیکھیں تو ڈیفینس کے اوپر فی صد ۲.۲۸ پر چلا گیا۔...(مداخلت) میں ہوم منسٹر آڈوانی جی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس بات کو ختم کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ بھی کوئی پولیٹیکل ان ٹچ ایبل نہیں ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ہمارا ہی تعلق ہے، مخالفت پروگرام کی بنیادوں پر ہوتی ہے، کارکردگی کی بنیادوں پر ہوتی ہے۔ آج یہ حکومت جمہوریت کے لئے سیکولرزم کے لئے، نیشنل سیکوریٹی کے لئے ایک خطرہ بنی ہوئی ہے اور اس کے لئے ہم تجویز کی، اس ووٹ آف کانفیڈینس کی پوری مخالفت کرتے ہیں، اسے اپوز کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ملک بہت جلد ان سے نجات پالے گا۔

بستی خالی کر دینے پر مجبور کیا گیا۔ اسکول ایجوکیشن پر ہندوتو کی چھاپ لگانے کی کوشش، تاریخ کو کیسری انداز کے اندر ریرائٹ کرنے کی کوشش، انڈین کاؤنسل آف ہسٹریکل ریسرچ کو ایسے لوگوں کے ساتھ بھر دینا، جو ایک خاص نظریہ ان کے جیسا رکھتے ہوں اور تاریخ کو مسخ کر کے رکھنے کی طاقت اور قوت رکھتے ہوں۔

صاحب، یہاں پر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ بابری مسجد کے بارے میں عدالت کچھ بھی کہے، ہم تو مندر بنا کر رہیں گے، ایسے لوگوں کے سامنے جو ہیلپ لیس ہیں، ان کی آئیڈیولوجیکل جماعت ہیں، کیسے ان کے اوپر اعتماد اور کانفیڈینس ظاہر کیا جائے۔ بابری مسجد کی جگہ پر مندر قائم کرنے کے لئے کھلی چھوٹ، کنسٹرکشن میٹریل شدت کے ساتھ، زوروں کے ساتھ تیار ہو رہے ہیں اور حکومت نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، ہاں، اقلیت کا معاملہ آیا۔ سب کے لئے پیکیج ہیں۔ کشمیر کے لئے پیکیج، بنگال کے لئے پیکیج، نارتھ ایسٹ کے لئے پیکیج ہے۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں لیکن اقلیتیں یاد نہیں ہیں۔ اقلیتوں کے لئے، مائنارٹیز کے لئے پیکیج نہیں ہے۔...(مداخلت) میں بہت جلد ختم کروں گا۔ آسام کے اندر مائنارٹیز خوف زدہ ہیں اس لئے کہ کہا جا رہا ہے کہ اللیگل مائیگرینٹس ڈیموکریٹک بائے ٹریبونل ایکٹ کو اب ریپیل کیا جائے گا اور منارٹیز خوف زدہ ہیں کہ کیا پھر پہلے جیسے ظلم و ستم، پہلے جیسی ناانصافی اور پہلے جیسی دھاندلی واپس آنے والی ہے۔ یہ حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔

ہاں، اڑیسہ کی بات یہاں کہی گئی کہ وہاں اگر مشنریز کو زندہ جلایا گیا۔ تو ایک کمیشن بنا دیا گیا ہے۔ پہلے تو ایک جماعت جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، ہوم منسٹر اسکو کلین چٹ دے رہے ہیں۔ اسکو شہہ دے رہے ہیں، اس کو ہوا دے رہے ہیں۔ اس کو اور زیادہ انکریجمنٹ دے رہے ہیں۔ پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہاں، ایک جسٹس ودھوا کمیشن بنا دیا گیا۔ کیا حال جسٹس ودھوا کمیشن کا ہوا؟ کوئی انفراسٹرکچر نہیں دیا جا رہا ہے۔ پریشان ہو کر جسٹس ودھوا کمیشن نے حکومت کو خط لکھا کہ یہ کیا سلوک ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ جسٹس ودھوا پریشان ہوئے کہ وہ خود اپنے گھر کے اندر ہیئرنگ کرنے پر مجبور ہیں۔ جسٹس ودھوا حکومت کو نوٹ لکھتے ہیں اور اس نوٹ میں کیا لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، میں کوٹ کرتا ہوں:

[अनुवाद]

इस्पात और खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी, बीजू जनता दल, की ओर से माननीय प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

पिछले कुछ दिनों में, सदस्यों की संख्या की बात होती रही है परन्तु महोदय, मेरे विचार में हम सभी को इस सम्मान्य सभा में यह स्मरण रखना चाहिए कि केवल एक ही संख्या ऐसी है जिसका महत्व है और वह है– हमारे परमप्रिय देश के लाखों लोग, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं तथा जो मुश्किल से जीविका अर्जित कर पा रहे हैं और जिनका अस्तित्व ही संकट में है। कल मेरे माननीय सहयोगी श्री यशवंत सिन्हा ने कहा था कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि को दलीय सम्बद्धता पर ध्यान दिये बिना सर्वप्रथम राष्ट्र के आर्थिक कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। प्रत्येक संसद सदस्य के लिए यह गर्व की बात होनी चाहिए कि आज हमारी सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान की है जबकि हमारे आसपास विश्व की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। रूस, दक्षिण कोरिया, जापान, इण्डोनेशिया जैसे देशों और सी. आई. एस. के देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने को प्रयास किया है परन्तु भारत को इसमें सफलता मिली है। हमने अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा एक शक्तिशाली पहरेदार की तरह की है। हमने वास्तव में जनसेवक का कार्य किया है। जैसा कि माननीय विपक्षी सदस्यों को ज्ञात ही है कि हमारी सरकार ऐसे समय में आई थी जब इस्पात उद्योग की स्थिति इतनी अधिक खराब थी जैसी स्थिति विश्व में पहले कभी नहीं रही, परन्तु जैसा कि क्रिकेट में नारा है, हमने सुरक्षित हाथों की तरह उसको बचाया है। अब जबकि विश्व इस्पात उद्योग की खराब स्थिति से उबर रहा है, मेरे मंत्रालय ने विश्वास दिलाया है कि हमें टोंटी से लेकर मतदान पेटियों, रेल लाइनों और आवास निर्माण के लिए विदेश से इस्पात आयात नहीं करना पड़ेगा। बल्कि हम इन वस्तुओं का निर्यात करेंगे। इस तथ्य को संयुक्त राज्य अमेरीका ने भी मान्यता दी है क्योंकि वह भारत में बनी इस्पात की विभिन्न वस्तुओं के आयात को रोकने का प्रयास कर रहा है।

हमारी सरकार की और भी उपलब्धियां रही है और जहाँ तक मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध है, मैं उनमें से कुछ उपलब्धियों का उल्लेख करना चाहता हूं। हमारे सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रम अर्थात, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, नालको, के. आई. ओ. सी. एल., बाल्को, एन. डी. एम. सी. आदि ठीक प्रकार से चल रहे हैं। खनन क्षेत्र में भी, प्रक्रिया को सरल बनाने और राज्यों को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने, पूंजी और नवीनतम प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने के लिए खनन नियमों में संशोधन किया जा रहा है और उसे मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है।

यदि निकल निष्कर्षण प्रौद्योगिकी प्रायोगिक संयत्र की स्थापना की योजना सफल हो गई तो इससे हम उड़ीसा राज्य में निकल के विशाल संसाधनों का दोहन करने में समर्थ हो सकेंगे। विस्तृत क्षेत्र पूर्वेक्षण के लिए अनेक लाइसेंस दिये गये हैं। देश के खनिज विकास के लिए पूर्वेक्षण पट्टे और खान पट्टों को शीघ्र मंजूरी दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। मैं इस बात को फिर दोहराता हूं कि जहाँ तक इस्पात क्षेत्र का संबंध है, विश्व इस समय गम्भीर मन्दी के दौर से गुजर रहा है। परन्तु मुझे पूरी आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक हमारे राष्ट्र और विश्व दोनों में इस्पात उद्योग की स्थिति सुधरेगी। इसलिए हम 'सेल' और विशाखापत्तनम इस्पात संयत्र के लिए उन्हें लाभप्रद स्थिति में लाने वाले प्रस्ताव पर भी विचार कर रहे हैं। सरकार इन पर विचार कर रही है। भारत रिफ्रैक्टरीज के लिए पैकेजों को स्वीकृति दे दी गई है। एच. एस. सी. एल. विचाराधीन है।

अब मैं अपने गृह राज्य उड़ीसा के बारे में बोलना चाहता हूं। जब हमारी पार्टी गठबंधन सरकार अर्थात वाजपेयी सरकार में शामिल हुई थी तो उस समय हमने यह कहा था कि हम राष्ट्र के निर्धनतम राज्य के निर्धनतम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यदि हमारी सरकार उनकी स्थिति सुधारना चाहती है तो वास्तव में हमें इस संबंध में काफी उपलब्धि हासिल होगी। इस एक वर्ष में, हमारी सरकार उड़ीसा के भारी विकास के लिए कृत संकल्प रही है। एक इस्पात संयंत्र, अर्थात् 'नीलाचल इस्पात निगम' एक वर्ष के भीतर उत्पादन शुरू कर देगा। उड़ीसा में पारादीप में लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक नया तेलशोधक कारखाना भी स्थापित किया जा रहा है। यह स्तंत्र भारत के इतिहास में केन्द्र द्वारा एक राज्य में किया गया अब तक का सबसे अधिक निवेश है।

केन्द्र सरकार ने पहली बार उड़ीसा में विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान विषमताओं को गम्भीरता से लिया है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि पश्चिमी उड़ीसा के लोग अब संचार नेटवर्क, रेल लाइन अर्थात् तलचर–सम्बलपुर लाइन जो पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर पूरी हुई थी, में अधिकाधिक निवेश करके राज्य के विकास में भागीदार बनेंगे। वस्तुतः अतिमहत्वपूर्ण रेल लाइन, जो पश्चिमी उड़ीसा को तटीय उड़ीसा से जोड़ती है, का सर्वेक्षण एक शताब्दी पूर्व हुआ था। हमारी सरकार के कार्यकाल में, हमने इस ऐतिहासिक रेल लाइन का कार्य पूरा कर लिया है जो कि हमारे राज्य में माल की ढुलाई और यात्रियों के आवागमन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

कुरधा–बोलनगीर लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण रेल लाइन है। और इसके लिए आबंटन में वृद्धि भी की गई है। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांवों का देश है। परन्तु निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि उडीसा गांवों का राज्य है। हमारे राज्य में सिंचाई की स्थिति बहुत खराब है। वह केवल बीजू जनता दल ही था जिसने शासन के राष्ट्रीय एजेंडा में सिंचाई के संबंध में एक विशेष

[श्री नवीन पटनायक]

तरीका शामिल कराया था। मैं गर्व से कह सकता हूं कि हाल ही में मंत्रिमंडल में इस बात पर सहमति हुई थी कि छोटी, मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए हमें वही लाभ दिये जाएंगे जो पूर्वोत्तर राज्यों को दिए जा रहे हैं अर्थात् 75 प्रतिशत अनुदान और 25 प्रतिशत ऋण। यह विशेषकर के. बी. के. जिलों के लिए महत्वपूर्ण है। आप उसे राज्य का पैकेज नहीं कह सकते हैं।

आप इसे राष्ट्रीय पैकेज कह सकते हैं। कुल मिलाकर, जैसा कि इस सम्मान्य सभा में प्रत्येक सदस्य को मालूम है कि के. बी. के. को ऐसे क्षेत्र के रूप में जाना गया है जहाँ कथित रूप से भुखमरी के कारण लोग मरते हैं। इसलिए यह सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि वहाँ सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि इस बात को सम्पूर्ण राष्ट्र जानता है कि वहाँ भुखमरी के कारण लोगों की मृत्यु होती रहती है...*(व्यवधान)* इस सभा में कुछ सदस्यों ने उड़ीसा राज्य और धर्मनिरपेक्षता के बारे में भी उल्लेख किया है। मेरे विचार में आज यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि मेरे स्वर्गीय पिता, जो इस सभा के सदस्य थे, की दूसरी पुण्यतिथि है। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी मेरे परिवार की देशभक्ति और धर्मनिरपेक्ष भावनाओं पर संदेह करने की आवश्यकता है। मैं इस सम्बन्ध में विस्तार से उल्लेख करना चाहता हूं। मेरे पिताजी सदैव अपनी स्वतंत्रता सेनानी निधि मदर टेरेसा को समर्पित करते थे। मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि जब आप ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी की उसके दो पुत्रों के साथ की गई हत्या की दुःखद घटना के बारे में बात करते हैं तो मेरे विचार में, इसी घटना के कारण कांग्रेस पार्टी के अपने ही मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया था। इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उस विशेष और भयानक घटना के लिए किसने जिम्मेदारी ली। मैं पुनः दोहराता हूं...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाक्को : उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली थी। किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली थी।

श्री नवीन पटनायक : उन्होंने जिम्मेदारी ली थी अथवा आप उसे चाहे जो भी कह सकते हैं। एक बार फिर हमारे राज्य में जाकर देखिए। विभिन्न रेल लाइनें बिछाने, उड़ीसा में विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली में सुधार के लिए बड़ी परियोजना शुरू करने, विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए उड़ीसा के लिए राज्य योजना के अंतर्गत आबंटन में वृद्धि करने, निधियों के आबंटन में वृद्धि करके के. बी. के. क्षेत्रों के विकास पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करने, और इन सभी क्रियाकलापों की केन्द्र सरकार द्वारा निरंतर निगरानी करने जैसे अन्य अनेक निर्णय लिए गए हैं। गत स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से, वंचित के. वी. के. क्षेत्रों के विकास के लिए आरम्भ किए जाने वाले कार्यों की घोषणा की थी और वास्तव में ये कार्य शुरू कर दिये गए हैं। और वास्तव में इसका श्रेय हमारी सरकार को जाता है। जो कुछ आज होने वाला है, मैं उसके बारे में बताकर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। यह और भी दिलचस्प बात है कि एक वर्ष से कुछ ही अधिक समय पहले मैं राजनीति में नया सदस्य था। एक वर्ष से कुछ ही अधिक समय पूर्व मैं छह महीने के लिए संसद सदस्य रहा था। यह असाधारण बात है कि तब कांग्रेस ने उसी मोर्चे से अपना समर्थन वापस ले लिया था जिसका वह अब पुनः सृजन कर रही है। अब यह सोचने का विषय है कि कांग्रेस पार्टी इसे प्रत्येक वर्ष खेल दिवस के रूप में मनाना चाहती है और क्या उनकी राय में संसदीय चुनाव पांच वर्ष में एक बार अथवा प्रत्येक वर्ष होने चाहिए।

श्री के. बापीराजू : आप उसे खेल का विषय अथवा जो चाहे कह सकते हैं। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं इसलिए आप जो चाहे कह सकते हैं।

श्री नवीन पटनायक : वास्तव में मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं। मैं इस सम्मान्य सभा में नया सदस्य हूं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। क्या कोई वार्षिक समारोह होने वाला है ?

श्री के. बापीराजू : आप देखते रहिये।

श्री नवीन पटनायक : मैं पहले से ही इसे ध्यान से देख रहा हूं। मैं करीब दो वर्षों से संसद सदस्य हूं। इसलिए, वास्तव में मैं खुद ही इसे ध्यान से देख रहा हूं। बार-बार जरूरत से ज्यादा चुनाव होने से देश को भारी खर्च उठाना पड़ता है, देश की मानव-शक्ति की इससे भारी हानि होती है। इसे हल्के ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए। इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूं ? मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी को उस बात के लिए शुभकामना और धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने हमारे महान देश और मेरे प्रिय राज्य के लिए किया है।

श्री पी.सी. थामस (मुक्तुपुजा) : सबसे अन्तिम वक्ता होना गौरव की बात है। प्रातः 5.16 बजे बोलना और भी ज्यादा गौरव की बात है। यह सरकार इसलिए इस विश्वास मत का सामना नहीं कर रही कि विपक्षी दलों ने सरकार के ऊपर ऐसी स्थिति लाद दी है। गठबंधन के अन्दर और प्रमुख पार्टी के अन्दर अन्तर्विरोध के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुझे लगता है कि इस समय ऐसी आशा नहीं थी, लेकिन सरकार के कार्यकलापों के हम साक्षी हैं। इनके शत्रु इनके अन्दर ही थे न कि बाहर। श्री वाजपेयी निश्चित रूप से अच्छे राजनेता हैं, लेकिन परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं हैं और मुख्यतः उनके अपने पक्ष से

ही उन्हें अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, श्री जार्ज फर्नान्डीज इस सदन में कह रहे थे कि सरकार से कुछ रक्षा दस्तावेजों को गलत ढंग से प्राप्त किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने अन्तर्विरोधों के कारण यह सरकार खुद ही स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रही है। समय की कमी के कारण मैं वह सब विश्लेषण प्रस्तुत नहीं कर पाऊँगा जो मैं प्रस्तुत करना चाहता था, क्योंकि हमें इस तथ्य का ध्यान रखना है कि कई माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। इसलिए, मैं केवल मुख्य मुद्दों के बारे में बोलूंगा।

अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले में यहाँ बहुत कुछ कहा गया है। गुजरात में 30 गिरजाघरों को जला दिया गया है और मुझे भी वहाँ जाने और उन स्थानों को देखने का मौका मिला। लेकिन, वास्तव में वहाँ क्या किया गया, इसके बारे में हमें कोई उत्तर नहीं दिया गया है। यहाँ से एक टीम गई थी, लेकिन वह टीम उस स्थान विशेष पर नहीं गई जहाँ अत्याचार किए गए। महाराष्ट्र में भी ऐसे मामले हुए हैं जहाँ *संघ परिवार* के एक संगठन द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया कि इसाईयों, विशेषकर इसाई मिशनरियों को एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर उस राज्य को छोड़ देना चाहिए और ऐसा नहीं करने पर उन्हें परिणाम भुगतना होगा। मुझे नहीं लगता कि इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई है।

महोदय, अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों की कई घटनाएँ उड़ीसा, मध्य प्रदेश और देश के अन्य भागों में घटीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भविष्य में ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिए वास्तव में क्या किया जाए, इस संबंध में सरकार ने उचित विवरण दिया है। मुझे लगता है कि अत्याचारों की अनेक घटनाएँ मुख्य पार्टी के अन्दर उठी समस्याओं के कारण घटी हैं।

महोदय, शिक्षा में केसरिया रंग का पुट देने का इरादा था और यह सरकार का छुपा हुआ एजेंडा था। अनेक माननीय सदस्यों ने इसका वर्णन किया है। इसे हमने राज्य शिक्षा मंत्रियों के पहले सम्मेलन में देखा और अखबारों में इसकी विस्तृत रिपोर्टें छपीं। लेकिन इसे इस सम्मेलन के बाद रोका नहीं गया। हम पाते हैं कि इस देश में विभिन्न शैक्षिक निकायों के अध्यक्षों को बदला गया और एन. सी. टी. ई., एन. सी. ई. आर. टी., आई. सी. एस. एस. आर. इत्यादि जैसे संस्थानों में अध्यक्षों के रूप में अत्यन्त वरिष्ठ विद्वानों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को नियुक्त करने की परम्परा समाप्त कर दी गई। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट आफ एशियन स्टडीज में हाल ही में एक निदेशक की नियुक्ति की गई। लेकिन उन्होंने कहा कि वे सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं। फिर, इस बात की भी आलोचना होती है कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद जैसे संस्थानों के अध्यक्ष रह चुके विद्वानों को बदला गया और मानव संसाधन मंत्रालय की खोज समिति द्वारा नए लोगों को नियुक्त किया गया। खुद यह समिति विद्वानों और प्रमुख व्यक्तियों से बनी होती है, लेकिन वर्तमान सरकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसमें भी परिवर्तन किया गया है।

मैं इस सदन का और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन, मुझे लगता है कि इसे किसानों की समस्याओं पर भी विचार करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अनेक सदस्यों ने इस पर विचार व्यक्ति किये हैं। भारत के अनेक भागों, विशेषकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में किसानों द्वारा आत्महत्या की गई है। सरकार इस बात को भली भांति जानती है कि केरल में भी किसानों को मुख्य रूप से नकदी फसलों में बहुत ही कम कीमत मिल रही है। न केवल किसान बल्कि पूरा केरल राज्य बर्बाद हो गया है। भारत सरकार इस संबंध में कुछ ज्यादा नहीं कर पाई। दो से ढाई वर्षों की अवधि के अन्दर विशेषरूप से रबड़ की कीमत, 70 रु. प्रति कि.ग्रा. से गिरकर 25 रु. प्रति कि.ग्रा. पर आ गई है। एक वर्ष से सत्ता में रही सरकार में इसकी कीमत 40 रु. से घटकर 25 रु. प्रति किग्रा. होते हुए देखा है, लेकिन कुछ भी किया नहीं गया है। इससे केवल केरल की अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं हुई बल्कि पूरा भारत प्रभावित हुआ क्योंकि हम करीब छह लाख मी. टन रबड़ का उत्पादन कर रहे हैं। हम विश्व में रबड़ के प्रमुख उत्पादों में से एक हैं। इसलिए यह ऐसी बात है जिस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। 34.05 रु. पर निश्चित की गई कीमत किसानों को नहीं दी गई है। अगर यह सरकार किसानों के लिए 200 करोड़ रु. या 300 करोड़ रु. बचा कर रखती, तब वे बच जाते। अब किसान बच नहीं सकते। मैं नहीं जानता कि इस सरकार को इस संबंध में कुछ करने का मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि यह जाने ही वाली है।

चाय, इलायची, काफी, काली मिर्च, इत्यादि क्षेत्र में श्रीलंका अवार्ड के कारण अनेक समस्याएँ आ रही हैं। सरकार ने यह कहा था कि कुछ किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस संबंध में कुछ ज्यादा किया जा सकता है।

जहाँ तक नई आयात नीति का संबंध है जिसका उल्लेख अनेक माननीय सदस्यों ने किया है, उससे विशेषकर केरल के किसान गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं क्योंकि चाय और अनेक मसाले तथा रबड के सामान, इत्यादि के अप्रतिबंधित आयात की अनुमति दी गई है। इससे अनेक समस्याएँ हो रही हैं।

अब, जहाँ तक भ्रष्टाचार, अक्षमता और नौकरशाही की समस्याओं जैसे अन्य पहलुओं का संबंध है, जो कि इस सरकार के शासन के दौरान उत्पन्न हुए, मैं इनका और ज्यादा वर्णन नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन, मैं यह कहूंगा कि आशा पूरी नहीं हुई। इस देश के युवा और यहाँ की

[श्री पी.सी. थामस]

ग्रामीण जनता के लिये किए गए कार्य से पूर्णतया असंतुष्ट है। इसलिए, मुझे लगता है कि जाने का समय आ गया है। इसलिए, हम लोग इसे समाप्त करने का निर्णय लेंगे। यह कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करुंगा। मैं विश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष जी, हम 14 घंटे से बैठे हुए हैं। एक पार्टी का एक आदमी बोला है और हम तो 17 लोग हैं।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : लालू जी तो खूब नाटक कर चुके हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : आपने असली भोर के समय में मुझे बोलने का समय दिया, इसलिए जो भी मैं कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा और कुछ नहीं छिपाऊंगा।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : सोनिया जी का नाम लीजिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : वह भी कहूंगा।...*(व्यवधान)* यह बेकार का आरोप लगा रहे हैं। यह तो जा रहे हैं और हम पर आरोप लगा रहे हैं। इनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि इनको क्यों विश्वासमत लेने के लिए कहा गया। यदि कोई भी सभ्य हुकूमत होती तो जब सुपोर्ट विड्रा किया गया और सरकार अल्पमत में आ गयी और राष्ट्रपति ने इनको विश्वास का मत लेने का हुकूम दिया, तो कहते हैं कि हम तो विश्वासमत बाद में भी प्राप्त कर सकते थे। इस बीच में दो–तीन दिन का मौका मिला तो हॉर्स ट्रेडिंग हुई।...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत बात कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : 6–7 घंटे के बाद यह सरकार जाने वाली है। इस सरकार को दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती है। इनके सारे समर्थक इधर चले आए। क्या कारण हैं वे उछल कर उधर चले गए।...*(व्यवधान)* सपोर्ट हासिल करने के लिए बहुत खर्चा हो रहा है। अफवाहों का बाजार गर्म है। इस पर करोड़ों रुपए के दाम लगाए जा रहे हैं।...*(व्यवधान)* इनके कई मंत्री इस काम में व्यस्त हैं। वे टेलीफोन लगाए बैठे हैं। यह कहते हैं कि सरकार का विकल्प बताई।...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, यह असत्य बात कह रहे हैं। इनकी कही बात को कार्यवाही में सम्मिलित न किया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : विदेशी हिसाब से यह लोग छल वालाकाम कर रहे हैं। यह कहते हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी विदेशी है। वह डिमॉरेलाइज करना चाहते है। डाक्टर लोहिया ने कहा था...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वे ऐसे किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते जो सदन में नहीं है।... *(व्यवधान)* मुझे खेद है कि कल सुबह भी ऐसी स्थिति में हमें सदन को स्थगित करना पड़ा था...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. चाक्को : लेकिन इसमें कोई आरोप नहीं है ....*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : उन्हें ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं। उस समय भी कोई आरोप नहीं थे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : डाक्टर लोहिया ने कहा था कि जब स्वेतलाना हिन्दुस्तान में आई थी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम भी वही आरोप लगाऐंगे। उन्हें इसका प्रमाण भी देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : संसदीय कार्य मंत्री जी ऐसे कैसे उठ कर खड़े हो गए ? मदन लाल खुराना जी की तरह आप भी मंत्री पद से बर्खास्त हो जाएंगे।...*(व्यवधान)* डाक्टर लोहिया ने कहा था कि जब स्वेतलाना हिन्दुस्तान में आई थी, उसकी जब बृजेश सिंह से शादी हो गई तो वह राम और कृष्ण की बहू हो गई। वह हिन्दुस्तान की बहू हो गई। आप क्या उन्हें विदेशी कहेंगे ? क्या आपको उनकी संस्कृति पर संदेह है ? हिन्दुस्तान की संस्कृति अपनी बहुओं को अपनाने और सम्मान देने में विश्वास करती है। यहाँ की संस्कृति अपनी बहुओं को अमर्यादित करने की नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी स्वर्गीय राजीव गांधी जी की धर्म पत्नी हैं। उन्हें विदेशी कह कर डिमॉरेलाइज करने की कोशिश की गई। आप छली हैं। आप हिन्दुस्तान की संस्कृति का गलत दावा कर रहे हैं। यह संस्कृति को मजबूत करने वाली बात नहीं है। आप छल का काम मत करिए।

"जल का दीप न जल पाएगा,

छल का राज नहीं चल पाएगा।"

आप बिहार का बंटवारा करना चाहते हैं। हम इसका विरोध करते हैं। हम ऐसी हुकूमत को धक्का देकर हटाना चाहते हैं और आन्दोलन करके हटाना चाहते हैं। खुशी की बात है कि संसद में संख्या के हिसाब से इन्हें हटाया जाएगा। इस देश को साम्प्रदायिक हुकूमत से मुक्ति मिल जाएगी।...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : माननीय सदस्य ने हॉर्स ट्रेडिग का और करोड़ो रुपए देने का इल्जाम लगाया है। इस बात को कार्यवाही से निकाला जाए।...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सांच को आंच की आवश्यकता नहीं। हम साबित करके दिखाएंगे कि कौन–कौन से इनके मंत्री इस काम में लगे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इन सब बातों को सदन की कार्यवाही से निकाल दूंगा।

अब सभा की बैठक आज पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

प्रातः 5.35 बजे

(17.4.99)

तत्पश्चात लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।